राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक: 06] चौदहवीं विधान सभा के छठे सत्र का तैंतीसवां दिवस [संख्या: 21

शुक्रवार,

1 अप्रैल 2016

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई)

(श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष: राम-राम साहब। नमस्कार। नमस्कार। जय राम जी, साहब। प्रश्नकाल। श्री हमीरसिंह भायल।

तारांकित प्रश्नोत्तर

सिवाना राजकीय महाविद्यालय में रिक्त पदों को भरने की योजना

447. श्री हमीरसिंह भायल (सिवाना): क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सिवाना के राजकीय महाविद्यालय में कितने पद स्वीकृत हैं एवं कितने पद रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों पर स्थाई नियुक्ति करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार अगले सत्र से सिवाना महाविद्यालय में छात्रों के प्रवेश हेतु सीटों की संख्या बढ़ाने का विचार रखती है? यहि हां, तो कितनी व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र सिवाना के समदड़ी में महिला महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री कालीचरण सराफ) : (1) राजकीय महाविद्यालय, सिवाना में प्राचार्य, व्याख्यताओं एवं अशैक्षणिक स्टाफ के स्वीकृत, रिक्त एवं कार्यरत पदों का विवरण परिशिष्ट-अ व ब पर संलग्न है।

(श्री कालीचरण सराफ)

(2) प्राचार्य/उपाचार्य का पद पदोन्नति का है। विभागीय पदोन्नति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

विभाग द्वारा विभिन्न विषयों में व्याख्याताओं के 1339 रिक्त पदों को भरने हेतु अभ्यर्थना राजस्थान लोक सेवा आयोग को भिजवायी गयी है। इन पदों पर चयन की कार्यवाही राजस्थान लोक सेवा आयोग के समक्ष प्रक्रियाधीन है। आयोग से चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होने/नियमित स्थानान्तरण के समय सिवाना के राजकीय महाविद्यालय में व्याख्याताओं के रिक्त पदों को भरा जा सकेगा। पुस्तकालयाध्यक्ष एवं पी.टी.आई. के रिक्त पदों को भर्ती नियमों में संशोधन की कार्यवाही पूरी होने पर भरा जा सकेगा।

अशैक्षणिक रिक्त पदों को स्थानान्तरण, पदोन्नति, अनुकम्पात्मक नियुक्ति एवं चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर भरने की कार्यवाही की जा सकेगी। लिपिक ग्रेड II 192, शीघ्रलिपिक 16 एवं प्रयोगशाला सहायक के 175 रिक्त पदों को भरने हेतु अर्थना प्रशासनिक सुधार विभाग को प्रेषित की गयी है। इन रिक्त पदों को चयनित अभ्यर्थी होने पर भरा जा सकेगा।

(3) राजकीय महाविद्यालय, सिवाना में शैक्षणिक सत्र 2016-17 में प्रवेश उपरान्त लम्बित आवेदन पत्रों की संख्या एवं उपलब्ध संसाधनों के दृष्टिगत सीट वृद्धि हेतु यथोचित निर्णय लिया जाएगा।

(4) निर्धारित मानदण्डों के पूर्ण होने और संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर समदड़ी तहसील मुख्यालय पर राजकीय महाविद्यालय खोले जाने पर विचार किया जाएगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न नंबर एक।

श्री हमीरसिंह भायल (सिवाना): माननीय अध्यक्ष जी, मंत्रीजी ने अपने जवाब 'अ' में लिखा है कि स्वीकृत पद 14 और रिक्त पद 13 हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि आज इस सदन में परमानेंट पोस्ट पांच-सात जितनी दे सकें, उसकी घोषणा करने की कृपा करें। सैकिण्ड, सिवाना राजकीय महाविद्यालय का नामकरण सिवाना के संस्थापक वीर नारायण परमार के नाम से करने की कृपा करें। पत्रावली पंचायत से लगाकर विभाग द्वारा प्रेषित की जा चुकी है।

श्री अध्यक्ष: यह बिलकुल नया सब्जैक्ट है।

श्री कालीचरण सराफ (उच्च शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक प्राचार्य और अध्यापक लगाने का सवाल है, अभी जो 167 बच्चे परीक्षा दे रहे हैं उनके सब सब्जैक्ट्स की पढ़ाई हो, इसके लिए हमने तीन-तीन महीने के लिए वहां पर पांच टीचर्स लगाये हैं। अभी जब स्थानांतरण होंगे, और जो पद हमने आर.पी.एस.सी. को भेज रखे हैं, आर.पी.एस.सी. के चेयरमैन साहब से मेरी बातचीत हुई थी तो उन्होंने कहा कि अप्रैल में तो एक परीक्षा आयोजित की है और मई में सब्जैक्ट पेपर की परीक्षा आयोजित की है। तो हमारी कोशिश है कि अगला सत्र जब प्रारम्भ होगा, उसके पहले इन 1339 की नियुक्ति हो जाएगी, तो हम आपके यहां लगा देंगे। दूसरा जो आपने पूछा नामकरण के लिए, इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिला कलेक्टर बाड़मेर और प्राचार्य से तथ्यात्मक टिप्पणी मंगवायी है। वहां से जैसे ही टिप्पणी आएगी, वीर नारायण परमार का नामकरण हम कर देंगे।

श्री अध्यक्ष: दूसरा पूरक प्रश्न।

श्री हमीरसिंह भायल (सिवाना): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी विधान सभा क्षेत्रफल में इतनी बड़ी है कि 70 से 80 किलोमीटर नजदीक तक कोई कॉलेज नहीं है। मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि समदड़ी में कालेज खुलवाने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष: विराजिए। जोगाराम जी, यह तो सिवाना का है।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): हां, सिवाना का पूछ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: केवल सिवाना का पूछिए।

श्री कालीचरण सराफ (उच्च शिक्षा मंत्री): ऐसा है, समदड़ी के लिए आपने पूछा तो वो ही रटा-रटाया जवाब है- वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर। निश्चित रूप से आपके महाविद्यालय खोला जाएगा। (व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): माननीय अध्यक्ष महोदय, आप कृपया ध्यान से सुनें। मंत्रीजी, जो टीचिंग स्टाफ है आचार्य और व्याख्याता, उनकी कुल आठ पोस्टें हैं, आठ में से आठ ही पोस्टें खाली हैं। तीन आपने सिर्फ कार्यरत लगाये हैं, परिशिष्ट 'अ' आप खुद देखें। कुल आठ पोस्टें हैं, आठ में से आठों ही खाली हैं। तीन जो कार्य कर रहे हैं, वो कार्य व्यवस्था के तहत लगाये हैं। आठ पोस्टें हैं, आठों ही खाली, तीन कहीं से थोड़े दिन के लिए काम करने के लिए उधारी में लाये हुए हैं, एक प्रश्न। जब से यह महाविद्यालय खुला है तब से आपने एक की भी पोस्टिंग की है या नहीं की? दूसरा, नान टीचिंग स्टाफ में

(श्री जोगाराम पटेल)

टोटल 14 पोस्टें हैं जिनमें 13 खाली, तो यह महाविद्यालय खोलने के उपरांत आपने टीचिंग और नान टीचिंग में कितनी और कब पोस्टिंग कीं?

श्री अध्यक्ष: विराजिए। माननीय मंत्री महोदय।

श्री कालीचरण सराफ (उच्च शिक्षा मंत्री): मैंने आपको जैसा बताया, टोटल पांच हजार का कैडर है और उसमें से 1300 पोस्टें खाली हैं। इसका मतलब 30 परसेंट पोस्टें खाली हैं। यह महाविद्यालय 2015-16 में स्वीकृत हुआ है। नया-नया महाविद्यालय है और 167 विद्यार्थी हैं। उसके हिसाब से हमने एक प्राचार्य... (व्यवधान) नहीं, दो और लगा दिये। यह जवाब पहले बन गया था, इसके बाद दो और लगा दिये। बैठो, बैठो तो सही आप। एक प्राचार्य और चार अध्यापक, प्राध्यापक हमने और लगा दिये हैं। अब परीक्षा का समय है। एक जुलाई को जब सत्र प्रारम्भ होगा, उस समय निश्चित रूप से यहां पर स्थाई नियुक्ति कर दी जाएगी।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): आपके प्रश्न का आज वाला जवाब गलत है? यह जवाब अपटू-डेट नहीं है।

श्री कालीचरण सराफ (उच्च शिक्षा मंत्री): यह जो जवाब है, अभी तीन -चार और लगाये हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न नंबर 2, श्री ललित कुमार।

श्री ललित कुमार (किशनगंज): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्रीजी से पूछना चाहूंगा कि राजकीय महाविद्यालयों में जो हमारे ...

श्री अध्यक्ष: नहीं, सिर्फ सिवाना के बारे में बोलिए।

श्री ललित कुमार (किशनगंज): सिवाना नहीं। अध्यक्ष महोदय, महाविद्यालय से सम्बन्धित ही है।

श्री अध्यक्ष: श्री पब्बाराम। यह सिवाना से सम्बन्धित होना चाहिए।

श्री पब्बाराम (फलौदी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय उच्च शिक्षा मंत्रीजी से जानना चाहूंगा कि सिवाना के अन्दर छात्रों के अनुपात में प्राध्यापक लगाने का क्या मानक है? किस मानक के आधार पर कितने छात्रों पर एक प्राध्यापक लगाएंगे और विषयानुसार कितने-कितने होने आवश्यक हैं? क्या उसके अनुरूप पद सृजित हुए या नहीं हुए? अगर पद सृजित नहीं हुए तो क्या आप छात्रों के अनुपात में पद सृजित करने का मानस रखते हैं? यह स्टाफिंग पैटर्न बड़ा करना चाहते हैं अथवा नहीं?

श्री अध्यक्ष: विराजिये। यह रिलेवेंट सवाल है।

श्री कालीचरण सराफ (उच्च शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने पहले कहा, नया-नया महाविद्यालय है और यहाँ जितने सब्जैक्ट्स हैं, उनकी पढ़ाई की व्यवस्था हमने कर दी है। कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है या विद्यार्थी नहीं है जिसके किसी सब्जैक्ट की वहां पढ़ाई नहीं हुई हो। हमने सबकी पढ़ाई की व्यवस्था की। तीन-तीन महीने के लिए हमने कार्य व्यवस्था के लिए वहां पर लगाये। स्थायी नियुक्ति के लिए जैसा मैंने कहा, जब नियमित स्थानान्तरण होंगे और जब नई पोस्टें आ जाएंगी तो हम लगा देंगे। यही तो मैं कह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: बैठिए। अगला प्रश्न। श्री घनश्याम तिवाड़ी।

जयपुर मैट्रो व सड़क चौड़ाई में हटाये गये धार्मिक स्थलों की पुनः स्थापना

448. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सरकार द्वारा जयपुर में मैट्रो निर्माण एवं सड़क चौड़ा करने के लिए किस-किस समुदाय के कितने-कितने धार्मिक स्थलों को हटाया गया? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या जयपुर स्थित रोजगारेश्वर महादेव मंदिर को तोड़ने से पहले सरकार से अनुमति प्राप्त की गयी? यदि नहीं, तो सरकार द्वारा दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार द्वारा इनमें से कितने धार्मिक स्थलों का पुनर्निर्माण किया गया एवं कितनों को पुनर्निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध करायी गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सकार हटाये गये धार्मिक स्थलों के स्थान पर उसी आकार एवं बनावट के धार्मिक स्थल अन्य निकटतम स्थान पर बनाने का विचार रखती है? यदि हां तो कब तक व नहीं तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार रोजगारेश्वर मंदिर सहित अन्य धार्मिक मंदिरों की मूर्ति की स्थापना शास्त्र के अनुसार पुनः कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री (श्री राजपाल सिंह शेखावत): (1) राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2011 से अब तक मुख्य सड़कों पर यातायात में अवरोध करने वाले सड़क सीमा में अवस्थित तथा मैट्रो सहित अन्य महत्वपूर्ण प्रोजैक्ट के क्रियान्वयन में बाधक 113 धार्मिक स्थल हटाये गये जिनमें से हिन्दू समुदाय के 104 मंदिर एवं मुस्लिम समुदाय की 9 मजारों को शिफ्ट किया गया था।

(2) जी हां। अतएव कोई दोषी नहीं।

(3) राज्य सरकार द्वारा 42 धार्मिक स्थलों के पुनर्निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध करायी गयी है। मैट्रो निर्माण हेतु छोटी चौपड़ से हटाये गये मंदिरों के पुनर्निर्माण के लिए आतिश मार्केट में 375.00 वर्गमीटर भूमि आबंटित की गयी है तथा इन 6 मन्दिरों को छोटी चौपड़ से स्थानान्तरित कर ओल्ड आतिश मार्केट में पुनर्स्थापित किया गया है, यथा कष्टहरण महादेव मन्दिर, कंवल साहब हनुमान मन्दिर, रोजगारेश्वर महादेव मन्दिर, बारह लिंग महादेव मन्दिर, श्री बड़ के बालाजी मन्दिर (बजरंग बली मन्दिर/प्याऊ) तथा रामेश्वर महादेव मंदिर।

(4) जी हां। राज्य सरकार मैट्रो निर्माण के कारण हटाये गये धार्मिक स्थलों का पुनर्निर्माण निकटतम स्थानों पर यथाशीघ्र करने का विचार रखती है।

(5) जी हां, राज्य सरकार मैट्रो निर्माण के कारण हटाये गये धार्मिक स्थलों की पुनर्स्थापना यथाशीघ्र करने का विचार रखती है।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न, नम्बर एक।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष: उपाध्यक्ष नहीं, अध्यक्ष महोदय।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, वह मैंने कालीचरण जी का अभी सुन लिया न तोता रटंत, तो ज्यादातर उपाध्यक्ष जी ही रहते हैं इसलिए उनका असर आ गया मेरे पर।

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि छोटी चौपड़ और बड़ी चौपड़ के ध्वस्त किये गये मंदिर 1957 के अधिनियम तथा 2009 के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले तथा जारी निर्देश के पहले बने हुए हैं जिसे जयपुर स्टेट द्वारा बनाये गये 1940 के नक्शों में दर्शाया गया है। यातायात पुलिस ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर जिन 25 मंदिरों

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

को अतिक्रमी बताया है, उनमें भी इनका नाम नहीं है। लेकिन 11 जून, 2015 को सीएमओ के अधिकारियों, तत्कालीन पुलिस कमिश्नर तथा कलेक्ट्रेट के अधिकारियों ने रात दो बजे बाद सम्पूर्ण छोटी चौपड़ को सशस्त्र पुलिस से घेर कर रोजगारेश्वर मंदिर को स्थानान्तरित करने के बजाए ध्वस्त किया। ध्वस्त ही नहीं बल्कि शिवलिंग को निर्ममतापूर्वक आरी से काटा गया जिसकी तस्वीरें विभिन्न टीवी चैनलों में, समाचार पत्रों में आयी हैं। किसी विधि विधान की पालन नहीं की गयी। इसकी जिम्मेदारी तय करके राज्य सरकार कार्यवाही क्यों नहीं करना चाहती है? मेरे पास सारे प्रमाण मौजूद हैं फिर भी कोई दोषी नहीं है, यह कहना उचित नहीं है।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि छोटी चौपड़ से अभी तक केवल 6 मंदिर शिफ्ट किये गये हैं। बड़ी चौपड़ के किसी मंदिर को अभी शिफ्ट नहीं किया गया है। छोटी चौपड़ के जिन 6 मंदिरों को शिफ्ट किया गया है, वे कितने पुराने हैं, इसकी जानकारी करने की कोशिश की तो पाया कि केवल दो मंदिर ऐसे हैं जिन मंदिरों का निर्माण काफी पहले हो गया। एक मंदिर तो कंवल साहब हनुमान मंदिर छोटी चौपड़ जो 1888 के समय का मंदिर है। दूसरा रोजगारेश्वर मंदिर है जो 1940 से पहले का बना हुआ है। इसके अलावा बाकी जो चार मंदिर हैं जो मैट्रो के कारण हटाये गये हैं, उन चारों मंदिरों को जब शिफ्ट किया गया तो मंदिरों के नीचे डामर की सड़क मिली है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वे कितने पुराने हो सकते हैं। मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि मंदिरों को हटाने का निर्णय लिया गया था, शिफ्ट करने का निर्णय लिया गया था, मंदिरों को तोड़ने का निर्णय नहीं किया गया था। किसी की भावना को आहत करने के लिए निर्णय नहीं लिया गया था। वैसे देखा जाए तो हिन्दू समाज मूर्तिपूजक है, मंदिरपूजक नहीं है। यह बात सही है कि जितना प्रिकॉशन और जितनी कंसर्न, जितनी केयर इन मंदिरों की पुनर्स्थापना में की जानी चाहिए, सात्विक ढंग से इनकी पुनर्स्थापना करने से पहले जो विधि इस्तेमाल की जानी चाहिए, उसमें कोई कमी रह सकती है। लेकिन मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि इन मंदिरों की मूरत के लिए जो आदेश निकाला गया था, मंदिर शिफ्टिंग के प्राण प्रतिष्ठा के सम्बन्ध में यह जिला कलेक्ट्रेट, जिला मजिस्ट्रेट से 9.6.2015 को डायरेक्शन

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

दिये गये-विषयान्तर्गत कार्यालय द्वारा जारी आदेश क्रमांक 874 दिनांक 8.6.2015 व 890 दिनांक 8.6.2015 में निम्न प्लान संशोधन किया जाता है।

छोटी चौपड़ स्थित शिव मंदिर तथा रोजगारेश्वर मंदिर की दिनांक 11.6.2005 को 4 ए.एम. पर मूर्तियां पूर्ण रीति रिवाज व सम्मान के साथ पुराने आतिश मार्केट में शिफ्ट की जाएंगी। मंदिरों के ढांचे को फिलहाल यथावत् रखा जाएगा। कंवल जी के नोहरे से आतिश मार्केट में मूर्तियों की शिफ्टिंग का कार्य 11.6.2015 को 9 ए.एम. बजे किया जाएगा। यह कार्य एसडीएम (पूर्व) जयपुर की देखरेख में सुबह, मैट्रो तथा पुलिस के सहयोग से किया जाएगा। इसके लिए पिकअप की व्यवस्था मैट्रो द्वारा की जाएगी तथा शिफ्टिंग से पूर्व देवस्थान के पुजारियों द्वारा हिन्दू रीति रिवाजों की पालना में समस्त धार्मिक विधि विधान सम्पन्न किये जाएंगे।

छोटी चौपड़ स्थित रोजगारेश्वर तथा शिव मंदिर बिजली डिसकनैक्ट करने की कार्यवाही एक्सईएन द्वारा दिनांक 10.6.2015 को रात दस बजे की जाएगी। प्राण प्रतिष्ठा की व्यवस्था, मंदिरों के पुजारियों, देवस्थान के पुजारियों तथा मैट्रो द्वारा समन्वय स्थापित किया जाएगा। हवन की कार्यवाही दिनांक 11.6.2015 को 11 ए.एम. पर प्रारम्भ होगी तथा प्राण प्रतिष्ठा की कार्यवाही दिनांक 12.6.2015 को प्रातः छह बजे प्रारम्भ होगी। मूर्तियों की सुरक्षा हेतु अग्रिम आदेश तक कंवल जी के नोहरे में कार्यरत पुलिस जाप्ता व सिविल डिफेंस के कर्मचारी आतिश मार्केट में शिफ्ट होंगे, इसके लिए टैंट की व्यवस्था वगैरह मैट्रो करेगी।

इस आदेश के विहाव पर मैं यह कह सकता हूं कि सरकार ने साफ तौर पर निर्देश दिए थे कि मंदिरों को पुनर्स्थापित करने वाले स्थान तक पहुंचाने से पहले जितने हिन्दू रीति रिवाज के माध्यम से मूर्तियों की दूसरे स्थान पर प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, उसका ध्यान रखा जाए। यह बात सही है, मैं स्वीकार करता हूं कि इस पूरी प्रक्रिया के अन्दर जितनी रिलीजियसली काम होना चाहिए था, उतना रिलीजियसली काम नहीं हुआ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह भी सही है कि देवस्थान के अन्दर किस किस प्रकार के पुजारी हैं, आप जानते हैं। लेकिन हिन्दू समाज के अन्दर, हिन्दू धर्म के अन्दर मंदिरों को हटाने की, मूर्तियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर शिफ्ट करने की परम्परा रही है, उसकी प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया बड़ी सुस्थापित है।

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य अच्छी तरह जानते हैं, यजुर्वेद के अन्दर और ऋग्वेद के अन्दर बहुत काम्प्रीहैंसिवली तब मंदिर हटाया जा सकता है, तब मंदिर हटा देना चाहिए, क्यों मंदिर हटा देना चाहिए, क्यों मूर्तियां प्रतिस्थापित कर देनी चाहिए। यजुर्वेद और ऋग्वेद के आधार पर, माननीय अध्यक्ष महोदय, 18वीं सदी में एक बहुत बड़े पंडित ने कम्पायलेशन किया था, वह कम्पायलेशन किया था भगवंत भास्कर के नाम से। भगवंत भास्कर में एक पूरा चैप्टर है, जिसका नाम है प्रतिष्ठा मयूख। प्रतिष्ठा मयूख के अन्दर पूर्ण रूप से मंदिर के अन्दर प्राण प्रतिष्ठा किस तरह से की जानी चाहिए। न केवल प्राण प्रतिष्ठा बल्कि प्राण उत्सर्ग भी किस प्रकार से किए जाएंगे। प्राण प्रतिष्ठा करना और प्राण प्रतिष्ठा से प्राण को अलग करना, अग्नि प्राण में भी इसकी गाथा बड़ी स्पष्ट है। साफ तौर पर कहा गया है। मैं कोई डिफेंस नहीं करना चाहता, मैं कोई कुछ नहीं कहना चाहता, मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि प्राण प्रतिष्ठा करना और प्राण विसर्जन करना इन दोनों की प्रक्रिया तय है। इसीलिए सरकार ने इस बात का ध्यान रखते हुए कहा। यह मूर्ति विसर्जन नहीं है, यह मूर्ति...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): प्राण विसर्जन...

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): प्राण विसर्जन भी नहीं है, यह उत्सर्ग है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): उत्सर्ग एक ही बात है।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): प्राण विसर्जन अलग चीज है। प्राण विसर्जन और प्राण उत्सर्ग दोनों अलग चीज हैं। प्राण उत्सर्ग के लिए... अग्नि प्राण में इसकी विस्तृत व्याख्या है। देवनानी जी ने तो पढ़ी होगी।

अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां अग्नि को आत्मा माना है, प्राण माना है। जब मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा करने की बात आती है तो अग्नि पुराण ने, चूंकि अग्नि और सूर्य प्राण का रूप हैं हिन्दुस्तान की माइथोलोजी में, इसलिए अग्नि पुराण में इसकी विस्तृत व्याख्या की हुई है। यह भी कहा हुआ है कि कौन से मंदिर कहां पर नहीं रहने चाहिए। मार्ग में आये हुए मंदिरों के लिए साफ तौर पर कहा गया है कि मार्ग के बीच में आ गये मंदिर को हटा ही देना चाहिए, वर्ना वह विध्वंस का कारण बनता है, अकाल का कारण बनता है, अकाल मृत्यु

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

का कारण बनता है। ऐसे राजा को राज करने का कोई अधिकार नहीं है जिसके राज में मार्ग में मंदिर आते हों।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य के साथ मैं इस बात को बिलकुल ताकीद करता हूं कि इस प्रकार के डायरेक्शन के बावजूद विधि विधान के अन्दर, जिस प्रकार से विधि विधान होना चाहिए था, विधि विधान किया गया है, लेकिन विधि विधान उतने पांडित्य के साथ नहीं किया गया जिस पांडित्य के साथ करने की संरचना हिन्दू धर्म के अन्दर की गयी है, यह बात सही है।

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि यह तो मंदिरों की पुनर्स्थापना है, हमारे हिन्दू धर्म के अन्दर मूर्तियों का विखण्डन हो जाने पर नई मूर्तियों की प्रतिष्ठापना करने का भी प्रावधान है। इसलिए यह बात सही है कि रोजगारेश्वर मंदिर के अन्दर चूंकि कई शिवलिंग थे...

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं व्यक्तिगत रूप से कह सकता हूं, एक दिन मुझे किसी पंडित जी ने कहा कि शिवजी के यहां शिवरात्रि के दिन जल चढ़ाओ। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि धर्म में मेरी आस्था है पर आस्था होने के बाद इस प्रकार से मैं रोज-रोज भगवान को तंग नहीं करता। शिवरात्रि को मुझे किसी पंडितजी ने कहा तो मैं गया जल चढ़ाने के लिये। रात को 12 बजे। कहा, शिवरात्रि रात्रि को होती है तो मैं गया मंदिर। ताड़केश्वरजी के मंदिर जाते हैं, सबसे अच्छा मंदिर है। वहां देखा तो धक्कम-पेली, भीड़भाड़ हो रही थी। मैं सामान घर से भगवानजी को चढ़ाने के लिये ले आया। मुझे लगा, राजपालसिंहजी, भीड़-भड़क्के में धक्के खाने से कोई मतलब नहीं है। शिवजी तो सब जगह ही हैं, कोई और मंदिर ढूंढ ले। जब मंदिरों को ढूंढने के लिये आगे निकला तो रोजगारेश्वरजी का मंदिर जिसका नाम उस वक्त नहीं मैं नहीं जानता था, उसमें चला गया। उसमें कोई पंडित था नहीं। रात को मंदिर के पट खुले हुए थे। वहां मैंने देखा, कई प्रकार के कई शिवलिंग हैं। मुझे आश्चर्य जरूर हुआ उस वक्त भी कि इतने ज्यादा शिवलिंग, इतने छोटे-छोटे शिवलिंग, बहुत ज्यादा शिवलिंग जमीन में धंसे हुए, गड़े हुए। मैंने सब पर जल चढ़ाया, हाथ जोड़ा। बाद में मैंने मालूम करने की कोशिश की कि ये ऐसे शिवलिंग इतने सारे क्यों हैं। यह पुरानी बात है। तो बाद में पता लगा कि तंत्र के शिव हैं, तांत्रिक शिव। तांत्रिक शिव हैं इसलिये शिव की स्थापना

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

तंत्र के शास्त्र के अनुरूप की गयी है। तो इतने छोटे-छोटे शिवलिंग बहुत बड़ी संख्या में जमीन में धंसे हुए पुराने, माननीय अध्यक्ष महोदय, उनको निकालने में जिस प्रकार की केयर होनी चाहिए थी, जिस प्रकार की कन्सर्न होनी चाहिये थी, उतनी केयर और कन्सर्न कम रखी गयी, यह बात सही है। लेकिन फिर भी मानता हूं कि रोजगारेश्वर के महादेव मंदिर को शिफ्ट करना और बाकी जो बचे हुए पांच मंदिर हैं, उनको पूरी शास्त्रोक्त विधि से पंडितों की सहमति के साथ में प्राण-प्रतिष्ठा के साथ में, जितने आकार में मूल रूप से मंदिर थे, उनसे ज्यादा बड़ी जगह पर, वह दिया गया था। रास्ते में मैट्रो हम यहां लाएंगे, यह तय बहुत पहले हो गया था। मैट्रो लाएंगे, उसकी डी.पी.आर. पास हो गयी, मैट्रो का अलाइनमेंट तय हो गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब मैट्रो का अलाइनमेंट कैबिनेट ने तय कर दिया तो यह बड़ा ओबवियस था। मैं एक मकान खरीदूं जिसमें मकान बना हुआ हो, उसके बाद में नक्शा बनाऊं, जे.डी.ए. से नक्शा पास करा लूं मल्टी-स्टोरी बिल्डिंग बनाने का, इसका मतलब ओबवियसली मैं इस पुराने वाले मकान को हटाऊंगा। तो यह निर्णय सरकार का बहुत पुराने स्तर पर हो गया था। लेकिन इसमें फिर भी स्वीकार करने में मुझे कोई संकोच नहीं है कि जिस प्रकार की रिलीजियसली इन चीजों को, इन सैक्रामेंट्स को हमें एक्जीक्यूट करना चाहिये था, उसमें कहीं न कहीं थोड़ी-बहुत कमी रही है, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने बहुत विस्तृत जवाब दिया है। पहली तो उनकी बात यहीं गलत हो जाती है, 09.06.2015 का जो कलेक्टर का सर्कुलर आपने पढ़ा है, उसमें साफ लिखा है कि मंदिर के ढांचे को फिलहाल यथावत रखा जाएगा। जबकि ढांचे को पहले ध्वस्त कर दिया गया, पहली बात तो यह है। यह मंत्रीजी का उत्तर गलत है।

दूसरा, इन्होंने इतने शास्त्रों का उल्लेख किया। हमारे यहां 64 शास्त्र हैं जिनमें एक मूर्ति शास्त्र है। मूर्ति शास्त्र में मूर्ति की प्रतिष्ठा कैसे होगी, उसका विसर्जन कैसे होगा, सारा विवरण है। उसमें साफ लिखा है कि शिवलिंग एक बार प्रतिष्ठापित होने के बाद शिवलिंग को हटाया नहीं जा सकता। यह किसी भी शास्त्र में नहीं है, एक बात। दूसरा, हटाने के बाद, अध्यक्ष महोदय, उसको आरी से काटा गया है। आरी से काटने का आई.बी.एन.-7 पर आया। सारे अखबरों में-पत्रिका, भास्कर सब मेरे पास हैं, सब में उनके वो हैं। और

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

जब हिन्दू कर्मचारियों ने उसको आरी से काटने से मना किया तो जे.सी.बी. चलाने के लिये मुसलमान कर्मचारी को बुलाकर उस शिवलिंग को कटाया गया। यह सबसे बड़ी शर्मनाक बात है, अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा। मैं मंत्रीजी की भावना का आदर करता हूं। यह करना सबसे बड़ी गलत बात थी। उसके बाद, मैं मंत्रीजी से साफ कहना चाहता हूं, इसमें दोषी कौन हैं, मुझे पता है। रात को 2 बजे से लेकर 5 बजे तक सी.एम.ओ., मुख्य मंत्री के सचिव और उनके अधिकारी, तत्कालीन पुलिस कमिश्नर राव और कलेक्ट्रेट के अधिकारियों में 25 बार टेलीफोन पर बात हुई है। तीन हजार लोगों से, जिस प्रकार औरंगज़ेब की सेना ने मंदिरों को घेरा था, छोटी चौपड़ को घेर कर उस पर आरी चलायी गयी है। इससे जयपुर के सारे कार्यकर्ताओं के, सारे हिन्दुओं के मन में बहुत भयंकर ठेस है। इसलिये मैंने विधान सभा में भी 13 मार्च को यह प्रश्न उठाया था और मैंने कहा था कि आप इस काम को नहीं करें।

दूसरा प्रश्न, अध्यक्ष महोदय, जब मैट्रो के रास्ते में आने से चांदपोल का गेट बच सकता है, दिल्ली में सारी मैट्रो निकलने के बाद भी वे बच सकते हैं, घाट की गूणी के नीचे जो इतनी बड़ी टनल निकलकर घाट की गूणी बच सकती है, यह जो अपना बूंदी का टनल बना है, बूंदी में पहाड़ी के होते हुए वह बच सकता है तो फिर रोजगारेश्वर महादेव को बचाने में क्या दिक्कत थी? अगर हटाना जरूरी था तो दुबारा उसका निर्माण उसी प्रकार से क्यों कराया जा रहा है, यह मेरी समझ के बाहर की बात है। ये दो बातें मंत्रीजी से पूछना चाहूंगा।

दूसरा, मंत्रीजी ने कहा कि पुजारियों से, यह मेरे पास लिस्ट है, साहब, सरकार की। राजकीय भूमि, सार्वजनिक स्थलों पर अतिक्रमण और उनमें कौन-कौन पुजारी हैं, इन सबके बारे में लिखा है कि इनमें कोई ट्रस्टी नहीं है, कोई पुजारी नहीं है। ये सार्वजनिक मंदिर हैं। इसके बाद में अधिकारियों ने मिलकर फर्जी पुजारी क्रियेट किये, फर्जी ट्रस्टी क्रियेट किये और उनके खिलाफ देवस्थान बोर्ड में अपील की। देवस्थान बोर्ड में तीन फर्जियों को तो निष्कासित करके पुलिस कार्यवाही के लिये लिख दिया है। बाकी फर्जियों का काम भी, यह इसलिये षड्यंत्र है कि फर्जी पुजारी बनाये गये, फर्जी ट्रस्टी बनाये गये और उनको 70-70 हजार रुपये दे दिये गये। उनको जमीन दे दी गयी। कोई वहां पर ठेला लगाता था, कोई मूली बेचने का काम करता था, उनको ट्रस्टी और पुजारी बना दिया। मैं, मंत्रीजी, आपकी भावना का, सरकार की भावना का

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

स्वागत करता हूं लेकिन जिस प्रकार से यह काम किया गया है, वह हमारे किसी के योग्य नहीं है। लोग कल यह कह देंगे कि मंदिर के नाम से, गाय के नाम से और तुष्टिकरण की बात कहकर जीतने वाले लोग जीतने के बाद में इस रास्ते पर उतर पड़े हैं। इसलिये मैंने यह प्रश्न उठाया है। मैं चाहूंगा कि इसमें जो दोषी अधिकारी हैं उनको दण्डित किया जाए। दोषी अधिकारी दण्डित तब होंगे, जब आप इनकी रात को की हुई टेलीफोन की वार्ता की लिस्ट जारी कर दें और उसको सार्वजनिक कर दें। इसलिये मैं कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: विराजिये। माननीय मंत्री महोदय।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य की जानकारी धर्म के बारे में और दर्शन के बारे में मुझसे ज्यादा है। लेकिन पूरे सम्मान के साथ में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि काशी के विश्वनाथ के मंदिर के अन्दर क्या शिवलिंग की पुनर्स्थापना दुबारा नहीं की गयी?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): पुनर्स्थापना नहीं की गयी। वे तो तोड़कर ले गये थे, नयी मूर्ति की स्थापना की गयी। नयी तो स्थापना की जा सकती है, जो आप अभी वहां पर कर रहे हैं।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): सोमनाथ के मंदिर में, माननीय अध्यक्ष महोदय, काशी विश्वनाथ के मंदिर के अन्दर शिवलिंग की पुनर्स्थापना इंदौर की महारानी साहब ने करायी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अहिल्या बाई ने।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अहिल्या बाई ने। सोमनाथ के मंदिर में लौहपुरुष ने करायी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): मंत्रीजी, मोहम्मद गौरी गजनवी और से खुद की तुलना क्यों कर रहे हो?

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): मैं तुलना नहीं कर रहा, मैं तो केवल शास्त्रों में यह बता रहा हूं। मैं तुलना नहीं कर रहा हूं, मैं तो यह बता रहा हूं कि शिव के लिंग की पुनर्स्थापना सम्भव है और शास्त्रोक्त है। मैं यह कहना चाहता हूं कि घर में शिवलिंग कई बार, हम इतने बड़े मूर्तिपूजक हैं, हमारे यहां जनसंख्या दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या है, इतनी बड़ी जनसंख्या के मूर्तिपूजक लोग जब मूर्ति की पूजा

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

करते हैं तो मूर्ति का खण्डन हजारों की तादाद में होता है। उन खण्डित मूर्तियों का विसर्जन और खण्डित मूर्तियों के स्थान पर दुबारा मूर्तियों का पुनर्स्थापन, इसमें शिवलिंग भी शामिल है, यह होता रहा है। लेकिन इसमें कोई बात नहीं, मैं यह बचाव नहीं करना चाहता कि शिवलिंग को जिस प्रकार से हटाया जाना चाहिये था, उस ढंग से उसको हटाने में कोताही हुई है। मैं इसको बचाना नहीं चाहता। यह भी कहना चाहता हूं कि हमारे यहां सारे मंदिरों की, पुराने मंदिरों की केयर करने के लिये मुख्य मंत्रीजी ने स्पेसिफिक डाइरेक्शन दे रखे थे। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 07 जुलाई को मुख्य मंत्रीजी के नेतृत्व में जो मीटिंग हुई मैट्रो की, उसमें साफ तौर पर कहा है, "Decision was taken for relocation of 6 temples. 3 temples at each Chaupar that are infringing the area planned to be excavated, it was decided that these temples should be relocated at a suitable place with all the holy customs, under the aegis of Collector, Jaipur with due support from and consultations with the local MP, MLA and all concerned. दूसरा, Hon'ble CM directed that during excavation footprint of each temples so relocated will be examined and after the completion of construction of stations, these temples can again be located at the same place if they are found to be old and historical." और इसी के आधार पर, माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने कहा, केवल दो मंदिर पुराने हैं, रोजगारेश्वर महादेव का और दूसरा कंवल साहब हनुमानजी का मन्दिर, जो 1888 के आसपास का है। लेकिन हमने बाकी के मंदिर, छह हटाये जो हटाये। एक मंदिर जो हटा, उसका कोर्ट में मामला चल रहा है। वह सहमति से नहीं हटा। बाकी मंदिर में हमने मैट्रो की डिजाइन को चेंज करवाया। मैट्रो की डिजाइन को इस प्रकार से चेंज करवाया है कि जहां हमने उनकी सहमति से मंदिर को रिलोकेट कर दिया, उसके बावजूद मैट्रो के पूरे होने पर अगर वे छोटी चौपड़ पर आना चाहते हैं, नियरैस्ट स्पेस पर आना चाहते हैं तो रोजगारेश्वर मंदिर को हमने जगह दे दी। वहां मूर्ति की स्थापना हो गयी, प्राण प्रतिष्ठा हो गयी, काम जारी है। बाकी चारों खंदों में चार और टैम्पल्स की जगह हमने आरक्षित कर दी। अगर मैट्रो के बनने के बाद वे छोटी चौपड़ के चारों खंदों में चारों जगह आना चाहें, उसके लिये हमने डिजाइन में बदलाव कर दिया है, डिजाइन में बदलाव करके एप्रोप्रिएट जगह पर हमने एप्रूव करा लिया है। हमारी पूरी मंशा इस बात की रही है कि जहां-जहां भी मंदिर किसी भी कारण से, मैट्रो से नहीं, किसी भी कारण से मंदिरों को रिलोकेट किया गया है, हटाया गया है, वहां उन मंदिरों की पुनर्स्थापना किसी न किसी रूप में अधिकतम सम्भावना के साथ हो सके।

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मंदिर कोई अभी नहीं हटाये गये हैं। शिवलिंग भी अभी कोई हटाये नहीं गये हैं। आपको ध्यान है 2011 का? 2011 से पहले का रिकार्ड तो मेरे को ढूंढने में मिल नहीं पाया। रिकार्ड नहीं था 2011 से पहले का। यह जरूर एफिडेविट मिला है मुझे चीफ सैक्रेटरी का, जिसने कहा है, सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय के रैफरेंस में जो लिखा कि 370 मंदिर हमने राजस्थान से हटा दिये हैं। 2010 और 2014 की शुरुआत तक, जनवरी-फरवरी के आस-पास, इसी के टाइम का वह एफिडेविट है, 370 । और जहां तक जयपुर का ताल्लुक है, ...(व्यवधान) अब मैं बात कर लूं, आप बोलना। बोलना आप, बोलें। हां-हां, मना नहीं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: नहीं-नहीं, बीच में नहीं। नो-नो। I am not allowing you.

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): हम उन सबका री-लोकेशन करना चाहते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, 2011 से लेकर 2014 के बीच में 33 मंदिर हटाये गये, एक भी मंदिर की पुनर्स्थापना नहीं हुई। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक भी मंदिर को अभी तक पुनर्स्थापित करने के लिए जमीन नहीं दी गयी। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने जितने भी मंदिर हटाये हैं, उनको पुनर्स्थापित करने की कोशिश की है, उनको जमीन दी है। कुछ मंदिर वालों को हमने कम्पनसेशन का फायदा दिया है। और जिन मंदिरों में हम जमीन नहीं दे पाये किन्हीं कारणों से, उनके कारण हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, वे कारण जैसे रिंग रोड के अन्दर किसी खेत के अन्दर बालाजी का मंदिर था, वह बालाजी के मंदिर में खेत वाला एक्वायर होने के बाद उन बालाजी को भी अपने साथ ले गया क्योंकि कुए के बालाजी थे, कुए के भैरूंजी थी, हमने उनको भी मंदिर माना। अब इस प्रकार की कई जगह जब वहां मंदिर की मूर्ति को पुजारी या मालिक वहां से ले गया, उनके अलावा लगभग सभी जगह पर हमने उन मंदिरों के लिए, मंदिरों के लिए ही नहीं, मजार के लिए भी हमने जगह दी है या जो मंदिर पहले बड़े आकार में था, थोड़ा छोटा कर दिया गया है तो छोटा कर दिया गया है, इस कारण से जमीन का अलाटमेंट नहीं हुआ, और आज मैं फिर कह सकता हूं यहां पर कि जिस किसी भी मंदिर का रीलोकेशन हुआ है या रीलोकेशन की मंशा से हटाया गया है, अगर वहां पर मंदिर का पुजारी या मंदिर का मालिक ट्रस्ट बनाकर जमीन के अलाटमेंट के लिए आएगा तो राजस्थान सरकार उस मंदिर की पुनर्स्थापना के लिए जमीन देने के लिए कटिबद्ध है।

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

मैं निवेदन करना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, इसे मैं समझता हूं, विकास के इस मामले में कई बार कमीबेशी हो सकती है। इस कमीबेशी को किस प्रकार से हम पूरा कर सकें क्योंकि, सभी लोग तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, जानते हैं कि सरकारें कैसे चलती हैं, ब्यूरोक्रेसी कैसे काम करती है, नीचे के तबके का आदमी कौन काम करेगा? नीचे तो लेबर ही काम करेगा, माननीय अध्यक्ष महोदय, वहां पर तो कोई मंत्री जा नहीं सकता, कमिश्नर जा नहीं सकता। अब उस लेबर में कितना सैंस है या कितनी आपकी बात कम्युनिकेट हो पाती है, इतनी इफैक्टिव व्यूज की या शास्त्र के बारे में उसकी कितनी जानकारी है, कितनी कन्सर्न है, कितनी केयर है, उसमें 19-20 का अंतर रह जाता है। उसके प्रति हमें थोड़ा पेनफुल हो सकता है। उस पेनफुलनैस को मैं रैस्पैक्ट भी करता हूं और यह भी मानता हूं कि रिलीजन का लेना-देना फेथ से है। चोट लगती है, सीधे दिल पर ही आकर लगती है, लेकिन उसके बावजूद ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: जवाब हो गया, बहुत विस्तृत जवाब हो गया। बहुत विस्तृत जवाब हो गया है।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): हो गया तो मैं बैठ जाता हूं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): एक बस, अंतिम प्रश्न पूछूंगा, माननीय अध्यक्ष महोदय?

श्री अध्यक्ष: नहीं, तीसरा प्रश्न आप कैसे पूछेंगे?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): एक पाइंट। मैं खतम करता हूं एक प्रश्न पूछ कर।

श्री अध्यक्ष: विषय गम्भीर है इसलिए मैं अलाउ करता हूं। आप बैठिए। नो, आप बैठिए। आप बैठिए, यह अंकित नहीं हो।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: बिना मेरी अनुमति के बोल रहे हैं, अंकित नहीं हो। विराजिए, बगैर अनुमति के बोल रहे हैं, अंकित नहीं हो। इनकी आदत में है यह बात।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि मैं आज एक साथ दो व्यक्तियों का जवाब सुन रहा हूं। एक राजपाल सिंहजी का जिनके मन में मंदिरों के प्रति भावना है और एक

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)
उन सरकार के मंत्री का जो सरकार को बचाने का पूरा प्रयत्न कर रहे हैं। दो व्यक्ति एक साथ बोल रहे हैं इसलिए मैं उन दोनों को एक साथ सुन रहा हूं। मुझे सिर्फ इतना ही कहना है, माननीय अध्यक्ष महोदय, कि जो मीटिंग, माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे इतना ही कहना है कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जो मीटिंग पुनर्स्थापना के लिए की वह प्रायश्चित के रूप में की, लेकिन उसके पहले जो मीटिंग तोड़ने के लिए हुई, वह भी उनके घर पर ही हुई। वह उनको जरा-सा आप पढ़ दीजिए तो पाप का भी पता लग जाएगा और प्रायश्चित का भी पता लग जाएगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, बिना किसी प्रमाण के कभी मुख्य मंत्री कार्यालय के सचिव पर आरोप लगा रहे हैं बिना किसी प्रमाण के, कि वहां बैठक हुई, उस बैठक में प्रायश्चित किया गया। मैं समझता हूं कि इतने वरिष्ठ माननीय सदस्य हैं, इस प्रकार के आरोप यहां पर नहीं लगाने चाहिए इनको।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): मेरी समझ थोड़ी कम है, आपसे मैंने समझ ले ली है।

श्री अध्यक्ष: आप विराजिए। आप विराजिए।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): आपकी उसके साथ। तो मैं इतना ही निवेदन करना चाहूंगा, जैसे माननीय मंत्रीजी ने कहा, जयपुर शहर में और मंदिरों को भी हटाया गया है। जयपुर शहर का ज्यों ही विस्तार हुआ, सोड़ाला, मुरलीपुरा और सैकड़ों गांव उसमें आ गये, उन गांवों के जो मंदिर पुराने स्वरूप के थे, गांव के समय के, उनको अभी सड़क की चौड़ाई करते समय हटाया गया। जयपुर कलेक्टर ने एक पत्र लिखा राज्य सरकार को जिसमें चार हजार से अधिक मंदिरों को हटाने के लिए जयपुर जिले में लिखा गया है। इसलिए मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहूंगा कि वे मंदिर जो गांव के मंदिर थे, जैसा कि इन्होंने कहा कि बालाजी का मंदिर साथ ले गये, जो गांव के मंदिर थे और शहर के विस्तार के साथ सड़क पर यहां कई जगह आ गये, उनको भी ध्वस्त किया गया है, तो उन मंदिरों को, उन गांव वालों के, जो परमानेंट गांव वाले हैं, वहां के रेजिडेंट थे, और जो नए आकर बस गये हैं ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मैट्रो की वजह से जो मंदिर, आपका प्रश्न सीधा था कि मैट्रो की वजह से जो मंदिर हटाये गये उनके बारे में आपने पूछा है, यह लम्बा-चौड़ा वापस इतना बोलेंगे, वह गांव में कहां हुआ, कैसे हुआ तो ...(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): वह मैट्रो का ही है, उसी में है। उसी में आ रहा है।

श्री अध्यक्ष: हां तो आप पूछ लीजिए। जल्दी कीजिए।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): तो वे जो मंदिर हैं, जो गांव के थे, उन मंदिरों को जो हटाया गया है, क्या उन मंदिरों की भी पुनर्स्थापना करने के लिए आप स्थान उपलब्ध करवाएंगे, एक?

और अंत में एक बात कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं कि ये 13 मंदिर जो छोटी-चौपड़ और बड़ी-चौपड़ के थे, वे न तो अतिक्रमण में थे और 1940 के पहले के थे, इसलिए उन मंदिरों को हटाने में जिन्होंने भी पाप किया है, उस पाप का दंड उन अधिकारियों को निश्चित रूप से दें, यही मेरा कहना है।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, आप सबको पता है, जैसा कि मैंने कहा, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट जब किसी भी बड़े प्रोजेक्ट की आती है और उसको गवर्नमेंट जब एप्रूव करती है तो उस डी.पी.आर. की काम्पिहैंसिव डिजाइन भी होती है, अलाइनमेंट भी होता है। अब मैट्रो की तकनीक में जितना भी लोग जानते होंगे, मैट्रो एक हाई टैक्नोलोजी प्रोजैक्ट है, माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां पर पोलिटिकल इच्छाओं से डिजाइन का डीविएशन पासिबिल नहीं है।

यह डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैबिनेट के सामने रखी गयी, कैबिनेट मीमो के माध्यम से, और उसको जब कैबिनेट ने एप्रूव कर लिया तो उसके इम्प्लीमेंटेशन के रास्ते में आने वाले सब इम्पैडिमेंट्स को हटाने की सरकार की स्वीकृति स्वत: ही मिल गयी थी। और ये सब मामले कब के हैं, महाराज? ये हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, 2011, 2010 के जब वर्तमान मुख्य मंत्री मुख्य मंत्री नहीं थीं। वर्तमान मुख्य मंत्री के राज के अन्दर इसलिए यह निर्णय है कि इस अलाइनमेंट के ऊपर मैट्रो लायी जाएगी और उसके सारे इम्पैडिमेंट्स को हटाया जाएगा। यह निर्णय तो 2010 में ही हो गया, माननीय अध्यक्ष महोदय। संयोग है कि फेज-1-बी का एग्जीक्यूशन का पीरियड अपने बी.जी.पी. के राज में आया और इसीलिए एक हाई पावर कमेटी 06 अप्रैल, 2015 को हुई थी चीफ सैक्रेटरी की अध्यक्षता में। It's a high powered Committee. Minutes of the 4th committee of High Powered Committee on Jaipur Metro Project held on 24th Feb. 2015, जिसमें कहा गया, 1-बी का चूंकि प्रोजैक्ट लेट हो रहा है इसलिए

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

इसके रास्ते में आने वाली अड़चनों को जल्दी से जल्दी निपटाये जाने का निर्णय इस मीटिंग में हुआ। वैसे भी मैट्रो का प्रोजैक्ट, माननीय अध्यक्ष महोदय, लेट चल रहा है। फेज-1 को भी हम बहुत लेट पूरा कर पाये, फेज-बी को भी हम बहुत लेट पूरा कर पा रहे हैं और यह कैपिटल इंटेंसिव प्रोजैक्ट है। हजारों करोड़ रुपये जनता का पैसा जिस प्रोजैक्ट में लगा रहता है, वहां एक दिन की डिले भी, माननीय अध्यक्ष महोदय, पाप है। तीन-तीन, चार-चार हजार करोड़ के प्रोजैक्ट अगर महीनों में डिले होंगे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि डाइरेक्ट कैपिटल एक्सपेंडिचर, उसकी बर्डन कितनी होगी? प्रद्युम्न सिंहजी मेरी बात को एग्री करेंगे। इसीलिए टाइम बाउंड इम्प्लीमेंटेशन आफ प्रोजैक्ट एफीशिएंसी का सबसे बड़ा इंडेक्स माना गया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं आपने पूछा जो। जयपुर के विस्तार के कारण जो मंदिर रास्ते में आये हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे राज में आने के बाद में, मैं कांग्रेस राज की बात नहीं करता जिसमें 33 मंदिर हटाये गये और न कोई बोला, न कोई उन मंदिरों को जगह दी गयी, लेकिन हमारे राज में आने के बाद में जितने मंदिरों को हटाया गया, उसमें कुल 28 मंदिर ऐसे हैं जिनको हम जमीन अभी तक नहीं दे पाये। क्यों नहीं दे पाये इसका भी कारण है।

जैसा अभी मैं निवेदन कर रहा था, चार मंदिर तो उसी स्थान पर छोड़े गये थे इसलिए हटाना माना नहीं जाएगा। नौ मंदिर उपयुक्त स्थान नजदीक उपलब्ध नहीं था इसलिए नहीं दे पाये। अगर वे स्थान दूरी पर लेना चाहेंगे तो निश्चित रूप से उनको जगह प्रोवाइड कर देंगे। हां, दूसरी जगह और मांगेंगे तो। चार मामले ऐसे थे जहां पर पुजारी परिवार मूर्तियां अपने साथ ले गये, यह कहते हुए कि हम अपने मंदिर की स्थापना अपने हिसाब से कर लेंगे। हमारा पर्सनल मंदिर था, हम पर्सनल मंदिर की स्थापना करेंगे। और आठ मंदिर जो खातेदारी की जमीन पर थे, खातेदार ने अपनी खातेदारी की जमीन में शिफ्ट कर लिये। न्यायालय के आदेश से दो मंदिरों के अन्दर अभी रुकावट आयी हुई है और पुजारी खातेदार द्वारा पुनर्वास हेतु भूमि की मांग नहीं गयी। इसके मामले में भी एक मंदिर का मामला है। मैं यह कहना चाहता हूं कि ये 28 मंदिर, आगे भी आने वाले समय के अन्दर जब भी जयपुर का एक्सपेंशन होगा, हम किसी भी मंदिर को डिसप्लेस करने की बात करेंगे तो मंदिर अगर ट्रस्ट बना हुआ है और जो पालिसी, 2010 के अन्दर हमने बनायी है, राजस्थान की सरकार ने बनायी है, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के कारण, उसके बारे में जानकारी हम सबको है, उस पालिसी की रिक्वायरमेंट को जो पूरा करेगा, ट्रस्ट

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)
बना हुआ होगा तो सरकार उसको निश्चित रूप से अगर मंदिर हटाएगी तो उसको पुनर्स्थापित करने का प्रयास करेगी, इसमें कोई संदेह करने की जरूरत नहीं है।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न श्री घनश्याम महर।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा कि जिन मंदिरों को तोड़ा गया, क्या उनका मूल्यांकन किया गया है? जनता की गाढ़ी कमाई, कितने-कितने पैसे उन मंदिरों में खर्च हुए? क्या सरकार उनमें उतना पैसा लगाना चाहती है, एक? दूसरी बात, आपने यह तथ्य गलत दिया है कि शिवलिंगों को हटाया जा सकता है। यह कहीं भी वेद-पुराणों में नहीं लिखा गया है। जिस दिन शिवलिंग की स्थापना होती है, उसकी जड़ पाताल में चली जाती है। यह वेद-पुराणों में लिखा गया है। अगर इसको हटाया गया है तो इस तरह का कोई प्रमाण या कहीं वेदों में उल्लेख नहीं है कि शिवलिंग को पुनर्स्थापित किया जा सकता है।

श्री अध्यक्ष: विराजिये। इसका जवाब आने दीजिये।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): आप प्रश्न पूछो।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): यह सरकार, आपकी सरकार भगवान और राम मंदिर के नाम से आयी है और आपने आने के बाद में पूरे मंदिरों को तोड़ दिया है। जयपुर जिले में 300 मंदिर हटाये गये हैं, क्या आपने उनको पुनर्स्थापित कर दिया? कुछ मंदिर तो ऐसे हैं जिनको हटाने की आवश्यकता ही नहीं थी। जगतपुरा में कई मंदिर ऐसे हटाये गये हैं।

श्री अध्यक्ष: विराजिये। विराजिये।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): आप मेरी बात तो सुनिये।

श्री अध्यक्ष: माननीय घनश्याम जी, आप सवाल कर चुके।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): आपने राम मंदिर के नाम पर पूरे देश से चंदा इकट्ठा किया। (व्यवधान).

श्री अध्यक्ष: राम मंदिर कहां से बीच में आ गया?

श्री घनश्याम (टोडाभीम): और उसको आपने पुनर्स्थापित नहीं किया। जिन मंदिरों की, राम मंदिर के नाम से ही इस प्रदेश की, देश की सरकार आयी है और भगवान के नाम पर वोट लेकर ...(व्यवधान)

श्री हीरालाल (निवाई): राम मंदिर, अयोध्या पर बात ... (व्यवधान)

श्री घनश्याम (टोडाभीम): +++ (भारी व्यवधान)

श्री हीरालाल (निवाई): राम मंदिर की बात कर रहे हो। (भारी व्यवधान)

श्री घनश्याम (टोडाभीम): +++ ... (व्यवधान)

श्रीमती अनीता (नगर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से ये टिप्पणियां करके बात कर रहे हैं धमकाने की, इनको आप कहिये, ये माफी मांगें। इस तरीके से सदन में नहीं बोला जाता। (व्यवधान)

श्री घनश्याम (टोडाभीम): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय से मैं पूछना चाहता हूं, इसका जवाब दें। (व्यवधान) +++

श्रीमती अनीता (नगर): तरीके से बोला करो।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): उनको किसने कहा बीच में बोलने के लिये? (व्यवधान) उनको किसने कहा बीच में बोलने के लिये?

श्रीमती अनीता (नगर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर +++ नहीं चलती है। जो कहें, आराम से, प्यार से बात करो। (भारी व्यवधान)

श्री हीरालाल (निवाई): मैंने क्या गलत कह दिया? भारी व्यवधान)

श्री घनश्याम (टोडाभीम): +++(भारी व्यवधान)

श्रीमती अनीता (नगर): देखो, कैसे धमका रहे हैं। (भारी व्यवधान)....

श्री हीरालाल (निवाई): आप बिलकुल +++ करते हो। (भारी व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, आप इनको प्रताड़ित करिये। (भारी व्यवधान)

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): आपने इनको कह दिया था, टोक दिया था कि यह राम मंदिर का प्रश्न नहीं है। इस प्रश्न में राम मंदिर का कोई मामला नहीं है। उसके बाद भी आपकी इजाजत के बिना बोलते रहे। (भारी व्यवधान) फिर इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। इसलिए ये माफी मांगें, नहीं तो इनके खिलाफ कार्यवाही की जाए। (भारी व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, यह तरीका तो ठीक नहीं है न। यह क्या तरीका है? (भारी व्यवधान)

श्री घनश्याम (टोडाभीम): उस वक्त यह नहीं कह रहे थे क्या? (भारी व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): नहीं, आप कहिये, बैठ जाएं, बैठ जाओ। आप कह रहे हैं बैठ-बैठ, यह ठीक नहीं है।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): आप मेरी बात सुनो। (भारी व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): आप गरिमा से बात करिये। (भारी व्यवधान)

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): अध्यक्षजी, कार्यवाही में से निकाला जाए। मंदिर का, चंदे का शब्द निकाला जाए इसमें से। या यह साबित करें कि कितना चंदा दिया इन माननीय सदस्य ने। नहीं दिया तो माफी मांगे। हिन्दू समाज से माफी मांगें। (भारी व्यवधान) इन्होंने पूरे समाज को कठघरे में खड़ा कर दिया है। (भारी व्यवधान)

श्री घनश्याम (टोडाभीम): माफी तो आपको मांगनी चाहिये मंदिर तोड़ने वालों को। (भारी व्यवधान)

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): कितना चंदा दिया है आपने?

श्री घनश्याम (टोडाभीम): इतने मंदिर तोड़े, आपको माफी मांगनी चाहिये। मंदिर तोड़ने का काम आपने किया है, हमने नहीं किया है।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): राम मंदिर में कितना चंदा दिया है आपने? (भारी व्यवधान)

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, टोडाभीम से माननीय सदस्य ने बताया कि प्राण प्रतिष्ठा सीधे पाताल तक पहुंच जाती है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): नहीं, भूगर्भ में समा जाती है। (भारी व्यवधान)

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अब मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्राण-प्रतिष्ठा का सम्बन्ध भूगर्भ से है, लेकिन भूगर्भ पर प्राण-प्रतिष्ठा का असर पहुंचने के बाद वह प्राण-प्रतिष्ठा पुनर्स्थापित नहीं हो सकती। मैं आपकी तरह ब्राह्मण तो नहीं हूं, क्षत्रिय हूं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): वह भी ब्राह्मण नहीं हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): वह कौन से ब्राह्मण हैं?

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): लेकिन धर्म की और हिन्दुस्तान के दर्शन की जितनी समझ मुझे है, उसके आधार पर मैं यह कह सकता हूं कि जिस फिलोसोफी के अन्दर कण-कण में भगवान बनाया गया हो, ...(भारी व्यवधान) मैं बताता हूं, बैठो। जिस कण में भगवान ने अवतार लिया हो, वहां तो मंदिर बनाएंगे, चिन्ता करने की जरूरत नहीं है। खाली वहीं मंदिर नहीं बनाएंगे, मैं आपको इतना बताना चाहता हूं कि वहां तो मंदिर बनाएंगे ही, बल्कि जहां-जहां पर मंदिरों की हमने पुनर्स्थापना की है, हरेक मंदिर पर जगह देकर, उन 33 मंदिरों को भी जगह देंगे हम, जिनको 2011 से लेकर 2013 तक कांग्रेस के राज में नेस्तनाबूद कर दिया गया, जिन्हें पुनर्स्थापित नहीं किया गया। अगर ट्रस्ट बनाकर लोग आएंगे तो उनको भी हम जमीन देंगे। (भारी व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: दूसरा पूरक प्रश्न, श्री पूरणमल सैनी।

श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वैसे माननीय मंत्री महोदय ने बहुत अच्छा जवाब दिया, हम संतुष्ट भी हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): तो फिर आप विराजो। (भारी व्यवधान)

श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी): नहीं-नहीं, मेरा सवाल है, यह कोई बात है क्या?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): आप संतुष्ट हो फिर सवाल थोड़े ही होता है?

श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम अनुमति लेकर बोल रहे हैं। वैसे ही नहीं बोलता हूं मैं। माननीय संसदीय कार्य मंत्री महोदय, आप कृपादृष्टि रखें।

श्री अध्यक्ष: आप प्रश्न कीजिये।

श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी): मेरा सवाल है, प्रश्न 448 के खण्ड नं. 1 में यह कहा गया है कि किस-किस समुदाय के मंदिरों को या धार्मिक स्थलों को हटाया गया? मेरा मंत्रीजी से निवेदन है, यह बाइफरकेशन कि किस-किस समाज के लिये कौन-कौन लोक देवता और कौन-कौन से धर्मस्थल बांटे हुए हैं? इस देश में देवता ही बंटे हुए हैं, एक तो मेरा प्रश्न यह है।

श्री अध्यक्ष: हो गया, विराजें।

श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी): अगला मेरा निवेदन यह है कि जब इस देश में, जिनको कोई अपील नहीं करनी पड़ती और एल आर एक्ट 91 की धारा काम में नहीं आती, उनके नाम से और जमाबंदी में और खसरा गिरदावरी में मंदिरों के नाम से वैसे ही रजिस्ट्रेशन हो जाता है, बिना किसी की अपील के, अतिक्रमण के आधार पर और किसान के द्वारा ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप सवाल कीजिये न।

श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी): हां, सवाल ही कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: फिर इधर-उधर क्या जा रहे हैं?

श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी): वही सवाल है। मंदिर इतनी अड़चन बने हुए हैं इस प्रदेश में कि उनके नाम मात्र से दु:खी होकर किसान के बच्चों को पढ़ने के लिये बिजली भी नहीं दी जाती है। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अड़चन है और राजा होने का धर्म निभाते हुए माननीय मंत्री महोदय ने कहा है कि जहां अड़चन पैदा होती है, उसको दूसरी जगह स्थापित किया जाता है, तो मेरा सवाल है कि इन मंदिरों को, जहां-जहां अड़चन पैदा होती है, शहरों में या ग्रामों में, उनको क्या दूसरी जगह स्थापित किया जाएगा? क्योंकि दुबारा अड़चन आएगी। आबादी का विस्तार और घनत्व तो बढ़ना ही है। तो मेरा निवेदन है कि क्या इनको शहरों और गांवों से बाहर स्थापित करना चाहिये?

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का जवाब मैं दे चुका हूं। मैंने कहा है कि जहां-जहां मंदिरों की पुनर्स्थापना की जरूरत पड़ेगी और उसके लिये मंदिर हटाये जाएंगे, वह अगर ट्रस्ट होगा और जो 2010 की पालिसी है, जो सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन से बनी है, उसके आधार पर हमें रिलोकेशन या रिहैबिलिटेशन करने में कभी कोई आपत्ति नहीं है। आपने पूछा, भगवान अलग-अलग समुदाय के होते हैं क्या। यह प्रश्न इस बात का था, किस-किस समुदाय पर प्रश्न का उत्तर दिया है मैंने, किस-किस समुदाय के कितने धार्मिक स्थलों का है। प्रश्न यह पूछा गया था कि किस-किस समुदाय के किन-किन धार्मिक स्थलों को, बाकी तो आप जानते ही हैं अल्लाह, राम और रहीम में कोई फर्क नहीं है। आपसे बड़ा ज्ञानी कौन है? इसलिए मुझे जवाब देना पड़ा, बाकी भगवान में कोई फर्क नहीं है।

श्री अध्यक्ष: जोगाराम पटेल, तीसरा पूरक प्रश्न।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा, क्या यह सही है कि मंदिर मूर्तियों को विधि-विधान व सम्मान सहित स्थानान्तरण किया गया है? वे मूर्तियां जहां स्थापित की गयीं, वहां सम्मानपूर्वक सुरक्षित रखी गयी हैं व नियमित पूजा हो रही है?

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): एक मेरा भी सवाल है।

श्री अध्यक्ष: नो-नो-नो।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): साथ में ही आ जाएगा, साहब।

श्री अध्यक्ष: नहीं, आप जवाब दीजिये जोगाराम जी का। मैं व्यवस्था नहीं बदल सकता।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): कभी मंदिर में गये क्या आप? एक बार भी किसी भगवान का नाम लिया आपने?

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): यह तो स्वयं हनुमान हैं, इनको जाने की जरूरत कहां है? यह तो स्वयं हनुमान हैं, इनको जाने की कहां जरूरत है? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: जोगाराम जी के सवाल का जवाब दीजिये।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): इनका नाम हनुमान नहीं, गणेशजी होना चाहिये था। गणेश जी होना चाहिये, हनुमान की जगह इनका नाम। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो। जोगाराम जी के सवाल का जवाब दीजिये।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री अध्यक्ष: नहीं, बिलकुल नहीं।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री अध्यक्ष: कुछ भी अंकित नहीं हो। मैं आपको अलाउ नहीं कर रहा हूं।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री अध्यक्ष: बिलकुल मैंने कहा, बैठिये।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री अध्यक्ष: आज्ञा का पालन करना है तो बैठिये। मैं कह रहा हूं कि मैं अलाउ नहीं कर रहा हूं। आपको जवाब देने की जरूरत नहीं है।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री अध्यक्ष: हनुमान बेनीवाल के प्रश्न का जवाब देने की जरूरत नहीं है। वह अंकित नहीं हो रहा है। अंकित नहीं हो रहा है, जवाब देने की जरूरत नहीं। आप तो जोगाराम जी के प्रश्न का जवाब दीजिये।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने निवेदन किया है, मैट्रो के मंदिरों की पुनर्स्थापना हमने की है, हमने आतिश मार्केट में उनकी प्राण-प्रतिष्ठा करायी है। प्राण-प्रतिष्ठित मंदिर में पूजा-अर्चना रैगुलरली होती है, यह सही बात है और सभी मंदिरों में पूजा-अर्चना सुबह-शाम होती है। यही नहीं, जयपुर के बाकी इलाकों में जहां पर हमने मंदिरों की पुनर्स्थापना की और जिनके लिये जमीन का हमने अलाटमेंट किया है, उनके वेरियस स्टेटस का डाकूमेंट मेरे पास में है- कहां पूजा हो रही है, कहां मंदिर का निर्माण जारी है, कहां प्राण-प्रतिष्ठा हो चुकी है और कहां प्राण-प्रतिष्ठा होनी बाकी है, अगर हमसे लेना चाहेंगे तो मैं डिटेल में आपको जानकारी दे दूंगा।

श्री अध्यक्ष: विराजिये। अगला प्रश्न।

प्रश्न संख्या 449

श्री राजेन्द्र सिंह भादू।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

अगला प्रश्न। श्री रामचन्द्र।

प्रश्न संख्या 450

स्थगित।

(स्थगित)

अगला प्रश्न। श्री भजन लाल जाटव।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): मेरा नाम है, सर, इसमें।

श्री अध्यक्ष: भजन लाल जाटव नहीं है क्या?

श्री घनश्याम (टोडाभीम): दो नाम हैं, सर, मेरा भी है।

श्री अध्यक्ष: हां, जो भजन लाल जी जाटव का पहला है, वो नहीं हैं क्या?

श्री घनश्याम (टोडाभीम): हां, नहीं हैं, सर, आज।

श्री अध्यक्ष: बस तो आप कीजिए न। श्री घनश्याम।

भरतपुर जिले में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना से वंचित पेंशनधारी

451. **श्री भजन लाल** (वैर) एवं **श्री घनश्याम** (टोडाभीम):- क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा प्रदेश में विधवा एवं वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत पेंशन का भुगतान किया जाता है? यदि हां, तो कितनी-कितनी राशि का? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) गत दो वर्षों में भरतपुर जिले में ऐसे कितने विधवा एवं वृद्धावस्था पेंशनधारी हैं जिन्हें पेंशन का भुगतान नहीं हुआ है? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार अब ऐसे वंचित पेंशनधारियों को पेंशन की राशि का भुगतान करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री (श्री अरुण चतुर्वेदी) : (1) जी हां। राजस्थान राज्य में सामाजिक सुरक्षा योजनान्तर्गत राजस्थान सामाजिक सुरक्षा वृद्धावस्था, विधवा/परित्यक्ता एवं तलाकशुदा पेंशन नियम, 2013 लागू किये गये हैं। इसके साथ ही भारत सरकार की इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना एवं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजनाएं भी संचालित हैं जिनमें निम्न दरों से पेंशन का भुगतान किया जा रहा है:-

1. 75 वर्ष एवं अधिक आयु के पेंशनर को 750 रुपये प्रति माह।

2. 75 वर्ष से कम आयु के पेंशनर को 500 रुपये प्रति माह।

उक्त योजना के मानदण्ड/शर्तों की प्रति परिशिष्ट 1 से 3 पर संलग्न है।

(2) गत दो वर्षों में भरतपुर जिले में पात्र पेंशनरों को यथासम्भव नियमित रूप से भुगतान किया जा रहा है। कोई पात्र पेंशनर भुगतान से वंचित नहीं है।

(3) उक्त जिले में इस प्रकार के कोई पेंशनर पेंशन परिलाभ से वंचित नहीं हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न नम्बर एक।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि उक्त योजना में प्रदेश में अब तक कितने प्रकरण लम्बित हैं और इनको कब तक स्वीकृत कर दिया जाएगा? सरकार समीक्षा के नाम पर कितने लाभार्थियों की पेंशन निरस्त कर चुकी है और वो किस कारण से निरस्त की गयी है? इनका जवाब मंत्री महोदय दें।

श्री अरुण चतुर्वेदी (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, टोडाभीम से आने वाले माननीय सदस्य को मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि राजस्थान में कुल जो पेंशनधारी हैं उनकी संख्या है 57.88 लाख और जिनको हम पेंशन दे रहे हैं, अभी तक डिस्बर्स कर रहे हैं और लगातार यह प्रक्रिया चल रही है, अब तक फरवरी से मार्च में जिनका भुगतान हो गया, वो संख्या 51.57 लाख थी।

बाकी इसमें प्रक्रिया लगातार चल रही है, कुछ हम मनीआर्डर देते हैं। इसके माध्यम से जाने की प्रक्रिया आज भी, जिस समय मैं आपको बात कर रहा हूं, उस समय भी डिस्ट्रिब्यूशन का काम चल रहा होगा, जिनको रद्द करने की कोई नीति नहीं है केवल पात्रता की नीति है। पात्रता में वृद्धावस्था एवं विधवा पेंशन जिनकी कुल वार्षिक आय रुपये 48000/- तथा विशेष योग्यजन पेंशनर जिनकी कुल वार्षिक आय 60000/- से अधिक है। उनको हम काटेंगे।

वृद्धावस्था, विधवा, दिव्यांग पुत्र जिसकी सर्विस लग गयी है, उसको हटाने की बात होगी जिसकी लग चुकी है। जो वृद्धावस्था, विधवा, दिव्यांग इनमें से कोई और पेंशन भी ले रहा है तो विधवा के पुनर्विवाह होने पर, पेंशनर की मृत्यु हो जाने पर, स्थाई रूप से राजस्थान से बाहर प्रवास करने पर, बी.पी.एल. में, अगर बी.पी.एल. को देते हैं और कोई आदमी बी.पी.एल. से ए.पी.एल. में आ जाता है तो उसका नाम भी डिलीट होगा, दोहरी पेंशन स्वीकृत होने के कारण। मान लीजिए, अगर किसी व्यक्ति को रिटायरमेंट के कारण पेंशन मिल रही है और यह पेंशन और मिल रही है तो निश्चित रूप से यह दूसरी पेंशन उसकी कटेगी। बेटे की अगर नौकरी लग जाती है तो उसका नाम काटने की व्यवस्था रहती है।

अब तक की स्थिति यह है कि दिसम्बर, 2013 में हम जब सरकार में आये थे तो कुल पेंशनधारी थे 46.70 लाख और अब मार्च, 2016 में 57.88 लाख को पेंशन देने की स्थिति में हम हैं। कुल वृद्धि जो इन दो सालों में हुई है, 11.58 लाख लोगों की संख्या बढ़ी है। यह नियमित क्रम है, रोजाना कोई न

(श्री अरुण चतुर्वेदी)

कोई व्यक्ति वृद्धावस्था के दायरे में जब आता है, वो एप्लाई करता है और प्रोसेस पूरा होने के बाद उसको पेंशन देने की शुरूआत होती है।

अब तक पेंशन में हमने कई इनोवेशन भी किये हैं। वैसे तो सीधा यह प्रश्न नहीं आया लेकिन मैं इसमें भी आपको जवाब दे देता हूं। अब तक मनीआर्डर के माध्यम से पेंशन जाती थी और मनीआर्डर कमीशन का कुल भुगतान हम 200 करोड़ के आसपास का करते थे। पिछले दिनों में कुछ इनोवेंशंस किये, हमनें बैंक अकाउंट खोले, सीडिंग का काम किया। अब तक जो सीडिंग हुई है, 90 परसेंट के आसपास की सीडिंग हम कर चुके हैं। अभी आंकड़ा है, मैं देखकर बता दूंगा। इसके कारण से जो बचत हुई है वो 150 करोड़ रुपये से ऊपर की कमीशन की बचत हमने की है। इसके भी फायदे होंगे। अब तक जो मनीआर्डर के माध्यम से भेजते थे, डाकिया लेकर जाता था, उस डाकिये के जाने में विलम्ब होता था, कई तरह की शिकायतें आती थीं कि एक-एक महीने के पेंशन के कई बार जो व्यक्ति लेकर गया, उसने कमीशन के रूप में भी रख लिया। हम गांवों में गये तो कई तरह की शिकायतें सुनने को आयीं। इसलिए हमने सीडिंग का काम किया, बैंक अकाउंट खोला ताकि बैंक अकाउंट खोल कर उसके माध्यम से पेंशन पहुंचे। पेंशन समय पर पहुंचे, ट्रांसपेरेंट पहुंचे और पूरी पेंशन पहुंचे, इसको सुनिश्चित करने का काम किया है।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न नम्बर दो।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: नो, नो, नो। दूसरा नम्बर है उनका।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): इनको पूछ लेने दो।

श्री अध्यक्ष: नो। यह इस तरह अलाउ नहीं कर सकता।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): मंत्री महोदय, समीक्षा के नाम पर बहुत सारे लोगों के नाम काटे गये हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में ही एक कस्बे में 700 लोगों की पेंशन समीक्षा के नाम पर काटी गयी है। ज्यादा से ज्यादा दस-बीस केस ऐसे हो सकते हैं जिनकी सर्विस का हो, आर्थिक आंकड़ा हो, पर द्वेषता के साथ नाम काटे जा रहे हैं, यह गलत बात है। इसकी दोबारा से जांच करायी जाए। एक कमेटी बनायी जाए और उस कमेटी में हम लोगों को भी शामिल किया जाए कि, भई, किस तरह से इन लोगों की समीक्षा के नाम पर काटी जा रही है।

श्री अध्यक्ष: विराजिये, विराजिये। हां, माननीय मंत्री महोदय।

श्री अरुण चतुर्वेदी (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, पहली बात तो माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि आपने हैपहैजर्ड तरीके से पेंशन देने का काम किया था। लगातार इस सदन में भी, प्रतिपक्ष के नेता ने भी अपने उसमें कहा कि सरकार ने जो पिछली सरकार की योजनाएं लागू थीं, उनको रोकने का काम किया। मैंने इसीलिए आंकड़ा पहले दिया। आपके समय जो आंकड़ा था, 46.70 लाख लोगों को आपने पेंशन दी थी दिसम्बर तक। उसके बाद हम लगातार क्योंकि पेंशन दे रहे हैं इसलिए मार्च, 2016 में 57.88 लोगों को। मुझे पता नहीं, आपकी मंशा अगर यह हो कि जो एलिजिबल नहीं हैं उनको भी पेंशन दी जाए, तो वो सरकार की मंशा नहीं है। जो योग्य व्यक्ति है, जो पात्रता रखता है, ऐसे हर व्यक्ति को सरकार पेंशन देगी। जिसकी पात्रता नहीं है उसको काटा जाएगा और जो पात्रता रखता है, ऐसे किसी की कटी है तो माननीय सदस्य मुझे नाम दे दें, मैं जांच करा लूंगा।

कुछ मामले ऐसे होते हैं टैम्परेरी लेवल पर जिनकी पेंशन रुकती है, कई बार मानिये, मनीआर्डर लेकर गया और व्यक्ति वहां नहीं। वापस अगर पोस्ट आफिस में आता है तो उसको पेंशन का भुगतान हो जाता है और तीन महीने तक अगर बाहर रहता है, उसके बाद आएगा तो एस.डी.एम. के आफिस में। ऐसे कुछ नियम बना रखे हैं कि एक साल तक कलेक्टर के पास आता है तो उसको रीओपन कर देते हैं। लेकिन लम्बे समय तक कोई बाहर है तो उसका नाम काटने की व्यवस्था है। उसको भी अगर दोबारा आता है और कहता है तो पुन: चालू करने की व्यवस्था भी इसमें है।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न, श्रीमती अनीता।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): जन प्रतिनिधियों की सलाह के बिना उनको नहीं काटा जाए।

श्री अध्यक्ष: नहीं, आ गया। मिस्टर मेहर, नो, आपने कर लिये दोनों प्रश्न।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): नहीं, वो जो कमेटी बनाकर ...

श्री अध्यक्ष: नहीं, आपका सुझाव आ गया।

श्रीमती अनीता (नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहती हूं कि पिछले दो वर्षों में आपने वृद्धावस्था पेंशन और

(श्रीमती अनीता)

विधवा पेंशन के लिए भरतपुर जिले में पंचायत समितिवार कितने कैम्प लगाये और उन कैम्प्स के अन्दर आपने कितने लोगों को लाभान्वित किया?

दूसरा, यह है कि आपने विधवाओं और वृद्धों की पेंशन की सीडिंग करके बैंक्स में आनलाइन उनकी पेंशन कर दी है। देखने में यह आ रहा है कि जो दिव्यांग हैं या जो ज्यादा वृद्ध हैं और विधवा महिलाएं हैं, उनको बैंक्स में जाने में, वहां शुरू का जो समय होता है न एक से सात तक, इतनी भीड़ होती है कि बैंक वाले भी परेशान होते हैं उनकी पेंशन लेने के लिए। क्या सरकार जो बैंकों के मित्र हर गांवों में लगे हुए हैं, उनके द्वारा दिव्यांगों को और जो ज्यादा वृद्ध हैं, जिनको आने-जाने में परेशानी होती है, उनकी पेंशन को बांटने के काम कराने का विचार करती है?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

श्री अरुण चतुर्वेदी (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, नगर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है, पहली बात तो यह एक सतत् प्रक्रिया है। ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाला व्यक्ति बी.डी.ओ. के माध्यम से उसकी जांच होने के बाद निकलती है, उसके बाद आता है और उसको सैंक्शन होने के बाद पेंशन शुरू होती है। शहरी क्षेत्र में जो व्यक्ति है उस व्यक्ति को अपनी नगरपालिका और उसके माध्यम से प्रोसेस पूरा करते हुए एस.डी.एम. के माध्यम से सैंक्शन होने के बाद इसको देने की प्रक्रिया है।

श्री अध्यक्ष: बैठिये। मलिंगा, बैठिये।

श्री अरुण चतुर्वेदी (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): अभियान, क्योंकि नियमित रूप से कोई न कोई व्यक्ति आता है और उसकी हम पेंशन की बात करते हैं।

दूसरा, जहां तक आपने बात की कि कोई वृद्ध है, विकलांग है, नहीं पहुंच सकता, तो हमने इसको भामाशाह के साथ भी लिंक कर दिया है। जहां बैंकिंग कोरसपोंडेंट है उसके माध्यम से भी आने वाले समय में इसको हम लिंक करके कहीं भी किसी व्यक्ति को दिक्कत न हो इसलिए बैंकिंग कारसपोंडेंट जो जगह-जगह पर बने हुए हैं, उनके माध्यम से भी उस पैसे को ले सकता है। उसको एड-आन कार्ड मिल जाएगा, एड-आन कार्ड के माध्यम से निकाल सकता है।

(श्री अरुण चतुर्वेदी)

तीसरी हमने व्यवस्था और की है। कई लोग हैं उनको समय पर सूचना मिल जाए तो आने वाले समय में हमने एक नियम बना दिया जिसको हम कुछ दिन में पूरा इम्प्लीमेंट कर देंगे। जिनके हमारे पास मोबाइल नम्बर हैं, एस.एम.एस. के माध्यम से उनको सूचना मिल जाए कि आपकी पेंशन का भुगतान बैंक खाते में कर दिया है, इसका भी हमने एक प्रावधान किया है।

श्री अध्यक्ष: मिस्टर मलिंगा। वो कभी नहीं करते, आज पहली बार कर रहे हैं। आपकी पार्टी का है ...(व्यवधान)

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं, मेरे विधान सभा क्षेत्र में ग्राम पंचायत है सेवर पाली, उसमें और नहीं तो आठ महीने की पेंशन जो डाकिये बांटते थे, वो आठ महीने की पेंशन अभी तक गांव वालों के पास नहीं पहुंची। उनका भुगतान हो चुका है, बीच से वो डाकिये फर्जी साइन करके खा चुके। मैंने इसकी शिकायत बाड़ी एसडीएम से भी की, कलेक्टर्स साहब के यहां भी मैंने लेटर भिजवाया। मेरा मंत्रीजी से निवेदन है कि आप इसकी जांच कराएं। जो दोषी लोग हैं, जो गरीब के, मजदूरों के पैसे को खा गये, आप उनके खिलाफ कार्यवाही करें, आप उनकी जांच कराएं। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएं जांच करा कर, मेरा मंत्रीजी से यह निवेदन है।

(12..00 बजे)

श्री अध्यक्ष: प्रश्नकाल समाप्त। इसीलिए उनका प्रश्न आ गया। इनका जवाब आप इनको दे देना।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया आगे देखें)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): अध्यक्ष महोदय, एक सैकण्ड। एक सैकण्ड।

श्री अध्यक्ष: नहीं, नहीं। एक सैकण्ड नहीं।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): मैं एक सैकण्ड लूंगा।

श्री अध्यक्ष: एक सैकण्ड हो गया। बैठिये आप। एक सैकण्ड हो गया। मैंने कहा, एक सैकण्ड हो गया। आप बैठिये। कृपया। नहीं तो अगली बार आपका नाम नहीं लूंगा। मैं कह रहा हूं न आपको। एक सैकण्ड, एक सैकण्ड, एक सैकण्ड तो हो गया।

(श्री अध्यक्ष)

संदेश

राज्यपाल महोदय का कृतज्ञता ज्ञापन

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि राज्यपाल महोदय द्वारा दिये गये अभिभाषण पर दिनांक 4 मार्च, 2016 को सदन द्वारा पारित धन्यवाद प्रस्ताव के उत्तर में निम्न संदेश राज्यपाल महोदय से प्राप्त हुआ है:-

''प्रिय अध्यक्ष महोदय,

आपका अर्द्ध शासकीय पत्रांक एफ.10(1)सदन/विधान सभा/214-16/10598 दिनांक 4 मार्च, 2016 को प्राप्त हुआ। माननीय सदस्यों द्वारा प्रकट कृतज्ञता के लिए मैं उनका आभारी हूं। आपसे निवेदन है कि आप कृपया मेरे कृतज्ञता ज्ञापन को माननीय सदस्यों को पहुंचाने का कष्ट करें।

सद्भावी,

(कल्याण सिंह)''

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:-

1. श्री मनोज कुमार, सदस्य की ओर से जिला मुख्यालय चूरू, झुंझुनूं एवं सीकर में करणी सेना के पदाधिकारियों द्वारा किये जा रहे धरना-प्रदर्शन व आमरण अनशन से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
2. श्रीमती शकुन्तला रावत, सदस्य की ओर से प्रदेश में ग्राम पंचायतों को विकास के लिए दी जाने वाली राशि तथा नरेगा कार्मिकों का मानदेय बढ़ाने के सम्बन्ध में।
3. श्री सुखराम विश्नोई, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सांचौर में गुजरात सीमा तक बनी टोल रोड की टोल वसूली पूर्ण होने के पश्चात् भी सड़कों का रिनोवेशन नहीं करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
4. श्री गिर्राज सिंह एवं अन्य तीन सदस्यों की ओर से जिला धौलपुर में वन विभाग में ग्राम वन सुरक्षा एवं प्रबंध समितियों के माध्यम से किये गये करोड़ों रुपयों के घोटालों की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाए, अत: इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

5. श्री भंवरसिंह, सदस्य की ओर से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 (बीकानेर से जैसलमेर) पर सड़क पार करने हेतु अंडरपास व आर.ओ.बी. बनाये जाने के सम्बन्ध में।

6. म. रणधीर सिंह भीण्डर, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र वल्लभनगर की नगरपालिका भीण्डर व कानोड की आर्थिक हालत दयनीय होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

7. श्री हनुमान बेनीवाल, सदस्य की ओर से प्रदेश के निजी स्कूल संचालकों द्वारा मनमर्जी की फीस, किताबें एवं तय दुकानों से यूनिफार्म खरीदने के लिए डाले जा रहे दबाव से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

8. श्री मेवाराम जैन, सदस्य की ओर से जिला बाड़मेर में पदस्थापित चिकित्सकों को झूठी शिकायत के आधार पर हटाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त प्रस्ताव भी ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाए अत: अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्य श्री भंवरसिंह, म. रणधीर सिंह भीण्डर, श्री हनुमान बेनीवाल एवं श्री मेवाराम जैन को उनके प्रस्ताव की विषय वस्तु पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

(1) श्रीमती चन्द्रकांता मेघवाल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र रामगंजमण्डी में कैम्प लगाकर कृषि भूमि के नक़्शे तरमीम करने व रिकार्ड दुरुस्त किये जाने के सम्बन्ध में।

(2) श्री रामहेत सिंह यादव, सदस्य की ओर से जिला अलवर में राजस्व न्यायालयों में पीठासीन अधिकारियों के रिक्त पदों को भरने के सम्बन्ध में।

(3) सुश्री कीर्तिकुमारी, सदस्य की ओर से उपखण्ड बिजौलिया में राजकीय महाविद्यालय खोलने के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

(4) श्रीमती अंजु देवी धानका, सदस्य की ओर से सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत पदस्थापित कनिष्ठ अभियंताओं का कार्यकाल 5 वर्ष पूर्ण होने पर भी कार्य मुक्त नहीं किये जाने के सम्बन्ध में।

(5) श्री नरेन्द्र कुमार, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र मण्डावा में राजकीय महाविद्यालय खोलने के सम्बन्ध में।

(6) श्री अभिषेक मटोरिया, सदस्य की ओर से राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में ठेका प्रथा समाप्त कर अनुदेशकों को सरकार द्वारा अनुबंध पर नियुक्ति प्रदान करने के सम्बन्ध में।

(7) श्री जयराम जाटव, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र अलवर ग्रामीण की तहसील अलवर एवं मालाखेड़ा की राजस्व भूमि से अतिक्रमण हटाने के सम्बन्ध में।

(8) श्री सुरेन्द्र पारीक, सदस्य की ओर से हिंगोनिया गौ पुनर्वास केन्द्र परिसर में गौ वंश के लिए हरा चारा उगाने हेतु बोरिंग से पानी उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में।

(9) श्री दर्शन सिंह, सदस्य की ओर से नादौती तहसील में कृषि भूमि का नियम विरुद्ध वाणिज्यिक भू-रूपांतरण किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(10) श्री भीमा भाई, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ के राजकीय सामुदायिक चिकित्सालय में रिक्त पदों को भरने के सम्बन्ध में।

(11) श्री केसाराम चौधरी, सदस्य की ओर से चामुण्डा माताजी मंदिर, मुण्डारा, जिला पाली के ट्रस्ट के कुप्रबंधन के कारण श्रद्धालुओं में फैल रहे आक्रोश के सम्बन्ध में।

(12) श्री नवनीत लाल, सदस्य की ओर से जिला बांसवाड़ा में माही डैम के विस्थापितों को भूमि देने के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गयी सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, याचना कर सकता हूं?

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): मंत्री महोदय, आसन पांवों पर है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): आसन पांवों पर है।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, आज 4 बड़े महत्वपूर्ण विधेयक विचारार्थ लेकर उनके पारण की बात है, लम्बा समय उसमें लग जाएगा। अगर 295 पढ़े हुए मान लेने की प्रार्थना आप स्वीकार कर लें।

श्री अध्यक्ष: क्या सदन की राय है कि 295 पढ़े हुए मान लें?

(स्वीकृत)

सदन की राय के अनुसार 295 पढ़े हुए माने गये।

(पढ़ी हुई मानी गयीं नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख की सूचनाओं के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

पर्ची

आज दिनांक 01 अप्रैल, 2016 को शून्यकाल में बोलने हेतु 55 पर्चियां प्राप्त हुई जिनमें श्लाका द्वारा 4 पर्चियां निकाली गयीं, जो निम्नांकित हैं:-

क्र.सं.	नाम माननीय विधायक	विषय
1.	श्रीमती द्रोपती	नगरपालिका रावतसर में गंदे पानी की निकासी व पेयजल की समस्या के सम्बन्ध में।
2.	श्री सुखराम विश्नोई	बाड़मेर में कतिपय डाक्टर्स को ए.पी.ओ. किये जाने के विरोध में डाक्टर्स द्वारा सामूहिक त्यागपत्र दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
3.	श्री कैलाश चौधरी	बालोतरा को जिला बनाये जाने के सम्बन्ध में।
4.	श्री जयनारायण पूनिया	तारानगर नगरपालिका के 16 वार्डों का गंदा व बरसाती पानी एकत्रित होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

श्री भंवरसिंह।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): अध्यक्ष महोदय, पूरे राजस्थान में करणी सेना के लोग अनशन पर बैठे हैं।

श्री अध्यक्ष: नहीं, विराजें। अंकित नहीं हो।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): ×××

श्री अध्यक्ष: नो, नो, अंकित नहीं हो।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): ×××

श्री अध्यक्ष: आप बैठ जाइये। आपने दिया है। अंकित नहीं हो।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): ×××

श्री अध्यक्ष: आप बैठ जाइये। अंकित नहीं हो रहा है। (व्यवधान) आप बैठिये।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा ...(व्यवधान) एक शब्द अंकित नहीं हो। सब विषय गम्भीर होते हैं। कोई विषय ऐसा नहीं है जो विधान सभा में सदस्य लाए और गम्भीर नहीं हो। (व्यवधान)

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): ×××

श्री अध्यक्ष: भंवरसिंह जी, आपका अंकित होगा। मनोज कुमार जी, आप बैठ जाइये। (व्यवधान) माननीय भंवरसिंह जी, आप बोलें।

एक माननीय सदस्य: उसका खुद का तो पता करवा लो।

अनुरोध

आनंदपाल की फरारी की जांच रिपोर्ट सदन में पेश हो

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, जो आनंदपाल की फरारी का मामला था, उसकी रिपोर्ट पेश करने के लिए सदन में कहा था। सदन में पेश नहीं हुई। जो सरकार कहती है उस बात पर तो आपको रहना चाहिए। किस तरीके का गम्भीर मामला है, उस गम्भीर मामले को सरकार गम्भीर ले ही नहीं रही है। 31 तारीख को इनको रिपोर्ट पेश करनी थी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा निवेदन करना चाह रहा हूं कि वह रिपोर्ट पेश तो करो।

श्री अध्यक्ष: भंवरसिंह जी।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): 22 तारीख को सदन में कहा था गृह मंत्रीजी ने।

श्री अध्यक्ष: भंवरसिंह जी। आपका तो आ रहा है नम्बर। आपका आ रहा है। आपका स्थगन प्रस्ताव है, बैठिये।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): आनंदपाल फरारी प्रकरण की रिपोर्ट 31 को पेश करनी थी। इतना गम्भीर मामला है, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: हां, है। बैठिये। हां, भंवरसिंह जी। दो या तीन मिनट।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): 4-4 मिनट दे दो आज। आज लास्ट है।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

बीकानेर-जैसलमेर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 पर अंडरपास व आर.ओ.बी. का निर्माण

श्री भंवरसिंह (कोलायत): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सरकार और सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि बीकानेर से निकलने वाला एक प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 बीकानेर से जैसलमेर तक जाता है, वहां बीकानेर से सांखला फाटक तक, जीरो से 45 किलोमीटर तक, 4-लेन सड़क का निर्माण कार्य अभी वर्तमान में चल रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही महत्वपूर्ण सड़क है। बीकानेर से सांखला फाटक तक 51 किलोमीटर में नाल रेलवे ओवरब्रिज के अलावा मात्र एक गंगानगर-जैसलमेर बाइपास जो सड़क निकलती है, वहां पर एक अंडरब्रिज बनाया जाना प्रस्तावित है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण सड़क है। बीकानेर से सांखला फाटक सड़क पर बजरी, क्ले, लिग्नाइट के हजारों स्थानीय भारी वाहन गुजरते हैं तथा यह मार्ग पंजाब से गुजरात जाने का भी एक मुख्य रास्ता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से फोर लेन सड़क बनने के बाद इस सड़क पर वाहनों का भारी दबाव भी बढ़ेगा और वाहनों की गति भी बढ़ेगी। (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष महोदय, 51 किलोमीटर की यह फोर लेन सड़क बीकानेर से सांखला फाटक तक बनायी जानी है। इस सड़क को पार करने के जो प्रमुख मार्ग हैं, जो प्रमुख रास्ते हैं, वे दोनों ओर बसे गांवों को जोड़ते हैं। उनमें मुख्य रूप से मोडिया माणसर फाटक जो नवोदय विद्यालय के पास में है, सड़क पार करने का एक मुख्य मार्ग है, इस फोर लाइन सड़क को पार

(श्री भंवरसिंह)

करके लोग एक गांव से दूसरे गांव तक जाएंगे। वहीं सांखला फाटक मार्ग है वह एनएच के ऊपर से एमडीआर नम्बर 37 है जिसे अब राष्ट्रीय राजमार्ग बना दिया गया है। यह एमडीआर 37 इस फोर लेन को क्रास करके कोलायत की तरफ जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां भी अंडरपास बनाने का प्रस्ताव वर्तमान में जो कार्य चल रहा है उसमें नहीं किया गया है। इसके अलावा कोलायत में जो कपिल सरोवर है वह बहुत बड़ा धार्मिक तीर्थस्थल है और कोलायत जाने वाले लोगों को इस सड़क मार्ग को पार करके कोलायत जाना पड़ता है। यहां पर भी अंडरपास का प्रोविजन नहीं किया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सड़क पर हालांकि कई गांव हैं लेकिन जो मैंने तीन मुख्य पाइंट बताएं हैं, उक्त तीनों पाइंट बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इस सड़क का निर्माण एनएचएआई के द्वारा किया जा रहा है, भारत सरकार के द्वारा किया जा रहा है, मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरीजी से बात करें और यह जो एनएच नम्बर 15 है बीकानेर से सांखला फाटक फोर लेन, इसमें तीन-चार जो मुख्य सड़क पार करने के रास्ते हैं, वहां अंडरपास बनाये जाएं जिससे कि वहां के लोगों को किसी प्रकार की दुर्घटना का सामना नहीं करना पड़े और वहां के गांवों के लोग इस सड़क को आसानी से पार कर सकें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा पुन: मंत्री महोदय से निवेदन रहेगा कि व्यक्तिगत रूप से इस काम में संशोधन करवाएं जिससे लोगों को राहत मिल सके। मैं चाहूंगा कि मंत्री महोदय इस सम्बन्ध में अपना वक्तव्य भी दें।

श्री अध्यक्ष: विराजिये। रणधीर सिंहजी भीण्डर। (व्यवधान) रेस्पोंड कर रहे हैं क्या? (व्यवधान) आप विराजिये। यस।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, कोलायत से आने वाले माननीय सदस्य ने जिस एनएच 15 जो कि पुराना नम्बर था, नया एनएच 62, 11 और 58, अभी इसका निर्माण हो रहा है, इसके विषय में अंडरपास के बारे में जो इश्यू उठाया है, उसका तकनीकी रूप से परीक्षण करवाकर क्योंकि अभी वह सड़क निर्माणाधीन है, 2018 तक पूर्ण होनी है, अगर इस तरीके का इश्यू आपने उठाया है और जनहित में है तो तकनीकी रूप से परीक्षण करवाकर एनएचएआई से बात करके उसका समाधान निकालने की कोशिश करेंगे।

श्री अध्यक्ष: म. रणधीर सिंह भीण्डर।

वल्लभनगर की नगरपालिका भीण्डर व कानोड़ की दयनीय आर्थिक स्थिति

म. रणधीर सिंह भीण्डर (वल्लभनगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। राजस्थान में 184 स्वायत्तशासी संस्थाएं हैं जिनमें से 73 नगरपालिका फोर्थ कैटेगरी की हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आजादी के बाद से आज तक जितनी भी सरकारें आयीं, उन्होंने किसी ने भी फोर्थ कैटेगरी की नगरपालिका को बनाने के बाद उनकी तरफ बिलकुल ध्यान नहीं दिया। आज उन नगरपालिकाओं की स्थिति ऐसी है कि उनके विकास का कोई फंड नहीं आता है। मात्र अनुदान दिया जाता है, वह अनुदान भी लास्ट में जो चुंगी वसूल कर रहे थे उस चुंगी को ही उनको अनुदान के रूप में दिया जाता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, नगर निगम, नगर परिषद और बड़ी नगरपालिकाओं में तो खूब इनकम भी होती है और वहां खूब काम भी होते हैं। सभी सरकारों का ध्यान भी इन बड़े नगर निगम और बड़ी नगर परिषदों की तरफ ही होता है, छोटी नगरपालिकाओं की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी भारत सरकार ने स्मार्ट सिटी योजना शुरू की है, राजस्थान सरकार ने भी बहुत-से नगरों में बहुत सी घोषणाएं की हैं लेकिन जो नगरपालिकाएं बिलकुल ही फोर्थ कैटेगरी की हैं, उनकी तरफ न राजस्थान सरकार का ध्यान है न केन्द्र की सरकार का। मेरे खयाल से राजस्थान सरकार इन नगरपालिकाओं को बनाकर भूल ही गयी है। अभी थोड़े दिन पहले लूणकरणसर विधायक मांग कर रहे थे आपसे नगरपालिका बनाने के लिए, मैं बैठा-बैठा हंस रहा था कि क्यों बनवा रहे हो। पंचायतों में कुछ फंड तो आता है, पंचायतों के खातों में तो डाइरेक्ट पैसे आ जाते हैं लेकिन इन नगरपालिकाओं के लिए कोई फंड आज तक आया ही नहीं। क्यों हम इनको पंचायतों से नगरपालिका बना रहे हैं जबकि इनके लिए हम कोई सुविधा उपलब्ध नहीं करवा पा रहे हैं?

माननीय अध्यक्ष महोदय, नगरपालिकाओं में स्टाफ की सैलरी भी नहीं दे पा रहे हैं। पिछली बार वसुन्धराजी की सरकार के समय में मेरे विधान सभा क्षेत्र की नगरपालिका कानोड़ में कर्मचारियों की तनख्वाह करीब 54 लाख रुपए चढ़ गयी माथे। हमने उसको किस तरह से वापस पेमेंट करवाया, यह हम जानते हैं। नगरपालिका भीण्डर 1960 में बनी और उसका अनुदान है 5 लाख

(म. रणधीर सिंह भीण्डर)

60 हजार रुपए प्रति माह। वहां पर 63 कर्मचारी हैं जो अब परमानेंट हो जाएंगे और उसका कुल खर्चा मिलाकर 11 लाख हो जाएगा। तो आप खुद सोच सकते हैं कि 5.50 लाख रुपए से 11 लाख रुपए का पेमेंट वे कैसे करेंगे और किस तरह से वे कर्ज के तले डूब जाएंगे। इसी तरीके से कानोड़ नगरपालिका 1975 में बनी, उसका अनुदान मात्र 90 हजार था, पिछली वसुन्धरा राजेजी की सरकार के समय में उसको हमने बढ़वाकर 3 लाख 63 हजार रुपए करवाया, कि उसमें चुंगी की सही जानकारी नहीं दी गयी थी। माननीय अध्यक्ष महोदय, वहां पर भी अब खर्चा 5 लाख रुपए हो जाएगा। तो इन नगरपालिकाओं का पेमेंट कैसे होगा? कहां से तनख्वाह ये अपने कर्मचारियों को देंगे और कैसे विकास करेंगे, इसके बारे में राज्य सरकार को ध्यान देना चाहिए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, कानोड़ नगरपालिका में तो एक ईओ और एक फोर्थ क्लास कर्मचारी है, अगर नगरपालिका कुछ काम भी करवाना चाहे तो वहां पर ऐसी कोई राशि उपलब्ध नहीं है जिससे वहां पर काम हो सके।

माननीय अध्यक्ष महोदय, चुनाव होते हैं तो हम खुश होते हैं कि इतने निकायों में जीत गये हम, हमारे इतने चेयरमैन बन गये, हमारे इतने उप चेयरमैन बन गये, इतने पार्षद जीत गये, लेकिन उसके बाद क्या? हम उन नगरपालिकाओं को बनाने के बाद में मात्र चुनावी राजनीति के लिए वाहवाही लूटना चाहते हैं, वह एक अलग बात है, लेकिन इन नगरपालिकाओं पर आप बिलकुल ध्यान नहीं देंगे और डे-टू-डे एक्सपेंसेज के लिए कोई व्यवस्था नहीं करेंगे तो ये सभी इंस्टीट्यूशंस कर्जे में डूब जाएंगे, न वहां पर कोई विकास हो पाएगा।

(12.15 बजे)

(श्री राव राजेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

मेरा सरकार से आपके माध्यम से, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अनुरोध है कि छोटी नगरपालिकाओं की तरफ भी ध्यान दे। बड़े शहर तो लगातार उन्नति कर रहे हैं जबकि ये छोटे शहर आज भी विकास के लिए दर-बदर भटक रहे हैं। वहां पर न नालियों की व्यवस्था अच्छी है न वहां पर रोडों की व्यवस्था अच्छी है, न वहां पर रोडों का विकास करवा पा रहे हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्रीजी से अनुरोध करूंगा कि छोटी नगरपालिकाओं के बारे में भी कुछ विचार करें। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह सही है कि ज्यादातर छोटी नगरपालिकाएं आर्थिक संकट के दौर से गुजर रही हैं। ये स्वायत्तशासी संस्थाएं हैं पर इनका एम्पावरमेंट हम करना चाहते हैं। कोई भी एम्पावरमेंट तब तक सफल नहीं होता जब तक उसकी फिस्कल रेसिस्टेंस न हो और फिस्कल रेसिस्टेंस एफर्ट के बिना पैदा नहीं होती। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर हम हमेशा डिपेंडेंट बने रहना चाहते हैं, विकास के लिए टकटकी बाँध कर किसी और की तरफ देखना चाहते हैं तो विकास तो केवल अपने पैरों के सहारे ज्यादा अच्छा हो सकता है। आपने यह तो कहा कि पंचायत से नगरपालिका बनने के बाद पैसे कम आ रहे हैं, आपके खयाल से आप चुंगी के अनुदान की बात कर रहे हैं। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि इस सरकार के आने से पहले भीण्डर के अन्दर खुद की इनकम के अलावा ट्रांसफर्स 2 करोड़ से भी कम हुआ करते थे, यह बात सही है, लेकिन गये साल के अन्दर, यह साल जो खतम हो रहा है कल, उसमें 3 करोड़ 67 लाख रुपए आपको हमने ट्रांसफर किये हैं। 3 करोड़ 70 लाख रुपये। आपको विश्वास दिलाता हूं कि 2017-18 के अन्दर इसमें कम से कम 25 प्रतिशत की वृद्धि और हो जाएगी।

इसी प्रकार कानोड़ नगरपालिका के अन्दर हमने 2015-16 में 2 करोड़ 82 लाख रुपये ट्रांसफर किये। इस आधार पर मैं यह कह सकता हूं, आप यह कहते हो पंचायत होती ज्यादा फायदा होता, पंचायत होती ज्यादा फायदा होता...

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): तनख्वाह की प्राब्लम है।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): (व्यवधान) मैं निवेदन करूं, आप तनख्वाह को बांटने के लिए केवल चुंगी के अनुदान की तरफ देखते हैं। चुंगी का अनुदान एक सहायता है, एक ग्रांट है। ग्रांट के आधार पर पेट पालना चाहें और खुद नहीं करना चाहें तो, माननीय पूर्व वित्त मंत्री महोदय, मैं आपसे खुद पूछना चाहूंगा, एक नगरपालिका भींडर जिसकी जनसंख्या 2011 के अनुसार 17870 है, जो अब 20 हजार के आसपास पहुंची है, उसकी इनकम क्या है? 20 लाख रुपये खुद की इनकम, प्रति व्यक्ति कितनी? 20 रुपया। 20 रुपया तो जेब से खर्च करना चाहता हूं और स्मार्ट सिटी की कल्पना के साथ अपने आपको जोड़ना चाहता हूं। आने के बाद जो पैसा 2 करोड़ से नीचे था, उसको मैं 4 करोड़ से ऊपर ले जाऊंगा,

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

डबल, 2016-17 में। मैं तो 2 करोड़ को 4 करोड़ से ऊपर ले जाऊंगा, भींडर नरेश, और आपकी इनकम 20 लाख में अटकती रहे और स्मार्ट सिटी की कल्पना करें तो स्मार्ट सिटी की कल्पना केवल मन में हो सकती है।

मैं तो इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से हम आपकी इनकम को बढ़ा रहे हैं, ट्रासफर बढ़ा रहे हैं, जैसे 2013-14 में जो ट्रांसफर 2 करोड़ से नीचे था वह ट्रांसफर 2016-17 में 4 करोड़ के आसपास होगा, 2 करोड़ से कम के ट्रांसफर को 4 करोड़ के ट्रांसफर में मैं तब्दील करूंगा, वैसे ही नगरपालिका की 20 लाख की इनकम को 40 लाख कर दें तो संकट मिट जाएगा। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, हर सरकार की मंशा है एम्पावर करने की, फाइनेंशियली हैल्प करने की भी मंशा है। लेकिन केवल सरकार के भरोसे हम अगर बैठे रहेंगे तो विकास की अवधारणा के हिसाब से हम चल नहीं पाएंगे। आप निश्चित रूप से एफर्ट करें, नगरपालिका एफर्ट करे। एफर्ट के हिसाब से स्टेट गवर्नमेंट के ट्रांसफर, सेंट्रल गवर्नमेंट के ट्रांसफर बढ़ रहे हैं। हम सोचते हैं कि आपका एफर्ट और हमारी सरकार के ट्रांसफर्स दोनों मिलकर काम करेंगे तो आने वाले समय में निश्चित रूप से हम स्मार्ट नगरपालिकाओं में नगरपालिकाओं को तब्दील कर पाएंगे, धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री हनुमान बेनीवाल।

निजी स्कूल संचालकों द्वारा मनमानी फीस बढ़ोतरी

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): उपाध्यक्ष महोदय, आज नियम 50 स्थगन के माध्यम से कहना चाहता हूं कि निजी स्कूलों का सत्र 1 अप्रैल, आज से चालू हो गया, मनमाने तरीके से निजी स्कूल अपनी फीस के अन्दर बढ़ोतरी करते रहते हैं। बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि सरकार निजी स्कूलों पर लगाम लगाने के लिए, नियंत्रण के लिए कई बार कमेटियां बनाती भी हैं, कमेटियां बनी भी हैं, लेकिन सरकार का निजी स्कूलों पर नियंत्रण न के बराबर है। आज ऐसे हालात हैं, जयपुर के अन्दर जो टॉप स्कूल हैं- सेंट जेवियर, एसएमएस, एमजीडी, सेंट एंसलम, डीपीएस, अगर आप सेंट जेवियर के अन्दर एडमिशन कराना चाहो, उनका क्या सिस्टम है, कैसे करते हैं यह तो किसी को पता ही नहीं। मंत्रीजी का खुद का टेलीफोन सेंट जेवियर वाले या दूसरे स्कूल वाले नहीं उठाते। ये हालात हैं। सरकार का भय इन निजी स्कूलों के अन्दर नहीं होगा तो ये मनमाने तरीके से राजस्थान की गरीब, भोलीभाली जनता को लूटते रहेंगे, राइट

(श्री हनुमान बेनीवाल)

टू एजुकेशन का उल्लंघन करते रहेंगे। कहां तो आप इनमें 25 प्रतिशत बीपीएल और गरीबों के एडमिशन की बात करते हो। यह कोटा एक भी स्कूल पूरा फुलफिल नहीं करता। किसी बीपीएल गरीब आदमी और जिसकी सिफारिश नहीं है उसका एडमिशन जो मैंने स्कूल गिनाये हैं, उपाध्यक्ष महोदय, इनमें अगर एक भी पूरा करे तो। मैं मेरी बात यहां सदन के अन्दर कह रहा हूं कि बहुत ज्यादा दादागीरी निजी स्कूलों की राजस्थान के अन्दर चल रही है।

उपाध्यक्ष महोदय, प्रदेश में 40757 निजी स्कूल हैं, केवल जयपुर में 6630 निजी स्कूल हैं। अधिकतर स्कूलों में आज से नवीन सत्र प्रारम्भ हो गया। संचालकों ने नियमों के खिलाफ 25 प्रतिशत तक बढ़ोतरी कर दी। नियम, कायदों, सरकारी दावों के बावजूद राज्य में निजी स्कूल संचालकों ने अभिभावकों को किताबें, ड्रेस व अन्य सामग्री जहां से उनका कमीशन तय होता है, वे कहेंगे उस दुकान पर जाओ और वहां से आप यह सामान लेकर आओ, वहीं से लो। यह सरासर गलत है। निजी स्कूल संचालक पाठ्यक्रम के अलावा मनमर्जी से किताबें जोड़ देते हैं। इनके पाठ्यक्रम भी अलग होते हैं। ये कहते हैं कि यह किताब तो आपको पढ़नी ही है। वह एक अतिरिक्त भार उस बच्चे पर लाद देते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, प्रकाशक भी खुद ही तय कर देते हैं, जबकि एनसीईआरटी की पुस्तकें कम मूल्य पर मिल जाती हैं। निजी स्कूल संचालकों ने एक से ज्यादा पोशाकें तय कर रखी हैं। कई स्कूलों ने तो ब्राण्डेड कंपनियों के जूते पहनने के लिए बाध्य कर रखा है कि जूते आप एडिडास के ही पहनोगे, आप इसके पहनोगे, आप यह पहनोगे। अब गरीब आदमी का बेटा उस ब्राण्डेड कंपनी का जूता और ड्रेस नहीं पहन सकता। गरीब छात्रों पर अलग से वित्तीय भार पड़ता है। स्कूल संचालकों की मनमर्जी से अभिभावक तो परेशान हैं ही, सरकार भी इस मामले को लेकर मौन है। बड़ी विडम्बना का विषय है कि सरकार फीस वृद्धि पर लगाम तो दूर मुनाफाखोरी पर भी लगाम नहीं कस पा रही है।

उपाध्यक्ष महोदय, फीस कमेटी असक्रिय है तथा कोई नियंत्रण फीस पर नहीं है। फीस कमेटी का गठन जस्टिस शिवकुमार शर्मा की अध्यक्षता में किया गया। खुद शिवकुमार शर्मा ने स्कूलों की फीस बढ़ोतरी को गलत व असंवैधानिक बताया। शिक्षा के अधिकार कानून को हमारे राज्य में तोड़-मरोड़कर पेश करने से स्कूल संचालकों के हौसले बुलंद हो गये तथा उन्होंने

(श्री हनुमान बेनीवाल)

बेखौफ होकर सरकार के कानूनों की परवाह किये बिना स्कूल फीस में बेतहाशा बढ़ोतरी कर दी।

उपाध्यक्ष महोदय, गत सितम्बर, अक्टूबर में सरकार द्वारा तैयार किये गये बिल का ड्राफ्ट पूर्ण रूप से तैयार है, फिर भी इस बिल को सरकार पेश नहीं कर रही है। इस विषय में सरकार को अपनी मंशा स्पष्ट करनी चाहिए। सरकार समय रहते इस बिल को पेश कर देती तो इस क्षेत्र में छात्रों, अभिभावकों को राहत मिलती।

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय उच्चतम न्यायालय ने आदेश जारी कर स्कूलों को अन्य गतिविधियों के माध्यम से मुनाफाखोरी नहीं करने के आदेश दे रखे हैं, लेकिन राज्य सरकार इस दिशा में गम्भीर नहीं है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2005 में सरकार हर बार नये-नये प्रावधान से भ्रम की स्थिति पैदा कर रही है। अब बीपीएल को ही इस एक्ट के तहत दाखिला देने का संशोधन किया गया जबकि पिछले साल एससी, एसटी, बीपीएल, ओबीसी तथा सामान्य वर्ग का प्रावधान होने के बावजूद सीटें खाली रह गयी थीं। तो क्यों सरकार स्कूली शिक्षा में भेदभाव कर रही है?

उपाध्यक्ष महोदय, गरीब होने में न बच्चे का दोष है और न ही अमीर होने में उसका कोई दोष है। अगर सीट खाली है तो प्रवेश देने में किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2005 के संदर्भ में एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें विभाग तार्किक नीति बनाकर योग्य को प्रमाणित करे ताकि वह किसी भी नजदीकी स्कूल में जाकर प्रवेश ले सके। विभाग की लाटरी प्रक्रिया तो सवालों के घेरे में है और सीटें खाली रह जाती हैं। ऊपर से केवल बीपीएल का प्रावधान लाकर आरटीई कानून को सरकार अप्रासंगिक बना रही है जबकि बीपीएल, एपीएल के निर्धारण में सभी सरकारी सूचियों में धांधली व विरोधाभास है।

उपाध्यक्ष महोदय, सरकारी स्कूलों के अन्दर आप निरीक्षण कराते हो फरवरी और मार्च के अन्दर। (व्यवधान) मंत्रीजी, मुझे एक बार सुनें। यह आपका ही आएगा। स्कूल आपके ही अण्डर में हैं।

सरकारी स्कूलों में निरीक्षण फरवरी और मार्च में आप कराते हैं, फिर अप्रैल के अन्दर बड़े-बड़े अखबारों में यह छपाते हैं कि सरकारी स्कूलों में नामांकन ठीक नहीं हैं, व्यवस्थाएं ठीक नहीं हैं, उसका रिजल्ट ठीक नहीं है। उसका फायदा किसको होता है, प्राइवेट स्कूल को फायदा होगा। अभिभावक

(श्री हनुमान बेनीवाल)

चाहेगा, सरकारी स्कूल में ठीक पढ़ाई नहीं होती, व्यवस्थाएं ठीक नहीं हैं इसलिए मैं प्राइवेट स्कूलों में दाखिला दिलाऊंगा। इस पर नियंत्रण के लिए एक सुझाव है, आप यह भी कर सकते हैं कि फरवरी, मार्च के अन्दर जो सरकारी स्कूल में निरीक्षण कराते हैं इसको आप अगस्त, सितम्बर में कराएं जिससे प्राइवेट स्कूल में भागने के बजाय, वहां ठगी का शिकार होने के बजाय वे सरकार स्कूल में अपने बच्चे को पढाएंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, एक दूसरी बात, अभी राजस्थान के अन्दर जो फर्जी टीसी और फर्जी मार्कशीट के प्रकरण चले, 99 परसेंट फर्जी टीसी और फर्जी मार्कशीट प्राइवेट स्कूल संचालकों ने राजस्थान के अन्दर जारी कीं। कई प्राइवेट स्कूलों के संचालक आज जेल के अन्दर हैं। 6-6, 8-8 महीनों से उनकी जमानत नहीं हो रही है। आप इन प्राइवेट स्कूलों को छूट देकर राजस्थान की सरकार से बड़े नहीं हो गये, सदन से बड़े नहीं हो गये। मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से चाहूंगा कि जो नियंत्रण कमेटी बनी है वह प्रभावी तरीके से काम करे। राजस्थान के अन्दर प्राइवेट सैक्टर के अन्दर कोई काम करेगा, चाहे वह निजी विश्वविद्यालय होगा, निजी कालेज होगा या निजी स्कूल होगा, उस पर सुप्रीम पावर राजस्थान की सरकार की होगी। मंत्रीजी से हम उम्मीद करते हैं, मंत्रीजी काफी टाइम से यह बात रोज कहते हैं कि मैं सुधार कर रहा हूं, शिक्षा के अन्दर यह कर रहा हूं वह कर रहा हूं। निजी स्कूलों की फीस बढ़ोतरी मनमाने तरीके से स्कूल संचालक कर रहे हैं, इस पर पाबंदी लगे। नये सिरे से इन पर लगाम कैसे राजस्थान की सरकार कसेगी, इसके बारे में मंत्रीजी आप निश्चित कहें ताकि राजस्थान की गरीब जनता का इसमें भला हो सके और इनकी दादागीरी खतम हो सके।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान गैर सरकारी शैक्षणिक संस्था अधिनियम, 1989 और नियम 1993 के प्रावधानों के तहत निजी विद्यालयों को मान्यता दिये जाने का प्रावधान है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: मंत्री महोदय, एक मिनट विराजो। I will not allow in-House conference. मंत्री महोदय जवाब दें, माननीय सदस्य कोई प्रश्न पूछें, आपको चिन्ता ही नहीं है। अगर मैं एक भी सदस्य से यह पूछ लूं कि सम्माननीय सदस्य ने किस बात पर अपना विवेचन प्रस्तुत किया?

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): सॉरी बोल दिया, साहब।

श्री उपाध्यक्ष: सब बोलें आप। एक साथ बोलें।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): अब मुस्कराओ तो सही, साहब, प्लीज।

श्री उपाध्यक्ष: चलिए, आप सभापति पैनल के हैं इसलिए मैं यह मानता हूं कि आपने सॉरी बोला तो पूरे सदन ने, जो इस प्रकार के कृत्य में थे उन्होंने... (व्यवधान) मंत्री महोदय।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो विषय उठाया, निश्चित रूप से वो विषय गम्भीर है। वर्तमान में राजस्थान गैर सरकारी शैक्षणिक संस्था अधिनियम, 1989 व नियम, 1993 के प्रावधानों के अन्तर्गत निजी विद्यालयों को मान्यता दिये जाने का प्रावधान है। लेकिन यह प्रावधान सीबीएसई द्वारा संचालित विद्यालयों पर प्रभावी नहीं है। प्रदेश के निजी विद्यालयों द्वारा जो मनमर्जी से फीस संग्रहण, किताबों इत्यादि की शिकायतें मिलती रही हैं, उपरोक्त दोनों अधिनियम के तहत हमने जांच करवाकर समय-समय पर कार्यवाही भी की है। लेकिन सीबीएसई द्वारा संचालित विद्यालयों में कार्यवाही विभागीय स्तर पर नहीं की जा सकती।

इन परिस्थितियों के आधार पर राजस्थान अभिभावक संघर्ष समिति द्वारा माननीय न्यायालय में एस.बी. सिविल याचिका संख्या 1861/2004 पेश की गयी। माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पालना में राज्य सरकार द्वारा राजस्थान विद्यालय फीस के संग्रहण का विनियमन अधिनियम, 2013 बनाया जाकर दिनांक 01.08.2013 से लागू किया गया। उस अधिनियम के अन्तर्गत माननीय शिवकुमार शर्मा, सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय फीस निर्धारण समिति का भी गठन हुआ जो प्रदेश के निजी विद्यालयों की फीस निर्धारण का कार्य कर रही थी। समिति द्वारा 9483 विद्यालयों की फीस भी निर्धारित की गयी लेकिन माननीय उच्च न्यायालय ने कमेटी द्वारा निर्धारित फीस के निर्णय को लागू करने के सन्दर्भ में 09.03.2015 को आदेश दिया कि अधिनियम की धारा 6 (4) के अन्तर्गत पारित आदेशों की क्रियान्विति हेतु न तो विद्यालयों को बाध्य किया जाए और न ही विद्यालयों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जाए। इसलिए हमारी सीमाएं सीमित हो गयीं। इस कठिनाई को सॉल्व करने के लिए तथा साथ ही इस

(श्री वासुदेव देवनानी)

उपरोक्त एक्ट में आने वाली कठिनाइयों के समाधान के लिए एक मंत्रिमण्डलीय उप समिति भी बनी जिसमें माननीय गुलाब चन्द जी कटारिया, माननीय राजेन्द्र सिंह जी राठौड़ और मैं हूं। हमारी इस समिति का गठन किया गया है। हमने इस समिति में उक्त एक्ट के सभी पहलुओं पर विचार करके उसके स्थान पर एक फीस एक्ट लागू किये जाने की अभिशंसा की है जिसमें फीस एक्ट लाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

इसके साथ सरकारी स्कूलों के बारे में आपने निरीक्षण की बात कही। सरकारी स्कूलों का स्तर बढ़े, इसका पिछले साल-डेढ़ साल से हम लोग प्रयत्न कर रहे हैं और उसका परिणाम है कि साढ़े आठ लाख का नामांकन भी बढ़ा है, कुछ व्यवस्थाएं भी सुधरी हैं। निरीक्षण समय पर हो। जैसा मैंने डिमाण्ड्स के उत्तर में कहा था कि अब निरीक्षण फरवरी-मार्च में नहीं होगा। अब निरीक्षण, पहला जो शिक्षा सम्बलन का काम है, 25 सितम्बर दीनदयाल उपाध्याय की जयंती से लेकर 2 अक्टूबर गांधी जयंती के मध्य होगा और दूसरा निरीक्षण 12 जनवरी स्वामी विवेकानन्द जयंती से लेकर 23 जनवरी सुभाष जयंती के मध्य होगा। वो फरवरी-मार्च का हटा दिया। हमारा प्रयत्न रहेगा कि हम सरकारी स्कूलों को इतना अच्छा बनाएं कि अभिभावकों की पहली चॉइस सरकारी स्कूल बनें न कि प्राइवेट बनें। इसमें मुझे लगता है, यदि यह बन गया तो आप द्वारा उठायी गयी सारी समस्याओं का निश्चित रूप से समाधान होगा। साथ ही जो सीबीएसई के स्कूल हैं, उन पर किस प्रकार से नियंत्रण हो, इस सन्दर्भ में केन्द्रीय सरकार से हम लोग चर्चा करेंगे और जो कुछ भी इसमें नियमों के तहत सम्भव होगा, उतना हम प्रयत्न करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष: श्री मेवाराम जैन।

बाड़मेर में पदस्थापित चिकित्सकों का गलत शिकायत के आधार पर स्थानान्तरण

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान नियम 50 के जरिये आकर्षित करना चाहता हूं, यह एक महत्वपूर्ण विषय है जो जनहित का और भ्रष्टाचार से सम्बन्धित है। बाड़मेर ब्लाक में ब्लाक सीएमएचओ के नीचे एक एलडीसी है जो डाक्टरों की तनख्वाह बनाने में, उनका जो एएनएम वगैरह का स्टाफ है, पूरे मेडिकल स्टाफ को परेशान करता था पैसे लेने के लिए। उससे परेशान होकर 14 मार्च और 18 मार्च को 16 डाक्टर जिला

(श्री मेवाराम जैन)

कलेक्टर के पास गये, सीएमएचओ को कहा कि हमें इस तरह से परेशान किया जा रहा है, आप हमारा समाधान करो। कलेक्टर ने फिर 18 तारीख को कमेटी का गठन किया, कमेटी गठित कर उसकी जांच करायी। जांच के अन्दर उस बाबू को दोषी पाया गया जिस पर उसको एपीओ किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वो ब्लाक सीएमएचओ और बाबू जिस तरह से इनको टार्चर कर रहे थे, उससे दु:खी होकर ये गये। लेकिन उसके बाद में वो बाबू रिलीव नहीं हुआ, वहीं रहा। उसने मीडिया के माध्यम से चार डाक्टर, कुल 12 पीएचसी और सीएचसी हैं, उनमें 4 जगह वो डाक्टर ड्यूटी पर गये हुए थे बाड़मेर और एक जयपुर आया हुआ था, उनके पीछे मीडिया वालों को भेजा कि ये चार पीएचसी बन्द हैं, डाक्टर आते नहीं हैं। उन डाक्टरों का उस खाली अख़बार के समाचार के माध्यम से ट्रांसफर करा दिया गया। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि बड़ी मुश्किल से ग्रामीण एरिया में डाक्टर लगते हैं और ये चारों ही डाक्टर ड्यूटी पर थे, गांव में हमेशा आते थे। गांव वालों से पूछ लीजिये, कोई वहां की शिकायत नहीं, वहां रहते थे। इनको हटाने से कम से कम 20-25 हजार की संख्या में जनता प्रभावित हो रही है। वहां पर सिर्फ एक-एक डाक्टर लगा हुआ था, उन 4 पीएचसी में चारों को ही हटा दिया गया और उनको दूसरी जगह लगाया गया। उन पर आरोप लगाया है कि ये डाक्टर हार्ड ड्यूटी का अलाउंस उठाते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि सिर्फ इन चारों की ही बात नहीं है, ग्रामीण एरिया के अन्दर जो भी डाक्टर हैं उनमें 120 डाक्टर बाड़मेर जिले में लगे हुए हैं, 93 पीएचसी हैं, उन सब को अलाउंस मिलता है। तनख्वाह पहले ही डाक्टरों की कम है, प्राइवेट में जा रहे हैं, उनको प्रोत्साहित करने के लिए कि किसी तरह से ग्रामीण एरिया में रहें, सरकार उनको यह भत्ता देती है। इन्होंने शिकायत की कि ये डाक्टर वहां रहते ही नहीं और अलाउंस उठा रहे हैं तो यह सरासर गलत है। सिर्फ उनको टार्चर करने के लिए, क्योंकि उस बाबू के खिलाफ इन्होंने शिकायत की तो उस बाबू ने मिलकर मीडिया के माध्यम से इनको हटाने का प्रयास किया। 29 तारीख को उसी बाबू ने, उसी ब्लाक सीएमएचओ ने डाक्टर को रिलीव किया जिसके 21 तारीख को एपीओ के आर्डर हो गये। 30 तारीख को वो बाबू उनको रिलीव करके फिर दूसरे दिन रिलीव हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इस तरह से

(श्री मेवाराम जैन)

कल भी 30 डाक्टर जिला कलेक्टर से मिले और कहा कि अगर इस तरह से हमारे साथ ज्यादती होगी तो हम इस्तीफा दे देंगे, इस तरह से भ्रष्टाचार के नाम से हमें प्रताड़ित किया जा रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, अगर इस ढंग से उनको हटा देंगे तो मेरे तो 4 ही पीएचसी खाली हो गयीं जहां एक भी डाक्टर नहीं है। इस तरह से असत्य आरोप लगाकर। बाबू ब्लाक सीएमएचओ से मिलकर भ्रष्टाचार करके पैसे लेना चाह रहा था। मैं इसमें निवेदन करना चाहूंगा, मैंने दो साल पहले भी कहा था कि बाड़मेर में 1200 सब-सेंटर हैं, करीबन 1800-2000 एएनएम हैं और हर सब-सेंटर पर एएनएम लगनी चाहिए परन्तु इस बाबू की वजह से और इस ब्लाक सीएमएचओ की वजह से लगने नहीं दिया गया। एक जगह तीन-तीन, चार-चार एएनएम हैं और कई सब-सेंटर बिलकुल खाली पड़े हैं। मैंने मंत्री महोदय से निवेदन किया था और हाउस में भी मैंने निवेदन किया था कि उस बाबू की इनसे सबसे सैटिंग है। कई सब-सेंटर तो तीन महीने बन्द रहते हैं, खुले भी नहीं रहते हैं और उनसे यह पैसे वसूलता है। इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि उस बाबू और ब्लाक सीएमएचओ के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही हो और इन डाक्टरों को वापस लगाएं जिनका कोई कसूर नहीं, ड्यूटी पर थे। वो पीएचसी खाली हैं, आज जनता वहां पर धरने और प्रदर्शन कर रही है तो आप उनको वापस लगाएं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि इतना संवेदनशील मामला है जिसकी जिला कलेक्टर ने जांच भी करा दी। उसमें भी बाबू और ये दोषी पाये गये हैं। डाक्टरों के बारे में भी जांच करा दी। आप भी जांच करा दो, सभी डाक्टरों की जांच करा दो, इसमें हमें कोई एतराज नहीं है। पर इनको बिलकुल राजनीतिक द्वेषता की वजह से हटाया जा रहा है इसलिए इनको वापस लगवाएं। धन्यवाद, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष: श्री सुखराम जी विश्नोई, आपका पर्ची पर भी यही विषय है तो आप भी बोल लें। फिर मंत्री महोदय।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसी मुद्दे पर बात करूंगा। 14 और 18 मार्च को कलेक्टर ने कमेटी बैठायी और कमेटी की जांच रिपोर्ट यह आयी कि वहां के ब्लाक सीएमएचओ और वहां का लिपिक, ये दोनों दोषी हैं। दोनों को दोषी बनाकर दोनों को एपीओ कर दिया।

(श्री सुखराम विश्नोई)

माननीय उपाध्यक्षजी, आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि जिले में कलेक्टर आप लगाते हो, आपका प्रतिनिधि कलेक्टर है, कलेक्टर अगर कोई बात करता है तो उसकी ठोस बात होती है, मजबूत बात होती है। कलेक्टर ने उन बीसीएमएचओ को और बाबू को रिलीव कर दिया जयपुर के लिए। लेकिन उन दोनों लिपिक ने और सीएमएचओ ने मिलकर, एक पीएचसी है मीठड़ा की जो कि पाकिस्तान के बार्डर पर पड़ती है, दूसरी भादरेस है, नांद है, कोली गांव है, इन चारों के जो डाक्टर हैं, केवल मात्र एक आधार पर शिकायत की गयी हार्ड ड्यूटी अलाउंस। माननीय उपाध्यक्षजी, बाड़मेर जिले में प्रावधान कर रखा है, ग्रामीण क्षेत्र में जो भी डाक्टर ड्यूटी देते हैं, वे हार्ड ड्यूटी अलाउंस लेते हैं। बाड़मेर में ऐसे 120 डाक्टर्स हैं, नर्सेज भी हैं, मेल नर्सेज हैं, तमाम हैं। केवल मात्र इन चार डाक्टर्स को हटाया गया। कोई शिकायत गांव की नहीं है। अगर गांव की शिकायत होती तो हमें कोई एतराज नहीं था। गांव की शिकायत नहीं है। कलेक्टर ने इनके पक्ष में राय दी है। कलेक्टर ने जिनके खिलाफ शिकायत दी, कलेक्टर ने जिनको एपीओ किया, उनको तो वापस वहीं रखा गया है और इन चार डाक्टर्स को वहां लगाया गया है, जहां आलरेडी पहले डाक्टर लगे हुए हैं। इससे एक तो चार पीएचसी खाली हो गयी हैं। दूसरे, जहां आलरेडी डाक्टर हैं, उन चार डाक्टर्स को वहां लगाया गया। राजेन्द्र राठौड़ साहब होशियार आदमी हैं, बात को समझते हैं परन्तु न जाने किस कारण से उन डाक्टर्स को वहां से हटाया गया?

माननीय उपाध्यक्षजी, आपके मार्फत निवेदन करना चाहूंगा, एक तरफ तो ग्रामीण क्षेत्र में कोई जाना नहीं चाहते और ये चार डाक्टर जब वहां पूरी ड्यूटी दे रहे हैं, किस कारण से इनको हटाया गया? किस कारण से इनको सज़ा मिली? इनके समर्थन में कल की तारीख में, बाकी इन पूरे ब्लाक के 16 डाक्टर्स थे, उन 16 डाक्टर्स ने मिलकर कलेक्टर को इस्तीफे की पेशकश की कि अगर ये चारों डाक्टर्स दोषी हैं तो हम इस्तीफा देते हैं। अगर ये दोषी पाये गये तो हमारा इस्तीफा मंजूर कर लो। जब ये चारों दोषी नहीं हैं, यह पेशकश की गयी है कि हमारा इस्तीफा ले लो।

माननीय उपाध्यक्षजी, मैं आपके मार्फत निवेदन करना चाहूंगा कि यह अलाउंस का मामला है। वह जो बाबू है, मान लो, एक-दो डाक्टर किसी ने गलती कर ली, 120 डाक्टर्स हैं, उन सभी को किसी को हार्ड ड्यूटी में 25,000

(श्री सुखराम विश्नोई)

रुपये मिलते हैं, किसी को 30,000 रुपये मिलते हैं कि पांच हजार रुपये मुझे दो। यह पूरी उगाही का खेल चल रहा था पिछले साल से। अख़बार में कहा गया है कि 50 करोड़ रुपये का घोटाला है। घोटाला तो बाबू ने नहीं, डिप्टी सीएमएचओ ने किया है। उन डाक्टर्स से पैसे लेकर किया गया है। उनको टार्चर किया जा रहा है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदयजी, आपकी मार्फत मैं माननीय मंत्रीजी से कहना चाहूंगा कि आपके पास रिपोर्ट तो आ गयी होगी। क्या रिपोर्ट कलेक्टर साहब ने भेजी है? अगर रिपोर्ट पाजिटिव आयी है, रिपोर्ट पाजिटिव नहीं आयी है तो भी उन डाक्टर्स को पहले वापस उसी जगह लगाया जाए। आपकी तरफ से कमेटी बैठाकर दुबारा जांच करा लें। अगर डाक्टर दोषी हो जाएं, हमें कोई एतराज नहीं, आप उन्हें हटा लो। धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार ने जो हमारे 13 जिले हैं, जो दूरस्थ हैं, दुर्गम हैं, जहां हैल्थ इंडीकेटर ठीक नहीं हैं, वहां एक नवाचार किया। जो डाक्टर वहां पदस्थापित रहेंगे, अगर वह विशेषज्ञ हैं तो उसको 30,000 रुपये प्रति माह अलग से, अगर वह चिकित्साधिकारी है तो उसको 25,000 रुपये प्रति माह। हमारा प्रयास था। हार्ड ड्यूटी अलाउंस के नाम पर, इंसैंटिव के नाम पर उनके मूल वेतन के अलावा उनको अतिरिक्त पैसा देंगे। उपाध्यक्ष महोदय, 22 मार्च को वहां के दैनिक भास्कर अख़बार में एक समाचार प्रकाशित हुआ। उस समाचार के अन्दर यह लिखा गया कि 17.5 करोड़ रुपये हार्ड ड्यूटी अलाउंस के नाम पर जिन डाक्टर्स ने उठाये, वे डाक्टर वहां निवास नहीं करते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, तीन कैटेगरी बनी हैं- बी-1, बी-2 और बी-3. ज्यादा दुर्गम स्थान में जो डाक्टर रहेगा, उसको ज्यादा हार्ड ड्यूटी अलाउंस मिलेगा और जो शहर के नजदीक रहेगा उसको कम मिलेगा। उसके साथ ही एक तस्वीर छापी गयी पीएचसी नांद, रानीगांव, मीठड़ा और भादरेस की। उस अख़बार में इतना-इतना समय लिखा गया कि इतने बजे हम आये, इतने बजे ये होस्पिटल बंद थे। इस नाते एक बार यह मामला प्रारम्भ हुआ।

एक शिकायत प्राप्त हुई जिला कलेक्टर महोदय को। उसमें कहा कि 14 पीएचसी और 3 सीएचसी और एक ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्र, इनके अन्दर हार्ड ड्यूटी अलाउंस के नाम पर, वहां जो ब्लाक सीएमएचओ है, और

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

लिपिक देवेन्द्र कुमार जाखड़, ये दोनों मिलकर इस प्रकार का खेल कर रहे हैं कि डाक्टर आता है, डाक्टर रहता नहीं वहां। हार्ड ड्यूटी अलाउंस तब मिलता है जब डाक्टर उसी गांव में जहां पीएचसी है, वहां निवास करे। वे डाक्टर का बिल बनाते हैं और बिल के नाम पर कुछ देते हैं, कुछ लेते हैं। जब यह शिकायत प्राप्त हुई, जिला कलेक्टर महोदय के निर्देश पर तीन मार्च को हमने एक कमेटी बनायी। हमारे जिला क्षय अधिकारी डाक्टर पंकज खुराना और रविन्द्र गुप्ता, सहायक लेखाधिकारी, बाड़मेर, इन दोनों को जांच दी गयी। इस जांच की जो प्रारम्भिक रिपोर्ट प्राप्त हुई, अभी तक सारी जांच चल रही है क्योंकि इसमें 13 पीएचसीज से ज्यादा हैं, उसमें यह आया कि 27.83 लाख रुपये इनको हार्ड ड्यूटी अलाउंस के देने थे और इन्होंने उसका बिल उठा लिया 46.39 लाख रुपये का, यानी 18 लाख रुपये का सीधा-सीधा प्राइमाफेसी गबन सामने आ गया। जब गबन सामने आया तो देवेन्द्र कुमार जाखड़ जो उसके बाबू थे, उनको हमने एपीओ किया। ब्लाक सीएमएचओ थे, उनको 23 मार्च को एपीओ कर दिया। उसके बाद यह प्रश्नगत पीएचसी बंद मिली और हार्ड ड्यूटी अलाउंस डाक्टर्स ने उठाया था। किस डाक्टर ने उठाया, कैसे उठाया, उठाया कि नहीं उठाया, यह जांच का विषय है। इस नाते कि जांच प्रभावित नहीं हो, इसके लिए डाक्टर वीरेन्द्र कुमार शर्मा, पीएचसी रानीगाव, इसको हमने पास में ही वहीं दूसरी पीएचसी, पीएचसी गिड़ा बाड़मेर में जांच होने तक लगा दिया। डाक्टर सोनू कुमार शर्मा पीएचसी मीठड़ा, इसको परेऊ बाड़मेर में सीएचसी में लगा दिया। डाक्टर शिवप्रसाद विश्नोई, पीएचसी भादरेस, इसको सीएचसी पाटोदी में और डाक्टर उदय कुमावत, पीएचसी नांद, इसको पाटोदी में लगा दिया। इसलिए इनको लगाया कि जांच प्रभावित नहीं हो। उनको पास में ही लगाया है।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके बाद जिला कलेक्टर महोदय को इनका एक डैलीगेशन मिला। उस डेलीगेशन ने लिखकर दिया, ये चारों डाक्टर थे जिनके लिए यह बताया गया कि ये उस समय पीएचसी में नहीं रहते हैं, बंद पड़ी रहती हैं, गांव के कई लोगों के बयान भी छपे अलग-अलग कारणों से। डाक्टर वीरेन्द्र कुमार ने कहा कि वह उस दिन सीएमएचओ कार्यालय बाड़मेर में गये हुए थे। लाइट कनेक्शन कटा हुआ था। बजट मांगने गये थे। डाक्टर सोनू कुमार शर्मा ने कहा कि मैं तो प्रशिक्षण के लिए सीफू जयपुर में उपस्थित था। डाक्टर शिवप्रसाद विश्नोई ने कहा कि मैं सीएमएचओ बाड़मेर के अन्दर

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

आरोग्य राजस्थान सम्बन्धी फार्मों को आनलाइन करने के लिए आया हुआ था। और डाक्टर कुमावत ने कहा कि जिला स्वास्थ्य भवन में एचआईवी स्क्रीनिंग के प्रशिक्षण में था। ये हमें प्राप्त हुई हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, जिस बाबू को प्राइमाफेसी एपीओ किया गया, मैं आज उसके निलम्बन की घोषणा करता हूं और मैं यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि ये चारों चिकित्सकों को इसलिए हटाया गया है ताकि एक बार जांच कर लें। माननीय सदस्य, तीन दिन के अन्दर-अन्दर प्राइमाफेसी जांच करके अगर इनका कोई दोष नहीं होगा तो इनको वापस वहीं पदस्थापित करेंगे, नम्बर एक।

नम्बर दो, जो 17 करोड़ रुपये के घोटाले की खबर भास्कर जैसे समाचार पत्र ने छापी है, मैं समझता हूं, यह भी लोकतंत्र का चौथा स्तम्भ है। हमने इसको गम्भीरता से लिया है, हम उसकी जांच कर रहे हैं। जांच कमेटी की रिपोर्ट के बाद में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। एक भी चिकित्सक को वहां से जान-बूझकर हटाने का मकसद नहीं है। आपने जिस व्यक्ति को कहा, उसको कोई सरकार बचाना नहीं चाहती। उनको न हम जानते हैं। ब्लाक सीएमएचओ को हमने एपीओ किया है। अभी हमने बाबू को आज सस्पैंड करने की घोषणा की हैं। ब्लाक सीएमएचओ का भी दोष उतना ही है, ब्लाक सीएमएचओ के बारे में भी मैं तीन दिन के अन्दर निर्णय लूंगा। अगर सस्पैंड करने की आवश्यकता हुई तो सस्पैंड करेंगे।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस सारे मामले में ग्रामीण उस गांव के जो निवासी हैं, वे बैस्ट जज हैं कि डाक्टर वहां आता है कि नहीं आता है या रात में रहता है या नहीं रहता है। आप अगर उनसे पुछवा लें, वहां पर सरपंच इत्यादि जो चुने हुए जन प्रतिनिधि हैं, तो पिक्चर बिलकुल साफ हो जाएगी, यही मेरा आपसे अनुरोध है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, अगर मान लो, वहां के सरपंच ने या किसी ने कोई पत्र लिखा है और वह माननीय सदस्य के पास है तो वह दे दें, हम प्राइमाफेसी उसी को मान लेंगे। पर उस समाचार पत्र में गांव वालों के अलग-अलग बयान छपे थे, इस नाते गम्भीरता से लिया है।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना

(श्री मेवाराम जैन)

चाहूंगा कि गांव वालों की कोई एक शिकायत नहीं है। कोई सरपंच की एक शिकायत नहीं। सिर्फ यह अख़बार के माध्यम से हटाया गया है। वह जनता कहां जाएगी ? जहां बीमारी चल रही है? मैं निवेदन कर रहा हूं, आप डाक्टर को पहले, जो ये चारों ही लगाये हैं, चारों ही गिड़ा के अन्दर डाक्टर लगे हैं, इनको वापस लगा दो। जांच में अगर इनके विरुद्ध पाया जाता है तो आप बता देना। हम कोई मना नहीं करेंगे। पर उनको तो कम से कम आज वापस लगाने के आर्डर करो, साहब। आप तीन दिन और चार दिन की बात कर रहे हो, वह जनता कहां जाएगी? आप तीन दिन की बात मत करो, उनको वापस लगाओ। जांच कराने में अनियमितता पायी जाए तो आप उनको सस्पैंड कर देना, हटा देना, हम आपको नहीं कहेंगे। आप मेहरबानी करके उनको आज वापस लगाने की बात करो, साहब।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): सिर्फ तीन दिन का ही समय मांगा है।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): तीन दिन में वह जनता क्या करेगी? जनता कहां जाएगी?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): मैंने लम्बा समय नहीं मांगा। हाउस में कह रहा हूं।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): जनता में मैसेज गलत जा रहा है। कोई डाक्टर नहीं लगेगा। सारे डाक्टर हड़ताल पर जाएंगे। आप उनको वापस वहीं लगाएं, साहब। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: सम्माननीय सदस्य, एक मिनट आसन भी तो कोई आग्रह कर ही सकता है। वैसे, मंत्री महोदय, आप अपने आपमें सक्षम हैं, तीन दिन आपने अधिकतम लिए हैं। जितना जल्दी हो सके, इनकी वेदना अपनी जगह वाजिब भी है और अगर वास्तव में यह चीज ऐसी है कि सिर्फ बनावटी तौर पर रखी गयी है तो इसके कारण भी ढूंढें। साथ ही साथ आपने तीन दिन का अधिकतम समय लिया है, आसन आपसे यह आग्रह करता है कि इसको जितना शीघ्र अतिशीघ्र हो सके, इनकी वेदना को ध्यान में रखकर उस पर यथा उचित आप कार्यवाही करें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): आज्ञा की पालना होगी, माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष: ठीक है। पर्ची के माध्यम से, श्रीमती द्रोपती।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

रावतसर नगरपालिका में गंदे पानी की निकासी व पेयजल की समस्या

श्रीमती द्रोपती (पीलीबंगा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे पर्ची के माध्यम से बोलने का मौका दिया इसके लिए आपको धन्यवाद। मेरा शहर रावतसर चालीस हजार की आबादी का शहर है। इसमें वाटर लेवल सही नहीं है और यह एक कुंडीनुमा आकार का शहर बना हुआ है। इसमें पानी निकासी की बहुत बड़ी समस्या है। मंत्रीजी यहां बैठे हैं तो मैं मंत्रीजी से निवेदन करूंगी, इसके पानी निकास का जल्दी से कोई प्लान बनाया जाए। शहर से गुजरते हुए हमारा जो सेम नाला बना हुआ है, उस सेम नाले से पानी निकासी की व्यवस्था की गयी है। सेम नाले का जल स्तर दिनोंदिन बढ़ रहा है। निकासी के लिए सेम नाले में जो पानी डाला जाता है, कई बार पड़ोसी गांव के जो सेम नाले के पास के हैं, वो गांव वाले उस सेम नाले को बंद कर देते हैं। उससे शहर के अन्दर बहुत बड़ी समस्या पैदा हो जाती है। शहर की व्यवस्था डगमगा जाती है और शहरवासी परेशान होते हैं। बारिश में तो इतनी बुरी हालत हो जाती है कि घरों का पानी नाले की बजाय जो शहर हमारा कुंडीनुमा बना हुआ है, शहर के बीचों बीच आकर वह पानी भर जाता है। मेरे यहां रावतसर के वार्ड नम्बर 1, 2, 3, 5, 11, 17, 18 और 19 ये आठ वार्ड ऐसे हैं जिनमें गंदे पानी की निकासी की कोई भी व्यवस्था नहीं है। इससे डेंगू, मलेरिया आदि बीमारियां फैलने की आशंका बनी रहती है। 25 वार्डों का हमारा कस्बा है, उसकी योजना बनाकर मास्टर प्लान के मुताबिक नक्शा तैयार कर गंदे पानी की निकासी की व्यवस्था की जा सकती है। अतिशीघ्र डीपीआर तैयार करके इसका पुख्ता इलाज किया जा सकता है। मैं मंत्रीजी से निवेदन करना चाहती हूं आपके माध्यम से कि इसका आप जल्दी से जल्दी समाधान करें।

हमारे यहां रावतसर से मेगा हाइवे भी जाता है उसके भी दोनों तरफ नाला नहीं बना हुआ है जिसके कारण बारिश का पानी सड़क पर आ जाता है। गलियों से होकर शहर में आ जाता है जिससे वार्डवासियों का घर से निकलना भी दूभर हो जाता है।

इसके साथ ही मैंने पीएचईडी का भी जोड़ा है क्योंकि पीएचईडी की समस्या भी इसी से जुड़ी हुई है। पीएचईडी के पाइप जगह-जगह लीक होने से

(श्रीमती द्रोपती)

वह पानी भी उसी नाली में आता है। पीने के पानी के पाइप हैं 13-14 फीट नीचे हैं और हमारा सेम का पानी का स्तर 8 से 7 सात फीट ऊपर है। जैसे ही वो लीकेज कर्मचारी सही करते हैं, सेम का पानी उस लीकेज के माध्यम से पाइप लाइन में चला जाता है। वह पानी घरों में चला जाता है, उससे बहुत बड़ी समस्या होती है। मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करूंगी कि इसका भी आप जल्दी से जल्दी समाधान करने का प्रयास करें ताकि शहरवासियों को अच्छा पानी मिल सके। धन्यवाद।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह पर्ची के माध्यम से जो मामला उठाया गया है, यह दो डिपार्टमेंट का मामला है। पेयजल का ताल्लुकात पीएचईडी से है और गंदे पानी के निकासी का सम्बन्ध नगरपालिका से है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, यह बात सही है कि नगरपालिका के अन्दर गंदा पानी और वर्षा का पानी उसकी निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं है। वह पानी खड्डों में भर जाता है और फिर खड्डों के माध्यम से धीरे-धीरे परकोटे से होते हुए निकलता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके स्थाई समाधान के लिए हमने डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनायी है 3 करोड़ 94 लाख रुपए की। उसकी निविदा भी आमंत्रित कर ली गयी है। उसकी टैक्निकल बिड 03 मार्च, 2016 को खोल दी गयी है और फाइनेंशियल बिड भी जल्दी ही खोल देंगे। 3 करोड़ 94 लाख के ये प्रोजेक्ट्स हैं इनके माध्यम से हम रावतसर के पूरे के पूरे गंदे पानी को और स्ट्रांग वाटर के आउटलेट को पैदा कर देंगे। सेम की समस्या से पेयजल में जो दिक्कत आ रही है, उसके बारे में मैं समझता हूं कि पीएचईडी मंत्री यहाँ पर होतीं तो वे जवाब दे पातीं। आप दे देना सेम के मामले। मेरा तो यही कहना है कि 3 करोड़ 94 लाख से आपके यहां पर ड्रेनेज वाटर का सिस्टम बना देंगे।

डा. रामप्रताप (जल संसाधन मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पीलीबंगा से आने वाली माननीय सदस्या ने जो पेयजल की समस्या बतायी है रावतसर की, यह बिलकुल वाजिब है। इसका इनलैट चैनल जगह-जगह से टूटा हुआ है। इसके लिए 9.99 लाख की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी गयी है और इसके टेण्डर जल्दी से जल्दी करवाकर इसको सही करवा देंगे। बाकी इस पूरे की योजना बनाकर क्योंकि सभी जगह से पाइप वगैरह लीक हैं और टूटे हुए हैं, बहुत पुरानी स्कीम है, इसके लिए जल्दी से जल्दी कोई बड़े प्रोजेक्ट की डीपीआर बनाकर आगे की कार्यवाही करेंगे।

श्रीमती द्रोपती (पीलीबंगा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं दोनों मंत्रियों को धन्यवाद देना चाहूंगी, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): मेरी एक सूचना है।

श्री उपाध्यक्ष: पाइंट आफ इन्फोर्मेशन है, वैसे अभी मैं जीरो आवर में लेता नहीं हूं। यह एक बार पर्ची का हो जाए I will give you a chance after that. श्री कैलाश चौधरी।

मैं सभी माननीय सदस्यों को निवेदन करूंगा कि आज विधायी कार्य में बिल्स काफी हैं इसलिए आप अपने वक्तव्य को बिलकुल सूक्ष्म रखते हुए सीधा अपने पाइंट पर आ जाएं। I will give you four minutes only.

बालोतरा को जिले का दर्जा

श्री कैलाश चौधरी (बायतू): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पर्ची के माध्यम से आपने मुझे बोलने का दिया इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। बाड़मेर जिला पाकिस्तान की सीमा से सटा हुआ है और भौगोलिक दृष्टि से बहुत बड़ा जिला है। आज अगर देखें तो कई ऐसे स्टेट हैं उनसे भी बाड़मेर जिला बड़ा है और कई ऐसे देश भी हैं उनसे भी बाड़मेर जिला बड़ा है। वहां पर जो लोग हैं उनको जिला मुख्यालय पर अगर जाना होता है तो कम से कम 200 किलोमीटर तक जाना पड़ता है। जब वो जाते हैं जिला मुख्यालय के ऊपर उनकी समस्याओं को लेकर तो उनको अधिकारी मिलता नहीं, इसकी वजह से उनको वापस आना पड़ता है। उन गरीब व्यक्तियों को समस्या का सामना के साथ आर्थिक स्थिति का भी सामना करना पड़ता है।

आज बाड़मेर जिले के अन्दर बालोतरा है, वास्तव में अगर देखा जाए तो जिला बनाने की जो आवश्यकताएं हैं, जितने भी नॉर्म्स हैं, वो सारे नॉर्म्स बालोतरा पूरे करता है। बालोतरा के अन्दर आज से ही यह मांग नहीं है, यह मांग लगभग चालीस साल से चल रही है। 1980 के अन्दर जो विधायक थे, उन्होंने भी उस समय बालोतरा को जिला बनाने की मांग रखी थी। उसके बाद में जब-जब भी चुनाव आये, बालोतरा को जिला बनाने की सभी ने बात की। लेकिन बालोतरा आज दिन तक जिला बना नहीं और उसकी वजह से लोगों को बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बालोतरा आज औद्योगिक क्षेत्र भी है, आज करोड़ों रुपए की रेवेन्यू बाड़मेर जिला राजस्थान को देता है। वहां के लोगों की वास्तव में बहुत ही महत्वपूर्ण मांग है, वहां के क्षेत्र के लोगों के लिए यह एक बहुत ही आवश्यक विषय है। बाड़मेर जिला रेगिस्तान का क्षेत्र है,

(श्री कैलाश चौधरी)

जिस तरह से आदिवासी क्षेत्र के अन्दर विशेष छूट देकर जिले बनाये गये हैं उसी तरह से बालोतरा को भी जिला बनाया जाए। वहां के लोगों की बहुत वर्षों से यह मांग चली आ रही है। मंत्री महोदय, वहां पर जमीन भी है जो जिला बनाने के लिए 934 बीघा पिछले बीस साल से एक्वायर करके रखी हुई है कि जिला बनेगा। आज देखें तो बालोतरा से छोटे ऐसे कई जिले हैं जो क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटे जिले बना दिये गये। मैं मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि बालोतरा

(13.00 बजे)

की जनता आज आपकी तरफ देख रही है, आने वाले समय में अगर बालोतरा को जिला बना देंगे तो पूरे बाड़मेर जिले में ऐसे जरूरतमंद लोग जो परेशान हैं उनके लिए बहुत-बड़ी सौगात होगी। ऐसा नहीं हो कि पूर्व में जो विधायकों ने कइयों ने बात रखी तो कहा कि जिला कमेटी बनी हुई है या वो है, वो अगर नियमों में आएगा। मैं आपसे नयी उम्मीद करूंगा कि आज आप मुझे आश्वस्त करेंगे कि आने वाले समय में अगर कोई एक भी जिला बनेगा तो सबसे पहले बालोतरा जिला बनेगा। ऐसा मैं आपसे निवेदन करते हुए मंत्रीजी से निवेदन करूंगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अमराराम (राज्य मंत्री, राजस्व): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बायतू से आने वाले माननीय सदस्य ने जो मांग रखी है बालोतरा को जिला बनाने की, कुछ दिनों पहले इसी हाउस में हमारे सिवाना से आने वाले माननीय सदस्य ने भी यह मांग रखी थी। यह बात सही है कि आजादी से पहले बालोतरा जुडीशियरी का जिला बना था....

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): बालोतरा से एमएलए कौन है?

श्री अमराराम (राज्य मंत्री, राजस्व): यह बाद का प्रश्न है। तो आजादी से पहले यहां सत्र एवं ...

श्री उपाध्यक्ष: यह विषय सामान्य ज्ञान का है, सम्माननीय सदस्य को यह नहीं मालूम कि बालोतरा का एमएलए कौन है और संसदीय कार्य मंत्री को भी यह जानकारी नहीं है तो यह तो बड़ा गम्भीर विषय है।

श्री अमराराम (राज्य मंत्री, राजस्व): वो बालोतरा का नहीं, पचपदरा का एमएलए है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जालौर जिले का भी सत्र एवं जिला

(श्री अमराराम)

न्यायालय बालोतरा था आजादी से पहले। नयी सीआरपीसी बनी 1974 में तब जालौर जिले का जुडीशियरी अलग हुआ। लेकिन बालोतरा में पूरे बाड़मेर जिले का आज भी सत्र और जिला न्यायालय है। यह बात जो माननीय सदस्य ने कही है, इस बारे में मांग 1980 से उठती आ रही है। मेगा हाइवे का उद्घाटन हुआ सन् 2007 में, हमारी यशस्वी मुख्यमंत्री ने किया, उस समय भी जनता की मांग रखी गयी और उसके बाद में भी जो भी सरकारें आयीं, उनके सामने ये बातें रखी गयीं।

यह बात जरुर है, राजस्थान में ऐसे कई जिले हैं जिनका क्षेत्रफल बाड़मेर से बहुत ही कम है। जनसंख्या के लिहाज से भी बाड़मेर बड़ा है। आज बाड़मेर क्षेत्रफल में 28 लाख 17 हजार 332 हैक्टेयर है, रोशला का भी 3,41,428 हैक्टेयर है। राजसमन्द कम है, सिरोही कम है, हनुमानगढ़ कम है, प्रतापगढ़ कम क्षेत्रफल में है। उन जिलों का तत्कालीन भैरोंसिंह जी की सरकार ने निर्माण किया था। आजादी से पहले प्रतापगढ़, मेड़ता और बालोतरा ही जुडीशियरी के जिले थे जो आज भी है। प्रतापगढ़ बन गया, बालोतरा रह गया।

लेकिन मैं माननीय सदस्य को जानकारी देना चाहूंगा कि इस सम्बन्ध में एक हाई पावर कमेटी बनी हुई है जिसका पुनर्निर्माण 20.1.2014 को डा. परमेशचंद जी, आईएएस की अध्यक्षता में किया गया।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदया द्वारा वर्ष 2014-15 की बजट घोषणा संख्या 196 – 'वर्तमान में राज्य में विभिन्न प्रशासनिक यूनिट्स, पटवारी, ग्राम सचिव, तहसीलदार, बीडीओ इत्यादि के भौगोलिक क्षेत्राधिकार अलग-अलग होने से आम जन को समस्या का सामना करना पड़ता है। हमने एक राज्यस्तरीय समिति का गठन किया जो जिलों, उपखंडों, पुलिस उपखंडों, यूनिट्स के क्षेत्राधिकार को-टर्मिनस करने के सम्बन्ध में राज्य सरकार को सुझाव देगी', के अनुसार कार्यवाही उच्चस्तरीय समिति में है।

बालोतरा को जिला बनाने की मांग माननीय सदस्य कर रहे हैं, प्रकरण परीक्षण हेतु उक्त उच्चस्तरीय समिति के समक्ष विचाराधीन है और उसकी सिफारिश आने पर जो भी कार्यवाही उचित होगी, हम करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री जयनारायण पूनिया।

तारानगर नगरपालिका के वार्डों में गंदा व बरसाती पानी के एकत्र होने से कारित परेशानी

श्री जय नारायण पूनियां (तारानगर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा भी पर्ची के माध्यम से निवेदन है। तारानगर कस्बे में बरसाती पानी और कीचड़-कादा, घर डूबने वाला, संस्थाएं डूबने वाला मसला काफी अर्से से चल रहा है। कई सालों से। इसकी आबादी करीब पैंतीस हजार है, छोटा कस्बा है। इसकी बसावट ऐसी है कि पेंदे में बसा हुआ है, चारों साइड ऊंची हैं। पानी के किसी साइड से निकालने की कोई गुंजाइश नहीं है जब तक कि भारी रकम इसके ऊपर खर्च न हो। ऐसी रकम नगरपालिका के पास में नहीं हो सकती किसी भी सूरत में, इसलिए सरकार की मदद इस समस्या से निपटने के लिए जरूरी हो गयी है।

मैं माननीय मंत्रीजी से आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, यह प्राब्लम इतनी बड़ी है कि ज्यों ही बरसात होती है, 15-16 वार्डों का पूरा एरिया पानी से भर जाता है। गलियां भर जाती हैं, घरों में पानी चला जाता है। वहां मार्केट है, वहां पर स्कूल है - हायर सैकण्डरी स्कूल लड़कियों का भी है, हायर सैकण्डरी स्कूल लड़कों का भी है डूब जाते हैं पानी में सब के सब। बच्चियों का भी स्कूल है वहां पर। प्राइवेट संस्थाएं 15-16 वार्डों में हैं, उनमें भी बच्चे पढ़ते हैं। कोई सड़क ऐसी नहीं रहती जिसमें पानी न भरता हो। वहां आना-जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है और चारों साइड से तारानगर के रास्ते अवरुद्ध हो जाते हैं। बड़ा भारी संकट पांच-छह महीनों में होता है।

दूसरा एक और है जो कि स्वास्थ्य के लिए भारी नुकसानदायक है। गलियों का गन्दा पानी, सड़कों का गंदा पानी बारिश में इकट्ठा होकर बारिश के पानी के साथ में आकर उस जगह पर इकट्ठा होता है जिसमें डाक बंगला भी घिर जाता है। 6-7 फीट स्कूल घिर जाते हैं। उन स्कूलों में और सरकारी संस्थाओं में पानी घुसने से पांच-छह महीने तक तो उनमें दाखिल होने की स्थिति नहीं रहती, बदबू मारती रहती है। उनको ठीक नहीं किया जाए, दुबारा सुधार नहीं किया जाए, रंगरोगन नहीं किया जाए, तब तक वो संस्थाएं काम नहीं आ सकतीं।

यह रैगुलर चल रहा है, कोई एक साल का मसला नहीं है। अब बारिश आने वाली है, 15-16 वार्ड का पानी एक जगह इकट्ठा होता है। तीन-चार वार्ड एक जगह है, पानी वहीं पर इकट्ठा होता है। 4-5 वार्ड ऐसे हैं जिनका भी है।

(श्री जय नारायण पूनियां)

ये तीन स्थान हैं तारानगर में, सबसे मुख्य स्थान 15-16 वार्डों का है। इस पानी को किसी न किसी प्रकार से बाहर निकाला जाए। गवर्नमेंट की मदद इसमें बहुत जरूरी है। बड़ी-बड़ी संस्थाएं जितनी भी हैं, वो सारी इससे इफैक्ट होती हैं, आवागमन इफैक्ट होता है, बच्चों का आना-आना अवरुद्ध हो जाता है। यात्रियों का भी आना-जाना अवरुद्ध हो जाता है। सब हर प्रकार से मदद के लिए गवर्नमेंट के ऊपर निर्भर हैं। आज उनकी परिस्थिति बहुत खराब है।

मैं दो ही शब्दों में यह कहना चाहता हूं कि इस समस्या का समाधान करने के लिए आप मेहरबानी करें। थोड़ी मदद दें। उसमें स्कीम बनानी होगी कि कितना खर्चा लग सकता है। पानी शहर के बाहर फेंकना पड़ेगा, यह इसमें मजबूरी है। हम छोटा-मोटा काम कर भी देते हैं तो भी पानी शहर के अन्दर ही रह जाता है, वो बाहर नहीं जा सकता केवल हमारी मदद से, शहर की मदद से।

इसलिए मैं आपके माध्यम से, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय से यह प्रार्थना करता हूं। मैंने पहले भी यह मामला उठाया था। हर बार पांच-छह महीने बारिश होती रहती है और वो पानी वहां इकट्ठा हो जाता है हाथोंहाथ। कितना उसमें खर्चा होता है। मोटर लगाकर या और कोई इंजन लगाकर पानी फेंकते रहते हैं, चलता रहता है फिर भर जाता है। फिर चलता रहता है। यह रैगुलर पानी का भरना और इकट्ठा होना खतरनाक हो गया है। शहर की बसावट बिलकुल बेकार हो गयी है, बिल्डिंगें बेकार हो गयी हैं। उनमें रहने वाले आदमियों की खराब हालत हो गयी है। मार्केट उसमें डूबता है, बस अड्डा उसमें डूबता है, स्कूलें उसमें डूबती हैं। बारिश में उसके हालात कोई देख नहीं सकता, इतनी खतरनाक स्थिति है।

इसलिए मेरा निवेदन है कि इस समस्या के हल के लिये सरकार अपनी तरफ से मदद देकर तारानगर कस्बे का उपकार करे, जय हिन्द।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह सही है कि तारानगर में बरसाती पानी और गंदे पानी के ड्रेनेज की समस्या है। पम्प के जरिये पानी को पम्प आउट करके दो-तीन किलोमीटर दूर जोहड़ में डाला जाता है। ज्यादा बरसात होने पर यह पानी जोहड़ से भी आगे गिरानी तक चला जाता है, गिरानी में पानी इकट्ठा होता है। इसका समाधान केवल एक है कि इन सबका ड्रेनेज सिस्टम हम

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

डवलप करें, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, और उसकी कीमत है 4 करोड़ 29 लाख रुपये। तारानगर नगरपालिका अच्छी नगरपालिका है, इस साल तारानगर पालिका को 8.45 करोड रुपये मिले हैं और यह सवा चार करोड का काम अगर नगरपालिका अपने संसाधन के बल पर ले तो दो साल में ही पूरा हो जाएगां। जो इस साल मिलने वाला पैसा है, उस पैसे में 25 से 30 परसेंट के आसपास बढ़ोतरी होगी। इसके अलावा अगर वे चाहते हैं और जन सहभागिता योजना के तहत कुछ पैसे का कंट्रीब्यूशन अगर वे करें तो उस कंडीशन में निश्चित रूप से बाकी का पैसा जन सहभागिता में राज्य सरकार की तरफ से उनको मिल सकता है। जन सहभागिता के तहत आएंगे तो राज्य सरकार की मदद मिल जाएगी और अपने संसाधनों के आधार पर करना चाहें तो भी उनके संसाधन पर्याप्त हैं। अब नगरपालिका को तय करना है कि अपने संसाधनों के बलबूते पर वह काम करना चाहेगी या जन सहभागिता योजना के तहत आएगी। उसमें सरकार का जो भी कंट्रीब्यूशन होगा, सरकार अपना कंट्रीब्यूशन देकर इस काम को पूरा कराएगी।

श्री उपाध्यक्ष: ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। श्री मानिक चन्द सुराना।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

राज्य कर्मचारियों पर तीसरी संतान होने पर दण्डात्मक प्रावधानों का प्रभाव

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं राज्य सरकार के मूल आदेश 20.6.2001, तत्पश्चात् 26.6.2001, तत्पश्चात् 31.12.2009 के दुष्प्रभावों की ओर राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए यह निवेदन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: आपने ध्यान आकर्षित कर दिया, पहले आप जवाब आ जाने दीजिए।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): दो संतानों से अधिक जिनके 1.6.2001 के आदेश के अनुसार हो गयी हैं, यानी 2002 में जिनके तीन संतान हो गयीं और उनको दंडित किया जा रहा है, उसकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान देश

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

का पहला राज्य है जिसने जनसंख्या वृद्धि को गम्भीरता से लेते हुए लोक नीति में ऐसे प्रावधान किये हैं जिनसे नागरिकों में परिवार को सीमित रखने की अवधारणा के प्रति जागरूकता आयी एवं लाखों लोगों ने अपने परिवार को अधिकतम दो संतान तक सीमित रखा।

इस क्रम में सर्वप्रथम वर्ष 1994 में अधिनियमित पंचायती राज अधिनियम में यह प्रावधान किया गया कि 27.11.1995 के पश्चात् दो से अधिक संतान होने की स्थिति में कोई भी व्यक्ति पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव लड़ने हेतु अपात्र होगा। इसी प्रकार का समान प्रावधान स्वायत्तशासी संस्थाओं में नगरीय निकायों के लिये भी वर्ष 1995 से लागू किया गया।

इस प्रावधान के जन प्रतिनिधियों पर सकारात्मक प्रभाव को देखते हुए राज्य सरकार की यह सोच विकसित हुई कि जनसंख्या नियंत्रण हेतु इस प्रकार के प्रभावी प्रावधान राज्य कर्मियों के सम्बन्ध में भी अमल में लाने चाहिये। तदनुसार राज्य सरकार द्वारा सेवा नियमों में निम्न प्रकार विभिन्न प्रावधान किये गये :-

(1) ऐसा कोई भी अभ्यर्थी जिसके दिनांक 1.6.2002 को या उसके पश्चात दो से अधिक बच्चे हों, सेवा में नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा।

(2) ऐसे किसी भी व्यक्ति की पदोन्नति पर उस तारीख से जिसको उसकी पदोन्नति देय हो जाती है, पांच भर्ती वर्ष तक विचार नहीं किया जाएगा यदि उसके दिनांक 1.6.2002 को या उसके पश्चात् दो से अधिक बच्चे हैं।

(3) अधिसूचना दिनांक 26.6.2001 राजस्थान सिविल सेवा नियम, 1971 में प्रावधान किया गया कि ऐसा कर्मचारी जिसके दिनांक 1.6.2002 को या उसके पश्चात् दो से अधिक संतान हैं, उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाए।

(4) कार्यालय विज्ञापन दिनांक 31.12.2009 के द्वारा प्रावधान किया गया कि ऐसा कर्मचारी जिसके दिनांक 1.6.2002 को या उसके पश्चात् दो से अधिक संतान हैं, उसको एसीपी देय नहीं होगी। एसीपी का मतलब 9-18-27 या 10-20-30, प्रमोशन देय नहीं होगा।

(5) अधिसूचना दिनांक 4.10.2001 के द्वारा दिनांक 1.6.2002 को या उसके पश्चात् तीन से अधिक संतान होने पर नियुक्ति प्राधिकारी को उस कार्मिक को लोक हित में सेवानिवृत्त करने का अधिकार होने सम्बन्धी प्रावधान किये गये हैं।

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

ये प्रावधान किये हैं समय-समय पर राज्य कर्मचारी को भी जनसंख्या वृद्धि पर थोड़ा कंट्रोल करने के लिये। यद्यपि उक्त प्रावधान वर्तमान में भी उपयोगी और प्रासंगिक हैं, तथापि कतिपय माध्यमों से प्राप्त अभ्यावेदनों, ज्ञापनों के द्वारा राज्य सरकार के ध्यान में लाया गया कि इन प्रावधानों के कारण मानवीयता और व्यावहारिक स्तर पर अत्यधिक कठोरता हो रही है। यहां उक्त नियमों, प्रावधानों को हटाने/शिथिलता के सम्बन्ध में मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए रियायत दिये जाने हेतु राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर नीतिगत निर्णय लिया जाकर अब तक नियमानुसार कार्यवाही कर संशोधन किये जा चुके हैं। सरकार ने इस कानून में जो वापस बैक किया है वह मैं बता रहा हूं।

(1) अधिसूचना दिनांक 24.2.2011 द्वारा किसी अभ्यर्थी की संतान की कुल संख्या की गणना करते समय ऐसी संतान की जो पूर्वोत्तर प्रसव में पैदा हुई हो और निशक्तजन हो, गणना नहीं की जाएगी। अगर वह डिसएबल बच्चा है तो वह माइनस कर दिया जाएगा। इसका मतलब दो के बजाय तीन संतान भी होंगी तो दो गिनी जाएंगी, उसको नहीं गिनेंगे। यह संशोधन हमने 2011 में कर दिया।

(2) पुनर्विवाह के पश्चात् होने वाली एक संतान के आधार पर राजकीय सेवा प्रवेश, पदोन्नति हेतु निर्योग्यता नहीं माने जाने सम्बन्धी अधिसूचना दिनांक 20.11.2015 को, अगर उसका पुनर्विवाह होता है तो एक संतान अगले विवाह की पत्नी के साथ होने पर कानूनी कोई रोक नहीं होगी।

(3) एसीपी-एसीपी का मतलब 9-18-27 का जो लाभ मिलता था, वह था, पूर्ण सेवा काल तक रोकने का प्रावधान था। उसे परिवर्तित कर अब पांच वर्ष तक ही रोक प्रभावी रहने के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा कार्यालय ज्ञापन दिनांक 6.10.2015 को जारी किया जा चुका है।

(4) साथ ही राजस्थान सिविल सेवा आचरण नियम, 1971 के नियमों के तहत दिनांक 1.6.2002 को या उसके पश्चात् तीसरी संतान होने पर देय दंडात्मक प्रावधान नियम 25 को विलोपित किये जाने की कार्यवाही भी प्रक्रियाधीन है। निर्णय नहीं हुआ है।

उल्लेखनीय है कि प्राप्त जानकारी अनुसार देश में, आपने पूछा था कि कहां-कहां है, पिछली बार विधान सभा में भीण्डर से आने वाले माननीय

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

सदस्य ने इस विषय को उठाया था तभी हमने देश के विभिन्न राज्यों को लिखा, देश में दो अन्य राज्यों मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में भी समान प्रकार के प्रावधान हैं। कुछ राज्य ऐसे हैं जिनमें यह प्रावधान नहीं है और अधिकांश का अभी तक हमको उत्तर ही नहीं प्राप्त हुआ है कि वहां क्या व्यवस्था है।

उपाध्यक्ष महोदय, विषय में जो जानकारी मेरी थी, वह मैंने आपके सामने रखी।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने बहुत संवेदनशीलता से यह कहा है कि मानवीयता और व्यावहारिक कठोरता को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार के इसमें कुछ संशोधन प्रक्रियाधीन हैं। खास तौर से जो 25-सी जोड़ी गयी है, उसके सम्बन्ध में फर्माया है, शायद यह अभी प्रक्रियाधीन है और शायद सरकार सोच रही है कि हट जाएगा।

मूल बात मैं माननीय गृह मंत्रीजी को निवेदन करता हूं कि सर्कुलर 20.06.2001 को जारी हुआ, जरा ध्यान करें, उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी। आपने जो जनसंख्या नियंत्रण का फर्माया है, माननीय गृह मंत्रीजी, न तो मैंने पंचायत में जो प्रावधान किये गये हैं, उसको एसेल किया है न नगर निगम और नगरपालिकाओं में जो किये हैं उनका एसेल किया है। मेरा सारा ध्यानाकर्षण सरकारी कर्मचारियों के सम्बन्ध में 20.06.2001 से पांच पदोन्नतियां जो रोकी गयी हैं, उससे ताल्लुक रखता है। माननीय गृह मंत्रीजी, जो पांच पदोन्नतियां रोकी गयी हैं, वो व्यवहार में हैं। डी.पी.सी. यदि आठ साल में हुई तो आठ साल तक गये, दस साल में हुई तो दस साल तक गये। अनेक छोटे-छोटे विभाग ऐसे हैं जहां डी.पी.सी. सालों साल नहीं होती और पांच पदोन्नतियों का मामला यदि आठ-दस साल डी.पी.सी. नहीं हुई तो उसमें कवर होता है। लेकिन उनके पांच साल पर पांच साल। या डी.पी.सी. आठ साल में हुई तो तीन साल एडिशनल जुड़ते हैं। आपने 25-सी हटाने की जो सोची है, माननीय गृह मंत्रीजी, इस 25-सी ने घोर अन्याय किया है। परिनिंदा का 25-सी में दंड मिलता था और पांच साल वाली पदोन्नति छह साल में चली जाती थी। यदि डी.पी.सी. दस साल में हुई तो वो दस साल में चली जाती थी। इस 25-सी को हटाने का कोई विशेष लाभ नहीं होगा। मूल तकलीफ है 20.06.2001 को जो कहा गया, जिसका नोटिफिकेशन है और मैंने जो व्याख्यात्मक टिप्पणी लगायी है उसमें भी लिखा है कि यह इतना बड़ा अन्याय है। पहली बात तो

(श्री मानिक चन्द सुराना)

यह है कि बिना सुने पांच पदोन्नतियों को रोका जाना है। माननीय गृह मंत्रीजी, आपने फर्माया कि यह मध्य प्रदेश में है। मेरे पास आठ राज्यों के हैं जिनका नाम मैं बोलता हूं- बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा। इसके अलावा चार राज्य और हैं। बारह राज्यों ने आपके ही पत्राचार के उत्तर में आपको सूचित किया है कि हमारे यहां पदोन्नति को रोकने के सम्बन्ध में इस राज्य में कोई प्रावधान, नियम, आदेश, परिपत्र निर्गत नहीं किया गया है, यह तो मैंने बिहार का पढ़ा। आपने जो मध्य प्रदेश का फर्माया, मैं मध्य प्रदेश का पढ़ देता हूं, 15 फरवरी, 2015 का उनका पत्र है आलोक गुप्ता, शासन सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर को, 'किन्तु कार्यरत कार्मिकों को दो से अधिक संतान होने पर पदोन्नति से वंचित किये जाने के सम्बन्ध में कोई प्रावधान नहीं है।' यानी हिन्दुस्तान के बारह राज्यों ने आपको लिखित में सूचित किया है आपके पत्र के उत्तर में। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अनुमति चाहूंगा, आठ राज्यों के परिपत्र हैं मैं हाउस की टेबल पर मेरे भाषण के समाप्त होते ही रख दूंगा। मेरा निवेदन यह है कि...

श्री उपाध्यक्ष: सम्माननीय सदस्य महोदय, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा क्योंकि यह विषय थोड़ा संवेदनशील है इसलिए I am allowing you to put it across in detail otherwise in this particular section or rule, आप डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं So that he can answer it. I'll allow you a little time but you have to elaborate yourself within a limited time frame.

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): सही है, उपाध्यक्ष महोदय। मैं आपके आदेश और आपकी भावनाओं को ध्यान में रखूंगा।

मेरा निवेदन यह है कि पांच पदोन्नतियां यदि आठ-दस वर्षों में जा रही हैं, कितने लोग प्रभावित हैं। मेरे से ज्यादा आपके ध्यान में है। मेरा निवेदन यह है कि बारह राज्यों ने इसको उचित नहीं समझा। और, उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में जो सेंट्रल सर्विसेज के लोग हैं, उन पर यह तीन संतानों की पाबंदी प्रभावी नहीं है। उनकी पदोन्नति नहीं रोकी जाती है। 8.1 लाख आपके कर्मचारी हैं- मध्यमकालीन राज्य वित्त की जो रिपोर्ट हमें मिली है अपने 8.1 लाख कर्मचारी हैं और देश में सर्वाधिक ज्यादा कर्मचारी भारत सरकार के हैं, उन पर लागू नहीं है। 12 राज्यों में लागू नहीं है। तो हमारे दो हजार लोगों को, उपाध्यक्ष महोदय, ये वो लोग हैं जिन्होंने सत्य बयान किया कि हां, साहब,

(श्री मानिक चन्द सुराना)

तीन संतानें हो गयीं। जिन्होंने सत्य बयान नहीं किया, ऊपर के अधिकारियों को जानकारी होते हुए भी उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई। मेरा मतलब यह है कि दंडित वो हो रहा है जो सत्य बोल रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे इस सदन के आदरणीय सदस्य श्री संदीप शर्मा, कोटा ने सवाल पूछा था कि लिंगानुपात पर इसका क्या असर है। मैं उसी प्रश्न के उत्तर में आपसे निवेदन करता हूं कि हमारे आठ जिले ऐसे हैं, मैं जो पढ़ रहा हूं वहां प्रति हजार पुरुषों पर आठ सौ से नौ सौ महिलाएं ही उपलब्ध हैं- अलवर–887, भरतपुर–878, दौसा–894, धौलपुर–838, हनुमानगढ़-886, जयपु–887 बहुत पढ़ा-लिखा है, जैसलमेर-858, करौली–837, सवाई माधोपुर–890, श्री गंगानगर–834 । आठ जिले तो ऐसे हैं जहां पर हजार पुरुषों पर आठ सौ से नौ सौ महिलाएं उपलब्ध हैं लिंगानुपात में।

मेरा निवेदन है, जब स्थिति यह है तो हमारे दंडित करने से लिंगानुपात में किसी भी प्रकार का फर्क नहीं पड़ रहा है। और भारत सरकार ने आर.टी.आई. में यह जवाब दिया है कि हम जो जनसंख्या की वृद्धि को रोकना चाहते हैं, वो स्वप्रेरणा से है। यदि स्वप्रेरणा से भारत सरकार जनसंख्या वृद्धि को रोकने का काम नहीं करती तब तो, उपाध्यक्ष महोदय, आपातकाल जो सन् 1975 में हुआ, जोर-जबर्दस्ती से लोगों को भगा-भगाकर उनका कैस्ट्रेट किया गया। अशोक गहलोत के टाइम पर इस राज्य सरकार में यहां पर भी आ गया कि दंडित करके रोका। दंडित भी एक बार नहीं, 01.06.2001 में दंडित किया फिर 20.06.2001 को आर्डर निकाला उसके छह दिन बाद 25-सी। उसके बाद यह आदेश आपने फरमाया है 31.12.09 को।

माननीय गृह मंत्रीजी, 31.12.09 में आपने कहा कि उम्र भर ए.सी.पी. नहीं मिलेगी। ए.सी.पी. वही है जो चयनित वेतनमान माननीय भैरोंसिंह जी शेखावत ने राज्य के कर्मचारियों को दिया था कि पदोन्नति नहीं तो पदोन्नति जैसा वेतन 9 साल बाद, फिर दूसरी पदोन्नति 18 साल बाद, तीसरी पदोन्नति 27 साल बाद उपलब्ध हो जाएगी। उम्र भर रोकने का काम जो किया, आपकी ही सरकार ने वापिस आकर 06.10.15 के आदेश से यह जो उम्र भर नहीं मिलना था, कहा पांच साल नहीं मिलेगा। मेरा निवेदन है कि 31.12.09 को आदेश निकलने के दूसरे दिन 01.01.10 को ही जो एंटाइटल्ड हो गया, उम्र भर के लिए रोका गया और 06.10.15 को फिर यह कहा गया कि पांच साल नहीं होगी। यह आदेश फिर भी आगे के लिए लागू हुआ। वो आदमी तो 01.01.10

(श्री मानिक चन्द सुराना)

को एंटाइटल्ड हो गया, पर उसको 06.10.15 को पांच साल बाद मिलेगा। मेरा निवेदन यह है कि ए.सी.पी. का जो आपने दिया है यदि यह भूतलक्षी प्रभाव से होता तो भी काफी रिलीफ होता।

माननीय गृह मंत्रीजी, मूल बात यह है कि जब तक 20.06.2001 का पांच पदोन्नतियों को रोकने का आदेश निरस्त नहीं किया जाता है तब तक जो अन्याय राज्य कर्मचारियों के साथ में हुआ है, भारत सरकार में यह आदेश नहीं है, बारह राज्यों में आदेश नहीं है और किसी एक-दो राज्यों ने कर भी दिया है तो वो हमें नकल करने का कोई कारण नहीं है। अशोक गहलोत जी ने बना दिया, यह अन्याय सरकारी कर्मचारियों पर। 06.10.15 को आपने ए.सी.पी. से अन्याय को खतम किया। तो मेरा निवेदन है इस बात को देखें कि क्या इससे लिंगानुपात पर कोई फर्क पड़ रहा है? जो उद्देश्य है जनसंख्या नियंत्रण का, क्या उस पर कोई प्रभावी कण्ट्रोल इससे हो रहा है। यदि नहीं हो रहा है तो यह हजारों-हजारों कर्मचारियों को पांच-पांच पदोन्नतियां न देने का अन्यायपूर्ण आदेश है। वर्तमान सरकार जो प्रबल बहुमत से आई है और संवेदनशील है, जन हितैषी है, कर्मचारी हितैषी है, उस सरकार से मेरा निवेदन है कि 20.06.2001 के आर्डर को आप विदड्रा करें और जो आदेश आपने 06.10.15 को दिया है, उसको भी भूतलक्षी प्रभाव से लागू करें।

मूल मेरा कहना है कि जिस भारतीय संस्कृति में हम रहते हैं, हमारे परिवारों की अवधारणा में एक पुत्र की चाह हर परिवार को है। एक पुत्र की चाह में, जब यह नियम अशोक गहलोतजी ने बनाया उसके बाद एक बेटी हो गई, दूसरा बच्चा कोख में है, वह उसका लिंग परीक्षण कराता है। वह देखता है कि एक बच्चा तो होना ही चाहिये। लिंग परीक्षण में महिला आती है कि यह बच्ची होगी तो अपने-आप प्रेरित होता है कि यह नहीं होनी चाहिये। तो यह लिंगानुपात को जो हम बढ़ावा देना चाहते हैं, स्त्रियों की संख्या में बढ़ोतरी करना चाहते हैं, यह उसके पूर्णतया विपरीत है। हर आदमी एक बच्चा तो चाहता ही है। भारतीय संस्कृति की इस अवधारणा को, जिसको आप मानने वाले हैं कि पुत्र होगा तो पीढ़ी चलेगी, पुत्र होगा तो परिवार चलेगा, तो पुत्र की इच्छा में यदि उसने तीसरी संतान बच्चे के लिये पैदा भी कर दी, लड़के के लिये, कौनसा गुनाह कर दिया। क्या मिसकंडक्ट है। बैडरूम में किये गये किसी काम को गवर्नमेंट सर्वेण्ट का मिसकंडक्ट मानना, यह तो अन्याय की पराकाष्ठा है।

(श्री मानिक चन्द सुराना)

इसलिये मेरा निवेदन यह है, इसमें कितने माननीय सदस्यों ने मुख्य मंत्रीजी को पत्र लिखा।

श्री उपाध्यक्ष: सम्माननीय सदस्य, आपकी बात बड़ी गहराई से मंत्री महोदय के समझ में आ गई। मेरे ख्याल से मंत्री महोदय इस पर कोई अपनी प्रतिक्रिया दे देंगे। I think so, you have covered practically everything, right from the bedroom to his career opportunity. You have covered probably everything that we could possible…

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय गृह मंत्रीजी ने भी माननीय मुख्य मंत्रीजी को पत्र लिखा है। दो संतानों पर जो प्रतिवेदन इनको मिला है, इन्होंने कहा है कि इस पर विचार किया जाये। माननीय कालूलालजी गुर्जर ने पत्र लिखा है। माननीय राजकुमारजी रिणवा ने पत्र लिखा है। ओटारामजी देवासी ने पत्र लिखा है। माननीय रामेश्वरजी डूडी, जो 24 के नेता हैं, उन्होंने माननीय मुख्य मंत्रीजी को पत्र लिखा और 40 विधायक, जो सत्ता पक्ष के हैं। (व्यवधान) हैं?

श्री उपाध्यक्ष: प्रतिपक्ष के सम्माननीय नेता हैं।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): 24 मानिये। मैं इनकी संख्या को कम-बेशी करने वाला कोई नहीं हूं। वह तो जो है, वह तो हैं ही। 24 हैं तो 24 हैं। मेरे मुंह से गलती से 22 निकल गया। मैं नेता, प्रतिपक्ष से … (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, 'प्रतिपक्ष के सम्माननीय नेता' हैं।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): 24 के सम्माननीय नेता हैं। मेरी गलती है, मैं क्षमा मांगता हूं इनसे।

एक माननीय सदस्य: 24 ही बोला है, आपने 22 नहीं बोला है।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): 24 बोला है तो मैंने तो ठीक ही बोला है। फिर कोई कर्ण में किसी के फर्क है तो मैं क्या करूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे सदन के माननीय रामनारायणजी गुर्जर, मैंने खुद माननीय मुख्य मंत्रीजी को पत्र लिखा। अंजू खंगवाल, बस्सी, अंजू धानकाजी …(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप चाहें तो जिन्होंने पत्र लिखे हैं, वे भी आप टेबल कर दें। हम रिकार्ड पर ले लेंगे, इसमें कोई बात नहीं है। (व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): मेरा निवेदन है कि मैं आपको सुना दूं।

श्री उपाध्यक्ष: अब आप अपने मूल विषय पर आ जाएं। वर्ना अगर यही चर्चा चलती रही तो बाकी का विधायी कार्य यूं का यूं रह जाएगा। (व्यवधान) इसको अब आप समापन पर लें आयें। आप कन्क्लूड कर दें।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): अंजू खंगवाल के लैटर पर, खंगवाल लिखा है, उपाध्यक्ष महोदय, 40 लोगों ने, नेता प्रतिपक्ष के अलावा 40 माननीय विधायकों ने माननीय मुख्य मंत्रीजी को पत्र लिखे हैं। मंत्रियों ने लिखे हैं, आपने लिखे हैं, मैंने लिखे हैं। मेरा निवेदन है कि इन सब जन भावनाओं को, विधायकों की भावना को, मंत्री परिषद् के वरिष्ठ सदस्यों की भावना को ध्यान में रखते हुए, इस अन्याय को जो 20.06.2001 के आर्डर से है, इसको कृपया समाप्त करें और जो आदेश आपने 06.10.2015 को दिया है, उसको भूतलक्षी प्रभाव से जारी करने की कृपा करें, यही मेरा निवेदन है। (व्यवधान)

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी मेरी एक बात इससे जोड़ना चाहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष: अब इतनी विस्तृत जानकारी प्राप्त होने के उपरान्त भी कोई चीज रह गई है क्या?

श्री हीरालाल (निवाई): आनरेबल डिप्टी स्पीकर साहब, दो मिनट लूंगा मैं। मेरा भी थोड़ा सा है, यह मैं भी।

श्री उपाध्यक्ष: क्या, आप कुछ पढ़ेंगे?

श्री हीरालाल (निवाई): हां।

श्री उपाध्यक्ष: पढ़ेंगे आप?

श्री हीरालाल (निवाई): दो मिनट लूंगा मैं।

श्री उपाध्यक्ष: नहीं, आपका कोई पाइण्टेड प्रश्न हो तो पूछ लीजिये। सीधा प्रश्न पूछ लीजिये और आप क्या जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। 'क्या यह सही है' यह जरूर लगाना, वर्ना मेरे लिये दुविधा हो जाती है।

श्री हीरालाल (निवाई): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि जिनको ए.सी.पी. दी गई थी।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): इन्होंने पढ़ा था, मैं कहना भूल गया। हीरालालजी, निवाई से भी 295 को इस मामले में ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: नहीं, आपका भी रिकार्ड पर आ गया। अब निर्मलजी, आप भी फर्मा दीजिये, फुलेरा से आने वाले सम्माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री हीरालाल (निवाई): मेरा निवेदन है कि जो ए.सी.पी. जिन लोगों को दी है, कर्मचारियों को, बेनिफिट तो इस आदेश से कुछ ही कर्मचारियों को होगा। मेरा अनुरोध है आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्रीजी से कि इस आदेश में संशोधन करावें, जो कुछ ही लोगों को फायदा होगा तो वह उससे नगण्य है। जिनसे रिकवरी वसूल की है, पांच वर्ष की जो ए.सी.पी. दी थी, उससे रिकवरी वसूल की है, वह रिकवरी रोकी जाये। मेरा निवेदन है, सर।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): उपाध्यक्ष महोदय, मेरी स्पेसिफिक मंत्रीजी से दो ही बातें हैं कि इस कानून की वजह से जो-जो लोग इसके दायरे में आते हैं ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: क्या इस कानून की वजह से जो-जो कर्मचारी इस दायरे में आ रहे हैं।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): नहीं, नहीं। मेरी बात सुनिये। जो इस दायरे में आते हैं उनको जान-बूझकर हम अपराध की ओर धकेल रहे हैं। दूसरी बात, इससे सरकार की एफिशिएंसी में भी फर्क पड़ रहा है। जिस व्यक्ति का प्रमोशन नहीं हो रहा है, उसके समकक्ष कर्मचारी/अधिकारी, जूनियर अगर उससे आगे बढ़ता है तो उसकी काम की एफिशिएंसी भी नहीं आती, अपने आपको वह गिल्टी भी फील करता है। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि मानवीय दृष्टिकोण से, पूरा विषय गम्भीरता से आ गया, आप इसको देखें, सरकार को बात पहुंचाएं।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, बहुत विस्तृत चर्चा हुई। यह कहा गया कि सारे देश में लागू नहीं हुआ, आप क्यों कर रहे हो। मैं सोचता हूं कि राजस्थान में स्वर्गीय भैरोंसिंह शेखावत पहले व्यक्ति हैं, जिन्होंने जन प्रतिनिधियों पर दो बच्चों की अनिवार्यता लागू करके, हिन्दुस्तान में जनसंख्या नियंत्रण पर पहला किसी ने प्रयास किया, उसकी सराहना सारे हिन्दुस्तान में हुई और कई राज्यों ने उसके आधार पर किया। अपने यहां भी जन-प्रतिनिधियों पर इस प्रकार का प्रतिबंध लगा करके जनसंख्या पर नियंत्रण करने का काम किया है।

मैं सोचता हूं कि अशोक गहलोतजी ने कर दिया, इसलिये मैं उलट दूंगा। यह धारणा आपकी गलत है। कोई प्रोग्रेसिव कदम अगर किसी ने उठाया है तो उसकी चर्चा हो सकती है, उसमें सुधार की गुंजाइश हो सकती है। पर

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

चूंकि अशोक गहलोतजी का नाम लेने से मैं रिएक्ट कर जाऊंगा और उसको रिजेक्ट कर दूंगा, उस भावना का आदमी मैं नहीं हूं। किसी व्यक्ति ने कोई अच्छा काम करने के लिये, हम जन प्रतिनिधियों पर जनसंख्या नियंत्रण करने के लिये अगर कोई रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, बीस साल से वह प्रोसेस राजस्थान में अगुवाई करके चला और उसके बाद कई राज्यों ने इसको फालो किया है।

यह ठीक है कि जितने पत्र हमने लिखे उन सबकी सूची आपको इकट्ठा करके देने वाले लोग भी यहीं मौजूद होंगे। केवल अपने केस को साउण्ड करने के लिये दबाव की राजनीति में मैं कभी उत्तर नहीं देता हूं। इस बारे में दिमाग बिलकुल स्पष्ट है। पर समस्या के समाधान के लिये प्रयत्न किया जा सकता है, चर्चा की जा सकती है, हल निकाला जा सकता है। इसमें हम बिलकुल अड़ गये हैं, ऐसा कुछ नहीं है।

मैं सोचता हूं कि यह विषय, जब से 14वीं विधान सभा लगी है, तब से ले करके लगभग 10-12 लोगों के क्वश्चन विभिन्न अलग-अलग नामों से भी आये हैं। उसके आधार पर ही मैं सोचता हूं कि इस विषय पर विचार हुआ है। आपने देखा होगा कि हमने जो परिवर्तन किया है, यह शायद इन सब बातों को ध्यान में रख करके किया है। आपने देखा होगा कि पुनर्विवाह वाला परिवर्तन अभी 2015 में किया कि पुनर्विवाह के बाद भी सैकिण्ड पत्नी से अगर कोई बच्चा होगा तो उसको उसी यूनिट में गिनेंगे, वह डिबार नहीं होगा। हमने यह सुधार भी, निशक्तजन का भी इसी के आने के बाद किया है। जिस ए.सी.पी. को आप कह रहे हो, 9-18-27 के बारे में इसको भी, पहले आजीवन था, हम कम करके पांच साल पर लाये हैं। इसका मतलब कहीं दिमाग तो काम कर रहा है कि कहां से और कैसे मदद की जा सकती है। लेकिन यहां यह कहकर 40 चिट्ठियां लिख लीं, इसलिये अभी का अभी निर्णय करो, मैं वह निर्णय करने वाला आदमी नहीं हूं।

यह मैं आपको बहुत साफ करता हूं कि मेरा हमेशा ही स्वभाव है, मैं दबाव में किसी बात को स्वीकार कर जाऊं, यह मेरे संस्कार में नहीं है। मैरिट के आधार पर करूंगा, सौ परसेंट करने का प्रयास करूंगा। मुझे कोई जन-प्रतिनिधि चिट्ठी लिखेगा तो मैं सम्बन्धित व्यक्ति को नहीं भेजूंगा? आपके पास भी कोई चिट्ठी आएगी तो क्या आप उसके ऊपर के अधिकारियों को नहीं लिखेंगे? उसके आधार पर 40 के बजाय 100 इकट्ठी कर लें और 100 इकट्ठी

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

करके कहो कि अभी का अभी यहां पर निर्णय करो, अभी आप जितने लोग बैठे हो, सब लोग इस बात पर अड़ जाओ कि नहीं हम तो आज ही निर्णय करवा कर उठाएंगे, तो मैं कभी नहीं करूंगा।

लेकिन, सरकार निरन्तर इस विषय पर बराबर सोच रही है और जहां-जहां जैसे-जैसे इसका हल निकाला जा सकता है, जितने फैसले हमने बदले हैं, यह सब हमने केबिनेट में ले जाने के बाद किये हैं और अभी आप नियम-25 के बारे में जो बता रहे हो दंडात्मक, यह भी अभी विचाराधीन है और जिस पांच साल को, अब तो समस्या केवल इतनी ही रह गयी उसको पांच साल के लिए एक तरह से उसके प्रमोशन में अभी तक रोक लगी हुई है।

इतने लगे हुए थे, नौकरी से लेकर अब तक, नौकरी से निकालने का था, अगर उसकी तीन संतान हो गयीं तो उसको नौकरी से बाहर निकाला जा सकता है। यह कानून में प्रावधान था लेकिन राजस्थान में इसका प्रयोग हुआ क्या कभी? कानून तो है लेकिन उस कानून का उपयोग नहीं किया। हम केवल और केवल इतना ही चाहते थे कि किसी प्रकार से राजस्थान में जनसंख्या का नियंत्रण हो।

अब आपने एक दूसरा उदाहरण पकड़ लिया कि इससे भ्रूण हत्या हो रही है। अब यह भ्रूण हत्या तो किसके कारण से हो गयी? इसको इसके साथ जोड़कर सहानुभूति अर्जित करने का प्रयास करेंगे तो ठीक नहीं होगा क्योंकि पहले राजस्थान की 2011 की जब जनगणना हुई तो राजस्थान में बच्चियों की संख्या-888 थी लेकिन लगातार सरकार के प्रयास से और मेडिकल डिपार्टमेंट के द्वारा सोनोग्राफी पर जिस ढंग से कसाई हुई और जिस ढंग से डाक्टर्स को हमने एक तरह से आन-लाइन लेने का प्रयास किया अगर, कहीं भी, किसी मशीन का यूज भी होगा तो उसका पता लगेगा कि कहां है, किस मशीन का यूज हुआ। उसके कारण से मैं आपकी जानकारी में ला रहा हूं कि हिन्दुस्तान की लिंगानुपात की 2011 की जो जनगणना है, वह 919 है और हमारी 888 थी लेकिन राजस्थान में बिना इन कानूनों को बदले बाद भी, अभी जो हमारे पास आया है, जितनी बच्चियों की डिलीवरी हुई है राजस्थान में, उससे राजस्थान की बच्चियों की संख्या 929 हुई है। 929 हुई है जो हिन्दुस्तान की 919, 2011 की है। आज क्या है, यह मुझे नहीं मालूम लेकिन मेरे पास जो फिगर उपलब्ध थे, वह थे, आज की तारीख में इसका यह है।

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

आप जो तर्क दे रहे हो कि इसके कारण से लिंगानुपात गिरता है तो आज पंजाब और हरियाणा में तो यह कानून नहीं है, अब वहां का लिंगानुपात निकालकर देखो आप, आल इंडिया लेवल पर कहां ठहर रहा है? इसके कारण से कोई लिंगानुपात नहीं है। हमारी मानसिकता यह है। आखिर चीन इस बात का प्रयास कर सकता है कि जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए उन्होंने एक बच्चे को अलाउ किया। आपने देखा कि दुनिया की जनसंख्या को कंट्रोल करने का सबसे बड़ा अगर कोई उदाहरण है तो चीन ने पेश किया कि नहीं किया? जर्मनी ने प्रयास किया इसके लिए कि जनसंख्या को हम रोकें।

केवल हम सहानुभूति के आधार पर भी आज हम एक समस्या का निदान निकालते हैं कि एक पाइप लाइन खींचते हैं तो दो साल बाद वह पाइप लाइन बेकार हो जाती है। आज जो काम करते हैं कल वह बेकार हो जाता है और इसके कारण से आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, अपन रहे न रहे लेकिन हिन्दुस्तान को इस बारे में सोचना पड़ेगा कि इस बढ़ती हुई जनसंख्या को किस तरह से रोकना होगा। अब इसके कारण से कोई धार्मिक भावना आ गयी और कुछ वह आ गयी, यह कानून किसी पर जाति के आधार पर तो लागू नहीं है।

राज्य कर्मचारी हिन्दू हो या मुसलमान हो, कानून तो यही लागू है। अगर, उसको जन-प्रतिनिधि बनना है तो कानून तो यही लागू है। ऐसा तो नहीं है कि उनको हमने छूट दे दी कि आप मर्जी आए, ठीक समझें, जो करते रहो। यह हमने सब पर कर दी।

फिर भी, मैं आपको और सदन को आश्वस्त कर रहा हूं कि जो विषय आपने उठाये हैं, उस विषय को सरकार के संज्ञान में हम पहले ही लाए हुए हैं। अभी चर्चा होगी, विषय आगे बढ़ेगा। जैसे- दो, तीन अमेंडमेंट हमने करके आदेश निकाल दिया, राहत देने के लिए। यह जो आपकी बात बताई है, इस पर फिर विचार करेंगे और विचार करने के बाद केबिनेट अगर निर्णय लेगी तो उसके आधार पर हम हल निकालेंगे लेकिन यह 40 चिट्ठियां इकट्ठी करके देने वालों ने जो पर्ची पहुंचायी उसके आधार पर गुलाबचन्द कटारिया घोषणा कर दे, यह कभी सीखा ही नहीं है। मैं पॉजिटिव सोच रखता हूं और उसके आधार पर जो राहत राज्य कर्मचारी को दी जा सकती है, वह देने का प्रयत्न निश्चित रूप से करेंगे लेकिन दबाव में नहीं।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ माननीय गृह मंत्रीजी को यह अर्ज कर रहा हूं कि मैंने कोई दबाव की भाषा का प्रयोग नहीं किया और मुझे मालूम है कि हमारा किस बात का दबाव? हम तो निर्दलीय हैं। यानी, निर्दलीय अलग चार-पाच लोग होंगे इसलिए न तो हमने, एक सैकण्ड, आप इस बात को गौर से सुनें, माननीय गृह मंत्रीजी, मेरे सारे निवेदन में कोई दबाव की बात नहीं है। सिर्फ आपके विचार के लिए मैंने कहा है कि पांच पदोन्नतियों को रोकना, जो आठ, नौ, दस साल में भी डी.पी.सी. नहीं मिलती, मैंने आपका ध्यान आकर्षित किया है और चूंकि, आपने संविधान की शपथ खाई है और हमने भी खाई है इसलिए प्रत्येक बात जो आपके विचार के लिए आती है, आप तो, अपन तो सब यह शपथ लेकर ही आए हैं कि उस पर निर्भीकता से और निष्पक्षता से विचार करेंगे, तो न तो मैंने दबाव की भाषा यूज की है और यह दबाव की भाषा, मेरे पर लांछन लगाकर आप उचित नहीं कर रहे हैं। नहीं, न तो मेरी भाषा में दबाव है। आर्ग्युमेंट तो, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कहना ही पड़ेगा। 12 राज्यों ने यदि नहीं किया तो कहना ही पड़ेगा कि 12 राज्यों ने नहीं किया और भारत सरकार जिसके 50 लाख कर्मचारी हैं, उनको भी चिंता होगी आखिर जनसंख्या नियंत्रण की? आज आई.ए.एस. आफिसर के तो तीन नहीं, चार लड़के हो जाएं और आर.ए.एस. के हो जाए तो, तो वह इस चंगुल में, हमारे नियमों के तहत ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: अब सम्माननीय सदस्य, अपन इस बात की, जहां ... (व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): मैं बात कह ही चुका हूं। मैं सिर्फ इसलिए खड़ा हुआ कि ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: जहां तक बात जानी थी, वहां तक चली गयी और मैं इसको करेक्ट और कर देता हूं, आप विराज जाएं। (व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): माननीय गृह मंत्रीजी, मेरी बात को दबाव न समझें। न मैंने दबाव की भाषा का उपयोग किया है, यह मैं स्पष्टीकरण करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: इस विषय में, इसको मैं करेक्ट और कर देता हूं कि इस सदन के समस्त सदस्यों को कुछ अधिकार प्राप्त हैं और सदन में जन-प्रतिनिधि के रूप में आए हैं इसलिए आपको अधिकार प्राप्त हैं और उन

(श्री उपाध्यक्ष)

अधिकार का प्रयोग करने के लिए दबाव भी बनाया जा सकता है तो दबाव भी बनाइए। यह मंत्री के विवेक पर निर्भर करता है कि वह उस पर किस प्रकार की प्रतिक्रिया करें। आप भी अपनी जगह सही थे और मंत्रीजी भी अपनी जगह सही हैं, धन्यवाद।

श्री ज्ञानचन्दजी पारख।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): गलत कौन था, माननीय उपाध्यक्ष महोदय? गलत भी कोई आदमी होगा? यह भी सही और यह भी सही, तो गलत कौन?

श्री उपाध्यक्ष: अब यह संसदीय भाषा सिवाय संसदीय कार्य मंत्री के अलावा अभी तक और कोई समझ ही नहीं पाया है।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा पाइंट आफ इन्फार्मेशन है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: पाइंट आफ इन्फार्मेशन है आपका?

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): जी।

श्री उपाध्यक्ष: आप विराज जाएं। एक बार यह ध्यानाकर्षण का हो जाए फिर I will give you a chance.

रोहट (पाली) में पेयजल समस्या का समाधान

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं पाली विधान सभा क्षेत्र की रोहट तहसील के कई गांवों में वर्षों से पेयजल की समस्या की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष: मंत्री महोदय। डा. रामप्रताप।

डा. रामप्रताप (जल संसाधन मंत्री): हो गया ध्यान। ध्यान हो गया आकर्षण।

श्री उपाध्यक्ष: You don’t want to react? मंत्री महोदय, उन्होंने ध्यान आकर्षित आपका किया है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसको थोड़ा एडजोर्न फरमाएं, अभी उत्तर लेकर दे देते हैं। अभी उत्तर मंगवाकर दे देते हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: संसदीय कार्य मंत्री महोदय, क्योंकि, एक मिनट आप विराज जाएं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): मैं निवेदन कर रहा हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नहीं, मैं जवाब दे रहा हूं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: नहीं, मैं सदन को अवगत करवा दूं। एक बार आप विराज जाएं। एक बार विराज जाएं। मैं सदन को इस बात के लिए अवगत करवाना चाहता हूं कि पेयजल मंत्री महोदय क्योंकि, उन्होंने अनुपस्थित रहने की जानकारी और स्वीकृति अध्यक्ष महोदय से ले ली थी, इसलिए इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का संसदीय कार्य मंत्री, आप इस पर जवाब दें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पाली विधान सभा क्षेत्र की रोहट तहसील के कुल 79 गांवों की पेयजल आपूर्ति भू-जल अत्यन्त खारा होने के कारण पूर्णतः जवाई-हेमावास बांध पर निर्भर है। भू-जल अत्यन्त खारा होने के कारण पशुधन व अन्य सभी आवश्यकता पूर्ण करने के लिए विभागीय योजना में एक मात्र स्रोत जवाई बांध है। वर्तमान में क्षेत्र की पेयजल आपूर्ति सिस्टम में मुख्यतः निम्नलिखित घटक हैं-

नम्बर एक- जवाई बांध से मंडली तक लगभग 85 किलोमीटर, एम.एस. जी.आर.पी. रॉ-वाटर पाइप लाइन।

नम्बर दो- मंडली तालाब से दोनों दिशाओं में क्रमशः जैतपुरा व रोहट-कानावास फिल्टर प्लांट हेतु मुख्य रॉ-वाटर राइजनिंग मेन पाइप लाइन, प्रत्येक दिशा में लगभग 35 किलोमीटर।

जैतपुरा-रोहट व कानावास फिल्टर प्लांटों से विभिन्न 13 उच्च जलाशय हेतु ए.सी. राइजनिंग पाइप पम्प लाइन, पाइप लाइन दिशा-औसतन 15 से 20 किलोमीटर।

उच्च जलाशयों से, विभिन्न भू-जल जलाशयों व सार्वजनिक टांकों हेतु ए.सी. वितरण पाइप लाइन पाली जिले के रोहट तहसील के गांवों को जवाई-हेमावास नहर के माध्यम से भी लाभान्वित करने हेतु 1980-85 के मध्य जल प्रदाय योजना रोहट, पाली दीवान क्रियान्वित की गयी थी, जिसमें स्रोत जवाई व हेमावास से जोधपुर तक जाने वाली नहर के माध्यम से लिया गया था। योजना में तत्समय के मापदंडों के अनुसार रोहट से जैतपुरा तक 300 मिलीमीटर व्यास की ए.सी. पाइप लाइन लगवायी गयी थी इसके अतिरिक्त पूरी वितरण प्रणाली भी ए.सी. पाइप लाइन, उनको काम में लेकर करवायी गयी थी।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

वर्ष 2007-08 में पाली जिले की रोहट तहसील में खारे पानी से प्रभावित क्षेत्रों में मीठा पानी उपलब्ध कराने हेतु दो योजनाएं आग्मेंटेशन जल प्रदाय योजना पंचायत समिति रोहट जैतपुरा सैक्शन की स्वीकृत की गयी थी। योजना के कार्य को सुचारु रूप से क्रियान्वित करने हेतु रोहट सैक्शन योजना में चार पैकेज 28 गांव और 36 ढाणियों में तथा जैतपुरा सैक्शन में पांच पैकेज 36 गांव और 45 ढाणियों में विभाजित किया था, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है। आग्मेंटेशन जलप्रदाय योजना पंचायत समिति रोहट सैक्शन पीपीसी 175, 3.4.2007, 806 लाख 49 हजार की। आग्मेंटेशन जलप्रदाय योजना सैक्शन रोहट जैतपुरा सैक्शन पीपीसी 175, 3.4.2007, 887 लाख रुपये, रोहट और जैतपुर सैक्शन योजनाओं की विभिन्न फेजों में स्वीकृति हेतु कुछ जलाशय, 85 नग भूजल जलाशयों का निर्माण कराया गया था, जिसका विवरण क्रमशः अनुलग्नक अ, ब, स पर है।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा जो अब तक माननीय सदस्य ने कहा है, वह निश्चित तौर पर, मैंने मोटे तौर पर स्टेटमेंट पढ़ा है। आपका कोई सवाल है तो जवाब दे देंगे।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक तो माननीय मंत्री महोदय बता दें कि वाकई में समस्या है कि नहीं? और अगर है तो सरकार क्या करने वाली है, यह भी बता दें। क्योंकि पाइप लाइनें बहुत पुरानी हो गयीं। इतनी ज्यादा क्षतिग्रस्त हो गयी कि आधा पानी व्यर्थ चला जाता है और हर बार गर्मी के मौसम में तो टैंकरों के माध्यम से उन गांवों तक पेयजल भिजवाया जाता है, पर बाद के 9 महीनों में हालत यह होती है कि वहां चाहें तो भी कोई साधन नहीं है कि पानी पहुंचा सकें। वहां के विभाग ने एक योजना बनाकर यहां भिजवाई है। अगर उस योजना की स्वीकृति सरकार से मिल जाती है तो इस समस्या का समाधान हो सकता है। हमारे यहां पानी का प्रोडक्शन तो है ही जवाई बांध के माध्यम से जैतपुर तक। तो जैतपुर से आगे का जो सिस्टम है, वह इतना ज्यादा जर्जर हो गया कि उसके माध्यम से पानी पहुंचना मुश्किल है। अधिकारी बहुत मेहनत करते हैं, बहुत प्रयास करते हैं, उसके बाद में भी जनता के कोपभाजन का शिकार अधिकारियों को होना पड़ता है, जबकि सिस्टम में कमी है।

इसलिए माननीय मंत्री महोदय इतना बता दें कि जो सिस्टम में कमी

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

है, उस कमी को आप दूर कर दोगे कि नहीं? यह चाहता हूं, और कुछ नहीं चाहता मैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि जिन चीजों का उल्लेख माननीय सदस्य ने किया, समस्या है और यह समस्या, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बहुत पुरानी है और इस समस्या के कुछ मेन कारण हैं, वह यह है कि वहां ए.सी. पाइप लगे हुए हैं, जो सीमेंट के पाइप हैं। इसके साथ-साथ उपाध्यक्ष महोदय, इन पर जो ज्वांइट हैं, वह ज्वांइट गल जाते हैं और ज्वांइट के साथ-साथ आस-पास पानी जब लीकेज होता है तो उसमें कुछ वेजीटेबल्स जो उगते हैं, उनकी जड़े भी अन्दर चली जाती हैं, जिसके कारण यह अवरूद्ध हो जाता है।

राज्य सरकार निश्चित तौर पर इसका पूरा अध्ययन करके, मैं उपाध्यक्ष महोदय, आज ही एडिशनल चीफ इंजीनियर को निर्देश दूंगा कि वह माननीय सदस्य के साथ विचार-विमर्श करेंगे, वहां पर जाएंगे और जाकर जहां-जहां यह पाइप लाइन क्षतिग्रस्त है, उसको बदलने के लिये कंटींजेंसी प्रोग्राम बनायेंगे। हम न केवल कंटींजेंसी प्रोग्राम बनाकर ग्रीष्म ऋतु से पूर्व ही इस सारी समस्या का समाधान करेंगे, बल्कि दीर्घकालीन योजना के बारे में भी माननीय सदस्य, विचार करके आवश्यक प्रस्ताव बनाकर इस समस्या का समाधान करने के लिये सरकार कटिबद्ध है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमें मालूम है कि जवाई बांध से टैंकरों के माध्यम से पानी पहुंचाया जाता है बहुत से गांवों में, उनकी संख्या भी लगभग 46 हैं। इन सारे गांवों के अन्दर जिस प्रकार पहले जो सिस्टम है, उस सिस्टम को किस प्रकार ठीक किया जा सकता है। वहां पर एक अभियान चलाकर जितने भी लीकेज हैं, उनको ग्रीष्म ऋतु आने से पहले-पहले इस एक महीने के अन्दर ठीक करेंगे और ए.सी. पाइप फेजेज में बदले जाएंगे, क्योंकि बहुत लम्बे हैं, इनको अलग-अलग फेजेज में बदलने का काम करेंगे।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने जवाब दिया है कि जो लीकेज है, वह ठीक कर देंगे। पूरी लाइन ही लीकेज है। पूरी लाइन लीकेज हो गयी। अधिकारियों को कोपभाजन का शिकार होना पड़ता है। वह बहुत दिन-रात मेहनत करते हैं, पर पानी छोड़ते हैं तो पूरा का पूरा पानी खेतों में या सड़कों पर फैल जाता है। जब तक यह

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

लाइन चेंज नहीं होगी, लाइन की क्षमता नहीं बढ़ेगी और चेंज व क्षमता बढ़ाने की स्वीकृति राज्य सरकार देगी तो माननीय मंत्री महोदय, जब पता है कि समस्या है, अधिकारी देखकर गये हैं और योजना बनकर जयपुर तक आ गयी है, तो इस समस्या का समाधान हो जाए, इसके लिये थोड़ा आप भी सरकार से निवेदन करना, यह मैं कहना चाहता हूं। धन्यवाद।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो कहा, वह निश्चित तौर पर यह लम्बी लाइन है। एक लाइन है जवाई बांध से पाली मंडल तक 85 किलोमीटर की, एक लाइन है उपाध्यक्ष महोदय, जैतपुरा रोहट कानावास, जो फिल्टर प्लांट है, उससे जो राइजिंग लाइन है, वह 35 किलोमीटर की है और यह 13 उच्च जलाशयों से जुड़ी हुई लाइन है। हम इसको शनैः-शनैः पूरा अध्ययन कराकर अलग-अलग चरणों में तब्दील करने की कोशिश करेंगे और अभियान चलाकर लीकेज को ठीक करने की कोशिश करेंगे।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने अभी वापस कहा है कि लीकेज एक-दो जगह नहीं, पूरी लाइन लीकेज है। पूरी की पूरी लाइन है तो अब वह रिपेयर होने लायक नहीं बची, पूरी क्षतिग्रस्त हो गयी, क्षमता कम है। 85 किलोमीटर की जो बात माननीय मंत्री महोदय कर रहे हैं, वह लाइन बिल्कुल ठीक है। मैं जैतपुर से लेकर पुख्तारी तक की लाइन की बात कर रहा हूं, वह बहुत बड़ी लाइन नहीं है। जैतपुर से 56 गांवों में जो पेयजल सप्लाई होता है, मैं उस लाइन की बात कर रहा हूं माननीय मंत्री महोदय, और वह बहुत बड़ी जरूरत हो गयी आज की, वर्ना टैंकरों पर हम हर वर्ष करोड़ों रुपये खर्च कर रहे हैं, उसके बावजूद भी जितना पानी पहुंचाना होता है, उतना पहुंच नहीं पाता। आज जैतपुर से आगे, मैं सरकार को धन्यवाद दूंगा कि हमारी सरकार के आने के बाद में साढ़े 14 करोड़ की एक पाली से जैतपुर तक जो लाइन थी, जिससे जैतपुर का फिल्टर प्लांट चालू हो जाए, उसके लिये साढ़े 14 करोड़ मंजूर कर दिये। उसका काम चालू हो गया। 29 किलोमीटर में से 18 किलोमीटर लाइन बिछ गयी और अगले महीने तक पूरी बिछ जाएगी। जैतपुर में प्रोडक्शन पूरा हो जाएगा पर जैतपुर में प्रोडक्शन गांव तक पहुंचाने के लिये जो आगे की लाइनें क्षतिग्रस्त हैं, आपने मंडली से जैतपुर तक स्वीकृत कर दी, पर आगे जो लाइनें क्षतिग्रस्त हैं, उसकी स्वीकृति की बात कर रहा हूं मैं। वह माननीय मंत्री महोदय, बता दें बस।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, डी.आई. पाइप लाइन या एम एस पाइप्स, इसका एकमात्र यही उपाय है। इसको बदलने की कार्यवाही पहले ही सरकार ने प्रारम्भ कर दी। साढ़े 14 करोड़ रुपये, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज तक मैं समझता हूं इतनी बड़ी राशि शायद पहली बार स्वीकृत हुई होगी और 29 किलोमीटर में से 18 किलोमीटर लाइन बदल दी है, शेष जो जैतपुरा से लाइन है, निश्चित तौर पर माननीय सदस्य की चिंता बिलकुल ठीक है, मैं आपको आश्वस्त करना चाह रहा हूं और मैं कहना चाह रहा हूं कि एडिशनल चीफ इंजीनियर को भेजकर जहां-जहां प्राथमिकता के आधार पर जहां पुरानी पाइप लाइन है, ए.सी. पाइप लाइन है, पूरी पाइप लाइन ही लीकेज है, उसको अलग-अलग चरणों में निश्चित तौर पर बदलेंगे। पहले भी राज्य सरकार ने आपके यहां स्वीकृति जारी की है। आगे भी राज्य सरकार स्वीकृति जारी करेगी।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): बहुत-बहुत धन्यवाद, माननीय मंत्री महोदय।

श्री उपाध्यक्ष: पाइंट आफ इन्फोर्मेशन। आप पाइंट और इन्फोर्मेशन दे दें।

सूचना

आनन्दपाल फरारी प्रकरण की प्रतीक्षित रिपोर्ट

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): आधा मिनट, उपाध्यक्ष महोदय। सदन चल रहा है और हम कोई व्यवधान पैदा नहीं करना चाहते। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यहां गृह मंत्रीजी ने 22 तारीख को फरमाया था कि 31 तारीख को आनन्दपाल फरारी प्रकरण की जो 6 महीने से ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आपका पाइंट आफ इन्फोर्मेशन क्या है?

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): यही है।

श्री उपाध्यक्ष: Point of information is any occurrence that has taken place in the last 24 hours. 24 घंटे के भीतर-भीतर, 24 घंटे के अन्दर अगर कोई ऐसी विशेष आपके पास जानकारी है जो आप देना चाहते हैं, या कोई ऐसा अकेरेंस है, तो आसन अलाउ करेगा।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): वही है। 24 घंटे हो गये साहब 31 तारीख को निकले हुए। आज एक तारीख हो गयी। आप फरमा दें कि क्यों नहीं आयी रिपोर्ट।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जो बात कही, बहुत सोच-समझकर कही है। 31 तारीख दी, 31 तारीख को सायंकाल सवा 7 बजे हमारे पास रिपोर्ट आ गयी है। हम उसका अध्ययन कर रहे हैं और अध्ययन करने के बाद क्या नियमों के तहत हमें हाउस में उसको ले करनी पड़ेगी या हमारे लेवल पर, क्योंकि यह प्रशासनिक रिपोर्ट है, किसी जज की रिपोर्ट नहीं है। और बाकी लोगों की रिपोर्ट 6 महीने के बजाय, 6 साल बाद आती है। हमारी रिपोर्ट देर जरूर हुई है, लेकिन 6 महीने में जैसा मैंने 31 तारीख कहा, 31 तारीख शाम को हमें रिपोर्ट प्राप्त हो गयी। हम अध्ययन करने के बाद ही कुछ जवाब आपको देने की स्थिति में होंगे।

श्री उपाध्यक्ष: सदन पटल पर रखे जाने वाले पत्रादि। अधिसूचनाएं।

वित्त विभाग।

श्री राजपाल सिंह शेखावत।

एक मिनट विराज जाएं। पाइंट आफ इन्फोर्मेशन है। यह अधिसूचना रख दें, उसके बाद मैं आपको समय दे दूंगा।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): ठीक है।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

अधिसूचना

वित्त विभाग

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार वित्त विभाग की निम्न 20 अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं:-

1. अधिसूचना संख्या: एफ.12(11)वित्त/कर/2016-251 दिनांक 30.3.2016 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की अनुसूची-I में संशोधन किया गया है;
2. अधिसूचना संख्या: एफ.12(11)वित्त/कर/2016-252 दिनांक 30.3.2016 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की अनुसूची-II में संशोधन किया गया है;
3. अधिसूचना संख्या: एफ.12(11)वित्त/कर/2016-253 दिनांक 30.3.2016 जिसके द्वारा देशी मदिरा विक्रय हेतु अनुज्ञाधारी व्यवहारियों को कर के संदाय से सशर्त छूट प्रदान की गई है;

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

4. अधिसूचना संख्या: एफ.12(11)वित्त/कर/2016-254 दिनांक 30.3.2016 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की अनुसूची-IV में संशोधन किया गया है;

5. अधिसूचना संख्या: एफ.12(11)वित्त/कर/2016-255 दिनांक 30.3.2016 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की अनुसूची-V में संशोधन किया गया है;

6. अधिसूचना संख्या: एफ.12(11)वित्त/कर/2016-256 दिनांक 30.3.2016 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की अनुसूची-VI में संशोधन किया गया है;

7. अधिसूचना संख्या: एफ.12(11)वित्त/कर/2016-257 दिनांक 30.3.2016 जिसके द्वारा जैम्स और स्टोन के लिये प्रशमन स्कीम, 2006 के अन्तर्गत व्यवहारियों को संदेय कर में सशर्त छूट प्रदान की गई है;

8. अधिसूचना संख्या: एफ.12(11)वित्त/कर/2016-258 दिनांक 30.3.2016 जिसके द्वारा सर्राफा व्यवहारियों के लिये प्रशमन स्कीम, 2006 के अन्तर्गत व्यवहारियों को संदेय कर में सशर्त छूट प्रदान की गई है;

9. अधिसूचना संख्या: एफ.12(11)वित्त/कर/2016-259 दिनांक 30.3.2016 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(16)वित्त/कर/2009-116 दिनांक 21.1.2016 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;

10. अधिसूचना संख्या: एफ.12(11)वित्त/कर/2016-260 दिनांक 30.3.2016 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(23)वित्त/कर/2015-211 दिनांक 9.3.2015 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;

11. अधिसूचना संख्या: एफ.12(11)वित्त/कर/2016-261 दिनांक 30.3.2016 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(23)वित्त/कर/2015-212 दिनांक 9.3.2015 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;

12. अधिसूचना संख्या: एफ.12(11)वित्त/कर/2016-262 दिनांक 30.3.2016 जिसके द्वारा राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1999 की धारा-9 के अन्तर्गत यार्न पर प्रवेश कर से सशर्त छूट प्रदान की गई है;

13. अधिसूचना संख्या: एफ.12(11)वित्त/कर/2016-263 दिनांक 30.3.2016 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(28)वित्त/कर/2010-पार्ट-III-192 दिनांक 24.2.2015 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

14. अधिसूचना संख्या: एफ.12(11)वित्त/कर/2016-264 दिनांक 30.3.2016 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(11)वित्त/कर/2016-210 दिनांक 8.3.2016 में संशोधन किया गया है;
15. अधिसूचना संख्या: एफ.12(11)वित्त/कर/2016-265 दिनांक 30.3.2016 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(23)वित्त/कर/2015-215 दिनांक 9.3.2015 में संशोधन किया गया है;
16. अधिसूचना संख्या: एफ.12(11)वित्त/कर/2016-266 दिनांक 30.3.2016 जिसके द्वारा राजस्थान (होटलों और बासों में) विलासों पर कर अधिनियम, 1990 की धारा-4-क के अन्तर्गत मैरिज हाल के लिये नई प्रशमन योजना, 2016 लागू की गई है;
17. अधिसूचना संख्या: एफ.12(11)वित्त/कर/2016-267 दिनांक 30.3.2016 जिसके द्वारा राजस्थान (होटलों और बासों में) विलासों पर कर अधिनियम, 1990 की धारा-7(1) के अन्तर्गत मैरिज हाल के प्रोपराईटर द्वारा दिनांक 1.4.2015 से 31.3.2016 अवधि में देय विलासिता कर में सशर्त छूट प्रदान की गई है;
18. अधिसूचना संख्या: एफ.12(11)वित्त/कर/2016-268 दिनांक 30.3.2016 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(28)वित्त/कर/2010-पार्ट-I-118 दिनांक 8.10.2014 को अतिष्ठित करते हुए उपभोक्ताओं के वर्ग को संदेय विद्युत शुल्क के संदाय से दिनांक 8.10.2014 से छूट प्रदान की गई है;
19. अधिसूचना संख्या: एफ.4(6)वित्त/कर/2016-269 दिनांक 30.3.2016 जिसके द्वारा राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की धारा-9(1) के अन्तर्गत उक्त अधिनियम की अनुसूची के अनुच्छेद 48 के खण्ड (क) में आने वाले पैतृक सम्पत्ति के हकत्याग के दस्तावेजों पर देय स्टाम्प ड्यूटी में सशर्त छूट प्रदान की गई है; एवं
20. अधिसूचना संख्या: एफ.4(6)वित्त/कर/2016-270 दिनांक 30.3.2016 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.2(6)वित्त/कर/2014-113 दिनांक 12.1.2016 में संशोधन किया गया है।

श्री उपाध्यक्ष: सम्मानित सदस्य। पांइट आफ इन्फोर्मेशन, श्री मेवाराम जैन।

सूचना

सरपंच व राशन डीलरों का अपनी मांगों को लेकर दिया जा रहा धरना

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): उपाध्यक्ष महोदय, आज पूरे राजस्थान के सरपंच और राशन डीलर विक्रेता धरने पर हैं और जयपुर का घेराव कर रहे हैं। सरकार ने जो इनसे वादा किया था, उन वादों को पूरा करें। यही मैं आपके मार्फत कहना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: याचिकाओं का उपस्थापन, श्री झाबर सिंह खर्रा। Just a moment. याचिकाओं का उपस्थापन।

याचिका

श्री झाबर सिंह खर्रा (श्रीमाधोपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्यसूची में किये गये उल्लेख के अनुसार निम्न दो याचिकाओं का उपस्थापन करता हूं:-

श्रीमाधोपुर में राजकीय महाविद्यालय खोला जाना

1. श्रीमाधोपुर (सीकर) में राजकीय महाविद्यालय खोलने बाबत्।

राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, श्रीमाधोपुर में जीव विज्ञान विषय खोलना व अध्यापकों के रिक्त पदों की पूर्ति

2. राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, श्रीमाधोपुर, जिला सीकर में जीव विज्ञान विषय खोलने एवं अध्यापकों के रिक्त पदों को भरने बाबत्।

श्री उपाध्यक्ष: श्री हनुमान बेनीवाल।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार निम्न दो याचिकाओं का उपस्थापन करता हूं:-

पांचला (खींवसर) स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में मापदंडानुसार वित्तीय स्वीकृति, स्टाफ व संसाधनों की उपलब्धता

1. विधान सभा क्षेत्र खींवसर में पांचला सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में सीएचसी के अनुसार वित्तीय स्वीकृति, स्टाफ व संसाधन उपलब्ध करवाने बाबत्।

(श्री हनुमान बेनीवाल)

बिरलोका ग्राम (खींवसर) में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का भवन निर्माण

2. विधान सभा क्षेत्र खींवसर के ग्राम बिरलोका में राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हेतु आबंटित जमीन पर भवन निर्माण शीघ्र प्रारम्भ करवाने बाबत्।

श्री उपाध्यक्ष: श्री हबीबुर्रहमान अशरफी।

कुमारी ग्राम (नागौर) में राजकीय पशु चिकित्सालय खोला जाना

श्री हबीबुर्रहमान अशरफी लाम्बा (नागौर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार विधान सभा क्षेत्र नागौर के ग्राम कुमारी में राजकीय पशु चिकित्सालय खोलने बाबत् एक याचिका उपस्थापित करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: श्रीमती राजकुमारी दीयाकुमारी।

मलारना चौड़ (सवाईमाधोपुर) को उप तहसील बनाये जाने की स्वीकृति

राजकुमारी दियाकुमारी (सवाईमाधोपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार विधान सभा क्षेत्र सवाईमाधोपुर के मलारना चौड़ को उप तहसील बनाये जाने की स्वीकृति बाबत एक याचिका का उपस्थापन करती हूं।

(14.00 बजे)

अनुरोध

विदेश में जिंदगी से जूझ रही जोधपुर की महिला की स्वदेश वापसी की व्यवस्था

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जोधपुर की हमारी बेटी आज जिंदगी और मौत से विदेश के अन्दर जूझ रही है। उसको हिन्दुस्तान लाने के लिए 44 लाख रुपये का खर्चा है। एक प्रतिभाशाली बेटी अगर विदेश के अन्दर दम तोड़ देती है और हम उसको एयर एम्बुलेंस में देश में नहीं ला पाते हैं तो हमारा दुर्भाग्य होगा। मैं इन्फोर्मेशन के माध्यम से सरकार को कहना चाहता हूं कि उस बेटी को देश में लाने की व्यवस्था करें।

श्री उपाध्यक्ष: विधायी कार्य। विचारार्थ लिये जाने वाले विधेयक। श्री सुरेन्द्र गोयल।

विधायी कार्य: विधेयक पर विचार

राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2016

श्री सुरेन्द्र गोयल (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2016 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: श्री जोगाराम पटेल।

मैं एक मिनट सब सदस्यों को निवेदन करना चाहता हूं, वैसे आपका राइट है कि जिन्होंने अमेंडमेंट्स मूव करे हैं, You can take your time but the time is limited till 5 O' clock. पांच बजे बाद जो हम लोग समय बढ़ाते हैं वो बिल्स की और विधायी कार्य की सीरियसनैस को देखकर बढ़ाते हैं इसलिए अगर एक-एक सदस्य एक-एक घंटा ले लेंगे, वर्ना मुझे कुछ सैक्शंस इसमें रूल्स में हैं वो लागू कर देने पड़ेंगे। इसलिए चाहे पहला व्यक्ति हो चाहे अंतिम व्यक्ति हो, अपना समय स्वयं बता दे, आप दस मिनट बोलेंगे या पन्द्रह मिनट बोलेंगे, और मैं सदन पर छोड़ता हूं कि फिर अपने विवेक के आधार पर आप कितना समय बढ़ाना चाहेंगे, कर लें। वर्ना मंत्री महोदय रात को बारह-बारह बजे जवाब दे रहे हैं, उस बिल की सार्थकता, उस बिल पर दिया हुआ जवाब किसी प्रकार से सामान्य जनता तक नहीं पहुंच पाता।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कुल मिलाकर के जो जनमत जानने के लिए प्रस्ताव माननीय सदस्यों ने 23 तो दिये हैं पंचायती राज में, विश्वविद्यालय में दिये हैं 16, भीमराव अम्बेडकर में दिये हैं और सात ही दिये हैं नाम परिवर्तन में, इनकी सब की संख्या मिलाकर 60 के लगभग हो जाती है। तो मेरा आपसे इतना ही अनुरोध है कि कल भी आसन ने बड़ी कृपा की थी, आप तो उदारमना भी हैं, दस-दस मिनट का समय अगर बख्श दें तो दस-दस मिनट में सारी बात ये कह देंगे। जनमत जानने के लिए जो उनका प्रस्ताव है उसमें दस-दस मिनट कर दें और बाकी जो क्लाजवाइज हैं उसके अन्दर तो उनके अलावा कुछ बोल नहीं पायेंगे। आप इतनी कृपा कर दें, इतना समय दे दें क्योंकि पांच बजे तक पूरा होगा नहीं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट, व्यवस्था का प्रश्न है। संसदीय कार्य मंत्रीजी ने जो बात कही है, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं। मंत्रीजी, जब तीन-तीन, चार-चार बिल एक-एक दिन में लाओगे तो इसका मतलब बिलों पर चर्चा कराना ही नहीं चाहती है सरकार। चार-चार बिलों पर चर्चा, खड़े हो गये, इतने लगाये... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: प्रतिपक्ष के सचेतक महोदय, विराज जाएं।

वैसे ये बात, पहले भी यह परम्परा रही है कि जब बिल आता है तो उसका स्कोप बहुत व्यापक होता है लेकिन कई बार व्यापक स्कोप की आवश्यकता नहीं होती। हम अपने विवेकाधिकार का इस्तेमाल तो करें। अधिकारों का इस्तेमाल करते हैं लेकिन विवेकाधिकार का भी इस्तेमाल कर लें। आपको लिमिटेड स्कोप के अन्दर बात करनी है और किसी सदस्य ने जिस बात का ध्यान आकर्षित कर लिया है सदन में, उसको आप बार-बार रिपीट क्यों करते हैं? और अगर आप लोग करेंगे तो मैं ये बिल तो दो घंटे के अन्दर पास करवा दूंगा क्योंकि जैसे ही वो रिपीट करेगा, मैं विलोपित कर दूंगा और उसको बैठा दूंगा, नियम है यहां इसलिए अधिकारों का प्रयोग करने के पहले इस हरी किताब के कुछ पन्ने उलटना भी सीखें और पढ़ना भी सीखें।

और, संसदीय कार्य मंत्री महोदय, मैं आपसे निवेदन करता हूं मैं खण्डशः बिल लूंगा, एक-एक बिल को एक-एक समय लूंगा, दो-दो तीन-तीन बिल को एक जगह नहीं डालूंगा। कल अगर उदारता से सभापति ने कुछ बात कर ली तो वो अपने आप में प्रीसिडेंट नहीं होंगे, I'll take Bill according to the rule and you have to adhere to the rule. और मैं अब आपसे विनम्र निवेदन करूंगा, जब आसन चैम्बर में जाए तो स्पीकर के चैम्बर में आप पधारें।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): उपाध्यक्ष महोदय, आज इतने गुस्से में, कोई..., वैसे ही अब आज और सोमवार दो दिन बचे हैं और आप गुस्सा करोगे तो हम तो जो तैयारी कर के आये हैं भूल जायेंगे।

श्री उपाध्यक्ष: श्री जोगाराम जी पटेल।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आज तो हम तो डर ही गये।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): और हमारा छोटा सा विपक्ष है, साहब, थोड़ा तो छोटे से विपक्ष का ध्यान रखो आप।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): मेरा निवेदन यह था, अगर आप परमिट

(श्री जोगाराम पटेल)

करें थर्ड रीडिंग वाला साथ ही बता दें तो टाइम बच जायेगा। थर्ड रीडिंग में जो बोलने हैं वो साथ ही बता दें तो टाइम बच जायेगा। अगर आप परमिट करें तो, नहीं तो खण्डवार ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: एक बार अमेंडमेंट्स की लिस्ट आ जाए उसके बाद। लिस्ट आ गयी, इसको देखें कितना समय लगता है।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): इसमें पंचायती राज में अमेंडमेंट में कोई है ही नहीं, सिर्फ एक मामूली सा अमेंडमेंट है इसलिए वो टाइम सेविंग हो जायेगी, मैं तो इसीलिए रिक्वेस्ट कर रहा था, It is up to the Hon' able Chair.

आभार, माननीय उपाध्यक्ष महोदय। राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2016 पर मैंने अपना अमेंडमेंट दिया है और साथ-साथ यह निवेदन भी किया है कि यह अमेंडमेंट वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार किस तरह से जरूरी है। राजस्थान सरकार ने इस अमेंडमेंट के माध्यम से धारा 89 और 90 में जो प्रस्तावित संशोधन किये हैं उसके अनुसार धारा 89 के सब क्लाज (2) में ग्राम सेवक और सब क्लाज (iv) में मिनिस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट, जो आफिसर्स हैं जिनकी ग्रेड 3600 और उससे कम है, उसका पहले से जो अमेंडमेंट हुआ है उसके अनुसार प्राइमरी एजुकेशन के टीचर्स के साथ ही साथ जो कर्मचारियों के चयन आयोग का बोर्ड बनाया उसके मार्फत करना चाहते हैं।

मैंने एक और अमेंडमेंट दिया है कि यह जो सब क्लाज (2) में फर्स्ट लेवल के विलेज लेवल वर्कर्स हैं, अगर इनको भी साथ ही ले लिया जावे तो यह सारा का सारा प्रबोधक के सिवाय, ये प्रबोधक और सीनियर प्रबोधक का जो एपाइंटमेंट होगा वो एक बच जायेगा बाकी पूरा का पूरा उसके साथ हो जायेगा। पर मैं यह भी निवेदन करूंगा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस पंचायती राज में अमेंडमेंट की लम्बी प्रक्रिया रही है और विशेषकर धारा-19 और धारा 89, 2015 में अमेंडमेंट किया गया, 2015 में दो-तीन अमेंडमेंट और किये गये, चाहे वो एजुकेशन धारा 19 में जो कैंडिडेट बनते हैं उनका क्वालिफिकेशन से सम्बन्धित हो, पहले किया कि उसके घर में टायलेट जरूरी है, उसकी प्री-क्वालिफिकेशन है, फिर किया कि उसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है और 2013 में ये प्राइमरी टीचर्स के एपाइंटमेंट का भी किया गया।

तो यह जो सारे अमेंडमेंट्स हुए हैं, मेरा मंत्री महोदय से पहला निवेदन यह है कि हम टुकड़ों-टुकड़ों में अमेंडमेंट की प्रक्रिया या जो प्रथा है, इसको बंद

(श्री जोगाराम पटेल)

करें और एक ही साथ अमेंडमेंट कर दें, 2013 से 2015 के मध्य हमने पंचायती राज में करीब सात अमेंडमेंट कर दिये सिर्फ धारा 19 और धारा 89 में

(14.08 बजे)

(श्री श्रीचन्द कृपलानी, सभापति, पदासीन)

इसीलिए इस अमेंडमेंट के लिहाज से जो आपने किया है, जो प्रस्तावित अमेंडमेंट है उस प्रस्तावित अमेंडमेंट में दो विषय मुख्य रूप से देखने योग्य हैं माननीय सभापति महोदय, अध्यापकों की तरह, जो प्राइमरी के अध्यापक हैं, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों का जिस तरह से आप राजस्थान चयन बोर्ड के मार्फत से करना चाहते हैं और जो आपने चयन बोर्ड बना भी दिया है, जिसका एक तय भी कर दिया है कि इतनी ग्रेड से कम के जो हमारे कर्मचारी हैं उनकी जो नियुक्ति है वो एक प्रक्रिया आपने, राज्य सरकार ने 3600 और उससे कम ग्रेड के कर्मचारियों का चयन राजस्थान अधीनस्थ और लिपिकवर्गीय सेवा चयन बोर्ड के मार्फत कराने का प्रयास किया है, उसके लिए तो आपका धन्यवाद, पर मैं जो निवेदन करना चाहता था वो यह है कि इसके साथ ही साथ अगर आप ये ग्राम सेविकाएं हैं इसको भी साथ ही ले लें तो आपको भविष्य में इस सम्बन्ध में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी, नहीं तो हो सकता है पांच-छह महीने के बाद में पुनः आपको अमेंडमेंट लाना पड़े।

तीसरा, मेरा इस मैरिट के सम्बन्ध में निवेदन यह था, जैसा मैंने कहा कि थर्ड रीडिंग का साथ ही निवेदन कर दिया जावे, और माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने कहा कि साथ ही इसका कर दिया जावे, तो थर्ड रीडिंग में और बोलने की आवश्यकता नहीं रहेगी, उसके सम्बन्ध में निवेदन करूंगा।

माननीय सभापति महोदय, जैसा कि हम सबको पता है कि यह जो प्रोविजो है, आप ध्यान से देखें।

प्रोविजो सैक्शन 89 का, सबसे पहले 10.08.2004 में जोड़ा गया। पहले यह प्रोविजो नहीं था। धारा 89 की सब धारा 1 का प्रोविजो और 2010 में आकर के इसको फिर हटा दिया गया। 2004 में जोड़ा गया और 2010 में हटाया गया। 2010 से 2015 के बीच में इसमें 3 बार अमेंडमेंट कर दिये। पहले आपने जो कर्मचारी हैं, टीचर्स का है अपाइन्टमेंट का, प्राइमरी और उच्च

(श्री जोगाराम पटेल)

प्राथमिक विद्यालयों का जो क्लॉज थर्ड में था, उसको आपने हटाया। अब आप ला रहे हैं ग्राम सेवक और लिपिक वर्गीय। इस तरह से इस धारा 89 का सब क्लाज 2 का प्रोविजो 2 बार जोड़ा। पहले जोड़ा गया फिर हटाया गया और फिर वापिस इसमें अमेंडमेंट करने लगे, इसलिए यह एक बार निश्चित हो जाये। अनिश्चितता की जो स्थिति रहती है यह हमेशा बड़ी खतरनाक है।

सभापति महोदय, मैंने आपसे यह निवेदन किया है कि धारा 89 और धारा 19 पंचायत राज की हमेशा ही अधरझूल में रही है। कभी इधर और कभी उधर। कभी जोड़ा गया और कभी हटाया गया। कभी क्वालिफिकेशन जोड़ी गयी और कभी हटायी गयी। इसलिए एक निश्चित स्थिति बन जाये और इस अमेंडमेंट के जरिये आपको जितना करना है भविष्य में 10 साल तक नहीं करना पड़े। आप देखिये जो हमारे अंग्रेजों के जमाने के कानून हैं, चाहे एविडेंस एक्ट 1888 का है, चाहे आईपीसी 1828 की है, चाहे सीआरपीसी 1897 की है, यह हमारी सीपीसी है, उसमें कोई 100-100 साल तक अमेंडमेंट नहीं होते हैं। हमने 1994, 1996 में जो कानून बनाये हैं, उसमें हर साल में हमने 2-2, 3-3 अमेंडमेंट करने शुरू कर दिये।

सभापति महोदय, मेरा पहला निवेदन है कानून का सबसे पहला महत्व यह है कि कानून ऐसा बने कि आने वाले 100 साल तक उसमें किसी तरह के अमेंडमेंट की आवश्यकता नहीं रहे। इतना भविष्य को ध्यान में रखते हुए बनाया जावे।

सभापति महोदय, अब जो दूसरा निवेदन मैं आपके सामने करना चाहता था, वह यह है कि धारा 89 में अमेंडमेंट करने के उपरांत इसका जो प्रभाव है, प्रक्रिया जो आपने नियम सारे दिये हैं, लिपिक वर्ग का, अध्यापकों का, जो प्राइमरी और मिडिल स्कूल के हैं, अपाइंटमेंट के बाद आपकी प्रक्रिया इसमें निश्चित नहीं है। नियम आपने साथ नहीं बनाये हैं। फिर आप उनका चयन तो कर लेंगे लेकिन इनका अपाइंटमेंट कैसे होगा? पोस्टिंग कैसे होगी? पहले उनकी परीक्षा, फिर उनका अपाइंटमेंट और फिर उनकी पोस्टिंग, यह भी अगर साथ ही नियम, प्रक्रिया में आ जाते तो हर व्यक्ति को पता लग जाता कि हर परीक्षा में देने के बाद मेरी नियुक्ति फलां स्थान पर इस तरह से होगी। वह अनिश्चितता की स्थिति में रहेगा कि मेरी नियुक्ति कैसे होगी, कहां होगी।

इसके लिए तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा और प्रोग्रेसिव बिल भी

(श्री जोगाराम पटेल)

बताऊंगा कि आपने जो राजस्थान का एक प्रतिभावान विद्यार्थी है, प्रतिभावान जो व्यक्तित्व है या प्रतिभावान अनएम्पलाई आदमी है, उसको आप राजस्थान लेवल पर लेकर के यह कहेंगे कि प्रतिभावान को पहले मौका मिले। लेकिन अगर इसके नियम साथ आते तो हमको पता लगता कि आपके नियम यह हैं और इस तरह से आप उनकी पोस्टिंग देंगे।

सभापति महोदय, मेरा दूसरा निवेदन यह है कि आप जब भी लावें, इस सम्बन्ध में स्पष्ट नियम लावें, क्योंकि सबसे ज्यादा कोर्टों में मुकदमे हैं तो वह पंचायत राज के हैं। कोई दिन ऐसा नहीं जाता है, चाहे वह माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ हो या जयपुर पीठ हो, हजारों रिट याचिकाएं वहां सिर्फ इस बात की होती हैं और हमारे जो अपाइंटमेंट हैं, चाहे वह मेन रुप से अध्यापकों के हो, अदालतों में उलझ जाते हैं। इसीलिए उलझते हैं कि हम बार-बार टुकड़ों-टुकड़ों में अमेंडमेंट करते हैं और उसके नियम साथ नहीं बनाते हैं। एक बार पूरा अमेंडमेंट करने के बाद ही हमारा अधिकार है।

यह विधायिका का अधिकार है कि वह कानून कब बनाए और किस तरह बनाए। लेकिन कानून अनिश्चित होने की वजह से कोर्टों का इंटरफियर होता है। मेरा जो पहला निवेदन था कि आप सैक्शन 89 हो, सैक्शन 90 हो, अमेंडमेंट के साथ ही इसके नियम और प्रक्रिया पूरी कर दें।

सभापति महोदय, मेरा दूसरा निवेदन है जैसा कि मैंने प्रारम्भ में एक शब्द में कहा था कि पंचायत राज भी अपने आपमें बहुत महत्वपूर्ण है। राजस्थान में विशेषकर जो डवलपमेंट का कंसेप्ट है, वह डवलपमेंट का कंसेप्ट ही पंचायत राज के बिना अधूरा है और उसके सिवाय हो ही नहीं सकता। यह बातें हम सब रोज कहते हैं कि हमारा 70 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र है। वहीं रहते हैं। भारत की आत्मा गांवों में निवास करती है। बिना गांवों के विकास के देश का या प्रदेश का विकास नहीं हो सकता है। यह सब बातें अपनी जगह हैं और सही हैं।

लेकिन इसका कंसेप्ट था वह 'unit of self-Government' का कंसेप्ट आया था सबसे पहले। 'unit of self Government' का जो कंसेप्ट आया, उसके आधार पर ही इस पंचायत राज की स्थापना हुई। पंचायत राज कोई आजादी के बाद में एकदम नया बना हो, ऐसा नहीं है। आजादी के पहले भी था। इसकी विधिवत स्थापना भारत के पूर्व प्रधानमंत्री नेहरु जी ने 2 अक्टूबर, 1952 को

(श्री जोगाराम पटेल)

की। जिससे आप सब लोग परिचित हैं आर्टिकल 40 भारतीय संविधान के अनुसार गवर्न हो रहा है यह भी सब लोग आप परिचित हैं। लेकिन आर्टिकल 40 भारतीय संविधान में स्पष्ट रूप से कहा गया है और यह बताया भी गया है कि 'The organisation of village panchayat.' यह मूलभूत अधिकारों में सम्मिलित किया गया है।

माननीय सभापति महोदय, देश के हर नागरिक को अधिकार दिया गया है कि वह अपना आर्गेनाइजेशन विलेज लेवल पर पंचायत के रूप में कर सके। इसीलिये सभी सरकारों ने अपने-अपने स्थान पर इसकी अपेक्षा की है 'as a unit of self-Government' की स्थापना की है। इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आर्टिकल 50 है, क्योंकि 50 आर्टिकल इस तरह से डिवाइड करता है कि किस तरह से हम एग्जीक्युटिव को जुडिशियरी से अलग करते हैं। जब हम एग्जीक्युटिव और जुडिशियरी को अलग-अलग करते हैं तो आर्टिकल 50 में जाने के बाद ही पता लगेगा कि हम एग्जीक्युटिव बाडी में हैं। पंचायत राज को एग्जीक्युटिव बाडी के साथ ही साथ, ओल्ड 1953 का जो पंचायती राज था, उसमें जुडिशियल पावर भी प्राप्त थे, 6 महीने की सज़ा का प्रोविजन भी था। उस समय न्याय पंचायतें हुआ करती थीं, लेकिन नये वाले एक्ट में वह हटा दिया क्योंकि आर्टिकल 50 में यह कहा गया है कि "Separation of Judiciary from Executive." मेरा आपसे निवेदन है कि यह जो डेमोक्रेटिक डी-सेन्ट्रलाइजेशन है और डेमोक्रेटिक डी-सेन्ट्रलाइजेशन के आधार पर ही सन् 1959 में आपका सबसे बड़ा कानून बनना प्रारम्भ हुआ।

इसमें साफ रुप से लिखा गया है "The community development programme was handed over by the committee headed by Balwant Rai Mehta and detailed report was prepared." और उसमें कहा है कि थ्री टायर सिस्टम हम बनायेंगे पंचायत राज का। ग्राम पंचायत होगी, पंचायत समिति होगी और जिला परिषद होगी। यह बलवंत राज मेहता की कमेटी थी, 1959 में इन्होंने जो अपनी रिपोर्ट दी, उस रिपोर्ट के आधार पर ही इस तरह से पंचायत राज की स्थापना हुई। फिर माननीय नेहरु जी ने 2 अक्टूबर को नागौर में आकर के इसकी स्थापना की।

लेकिन इसमें जो रेडिकल चेंज हुआ, वह सर्वप्रथम हुआ 1993 में, इसका कानूनी अस्तित्व मिला, क्योंकि जो थर्ड अमेंडमेंट भारतीय संविधान में

(श्री जोगाराम पटेल)

हुआ। भारतीय संविधान में थर्ड अमेंडमेंट के आधार पर इनको कांस्टीट्यूशनल राइट मिल गया। उससे पहले कांस्टीट्यूशनल राइट नहीं था। आपको याद है कि 17 साल तक एक ही सरपंच रहे। अब नहीं रह सकते। जैसा पार्लियामेंट और असेम्बली के इलेक्शन मेंडेटरी हैं, वैसे-वैसे पंचायती राज के इलेक्शन भी 73वें कांस्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद जरूरी हो गया।

इसमें लिखा है कि "The 73rd Amendment of the Constitution of India is a land-mark in the history of the Panchayat Raj Institution in India. When the constitutional status was conferred on the Panchayat Raj Institution as the 3rd stem of the governance to fulfil the Directive Principles of the State policy inserted in Article 14 of the Constitution by endowing a requisite power and authority to the village Panchayat including Gram Sabha to enable them the function as a unit of the self-Govt." यह 73 अमेंडमेंट के बाद इस तरह से हुआ, वार्ड सभा, ग्राम सभा और बाद में पंचायत की सभा। अब पहला मैं निवेदन करना चाहता हूं, यह बैक ग्राउंड मैंने इसीलिए बताया कि ग्राम सभा धारा 3 में जो वार्ड सभा का कंसेप्ट है, इस वार्ड सभा का कंसेप्ट तो आज दिन भी फुलफिल नहीं कर रही है। ग्राम पंचायतों में वार्ड सभाएं नहीं हो रही हैं, वार्ड सभा के सिवाय इस एक्ट में जो लिखा हुआ है, वार्ड सभा के सिवाय प्लान बनकर ग्राम पंचायत में जाना चाहिए, ग्राम पंचायत से पंचायत समिति में जाना चाहिए, पंचायत समिति से जिला परिषद में और जिला परिषद से जिले के जो कार्य हैं वह राज्य सरकार के पास आने चाहिए लेकिन साधारणतया ऐसा देखने में आया है कि वार्ड सभाएं नहीं हो रही हैं और वार्ड सभाएं नहीं होने से जो मूल भावना इस एक्ट की थी वह फुलफिल नहीं हो रही है।

माननीय मंत्रीजी, मैं निवेदन करना चाहता हूं आप प्रयास करें कि इस धारा 3 के अनुसार वार्ड सभाएं होनी हैं वह वार्ड सभाएं हों। वार्ड सभा के अन्दर उस वार्ड के सारे के सारे एडल्ट मैम्बर भाग ले सकते हैं, अन्य कोई व्यक्ति भाग नहीं ले सकता। मेरे वार्ड में क्या होना है उसका उसमें लिखा है, उस वार्ड के एडल्ट मैम्बर उसमें भाग लेंगे और वहां कार्य योजना कि इस वार्ड में यह काम होना है, वह ग्राम पंचायत में भेजेंगे। मैं इस माननीय सदन के सामने निवेदन करना चाहता हूं कि ग्राम सभा में वहां का विधायक मैम्बर है, लेकिन आज दिन तक इसकी पालना नहीं हो रही है। कोई भी जो यहां माननीय विधायक बैठे हैं कभी भी ग्राम सभा में एज ए मैम्बर भाग लेने के

(श्री जोगाराम पटेल)

लिए नहीं गए होंगे, बुलाया भी नहीं होगा, इसीलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि आप यह भी देखें कि सेक्शन 9 में जाकर हमारी जो ग्राम सभा होती है उस ग्राम सभा में भी जिन जिनको बुलाया जाना जरूरी है, उनको बुलाया जाए, जनप्रतिनिधियों को बुलाया जाए। ग्राम सभा हमारे भारत की विकास की आत्मा है और उस आत्मा के विकास में आप साथ देंगे तो ही पूरा होगा। ग्राम सभा की मीटिंग में जो निर्णय हो रहे हैं उसमें भी पोलिटिकली इंफरेंस आ रहा है, उसको रोका जाए, ग्राम सभा में ग्राम के विकास की बात की जाए और वहां की जो कार्य योजना है वह सही रूप से ली जाए, यह तो मेरा पहला निवेदन था।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि हमने एक अमेंडमेंट किया और वह राजस्थान की हिस्ट्री में ही नहीं, हिन्दुस्तान की हिस्ट्री में भी माइल स्टोन है उसका धन्यवाद आपको है और राजस्थान की यशस्वी मुख्य मंत्रीजी को है कि ऐसा एक पहली बार प्रोग्रेसिव कदम उठाया गया। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) मैं पाच मिनट बोलूंगा। पीछे वालों में किसी पर भी नहीं बोलूंगा।

श्री सभापति: मुझे माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने कहा है कि दस-दस मिनट, सबके तय किए हैं।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): पीछे वाले जो तीन एक्ट हैं उसमें नहीं बोलूंगा, उसका टाइम और ले लूं।

माननीय सभापति महोदय, आज की तारीख में 1 लाख 20 हजार जनप्रतिनिधि हैं आपके वार्ड पंच और सब मिलाते हुए, 1 लाख और 20 हजार के आसपास हैं। इन 1 लाख और 20 हजार जो जनप्रतिनिधि हैं, आदरणीय नरेन्द्र मोदीजी का जो सपना है स्वच्छ भारत का उनके लिए तो जरूरी होगा हर पाच साल में 1 लाख 20 हजार आदमियों को तो अपने घर में शौचालय बनाना पड़ेगा उसका उपयोग करना पड़ेगा, उसका एफेडेविट देना पड़ेगा। आपका यह संशोधन पहले हुआ है, स्वच्छ भारत अभियान का बाद में आया है और इस अमेंडमेंट के जरिये जो संदेश दिया जिसको आदरणीय नरेन्द्र मोदीजी ने बाद में अपने भाषण में माना और इसका देश को एक संदेश दिया है उसके लिए आपका धन्यवाद है, आदरणीय माननीय मुख्य मंत्रीजी का धन्यवाद है। इसमें एक चीज की कमी रह गयी है कि इसका वेरीफिकेशन नहीं है। उसने

(श्री जोगाराम पटेल)

सेल्फ एफेडेविट दे दिया उस पर हमने रिप्लाई कर लिया, इसका वेरीफिकेशन होना जरूरी है कि यह एफेडेविट दे रहा है वह गलत है या सही है। ऐसे अनेक उदाहरण मिले हैं कि एफेडेविट के बावजूद भी उसके घर में बाथरूम नहीं है, शौचालय नहीं है और उसका उपयोग नहीं हो रहा है। मेरा पहला निवेदन है और इसको मैं सुझाव के रूप में कह सकता हूं कि कृपया इसके वेरीफिकेशन का प्रोविजन बना दें तो आपका जो टार्गेट है, स्वच्छ भारत अभियान का इसकी पूर्ति होने में बहुत बड़ा सहयोग मिलेगा।

माननीय सभापति महोदय, दूसरा मेरा सुझाव है कि एजुकेशन की क्वालिफिकेशन की, एक में आठवीं पास, एक में दसवीं पास। दसवीं पास की उसमें कोई विवाद नहीं है लेकिन एक फर्क आप थोड़ा समझें। पंचायत समिति और जिला परिषद में बोर्ड आफ एजुकेशन सैकण्डरी से दसवीं पास जरूरी है लेकिन उनके पास वह पावर नहीं है जो सरपंच के पास है, चैक साइनिंग है, कार्य योजना पर काम करना है, मीटिंग बुलानी है, निर्णय लेना है। पंचायत समिति और जिला परिषद वालों के पास कुछ भी नहीं है। ठीक है वह मैम्बर है लेकिन आप अगर इस एक्ट की आत्मा में जाना चाहते हैं और एजुकेशन का बेनीफिट लेकर विकास करना चाहते हैं तो जो हमारे सरपंच हैं उनकी क्वालिफिकेशन दसवीं से कम नहीं रहनी चाहिए क्योंकि वही मेन बोडी है जो कार्य करती है। उसमें अगर पंचायत समिति का मैम्बर अनपढ़ है तो भी आपका काम चला लेगा, जिला परिषद का मैम्बर है और कम पढ़ा लिखा है तो भी काम चला चलेगा लेकिन जो सरपंच है वही मेन अथोरिटी है वह आपके और डिपार्टमेंट हैं उनका भी हैड रखता है, उनकी प्रजेंस लेता है, उनको कंट्रोल करता है, जब वह स्वयं ही आठवीं पास है और आठवीं पास की यह जो शिकायतें आ रही हैं, यह शिकायत आई कि टीसी फर्जी ले आए, फलां प्रमाणपत्र फर्जी ले आए, ये सारी शिकायतें भी मिट जाएंगी और हमारे पंचायती राज का एक स्टेण्डर्ड भी बढ़ेगा इसलिए मेरा दूसरा आपसे निवेदन है सरपंच की क्वालीफिकेशन को कम से कम दसवीं पास करें और दसवीं पास करते ही उसमें एकदम सुधार आएगा।

माननीय सभापति महोदय, मेरा निवेदन है माननीय मंत्री महोदय से कि आपने अभी 2015 में एक संशोधन धारा 107 किया और यह कहा कि ग्राम पंचायतों को भी भूमि रूपांतरण करने का अधिकार होगा इसीलिए आपने धारा 107(क) से या धारा 107(ए) से धारा 107(एच) तक बना दी लेकिन

(श्री जोगाराम पटेल)

माननीय मंत्री महोदय, मैंने उस दिन भी कहा था कि एक्ट में संशोधन करने से पार नहीं पड़ेगा, उसका उपयोग नहीं होगा। एक्ट में तो सेम प्रोविजन धारा 63 और धारा 90 में पहले से ही पंचायती राज में है। यह जो नियम है जिसके तहत पट्टा दिया जाता है, जिसके तहत कार्यवाही की जाती है उन नियमों में संशोधन आज दिन तक नहीं हुआ और जब तक आप नियम 141 से नियम 168 में संशोधन नहीं करेंगे तब तक इसका जो अर्थ हमको मिलने वाला है, उसका लाभ जो मिलने वाला है वह नहीं मिलेगा क्योंकि अमेंडमेंट हो गया, अब सरपंच चाहेगा तो वह कौन से प्रोविजन में फाइल खोलेगा और कौन से प्रोविजन में जाकर वह रूपान्तरण करेगा? इसीलिए यह जो नियम, 1996 पंचायती राज के हैं, धारा 107 वाले प्रोविजन के अनुसार उसमें प्रक्रिया में जो नियम दिये हुए हैं पत्रावली में उसमें भी अमेंडमेंट करें और उसमें जब तक अमेंडमेंट नहीं करेंगे, नियम 140 से लगाकर नियम 167 तक, 159, 161 तक में तब तक उसका उपयोग ही नहीं हो पाएगा। यह पट्टा देना और पट्टा कंवर्ट करना, मार्केट प्राइस लेना, आक्शन करना, कम कीमत में देना, आपसी निगोशिएशन में देना, यह सब इन नियमों में है और इन सब नियमों की पालना तभी हो पाएगी जब आप यह संशोधन नियमों में करेंगे और नियम बनाएंगे।

माननीय सभापति महोदय, एक बात अभी जो विशेष रूप से चल रही है उसके लिए राजस्थान के सभी सरपंच महोदयों द्वारा भी आपको धन्यवाद है, भले ही धरने पर आए हों। पंचायती राज में आपने सरपंचों को यह अधिकार दे दिया कि वह बीएसआर के आधार पर अपना काम करा सकें लेकिन इससे विसंगति पैदा हो गई है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो नरेगा के काम होंगे वह तो नरेगा की बी सी आर के अनुसार ही होंगे और पंचायती राज के जो काम होंगे वह ग्राम पंचायतों की बीएसआर के आधार पर होंगे। यदि नरेगा का काम किसी भी कांट्रेक्टर ने बिलो ले लिया 10 परसेंट बिलो, 20 परसेंट बिलो, 40 परसेंट बिलो, वह तो 40 परसेंट बिलो में काम होगा, वही काम ग्राम पंचायतों द्वारा बीएसआर पर हो रहा है तो सरपंचों को प्रोब्लम पैदा हो सकती है। पहले टेंडर था, टेंडर में अपने आप हो जाता था। अब नरेगा का तो टेंडर है और पंचायती राज का सरपंच खुद बीएसआर के आधार पर करा रहा है। पेमेंट वही उठेगा जो बीएसआर रेट के अनुसार लिखा है, लेकिन वह नरेगा का जो टेंडर हो रहा है वह जनरली बिलो जा रहा है। आज की तारीख में हर जगह

(श्री जोगाराम पटेल)

बिलो जा रहा है तो वह बिलो टेंडर होते ही उस सरपंच की इंक्वायरी निश्चित रूप से खुलेगी। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इस सम्बन्ध में उसमें आप संशोधन करके दोनों में एकरूपता लाएं क्योंकि दोनों काम आप कहेंगे कि कन्वर्जन कराओ, ज्योंही कंन्वर्जन कराया तो नरेगा का आएगा उसमें इंवाल्वमेंट और जब नरेगा का इंवाल्वमेंट आएगा तो सरपंच के लिए दो परिस्थिति पैदा हो जाएंगी इसलिए मेरा निवेदन है माननीय सभापति महोदय, दो मिनट और लूंगा, यह विषय थोड़ा गम्भीर भी है, मैं बाकी वाले एक्टों पर नहीं बोलूंगा इसलिए बाकी सारा टाइम यहां दे दीजिए। इतना ही, सिर्फ पांच मिनट।

श्री सभापति: मेरा यह निवेदन है कि चार विधेयक हैं आज, आपके नाम सब में ही हैं।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): मैं बाकी विधेयकों पर बोलूंगा ही नहीं, मेरे सारे अमेंडमेंट दिए हुए हैं, मैं किसी पर नहीं बोलूंगा। मैं आपका वह टाइम पूरा कर दूंगा।

श्री सभापति: आप दो मिनट में समाप्त करें।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी) माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि पंचायती राज में बीएसआर के आधार पर उसको भी करें। मेरा तीसरा निवेदन है कि पंचायत समिति में टीएफसी, एसएफसी की जो राशि आती है उसमें एमएलए की राय भी सम्मिलित की जाए क्योंकि वह उसका मैम्बर है, वह पंचायत समिति का मैम्बर है, वह जिला परिषद का मैम्बर है। माननीय मंत्रीजी, जो वहां का विधायक है, थोड़ा सा...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, पूरा ध्यान है माननीय मंत्रीजी का। अब तो आप समाप्त करें।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): वह विधायक वहां की पंचायत समिति, जिला परिषद का मैम्बर है तो चाहे टीएफसी हो चाहे एसएफसी की जो राशि आती है उसमें विधायक की राय इनक्लूड की जाए तो उसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी और सही जगह खर्च होगा। मेरा निवेदन है कि कल जोधपुर कलेक्टर ने मीटिंग बुलाकर बीएसआर में गटर पाइप लाइन का जो काम है उसमें उन्होंने एकदम हजार रुपए रनिंग फीट से लेकर के साढ़े छह सौ रुपए कर दिया, जो सम्भव ही नहीं है रेट आज की तारीख में।

रेटें बढ़ती तो सब जगह हैं।

श्री सभापतिः माननीय सदस्य, अब आप अलग से बता देना मंत्रीजी को।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): उसके अलावा मेरा नेक्स्ट निवेदन है (व्यवधान)

श्री सभापतिः हो गया ना।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): अभी तक जो राशि ग्राम पंचायतों को आबंटित हुई है उस टोटल राशि में से 60 परसेंट ही खर्च हो पायी है जो मेरे प्रश्न के जवाब में दिया है। जिला परिषदों को आपने 734159.26 लाख की अलाट की थी उसमें से सिर्फ 584912.90 लाख खर्च हो पायी, करीब 60 परसेंट के आसपास राशि खर्च हो पायी है। बाकी राशि खर्च ही नहीं हो पायी है। इसलिए मेरा निवेदन यह है कि राशि टाइम पर खर्च हो जाय इसके सम्बन्ध में...

श्री सभापतिः माननीय सदस्य, विराजें अब आप।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, दो मिनट का टाइम दें। दो मिनट। ओनली टू मिनट।

श्री सभापतिः दो-दो मिनट करके 10 मिनट ले लिये एक्स्ट्रा आपने।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): एक मेरा निवेदन यह था कि इंदिरा आवास में जिन लोगों ने पहली किश्त ले ली और उनको आज दिन तक ...

श्री सभापतिः आसन ने जोगारामजी, व्यवस्था दी है कि हर माननीय सदस्य 10 मिनट ही बोलेगा। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है 4 विधेयक हैं।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): तीन लाइन।

श्री सभापतिः चलो तीन लाइन बोल दो तीन सैकण्ड में।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): पहली तो यह है कि आपके स्वयं के रिप्लाई के अनुसार ग्राम पंचायतों में बहुत ज्यादा वेकेंसी है। मेरी लूणी पंचायत समिति में कुल 174 में से 72 वेकेंसी हैं और तीन पंचायत समितियां ऐसी हैं जिनमें हंड्रेड परसेंट वेकेंसीज हैं। इसलिए जो वेकेंसी वाला विषय है उसको आप सख्ती से देखें। पंचायतों के पुनर्गठन का जो मामला है, कहीं एक-दो जगह जो विसंगति रह गई है पंचायतों के पुनर्गठन के मामले में...

श्री सभापतिः संसदीय कार्य मंत्री ही समझा सकते हैं इनको।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): उसको भी आप देखें, मेरा निवेदन है।

(श्री जोगाराम पटेल)

दलबदल कानून, अंत में जो मेरी लाइन है वह यह है। पंचायत राज में भी दलबदल कानून लागू करना जरूरी है नहीं तो सभी माननीय विधायकों को पंचायत राज चुनाव के दौरान बहुत ही तकलीफ आती है। इसलिए दलबदल कानून पंचायत राज में भी आप लागू करें।

श्री सभापति: चलो, अब आप लिखकर दे देना। डा. फूलचन्द भिण्डा।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): मैं अंत में एक लाइन निवेदन करूंगा।

श्री सभापति: जोगाराम जी।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): पंचायतों के जन-प्रतिनिधि हैं, उनकी कार्यकुशलता, विषय की समझ ...

श्री सभापति: आप बाकी लिखकर दे देना।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): ईमानदारी से कार्य करेंगे तो हम पंचायत राज का एचीवमेंट पूरा कर पाएंगे।

श्री सभापति: जोगाराम जी, जो कुछ भी हो आप मंत्रीजी को लिखकर दे दो।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): आप पंचायतों को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं उसके लिए आपका बहुत-बहुत आभार।

श्री सभापति: डा. फूलचन्द भिण्डा।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): माननीय सभापति जी, पंचायती राज संशोधन विधेयक के माध्यम से यह संदेश दिया है कि हम सम्पूर्ण राजस्थान में समरूपता चाहते हैं, यूनिफार्मिटी चाहते हैं। कई बार यह विवादों का विषय रहा कि किसी जिला परिषद में क्या हो गया, किसी जिला परिषद में क्या हो गया, कोर्टों में मामले लटके रहे, लेकिन वर्तमान सरकार को मैं धन्यवाद दूंगा क्योंकि पुरानी सरकार ने 2007 की जो व्यवस्था थी अधीनस्थ चयन आयोग की, उसको समाप्त कर दिया था। पुनः अधीनस्थ चयन आयोग बनाया गया है और कर्मचारी वर्ग, शिक्षक वर्ग के चयन का अधिकार दिया गया है इससे राजस्थान में समरूपता आएगी। वैसे तो जिले अलग-अलग होते हैं, लेकिन जो कैडर है, नियुक्ति है उसमें समरूपता रहे और एक स्टेण्डर्ड बने, योग्यता का स्टेण्डर्ड बनकर हो, ज्यादती नहीं हो। क्योंकि पहले जब-जब भी जिला परिषद ने चयन किया है तब-तब शिकायतें आयी हैं और भेदभाव हुआ है। यह कांग्रेस की पुरानी आदत रही है और हमेशा उसका दुरुपयोग भी किया

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

है। इस कारण से मैं वर्तमान सरकार को धन्यवाद दूंगा कि समरूपता लाने के लिए एक प्रयास सरकार ने किया है।

सरकार ने और भी संशोधन किये थे, जैसे शिक्षा का संशोधन पिछली बार किया। उसका लाभ भी हुआ। पढ़े-लिखे सरपंच आये हैं, लेकिन अभी भी उस पूरे एक्ट में कुछ बातें ऐसी हैं जैसे अधिकारों का मामला है। थ्री टायर सिस्टम है, जिला परिषद में सीईओ हैड आफ डिपार्टमेंट होता है, पंचायत समिति में बीडीओ होता है, ग्राम पंचायत में सरपंच होता है। जब यहां सरपंच है तो जिला प्रमुख और प्रधान को ज्यादा पावर दिया जाय, यह भी संशोधन करना चाहिए क्योंकि यह व्यावहारिक कठिनाई आती है। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप विराजिए माननीय सदस्य।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): वो पावर नहीं दिये। जो आप समझ रहे हैं उन पावर की बात मैं नहीं कर रहा हूं। जिला प्रमुख हैड आफ डिपार्टमेंट नहीं है। पंचायत में सरपंच हैड आफ डिपार्टमेंट है, बीडीओ हैड आफ डिपार्टमेंट है। मैं उसकी बात कर रहा हूं।

पंचायत राज में जब से नरेगा, मनरेगा और खाद्य सुरक्षा, क्योंकि खाद्य सुरक्षा में भी पंचायतों का रोल था। अब किसको खाद्य सुरक्षा मिले, किसको नहीं मिले। पीने के पानी का काफी बड़ा भाग पंचायतों को दिया गया है। पंचायतों को जो व्यक्तिगत स्कीमें हैं उसके लिए भी नरेगा का पैसा देने की बात कही गयी है धीरे-धीरे करके, क्योंकि कांग्रेस ने तो कभी यह प्रयास ही नहीं किया कि रीयल सेंस में पावर का डिसेंट्रलाइजेशन हो। थ्री टायर सिस्टम तो बना, ये श्रेय भी लेते हैं कि नागौर से हमने शुरू किया पंचायत राज का, लेकिन कभी पावर डिसेंट्रलाइजेशन नहीं किया। पहली बार सरकार ने 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख तक का अधिकार संस्थाओं को दिया है कि वे ही निर्णय करेंगे, वे ही वित्तीय स्वीकृति करेंगे। यह भारतीय जनता पार्टी का सपना ही नहीं एक सिद्धांत भी है कि विकेन्द्रीकरण हम चाहते हैं। जो हमारे संस्थापक महामंत्री थे, वे कहा करते थे हर स्टेज पर विकेन्द्रीकरण होना चाहिए, दीनदयाल जी यही कहते थे। रीयल टर्म में अभी इस सरकार ने उसको लागू किया है कि सरपंचों को 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख तक के पावर अभी डेलिगेट किये हैं।

मैं कुछ बातें निवेदन करना चाहूंगा। मनरेगा स्कीम है। उसमें मामला अभी लूणी से आने वाले माननीय सदस्य ने भी उठाया था। इस वर्ष ही नहीं,

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

दो वर्ष से, पिछली बीजेपी सरकार के शुरू के दो वर्ष थे उसके बाद में लगातार मनरेगा का बजट घटा है, उसका उपयोग घटा है, पैसा वापस लौटा है। 2012-13 में तो स्थिति 3 हजार करोड़ से भी नीचे आ गयी। 6700 करोड़ से 3 हजार करोड़ पर आ गया। केन्द्र का दिया हुआ पैसा, वह भी गांवों के लिए, गरीब के लिए दिया हुआ पैसा वापस चला जाय इससे ज्यादा बुरी बात नहीं हो सकती जो राजस्थान में हुआ। दुर्भाग्य हमारा कि वह पैसा वापस लौटा। इस कारण से यह महत्वपूर्ण विषय हो गया है कि गांव व गरीब के बिना विकास नहीं है। चरणसिंह जी कहते थे कि भारत का विकास गांवों की पगडण्डी से होता है, गांवों के खेतों की पगडण्डी से होता है और वह खेतों की पगडण्डी पंचायत राज के अन्तर्गत ही आती है।

इस कारण से मैं कह रहा हूं कि एक बार मंत्रीजी कोई कमेटी बनाकर सारा जो एक्ट है, जो एक्ट बना है उसमें पहले अमेण्डमेंट किया, अब किया, इस प्रकार की चीजें और हों जिनको जोड़ना है, राजस्थान की व्यवस्था के अनुसार, स्थिति के अनुसार, भौगोलिक स्थिति के कारण से, जैसे अभी पंचायतों का पुनर्गठन हुआ। उसमें विभेद पैदा हो गया। मेरी दो पंचायत समिति हैं। एक पंचायत समिति के तीन वार्ड थे, तीन के तीन रह गये और दूसरे जो 13 वार्ड थे उनके 17 वार्ड हो गये। ऐसे ही जिला परिषद बनी उसमें तो 20 हजार पर वार्ड बन गया और जयपुर जिले में 70 हजार की आबादी पर वार्ड है। अधूरा पुनर्गठन हुआ इस कारण से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि फिर पुनर्गठन की प्रक्रिया को चालू करके जो अधूरी रह गयी, जो असंतुलन हुआ, एक ही जिला परिषद के अन्दर आने वाली पंचायत समितियों में पापुलेशन बराबर है, लेकिन वार्डों की संख्या घट-बढ़ गयी, कहीं 23 वार्ड हैं तो कहीं 35 वार्ड बन गये उतनी ही पापुलेशन के। समय के अभाव के कारण से हुआ था, लेकिन उसको रि-ओपन करके अगला चुनाव हो उससे पहले सभी स्तरों पर पुनर्गठन हो जाय, उसका लाभ निश्चित तौर पर जनता को मिलेगा, गरीब को मिलेगा, गांव को मिलेगा।

इसी प्रकार से पंचायतों में जो विकास के काम होते हैं उसमें जो स्टाफ है, चाहे वह जेईएन है, चाहे एईएन है, चाहे रोजगार सहायक है, कोई परमानेंट हो गया, कोई निविदा पर काम कर रहा है। जिस निकाय के पास बजट हो और उसको देखने वाला कर्मचारी निविदा पर हो तो कैसे भी प्रक्रिया अपनाकर हमें उनको परमानेंट स्टाफ देना चाहिए। जैसे राजस्थान में 2-3

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

हजार लोग तो ऐसे हैं जो परमानेंट बाबू बन गये और बाकी वह प्रक्रिया कोर्ट के कारण से रुक गयी, हमारे कारण से नहीं है, लेकिन इसका भी कोई रास्ता निकालकर परमानेंट स्टाफ देना चाहिए। इंजीनियर्स भी परमानेंट देने चाहिए। इसी प्रकार से जो ग्राम सचिव का पद है, ये काफी पद खाली हैं। कहीं बाबू काम करता है, कहीं सचिव काम करता है, कहीं दोनों काम करते हैं। दोनों महत्वपूर्ण पद हैं ग्राम सचिव का भी और रोजगार सहायक, जिसको बाद में एलडीसी बनाया है।

इन दोनों के भी सलेक्शन की कोई प्रक्रिया अपनाकर करें और वो भी नियमित प्रक्रिया क्योंकि अब तो चयन आयोग हो गया, चयन आयोग को हम पावर दे रहे हैं। इसी प्रकार से पंचायती राज संस्थाओं के अन्तर्गत शिक्षकों का भी यह है कि कई जगह 10 बच्चे हैं, 4 अध्यापक हैं, प्राथमिक शिक्षा की बात कर रहा हूं और कहीं 200 बच्चे हैं और 5 अध्यापक हैं। पंचायती राज के अन्तर्गत ही वो शिक्षण आता है और उसमें भी पहले 10 पंचायतों पर एक अतिरिक्त ब्लाक शिक्षा अधिकारी होता था पर इस समय सारे रिक्त पद हैं तो उसका भी कोई पैटर्न बनाकर जितनी आवश्यकता हो उसके अनुसार बनाकर वो पद भी भरे जाएं क्योंकि शिक्षा और ग्रामीण विकास, ये दो महत्वपूर्ण विषय पंचायतों के पास हैं इसलिए इस रूप में यह विषय आया है।

तीसरा, महत्वपूर्ण विषय है कि पंचायतों को हमने अधिकार तो दे दिये, काम भी खूब दे दिये लेकिन खुद की इन्कम बहुत कम है। खुद की इन्कम के बारे में भी एक मेरा सुझाव है कि गांवों में वर्षों से लोगों के पास पट्टे नहीं हैं। जब विवाद आता है तो कोर्ट में जो वर्षों बसा हुआ है उसको भी बेदखल करने की बात आती है। इसके लिए पिछली बार घोषणा भी की थी सरकार ने, वो अच्छी घोषणा थी लेकिन उसको क्रियान्वित करने के लिए जल्दी से नियम बनें और पंचायतों का सरलीकरण करके गांव के आदमी के हिसाब से उनको पट्टे देने की व्यवस्था की जाए। इससे इन्कम भी बढ़ेगी, जनता को सहूलियत भी होगी और उनको वास्तविक अधिकार भी मिलेंगे। कई बार एक बाप के 3-4 बेटे होते हैं तो फिर वो उसमें झगड़ा करते हैं और अगर इस प्रकार से पट्टे का होगा तो बाप को भी अधिकार नहीं होता, कब्जा हो जाता है और ऐसे प्रकरण भी गांवों में आते हैं। इसलिए जो मैंने जनमत जानने का प्रस्ताव दिया था उसको तो मैं वापस लेता हूं और ये दो-तीन बातें मैंने रखी हैं, धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री प्रहलाद गुंजल। हंस क्यों रहे हो आप?

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): माननीय सभापति महोदय, संक्षिप्त में ही कर दूंगा। मैं आपकी भावनाओं को समझ गया।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): सभापति महोदय, आज आप सुन्दर बहुत लग रहे हो।

श्री सभापति: अच्छा, धन्यवाद। आपको भी दस मिनट ही बोलना पड़ेगा चाहे कितना भी, कुछ भी कह लो।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य, सभापति जी कितने सुन्दर लगते हैं उससे ज्यादा इनका मन और विचार सुन्दर है। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम (अधिनियम संख्या 13) 1994 की धारा 89 और 90 के संशोधन.....

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मैं माननीय सदस्य को डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं करूंगा पर केवल एक बात कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री महोदय का हार्ट का आपरेशन हो रखा है इसलिए आप आज कृपया धीरे बोलें। बस इतना सा है।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): मैं बहुत सम्मान करता हूं मंत्रीजी का।

श्री सभापति: मंत्रीजी का हार्ट मजबूत है, आप चिंता मत करो।

श्री सुरेन्द्र गोयल (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): ऐसा है डोटासरा साहब, चिंता मत करो, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं और आपकी एक-एक बात का जवाब दूंगा। पर आपने ख्याल किया उसके लिए धन्यवाद।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): माननीय सभापति महोदय, दो मिनट का समय तो वैसे ही निकल गया।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): आपके ये तथ्य ही गलत हैं, हार्ट का आपरेशन नहीं हुआ है, कृपया अपने आपको करैक्ट कर लें। मुझे पता है।

श्री सुरेन्द्र गोयल (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): यह बात इन्होंने बिल्कुल सही कही, मेरा हार्ट का आपरेशन नहीं हुआ है, मेरे बेरियाट्रिक सर्जरी करवाई थी उसमें इन्फेक्शन हो गया था और मुझे दुबारा आपरेशन कराना पड़ा।

श्री सभापति: माननीय मंत्रीजी, आपको स्पष्टीकरण देने की जरूरत नहीं है, आप जब बोलेंगे तो वैसे ही पता लग जाएगा कि कितना हार्ट मजबूत है आपका।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): माननीय सभापति महोदय, यह संशोधन लाने के पीछे उद्देश्य और कारणों का कथन अगर हम पढ़ेंगे तो बहुत सुस्पष्ट है। पहले पंचायती राज में मैग्जिमम भर्तियां डिस्ट्रिक्ट कैडर होने के कारण स्थानीय स्तर पर होती थीं। इससे एक असंतोष की स्थिति पैदा होती थी। राजस्थान के 33 जिलों का बेरोजगार व्यक्ति किसी भी जिले में पंचायती राज की अगर भर्ती निकलती है और वो जब रिजल्ट में यह असमानता महसूस करता है कि अगर उसने कहीं लिपिक का एग्जाम दिया, कहीं ग्राम सेवक का एग्जाम दिया तो एक जिले की मैरिट से ऊपर रहते हुए भी उसका दूसरे जिले में नाम नहीं आया। यह असमानता नौजवान में मानसिक अवसाद पैदा कर देती है। उसको लगता है कि डिस्ट्रिक्ट कैडर के नाम पर उसके सामने अपार्च्युनिटी मिस हो गई। कहीं बारां में 65 परसेंट पर सलेक्शन हो गया, जयपुर में 70 परसेंट पर नहीं हो पाया और किसी कैडर में जयपुर में 60 परसेंट पर हो गया, कोटा में 70 परसेंट पर नहीं हो पाया तो एकरूपता डिस्ट्रिक्ट कैडर की भर्तियों में किस प्रकार से कायम की जाए, पहला कारण तो यह है माननीय सभापति महोदय।

दूसरा कारण, जनवरी, 2014 में राजस्थान सरकार ने राजस्थान अधीनस्थ एवं लिपिकीय सेवा चयन बोर्ड का गठन किया।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आपकी आवाज यहां तक आ रही है, कानों-कान बात कर लो आप।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): राजस्थान अधीनस्थ एवं लिपिकीय सेवा चयन बोर्ड जो बनाया और सरकार ने तय कर दिया कि 3600 और उसके नीचे के कैडर की तमाम भर्तियां जो राजस्थान में होंगी चाहे उनका डिस्ट्रिक्ट कैडर हो, भर्ती करने के बाद उनके कैडर को डिस्ट्रिक्ट ही रखा जाए लेकिन पूरे राजस्थान में उनके चयन में समरूपता लाने के लिए, एकरूपता लाने के उद्देश्य से सारी की सारी भर्तियों को राजस्थान अधीनस्थ एवं लिपिकीय सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से कराने के उद्देश्य से यह अमेंडमेंट लाये। इसके अलावा इसका कोई और दूसरा उद्देश्य नहीं है। मैं समझता हूं कि जब राजस्थान में किसी एक पद के लिए चयन की प्रक्रिया समरूप करने के

(श्री प्रहलाद गुंजल)

लिए जो यह कदम उठाया गया, राजस्थान का वो व्यक्ति एक जिले में अधिक मैरिट, अधिक अंक लाकर चयनित नहीं हो पाता था, दूसरे जिले में उससे कम योग्यता पर चयन होता था तो इससे उसको लगेगा कि सरकार पारदर्शी रास्ते पर है, सरकार उसके साथ न्याय करने के रास्ते पर है। इसलिए इन सारी चीजों को लेकर यह अमेंडमेंट मूव किया है और इसमें कुछ नहीं है। पहले 89 का जो परन्तुक है उसमें लिखा था माननीय सभापति महोदय, उप धारा 2 के खण्ड (3) में विनिर्दिष्ट पदों के चयन राज्य स्तर पर किया जाएगा, उसमें लिखा था प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक। और 2 में जो 5 प्रकार की सेवाएं उल्लेखित की हैं, उप खण्ड 2 में – ग्राम सेवक, ग्राम सेविका, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक जिनका डिस्ट्रिक्ट कैडर तय किया लिपिकवर्गीय स्थापन, लेखाकार और कनिष्ठ लेखाकारों को छोड़कर, प्रबोधक और वरिष्ठ प्रबोधक। अब माननीय सभापति महोदय, उप धारा 2 के खण्ड (3) में विनिर्दिष्ट पदों के स्थान पर लिख दिया खण्ड (3) की जगह 1, 3 और 4, ये सब राज्य स्तर पर होंगे। जब यह लिख दिया तो इसमें कवर हो गया ग्राम सेवक, इसमें कवर हो गया लिपिक, अध्यापक आलरेडी थे। ग्राम सेविकाओं का चयन ग्राम पंचायत, जिला परिषद के लेवल पर करने का तय कर दिया। ग्राम सेविकाओं के सर्विस रूल क्या हैं मैं समझता हूं, अभी इस बारे में स्पष्ट पंचायत एक्ट नहीं बोलता। उसके सर्विस रूल नहीं बने होंगे, उसका कोई कैडर फिक्स नहीं बना होगा इसलिए उसके बारे में जिला परिषदों को अधिकृत कर दिया और जब यह तय कर दिया कि इन 3-4 प्रकार की सेवाओं का चयन कर्मचारी अधीनस्थ चयन सेवा बोर्ड से होगा तो उस लाइट में अमेंडमेंट कर दिया। जहां 6 (क) में कहते थे – ऐसी नीति से जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए, इन-इन पदों का चयन होगा। वहां तय कर दिया (6-क) उप धारा (2) के खण्ड (1) और (4) में विनिर्दिष्ट पदों पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति किसी पंचायत समिति या, यथास्थिति, जिला परिषद् द्वारा राज्य सरकार द्वारा इस निमित बनाये गये नियमों के अनुसार राजस्थान अधीनस्थ लिपिकवर्गीय सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से किया जाएगा।

एक और धारा एड कर दी कि उसकी भर्ती की प्रक्रिया नियत तरीके से नहीं। हमने नियत कर दी। चयन बोर्ड बना दिया। पहले उसमें लिखा था केवल 6(क) में, (तीन) में विनिर्दिष्ट केवल अध्यापकों के लिए और अब हमने एक धारा नई बनाकर लिख दिया। खण्ड (1) और (4) में विनिर्दिष्ट। एक

(श्री प्रहलाद गुंजल)

धारा और उसके बीच में स्थापित कर दी। केवल उसका लीगलाइजेशन करने के लिए कि हम जिन भर्तियों को सीधा-सीधा राजस्थान अधीनस्थ कर्मचारी चयन आयोग से करना चाहते हैं, उनको लीगल फ्रेम में डालने के लिए इस अमेंडमेंट में कुछ धाराओं में संशोधन कर दिया, कुछेक छोटी सी नई धारा स्थापित कर दी और 90 में भी माइनर-सा इन्होंने एडिशन कर दिया।

उपधारा-2 के खण्ड (3) और (5) में विनिर्दिष्ट पदों को छोड़कर, (3) और (5) में ग्राम सेविका और ये प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक और लिपिक लिखा है। अब उसके स्थान पर आपने लिख दिया 90 में, (1), (3), (4), (5) में विनिर्दिष्ट पदों को छोड़कर। यानी ग्राम सेविकाओं को छोड़कर, बाकी सारी की सारी भर्ती अब जो करेंगे, वह राजस्थान अधीनस्थ और लिपिकीय सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से किया जायेगा। उद्देश्य एक ही है। जिले में चयन में असमानता दूर करो। रुपये 3,600/- और उससे नीचे के कैडर पर चयन करने के लिए स्टेट ने बोर्ड बना दिया। उस बोर्ड को काम मिले, उसके माध्यम से अधिकाधिक पारदर्शी तरीके से जिले के कैडर की भर्तियां हों। भर्तियां होंगी और भर्तियों के बाद जब उनको जिला आबंटित होगा तो वह कैडर जिले का मान लिया जायेगा। मैं समझता हूं, सरकार ने राजस्थान के उन तमाम बेरोजगारों के लिए एक पारदर्शी व्यवस्था कायम करने के लिए, अलग-अलग जिले के कैडर में होने के कारण अपनी कई जगह बड़ी प्रतिस्पर्द्धा में, बड़ी योग्यता के बाद भी मिस कर जाता था। दूसरी जगह कम योग्यता में लोग क्वालिफाई हो जाते थे और अब सरकार ने योग्यतम व्यक्ति को प्रतिस्पर्द्धा से वंचित नहीं रखा जाये और इसलिए जिले स्तर का कैडर होने के बावजूद भी उस प्रतिस्पर्द्धा को स्टेट लेवल पर शुमार कर दिया। पूरे प्रदेश लेवल पर होगा और उसके बाद वरीयता क्रम के आधार से उनको डिस्ट्रिक्ट का कैडर अलाट कर दिया जायेगा। यह परम्परा कानूनी रूप से कायम करने के लिए इसमें मामूली-से अमेंडमेंट किये हैं। मैं समझता हूं कि स्कोप तो वाइड है पंचायती राज पर बोलने का, लेकिन सरकार का जो उद्देश्य है, बहुत पवित्र है।

जनवरी, 2014 में कर्मचारी चयन बोर्ड बनाया है। अब कर्मचारी चयन बोर्ड बनाया तो निश्चित रूप से कामकाज भी राजस्थान की जनता को दिखना चाहिए। सरकार ने नोटिफिकेशन करके, कर्मचारियों की भर्ती का स्टेट लेवल का, अधीनस्थ सेवाओं का एक बोर्ड बना दिया और बोर्ड साल भर में काम नहीं

(श्री प्रहलाद गुंजल)

कर रहा तो पंचायती राज में इन सेवाओं का एक बड़ा कैडर है और पंचायती राज में भर्ती करने की एक सुदृढ़ व्यवस्था है कि नहीं है। इसलिए अपने आपमें एक ऐसी सुदृढ़ व्यवस्था कि डिस्ट्रिक्ट लेवल के भी वह तमाम कैडर्स जो 3,600/- और उससे नीचे आ रहे हैं, जिनकी जिला स्तर पर भर्तियां विभागीय स्तर पर होती थी, उन सबको यह जो राजस्थान अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड है, इसके माध्यम से किया जायेगा। मैं समझता हूं, इसके पीछे सरकार का उद्देश्य पवित्र है। मैं मंत्रीजी और सरकार को बधाई देता हूं और मैंने जो जनमत जानने का प्रस्ताव दिया है, मैं उसको वापस लेने की आज्ञा चाहता हूं।

श्री सभापति: धन्यवाद। श्री सुखराम विश्नोई।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2016, जो 18 जनवरी, 2016 को राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) अध्यादेश, 2016 अध्यादेश द्वारा दिनांक 27 जनवरी, 2016 को प्रकाशित किया गया।

माननीय सभापति महोदय, यह जो दो धाराओं में 89-90 में लाया गया, यह लास्ट जनवरी में प्रकाशित किया गया और सत्र आहूत होने की जानकारी थी। फिर भी लाया गया। इस अध्यादेश के लाने के बाद जो चयन बोर्ड है, उस बोर्ड से भर्ती की प्रक्रिया चालू की जा रही थी या फिर कोई तकलीफ आ रही है, तब तो जरूरी था। एक भी भर्ती इन दिनों में नहीं की गयी। यह विधान सभा आ गई। यहां पेश कर देते लेकिन पिछले दरवाजे से जो विधेयक लाया गया है, मैं इसकी मुखालफत करता हूं। माननीय मंत्रीजी की खुद की आत्मा इस विधेयक के खिलाफ है। क्यों खिलाफ है? जो शिक्षा के क्षेत्र में डार्कजोन जिले हैं, चाहे डैजर्ट जिले हों, चाहे आदिवासी जिले हों, उन जिलों के अभ्यर्थी ग्राम सेवक या लिपिक बनने वाले थे। जैसाकि हर पंचायत में दो-दो पिछली बार बने। पिछली सरकार में गांव के आदमी को लिया है, उसी ब्लाक के लिये हैं। वह आदमी सदैव-सदैव के लिए वंचित रहेगा। उनके लिए यह काला कानून साबित होगा।

लूणी से आने वाले हमारे माननीय विधायकजी चर्चा कर रहे थे कि पहले इधर जोड़ा, फिर इधर जोड़ा, वापस छोड़ा तो आपकी सरकार ने पहले यह प्रोसीजर अपनाया। फिर हमारी सरकार आई तो उसने अलग जिला परिषदों

(श्री सुखराम विश्नोई)

को पावर दिया। आपने न केवल इनकी भर्ती के अधिकार को छीना है। जो पांच डिपार्टमेंट पंचायती राज को दिये गये थे, वह भी आपने छीन लिये। एक जिला परिषद के पास में बचा था और यह अगर पावर उनके पास होता तो गांव के लोग जो बैकवर्ड जिले हैं, जो मरुस्थलीय जिले हैं, जो आदिवासी जिले हैं, उन जिलों का चयन होगा।

मैं आज यह बात मजबूती के साथ कह सकता हूं। इस विधेयक के लागू होने के बाद हमारे जो बैकवर्ड जिले हैं, रेगिस्तानी जिले हैं, आदिवासी जिले हैं, उनके एक भी अभ्यर्थी का इस ग्राम सेवक में या लिपिक में चयन नहीं होगा। शहर के लोग आयेंगे। जो जिले पहले से एडवांस हैं, वहां के लड़कों का चयन होगा। यह मैं अपनी बात रखकर मंत्रीजी को कहना चाहूंगा। अभी समय है कि आप जोधपुर संभाग से आते हैं चाहे पाली या कहीं से भी आते हैं। उसी जोधपुर संभाग से जहां पढ़ाई कम है और ये जिस समाज से आते हैं, उस समाज में पढ़ाई कम है तो माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यह जो एक्ट लाया गया है, यह एक्ट गलत है।

ये अभी तो कह रहे थे कि जो सूची सैकण्ड में दर्ज है ग्राम सेविका। ग्राम सेविका पीछे छोड़ी है, उसको भी ले लो। ग्राम सेविका का चयन तो जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, वह पावर तो जिला प्रमुख के पास है ही नहीं। वह तो आलरैडी पंचायत के पास है। पंचायत ही उसका चयन करती है। वह भी आम सभा चयन करती है। उसकी बोडी है। उसके पास पावर नहीं है। वह फाइल वहां पर आती नहीं है तो केवल मात्र जिला परिषद के खाते में डालने से ग्राम सेविका नहीं रहेगी। वह तो पंचायत के अधिकार की बात है। वहां चयन बाकायदा आम सभा में हो जाता है। उसके बाद वह कहीं भी चयन के लिए जाती है तो केवल-केवल मात्र ये जो ऐसे है उसमें, कुछ पीछे नहीं बचता है। पूरा का पूरा कह रहे हैं कि हमने जीतने के बाद में पावर का विकेन्द्रीकरण किया है। यह तो आप उलटा सेन्ट्रलाइज कर रहे हो। एक पूरा उसका केन्द्रीकरण किया है। तो मैं इस प्रस्ताव की खिलाफत करता हूं।

साथ ही माननीय सभापतिजी, मेरा आपसे निवेदन है, इसके पीछे मंशा क्या रही? क्यों यह कानून लाये? क्यों जल्दी पड़ी फटाफट? इसलिए माननीय सभापति महोदय, यह कानून लाये कि जो हमारे जिले हैं, उन जिलों में 13 जिलों में कांग्रेस पार्टी के प्रमुख बने हैं। जब 13 जिलों में कांग्रेस पार्टी

(श्री सुखराम विश्नोई)

के प्रमुख बने हैं, यह बात इनको सुहाई और अगर जिला परिषद के प्रमुख के पास पावर होता है तो 13 जिला प्रमुख 13 जिलों में यह चयन ग्राम सेविका का और लिपिक का वह अपने स्तर पर करते। वह यह करना नहीं चाहते थे। इसलिए पूरा का पूरा पावर आप ले लिये। इसकी क्या बात करते हो? एक ग्राम सेवक की बदली आप नहीं कर सकते। यहां से, राज्य सरकार से कराओ। एक लाइनमैन की बदली नहीं कर सकते वाटरवर्क्स की। यह हालात पूरे बने हुए हैं। कहां विकेन्द्रीकरण की बात कर रहे हो आप? पूरे के पूरे पावर आपने हाथ में ले रखे हैं तो मेरा आपसे निवेदन है कि केवल मात्र शिक्षा के क्षेत्र में हमारे बैकवर्ड डार्कजोन जिले आये हुए हैं, उन लोगों का हक छीनने के लिए यह कानून बनाया है। मैं इसकी निंदा करता हूं और निवेदन करता हूं आपकी मार्फत कि यह जो काला कानून है, इस कानून को वापस विदड्रा किया जाये और जो पहले जिला परिषद के मार्फत व्यवस्था रखी गई थी, उसी व्यवस्था को बहाल रखा जाये। धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री गोविन्द सिंह डोटासरा।

(15.00 बजे)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय सभापति महोदय, मैं आज राजस्थान पंचायती राज संशोधन विधेयक, 2016 पर अपनी बात रखना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 में संशोधन हुआ 2016 में। इससे पहले पंचायती राज में संशोधन हुआ था हमारे समय 15 सितम्बर, 2010 को लागू हुआ था और 3.9.2010 को यहां राजस्थान की विधान सभा में पारित हुआ था विधान सभा में इसलिए पारित करना पड़ा यह कानून कि थर्ड ग्रेड के टीचर जो पंचायती राज के कर्मचारी हैं उनकी भर्ती पहले आरपीएससी से होती थी। उसके बाद पंचायती राज में जिला परिषदों के माध्यम से पंचायती राज को दे दी गयी थी। ठीक बात है दे दी, भर्तियां हो गयीं। अब आपने घोषणा कर दी सुराज संकल्प यात्रा में कि हम यह भर्ती पंचायती राज के माध्यम से नहीं करेंगे। कोई बात नहीं, आपकी सरकार आ गई, जो आपको करना है वह कीजिए।

मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि यह एक्ट लाए हैं थर्ड ग्रेड के टीचर्स को प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों को, ग्राम सेवकों को, ग्राम सेविकाओं को, लिपिकीय वर्ग के संस्थापन, प्रबोधक और वरिष्ठ प्रबोधक

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

के लिए। ये भर्ती कर्मचारी चयन आयोग इनका सलेक्शन बोर्ड बना हुआ है इससे करेंगे। मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से मंत्रीजी से कि आपने तो थर्ड ग्रेड की भर्ती माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से करवा ली, वो भर्ती किस नियम से करायी? आज की तारीख में आप टेट को खतम करके रीट लाये और ये घोषणा थी आपकी कि एक ही एग्जाम करेंगे और उसी से हम थर्ड ग्रेड के अध्यापक पंचायती राज में लगा देंगे। अब आप मुझे बताइए कि ये कानून जो 15 सितम्बर, 2010 को लागू हो गया था, गजट नोटिफिकेशन हो गया था उसमें थर्ड ग्रेड के टीचर को जिला परिषदों के माध्यम से भर्ती करने का प्रावधान था और आज जो आप कानून ला रहे हो वो कर्मचारी सलेक्शन बोर्ड के माध्यम से ला रहे हो तो इससे पहले जो अपने भर्ती माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के माध्यम से करा ली वो भर्ती लीगल कैसे हुई?

माननीय सभापति महोदय, ये कोई खुद की दुकान तो है नहीं चाहे जैसे कर लो। कानून से काम होते हैं, कानून से भर्तियां होंगी, कानून से सेवा मिलती है। मैं निवेदन करना चाहता हूं अगर ये दो फेज में होती तो भी बात समझ में आती कि साहब हमने तो एन्ट्रेंस टैस्ट ले लिया लेकिन फाइनल हम इस एक्ट के मुताबिक करेंगे। जो आपका एक्ट है इसका गजट नोटिफिकेशन आप जनवरी, 2016 में कर रहे हो। आप माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से पहले ही वहां पर एग्जाम करा चुके और उसका रिजल्ट आने वाला है। जिस दिन रिजल्ट आ जाएगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूं माननीय मंत्री महोदय, अभी तो इंतजार कर रहे हैं लोग कि पता नहीं मैं पास हो जाऊं तो फिर क्यों जाऊं। लेकिन जिस दिन रिजल्ट आ गया जो लड़के पास नहीं हुए उसमें वो यह कहेंगे कि जो कानून वर्तमान में जिस दिन एग्जाम कंडक्ट सरकार ने कराई थर्ड ग्रेड के टीचर पंचायती राज के शिक्षकों के लिए उस दिन कानून जिला परिषद का था। कोई गजट नोटिफिकेशन नहीं था, कोई अमेण्डमेंट आपकी सरकार में नहीं लाये थे। इसलिए जो भर्ती आप कर रहे हो, अलबत्ता तो चालीस हजार के लगभग भर्ती आपको करनी चाहिए थी। फिर भी आप तेरह हजार की भर्ती कर रहे हो बाकी के लिए अभी तक कोई प्रक्रिया नहीं चालू हुई। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि पंचायती राज को इतना कमजोर मत कीजिए। सभापति महोदय, आज एक भी क्वेश्चन का जवाब अगर प्रारम्भिक शिक्षा का पंचायती राज मंत्रीजी ने दिया हो तो मुझे बता दें। अभी स्टाफ पैटर्न हुआ पंचायती राज में, किसने किया? शिक्षा मंत्रीजी ने किया। बाकी और काम

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

शिक्षा विभाग के शिक्षा मंत्रीजी कर रहे हैं तो फिर पंचायती राज मंत्रीजी आज क्यों तो ये बिल लाये? पंचायती राज मंत्री का काम क्या है फिर थर्ड ग्रेड टीचर का? आज जब ये एग्जिस्टेंस में हैं आज की तारीख में 15 सितम्बर, 2010 का जो बिल है वह एग्जिस्टेंस में हैं। हमारी सरकार ने प्रारम्भिक शिक्षा को पूरी तरीके से पंचायती राज में दे दिया था। उसके बावजूद सवा दो साल हो गए पंचायती राज को आपके यहां से प्रारमभिक शिक्षा को...

श्री सभापति: माननीय डोटासरा जी, मंत्रीजी कुछ बोलना चाह रहे हैं।

श्री सुरेन्द्र गोयल (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय डोटासरा साहब, मैं आपसे निवेदन करूं कि जो ये प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों का बिल पिछले सत्र में 2015 में राज्य सरकार के पास अधिकार ले लिए थे और राज्य सरकार ने यह अधिकार लेकर के फिर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से रीट के एग्जाम करवाये हैं। इसलिए आपको ये जो गलतफहमी हो रही है न कि 2010 का हमारा आज भी लागू है। 2015 में पिछले सत्र में हमने उसके बारे में बिल पास कर दिया था।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): क्या बिल पास कर दिया था?

श्री सुरेन्द्र गोयल (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): ये प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय के 89 (2) में जो पांच श्रेणियाँ हैं ना उसमें प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय के जो अध्यापक हैं उनकी भर्ती राज्य सरकार के पास अधिकार लेकर के राज्य सरकार ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से करवाये, वो बिल पास कर दिया था।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मैं निवेदन करना चाहता हूं फिर इस बिल की आवश्यकता कहां पड़ गई?

श्री सुरेन्द्र गोयल (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): यह तो सिर्फ ग्राम सेवक और लिपिकों के लिए ही है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): इसमें पढ़िये 89 नम्बर, यही तो झगड़ा है। पांच नम्बर पेज पर ''राजस्थान पंचायत समिति और जिला परिषद सेवा का गठन।'' इसमें दो नम्बर पर देखिए ''सेवा को विभिन्न प्रवर्गों में विभाजित किया जा सकेगा, प्रत्येक प्रवर्ग को भिन्न-भिन्न श्रेणियों में विभाजित किया जाएगा और उसमें- एक नम्बर ग्राम सेवक, दो नम्बर ग्राम

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

सेविका, तीन नम्बर प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक, चार नम्बर लिपिकवर्गीय स्थापन (लेखाकारों और कनिष्ठ लेखाकारों को छोड़कर) और पांच नम्बर में प्रबोधक और वरिष्ठ प्रबोधक।'' मैं बच्चा नहीं हूं, मैंने एलएलबी की है, मैं कानून जानता हूं। मैं अच्छी तरह समझता हूं 2010 का कानून प्रभावी है और इसीलिए आपको ये कानून आज लाना पड़ा है कि जिला परिषदों को भर्ती का अधिकार है। आज हमारा पंचायती राज का कानून यह कह रहा है इसलिए आपको दुबारा थर्ड ग्रेड की नियुक्ति से पहले यह अधिकार लाना पड़ा। लेकिन आपसे चूक हो गई मंत्री महोदय, कि आपने बीच में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से भर्ती करा ली। फिर इस कानून की कहां जरूरत है? ग्राम सेवकों का और थर्ड ग्रेड का, ये 2010 का जो बिल है उसका भी मुलाहिजा फर्मा लें। यह का यह सेन्टेंस है पूरा का पूरा, ये के ये अधिकार हैं कि हम पंचायती राज को जिला परिषदों से लिपिक का, थर्ड ग्रेड का इन टीचरों को करने का अधिकार देते हैं। जब अधिकार उनको 2010 में जिला परिषदों को मिल गये तो आपको यह अधिकार किसने दे दिया कि आप माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से एग्जाम करा रहे हैं? अगर आपने पहले बिल पास करा लिया एक मिनट के लिए मैं मान लेता हूं तो फिर आज आपको इस संशोधन बिल लाने की कहां आवश्यकता पड़ गई यह मेरा आपसे निवेदन है? इसलिए सभापति महोदय, बिलकुल एक तरीके से जो इल्लीगल कार्य सरकार ने कर लिया उसको छिपाने के लिए यह बिल ला रहे हैं। लेकिन इससे उन बेरोजगार छात्रों का, उन बेरोजगार बच्चों का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। क्योंकि ज्योंही आप रिजल्ट निकालोगे उसके बाद में वो सारे के सारे कोर्ट में चले जाएंगे और वापिस दो साल वो का वो हाल है एक ही थर्ड ग्रेड का टीचर आप भर्ती नहीं कर पाओगे यह मैं निवेदन करना चाहता हूं।

दूसरा, मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि एक आपने घोषणा कर दी कि हम बिना टेण्डर के विकास कार्य कराएंगे। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम में संशोधन बिल हमारे समय में पारित हुआ था। उसके तहत आप बीएसआर के आधार पर करा सकते, आपको टेण्डर प्रक्रिया में जाना ही पड़ेगा और इसीलिए ये सरपंच आज धरने प्रदर्शन पर हैं। केवल घोषणाएं करने से कोई काम नहीं चलता है। यह अधिसूचना 22 मई, 2012 को हो चुकी है। जब तक आप संशोधन नहीं कराओगे इन बिलों में आप नहीं जा पाओगे। इसलिए यह जो भी बिल आया

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

है, मैं ज्यादा नहीं बोलकर के केवल कानून बिन्दु के ऊपर मेरी बात को मैं केन्द्रित रखकर के निवेदन करना चाहूंगा कि आपने अपनी हठधर्मिता से, अफ़सरों की नासमझी से आपको मिस-गाइड किया गया और आपको तो मिस-गाइड इसलिए मैं नहीं मानता कि आपके पास तो सवा दो साल से पंचायती राज मंत्री, जब से आप शिक्षा का एक भी क से लेकर क्ष त्र ज्ञ तक कुछ भी नहीं आता है। आपके पास न फाइल आती है प्रारम्भिक शिक्षा विभाग की, न ट्रांसफर हुए, डेपुटेशन हुए, स्टाफ पैटर्न हुआ, प्रबोधकों का कोई मामला हुआ, जो प्रबोधक आये। केवल ग्राम सेवकों की मैं मान सकता हूं, लिपिक की मैं मान सकता हूं लेकिन प्रबोधक, थर्ड ग्रेड टीचर उनका कोई भी विषय इन सवा दो साल में पंचायती राज मंत्री की हैसियत से आपने संपादित नहीं किया और शिक्षा विभाग कर रहा है।

इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप संशोधन कुछ भी करना चाहें, सरपंचों को टेण्डर प्रक्रिया से छूट देना चाहें, कानून के तहत आपको संशोधन लाना पड़ेगा। ये जो आपने शिक्षा बोर्ड की भर्ती करायी है, यह संशोधन बिल पारित होने के बाद में आपको आपके सलेक्शन बोर्ड से ही एग्जाम करानी पड़ेगी केवल मात्र वाहवाही लूटने के लिए सलेक्शन बोर्ड बना दिया। आपका कर्मचारी सलेक्शन बोर्ड कह रहा है कि हमारे पास कोई संसाधन नहीं हैं न हम एग्जाम करा सकते हैं। एक एग्जाम करायी और दूसरी जब वनपाल की एग्जाम करायी तो उसमें पर्चे आउट हो गये और वह परीक्षा निरस्त हो गयी। इसलिए लोगों को मुगालते में रखने की जरूरत नहीं है बेरोजगार आपसे आस लगाये बैठे हैं। विद्यार्थी मित्रों के साथ आपने जो किया वो सबके सामने है जो वादाखिलाफी की, आपने थर्ड ग्रेड की सुराज संकल्प यात्रा में घोषणाएं की थीं, मंत्री महोदय। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जो आज सदन की नेता हैं उन्होंने यह कहा था कि हम अस्सी हजार थर्ड ग्रेड के टीचर पंचायती राज में लगायेंगे। फिर जब आपने 13 दिसम्बर को यहां शपथ ले ली मुख्यमंत्री की तब कहा था कि पचपन हजार को लगायेंगे। फिर यहां सदन में जब पहला सत्र था तो आपने कहा कि पचास हजार को लगायेंगे फिर बाद में कहा कि पैंतीस हजार को, देवनानी जी ने कहा था कि पैंतीस हजार भर्ती, कालीचरण सराफ साहब उच्च शिक्षा मंत्री हैं वो उस टाइम शिक्षा मंत्री थे इनका रिकार्ड में है कि पैंतीस हजार भर्ती करायेंगे और आज तेरह हजार की, पन्द्रह हजार के अन्दर-अन्दर की भर्ती आप करा रहे हो वो भर्ती भी इल्लीगल

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

है इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ये जो बिल है ये बेमानो है, इसका कोई मतलब नहीं है।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): एक मिनट, डोटासरा जी। डोटासरा जी एक सैकण्ड। एक मिनट, सभापति महोदय।

श्री सभापतिः हनुमान जी, बैठो। आपका नम्बर आ रहा है तब बोल लेना न आप। इनके बाद आपका नम्बर है आप बोल लेना। इनको अपनी बात पूरी करने दो। आपका नम्बर आये तब बोलना।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने देवनानी जी को देवयानी कह दिया इसके लिए मैं कह रहा था।

श्री सभापतिः आप विराजो।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आपने यह भी कहा था कि राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग से हम एलडीसी की और इनकी भर्ती करायेंगे। आप नगरपालिकाओं में ई.ओ., आर.ओ., जेइएन, एलडीसी, ये सब निजी संस्थाओं द्वारा करवा रहे हैं। केवल एक एग्जाम आपने राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड से करायी है इसके अलावा नहीं कर पाये इसलिए यह एग्जाम को डिले करने के लिए, बेरोजगारों को और बेरोजगार करने के लिए, दो साल में आपको यह थर्ड ग्रेड की भर्ती एक नहीं करनी पड़े, आपके वित्तीय संसाधन हैं नहीं, आपसे तनख्वाह जो पीछे के हैं उनकी चुकायी नहीं जा रही है। पंचायती राज के कर्मचारियों को मानिये, सभापति महोदय।

लीगल बात है कि स्टाफ पैटर्न करके ये माध्यमिक में ले गये। ये नहीं ले जा सकते जब तक पंचायती राज एक्ट में संशोधन नहीं कर देते तब तक। ले गये न। मेरी धर्मपत्नी का खुद का चयन हुआ है प्राइमरी पंचायती राज से उसको खुद को आपने दसवीं में भेजा ठीक बात है। सरकार आदेश देगी तो काम करना पड़ेगा, लेकिन ऐसे इतने कर्मचारी हैं जो स्टाफ पैटर्न में शिक्षा विभाग ने किये हैं वो आपके कर्मचारी थे, पंचायती राज के थे। आपसे न तो अनुमति ली गई, न आपका अनुमोदन है और उसके बावजूद शिक्षा विभाग धड़ल्ले से यह कार्यवाही कर रहा है। यह पंचायती राज को कमजोर करने वाली बात है। आज सवा दो साल से जिस प्रकार बीडीओ नहीं, ग्राम सेवक नहीं, आधे से ज्यादा पंचायतें खाली पड़ी हैं। सत्तर से ज्यादा पंचायत समितियों में बीडीओ नहीं हैं। जिन पंचायत समितियों का आपने नया गठन

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

किया है उनमें भवन नहीं है, स्टाफ नहीं है। बीडीओ के पास गाड़ी नहीं है। प्रधान के पास गाड़ी नहीं है तो इस पंचायती राज को कहां ले जाना चाहते हो, क्या करना चाहते हो? डिब्बे में पैक करके इस पंचायती राज को खतम करना चाहते हो यह व्यवस्था आपके रहते हुए अगर होती है तो मुझे तकलीफ होती है क्योंकि आप संवेदनशील हैं, समझते भी हैं। अध्ययन भी विभाग का करते हैं इसलिए मेहरबानी करके मंत्री महोदय, इन अधिकारियों को निर्देश दीजिये कि प्रारम्भिक शिक्षा, पंचायती राज मेरे अधीन है मेरे अधीन रहेगी और जो मैं आदेश दूंगा वो आदेश मानना पड़ेगा। अपने अधिकारों को समाप्त मत कीजिये वर्ना आने वाला इतिहास आपको माफ नहीं करेगा। दो बात कहकर के मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं कि जो पद खाली हैं उन पदों को भरा जाए। एक सबसे बड़ी तकलीफ है मैंने आप जब पधारे थे तब भी कहा था और आपने कहा कि मैं तीन दिन में, पांच दिन में जवाब भिजवा दूंगा। 2007 के लगभग महानरेगा एक्ट आया था उसके बाद में ग्रेवल बनी पंचायतों में। उनमें रिपेयर का कोई प्रावधान नहीं होने की वजह से उसके ऊपर एक रुपया दूसरी योजना में या नरेगा में दोबारा उसमें नहीं लग सकता। कल-परसों एक प्रश्न भी लगा था लेकिन उस प्रश्न का जवाब भी गोलमोल आया था। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब सभापति महोदय, डामर सड़क तीन साल में रिपेयर होती है। नवीनीकरण, सुदृढ़ीकरण होता है और दस-दस साल से ग्यारह-ग्यारह साल से नरेगा में जो रोड़ियां डाली थीं, ग्रेवल सड़कें बनी थीं उनमें आज चार-चार फीट के खड्डे हो गये लेकिन हम नरेगा के तहत उसमें नवीनीकरण नहीं कर सकते। कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं होने के कारण से न नरेगा के प्लान में उसको नवीनीकरण के लिए ले सकते, न उसकी कोई जिला कलेक्टर सैंक्शन निकालता है इसलिए हमारे गांवों में इतनी बड़ी दिक्कत है। शौचालय में, आपकी जो सर्वे लिस्ट है उसमें ऐसे-ऐसे घर, परिवार चिह्नित कर लिये जिनके वहां पर शौचालय पहले से हैं इसलिए आपके कोटे में तो एक सौ परसेंट, एक सौ बीस परसेंट हमने शौचालय बना दिये आ सकता है क्योंकि उसका जवाब आ गया कि इसके तो बना हुआ है, लेकिन एक-एक ग्राम पंचायत में सौ-सौ, दो-दो सौ ऐसे परिवार हैं जिनके शौचालय नहीं हैं उनका सर्वे में नाम नहीं है और सर्वे में नाम नहीं होने की वजह से उनकी तो सैंक्शन निकल नहीं सकती। जिनकी सैंक्शन निकली है वो बना नहीं सकते उनको भुगतान हो नहीं सकता क्योंकि उनके पहले से शौचालय बना हुआ है। आप जब सीकर पधारे थे

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

तब भी मैंने यह सवाल उठाया था कि जो प्रधानमंत्री जी का स्वच्छ भारत का सपना है उसके तहत काम नहीं हो रहे हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में तो यह प्राब्लम है कि सर्वे सूची आपकी जो सैंक्शन निकाली है उसमें आधे से ज्यादा पहले से बने हुए है इसलिए भुगतान उठ नहीं सकता। दोबारा बना नहीं सकते और जो नहीं बने हुए हैं उनका सर्वे सूची में नाम नहीं हैं। इसलिए मेहरबानी करके नरेगा में ग्रेवल का कोई समाधान निकालिये। स्वच्छ भारत में शौचालय की बात है इसका निकालिये और जो भर्ती शिक्षा विभाग माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से आप करवा रहे हो वो भर्ती निरस्त कीजिये। पंचायती राज एक्ट में संशोधन करने के बाद में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड से आप पूरी भर्ती कराइये, जितने खाली हैं आज की तारीख में। क्योंकि आपके पास में दो-सवा दो साल का समय है उसमें से भी 6 महीने हैं नहीं। आप योग्य हैं, पढ़े-लिखे हैं, समझदार हैं इसलिए मेहरबानी करके इस पंचायती राज को सुदृढ़ कीजिये। यह हमारी आत्मा है। 70 परसेंट लोग गांवों में रहते हैं हम सब जनप्रतिनिधि जितने भी हैं, दस-बीस की तो मैं कहता नहीं हूं बाकी पंचायतों से जीतकर के आते हैं। जब तक पंचायतों को आप मजबूत नहीं करोगे, उसकी व्यवस्था में सुधार नहीं करोगे तो सही मायने में प्रदेश का विकास नहीं होगा और गांव का विकास अगर करना है तो आपको उठ खड़े होना पड़ेगा। अपने अधिकार दूसरे मंत्री जो काम में ले रहे हैं उनको छीनना पड़ेगा। मांगने से कौन देता है साहब, मांगने से कोई नहीं देता इसलिए छीन कर ले लीजिये। इस व्यवस्था को सुधारिये और इस एक्ट में जो आप आज ला रहे हो इसका कोई औचित्य नहीं है। यह एक्ट उस भर्ती को नियमित करने के लिए हो रहा है जो भर्ती आपने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से कर दी इसलिए वो नियमित हो नहीं सकती कानून में। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। इस बिल का मैं पुरजोर शब्दों में विरोध करता हूं।

श्री सभापति: श्री हनुमान बेनीवाल।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): आज तो पांच-सात मिनट दोगे टाइम, साहब?

श्री सभापति: हां, बोलो आप। भगवान राम है आपका ध्यान रखने वालों में।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): सभापति महोदय, सबसे पहले तो जो

(श्री हनुमान बेनीवाल)

राजस्थान पंचायती राज संशोधन विधेयक, 2016 आज यहां लेकर आयी है राजस्थान सरकार, हमने जनमत जानने के लिए परिचालित करने के लिए लिखा है कि पिछले सवा दो साल से यहां विधान सभा के अन्दर एक तरफ तो आप यह कह रहे हो कि जो फालतू के कानून बने हैं, फालतू के एक्ट बने है उनको भारतीय जनता पार्टी की सरकार खतम करेगी और दूसरी तरफ आप एक-एक दिन में चार-चार बिल पास करा रहे हो आनन-फानन में। सभापति महोदय, आपको यह चाहिए था कि सुराज संकल्प यात्रा के बाद जो बहुमत राजस्थान की जनता ने आपको दिया न बहुत बड़ा विश्वास इस राजस्थान की आपकी सरकार पर व्यक्त किया, राजस्थान के जवानों ने, राजस्थान के किसानों ने, पन्द्रह लाख रोजगार की बात थी, अब कोई कुछ ऐसा करते, नयी भर्तियां आप यहां बजट में खोलते। अभी कल-परसों कह रहे थे कि सात लाख नौकरी तो लगा दीं। अब तो ऐसा लग रहा है कि पन्द्रह लाख नौकरियां भी ऐसे ही लगेंगी जैसे सात लाख लगा दीं। यहां कह देंगे कि पन्द्रह लाख लगा दीं अब कौन पूछने वाला है आप जो कहो आपकी सरकार है। दो-तिहाई से ज्यादा बहुमत आपके पास है चाहे जो बिल लाओ, चाहे जो बिल पास कराओ। आप कई फालतू के बिल भी यहां लाये, करा दिये और उनके अन्दर वापस संशोधन लेकर आ रहे हो।

सभापति महोदय, इस पंचायती राज में जो-जो आप इस बार लाये थे, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के अधिनियम संख्या-13 के विद्यमान उपबंधों के अनुसार पंचायती राज संस्थानों में ग्राम सेवकों को लिपिकवर्गीय सेवाओं की भर्ती जिला परिषद द्वारा की जाती है। सभापति महोदय, इस भर्ती को, उक्त विधेयक के संदर्भ में सरकार का मत है कि अलग-अलग जिलों में अलग-अलग मैरिट से छात्रों में असंतोष पैदा होता है तथा राज्य सरकार ने पहले ही आर्डिनेंस लाकर 3600 और उससे कम ग्रेड की भर्ती अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से करवाने बाबत राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा-89 और 90 को संशोधित कर दिया।

सभापति महोदय, जो राजस्थान में प्रतिबंधित जिले हैं आज उन प्रतिबंधित जिलों में जहां हमारे 50-60 परसेंट लड़कों का सलेक्शन हो रहा है, आप कर्मचारी अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड से कराओगे तो निश्चित रूप से इसकी क्या गारंटी है कि एकदम सही करा दोगे। सभापति महोदय, 2013 में पिछली सरकार में 40 हजार शिक्षकों की भर्ती हुई थी, 2010 में एक्ट को पास

(श्री हनुमान बेनीवाल)

किया था, क्या आवश्यकता पड़ गई कि संशोधन करके उस तरफ आप इसको ले जा रहे हो। सभापति महोदय, कोई आवश्यकता नहीं है। इसकी क्या गारंटी है कि आप अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड से भर्ती कराओगे, अब राजस्थान में तो किसी चीज की गारंटी नहीं रही, यहां तो आरपीएससी जिसमें सबसे ज्यादा इस देश का व्यक्ति भरोसा करता था, राजस्थान के लोगों की आत्मा बसती थी। आरपीएससी का चेयरमैन खुद की बेटी का पेपर आउट कराने चला गया। मैं धन्यवाद दूंगा इसमें आपकी सरकार को कि उसको आपने कम से कम सलाखों के पीछे डाला लेकिन 10 साल तक जो आरपीएससी में भ्रष्टाचार हुआ, दसवीं और बारहवीं में जिनके सैकिण्ड डिवीजन था, जिन्होंने थर्ड डिवीजन से बीए किया एक ही परिवार के पांच-पांच लड़के-लड़कियां आरजेएस, आरएएस बन गये। उसमें गृह मंत्रीजी ने भी उस समय बयान दिया था कि बिलकुल निष्पक्ष जांच होनी चाहिये। हां, आरपीएससी के चेयरमैन को आपने सलाखों के पीछे डाला, बड़ी मजबूती से काम किया, हो सकता है कई बाधाएं भी होती होंगी। राजस्थान की जनता में तो जब संदेश जाता कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के प्रधान मंत्री जो रोज भ्रष्टाचार मिटाने की बात करते हैं, आरपीएससी जो सबसे बड़े एग्जाम कंडक्ट कराती है आरजेएस, आरएएस, आरपीएस। राजस्थान की जो सारी मेन सर्विसेज हैं वह आरपीएससी के माध्यम से आप कराते हो। आरपीएससी की गोपनीयता पर कभी सवाल खड़े हुए, लेकिन 10 साल से ऐसी बातें आई और इस बार पकड़ में आया तो आप 10 साल पूर्व तक की जांच कराते और चिह्नित करते। बहुत बड़ी कमेटी बना कर इसकी जांच कराते...

श्री सभापति: आप विधेयक पर चर्चा करो, दूसरी बातों से क्या मतलब है।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): विधेयक पर ही तो कर रहा हूं, ...(व्यवधान) विधेयक से हमें क्या मिलने वाला।

श्री सभापति: आप तो आरपीएससी पर आ गये।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): हमें विधेयक से क्या मिलेगा साहब, आप बताओ, हमारी बात कहनी पड़ेगी यहां।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): राठौड़ साहब इशारा कर रहे हैं इसका मतलब यह नहीं हुआ आपने 10 मिनट दे दिये उसमें भी यह बोलो,

(श्री गोविन्द सिंह डोटसरा)

यह मत बोलो। माननीय सदस्य के मुंह में शब्द नहीं डाल सकते आप। ऐसा तो मत कीजिए कम से कम।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, मैं किसी भी सदस्य के अधिकार को चुनौती नहीं दे रहा हूं लेकिन जिस विधेयक पर अपन चर्चा कर रहे हैं उसके अलावा अन्य विषय पर भटक रहे हैं यह।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): वाइड स्कोप है।

श्री सभापति: वाइड स्कोप तो है लेकिन इतना भी नहीं है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): पूरे पंचायती राज पर बोल सकता है आज।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): यह भूमिका बांध रहे हैं अभी।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): धीरे-धीरे इस विधान सभा की गरिमा खतम नहीं हो इसके लिये हम सब जिम्मेदार हैं, हम सबको सोचना पड़ेगा। जब वाइड स्कोप है...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, इस राजस्थान विधान सभा की इतनी मान्यता है, इन परम्पराओं की, मुझे पता है मैं लोकसभा में मैम्बर था वहां भी राजस्थान विधान सभा की चर्चा होती थी। इन मान्यताओं को अपन को जिंदा रखना है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): लोकसभा 365 में से आधे दिन चलती है, डेढ़ सौ दिन चलती है। यहां 30 दिन का मौका मिलता है उसमें से 6 छुट्टियां आ गयीं, 15 दिन मौका मिलता है, 15 दिन में यह उप मुख्य सचेतक जी खड़े हो जाते हैं बार-बार, मुख्य मंत्रीजी का वरदहस्त प्राप्त है इनको, इसलिए कोई कह नहीं सकता। बड़ा जोरदार काम है।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): मैं तो यह कह रहा हूं डोटासरा साहब कि आज चार बिल हैं...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आप लाये क्यों चार बिल? यह हमारा आब्जेक्शन है कि आप चार-चार क्यों, यह सारे आज ही ले आते 10-10 मिनट में पास हो जाता।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): बीएसी के मैम्बर आप भी हैं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): यह सरकार की ड्यूटी थी कि सदस्यों को बिल के ऊपर बोलने का मौका दें।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): आप बीएसी के सदस्य हैं इसलिए ऐसा मत बोलो, सबने मिलकर तय किया है कोई अकेले ने नहीं किया।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): राठौड़ साहब विराजो।

श्री सभापति: मुझे खुशी है कि हनुमान जी आपके खिलाफ बोल रहे हैं तो यह संतुष्ट हैं, आप बोलो।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): मैं सरकार की आलोचना नहीं कर रहा हूं, मैं गृह मंत्रीजी को उनकी बात याद दिलाना चाहता हूं वह हमेशा हमारे को कहा करते थे कि भ्रष्टाचार के खिलाफ अपन को यह करना है। आरपीएससी के लिये तो मैंने इनको धन्यवाद दिया लेकिन अगर 10 साल की जांच कराते तो निश्चित रूप से एक मैसेज पूरे राजस्थान में जाता, जो भी परीक्षा हो चाहे अभी पेपर आउट के प्रकरण हुए, आपने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से एग्जाम करा लिये, अब आप इससे करवा रहे हो तो क्या गारंटी है साहब, आपके रीट का पेपर आउट हुआ, वन भर्ती का पेपर आउट हुआ, जेल प्रहरी का आउट हुआ और आपने उसमें एसओजी को जांच भी दे दी। सभापति महोदय, मेरा सरकार को यह कहना था कि विधेयक लाने के बजाय अपन रोजगार के साधन ज्यादा से ज्यादा लायें और जो आपने राजस्थान के जवान को सपना दिखाया था कि हम आयेंगे, आपके जितने भी संविदा पर लगे चाहे आपके पंचायती राज विभाग के, नरेगा के संविदाकर्मी हों, पैराटीचर्स, प्रबोधक, विद्यार्थी मित्र इनको नियमित करेंगे, लेकिन ढाई साल में इस दिशा में सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया।

सभापति महोदय, बार-बार इस प्रकार भर्ती नियमों में बदलाव व सरकार के बदलने पर, नीतियों के बदलने से छात्रों को नुकसान होता है और भर्तियां न्यायालय में अटक जाती हैं। जैसा लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था अब रीट का रिजल्ट आयेगा, उसमें जो लड़के फेल हो जायेंगे वह हाई कोर्ट में जायेंगे और निश्चित रूप से एक बार फिर भर्ती अटक जायेगी। हमारी सबकी एक ही बात यह होनी चाहिये कि कांग्रेस, बीजेपी से ऊपर उठकर इस राजस्थान के जवान को कैसे बचायें। कहीं ऐसा नहीं हो कि किसान आत्महत्या में तो अपना नंबर एक आ गया, 42 किसानों ने ढाई साल

(श्री हनुमान बेनीवाल)

में आत्महत्या कर ली, जवानों की आत्महत्या में भी अपन एक नंबर पर नहीं चले जायें। आज बेरोजगारी से तंग आकर कोटा में आप देख लो किस तरह अवसाद में लड़कें आत्महत्याएं कर रहे हैं। यह सरकार को सोचना होगा, इस पर मंथन करना होगा।

सभापति महोदय, ऐसे विधेयकों का क्या अर्थ है जहां आप इनके प्रावधानों को लागू नहीं करवा पाते। जैसे पंचायती राज के चुनाव में आप एक्ट लेकर आये और इस एक्ट की यहां चर्चा भी हुई। आपने कहा कि आठवीं पास सरपंच होगा और दसवीं पास पंचायत समिति और जिला परिषद का मैम्बर होगा। हम यह नहीं कह रहे हैं कि सरपंच अनपढ़ होना चाहिये लेकिन पहले आप वातावरण तो ऐसा तैयार कीजिए। आप शिक्षा का आंकड़ा जरूर पेश कर देंगे कि साक्षरता इतनी हो गयी, इतने नामांकन हो गये लेकिन जब तक आप लोगों को शिक्षित नहीं करोगे तब तक इन अध्यादेश और कानून बनाने का कोई फायदा नहीं है। सबसे ज्यादा राजस्थान में फर्जी टीसी के प्रकरण दर्ज हुए। बहुत बड़े अचंभे की बात है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र नागौर में चार सरपंच जिस स्कूल से टीसी लेकर आये उनको तो दोषी मान लिया और उसी स्कूल से जो दूसरे सरपंच लाये, हो सकता है कि कैसे उन्होंने एडजस्टमेंट किया होगा, लेकिन उनमें एफआर दे दी, उनको मुलजिम निकाल दिया। यह किस तरह की जांच आप राजस्थान में कर रहे हो। किस तरह का माहौल आप पैदा कर रहे हो। अगर आप करके जाओगे तो फिर जो दूसरे आयेंगे वह निश्चित रूप से इस बात का ध्यान रखेंगे। आप कहते कुछ हो और करते कुछ हो, आपकी कथनी करनी में अंतर है तो इसका बहुत गलत मैसेज राजस्थान में जा रहा है। आपका यह एक्ट भी कोई प्रभावी ढंग से राजस्थान में लागू नहीं हुआ और एक नया भ्रष्टाचार का, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश और कहां-कहां से लोग फर्जी डिग्रियां लेकर आ गये, कौन कौनसे विश्वविद्यालय, कौन-कौनसी कालेज, स्कूल, बोर्ड जिनका कभी नाम नहीं सुना था। मेरा विधान सभा में सवाल लगा था कि कौन-कौनसी डिग्री आपकी मान्य थी, उसमें आपने कह दिया कि आपका सवाल स्थगित किया जाता है बाद में जवाब मंगायेंगे। सभापति महोदय, ऐसी स्थिति है, हम किसके सामने यह बात रखेंगे। आपको इस बारे में गम्भीर मंथन करना चाहिये।

सभापति महोदय, परीक्षाओं के फर्जीवाड़े, पेपर लीक को रोकने के लिये चाहे परीक्षा किसी भी संस्था के माध्यम से हो इसके प्रभावी प्रबंध

(श्री हनुमान बेनीवाल)

आपको करने चाहिये। सभापति महोदय, आज पंचायती राज विभाग की बात चल रही है, पंचायती राज संस्थाओं की मुख्य धुरी सरपंच है और यह आपका कमिटमेंट था जब राजस्थान के सरपंचों ने बहुत बड़ा आंदोलन किया और जयपुर में महापड़ाव किया, पिछली सरकार के समय भी सरपंचों का आंदोलन हुआ था और सरपंचों पर लाठीचार्ज हुआ था और हम लोग वहां गये थे। अबकी बार भी मुझे लग रहा है कि मुख्य मंत्रीजी या आपके मंत्रिमंडल से जो वार्ता करने गया, आपने कहा कि सरपंचों की जो मांगें हैं जिसमें टेंडर प्रक्रिया को खतम करने की बात कही थी, टेंडर प्रक्रिया खतम नहीं हुई, उसी टेंडर प्रक्रिया के आधार पर पंचायतों में काम होंगे। निर्बंध राशि चालू कराने की सरपंचों की मांग थी, 10 हजार मानदेय की वह लोग बात कर रहे थे। टोल फ्री, आप अभी राजस्थान में जो सुराज लाये हो इस सुराज में आपने एक गड़बड़ और कर दी, पहले तो हाइवे पर ही टोल देना पड़ता था, अब तो गांव से बाहर निकलते ही टोल वाले खड़े रहते हैं, स्टेट हाइवे पर, आपकी जो छोटी रोड है उसको आप ठीक करोगे 50 हजार करोड़ रुपया जनता से लेकर और हम राजस्थान में सुराज लायेंगे और हर सड़क पर टोल कर दिया। सरपंच यह चाहते हैं कि उनको भी पंचायत के इलाके में या पंचायत समिति इलाके में आसपास कही टोल नाका लगा हुआ है तो टोल फ्री किया जाये, यह उनकी मांग है।

दूसरा, पक्के काम जहां भी होते हैं उसमें आपको मशीनरी उपयोग की छूट देनी चाहिये। यह मेरा नहीं है, आपकी मुख्य मंत्रीजी ने सरपंचों का जो डेलीगेशन गया था उसको आश्वस्त किया था कि सरपंचों की सारी मांगें मान ली गयीं। सरपंचों ने बहुत बड़े विज्ञापन दे दिये राजस्थान में, फ्रंट पेज पर छपे कि मुख्य मंत्रीजी ने सरपंचों की सारी बातें मान लीं और 60 साल में जो नहीं हुआ वह एक दिन में राजस्थान में हो गया। आज सरपंच आपकी बातों से गुमराह होकर और उनको पता लगा कि कुछ नहीं वहां तो, कहना कुछ और करना कुछ, इधर टी पाइंट पर बैठे हैं हजारो की तादाद में। सभापति महोदय, आप कांग्रेस वाली गलती मत करना, सरपंचों पर कांग्रेस ने लाठी बरसाई थी तो संख्या 21 पर आ गई, भूल से भी मत करना यह गलती नहीं तो बहुत बड़ा मैसेज जायेगा, अधिकार तो दोगे या नहीं दोगे लेकिन गांव में जाकर कहेंगे कि बुलाया था, बात करी थी और हमारे साथ यह काम किया।

(श्री हनुमान बेनीवाल)

आज पंचायत समिति और जिला परिषद के मैम्बर जो चुने जाते हैं। जब प्रधान और प्रमुख का चुनाव होता है तब तो लोग उन्हें पूछते हैं उसके बाद वैसे ही घूमते रहते हैं। प्रधान और प्रमुख का नंबर मिलाते हैं तो नंबर मिलता नहीं या फोन नहीं उठाते हैं कि फालतू में कोई डवपलमेंट के पैसे की मांग करेगा। तो जो पंचायत समिति का मैम्बर है, जिला परिषद का मैम्बर, आपने यह व्यवस्था पहले क्यों चालू की? पहले की तरह प्रधानों और प्रमुखों का चुनाव कराते, अगर कर दी तो उनको भी कुछ राइट मिले। पंचायत समिति या जिला परिषद का उसका जो इलाका है, एक कांस्टीट्यूएंसी के अन्दर चार-पांच जिला परिषद के मैम्बर बनते हैं तो निश्चित रूप से उनका यह होता है कि मैं दस पंचायतों के ऊपर चुनाव जीता हूं और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जो आदमी चुनाव जीतता है तो सोचता है कि मैं इलेक्शन जीता हूं इसलिए मैं सरकार का प्रतिनिधि हूं, जन प्रतिनिधि हूं। मंत्रीजी, इनको भी कुछ-न-कुछ अधिकार आप दें, कुछ इनके लिए फंड करें, कुछ मानदेय भी पंचायत समिति मैम्बर और जिला परिषद मैम्बर को मिले, उनको लगे कि हमारी इस सरकार के अन्दर लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हम जनप्रतिनिधि हैं और हमें ढंग से सुना जा रहा है। सभापति महोदय, मेरी एक दो बात और हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति: आपका टाइम हो गया।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): सभापति महोदय, एक बहुत गम्भीर मामला है। गृह मंत्रीजी यहां विराजे हैं।

श्री सभापति: इसमें गृह मंत्रीजी का मामला कहां से आ गया?

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): मैं यह कह रहा हूं कि पंचायती राज के अन्दर शिकायतें होती हैं कि.. (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): केबिनेट मंत्री एक ही हैं।

श्री सभापति: संसदीय मंत्री बैठे हैं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): अच्छा सॉरी सॉरी।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): सभापति महोदय, पंचायती राज के अन्दर शिकायतें दर्ज होती हैं कि फलां पंचायत के अन्दर फर्जीवाड़ा हो रहा है, नरेगा में जे.सी.बी. चल रही है, सरपंच मनमानी कर रहा है, इस कारण से दूसरे पक्ष के लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है तो लोग कलक्टर के पास

(श्री हनुमान बेनीवाल)

शिकायत लेकर जाते हैं और कलक्टर जांच कराता है जिसमें जिला परिषद् के एक्स.ई.एन. अकाउंटेट, पांच-पांच सदस्यों की आप कमेटी बनाते हो। कलक्टर उन पर मुकदमे दर्ज करवाता है और कलक्टर आफिस में जो विधिक राय देने वाले लोग हैं, वो राय देते हैं कि इसमें इन-इन धाराओं में मुकदमा बनता है। ऐसे राजस्थान में सैकड़ों मुकदमे हर साल दर्ज होते हैं और बाद में..।

श्री सभापति: चलो आपकी बात हो गयी। श्री धीरज गुर्जर।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): सभापति महोदय, एक मिनट तो बात समाप्त करने दो मुझे। मुकदमे थानों में दर्ज होते हैं और छह महीने बाद उनमें एफ.आर. लग जाती है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपके कलक्टर द्वारा, आपकी जांच कमेटियों के द्वारा जो सरपंचों के खिलाफ, मैं यह नहीं कहता कि सारे के सारे सरपंच सौ परसेंट सही हैं लेकिन जो सरपंच भ्रष्ट हैं उन सरपंचों के खिलाफ आप कानूनी कार्यवाही...

श्री सभापति: बिल्कुल। आपने बात सरकार के सामने रख दी।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): सभापति महोदय, थानों के अन्दर पुलिस, गृह मंत्रीजी को मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं कि आपकी पुलिस एफ.आर. दे देती है। आखिर क्या कारण है कि कलक्टर द्वारा जांच करना चाहते हो और पूरी जांच करके थाने के अन्दर एफ.आई.आर. दर्ज नहीं होती है तो उसमें एफ.आर. कैसे... (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): एक सैंकण्ड, यह राठौड़ साहब और गृह मंत्रीजी में इतनी हो गई है क्या? कितनी दूरी बढ़ रही है? यह बढ़ते-बढ़ते इधर घनश्याम जी की तरफ से आ रही दूरी। (व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): मैं यह भी कहना चाहूंगा कि इस मामले के अन्दर भ्रष्टाचार आपको कहीं पर पकड़ में आता है तो इसको रोकने का प्रयास करें। सभापति महोदय, मैं इस एक्ट का विरोध करता हूं। इसे तीन माह के लिए जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाए। धन्यवाद।

श्री सभापति: धीरज जी शुरू करिए।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): आज जो पंचायती राज संशोधन नियम है इसके बारे में मैं इस सरकार से यही कहना चाहता हूं कि राजस्थान के पंचायती राज विभाग को सिर्फ और सिर्फ पंचायती करने का विभाग ही रखना चाहते हो क्या? सरपंचों को पावर नहीं, गांवों में काम नहीं, नरेगा के काम ठप्प

(श्री धीरज गुर्जर)

पड़े हैं। गांवों में विकास के काम बंद हो गये और इस तपती दोपहरी के अन्दर कभी कह देते हो कि फलां चीज में टेण्डर नहीं होंगे। कभी कह देते हो कि टेण्डर हो जाएंगे। कभी कहते हो कि विकास कार्यों में टेण्डर होंगे। कभी कह देते हो कि नरेगा में टेण्डर नहीं होंगे। आप करना क्या चाहते हो? आपकी खुद की नीति और रीति स्पष्ट नहीं है। आपके अधिकारी नहीं मानते या मुख्यमंत्री नहीं मानती? मुझे आज तक समझ में नहीं आ रहा है। इस तपती दोपहरी के अन्दर राजस्थान के सरपंच जो गांव में मुख्यमंत्री के बराबर पावर रखता है, उसको आपने सड़क पर बैठा रखा है। उसकी सुनवाई करने वाला कोई नहीं है।

आप एक तरफ कह रहे हो कि ग्रामीण विकास के कामों में बी.एस.आर. रेट पर काम करवा लो। दूसरी तरफ, आप नरेगा में टेण्डर करवा रहे हो, दोनों रेटों में अंतर आ जाएगा। फिर उस सरपंच और पंचायत की आडिट होगी। तब आपको राम-राम करेंगे क्योंकि दो साल बाद आप तो राज से चले जाओगे। आप कैसा नियम बनाना चाहते हो? आप लोगों के सामने स्पष्ट ही नहीं है। इस पंचायती राज विभाग को विकास करने का विभाग बनाओ, पंचायती का नहीं। ये पंचायती कर रहे हैं, गांव के आदमी काम नहीं कर पा रहे हैं।

आज आपने जो हालात कर दिये हैं। आप जो बिल लेकर आए हो इस बिल के अन्दर आपने कहा कि पूरे राजस्थान के अन्दर हम एक समान भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से भर्ती करेंगे। आपने यह नहीं सोचा कि कांग्रेस जो बिल लेकर आई थी, दिसम्बर, 2010 में हम बिल क्यों लेकर आए थे? क्योंकि हर जिले की भौगोलिक स्थिति अलग-अलग है। आप जैसलमेर और बाड़मेर के आदमी का मुकाबला कोटा के आदमी से नहीं कर सकते। आप शेखावटी के आदमी का मुकाबला भीलवाड़ा के आदमी से नहीं कर सकते। आप कोटा के भौतिक स्तर का मुकाबला डूंगरपुर-बांसवाड़ा से नहीं कर सकते। इसलिए हमने यह नियम लागू किया है कि प्रत्येक जिले का अलग-अलग कैडर होगा। अपने जिले में परीक्षा देगा और अपने जिले के अन्दर, समान छात्रों में जिसका नंबर आएगा वह नौकरी पर लग जाएगा। आप चाहते ही नहीं हो। आप चाहते हो कि जो शहरों के अन्दर रहने वाले लड़के हैं, उनकी नौकरी लगे। गांव के गरीब आदमी के हाथ में आप रोजगार नहीं देना चाहते हो। इस बात का सबसे बड़ा द्योतक आपका यह बिल है, जिस बिल के अन्दर कभी बांसवाड़ा-डूंगरपुर के आदमी का नंबर नहीं आएगा। कभी जैसलमेर-बाड़मेर के आदमी का नंबर नहीं

(श्री धीरज गुर्जर)

आएगा। कभी भीलवाड़ा के गरीब आदमी का नंबर नहीं आएगा। नंबर आएगा तो कोटा के आदमी का आएगा, जयपुर के आदमी का आएगा, उदयपुर के आदमी का आएगा, जो शहरों के अन्दर अच्छी पढ़ाई-लिखाई कर रहे हैं। इसलिए आपके इस बिल के लिए मैं कहना चाहता हूं कि यह नकारने लायक बिल है और सबसे बड़ी बात अभी डोटासरा जी ने कही कि जब आपने माध्यमिक शिक्षा की थर्ड ग्रेड की परीक्षा ही करवा ली तो फिर यह बिल लाने का ढकोसला क्यों कर रहे हो? जब आपने खुद ने सरकार के नियम, कानून-कायदों की धज्जियां उड़ा दीं तो अब अपना चेहरा बचाने के लिए... क्योंकि जैसे ही रिजल्ट आएगा जो लड़के फेल हो जाएंगे, हाइकोर्ट के अन्दर जाएंगे और फिर एक बार राजस्थान का युवा ठगा जाएगा। कितने करोड़ों रुपये उनके कोचिंगों में खतम हो जाते हैं। उसका नंबर नहीं आता है।

मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस बिल के अन्दर आप जनमत जानो और इसको जनता के पास भेजो ताकि लोग यह कहें कि जो गांव का गरीब आदमी है, जो उस जिले का रहने वाला है। अपने जिले में समान भौगोलिक स्थिति और समान बौद्धिक स्तर के लड़कों के बीच में अगर वो एग्जाम देगा तो निश्चित रूप से उसका नंबर आएगा, उसकी नौकरी लग जाएगी और उसके हाथ को रोजगार मिलेगा। गांव के गरीब आदमी का रोजगार मत छीनो, नहीं तो जनता आपको घर भेज देगी और वापस नहीं आने देगी।

आपने क्या हालत कर दी? राजस्थान के अन्दर आपको इतनी जल्दी थी कि सरपंच आठवीं पास, सी.आर.डी.आर. दसवीं पास। सी.आर.डी.आर. को तनख्वाह दे रहे हो क्या? आपने राजनीतिक द्वेषता से राजस्थान की महिलाओं को भेजने का काम किया है। अगर इतना ही जरूरी था कि पढ़ा-लिखा सरपंच होना चाहिए, पढ़ा-लिखा सी.आर.डी.आर. होना चाहिए तो पहले आपको ऐसी परिस्थितियां पैदा करनी थीं कि उसको एक-दो साल का मौका देते ताकि वो पढ़-लिख जाता। आज जो सरपंच बन गये उनको अहसास ही नहीं है कि उनके हाथ में क्या पावर है? सिर्फ किताबें पढ़ने से काम चल जाता तो राजस्थान का भला ये अधिकारी ही कर देते, हमारी क्या जरूरत थी? जिसके पास गांव में काम करने का अनुभव है, उसके अनुभव का मुकाबला आप किताबों से नहीं कर सकते लेकिन आपको शर्म नहीं आई। आपने राजनीतिक द्वेषता का काम किया है। गृह मंत्रीजी बैठे हैं, ये बार-बार कहते हैं कि मैं बहुत ईमानदार आदमी हूं।

(श्री धीरज गुर्जर)

हमारे सरसिया के अन्दर एक महिला जिसने पिछली बार सरपंच का चुनाव लड़ा, उसने फार्म में लिखा कि मेरी शैक्षणिक योग्यता अनपढ़ है। मैं अंगूठा लगाती हूं। उसने इस बार चुनाव लड़ा। जैसे ही आपकी सरकार ने यह अधिनियम लागू किया कि आठवीं पास के अलावा आदमी सरपंच नहीं बन सकता है। उस महिला ने हाइकोर्ट के अन्दर रिट लगाई कि मैं एक अनपढ़ महिला हूं सरकार ने मेरे अधिकारों का हनन किया है और जैसे ही चुनाव हुए उसने फर्जी टी.सी. बनाकर चुनाव लड़ लिया। आपके पुलिस अधिकारियों ने उसके ऊपर एफ.आर. लगा दी, पचास हजार के हरे-हरे नोटों के बदले में। महिला खुद कह रही है क्योंकि वह आपकी पार्टी से जुड़ी हुई थी।

कांग्रेस के सरपंचों को, कांग्रेस के सी.आर. को, कांग्रेस के डी.आर. को राजनीतिक द्वेषता से आपने जेल में डाला। ऐसा ही जहापुर थाने का मामला है। भिलैटा और सरसिया दोनों के सरपंचों ने हाइकोर्ट के अन्दर यह कहा था कि हम अनपढ़ हैं। उसके बाद आपकी पुलिस उस पर एफ.आर. लगाती है और आप राजस्थान के सी.आर, डी.आर. को जेल भेज रहे हो। आपने तनख्वाह दी उनको? मीटिंग में आने के नाम पर सौ-पचास रुपये का भत्ता पकड़ा देते हो। कांग्रेस राज ने पंचायती राज को मजबूत करने का काम किया था। इसीलिए पहले जो सी.आर. और डी.आर. थे, उनके पास अपने गांव के विकास के लिए फंड होता था। अपने क्षेत्र के अन्दर चुनाव जीतकर आते थे तो अपने गांव में जब जाते थे तो घोषणा करके काम करा सकते थे। इस राज में नहीं, उससे पहले। मंत्रीजी, आप पता कर लेना कि पहले उनके पास पावर होती थी। उस पावर के बदले में अपने-अपने क्षेत्र में वे घोषणा करते थे विकास निधि की। मैं सरकार से मांग करता हूं कि सी.आर. और डी.आर. को भत्ता भी दिया जाए और उनके लिए कम-से-कम दो-तीन लाख की विकास निधि की घोषणा भी की जाए, ताकि वो अपने क्षेत्र के अन्दर घूमने जाएं तो सरपंच का मुंह नहीं देखे और वह काम करा सके।

मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं कि कांग्रेस ने पंचायती राज को हरदम मजबूत करने का काम किया है। हिन्दुस्तान में पंचायती राज की नींव राजस्थान के नागौर से रखी और आपने सत्ता में आने बाद जो पांच विभाग हमने हस्तांतरित किए थे, उन पांच विभागों की शक्तियां, उस प्रधान से और सरपंच से छीनने का काम किया है। पंचायती राज को राजस्थान में कमजोर करने का काम आपने किया है। आपसे मैं कहना चाहता हूं जो भी पंचायती

(श्री धीरज गुर्जर)

राज से जुड़े हैं ए.एन.एम. डी.जी.एन.एम. या आंगनबाड़ी सहायिका, ये प्रधान की सुनते नहीं हैं। मीटिंगों में जाते नहीं हैं और आपने पंचायती राज कानूनों का खुला उल्लंघन किया है। जब बात चलती है, जो उस ग्राम पंचायत का रहने वाला है, वो उसी ग्राम पंचायत के अन्दर ग्राम सेवक या ग्राम सचिव का काम नहीं करेगा। फिर आपने एल.डी.सी. जो कि उसी ग्राम पंचायत का रहने वाला है, उसे ग्राम सचिव का चार्ज क्यों दे रखा है? वो सरपंच की सुनता नहीं है। मैंने चुनाव लड़ा, मेरे सामने जिसने चुनाव लड़ा उसके परिवार का आदमी वहीं पर एल.डी.सी. लगा हुआ है। आपने उसको उसी ग्राम पंचायत के अन्दर चार्ज दे दिया। आप खुला-खुला पंचायती राज अधिनियम का उल्लंघन कर रहे हैं और राजस्थान के गांवों में सरपंचों का काम इसीलिए ठप्प पड़ा हुआ है।

आपने राजनीतिक लाभ लेने के हिसाब से, अपने-अपने मंत्रियों को खुश करने के हिसाब से, मनमर्जी से पंचायतों का और पंचायत समितियों का गठन कर दिया। उन नव सृजित कर्मियों के पद तो आपने सृजित कर दिये, लेकिन अभी तक उन पंचायतों में और पंचायत समितियों में पदस्थापन नहीं किया। उन पंचायतों में लोग काम पर नहीं लगाये हैं। जब आपको काम पर लगाना ही नहीं था तो फिर आपने गठन क्यों किया? जब स्पष्ट निर्देश हैं कि नव सृजित जो पद होंगे, इनमें खास करके कार्यालय सहायक, वरिष्ठ लिपिक और पंचायत प्रसार अधिकारी पदोन्नति से लगेंगे तो एक साल से राजस्थान में पदोन्नति समिति, मुझे भीलवाड़ा का तो पता है, एक साल से पदोन्नति समितियों की बैठक ही नहीं हुई। वह एल.डी.सी., वह सचिव, वह यू.डी.सी. राह तक रहे हैं कि पदोन्नति समितियों की बैठक हो जाये, हमारी भी पदोन्नति हो जाये तो हम लोगों की भी पोस्टिंग हो सके। आप उनकी पदोन्नति करना ही नहीं चाहते हो। आप प्रधान और जिला प्रमुख को कमजोर करना चाहते हो। आप क्यों ऐसी सोच रख रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। असली जो हमारी आधारशिला है, उसको आप तोड़ना चाहते हो।

सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहता हूं, सरकारें इस देश के अन्दर बहुत सी आईं, एक सबसे बड़ी समस्या जो है, हमने कभी यह नहीं सोचा कि पंचायती राज हमारा कमजोर क्यों हो रहा है। क्योंकि आज की तारीख में जो आरक्षण व्यवस्था लागू है रोटेशन के आधार पर है। हर पांच साल के अन्दर उस पंचायत का सरपंच बदल जाता है। इसलिये जो आदमी सरपंच बनता है

(श्री धीरज गुर्जर)

वह सोचता है कि मेरा अगली बार मौका आयेगा या नहीं आयेगा। तो वह पांच साल के अन्दर अपना पेट भरना चाहता है। मैं आपसे यह मांग करना चाहता हूं कि जिस तरह से पंचायतों का रोटेशन वाइज हम आरक्षण करते हैं, उसकी जगह पर जैसे विधायकों का, आपने विधान सभा सीटों का फिक्स कर रखा है कि 25 साल तक जो सीट एस.सी. में आ गयी, या एस.टी. में आ गयी, जनसंख्या के आधार पर उस सीट को आप रिजर्व कर देते हो। पंचायतों के अन्दर भी 25 साल के लिये नहीं कर सको तो कम से कम 15 साल के लिये आप रिजर्व करो, ताकि दो-तीन बार के अन्दर चुनाव लड़ता-लड़ता उस केटेगिरी का बैस्ट आदमी हमारे सामने आ जायेगा और पांच साल के अन्दर उसको पता रहेगा कि पांच साल के बाद भी इसी केटेगिरी का चुनाव वापस होना है, या जनरल के आदमी को पता रहेगा कि पांच साल के बाद मुझे वापस इसी सामान्य पंचायत के अन्दर चुनाव लड़ना है तो वह जनता की जेब काटने का काम नहीं करेगा। अगर आप ऐसा कर देंगे तो राजस्थान का पंचायती राज अपने आप पांवों पर खड़ा हो जायेगा। इसलिये, मंत्रीजी, मैं आपसे मांग करता हूं कि आप हिम्मत दिखाइये और यह नियम लागू कर दीजिये। जिस तरह से विधान सभा सीटों को आपने तय कर रखा है कि यह एस.सी. में है, यह एस.टी. में है, यह इस तरह से, उस तरह से आप एस.सी., एस.टी., ओ.बी.सी. के अन्दर ग्राम पंचायतों के सरपंचों की सीटों को फाइनल कर दीजिये कि फलां पंचायत एस.सी. में 15 साल तक रहेगी, फलां पंचायत एस.टी. में 15 साल तक रहेगी, फलां पंचायत ओ.बी.सी. में रहेगी और फलां पंचायत जनरल वर्ग के अन्दर रहेगी। इससे निश्चित रूप से राजस्थान के अन्दर पंचायती राज सशक्त होगा और खड़ा होगा। मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

पांच मिनट लास्ट। दो मिनट लास्ट।

श्री सभापति: दो मिनट।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): जब हमने यह फाइनल कर दिया कि जो आर.डी.एस. आपने बना दिये, वह आर.डी.एस. जब बी.डी.ओ. के पदों पर लगेंगे तो शिक्षा विभाग से प्रतिनियुक्ति से आये, ये जो लल्लू आदमी हैं, जिनको पता है कि हमें वापस अपनी जगह पर जाना है, यह दोनों हाथों से

(श्री धीरज गुर्जर)

जनता को लूटने का काम कर रहे हैं। आज हमारे जहाजपुर का मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं। जिस आदमी के खिलाफ जांचें चल रही हैं, उसको आपने बी.डी.ओ. लगा दिया। वह पांच-पांच सौ रुपये के बिना मस्टर-रोल जारी नहीं करता। हजार रुपये के बिना सी.सी., यू.सी. जारी नहीं करता, जहाजपुर पंचायत समिति का बी.डी.ओ.। मैंने आपको शिकायत कर दी, उसकी शिकायत को आप कलेक्टर को भेज दोगे, कलेक्टर शिकायत को सी.ई.ओ. को भेज देगा, वह शिकायत उसी बी.डी.ओ. के पास पहुंच जायेगी, ढाक के तीन पात। पंचायत समिति की गाड़ी को रोज जहाजपुर से लेकर अपने घर ले जाता है, रात को अपने घर खड़ी रखता है, सुबह वापस पंचायत समिति में आ जाता है। सत्ता का इतना दुरुपयोग मत करो। लोगों के आंखें हैं। ढाई साल बाद वोट पड़ने हैं। आप स्थिति को समझो। हमारी जहाजपुर पंचायत समिति की बता रहा हूं, सी.ई.ओ. ने आदेश कर दिये, हैण्ड-पम्प और बोरिंग के भुगतान के लिये, 5-6 लाख का ठेकेदार का डेढ़ साल से बिल अटका हुआ है। प्रधान और बी.डी.ओ., प्रधान कहता है मुझे पचास हजार रुपये देगा तब चैक पर साइन करुंगा। बी.डी.ओ. कहता है, मुझे पच्चीस हजार रुपये देगा, तब चैक पर साइन करुंगा। आप कहां ले जाना चाहते हो राजस्थान के पंचायती राज विभाग को। इसीलिये मैं आपसे मांग करता हूं कि राजस्थान के अन्दर जो बी.डी.ओ. हैं, इनकी जगह पर आर.डी.एस. लगाओ, जो आपके पास ट्रेनिंग करके तैयार बैठे हुए हैं। राजनीतिक द्वेषता से पदस्थापन करना, ये पद देना बंद कर दो। नहीं तो राजस्थान की जनता कहीं पर नहीं छोड़ेगी।

यह जो बिल आप लेकर आये हो, इस बिल की अवधारणा ही खतम हो चुकी है, क्योंकि आपने थर्ड ग्रेड टीचर्स का एग्जाम करवा लिया है और राजस्थान के ग्रामीण अंचल में रहने वाले गरीब आदमियों को अगर काम देना चाहते हो तो जिला परिषदों के माध्यम से जिले में परीक्षा करा कर भर्ती कराओ। ताकि गांव के गरीब आदमी का नौकरी में नम्बर आ जाये। यह जयपुर, उदयपुर, कोटा के पढ़े-लिखे नौजवान, सेठों के बच्चों को नौकरी मत दो। गांव के गरीब आदमियों को नौकरी दो। तब लोग आपको याद रखेंगे। इसलिये मैं मांग करता हूं कि कम से कम तीन महीने इसको जनमत जानने के लिये परिचालित किया जाए और उसके बाद उस पर निर्णय किया जाए। नमस्कार।

श्री सभापति: श्रीमती अलका सिंह। नहीं हैं?

(श्री सभापति)

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला।

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (झुंझुनूं): माननीय सभापति महोदय, आज पंचायती राज अधिनियम, 1994 में संशोधन किया जा रहा है। आप उसकी धारा 89 को रिपील कर रहे हैं। उसमें संशोधन कर रहे हैं। उसी के सन्दर्भ में धारा 90 में भी आप कुछ कर रहे हैं। सभापति महोदय, राजस्थान उन अग्रणी राज्यों में है, जिन्होंने सबसे पहले यहां त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था लागू की। जैसा लूणी से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि पंचायत राज से यह हो गया, वह हो गया। मैं उन बातों पर नहीं जाऊंगा।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): माननीय सभापति महोदय, एक बात कहना भूल गया।

श्री सभापति: बोलने दें।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): मंत्रीजी के जिला प्रमुख की जांच चल रही है, फर्जी टी.सी. के मामले में।

श्री सभापति: विराजो। आपके सदस्य को बोलने दें।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): और कांग्रेस के सरपंच, सी.आर. को जेल में भेज रहे हो।

श्री सभापति: अब विराजो। यह कोई तरीका थोड़े ही है।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): भूल गया।

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (झुंझुनूं): पंचायत राज की अवधारणा हमारे संविधान में की गयी है और नीति निर्देशक सिद्धान्तों में इस बात की चर्चा भी की गई है। उसी के निमित्त राजस्थान में 1959 में नेहरूजी ने नागौर में इसकी शुरूआत की। उसमें पहले हमारे यहां पंचायतें थीं, तो 1994 का जो एक्ट आया, इससे पहले अपने दो एक्ट थे। एक पंचायत एक्ट था और एक पंचायत समिति एण्ड जिला परिषद एक्ट था। भारत की संसद ने 73वां संविधान संशोधन किया और उसके निमित्त 1994 का एक्ट राजस्थान में आया। उस समय शायद आज के गृह मंत्री हैं, ये पंचायती राज मंत्री थे या नहीं थे, पर आदरणीय भैरोंसिंहजी की सरकार यहां थी। उस समय यह एक्ट बना। उससे पहले जो एक्ट था, उसमें पंचायत समिति और जिला परिषद के कर्मचारियों के चयन के लिये एक राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद चयन आयोग बना हुआ था, जिसमें एक चेयरमैन होता था और एक मैम्बर होता था। जिस जिले के लिये सलेक्शन करते थे उसका जिला प्रमुख उसका पदेन सदस्य होता

(श्री बृजेन्द्र सिंह ओला)

था। उस व्यवस्था को 1994 के विधेयक में समाप्त कर दिया। उसके बाद आपने जिला स्थापना समिति को अधिकार दिये, डी.ई.सी. को। कई बार डी.ई.सी. से अधिकार वापस लिये। फिर उसको वापस दिये। यह सारा चलता रहा। कभी इसमें स्थायित्व नहीं रखा गया। आपने, पिछला जो आपका कार्यकाल था, उसमें भी बात आई शिक्षा मंत्री और पंचायती राज मंत्री में कि प्राथमिक शिक्षा के काम कौन देखे, कौन ट्रांसफर करे। आप लोगों को याद होगा कि उस समय के राज्य मंत्री जो शिक्षा के थे, पहले तो काम शिक्षा मंत्री से कराया गया, फिर उनका पदनाम बदला गया। शिक्षा और पंचायती राज राज्य मंत्री उनको कहा गया। उनको वह काम देकर उनसे कराया गया, पर इस बार तो पराकाष्ठा ही हो गई कि पंचायत राज से सारी प्रारम्भिक शिक्षा ही ले ली। जो हमारा संविधान संशोधन विधेयक था, उसमें 29 सब्जैक्ट दिये गये थे। उसमें आपसे यह अपेक्षा की गई थी कि आप माध्यमिक तक की शिक्षा पंचायत राज संस्थाओं को देंगे। उसके विपरीत जो प्रारम्भिक शिक्षा पंचायत राज में थी, उसको ही वापस ले लिया। आज स्थिति यह है कि आपने शिक्षकों का अधिकार तो पहले ही ले लिया था कि आप जिससे चाहें उससे उसको करवाएं। पंचायत राज संस्थाओं के पास और जो बचे हुए थे, बाबू, सहायक, ग्राम सेवक, उनको आज आप लेने जा रहे हैं और उस कमीशन को देने जा रहे हैं। पंचायत राज में सबोर्डिनेट सर्विस सलेक्शन कमीशन को इस धारा के तहत आप देने जा रहे हैं। पंचायतों की हालत यह है कि जिन पदों को अपन इनको देने जा रहे हैं, सर्विस सलेक्शन बोर्ड को, सबोर्डिनेट सर्विस सलेक्शन बोर्ड को, आज किसी जिले में या पंचायत समिति में 40 पंचायतें हैं तो ग्राम सेवक माननीय मंत्रीजी के पास 10 ही हैं, उस पंचायत समिति में लगाने के लिये। अच्छा होता, या आपको जल्दी थी तो जैसे और जगह कई बार राज्य सरकार कहती है, इमर्जेंसी रिक्रूटमेंट कर लेते और उनमें पद भरवा देते।

जिला परिषदों को अनुमति देते तो वह सलेक्शन करती पर स्थिति आज यह आ गयी कि आपके पास ग्राम सेवक हैं नहीं और जो सहायक थे वह पूरे कन्फर्म नहीं हो पाये, उनसे आप ग्राम सेवकों का काम ले रहे हैं और इसमें जो आपने आज व्यवस्था की है, इससे कम से कम आपको, आप बहुत जल्दी करोगे तो भी एक साल आपको इसमें लगेगा।

पंचायती राज को हमारी सरकार ने पांच विभाग दिये थे- थ्री-एफ के साथ, फंड, फंक्शनरीज और फाइनेंस।

श्री सुरेन्द्र गोयल (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): फंड, फंक्शन और फंक्शनरी।

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (झुंझुनूं): हां, फंड, फंक्शन और फंक्शनरी। उसकी क्या स्थिति है, पंचायती राज मंत्री बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे।

आज स्थिति यह है कि पंचायती राज मंत्रीजी का जो प्रिंसिपल सैक्रेटरी है, वह इनकी जांच कर सकते हैं क्या? परिस्थिति यह कर दी गयी कि जिला प्रमुख के खिलाफ जिला परिषद का सी.ई.ओ. चिट्ठी लिखे गवर्नमेंट को और गवर्नमेंट यह कहे कि कलेक्टर इसकी जांच करेगा। आपने पंचायती राज एक्ट में यह व्यवस्था कर रखी है कि अमुक राशि का चैक नीचे तक होगा और उसके बाद जिला प्रमुख उसको करेगा और उसमें आपने जिला प्रमुख को यह अधिकार दे रखा है कि वह पेमेंट के बारे में जानकारी कर सकता है कि आप यह पेमेंट किसलिए कर रहे हो? वह उसके बारे में कोई भी क्वेरी कर सकता है और क्वेरी करके उस पेमेंट को स्टाप भी कर सकता है, पर मैं आपको उदाहरण दूं कि झुंझुनूं में जिला प्रमुख ने एक चैक के बारे में क्वेरी की। अधिकारियों को जल्दी थी कि किस तरह हम इस अमाउंट को प्राइवेट बैंकों में डालें और उनका क्या अल्ट्रामोटिव था, यह तो वह जाने। जिला प्रमुख ने फाइल पर जानकारी मांगी कि यह पेमेंट में, इसमें प्रोग्रेस क्या है? तो प्रोग्रेस रिपोर्ट देने के बजाय गवर्नमेंट को लिख दिया कि जिला प्रमुख दस्तखत नहीं कर रही हैं तो उस कलेक्टर से साइन करवा लिये। कलक्टर से आप इमरजेंसी में साइन करवा सकते हो कि प्रमुख अवेलेबल नहीं हो आपको और नहीं हो और फिर सी.ई.ओ. की चिट्ठी पर आप जिला प्रमुख की जांच कलेक्टर से करवा रहे हो। आप कहां इस पंचायती राज को ले जाना चाहते हो? यहां मंत्री की जांच चीफ सैक्रेटरी कर सकता है क्या? कलेक्टर का इस विधेयक में कहीं कोई नाम ही नहीं है। पुराने विधेयक में जरूर कलेक्टर का होता था, पर इस विधेयक में कहीं कलेक्टर का लेना-देना नहीं है। किसी स्कूल में तीन टीचर्स हैं और बच्चा एक है, किसी में एक भी बच्चा नहीं है, आपने फरमान भेज दिया कि पंचायत समिति कोई ट्रांसफर नहीं करेगी, कोई एडजस्टमेंट नहीं करेगी। जिला परिषद कोई ट्रांसफर नहीं करेगी, कोई एडजस्टमेंट नहीं करेगी। आप कहां ले जाना चाहते हैं इस व्यवस्था को?

अभी उधर से एक माननीय सदस्य फरमा रहे थे कि हम डीसेंट्रलाइज कर रहे हैं। आप डीसेंट्रलाइज नहीं कर रहे हैं, आप तो सेंट्रलाइज कर रहे हैं। आपने पंचायती राज को बिलकुल पंगु बना दिया है। पंचायती राज, इस सदन

(श्री बृजेन्द्र सिंह ओला)

में जो बैठे हैं अगर मैं गलती पर नहीं हूं तो माननीय सभापतिजी, शायद आप भी जिला प्रमुख रहे हैं। इस सदन में 60 परसेंट सदस्य ऐसे होंगे जो पंचायती राज संस्थाओं के मार्फत यहां तक पहुंचे हैं और एक सदस्य तो राजस्थान के मुख्य मंत्री भी रहे हैं। पंचायती राज के प्रमुख रहे हुए तो आदरणीय शिवचरणजी राजस्थान के मुख्य मंत्री भी रहे हैं।

अगर वह जन-प्रतिनिधि पंचायती राज में है तब तो वह अयोग्य है और वह एम.एल.ए. या एम.पी. बन जाता है तो वह योग्य हो जाता है। आप जब भारत सरकार के पास जाते हैं पावर मांगने के लिए तब तो आप यह कहते हैं कि आप स्टेट के पावर्स का उल्लंघन मत करो। राजीव गांधीजी विधेयक लाए थे उसमें तीसरी गवर्नमेंट की उन्होंने एक परिकल्पना की थी और जैसे सेंट्रल की एक सूची है, स्टेट की सूची है संविधान में उसी तरह से जिला सरकार की भी सूची उन्होंने बनाई थी, पर वह विधेयक दुर्भाग्य से एक वोट से राज्य सभा में गिर गया और उसके बाद यह जो विधेयक आया इसमें राज्य सरकारों पर छोड़ा गया और राज्य सरकारों ने अपने पावर कहीं भी देने की इच्छा शक्ति नहीं दिखाई। आज आपने उनके पास जो थोड़ा-बहुत काम था, वह भी ले लिया। क्या गारंटी है, आपके पास कि इस सबओर्डिनेट से, आप उन चुने हुए जन-प्रतिनिधियों को यह मानते हैं कि वह पक्षपात करेंगे, वह भ्रष्टाचार करेंगे तो क्या गारंटी है कि अधीनस्थ बोर्ड में गड़बड़ी नहीं होगी? आपके आर.पी.एस.सी. जो संवैधानिक संस्था है, उसमें ही गड़बड़ी हुई है और मैं उदाहरण दे सकता हूं कि आर.पी.एस.सी. में भी राजनीतिक व्यक्ति सदस्य रहते हैं। इसमें भी राजनीतिक व्यक्ति सदस्य नियुक्त होते हैं तो फिर यह तो व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वह किस तरह से, जहां पर है वहां पर काम करें।

आपने बीकानेर को ओ.डी.एफ. कर दिया। झंझुनूं को ओ.डी.एफ. कर दिया। आपने एक बेस-लाइन बना दी कि इसमें जो है, हम तो उनको ही पेमेंट करेंगे। आप वीडियोग्राफी करवा लें कि सुबह कितने व्यक्ति खुले में शौच करने जाते हैं बीकानेर में, कितने लोग झुंझुनूं में खुले में शौच करने जाते हैं? आप उस बेस-लाइन को मत मानें। जिनके घर में शौचालय नहीं है, आपकी बेस लाइन के बाद, उनको भी उस सर्वे में लो और प्रेक्टिकली तो तब ही ओ.डी.एफ. आप कर पाओगे। यह आपके प्रधान मंत्रीजी का सबसे प्रिय कार्यक्रम है स्वच्छ भारत, उसमें आप जो लोग रह गये हैं ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (झुंझुनूं): मैं दो मिनट में समाप्त करता हूं, माननीय सभापति महोदय, आप उनको लें। कई जगहों से बात आई कि बी.डी.ओ. के पद खाली है। कई-कई जगह से यह आई कि आपने उसी पंचायत में सहायक उसको लगा दिया। यहां तो उसी पंचायत समिति में बी.डी.ओ. भी लगा रखा है, गृह पंचायत समितियों में तो इस तरह की जो व्यवस्था है, आप उसको बदलें। जब आपका यह सिद्धांत: यह व्यवस्था है कि आर.ए.एस. अफसर उस गृह जिले में नहीं लगेगा तो बी.डी.ओ. को और इनको कम से कम गृह पंचायत समिति में तो आप नहीं लगाएं। आपने इस पंचायती राज संस्था को, जो विभिन्न संशोधन आप लाए हैं, उनसे उनके जन-प्रतिनिधियों को कमजोर किया है, पंचायती राज संस्थाओं को कमजोर किया है। मेहरबानी करके पंचायती राज संस्थाओं को आप मजबूती दें। राजस्थान में भी दो कमेटीज बनाई गयी थीं इनको मजबूत करने के लिए। एक हमारे टाइम में आदरणीय गुलाब सिंहजी शक्तावत साहब की अध्यक्षता में बनाई गयी थी और दूसरी आपके समय में सदन के वर्तमान गृह मंत्रीजी आदरणीय गुलाबजी की अध्यक्षता में बनाई गयी थी। आप उनकी रिपोर्टस को देखें और उनको भी इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें जो आपके स्पेस में हो और इस पंचायती राज को मजबूती प्रदान करने की कोशिश करें।

आज जो राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2016 में संशोधन आया है, जनमत जानने के लिए परिचालित करें। उस पर पंचायती राज संस्थाओं के जो जन-प्रतिनिधि हैं, उनकी राय आएगी और लोगों की राय आएगी। इसमें ऐसा नहीं हो जाएगा कि आप इसको तीन महीने बाद इस सदन में लाएंगे तो कोई बहुत बड़ा फर्क आ जाएगा, आप इसको जनमत जानने के लिए परिचालित करें, यही मेरा प्रस्ताव है। धन्यवाद।

श्री सभापति: डा. मंजू बाघमार। (अनुपस्थित) श्री शुभकरण चौधरी। (अनुपस्थित)

श्री केसारामजी।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): माननीय सभापति महोदय, आज राजस्थान पंचायती राज संशोधन विधेयक, 2016 के ऊपर जो बिल आया है, उस पर मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं और निवेदन करता हूं कि राजनीति में सबसे पहली पायदान पंचायती राज से शुरू होती है। वार्ड पंच, सरपंच, समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य

(श्री केसाराम चौधरी)

और प्रमुख, यह सभी मिलकर गांवों के विकास की प्रथम कड़ी यदि कोई है तो वह सरपंच है। आपने जो पहल की है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। कांग्रेस राज ने सरपंचों और कांग्रेसियों को ठेकादार बना दिया था। हर पंचायत में ठेकेदार रेती अलग लाएगा, खंडे अलग लाएगा, कोई अलग से काम करेगा, आपने उस ठेकेदारी प्रथा को खतम किया और सरपंच को पूरा पावर देने की कोशिश की है, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं।

(16.00 बजे)

इसके अलावा पूर्ववर्ती सरकार ने पंचायती राज का मटियामेट कर दिया था। कांग्रेस ने सरपंच लोगों को जयपुर बुलाया, गांधी मैदान में बड़ी रैली की। सरपंचों पर रात को सोते हुए 12 और 1.00 बजे ठंडा पानी और डण्डों की बौछार। सरपंचों को जो वरदान दिया, उसका प्रतिफल है कि इधर बैठना पड़ा है। राजनीति की नींव अगर कोई है तो सरपंच है और आप उसको डण्डों से मारो। उसकी दुर्दशा की, इसी की वजह से आपको यह भुगतान पड़ रहा है।

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि आज भी सरपंच जयपुर की सड़कों पर आये हुए हैं, वे आकर आपके राज की सराहना कर रहे हैं, उनके लिये जो काम किया। यह लोग बता रहे थे कि यह जो बिल लाया गया है, उसका उद्देश्य ग्राम सेवकों और लिपिकीय वर्गीय सेवाओं के पदों की भर्ती सम्बन्धित जिला परिषद करती थी, आप उसको भर्ती के लिये लिपिकीय वर्ग सेवा चयन बोर्ड से करायेंगे, मैं इसका स्वागत करता हूं। जिला परिषदों में भ्रष्टाचार हुआ, मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि पूर्ववर्ती सरकार के अन्दर प्रमुखों ने भर्ती की, उसकी जांच कर लीजिये, एक-एक जिला प्रमुख ने तीन-तीन लाख रुपये एक-एक व्यक्ति को लेने में किया है। इसकी अगर जांच करवाई जाए तो कई जिला प्रमुख लोग आज की तारीख में जेल के शिकंजों में हो। इस तरह की अव्यवस्था थी, उसको ठीक करने के लिये आपने जो प्रयास किया है, मैं उसकी भूरि-भूरि प्रशंसा करता हूं और इस बिल को लाये हैं, यह पंचायती राज को मजबूत करेगा, ऐसा मेरा मानना है।

(16.02 बजे)

(श्री प्रद्युम्न सिंह, सभापति, पदासीन)

कांग्रेस ने सरपंचों को जयपुर बुलाया और गांधी मैदान में जिस तरह से, रात को मैं सो रहा था, एक बजे सरपंच दौड़कर आये और बोले केसारामजी,

(श्री केसाराम चौधरी)

दरवाजा खोलो, हमारे पीछे तो पुलिस आ रही है, डण्डे बरसा रही है, पानी की बौछार कर रही है। इस तरह का काम इन लोगों ने किया है। जो सरपंच यहां आये हैं, सौहार्दपूर्ण वातावरण में बात करके सरपंचों की जो दिक्कतें हैं उनको कम करना है और उनके साथ रहकर गांवों का विकास करना है। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि जो भी सरपंच आज जयपुर के अन्दर हैं, उनके साथ शांतिपूर्ण वार्ता करके उनकी जो भी मांगें हैं, उन मांगों के अनुसार अपन जो भी मदद कर सकते हैं, वह करें जिससे गांवों का विकास हो सके, ऐसा निवेदन करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे यह भी निवेदन करता हूं कि जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, इनको जो पहले भत्ता दिया जाता था मीटिंग में आने का, वह भत्ता शायद बंद कर दिया है, उसको वापस चालू किया जाए। जिला परिषद और पंचायत समिति के मैम्बरों को कोई न कोई काम दिया जाए ताकि वह भी विकास की कड़ी में आगे बढ़ सकें। केवल प्रधान को चुनना या अपने जिला प्रमुख को चुनने तक ही वह सीमित नहीं रहे। जनतंत्र की नींव है और वह आधार है, इसलिए कोई न कोई अधिकार देकर उनका मान बढ़ाया जाए। नहीं तो यह पंचायत समितियों में और जिला परिषदों में इन्होंने जिस तरह की व्यवस्था की, उन लोगों को दूसरी बार कैंडिडेट भी नहीं मिलेंगे। केवल प्रधान और प्रमुख को चुनने के लिये इस सीट पर खड़ा होना है, उसके बाद कोई पूछता भी नहीं। इसलिए इस काम को भी जरूरी करना है।

पंचायत राज के अन्दर जिस तरह से जो विकास के कार्य हैं, चाहे एम एल ए कोटे से पैसे दें, चाहे एम पी कोटे से पैसे दें, उस पैसे का सदुपयोग कोई करता है तो वह सरपंच करता है और सरपंच के ऊपर जिस तरह से कांग्रेस राज ने अविश्वास पैदा किया है, वह अविश्वास अपने को नहीं करना है। सरपंच विकास की धुरी है। सरपंच पर गांवों की हजारों आंखें लगी रहती हैं। अगर कोई भ्रष्टाचार करता है तो गांव के लोगों से छुपा हुआ नहीं रह सकता। इसलिए कोई भी सरपंच ऐसा कर भी नहीं सकता और करेंगे तो इसके लिये भी कोई रास्ता है, उस रास्ते को अख्तियार करके उनके खिलाफ भी कार्यवाही की जा सकती है। मगर मैं मानता हूं कि सरपंच कभी ऐसा नहीं करेगा। उसका दायित्व है कि वह गांव के चहुंमुखी विकास के लिये कार्य करे। गांव का चहुंमुखी विकास अगर कोई करता है तो वह सरपंच ही कर सकता है।

(श्री केसाराम चौधरी)

इसके साथ ही आप लिपिकीय वर्ग सेवा चयन बोर्ड से जो भर्ती लेंगे न, उसमें एक दिक्कत हो सकती है कि जो जिले थोड़े कम परसेंटेज में होते हैं तो उस जिले का प्रतिशत उसमें चयन हो, नहीं तो शहरों के पास रहने वाले लोग ही इस भर्ती में आ जाते हैं, इसलिये इसका भी इसमें ध्यान रखा जाए ताकि हर क्षेत्र से लोग भर्ती में आएं, ऐसा मेरा निवेदन है।

आप यह जो बिल लाये हैं, मैं इसकी प्रशंसा करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं। इतना सुंदर बिल, भर्ती में कांग्रेस राज में जिस तरह से लाखों रुपये के घोटाले हुए हैं, आप कहीं से भी भर्ती की जांच करवा दो जो जिला प्रमुखों ने भर्ती ली थी, आपको पता लग जाएगा कि कितना भ्रष्टाचार था। इन लोगों को इसीलिए तो लगता है कि यह बिल ठीक नहीं है। आप जिस मंशा और इच्छा से इस बिल को लेकर आए हैं, निश्चित रूप से राजस्थान की जनता और इन पढ़े-लिखे नौजवानों के साथ यह न्याय होगा। सही ढंग से बोर्ड के द्वारा चयन करके जो भी अच्छे परसेंटेज वाले हैं, वह लोग आएंगे। भाई-भतीजावाद और धनबल के बल पर जो चयन होता था, उस पर अंकुश लगेगा और यह बिल निश्चित रूप से पंचायत राज को सुदृढ़ करेगा, यह मेरा मानना है। मैं, माननीय सभापति महोदय, आपसे निवेदन करता हूं कि मैंने जो संशोधन दिया है, उसको मैं वापस विद्-ड्रा करता हूं। धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

श्री सभापति: श्री रमेश।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): माननीय सभापति महोदय, जो माननीय सदस्य कह रहे थे कि कांग्रेस के राज में घोटाले हुए जिला प्रमुखों द्वारा, उसकी जांच करा ली जाए न।

श्री सभापति: कृपया बैठें।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): सरकार इनकी, मशीनरी इनकी। सब कुछ इनके पास। जांच कराओ, किसने मना किया। जिन्होंने गलत किया, वे जेल में होंगे। आप कराओ जांच।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): मैं बताता हूं आप जांच करवा दो। एक जिला परिषद की जांच करवा दो, मेरे पाली की ही करवा दो, पता लग जाएगा कि कितना भ्रष्टाचार हुआ है। (व्यवधान)

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): माननीय सदस्य ने जो कहा है कि जो

(श्री गिर्राज सिंह)

सरपंच जयपुर में आये हुए हैं, सरपंचों की समस्या का समाधान, मंत्रीजी, आप जरूर करें। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य मलिंगा जी, कृपया विराजिये। (व्यवधान)

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): जो टेण्डर प्रक्रिया है, इस टेण्डर प्रक्रिया को आप आज ही निरस्त करें, इसकी घोषणा सदन में करें। यह टेण्डर प्रक्रिया है ...(व्यवधान)

श्री सभापति: श्री रमेश।

श्री रमेश (सपोटरा): माननीय सभापति महोदय, आज राजस्थान पंचायती राज संशोधन विधेयक, 2016 पर चर्चा हो रही है। पंचायती राज संस्थाओं में ग्राम सेवक और लिपिक वर्गीय सेवाओं के पदों की भर्ती सम्बन्धित जिला परिषदों के द्वारा की जाती थी, अब आप इसमें संशोधन विधेयक लेकर आये हैं। मैं कहना चाहूंगा माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मंत्रीजी को कि हमारी सरकार के समय हम यह विधेयक लेकर आये थे कि जिला परिषदों के माध्यम से यह भर्ती हो, जिससे वहां के विशिष्ट लोगों को लाभ मिल सके, उनको नौकरी मिल सके। पिछड़े जिले के लोगों को नौकरी मिल सके। और लोकल होने के कारण भी उनको जब तबादले होते हैं तो अन्य जिलों में जाने के लिये राजनेताओं और अफसरों के चक्कर काटने नहीं पड़ें। वहां की लोकल भाषा और वहां के क्षेत्र की एक पहचान, यह फायदा हमने देखा था। और एक तथ्य यह भी था, हमारी सरकार की मंशा थी कि हम लोगों को नौकरियां दें, बेरोजगारों को रोजगार मिले। तो इसी तथ्य को लेकर हमने जिला परिषदों के माध्यम से भर्तियां करवायी थीं। यदि आप अभी इसमें संशोधन लेकर आये हैं और राज्य में आप भर्ती करवायेंगे और कोई कानूनी विवाद आ गया तो पूरे राज्य के लोग जो बेरोजगार हैं, जिन्होंने परीक्षा दी है, वह भर्ती होना चाहते हैं, वह नौकरी लगना चाहते हैं तो वह सारे के सारे अटक जाएंगे। हमारी मंशा थी कि कहीं विवाद आएगा, कानूनी विवाद तो पर्टीकुलर जिला परिषद में आएगा, अब कहीं कानूनी विवाद आया, कहीं कोई कमी रही तो पूरे राज्य का रिजल्ट रुक जाएगा और लोगों की भर्ती नहीं हो पाएगी। इससे तो ऐसा एहसास हो रहा है कि राज्य की स्थिति जो वित्तीय स्थिति है, वह दिनों-दिन खराब होती जा रही है और सरकार भी यही चाहती है कि हमें

(श्री रमेश)

भर्ती करनी ही नहीं पड़े। जनता यह नहीं कहे कि हमने भर्ती नहीं की और कोई कानूनी विवाद आ जाए तो सरकार को देने के लिये एक ही जवाब रहेगा कि यह मामला कोर्ट में विचाराधीन है और हम कुछ नहीं कर सकते।

हम दिनों दिन, कभी ये सरकार आयेगी उस कानून का संशोधन करेगी, फिर नैक्स्ट सरकार आयेगी उसको बदल देगी, इस तरह हम अदला-बदली करते रहेंगे और जनता के साथ धोखा करते रहेंगे तो इस राज्य का विकास कैसे होगा, लोगों को रोजगार कैसे मिलेगा, लोगों को नौकरियां कैसे मिलेंगी? यह भी एक महत्वपूर्ण विषय है, इस पर सरकार को सोचना चाहिए।

दूसरी बात मैं कहना चाह रहा था कि आप बिना सोचे-समझे, बिना परीक्षण किये हुए संशोधन लाये हो। आपने अभ्यर्थियों की योग्यता अलग-अलग होने की बात कही है। तो इसमें क्या गलत है? कोई इंटीरियर एरिये का, रेगिस्तानी, डैजर्ट एरिये का या आदिवासी इलाके का और एक जयपुर या कोटा शहर का जो अभ्यर्थी होगा, उनकी योग्यता में तो फर्क होगा ही। लेकिन जो पैरामीटर तय किये हैं उसमें तो कोई फर्क नहीं है। आपने रखा है, बी.ए. रखा है, बी.एड. रखा है, या ग्यारहवीं रखा है, या बारहवीं रखे हैं, पैरामीटर तो वो हैं। लेकिन जहां मैरिट की बात करते हो तो उसमें तो फर्क निश्चित रूप से आयेगा ही। तो आपने यह जो फैसला लिया है, बिलकुल उचित नहीं लिया।

आपको पंचायत राज को सशक्त बनाने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन ऐसा लग रहा है पंचायत राज पंगु हुआ है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से कहना चाहूंगा कि पंचायत राज में जो अन-कंट्रोलिंग व्यवस्था है, जिला परिषद में सी.ई.ओ. हैं, पंचायत समिति में बी.डी.ओ. हैं और उन पर अपना अंकुश लगाएं। जहां पर करप्शन हो रहा है उस करप्शन को रोका जाए। जहां जन प्रतिनिधि, प्रधान और जिला परिषद में जो चुने हुए जिला प्रमुख या प्रधान हैं, जहां पर नरेगा या भारत सरकार का कोई फंडिंग का प्रोग्राम होता है तो वहां पर जिला परिषद का जिला प्रमुख देखता रहता है, प्रधान देखता रहता है, बस उनसे कहा जाता है कि जिला परिषद की मीटिंग में इस बात का अनुमोदन करा दो। तो अनुमोदन किस बात का? जिला परिषद के प्रधान को कोई लेना-देना नहीं है, जिला प्रमुख को भी कोई लेना-देना नहीं है तो, मंत्रीजी, यह अनुमोदन किस बात का? फिर कलेक्टर से कराओ, सी.ई.ओ. से कराओ, वो सैंक्शन करते हैं, सारी व्यवस्था उनके हाथ में है। ठीक है, आपने

(श्री रमेश)

एक चीज दे रखी है कि अवलोकन करो, निरीक्षण करो। तो कौन अवलोकन कर रहा है, निरीक्षण कर रहा है? इसके कंट्रोल के लिए तो आपको उनको बाध्य करना पड़ेगा कि जो चुने हुए जन प्रतिनिधि हैं, जनता ने जो चुने हैं उनका अधिकारी विशेष ध्यान रखें। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है और इस विषय को आपको आगे बढ़ाना है और इसकी मानिटरिंग की व्यवस्था आपको करवानी है।

दूसरा मेरा निवेदन है कि जिला स्तर पर होने वाली चयन प्रक्रिया में जिले के लोगों को निर्धारित आरक्षण का लाभ ज्यादा मिलता, लेकिन अब जब समान रूप से होगी आपकी चयन परीक्षा तो उसमें जिले के लोगों को आरक्षण उतना नहीं मिलेगा जितना जिला लेवल पर उनको मिलता था। तो इस बारे में भी आपको विचार करना चाहिए।

इसमें जो संशोधन की बात है तो हमें यही दिखाई देता है कि सरकार की मंशा ठीक नहीं है। इसमें कोई कमी आयेगी कि नहीं आयेगी, क्या पारदर्शिता रहेगी? आपने कहा, बिलकुल पारदर्शिता रहेगी। योग्यता का अभाव था, योग्यता को समान रूप दिया जायेगा। लेकिन आप, हम देख रहे हैं कि आर.पी.एस.सी. है, जितनी भी परीक्षा अभी हुई हैं, हमारे समय में भी हुई, आपके समय में भी हुई हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, अनियमितताएं भी हो रही हैं। तो इस पर भी आपको कंट्रोल करने की जरूरत है। पेपर आउट हो रहे हैं, भ्रष्टाचार हो रहे हैं और हमने जो अध्यापकों की भर्ती परीक्षा करायी जिला परिषदों के माध्यम से, उसमें कोई शिकायत नहीं आयी। मंत्रीजी, यह भी आपको बताना चाहूंगा। आप इन चीजों का ध्यान रखें।

जिला परिषद से लिपिक, ग्राम सेवकों की जो भर्ती हो रही थी, एक ही मंशा थी कि हम लोगों को रोजगार दें। हमारा युवा बेरोजगार है, उसको ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले। अब आपकी मंशा साफ है। तो हमारा तो सरकार से यही निवेदन है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार दें। कहीं इसको कानूनी विवाद में नहीं अटकाएं। जिस प्रकार का संशोधन, अध्यादेश, जो विधेयक आप लाये हैं, हमारी समझ से परे है, मैं इसका विरोध करता हूं और इसको तीन माह के लिए जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाए। धन्यवाद।

श्री सभापतिः धन्यवाद। श्री रामहेत सिंह यादव। अनुपस्थित। श्री फूलसिंह मीणा। अनुपस्थित। श्री मान सिंह जी।

श्री मान सिंह (गंगापुर): सभापति महोदय, राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2016 पर चर्चा हो रही है। मेरे काबिल माननीय सदस्यों ने जिस प्रकार से अपने विचार प्रकट किये हैं, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि सरकार की जिस मंशा के साथ में इस विधेयक को लाया गया है, कांग्रेस के पिछले कार्यकाल में पंचायत राज की जो भर्तियां हुई थीं और उन भर्तियों के अन्दर चाहे आरक्षण का हो, भ्रष्टाचार चरम पर था। भर्ती के साथ-साथ में किसको कहां पोस्टिंग देना है, उनके अन्दर भ्रष्टाचार हुआ था। कई लिटिगेशन हाई कोर्ट में हैं कि जो टापर थे और मैरिट के आधार पर बच्चियां, जिनको नजदीक पोस्टिंग देनी थी, उनको भी दूर दे दी, आज तक हाई कोर्ट में वो मैटर पैंडिंग चल रहे हैं।

मैं सरकार और माननीय पंचायती राज मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस विधेयक के माध्यम से कर्मचारी चयन बोर्ड के माध्यम से आप जो भर्ती करायेंगे, निश्चित रूप से इसमें लाभ मिलेगा। सभापति जी, मैं आपको उदाहरण के तौर पर कहना चाहूंगा कि कांग्रेस के पिछले राज में एस.बी.सी. को एक प्रतिशत का आरक्षण था और सौ जगह निकलती। अगर सौ जगह को जिलों में बांट दो तो जीरो मिलता था उनको क्योंकि पोस्टिंग उनकी खतम हो जाती थी। सौ पर एक था, मिल ही नहीं सकता था। इस प्रकार से जो बच्चे, जिनको संभावना एक की थी उस एक को भी नौकरी नहीं मिली। मैं इसका समर्थन करता हूं कि इसके माध्यम से आरक्षण की इस व्यवस्था का भी पालन होगा और जिस प्रकार का भ्रष्टाचार पंचायत राज में पिछली बार हुआ, उस पर लगाम लगेगी।

सभापति जी, मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि जो साथी यहां पर बहुत बढ़-चढ़ कर चर्चा कर रहे थे, नौजवानों को रोजगार की बात कर रहे थे, आरटेट के तहत दो परीक्षाओं के माध्यम से पांच साल तक उलझा कर के रखा और उस नौजवान ने जो आपको मारने का काम किया, उसको आप भूल गये। उसी नौजवान ने आपको पटखनी दी थी। उस नौजवान को इस सरकार ने रीट के माध्यम से एक परीक्षा करके मौका देने का काम किया है, सरकार की मंशा बिलकुल साफ है, सरकार नौजवानों को रोजगार देना चाहती है, सरकार नौजवानों के साथ है। पारदर्शिता के साथ में जिस चयन बोर्ड के माध्यम से परिक्षाएं होंगी, निश्चित रूप से नौजवानों को पूरा लाभ मिलेगा।

जहां तक पंचायती राज के मामले में हमारे कई काबिल साथी कह रहे थे, निश्चित रूप से कोई सुझाव है उसको हमको देना चाहिए।

(श्री मान सिंह)

पंचायती राज मंत्रीजी, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि पंचायत समितियों में जो जे.टी.ओ. लगे हुए हैं वो हमारे टैम्परेरी हैं, उनको आपने अधिकार दे रखा है असैसमेंट का। करोड़ों रुपये का काम है, चाहे एस.एफ.सी. का है, चाहे टी.एफ.सी. का है, चाहे नरेगा का है, इस मामले में आप चैक करें कि जो हमारा परमानेंट कर्मचारी नहीं है, जो टैक्निकली ठीक है लेकिन टैम्परेरी है तो उसके अन्दर गुंजाइश इस प्रकार की रहती है कि वो असैसमेंट को गलत कर सकता है। तो इस पर ध्यान दें।

हम आज इस सदन के अन्दर स्वच्छ और साफ मन से जब चर्चा करें तो पंचायत राज के अन्दर जो सुझाव हैं, उनको भी हम पंचायत राज मंत्री जी को देना चाहेंगे।

इसी के साथ-साथ मैं यह कहना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के विजन से आज गांवों के अन्दर हमको ग्रामीण गौरव पथ मिला है, राजस्थान के इतिहास में पहली बार गांवों के अन्दर जब जाते हैं जनता ने ग्रामीण गौरव पथ की बड़ाई की है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बजट के अन्दर सफाई को नरेगा से जोड़ा है, दस-दस हजार की पंचायतों के अन्दर जो सफाई कर्मचारी रहता था, उसको पेमेंट देने की कोई व्यवस्था नहीं, उसको कहां से पैसा दें, सरपंच की उसमें मारामारी होती थी। नरेगा से जोड़ने से जो गांवों की सफाई व्यवस्था है, उसमें भी हमको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा और सरकार का यह क्रांतिकारी कदम है, इसका मैं स्वागत करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, इस विधेयक में ज्यादा लम्बी-चौड़ी बात नहीं है। सरकार की मंशा नौजवान को रोजगार देने की है। जिला परिषद के माध्यम से जो भ्रष्टाचार, जिलों में जिस प्रकार की असमानता, चाहे आरक्षण की व्यवस्था में थी, चाहे उसकी पोस्टिंगों में थी, उन सारी व्यवस्थाओं में निश्चित रूप से निजात मिलेगी। नौजवान का इस मंत्रालयिक कर्मचारी बोर्ड के माध्यम से जो चयन होगा, उसमें पारदर्शिता रहेगी।

सभापति महोदय, मैंने इस विधेयक को जो जनमत जानने का प्रस्ताव किया था, उसे वापिस लेना चाहूंगा। जय हिन्द।

श्री सभापतिः धन्यवाद। श्री मानिक चन्द सुराना। (अनुपस्थित)

सुश्री कीर्ति कुमारी जी। (अनुपस्थित)

शंकर सिंह जी राजपुरोहित।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के अन्दर जो संशोधन आप लाये हैं, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को बधाई देना चाहता हूं कि यह जो भर्ती की विसंगति थी, जिले और बाकी लिपिकों में, उसको समानान्तर किया है। नौजवान अच्छी मैरिट के बाद भी कहीं पर रह जाता था, निश्चित रूप से उसके स्वाभिमान को आपने लौटाने का काम किया है। इसके लिए तो बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, किसी भी बात पर जो अच्छी हो उसके लिए धन्यवाद दो। पंचायती राज में वह किया, यह साक्षी हैं कि पहली बार राजस्थान के पंचायती राज में वह संशोधन भैरोंसिंह जी शेखावत ने किया था, बरसों से फलाने चन्द जी, बहुत बड़े आदमी हैं, 30-30 वर्षों से, 40-40 वर्षों से सरपंच हो रहे थे, पहली बार कहीं पंचायत में सखाराम भील भी सरपंच बना। यह भैरोंसिंह जी शेखावत की देन थी। वह जो रिजर्वेशन लाये पंचायतों में, उससे बहुत बड़ा बदलाव वह लाये। उसको धन्यवाद दो।

एक माननीय सदस्य: सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने किया था।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): सब हैं, मैं अभी बताता हूं, सेन्ट्रल गवर्नमेंट के बहुत कारनामे हैं। आप सुनोगे तो फिर कानों के ढक्कन दोगे।

सभापति महोदय, अभी शिक्षा नीति वाला लाये। उसका भी विरोध। यह पहली बार हुआ है, अच्छे डाक्टरेट, इंजीनियर, पढ़े-लिखे बैचलर, वह कोई सरपंच हैं, पंचायत समिति के डैलीगेट हैं, जिला परिषद सदस्य हैं। आखिर कहीं न कहीं पंचायती राज को सक्षम बनाने का जो काम किया है हमारी सरकार ने, इसके लिए मैं वसुन्धरा जी को और पूरे मंत्रिमंडल को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। यह बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम है। इसका तो विरोध मत करो कम से कम।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से, बिलकुल, बिलकुल।

श्री सभापति: कृपया बात न करें आपस में।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): यह तो क्या होता है कि कहीं न कहीं विरोध करना है। कुछ अच्छी बातों के लिए धन्यवाद भी दो।

सभापति महोदय, दो एक छोटे सुझाव हैं। कहीं न कहीं पंचायत राज के विषय में डालने चाहिए। एक तो, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करुंगा कि कई बड़े कस्बों में निराश्रित जो भी पशु धन था, उसके लिए फाटकें होती थीं, अब आज आप एक काम कर दो, निराश्रित गौ वंश के लिए कोई 5

(श्री शंकरसिंह राजपुरोहित)

बीघा, 10 बीघा पंचायत स्तर पर जमीन रिजर्व करवा दो। जिससे जिस समय फसलों का, या जिस समय चारे की कमी हो, सामाजिक संस्थाएं मिलकर उसमें निराश्रित गौ वंश को रखें और उनके चारे की व्यवस्था कर दें। आप जमीन रिजर्व कर दें।

हर पंचायत में गोचर तो होता ही है। लेकिन गोचर में अतिक्रमण हो गये। निराश्रित गौ वंश के नाम से ही 5-10 बीघा जितनी जमीन की अवेलेबिलिटी होती है, उतनी आप कर दीजिये, 5 बीघा, 2 बीघा, 1 बीघा। लेकिन निराश्रित गौ वंश के लिए एक यह काम करें तो बहुत अच्छा रहेगा। जिससे कहीं न कहीं उन निराश्रित गौ वंश को संरक्षण भी मिल जायेगा।

सभापति महोदय, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आपने गली में सीसी सड़क का 12 फीट कर दिया। अब गली है आपकी 18 फीट और आपका रोड उसमें 12 फीट बनेगा। बाकी की 6 फीट पर घर वाले अपनी चौकियां, बाहर सीढ़ियां बनाकर के आगे अतिक्रमण कर लेंगे। गली आपकी छोटी हो जायेगी। नियमों में आप कहीं न कहीं लाओ कि जितनी गली हो उतनी आप सीसी सड़क बना सकते हो। नहीं तो यह अतिक्रमण बढ़ते रहेंगे।

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि टेंडर प्रक्रिया आप आगे खतम करने वाले हैं। यह तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जहां टेंडर प्रक्रिया में बहुत ज्यादा बिलो जाती है उसके लिए भी कोई न कोई ऐसा नियम लाओ, इस बिलो जाने वाले टेंडर को अपने आप ही आप खतम कर सकते हो। जिला परिषद अपने आप खतम कर सकती है। ऐसा कोई न कोई लाना चाहिए।

सभापति महोदय, मैं इस बिल के पक्ष में कहते हुए, मंत्री महोदय, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। एक सबसे बड़ा काम पंचायतों के डी-लिमिटेशन का हुआ, नई पंचायत समिति बनी। यह राजस्थान का विकास हिन्दुस्तान के पन्नों में लिखा जायेगा कि बहुत कम समय में इतना डी-लिमिटेशन का काम हुआ। इसके लिए भी आप धन्यवाद के पात्र हैं।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से इस बिल के लिये धन्यवाद देते हुए मैंने जो जनमत जानने के लिए दिया है, मैं उसको वापिस लेता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री हीरालाल नागर। (अनुपस्थित)

(श्री सभापति)

श्री ज्ञानचन्द पारख। (अनुपस्थित)

श्री नन्दकिशोर महरिया। (अनुपस्थित)

श्री मनोज कुमार। (अनुपस्थित)

मनोज कुमार जी भी नहीं हैं। माननीय मंत्री महोदय।

श्री सुरेन्द्र गोयल (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय सभापति महोदय, आज सदन में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 89 और 90 में संशोधन का बिल राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2016 पेश किया गया है।

श्री सभापति: माननीय गुंजल साहब, बात न करें कृपया। मंत्री महोदय जवाब दे रहे हैं।

श्री सुरेन्द्र गोयल (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा हूं इस बिल को लाने के पीछे सरकार की मंशा साफ है कि लिपिक व ग्राम सेवक वर्ग के जो चयन और भर्तियां होंगी, वह पहले जिला परिषदें करवाती थीं। जिला परिषदों को अधिकार था कि वह भर्तियां भी करें और उनकी नियुक्तियां भी करें।

अभी जैसे माननीय सदस्यों ने कहा कि जिला परिषदों से कई प्रकार की शिकायतें थीं। कई प्रकार के भ्रष्टाचार थे। उस बात पर मैं नहीं जाता। लेकिन सरकार ने यह महसूस किया कि 29 जनवरी, 2014 को अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड का गठन हो चुका है और हमें 4 हजार ग्राम सेवकों की भर्ती करनी है, तो क्यों न पारदर्शिता से उनकी भर्ती हो। जो अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड का गठन हुआ, उसके पीछे मकसद भी सरकार का यह था कि 3600 की ग्रेड पे से, उसके नीचे की ग्रेड पे से जो भी पद हैं, उनकी भर्तियां ये करेंगे। उस बात को लेकर के हम लोगों ने यह बिल सदन के सामने प्रस्तुत किया है।

माननीय सभापति महोदय, जिला परिषदों के जो नियुक्तियां करने के अधिकार हैं, वह उनके पास ही रहेंगे और वह ही नियुक्तियां करेंगे। इसमें किसी प्रकार की कोई शंका जाहिर नहीं करनी चाहिए।

श्री रमेश (सपोटरा): माननीय मंत्री महोदय, एक बात आपने कही कि पंचायत समिति में नहीं करेंगे।

श्री सभापति: बैठिये, माननीय सदस्य।

श्री रमेश (सपोटरा): लेकिन आपने सरपंचों से जो कमिटमेंट किया था, टेंडिंग बीएसआर एज पर, उसका तो करो, सरपंच धक्के खा रहे हैं। उसका तो कुछ करो। जवाब देना इसमें आप।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजें। आप कृपया विराजें। माननीय मंत्री महोदय। माननीय मंत्री महोदय आप उत्तर दें ...(व्यवधान) प्लीज, नो, नो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): केसाराम जी, बोलने दो न मंत्रीजी को, सक्षम हैं।

श्री सभापति: जारी रखें, माननीय मंत्री महोदय।

श्री सुरेन्द्र गोयल (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैं इंटरप्शन थोड़ा कम ही बर्दाश्त करता हूं। आप जानते हैं कि मैं कभी सदन में फालतू बात नहीं करता हूं, न कभी किसी को इंटरप्ट करता हूं। इन्होंने बात चला दी तो मैं निवेदन करूंगा कि अभी माननीय सदस्य ने जनमत जानने हेतु परिचालित का जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया उसमें कई प्रकार की शंकाएं जाहिर कीं और कई प्रकार के सुझाव भी दिए, कई प्रकार के भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए। सबसे पहले माननीय सदस्य, जोगारामजी ने कहा कि सेविकाओं को भी इसमें शामिल करना चाहिए। मैं इनको निवेदन कर दूं कि सेविकाओं के पद हमारे पंचायती राज में समाप्त ही हो गए हैं, हैं ही नहीं। इनका महिला और बाल विकास विभाग है वही इन सेविकाओं को लेता है इसलिए इनको लेने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है।

(16.30 बजे)

(श्री राव राजेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन में माननीय सदस्य, जोगारामजी ने जिक्र किया कि बार-बार संशोधन बिल लाने की क्या आवश्यकता है तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बार-बार संशोधन लाने के पीछे सरकार की मंशा स्पष्ट है, ज्यों-ज्यों आवश्यकता महसूस की जाती है त्यों-त्यों जैसे शिक्षा की अनिवार्यता का बिल लाया गया, उस समय चुनाव नजदीक थे इसलिए सरकार ने यह महसूस किया कि शिक्षा की अनिवार्यता लागू होनी चाहिए, पढ़े लिखे जन प्रतिनिधि आने चाहिए और उस बात को समझ कर पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 19 में संशोधन लाया गया। इसी प्रकार हम जो बिल लाए, उसमें संशोधन किया कि स्वच्छता के लिए कि जो भी पंचायती राज के जन प्रतिनिधि हैं वे चुनकर आएंगे, निर्वाचन के लिए जो अपना

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

हलफनामा देंगे, निर्वाचन हेतु प्रार्थना पत्र भरेंगे, उसमें उनको एफीडेविट देना पड़ेगा कि मेरे घर में शौचालय बनाकर उसको उपयोग में ले रहा हूं, इस प्रकार की अनिवार्यता लागू करने से मुझे खुशी है कि आज करीब 30 लाख शौचालयों का निर्माण हो गया है इन दो सालों में।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ज्यों-ज्यों आवश्यकता महसूस होती है उस समय बिल को लाया जाता है इसलिए इस पर शंका करने की कोई आवश्यकता नहीं है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरपंचों की योग्यता के बारे में कई माननीय सदस्यों ने कहा, मैं आपसे निवेदन करूं कि आठवीं, दसवीं की अनिवार्यता की थी और अनुसूचित क्षेत्र में पांचवीं पास सरपंचों की थी, जैसा कि इन्होंने कहा कि कई जेल जा रहे हैं। अपराधी की कोई जाति नहीं होती, अपराधी का कोई धर्म नहीं होता, अपराधी की कोई पार्टी नहीं होती। अपराधी अपराधी ही होता है, जो कूटरचित दस्तावेज लेकर पेश करेंगे वे जेल जाएंगे, इसमें सरकार का क्या है? जो जन प्रतिनिधि पंचायती राज के जीतकर आयें हैं आज उनमें से 65 प्रतिशत युवा जीत कर आएं हैं। टेलेंटेड, कोई प्रोफेशनल्स, कोई बीए, कोई बीएड, कोई इंजीनियर, डाक्टर, इस प्रकार से जीतकर आए हैं जिससे पंचायती राज को सुदृढ़ करने, पंचायती राज को मजबूत करने की, सरकार की मंशा है वह कामयाब होगी और स्वच्छता से, पारदर्शिता से और मजबूती से काम करेंगे जिससे कि आने वाले समय में पंचायती राज का जो मन है, सरकार की जो मंशा है वह फलीभूत होगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी सपोटरा से आने वाले माननीय सदस्य, रमेशजी मीणा ने कहा और कई माननीय सदस्यों ने निवेदन किया कि आपने सरपंचों के अधिकार छीन लिए, सरपंचों को अधिकार नहीं दिए। मुझे कहते हुए कोई संकोच नहीं है कि पिछली सरकार के अन्दर इन्हीं सरपंचों के ऊपर टेंडर की मांग करने पर लाठियां बरसाई गई थीं, पानी के फव्वारे छोड़े गए थे। हमारी सरकार ने, मैं धन्यवाद प्रकट करता हूं, आभार प्रकट करता हूं माननीय मुख्य मंत्रीजी का कि 13 दिसम्बर, को जनपथ पर उन्होंने घोषणा की थी कि सरपंचों को ग्रामीण विकास पंचायती राज की स्कीमों के अन्दर टेंडर समाप्त करके बीएसआर से उनको सामग्री खरीदने का अधिकार देंगे। मुझे कहते हुए खुशी है माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान)

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): हम लाठी चार्ज पर 21 रह गए और आप जेल भेज रहे हो तो आप कितने रह जाएंगे, सोच लो।

श्री सुरेन्द्र गोयल (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): आप दो मिनट बैठें, माननीय सदस्य। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे खुशी है कि हमने निर्देश जारी कर दिये हैं कि सरपंच बीएसआर की दरों के आधार पर दस लाख रुपए तक की सामग्री खरीद कर सकता है। इतना ही नहीं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमने ...(व्यवधान) ग्रामीण विकास और पंचायती राज की स्कीमों में एमएलए लैड, एमपी लैड और नरेगा को छोड़कर ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: एक मिनट, मंत्री महोदय, आप विराजें। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र गोयल (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ऐसे डिस्टर्ब करेंगे तो मैं तो बोल ही नहीं सकता। (व्यवधान) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं मैं इनसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमने दस लाख तक की स्वीकृतियां जारी करने का पंचायतों को अधिकार दे दिया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यही नहीं, हमने कहा कि बीएसआर का निर्धारण सही होना चाहिए, पंचायत समिति और जिला परिषद लेवल पर बीएसआर निर्धारण कमेटियां बनी हैं। सरपंचों और ग्राम सेवकों को उसमें इन्वाल्वमेंट किया और मनोनीत करके वह भी बीएसआर के निर्धारण में अपनी अहम भूमिका निभाकर सही बीएसआर का निर्धारण हो, इस प्रकार की व्यवस्था करने का काम किया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पहले पंचायत समितियां सैंक्शन निकालती थीं हैंडपम्पों और ट्यूबवैल की, वह भी हमने सरपंचों को अधिकार दिए कि आप लोग सैंक्शन निकाल सकते हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरपंच पहले खातेदार भूमि में मतलब जब तक नामांतरण नहीं हो तब तक उसमें रास्ता नहीं निकाल सकते थे। हमने निर्देश दिए कि खातेदार की सहमति के आधार पर कोई भी सड़क का काम करवा सकते हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं, जो इनके रजिस्टर मेंटेन करने का था उसमें भी हमने कर दिया कि जो मेन रजिस्टर है वह पंचायत में रहेगा। जहां काम चल रहा है वहां काम की जगह के ऊपर जो सामग्री आती है उसका रजिस्टर में इन्द्राज करने के लिए दूसरा रजिस्टर करो और पन्द्रह दिन के अन्दर-अन्दर मेन रजिस्टर में इंद्राज करो, यह भी निर्देश हमने जारी कर दिए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो इनकी आडिट होती थी, आडिट के अन्दर भी हमने यह निर्देश प्रदान कर दिए कि आपके जो जो यूसी और सीसी जारी होने के बाद में एक साल के भीतर-भीतर आपके आडिट होगी तो ही आडिट होगी, उसके एक साल के बाद में आडिट कराने की आवश्यकता नहीं होगी।

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरपंचों को सबसे बड़ी प्रोब्लम थी जनता जल योजना में बिजली के बिलों के भुगतान की तो हमने यह भी निर्देश प्रदान कर दिए कि आपके राज्य सरकार के स्तर पर यहीं से पैसे डाइरेक्ट जनता जल योजना के बिजली के बिलों का भुगतान किया जाएगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारी तरफ से ...(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): एक मिनट, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब अनटाइड फंड को तो दे दिया जल स्वावलम्बन में, टीएफसी को दे दिया पूरा का पूरा सीधा काट कर दे दो तो बिजली बिल तो फिर पंचायतों के पास में रहेगा क्या?

श्री उपाध्यक्ष: प्रतिपक्ष के उप सचेतक महोदय, Why are you so desperate? This is just the first reading, I will give you chance in third reading.

श्री सुरेन्द्र गोयल (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो शंकाएं जाहिर करते हैं वे बिलकुल निर्मूल हैं, इन शंकाओं का कोई आधार नहीं है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय सदस्य ने कहा कि आपने एसएफसी, टीएफसी, अनटाइड का पैसा स्वावलम्बन में डाल दिया, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 14वें वित्त आयोग का पैसा हमने हंडरेड परसेंट पंचायतों को देने का काम किया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं, हमने सोचा कि पंचायतों के पास चला गया यह हंडरेड परसेंट पैसा, पंचायत समितियां, जिला परिषदों को पैसा मिलना चाहिए, उनका भी कामकाज होना चाहिए, उनकी भी कोई हैसियत होनी चाहिए, वह भी प्रमुख और प्रधान हैं, तो हमने राज्य वित्त आयोग से जो 12 परसेंट उनको जाता था, उसको 15 परसेंट किया, जो 3 प्रतिशत जिला परिषदों को जाता था उसको हमने 5 परसेंट किया और 80 परसेंट पंचायतों में भेजने का काम किया।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूं कि हमने इनके टाइम में जो पैसा आता था उसका तीन गुणा बढ़ाकर पंचायतों को भेजने का काम किया है। मुझे खुशी है कि राजस्थान के अन्दर, जैसा किसी माननीय सदस्य ने कहा कि 60 परसेंट ही खर्चा नहीं हुआ। मैं आपसे निवेदन करूं कि पंचायतों में पढ़े लिखे जन प्रतिनिधि आने से उन्होंने सही ढंग से एकरूपता से काम किया और क्वालिटी मेंटेन की। आज मुझे बताते हुए खुशी है कि 5300 करोड़ रुपए जो आए उसमें से इस बार 4700 करोड़ रुपए पंचायतों, जिला परिषदों में और पंचायत समितियों में खर्च हो गए।

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बात नहीं है कि मतलब इसमें किसी प्रकार की कोई परेशानी हुई हो। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने इंदिरा आवास के बारे में जिक्र किया, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपके पाच साल की सरकार में 6 लाख 3 हजार इंदिरा आवास बने, हमने दो साल के अन्दर 6 लाख 12 हजार इंदिरा आवास, मुख्य मंत्री आवास और अन्य बीपीएल आवास बनाकर ...(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): इसका टार्गेट घटाया है। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, यह आप जवाब दे दीजिए।

श्री सुरेन्द्र गोयल (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूं जैसा कि ...(व्यवधान) मैं किसी बात पर गलत हूं तो आप चैक कर लें, मैं जो कह रहा हूं आर्थेटिक कह रहा हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा हूं आपको आपके पांच साल के राज में 6 लाख और 3 हजार इंदिरा आवास ...(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): आप क्या कर रहे हो? मैं कह रहा हूं आंकड़ों की गलती है। पंचायतों में आपने यह कहा कि दसवीं पास सरपंच बनेगा, आज चौथी पास भी सरपंच बने बैठे हैं और इनकी कुछ भी नहीं चली, कोर्ट ने उसको स्टे कर दिया। क्या करोगे? कानून में संशोधन करना चाहिए आपको।

श्री उपाध्यक्ष: एक मिनट, मंत्री महोदय, आप विराज जाएं। इस प्रकार से तो यह सदन नहीं चल सकता। जिन्होंने संशोधन मूव किये थे, मैं फिर आपसे निवेदन कर रहा हूं, जिन सदस्यों ने संशोधन मूव किये थे उनको संशोधन के हिसाब से बोलने का समय मिल गया। अभी तो थर्ड रीडिंग बाकी है। जिन्होंने संशोधन मूव नहीं किये थे और वे फिर भी कुछ बोलना चाहें तो आप बोलना और आपका मंत्री जवाब देंगे। हमको कम से कम इस प्रोसीजर को तो फालो करने दीजिए। जब आपकी तृष्णा की तृप्ति नहीं हो जाती तब तक मैं भी बैठा हूं यहां।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय दो घंटे के लिए और बढ़ाया जाय।

श्री उपाध्यक्षः अब आप यही प्रस्ताव कर देते कि जब तक तीनों-चारों बिलों का पारण नहीं हो जाए तब तक बढ़ा दिया जाए, वर्ना मुझे आपको बार-बार जहां आप रहते हो वहां से बुलाना पड़ेगा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): जितना इनको लिखकर दिया जाता है उतना ही बोलते हैं ये। इससे ज्यादा बोलते ही नहीं कभी।

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): उपाध्यक्ष महोदय, वह तो मैं प्रस्ताव कर दूंगा, लेकिन ऐसा करने से माननीय सदस्य और ज्यादा लम्बा चलाते हैं। इसलिए मैं देखता हूं थोड़ा-थोड़ा, खतम होने वाला टाइम है।

श्री उपाध्यक्षः कुछ तो विश्वास आप आसन पर भी करिए कि आसन कुछ कर पाने में सक्षम है।

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): आसन पर पक्का विश्वास है। आसन के कंट्रोल से ही ये थोड़े-बहुत कंट्रोल में होते हैं।

श्री उपाध्यक्षः विराज जाएं।

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय चारों बिल पास होने तक बढ़ाया जाए।

श्री उपाध्यक्षः प्रश्न यह है कि सदन का समय चारों बिलों के पारण तक बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

समय बढ़ाया गया। अब ये चार बिल और पूरा समय।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी को नहीं टोक रहा हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): बहुत हो गया। आप आसन पर विराजे हैं। थर्ड रीडिंग में आपने कह दिया, सबको बोलने का अधिकार है।

श्री उपाध्यक्षः मंत्री महोदय का पहला वक्तव्य पूरा आने दो। (व्यवधान)

विधेयक पर विचार

राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2016

श्री सुरेन्द्र गोयल (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था जैसा कि माननीय सदस्यों ने कहा

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

इंदिरा आवास, मैं निवेदन करूं इनके 5 साल के शासन में इंदिरा आवास व मुख्यमंत्री आवास में 6 लाख 3 हजार आवासों का निर्माण किया गया था। हमने दो साल में 6 लाख 12 हजार इंदिरा आवासों का निर्माण किया। इतना ही नहीं, इस साल का टार्गेट 85 हजार का था उसमें हमने 81 हजार सैंक्शन कर दिये। जो अन्य चिन्हित वर्ग थे वे 3 हजार थे उसमें से 2626 इंदिरा आवास की स्वीकृतियां जारी कर दी हैं। इसमें भी मैं आपसे निवेदन करूं हमारी सरकार की मंशा है कि गरीब आदमी को आवास मिले और जो प्रधानमंत्रीजी का सपना है 2022 तक आवास के सम्बन्ध में हम किस प्रकार से स्वीकृतियां जारी करके आवास उपलब्ध करा सकें, इसके बारे में सरकार कृतसंकल्प है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा हूं, जैसा माननीय सदस्यों ने कहा कि ग्राम पंचायतों की निजी आय नहीं है। मैं सदन को निवेदन करूं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि किस प्रकार से पंचायतों की निजी आय बढ़े, उस निजी आय को बढ़ाने के लिए सबसे पहले हमने राजस्थान की विधान सभा के अन्दर बिल पास करके जो आबादी भूमि है जिसका कभी कन्वर्जन नहीं होता था, कभी उप-विभाजन नहीं होता था, न पुनर्गठन होता था, 65 साल की आजादी के बाद भी आबादी भूमि में किसी प्रकार का कन्वर्जन नहीं होता था। हमने बिल लाकर इस राजस्थान की विधान सभा से पास कराकर ऐसी व्यवस्था की जिससे वहां का व्यक्ति उस आबादी भूमि का कन्वर्जन कर सके, उप-विभाजन कर सके, पुनर्गठन कर सके जिससे पंचायतों की निजी आय बढ़े और जो पट्टा लेने वाला है वह भी अपने बैंकों से लोन लेकर अपना व्यवसाय खड़ा कर सके। गांव का व्यक्ति गांव से शहरों की ओर पलायन नहीं हो और गांव की आधारभूत संरचना मजबूत हो, इस प्रकार की भी व्यवस्था हमने करने की कोशिश की है। हम चाहते हैं, जो पंचायतों को निजी आय बढ़ाने के अधिकार दिये गये हैं और पूरे सदन से निवेदन करता हूं कि जिस प्रकार शिलांग के अन्दर, केरल के अन्दर मैंने देखा है कि वहां पर लोगों ने आगे होकर पंचायतों को मजबूत करने के लिए पंचायतों की निजी आय बढ़ाने के लिए लोग लगे हुए हैं, अपन लोगों को भी पंचायतों की निजी आय बढ़ाने में सहयोग करना चाहिए जिससे पंचायतें मजबूत हों।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज पंचायत सदस्य व जिला परिषद सदस्यों के बारे में बताया। 2013 के अन्दर उनका मानदेय बढ़ाया गया था।

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

मुझे कहते हुए इस बात का दु:ख भी है कि आज जब 73वां, 74वां संविधान संशोधन हुआ था उस समय इन पंचायतों की त्रिस्तरीय व्यवस्था ऐसी की जिससे सरपंच को तो पूर्ण अधिकार दे दिये, ग्राम सभा को पूरे अधिकार दे दिये, परन्तु पंचायत समिति, जिला परिषद सदस्यों को अधिकार नहीं है। मैं सदन से निवेदन करता हूं कि आप लोग सभी, पूरा सदन मिलकर संकल्प पारित करके या तो पुरानी व्यवस्था ही रहे जिससे कम से कम सबका इन्वोल्वमेंट हो और पंचायत राज व्यवस्था सुदृढ़ हो, पंचायत राज व्यवस्था आगे से आगे बढ़कर जो अपना सपना है साकार करने का वह साकार हो। इस प्रकार की व्यवस्था करने के लिए अपन संकल्प पारित करके केन्द्र सरकार को भेजें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नरेगा के सम्बन्ध में माननीय सदस्यों ने जिक्र किया। मैं इतना ही निवेदन करता हूं कि नरेगा एक केन्द्र प्रवर्तित योजना है और यह मांग आधारित योजना भी है। इस योजना के अन्दर हमने हमारी मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): योजना नहीं है, अधिनियम है।

श्री सुरेन्द्र गोयल (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अधिनियम ही कह रहा हूं। कह दिया, मुंह से छूट गया तो कौनसा पहाड़ टूट गया? जानता हूं, क्या है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, महात्मा गांधी नरेगा एक अधिनियम है और इस अधिनियम के तहत हम जो नवाचार कर सकते थे हमने नवाचार करके राजस्थान की जनता को किस प्रकार से व्यक्तिगत लाभ हो, किस प्रकार से 2 लाख से 3 लाख हो, किस प्रकार अन्नपूर्णा भण्डार बने, किस प्रकार गांवों में स्वच्छता की तरफ हम आगे बढ़कर गांवों की सफाई कर सकें, किस प्रकार खेल के मैदान बनें, किस प्रकार से हम आंगनबाड़ियों का निर्माण करें, किस प्रकार से कब्रिस्तान व श्मशान की चारदीवारी बनकर अच्छा बनें। हम लगे हुए हैं कि महात्मा गांधी नरेगा के साथ कन्वर्जेंस करके, स्टेट के फण्ड का कन्वर्जेंस करके इस प्रकार की व्यवस्था करें जिससे गांव के व्यक्तियों को रोजगार भी मिले, सम्पत्तियों का क्रिएशन हो और सभी तरह की व्यवस्था ऐसी हो जिससे उस पैसे का सदुपयोग हो। मुझे बताते हुए खुशी है इस साल हमने 3500 करोड़ रुपये महात्मा गांधी नरेगा में खर्च किये हैं। आने

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

वाले समय में आपको विश्वास दिलाते हैं, इस साल 21 करोड़ मानव दिवस सृजित किये हैं और 43 लाख परिवारों को रोजगार दिया है। करीब सवा तीन लाख लोगों को 100 दिन का रोजगार पूरा किया है। इस प्रकार की व्यवस्था करने का हम काम कर रहे हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल के सम्बन्ध में इतना ही निवेदन करता हूं कि यह एक ऐसा बिल है जिसके अन्दर किसी प्रकार की कोई शंका करने की जरूरत नहीं है। यह बिल पारदर्शिता से, एकरूपता से, पूरे राजस्थान को इकाई मानकर 33 जिलों में एक ही दिन परीक्षा करवाकर जो टेलेन्ट है उसको फायदा मिले और उसको अपनी इच्छा से चयनित जिला चयन करने का अधिकार मिले इस प्रकार की सोच लेकर लाया गया है। इसलिए मैं सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करता हूं कि इसमें किसी प्रकार की कोई शंका करने की जरूरत नहीं है। यह बिल बहुत उपयोगी बिल है और हमारी मंशा है कि जल्दी से जल्दी ग्राम सेवकों की भर्ती हो और ग्राम सेवकों की भर्ती करने के लिए हमने यह बिल आपके सामने पेश किया है, इसलिए इसको विचारार्थ लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने के जो संशोधन श्री फूलचन्द जी भिण्डा, श्री प्रहलाद गुंजल, श्री केसाराम चौधरी, श्री मानसिंह जी, श्री शंकरसिंह जी राजपुरोहित एवं श्री जोगाराम पटेल ने प्रस्तुत किये हैं उन्हें वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का संशोधन वापस लेने की अनुमति प्रदान की गयी।

प्रश्न यह है कि राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2016 को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया जाए?

(अस्वीकृत)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

(श्री उपाध्यक्ष)

प्रश्न यह है कि राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2016 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डश: विचारा। खण्ड-2 श्री जोगाराम पटेल।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, खण्ड 2 में मैंने अपना संशोधन का प्रस्ताव दिया है उसे मैं वापस लेने की अनुमति चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि खण्ड 2 में जो संशोधन श्री जोगाराम पटेल ने प्रस्तुत किया उसे वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

संशोधन वापस लेने की अनुमति प्रदान की गई।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 4 स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड-2 से 4 स्वीकार किये गये।

खण्ड 1 - अधिनियमन सूत्र, नाम आदि, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1 - अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड 1 – अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

श्री सुरेन्द्र गोयल।

विधेयक का पारण

श्री सुरेन्द्र गोयल (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2016 को पारित किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: सम्माननीय सदस्य अगर कोई बोलना चाहें तो सादर आमंत्रित हैं। श्री भंवर सिंह जी। I will get back to you. आपका जैसे-जैसे यहां नाम आया है।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पांच मिनट में संक्षेप में कह देता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2016 के बारे में मुख्य रूप से मैं कहना चाहूंगा कि जनवरी, 2013 में पंचायती राज विभाग के द्वारा 19500 कनिष्ठ लिपिकों के पद भरने की भर्ती निकाली गयी थी। उस भर्ती के लिए जिस प्रकार से माननीय चिकित्सा मंत्री जी के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में जो एसएलपी लगी हुई है, उसको वापस लेकर एएनएम, जीएनएम के राजस्थान में खाली पदों की स्थिति देखते हुए भरने का कदम उठाया गया, उसी प्रकार, मंत्री महोदय, राजस्थान में पहले से ग्राम पंचायतों में कनिष्ठ लिपिकों के पद भारी संख्या में खाली हैं और बड़ी संख्या में पंचायतें और पंचायत समितियां बना दी गई हैं। ऐसी स्थिति में, मंत्री महोदय, आप अग्रेतर कार्यवाही करते हुए इन 19500 पदों को भरें। जो हमारे राजस्थान के बेरोजगार युवा हैं, जो लम्बे समय से प्रतीक्षा में बैठे हैं, उन्हें रोजगार दिलाने के लिए इस भर्ती का काम समापन हो।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा मैं कहना चाहूंगा कि नरेगा को पिछले दो सालों से जिस प्रकार से ठप्प कर दिया गया है, उसमें मैं मेरे बीकानेर सम्भाग की बात करना चाहूंगा कि 2010 से 2015 के बीच में जो सरपंच थे उनके कार्यकाल में जो नरेगा के काम कराये गये उसमें बीकानेर जिले में मैं मानता हूं कि 15 से 20 करोड़ का भुगतान पिछले सरपंचों के कार्यकाल का सामग्री मद का बकाया चल रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, हालात ये हैं कि पिछले सरपंच घरों में नहीं मिल रहे हैं क्योंकि उनके ऊपर बहुत बड़ी लाइबिलिटी बन गई है। पंचायतों में सरपंच बदल गये हैं लेकिन पिछले सरपंचों का सामग्री मद का भुगतान आज तक नहीं किया गया है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि यह बीकानेर जिले की, बीकानेर सम्भाग की बहुत बड़ी समस्या सामग्री मद की है। इस सामग्री मद के पैसे को रुटीन में नरेगा से अलग करते हुए जब सरपंच पंचायत समिति में, जिला परिषद में जाते हैं तो उनसे कहा जाता है कि आपका सामग्री और श्रम का अनुपात है वो पंचायत का सही नहीं होने की वजह से हम सामग्री मद का भुगतान नहीं दे रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, सामग्री और श्रम का अनुपात है उस अनुपात को नये जो सरपंच बने हैं, नया जो कार्यकाल शुरू हुआ है उसमें शामिल किया जाए और पुराने सरपंचों को जो सामग्री मद का बकाया भुगतान है, वो दिया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री ग्रामीण बीपीएल आवास योजना को पिछले दो सालों में बन्द कर दिया गया। हमारे समय में, कांग्रेस की सरकार के

(श्री भंवरसिंह)

समय में बहुत बड़ा बैकलाग समाप्त किया गया था। मैं कहना चाहूंगा कि आप सिर्फ और सिर्फ इन्दिरा आवास के भरोसे चल रहे हैं। मंत्री महोदय ने किस आधार पर कहा है कि इन्होंने दो सालों में कांग्रेस ने पिछले पांच सालों में जितने इन्दिरा आवास और आवासहीन लोगों को आवास उपलब्ध करवाये थे, उससे ज्यादा करवाये हैं। मैं समझता हूं कि मंत्री महोदय को गलत आंकड़े उपलब्ध करवाये गये हैं। उपाध्यक्ष महोदय, पिछले दो सालों में जो आवासहीन लोग हैं वो आज भी इंतजार कर रहे हैं लेकिन हर पंचायत में, किसी पंचायत में पांच, किसी में दस, किसी में पन्द्रह इन्दिरा आवास आबंटित किये गये हैं। जिस प्रकार पिछली सरकार के द्वारा मुख्य मंत्री बीपीएल आवास योजना चालू की गई थी उस योजना को यथावत चालू रखा जाए और उसमें ज्यादा से ज्यादा जो बचे हुए लोग हैं 2002 के बीपीएल चयनित परिवार, उन सब को आवास की सुविधा उपलब्ध करवायी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय, एक बहुत बड़ी पीड़ा है कि 2002 में जब बीपीएल परिवारों का सर्वे हुआ था उस समय हर पंचायत में 20-30-40 परिवार ऐसे हैं जिनको चयनित सूची में तो मान लिया गया लेकिन वहां सर्वे करने वाले जो पदाधिकारी थे, जो मास्टर थे या जो ग्राम सेवक थे उनकी गलती की वजह से उन्हें आवासहीन सूची से बाहर रख दिया गया। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि जो राजस्थान की 2002 की बीपीएल सर्वे सूची है उसमें आवासहीन सूची से अलावा जो परिवार वंचित रह गये हैं, उनका एक बार पुन: सर्वे करवाया जाए और देखा जाए कि वास्तव में वो परिवार आवासहीन हैं या नहीं हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं कि हमारे बीकानेर जिले में ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जो आवासहीन हैं, जिनके कच्चा मकान भी नहीं है लेकिन उन्हें आवासहीन नहीं माना गया है। मेरा आपके माध्यम से करबद्ध निवेदन रहेगा कि ऐसे परिवारों को आवास सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए एक बार पुन: आवासहीन परिवारों की सूची की जांच की जाए।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा मैं कहना चाहूंगा कि मवेशीखाने की बात चली। मैं 2010 से 2014 तक स्वयं सरपंच रहा हूं। हर ग्राम पंचायत में आवारा पशुओं की भरमार होती है और बरसात के समय सरपंच के सामने जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है वो यह होती है कि सारे आवारा पशुओं को पंचायत के मवेशीखाने में डाल दिया जाता है। उस ग्राम पंचायत के सरपंच के

(श्री भंवरसिंह)

पास में ऐसा कोई बजट नहीं होता है जिससे कि वो उस मवेशीखाने को चला सके।

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): यह इस बिल से सम्बन्धित नहीं है। थोड़ा बिल पर बोलो तो ठीक रहेगा।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): सभी लोगों ने कहा है, हुकुम। सभी ने कहा है और मैं अपना कट-मोशन नहीं दे पाया, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: वैसे ही अबकी, मंत्री महोदय, पता नहीं क्या हुआ कि ग्रांट में कम्पनसेशन का था तब पूरा पंचायती राज डिस्कस हो गया और यहां रिक्रूटमेंट का है और पूरा पंचायती राज डिस्कस हो गया। चलिये, यह भी....

श्री भंवरसिंह (कोलायत): एक-दो मैं जरूरी बातें कह रहा हूं।

श्री सुरेन्द्र गोयल (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): मेरे भाग्य की बात है।

श्री उपाध्यक्ष: वैसे, सम्माननीय सदस्य, I don't want to disturb you लेकिन इस बिल का जो कंटेंट है वो सिर्फ रिक्रूटमेंट और दो सैक्शन से लिमिटेड है। अगर आप अपनी कोई बात कहना चाहते हैं तो I don't mind, you can put it across but then you will have to make it very short.

श्री भंवरसिंह (कोलायत): इसके अलावा काफी सारी बाते थीं, पूर्व के सदस्यों ने सारी बतायी हैं लेकिन....

श्री उपाध्यक्ष: आप बीपीएल की सूची पर थे, बीपीएल की सूची पर थे। बीपीएल की सूची पर आपका यह था कि 2002 में जो इसका सर्वे हुआ था।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): बीपीएल के जो आवासहीन परिवार हैं, जो वंचित रह गये हैं उनका दुबारा सर्वे करवाया जाए।

उसके अलावा नरेगा में बीकानेर जिले में ग्रेवल सड़कों की बहुत ज्यादा आवश्यकता है लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, बीकानेर के जिला कलेक्टर को मंत्री महोदय के द्वारा क्या आदेश दिये गये हैं कि पिछले दो सालों में एक भी ग्रेवल सड़क स्वीकृत नहीं की गई जिसकी वजह से बीकानेर में जो श्रम का अनुपात होता है, जो नरेगा में लगने वाले लोग हैं उनकी संख्या भी काफी कम हुई है और एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ने का जो कच्ची सड़कों का जरिया है वो भी एक तरह से ठप्प हो गया है।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा, जो एसएफसी, टीएफसी, अन-टाइड के

(श्री भंवरसिंह)

जो कार्य होते हैं उन कार्यों को करवाने का अधिकार कार्यकारी एजेंसी ग्राम पंचायत होती है लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, हमने देखा है कि पंचायत समिति और जिला परिषदों के पास जो पैसा होता है उस पैसे का उपयोग पंचायत समिति स्वयं पंचायत समिति की कार्यकारी एजेंसी बनाकर वो कार्य किये जा रहे हैं जिससे सरपंचों के अधिकारों का लगातार पिछले सालों से हमारे बीकानेर जिले में हनन हो रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, एक मैं जलग्रहण का जो इसी से सम्बन्धित है, उसके बारे में कहना चाहूंगा कि जलग्रहण कमेटी का अध्यक्ष जब मंत्री महोदय, सरपंच को बना दिया गया है और अब इसके बावजूद जलग्रहण कमेटी के सचिव और सदस्यों का चुनाव करवाया जाता है...

(17.00 बजे)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यही निवेदन करना चाहूंगा कि जलग्रहण कमेटी का चुनाव करवाने से गांवों में आपसी वैमनस्य बढ़ता है। जब सरपंच को अध्यक्ष बना दिया है तो सचिव ग्राम सेवक को बनाया जाये और कार्यकारिणी के सदस्य उस ग्राम पंचायत के जो भी वार्ड पंच हैं, यदि उनको बना दिया जाये तो गांव में जो गतिरोध है, जो पार्टीबाजी का माहौल है, वह समाप्त होगा और गांव में जलग्रहण के कार्य ज्यादा से ज्यादा करवाये जायेंगे।

इसके साथ-साथ, मैं कन्क्लूड करते हुए अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे आपने राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2016 के बारे में अपने विचार रखने का समय दिया। मैं इस विधेयक को तीन माह के लिए जनमत जानने के लिए कहना चाहूंगा। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: वह स्टेज निकल गई। श्रीमती शकुन्तला रावत।

श्री कालीचरण सराफ (उच्च शिक्षा मंत्री): हो गया, अब क्या पूछ रहे हो? सारी बात तो आ गई थी।

श्री उपाध्यक्ष: मंत्री महोदय, विराजें-विराजें आप नहीं फर्मा सकते। This is not your ministerial chamber, Sir.

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): आप चिंता नहीं करें, ज्यादा समय नहीं लेंगे। सम्माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने जिक्र किया है कि यह परीक्षाएं होंगी। ग्राम सेवक और सेविकाएं जो भी हैं। एक तो इनकी परीक्षा

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

का सेंटर आप इतनी दूर नहीं दे दें, जैसे अभी थोड़े दिन पहले हुआ था कि बाड़मेर वाला वहां अलवर जा रहा है, अलवर वाला जैसलमेर जा रहा है तो इतनी दूर आने-जाने में बहुत परेशानी होती है। कम से कम जिले का नजदीक का करें तो ज्यादा उचित रहेगा। बहुत सारे बच्चे उसमें रह गये थे। पेपर में भी ये सारी चीजें आई थीं।

फण्ड की बात है, आपने इतने सारे काम गिना दिये कि सरपंचों को देंगे। वह ना के बराबर फंड है। अगर उसको बढ़ाया जाये तो ज्यादा उचित रहेगा।

नई ग्राम पंचायतें बनाने का आपने हम लोगों के पास भी लैटर भेज दिया है लेकिन हम लोगों के पास इतने सारे काम होते हैं। मेरे यहां भी पांच नई पंचायतें बनी हैं तो पंचायत भवन में कुछ तो आप अपनी तरफ से घोषणा करें। ये आपने अटल केन्द्र बना दिये। नाम तो परिवर्तित कर दिये, वह तो आप आगे-आगे करते ही जा रहे हैं। शायद आपकी परिपाटी है। आप नई पंचायतों में अटल भवन बना दें क्योंकि ग्राम पंचायत ही धुरी है।

जैसे अभी उपाध्यक्ष महोदय, आप फरमा रहे थे कि सारी चीजों का उसमें जिक्र कर दिया लेकिन एक पेड़ है। अगर पेड़ में पानी नहीं देंगे तो उसका विकास नहीं होगा और गांवों की जो धुरी है, वह ग्राम पंचायत है। उसको फंड नहीं देंगे। मेरा थोड़ा सा यह है कि आप नियम-फरमान कुछ भी जारी करें, लेकिन जो श्रमिक हैं, नरेगाकर्मी हैं, उनको मानदेय ना के बराबर मिल रहा है। आप राज में हो, मालिक हो, बहुमत में हो कृपा करके उनका 500/- प्रतिदिन बढ़ा दें तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद होगा। हम भी धन्यवाद दे देंगे। इस महंगाई के जमाने में जब भी जहां जाते हैं तो वह कहते हैं बहिनजी, ना तो पढ़ाने की स्कूल की फीस दी जाती है, ना घर का खर्चा चलता है। तो आपसे मेरा अनुरोध है कि महंगाई को देखते हुए नरेगाकर्मी और श्रमिकों का मानदेय बढ़ाया जाये।

दूसरा, टेण्डर प्रक्रिया है, उसमें सरपंच लटका रहता है कई दिनों तक, टेण्डर प्रक्रिया में काम करने में परेशानी आती है। अगर उसमें कोई तब्दीली कर सकें, यह मेरा अनुरोध है।

जिला प्रमुख, प्रधान और सरपंचों की विकास की राशि होती है, वह बढ़ाने का मेरा आपसे अनुरोध है जिससे वह काम करवा सकें अन्यथा नाम के

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

ही सरपंच हैं। गांवों का विकास ना के बराबर हो रहा है। बिल्कुल नहीं हो सकता। आप और हम सब इस चीज से वाकिफ हैं।

यह मेरा आपसे अनुरोध है उपाध्यक्ष महोदय, धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्षः श्री मेवाराम जी जैन।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2016 आप लाये हैं। मैं मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि यह विधेयक पंचायती राज को कमजोर करने के लिए है। इसके अन्दर भर्ती की बात है चाहे ग्राम सेवक की बात कर रहे हो, चाहे अध्यापकों की बात कर रहे हो। जिलों में हमारा बैकवर्ड एरिया था, जिनके बच्चे इसमें आते, वह आप पूरे राज्य की मैरिट एक करोगे, उसमें ये वंचित रह जायेंगे और हमें भारी नुकसान होगा।

दूसरा, उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आपने और मुख्य मंत्रीजी ने महानरेगा के तहत पंचायतों में सामग्री का ठेका निरस्त करने के लिए घोषणा की। आपने आदेश जारी किये थे कि सरपंचों के जितने ठेके हैं नरेगा के, वह हम निरस्त करेंगे और बीएसआर रेट पर ये आदेश कर रहे हैं। आदेश आपके निकले और फिर आपने वापस उसको कैंसिल किया। तो ये सरपंच सामने बैठे हैं सारे, ये देख रहे हैं। आज पूरे राजस्थान के सरपंच बाहर हड़ताल और धरने पर बैठे हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आपने जब घोषणा की। आपने एक बार आदेश भी निकाल दिये। आप देख लो, आपके आदेश निकले और वापस उस आदेश को आपने निरस्त किया। ये आपकी घोषणा की हुई है। सरपंचों ने जगह-जगह आपके स्वागत किये, मालाएं पहनाईं, साफा पहनाया और फिर वापस वह निर्णय बदला। इससे सरपंचों में भारी रोष है। आप इसको ठीक करो।

दूसरा, मैं कहना चाहूंगा। मैटेरियल के लिए नरेगा में पैसे नहीं हैं। कई समय से अटके हुए हैं सरपंचों के भुगतान। आप मेहरबानी इसकी व्यवस्था करें ताकि ये मैटेरियल के पैसों से आगे का काम पंचायत कर सके।

तीसरा, आप अभी फरमा रहे थे मंत्री महोदय। पंचायतों को आपने हैण्डपम्प, ट्यूबवैल स्वीकृति के लिए, कि आप खुदा सकते हो, इसका कार्य कर सकते हो परन्तु उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पंचायत चाहे तो भी पीएचईडी इनको एनओसी नहीं देगी और एनओसी नहीं देने से वह काम करा नहीं पायेंगे। इसलिए वह काम अटक जायेंगे।

(श्री मेवाराम जैन)

बाकी इनकी जितनी भी नई पंचायत समिति और ग्राम पंचायतें बनी हैं, उनके भवन के लिए भी पहले स्वीकृति आपने की, फंड स्वीकृत किया और उसके बाद में फिर उसको बदला तो यह भी कि जब आपने पंचायत समिति बना दी, आपने ग्राम पंचायतें बना दीं। जब भवन नहीं बनेंगे तो वहां कैसे काम कर पायेंगे? इसके लिए भी आप फंड आबंटित करें।

दूसरा, अभी जलग्रहण की बात की। जलग्रहण आपस में एक लड़ाई का मामला है। इसमें ग्राम पंचायत और सचिव को रखें। बाकी कमेटियों की वजह से गांवों के अन्दर दो ग्रुप हो जाते हैं। आपस में लड़ाई-झगड़ा होता है। इसलिए आप मेहरबानी करके इसको भी वापस इस तरह से करें।

अंत में उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि पंचायत समितियों का आपने पुनर्गठन किया है तो उसमें जो ब्लाक बनाये हैं, उसी हिसाब से शिक्षा हो, चाहे आईसीडीएस हो, चाहे पुलिस हो, ब्लाक को पावर दो और अभी तक वह पुराने हिसाब से चल रहे हैं। उनको आप ब्लाक में सारे एक जगह वापस करो ताकि जनता को इस काम में सुविधा हो।

अंत में यही कहूंगा कि जो पंचायती राज है, इनके जितने भी विभाग हैं, कमजोर करने के प्रयास मत करो। चाहे प्रमुख है, चाहे प्रधान है, चाहे सरपंच है, इनकी ये पावर मत छीनो। इनको पावर वापस दो। मजबूत करो। यही मैं कहना चाहूंगा। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी। आप अगर...

श्री सुरेन्द्र गोयल (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा। कनिष्ठ लिपिकों के बारे में कोलायत से आने वाले माननीय सदस्य ने बात की है। मैं इनसे इतना ही निवेदन करूंगा कि पहले बोनस अंकों के आधार पर पिछली सरकार में 10-20-30 बोनस अंक दिये थे और उसके आधार पर भर्तियां की थीं। उसमें 7,765 को नियुक्तियां दे दी गयी थीं और मीनव्हाइल, हाई कोर्ट से पहले सिंगल बैंच से स्टे आ गया। वह रोक दिया। फिर बाद में डबल बैंच में गये। डबल बैंच में कहा कि नहीं, 15 से ज्यादा अंक नहीं दे सकते। फिर उसके खिलाफ सरकार एसएलपी में सुप्रीम कोर्ट गयी। सुप्रीम कोर्ट में प्रकरण विचाराधीन है। ज्योंही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा, उसके बाद में जो आपकी भावना है, उसके अनुरूप काम किया जायेगा और कोर्ट के आदेश की पालना की जायेगी। एक तो यह बात है।

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नरेगा में सामग्री के भुगतान के बारे में कहा तो कल तक, 31 तारीख तक जो एमआईएस में फीड हो गया होगा, उसका भुगतान इस साल में होगा, बाकी का अगले साल में होगा। अगर 40 परसेंट से ज्यादा हुआ होगा तो उसको दिखवा लेंगे। जो भी स्थिति होगी, उसके हिसाब से करेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री बीपीएल सर्वे का आपने जिक्र किया है। मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं कि 2011 की जनगणना आ गयी है और उसके अन्दर आर्थिक और सामाजिक आधार पर जनगणना हुई है। तो उसके अन्दर जो-जो भी बीपीएल की श्रेणी में आते हैं। वैसे भी बीपीएल की श्रेणी के लिए दो स्तरीय अपील की व्यवस्था है। पहले एसडीओ और कलक्टर के यहां, वह बीपीएल बन सकता है। अपने नम्बर बारह और तेरह लेकर के जो हैं गरीब के लिए, बाकी आर्थिक और सामाजिक सर्वे आ गया है उसके आधार पर जो भी होगा आगे कार्यवाही करेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बानसूर से आने वाली माननीय सदस्या ने बताया है, मैं आपसे निवेदन करूं कि ये जिलेवार एग्जाम होंगे, पारदर्शिता से होंगे और आपको किसी प्रकार की कोई शंका जाहिर करने की जरूरत नहीं है।

पहले पंचायतों के पुनर्गठन के बारे में बताया तो अब ये पुनर्गठन का काम 22 साल बाद में हुआ है। हमें खुशी है कि माननीय मुख्य मंत्रीजी के निर्देश पर हमने पुनर्गठन किया, 723 नई पंचायतें बनाई थीं और 47 पंचायत समितियां बनायीं। अब पंचायत समितियों के भवन के लिए हमने 2-2 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति जारी कर दी है और जल्दी से जल्दी वित्तीय स्वीकृति जारी करके भवन बना लेंगे। क्योंकि पहले ज़मीनों का मामला था, हमने कलेक्टरों को निर्देश दिए थे कि दस बीघा जमीन पंचायत समिति के लिए और पांच बीघा जमीन तक पंचायतों के लिए आप चिह्नित करें। जहां-जहां चिह्नित हो गयी हैं उनके लिए दो करोड़ रुपये हम पंचायत समिति के लिए और पचास-पचास लाख रुपये पंचायत के भवन बनाने के लिए हमने प्रशासनिक स्वीकृति जारी करने के लिए विभिन्न योजनाओं के अन्दर उनको निर्देशित कर दिया है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, महात्मा गांधी नरेगा में टेण्डर के बारे में इन्होंने जिक्र किया। तो मैं इनसे निवेदन इतना ही करता हूं कि माननीय

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

मुख्य मंत्रीजी ने महात्मा गांधी नरेगा योजना के अधिनियम के अन्दर नहीं कहा था। उन्होंने ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग के योजना है उनके अन्दर टेण्डर प्रथा समाप्त करके बीएसआर लागू करने के हमने निर्देश प्रदान कर दिए हैं और महात्मा गांधी नरेगा में भी मैं सदन को विश्वास दिलाता हूं कि हमने एफडी को भेजी है और एफडी इस पर परीक्षण करेगी। क्योंकि यह सेंट्रल एक्ट है अगर बाय दा वे यहां नहीं होगा तो हम सेंट्रल में हमारी तरफ से निवेदन करेंगे। सेंट्रल जैसा निर्देश देगा उसके हिसाब से आगे आपकी भावना के अनुरूप कार्यवाही करेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आईडब्ल्यूएमपी में हमने कमेटी के अन्दर सरपंचों को अध्यक्ष बना दिया है। ज्योंही मैं मंत्री बना उसके विदिन मंथ हमने सरपंचों को अध्यक्ष बनाने के निर्देश प्रदान कर दिए थे।

यही मैं निवेदन करता हूं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल को पारित किया जाए।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, डेढ़ साल हो गया चुनाव हुए पंचायतों के। उनको पैसा मिला नहीं, आप 60:40 परसेंट रेशो की बात कर रहे थे। जिला परिषद से, पंचायत समितियों से स्वीकृति निकली। उस ग्राम पंचायत का क्या दोष था? आज डेढ़ साल से उसका भुगतान नहीं हो रहा है। पूरे जिले का रेशो जो मिल रहा है, जिला कलेक्टर और उनके अधिकारी कह रहे हैं कि रेशो नहीं मिल रहा है। आज उस सरपंच की कहां कमी है। आप तो तुरन्त उनका भुगतान कराओ यह बीकानेर जिले पूरे की समस्या है।

श्री सुरेन्द्र गोयल (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा प्रतिपक्ष के नेता महोदय ने फरमाया। जो-जो बात है अपन बैठकर के किस प्रकार से उसका निस्तारण हो सकता है। क्योंकि यह मेरी जानकारी में है नहीं, मैं इसकी जानकारी करवा लूंगा और जानकारी करके जो भी विधि सम्मत कार्यवाही हो सकती है करने की कोशिश करूंगा।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2016 को पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2016 पारित किया गया।

(श्री उपाध्यक्ष)

साईं तिरूपति विश्वविद्यालय, उदयपुर विधेयक, 2016, श्री कालीचरण सराफ।

विधेयक पर विचार

सांई तिरूपति विश्वविद्यालय, उदयपुर विधेयक, 2016

श्री कालीचरण सराफ (उच्च शिक्षा मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं सांई तिरूपति विश्वविद्यालय, उदयपुर विधेयक, 2016 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: श्री जोगाराम पटेल।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जन भावना का आदर करना हमारा धर्म है। जन भावना यही है कि इसको बहुत संक्षिप्त में कहा जाए तो बहुत ही अति संक्षिप्त में कहा जाएगा और मैं इतना ही निवेदन करूंगा कि वैसा ही यह विषय है। हमारे आदरणीय प्रोफेसर साहब बैठे हैं उनका है और वे इसके विशेषज्ञ हैं तो इस बारे में अधिकता से बताएंगे। एक बात जरूर है कि एजुकेशन के मामले में और स्पेशली हायर एजुकेशन के मामले में हमारा जो नेशनल एवरेज रेशो है उसमें देखें या अन्य प्रदेशों के एवरेज में देखें तो बहुत कम कालेज हमारे हैं। विश्वविद्यालय और महाविद्यालय हमारे कम हैं। मेरा तो जो सब्जैक्ट था उसे मैंने सुबह आपके सामने पूरा निवेदन कर दिया है। लेकिन जो आब्जैक्ट इसमें दिये गये हैं उससे पूरा पता लग जाता है कि यह एक्ट क्यों लाया गया है। इसलिए मैं आदरणीय मुख्य मंत्रीजी साहिबा का और हमारे आदरणीय उच्च शिक्षा मंत्रीजी का बहुत आभारी हूं। सिर्फ एक चीज ये हटा दें संसाधन की उपलब्धता, यह एक इनके जो बैठ गया है वह थोड़ा सा यह हटा दें तो इनसे बड़ा अच्छा कोई मंत्री भी नहीं हो सकता। यह इनके रटा रटाया है तो यह हमारे लिए थोड़ा सा तकलीफदेह है। मंत्रीजी, इसको थोड़ा सीम कर दें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसमें लिखा है विश्व और देश में ज्ञान के सभी क्षेत्रों में तीव्र विकास के साथ-साथ कदम मिलाने को दृष्टि में रखते हुए युवाओं को उनके निकटतम स्थान पर अधुनातन शैक्षणिक सुविधाओं का उपबंध करने के लिए राज्य में विश्व स्तरीय आधुनिक अनुसंधान और अध्ययन सुविधाओं का सृजन करना आवश्यक है जिससे उन्हें विश्व की उदार

(श्री जोगाराम पटेल)

आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था में मानव संसाधनों से संगत बनाया जा सके। यह जो आपका आब्जैक्ट है इसके लिए हम आपके आभारी हैं। इसकी वजह से आप यह एक्ट लेकर के आए हैं और आपने चाहे मेडिकल यूनिवर्सिटी हो या और यूनिवर्सिटीज हो, अब मैं यह कह सकता हूं कि आपके कार्यकाल के दौरान अधिकतम महाविद्यालय और विश्वविद्यालय खुले हैं। इसीलिए दो बातों को इसमें आप विशेष रूप से देखें। एक तो जो नकल का प्रचलन शुरू हुआ है कालेजों और महाविद्यालयों में वह भी एक खतरनाक स्थिति पर पहुंच गया है। उसमें किस तरह से कैसे रोक लगे, हमारी शिक्षा की महत्ता कायम हो। महाविद्यालय और विश्वविद्यालय से निकलने वाला विद्यार्थी बेरोजगार नहीं हो। बेरोजगार से मेरा तात्पर्य सिर्फ सरकारी नौकरी से नहीं है। मात्र बीए और एम की डिग्री देना हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए। वह स्व-रोजगार कैसे लें और हमारा जो टीचिंग और नोन टीचिंग स्टाफ है। हमारा अनुभव है जोधपुर का और अन्य महाविद्यालयों का कि वो विश्वविद्यालय कभी भी किसी स्टेज पर आकर के बंद करने की स्थिति में आ जाते हैं। आप कितना भी प्रयास करें, एडमिनिस्ट्रेशन मुकर्रर करें लेकिन फिर भी एक विषम परिस्थिति बन जाती है। उस परिस्थिति में लम्बे समय से कोई दस साल से, पन्द्रह साल, कोई बीस साल से हमारा टीचिंग और नोन टीचिंग स्टाफ है उसके सर्विस की गारंटी कैसी हो इस बारे में आप ध्यान दें।

इनके साथ ही मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन करूंगा कि इसमें मैंने जो जनमत जानने की अपनी प्रार्थना की है उसे वापस लेने की आपसे निवेदन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री प्रहलाद गुंजल।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सांई तिरूपति विश्वविद्यालय, उदयपुर विधेयक, 2016 सदन में विचार के लिए लिया है। मेरे ख्याल से मुझे पुराने अनुभव नहीं हैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पर शायद मैं दूसरी बार विधायक हूं।

श्री उपाध्यक्ष: शायद क्या? आप तो हैं।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): नहीं, मैं जिस विषय की शायद जो मैं देख रहा हूं। मेरे विधायक कार्यकाल में यह पहला अवसर होगा जब इस सदन में एक विश्वविद्यालय एक्ट पारित हो रहा है और एक विश्वविद्यालय निरसन

(श्री प्रहलाद गुंजल)

हो रहा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक विश्वविद्यालय का आज एक टर्म पास कर रहे हैं और एक विश्वविद्यालय को आज हम समाप्त कर रहे हैं।

(17.19 बजे)

(श्री श्रीचन्द कृपलानी, सभापति, पदासीन)

इस बात का केवल इसलिए उल्लेख कर रहा हूं कि शिक्षा जैसा महत्वपूर्ण विषय और आपकी व्यवस्था से बंधे हैं, ज्यादा लम्बा नहीं बोलेंगे। इस प्रकार के ऐतिहासिक फैसले एक विश्वविद्यालय और उस दौर में जब दुनिया के सौ विश्वविद्यालयों में हमारा एक राजस्थान का विश्वविद्यालय शुमार नहीं है, हम एक एक्ट ला रहे हैं और एक एक्ट का निरसन कर रहे हैं। यह विधान सभा विश्वविद्यालय पारित करें बहुत गम्भीरतापूर्वक विचार करने की आवश्यकता है।

सांई तिरूपति विश्वविद्यालय, उदयपुर विधेयक, 2016 है, मैं इसके बारे में केवल इतना कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्रीजी की चिन्ताओं को कई बार मैंने इस हाउस में सुना है। जब-जब भी कोई यूनिवर्सिटीज का एक्ट आया, यूनिवर्सिटीज के बारे में चर्चा आई तो मंत्रीजी ने कहा कि दुर्भाग्य से हम देश के अन्य प्रान्तों से पिछड़ गये। एजुकेशन में निवेश, जब एजुकेशन के बारे में जागृति आई, अवेयरनेस आई तब राजस्थान में एजुकेशन के संसाधनों के अभाव में मेडिकल विश्वविद्यालय, तकनीकी विश्वविद्यालय, इंजीनियरिंग कालेज, मेडिकल कालेज एक बड़ी तादाद में राजस्थान का बच्चा, राजस्थान का विद्यार्थी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, देश के अन्य प्रान्तों में जाकर डिग्रियां हासिल करने लगा, इस महती आवश्यकता को देखते हुए राजस्थान सरकार ने एक महत्वाकांक्षी कदम उठाया कि एजुकेशन के क्षेत्र में निवेश आना चाहिए और न केवल निवेश आना चाहिए बल्कि उच्च मानकों के संस्थान स्थापित किये जाने चाहिए जिससे इन विश्वविद्यालयों में पढ़कर, जो अभी चिन्ता व्यक्त की लूणी से आने वाले माननीय सदस्य ने संक्षिप्त संबोधन में कि डिग्री लेकर निकलने वाले, जो डिग्री हाथ में लेकर निकले तो उस डिग्री की प्रतिष्ठा इस प्रकार की होनी चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, आज भी विघटन से पूर्व का जो राजस्थान विश्वविद्यालय था, उसके बारे में यह मान्यताएं थीं कि यह एशिया के प्रमुख विश्वविद्यालयों में से एक है। आज किसी सैंट जेवियर्स जैसे स्कूल की बात

(श्री प्रहलाद गुंजल)

करते हैं, दिल्ली के श्रीराम कालेज की बात करते हैं या पिलानी बिट्स की जब चर्चा होती है तो यह बात सारे हिन्दुस्तान में जानी जाती है कि इन संस्थाओं का अपना एक विशिष्ट स्थान है और इन संस्थाओं की डिग्री लेकर निकलने वाला बच्चा, डिग्री लेकर निकलने वाला विद्यार्थी जब यह कहकर रोजगार की तलाश में निकलता है कि मैंने अमुक विश्वविद्यालय से डिग्री प्राप्त की, विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा उसके रोजगार के लिए, उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए, उसकी क्वालिफिकेशन को रिकोग्नाइज करने के लिए एक धारणा पैदा करने के लिए बहुत बड़ी कायम होती है और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आपके प्रयास तो बहुत बेहतर हैं लेकिन आप जितनी चिन्ता करते हो इस बारे में, एक चिन्ता और कर लें, माननीय सभापति महोदय।

मंत्री महोदय, केवल मुझे इतना कहना है कि ग्लोबल हैल्थ रिसर्च एंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, उदयपुर को सरकार आज विश्वविद्यालय खोलने का विधेयक पारित करके अनुमति दे रही है और जो इनका प्रपोजल आया उस प्रपोजल पर जो सरकार ने एग्जामिन कमेटी बनाई। उद्देश्यों के बारे में अभी बता दिया लूणी से आने वाले माननीय सदस्य ने। एक बड़ी समिति, कुलपति, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, आयुक्त, महाविद्यालय शिक्षा संस्थान, प्राचार्य, रविन्द्र नाथ टैगोर चिकित्सा विश्वविद्यालय, उदयपुर, संकायाध्यक्ष, तकनीकी एवं कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय महाराणा प्रताप कृषि तकनीकी विश्वविद्यालय, उदयपुर जो भी पाच-दस लोगों की कमेटी बनाई तकनीकी लोगों की और कमेटी की रिपोर्ट के बाद सरकार इस आशय से संतुष्ट हो गयी कि जो प्रस्ताव लेकर ग्लोबल हैल्थ रिसर्च एंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट आ रहा है उन्हें अनुमति दी जानी चाहिए, लेकिन यह यूनिवर्सिटी तो सांई तिरूपति विश्वविद्यालय, उदयपुर है। इसकी अनुसूची-1 में जाओ। क्या-क्या संसाधन इनके पास हैं। क्या-क्या प्रोपर्टीज डवलप करेंगे? लेकिन अनुसूची-2 को पढ़ें। आपत्ति नहीं है, एक विश्वविद्यालय जब रिफोर्म होता है तो कई सारे कोर्सेज चालू कर सकता है, लेकिन इन्होंने जो अपनी अनुसूची-2 में शाखाएं जिसमें विश्वविद्यालय अध्ययन और अनुसंधान का जिम्मा लेगा, चिकित्सा और इसके अलावा अनुसूची में कोई दूसरे पाठ्यक्रम नहीं डाले और जब चिकित्सा डाला तो इस विश्वविद्यालय के नाम, परिभाषा आदि में कहीं भी चिकित्सा विश्वविद्यालय का जिक्र नहीं है। अच्छा होता, इस सदन के माननीय सदस्यों ने इसको ठीक से नहीं पढ़ा होगा, जिसको हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता कहकर

(श्री प्रहलाद गुंजल)

पारित कर दिया जाएगा, यह जानकारी भी नहीं है कि यह जो विश्वविद्यालय आ रहा है यह मेडिकल यूनिवर्सिटी है। इसके नाम में, परिभाषाओं में कहीं इस बात का उल्लेख होता, मेडिकल यूनिवर्सिटी का जिक्र होता तो अच्छा होता।

माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, आप अच्छा काम कर रहे हैं। दो-तीन बातों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। डिबेट तो बहुत लम्बी है। आसन की मंशा समझकर मैं संक्षिप्त में कर रहा हूं। एजुकेशन का विषय बहुत छोटा नहीं हो सकता। उस समय जब हमें और आगे बढ़ना चाहिए देश में और दुनिया में कंपीटीशन के लिए, मैं 7.4.2015 को जो माननीय शिक्षा मंत्री जी ने इस सदन में कहा वो याद दिलाना चाहता हूं। जोधपुर नेशनल यूनिवर्सिटी फर्जी डिग्री प्रकरण पर हुई चर्चाओं पर आपने सोढानी समिति बनाई और दो माह में उसकी रिपोर्ट मांगी। जोधपुर नेशनल यूनिवर्सिटी इसी सदन में एक्ट पारित किया होगा। जोधपुर नेशनल यूनिवर्सिटी अगर दुनिया में कोई उसका समाचार पढ़ता है तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई सरकार की यूनिवर्सिटी हो। आपने यह भी मंशा व्यक्त की थी कि हम इस प्रकार का कदम भी उठायेंगे कि निजी क्षेत्र में आने वाले लोग इंडियन नेशनल इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो उन पर हम रोक लगायेंगे। जोधपुर नेशनल यूनिवर्सिटी ने जिस प्रकार पच्चीस हजार से ज्यादा फर्जी डिग्रियां बांटी, ऐसा लगा जैसे हमने राजस्थान में कोई विश्वविद्यालय स्थापित नहीं किया फर्जी डिग्रियां बांटने की एक दुकान स्थापित कर दी। सारे देश के शिक्षा जगत में, दुनिया के शिक्षा जगत में राजस्थान की प्रतिष्ठा धूमिल हुई।

आपने गम्भीरतापूर्वक कहा था। आपकी मंशा को, आपके प्रयासों को मैं साधुवाद देना चाहता हूं, लेकिन इस विषय में आपने कहा था कि उच्च शिक्षा के निजी और सरकारी विश्वविद्यालयों के क्रियाकलापों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए नियामक आयोग का गठन भी प्रक्रियाधीन है। केवल इसमें नहीं हुआ, एसओजी ने 38 हजार डिग्रियां फर्जी पकड़ीं और इससे पहले आपने 26.3.15 को इस सदन में स्वीकार किया। सनराइज विश्वविद्यालय, अलवर, श्रीधर और सिंघानिया विश्वविद्यालय, झुंझुनूं, पैसेफिक विश्वविद्यालय, उदयपुर में भी फर्जी डिग्रियां पाये जाने की शिकायतें प्राप्त हुईं। शिकायत है, मैं नहीं कह रहा हूं कि सच है। जोधपुर ने बदनाम कर दिया। शिकायत पाई गई। कोग्नीजेंस लेने की आपने बात की, जांच की।

(श्री प्रहलाद गुंजल)

माननीय, मैं आज सरकारी विश्वविद्यालय, कोटा की बात करना चाहता हूं 19.3.2015 को जो भर्तियों में वहां पर गड़बड़ियां हुईं, आपने डिविजनल कमिश्नर की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई। आपके प्रयास ठीक हैं। तकनीकी विश्वविद्यालय में कार्यवाहक कुलपति ने नैतिकता और व्यावहारिकता की अनदेखी करके बिना प्रबंध मंडल से सहमति लिये हुए विश्वविद्यालय के संस्थागत और संरचनात्मक ढांचे को ही बदल दिया पिछली बार तकनीकी यूनिवर्सिटी में। यह सब होता रहे। यूनिवर्सिटी बन जाएगी और जब एक्ट में लिखा हुआ है कि जो उसका मालिक होगा, सरकारी यूनिवर्सिटीज में जो राज्यपाल का अधिकार होता है, उनका होगा। उसके अधीन जो व्यक्ति होगा वो हमारी यूनिवर्सिटी के कुलपति के बराबर का पावरफुल व्यक्ति होगा, हम उन्हें यह एक्ट पारित करके सर्वसम्पन्न तरीके से अधिकार देकर विश्वविद्यालय संचालित करने के लिए फ्री कर देते।

अच्छा हो कि वो अपने प्रयासों से इस तरीके के पैरामीटर्स कायम करें कि देश और दुनिया में उस बात की सराहना हो कि जब कालीचरण जी सराफ राजस्थान के हायर एजुकेशन मिनिस्टर थे तब यूनिवर्सिटीज के जो-जो एक्ट पारित हुए थे, देश और दुनिया में शिक्षा के उच्च मानक स्थापित किये थे।

मेरा इतना-सा आग्रह है आपसे कि खोलें, निवेश आना चाहिए, यहां लोगों को पढ़ने के अवसर मिलने चाहिए। मेडिकल एजुकेशन में अवसर मिलने चाहिए। टेक्निकल एजुकेशन में अवसर मिलने चाहिए लेकिन मंत्री महोदय जिस सकारात्मक मंशा से, जिस इच्छा शक्ति से हायर एजुकेशन में कंट्रोल के लिए, अव्यवस्थाओं में निजी क्षेत्र और सब पर कंट्रोल करने के लिए आप उच्च शिक्षा नियामक आयोग गठन करना चाहते हैं उसमें तत्परता दिखायें और उसमें तत्परता दिखाकर सारे के सारे जो विश्वविद्यालय राजस्थान में निजी क्षेत्र में आने वाले हैं उन सबको मोरली बाउंड किया जाये, कानूनी रूप से बाउंड किया जाये कि जो-जो पैरामीटर्स कानूनी स्वरूप लेकर हायर एजुकेशन, जो नियामक आयोग बनेगा वह उनका एवरी टाइम सुपरविजन करेगा। उनकी हर गतिविधि का मूल्यांकन करेगा और मूल्यांकन ही नहीं करेगा अगर उनकी गतिविधियों में कहीं शैक्षणिक जगत में अवमूल्यन लाने की कोई कार्य योजना नजर आती है तो उनको पैनेलाइज करने, उनके खिलाफ एक्शन लेने की उसमें

(श्री प्रहलाद गुंजल)

पावर होनी चाहिये। मैं समझता मंत्री महोदय, अगर आपने यह काम कर लिया आप बहुत बेहतरीन तरीके से, मैं जानता हूं आपकी राजनीतिक इच्छा शक्ति को, आप सदैव इस राजस्थान के बारे में अच्छा सोचते हैं। हायर एजुकेशन में आप चाहते हैं कि राजस्थान देश को लीड करे। लीड करे तो एक व्यवस्थित कंट्रोल के लिये यह सब काम करते हुए मैं समझता हूं कि एक मेडिकल यूनिवर्सिटी आयेगी, एक नये आयाम स्थापित होंगे। इन्फ्रास्ट्रक्चर की डिटेल भी ठीक है, सब कुछ ठीक है लेकिन नियामक आयोग आप जरूर बना दें और बनाकर मानिटरिंग की ऐसी सशक्त व्यवस्था कर दें कि फिर इस राजस्थान की विधान सभा में कोई विधेयक पारित करके यूनिवर्सिटी फर्म होने वाली जोधपुर नेशनल यूनिवर्सिटी की तरह राजस्थान के शिक्षा जगत की बदनामी देश और दुनिया में नहीं करा सकें, इसके लिये आप ठीक तरह की कानूनी बाध्यताएं निश्चित रूप से खड़ी कर लें। मैं समझता हूं आप राजस्थान के शिक्षा जगत के विकास पुरुष के रूप में जाने जाओगे, पहचाने जाओगे।

मैं इस अवसर पर आज आपके प्रयासों की सराहना करते हुए आपको बधाई देना चाहता हूं और माननीय सभापति महोदय, मैंने जो सांई तिरूपति विश्वविद्यालय विधेयक, 2016 को जनमत जानने का प्रस्ताव दिया था, मैं उस प्रस्ताव को वापस लेने की आज्ञा चाहता हूं।

श्री सभापति: डाक्टर फूलचन्द भिण्डा।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): माननीय सभापति जी, राजस्थान बिखरा हुआ राज्य है, फैला हुआ राज्य है और माध्यमिक शिक्षा में हम अंतिम पायदान पर हैं, महिला शिक्षा में विशेषकर। लेकिन राजस्थान का सौभाग्य है कि राजस्थान के दानदाताओं द्वारा और जो हमारे प्रारम्भ के मुख्य मंत्री रहे उनके प्रोत्साहन के कारण से सामाजिक संगठनों ने अनेकों कालेज खोले और उन अनेकों कालेजों के कारण से आज हम उच्च शिक्षा में जो भारत का मानक है, सम्पूर्ण देश का मानक है उससे काफी उच्च हमारा मानक है। लगभग 60 हजार की आबादी पर सारे देश में एक कालेज है लेकिन हम 42 हजार की जनसंख्या पर एक कालेज बना चुके हैं। इतना ही नहीं विश्वविद्यालयों की दृष्टि से भी हमारे प्रत्येक सम्भाग स्तर पर विश्वविद्यालय हैं, सरकारी विश्वविद्यालय हैं। बचा हुआ एक भरतपुर था जिसको बाद में हमने ही निर्मित किया था, वहां भी हमने पिछली बार विश्व विद्यालय खोल दिया।

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

वह भी राजस्थान के राष्ट्रीय पुरुष और वीरता के प्रतीक महाराजा सूरजमल के नाम से बनाया। उसके नीचे भी हम सरकारी विश्वविद्यालयों को ले आये हैं। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोबनेर, अलवर का महाराजा भर्तृहरि जी के नाम से जो इतिहास में त्याग का प्रतीक है, राज सिंहासन छोड़कर जिन्होंने तपस्या की ऐसे महापुरुष के नाम से हमने विश्वविद्यालय खोला। हमने सीकर में उन महापुरुष के आधार पर जिन्होंने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में पहला स्थान प्राप्त किया और सीकर के राजा ने और पिलानी के बिडला जी ने उनको छात्रवृत्ति दे कर किया, उनके नाम पर हमने विश्वविद्यालय खोला। मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं भारतवर्ष में जो ग्रामीण जिले हैं उनमें सर्वोच्च स्थान पर अगर कोई जिला है 16 हजार की आबादी पर एक कालेज, वह झुन्झुनूं जिला है और उसमें ज्यादातर जो हमारे दानवीर हैं उनके द्वारा बनाये हुए कालेज हैं और वहां विश्वविद्यालय भी स्थापित हो गये हैं।

इस कारण से उच्च शिक्षा में हम बढ़िया पायदान पर हैं। प्राइवेट विश्वविद्यालय भी आ रहे हैं। तकनीकी विश्वविद्यालय भी प्राइवेट में आये हैं। हमारे दो मेडिकल विश्वविद्यालय पहले हैं, तीसरा मेडिकल विश्वविद्यालय आ रहा है। यह मेडिकल विश्वविद्यालय आ रहे हैं इनमें चौकसी रखने की आवश्यकता है। अभी भी पिछले 10 साल से मेडिकल में एक विश्वविद्यालय चल रहा है लेकिन वह सुप्रीम कोर्ट के स्टे के कारण से चल रहा है। वहां पढाई करने वाली बालिका ने आत्महत्या की उसके बाद मान्यता की चैकिंग हुई। मान्यता देने के लिये जो निरीक्षण के लिये आये उस टोली को पीटा गया, ऐसी भी स्थिति है।

इस कारण से मैं आपके माध्यम से इस प्रकार के विश्वविद्यालय बनते हैं तो उनकी मानिटरिंग का पुख्ता सिस्टम होना चाहिये। रेगुलेटरी सिस्टम अगर नहीं होगा तो मनमानी करेंगे। विश्वविद्यालय में कुलपति होता है, हमारे गवर्नर कुलाधिपति होते हैं और जब प्राइवेट विश्वविद्यालय खोले तो लगता ही नहीं है शिक्षा है, लगता है फैक्ट्री है। वहां प्रेसीडेंट होता है, चेयरमैन होता है। मैनेजमेंट के जो सर्वोच्च पद हैं वहां वाइस चांसलर का पद नहीं होता, वहां होता है प्रेसीडेंट और चेयरमैन। यह फैक्ट्री लगती है या शिक्षा लगती है।

फिर भी कोई बात नहीं, हम शिक्षा को बढ़ावा देने के लिये

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

विश्वविद्यालय खोल रहे हैं और काफी मात्रा में खोले हैं। इस विश्वविद्यालय का नाम तो सांई बाबा महापुरुष का है और तिरुपति बालाजी के दर्शनों के लिये हम तरसते हैं, उनके नाम से है। झीलों की नगर उदयपुर में खोला जा रहा है इस कारण से यह अच्छा ही खुलेगा, ऐसी आशा करते हैं। लेकिन उन पर रेगुलेटरी सिस्टम होना ही चाहिये ...(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): सभापति महोदय, सांई का नाम देते ही अच्छा ही खुल जायेगा फिर तो यह सारे भगवानों के नाम पर, महात्माओं के नाम पर ...

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): मैंने यह कहा है कि अच्छा ही होना चाहिये।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): फिर तो बापू आसाराम के नाम पर, इनके नाम पर खोल दें।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): माननीय सदस्य, नेशनल का नाम लेकर कलंकित करने वाला विश्वविद्यालय आपने ही खोला जोधपुर में ...(व्यवधान) आपने ही खोला नेशनल का नाम डुबोने वाला, कलंक करने वाला आपने ही जोधपुर में विश्वविद्यालय खोला।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप जारी रखिए।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): मैं तो यह कह रहा हूं कि महापुरुष के नाम पर नैतिकता बनी रहे तो अच्छी बात है। मैं उसका पक्ष नहीं ले रहा, मैं तो आशंका व्यक्त कर रहा हूं।

पहले दक्षिण में हमारे यहां के बहुत बालक जाते थे, रशिया में भी जाते हैं, चीन में भी जाते हैं डोनेशन के आधार पर। डोनेशन यहां पर भी चल रहा है। जब डोनेशन चलता है तो गरीब के लिये कोई च्वाइस नहीं रहती, कोई जगह नहीं रहती। जब सुनते हैं कि राजस्थान में भी मेडिकल में 50 लाख रुपये डोनेशन से एडमिशन दिया जाता है, तो अच्छा नहीं लगता है, एक गम्भीर चिंता का विषय होता है। गरीब तो वहां जा ही नहीं सकता। नेशनल यूनिवर्सिटी ने तो यह साबित ही कर दिया कि वह क्या क्या करते हैं।

तीसरा, यह सदन पारित कर रहा है लेकिन विश्वविद्यालय की सदन के प्रति कोई जवाबदेही नहीं है। प्राइवेट विश्वविद्यालयों की कोई रिपोर्ट यहां नहीं आती। रेगुलेटरी सिस्टम के माध्यम से कोई बात आये, वह भी नहीं

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

होता। वहां हम कोई नियुक्ति नहीं कर सकते। सरकारी विश्वविद्यालय खुलता है उसमें चार विभागों के सेक्रेटरी उनके नोमिनी प्रबंध समिति में होते हैं और एक या दो एमएलए होते हैं लेकिन यहां कोई सिस्टम नहीं है। न विधायक है, न कोई सरकारी विभाग का व्यक्ति वहां रहता है, इस कारण से मनमानी होती है।

इसी प्रकार से चयन की बात आती है, जो सरकारी विश्वविद्यालय हैं उनमें भी हम पिछले शासन में देख चुके जोधपुर में क्या नंगा नाच हुआ, योग्य नहीं थे। पीएचईडी कर लेंगे योग्य मान लो, ऐसी भी नियुक्तियां हुई हैं पिछली बार का मामला अभी भी न्यायालय में चल रहा है।

इसी प्रकार राजस्थान यूनिवर्सिटी में मैरिट का नाटक किया। अभी कांग्रेस के बंधु ने कई बार आरोप लगाये कि राजस्थान यूनिवर्सिटी में यह हो गया, वह हो गया। वहां एक यूजीसी के बाबू को लाकर वाइस चांसलर बनाया गया। उसने मैरिट लिस्ट बनाई आमंत्रित करने के लिये और उसमें जिसके 4 और 6 नंबर थे, 50 में से 30 और 20 नंबर थे, यह रिकार्ड की बात बता रहा हूं, उनका चयन कर दिया गया और जिनके 21-22 नंबर थे, 15-15 साल जिनको पीएचईडी किये हुए हो गये, गवर्नमेंट कालेजों में टीचर्स थे उनका सलेक्शन नहीं किया गया, उनको 2 नंबर देकर रिजेक्ट कर दिया गया।

इस प्रकार की जो प्रवृत्तियां हैं उनको रोका जाना चाहिये क्योंकि क्वालिटी तो डवलप होनी ही चाहिये, विश्वविद्यालय का नाम होता है। तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालय का जब आज भी नाम आता है तो गर्व से सीना फूल जाता है और जब ईर्ष्या वश उसको मुगलों ने जलाया तो धूं-धूं करके 6 महीने तक जलती रही। उसके भी ग्रंथ उपलब्ध हैं।

इस कारण से विश्वविद्यालय ऐसा क्षेत्र है जिसका नाम ही विश्वविद्यालय है। लेकिन जब उसकी क्वालिटी की बात करते हैं, गुणात्मकता की बात करते हैं तो उसका दायरा पैसे तक सिमट जाता है, डोनेशन तक सिमट जाता है, तब चिंता होती है।

इस कारण से हमें उनको चलाने की छूट देने की, लेकिन पाठ्यक्रमों और नियुक्तियों में योग्यता निर्धारण का काम तो होना चाहिए। कभी जांच ही नहीं होती कि किस योग्यता का आदमी है? यू.जी.सी. क्वालीफाई करता है, कि नहीं करता है। इस प्रकार की जो प्रवृत्तियां है, इस कारण से शिक्षा की बदनामी होती है।

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

अभी लूणी से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था कि हमारा सौ विश्वविद्यालयों में नंबर है। कभी पांच विश्वविद्यालयों का नाम आता था तो राजस्थान यूनिवर्सिटी का नाम आता था और यह तय नहीं है। महाराजा कालेज किसी टाइम में लॉ का कालेज था और उसकी परीक्षा कलकत्ता विश्वविद्यालय लेता था, इतना व्यापक था।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ये उच्च शिक्षा में चार दिन बोल सकते हैं।

श्री सभापति: आप क्या चाह रहे हो?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मैं यह चाह रहा हूं कि..।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): सभापति महोदय, हर स्टेज पर डोटासरा साहब इंटरफियर कर सकते हैं। आप नहीं कहो तो ...(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आप सो जाओगे। मैं इंटरफियरेंस नहीं करूंगा तो आप सो जाओगे। सात-आठ तो रहे हो।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): मैं सदन का आज्ञाकारी सदस्य हूं। दस मिनट में समाप्त करूंगा।

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): आप तो सुन नहीं सकते।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): समय बढ़ाने में जरूर गलती हो गयी। सोये नहीं आप।

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): आप चुपचाप सुन तो लो।

श्री सभापति: माननीय सदस्य।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): माननीय सदस्य, मैं सदन का आज्ञाकारी सदस्य हूं। दूसरी घंटी मेरे भाषण में नहीं बजा करती। दस मिनट के लिए कहा है, दस मिनट होते ही मैं अपने आप बैठ जाऊंगा। आप चिंता मत करिये।

मैं कुछ बातें कहना चाहता हूं कि उच्च शिक्षा में हमारा अच्छा स्थान है। उसमें क्वालिटी डवलप करने की आवश्यकता है। शिक्षा मंत्रीजी यहां बैठे हैं। सभापति जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि...

श्री सभापति: कालू लाल जी सचेतक महोदय, भिण्डा साहब खानदानी आदमी हैं। आप चिंता मत करो।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): उच्च शिक्षा में जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं पर भी गौर किया जाना चाहिए। विश्वविद्यालयों का जो मानीटरिंग सिस्टम है, उसे भी ठीक किया जाए और अभी ...(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मंत्रीजी खानदानी नहीं हैं क्या? ये भी खानदानी हैं। माननीय सदस्य भी खानदानी हैं और उच्च शिक्षा मंत्रीजी भी खानदानी हैं। फतेहपुर के हैं, मेरे जिले के हैं। ये भी खानदानी आदमी हैं।

श्री सभापति: आप भी खानदानी हो। विराजो आप।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): अब इस विषय का निस्तारण कैसे होगा?

श्री सभापति: जोगाराम जी आप भी खानदानी हो। विराजो आप।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): अंत में मैं आपके माध्यम से दो-तीन बातें निवेदन करना चाहता हूं एक तो उच्च शिक्षा में राजस्थान में संतुलन नहीं है। विश्व में आगे होते हुए भी संतुलन नहीं है। जैसलमेर, बाड़मेर, झालावाड़, जोधपुर, अभी भी एक लाख पर एक कालेज है। इसको ठीक करें। प्राइवेट सैक्टर तो जाएगा नहीं। गवर्नमेंट की 190 कालेज हैं उनमें 49 परसेंट बच्चे पढ़ते हैं। पूरे राजस्थान के 49 परसेंट बच्चे 190 कालेजों में पढ़ते हैं तथा 1300 और कुछ प्राइवेट कालेज हैं, उनमें 51 परसेंट पढ़ते हैं। सरकारी क्षेत्र में इतना महत्वपूर्ण मामला है। प्राइवेट सेक्टर बाड़मेर, जैसलमेर में आया ही नहीं।

मैं आपके माध्यम से एक निवेदन करना चाहता हूं हमारी घोषणा है कि संभाग स्तर पर कालेज खोले जाएं। इस प्रकार का जो असंतुलन है, झुंझुनूं में 16 हजार पर एक कालेज और जैसलमेर में 1 लाख 68 हजार पर एक कालेज, इस बैलेंस को ठीक करने का प्रयास किया जाए। इसमे प्राइवेट विश्वविद्यालयों को भी कहा जाए कि आप वहां खोलो। हम आपको अनुमति देते हैं।

इसी प्रकार से एग्रीकल्चर के पांच विश्वविद्यालय बन गए लेकिन सरकारी क्षेत्र में एग्रीकल्चर का कालेज एक भी नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह अनबैलेंस है विभिन्न प्रकार का। एक सुझाव यह देना चाहूंगा कि जैसे हमारी एस.सी., एस.टी. की कांस्टीट्वेंसीज है, आपको निवेदन करूं कि

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

एस.सी.-एस.टी. का बालक प्राइवेट कालेज में पढ़ता है तो उसकी पूरी छात्रवृत्ति का सरकार पेमेंट करती है, उतने पैसे में वहां गवर्नमेंट कालेज खोला जा सकता है और वह पैसा डायवर्ट हो सकता है। जय हिन्द। जय भारत।

श्री सभापति: श्री सुखराम विश्नोई।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): सभापति महोदय, सांई तिरूपति विश्वविद्यालय, उदयपुर, विधेयक, 2016 जैसा कोटा उत्तर से आने वाले माननीय साथी ने कहा कि यह किस बात का विश्वविद्यालय है? कोई पता नहीं चलता है और जब हम इंडेक्स II देखते हैं तब एहसास होता है कि यह मेडिकल क्षेत्र में है, जबकि इसकी जो प्रस्तावना लिखी गई है, उसमें दूसरे पैरा में 'निकटतम स्थान पर अधुनातन क्षेत्र शैक्षणिक सुविधाओं का उपबंध करने के लिए' 'चिकित्सा के क्षेत्र में' यह शब्द आना चाहिए था। ताकि यह समझ में आता कि किस बात की यूनिवर्सिटी है? मैं खुद विचार कर रहा था। मैंने जाकर मंत्री से पूछा कि यह नर्सिंग कालेज बना रहे हो या मेडिकल कालेज बना रहे हो? क्या बना रहे हो? यहां डाक्टर तैयार हो गये।

तो माननीय सभापति महोदय, मैं आपके मार्फत कहना चाहूंगा कि यह जो विधेयक लाए हैं, हमारे माननीय मंत्रीजी ने पढ़ा ही नहीं है। जैसा सांई तिरूपति विश्वविद्यालय ने लाकर दिया पेश कर दिया।

माननीय सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि जिस तरह से प्राइवेट स्कूलें खोली गयीं। स्कूल में शिक्षा का ह्रास हुआ। यह मेडिकल शिक्षा को पतन की तरफ ले जाने वाला विधेयक है। यह इसलिए है कि इसमें जो बातें लिखी हुई हैं। माननीय सभापति महोदय, आप अचम्भा करोगे किस तरह का यह विधेयक लाया गया है? विधेयक के अन्दर इंडेक्स फर्स्ट और सेकेंड, ये दोनों जो दिये गये हैं। इन दोनों में कुल मिलाकर 395 कमरे हैं। इन्होंने जो आब्जेक्टस लिखे हैं उद्देश्य और कारण, उसमें लास्ट में लिखा है- उक्त ग्लोबल हैल्थ रिसर्च एण्ड मैनजेमेंट इंस्टीट्यूट, उदयपुर ने राजस्थान राज्य में ग्राम उमरड़ा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर में अनुसूची 1 में यथा विनिर्दिष्ट भौतिक और शैक्षणिक दोनों प्रकार की अवसंरचनाएं, इन्फ्रास्ट्रक्चर स्थापित कर ली है।

माननीय सभापति महोदय, इस उमरड़ा गांव के भूतपूर्व सरपंच को मैंने टेलीफोन लगाया, भैंरूलाल मीणा हैं। मैंने कहा कि सांई तिरूपति विश्वविद्यालय वहां बना है, उन्होंने कहा जमीन जरूर ली है। एक भी कमरा अभी तक नहीं

(श्री सुखराम विश्नोई)

बना है। माननीय सभापति महोदय, आपके मार्फत मेरा निवेदन है कि यहां उमरड़ा के जो विधायक हैं, सदन में अभी नहीं है। उदयपुर ग्रामीण से बिलोंग करते हैं, उनसे मैंने पूछा कि आपके विधान सभा क्षेत्र में उमरड़ा गांव आता है। इस उमरड़ा गांव में यह सांई तिरूपति विश्वविद्यालय है क्या? उन माननीय साथी ने कहा कि कोई विश्वविद्यालय नहीं है। मुझे पता नहीं है। माननीय सभापति महोदय, आपके मार्फत मैं मंत्रीजी को कहना चाहूंगा कि उस क्षेत्र के विधायक को पता नहीं कि सांई तिरूपति विश्वविद्यालय नाम की कोई चीज मेरे विधान सभा क्षेत्र में बनने जा रही है। एक महत्वपूर्ण विधेयक पारित होने जा रहा है और आपने अपने विधायक को ही विश्वास में नहीं लिया है। यह एक शंका प्रकट करता है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि यह जो एक्ट लाया गया है। यह एक्ट अपने आपमें अधूरा है। इसलिए अधूरा है कि यहां जो बिल्डिंग बनाई गई है, ढांचा खड़ा करने की बात कही गई है। पिछली बार भी इस तरह से उदयपुर विश्वविद्यालय के लिए विधेयक लाया गया था। वहां पर भी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं था।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा प्रशासनिक खण्ड – प्रशासनिक खण्ड के अन्दर चेयरपर्सन कार्यालय, प्रेसीडेंट कार्यालय सहित कुल 16 कमरे के ब्लॉक हैं उनके। इकाइयों की संख्या और शैक्षणिक खण्ड के लिए टोटल 75 कमरे हैं। अध्यापक और अधिकारियों के निवास के लिए टोटल 136 कमरे बनना बताए गए हैं। विद्यार्थियों के हॉस्टल के लिए 37 कमरे हैं। संकाय, आचार्य, सह-आचार्य, सहायक आचार्य, ट्यूटर, प्रदर्शक इनके लिए 66 कमरे कहे गये हैं। इसके साथ शैक्षणिक सुविधाएं – पुस्तकालय के लिए, प्रयोगशाला।

माननीय सभापति महोदय, मैंने आपको निवेदन किया था 395 कमरे बने हुए हैं। आज उमरड़ा गांव के अन्दर इन्होंने जो जमीन लेना बताया है कुल 31.67 हेक्टेयर जमीन बतायी गयी है। जमीन जरूर ली गई है, परन्तु अभी तक कोई ढांचा खड़ा नहीं किया गया है। जब ढांचा ही नहीं खड़ा किया गया तो एक्ट किस बात का लाने जा रहे हैं? पहले वहां पर बिल्डिंग तैयार होनी चाहिए। जब कोई ढांचा नहीं तो विधेयक किस बात का लाया जा रहा है?

माननीय सभापति महोदय, जो इंडेक्स सैकेंड है उसमें लिखा कि

(श्री सुखराम विश्नोई)

चिकित्सा के क्षेत्र में। पहली बार चिकित्सा का नाम इस विधेयक में आया है। स्नातक एवं पूर्व पाठ्यक्रम आयुर्विज्ञान स्नातक और शल्य चिकित्सा स्नातक एम.बी.बी.एस., पहली बार इंडेक्स सैकेंड के अन्दर यह पता चला है कि यह विश्वविद्यालय चिकित्सा के क्षेत्र में कार्य करेगा। जिस तरह के विशेषज्ञ बताये गये हैं, एक्सपर्ट बताये गये हैं, टेक्निकल हेण्ड बताये गये हैं, उनमें कौन-कौनसे, किस-किस सब्जेक्ट के कौनसे टीचर हैं, उनकी क्या योग्यता है, कम से कम यह विधेयक में स्पष्ट होना चाहिये। यदि विधेयक में स्पष्ट नहीं है तो मंत्रीजी को कम से कम लिखाकर लेना चाहिये था कि इस इंस्टीट्यूट के अन्दर इतने आदमी हैं, इन्होंने इस तरह की डिग्री कर रखी है। ताकि वह पढ़ा सकेंगे। वर्ना, कालेज के पूरे राजस्थान में, माननीय सभापति महोदय, यह हालात बने हुए हैं कि बाकायदा बिल्डिंग बनी हुई है, परन्तु उसके अन्दर कोई टीचर नहीं है और शर्त यह रखते हैं कि फीस ज्यादा दे-दे, आपको आने की जरूरत नहीं है, परीक्षा के वक्त आ जाना। यह हालात पूरे राजस्थान के आट्र्स एजुकेशन के बने हुए हैं, कामर्स एजुकेशन के बने हुए हैं। यही हालात, इस तरह से फटाफट विधेयक लाये गये तो मेडिकल क्षेत्र में पढ़ने वाले बच्चों की यही स्थिति बनेगी। आने की जरूरत नहीं है, एडमिशन ले-ले। मुन्ना भाई की तरह डाक्टर तैयार होंगे।

माननीय सभापति महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि इसके साथ-साथ यह जो विश्वविद्यालय के अधिकारी बताये गये हैं, चेयरपर्सन, प्रेसीडेन्ट, प्रति-प्रेसीडेन्ट, प्रोवोस्ट, कुलानुशासक, संकायाध्यक्ष, कुल सचिव, मुख्य वित और लेखाधिकारी ऐसे हैं। इन किसी की भी इसमें योग्यता को क्या लिखा है, मतलब, पागल नहीं होगा, इस तरह की, परन्तु उसकी योग्यता एजुकेशन के बारे में क्या है। यह कोई एक ही परिवार के लोग आठवीं, दसवीं पास बन जायेंगे। केवल मात्र इसलिये बन जायेंगे कि उस कालेज से जो इन्कम होगी उसकी दो-दो लाख की तनख्वाह उठाने के लिये, केवल मात्र नामजद बन जाएंगे। बाकी कोई टेक्निकल हेण्ड नहीं होगा। माननीय सभापति महोदय, मेरा निवेदन है आपसे कि इस तरह के जो विधेयक लाये जा रहे हैं, यह विधेयक चिकित्सा के क्षेत्र में एक काले अध्याय के रूप में साबित होंगे।

इसके साथ-साथ ही, माननीय सभापति महोदय, इन्होंने विश्वविद्यालय के प्राधिकारी, आथोरिटी की बात की है। एक प्रबन्ध बोर्ड होगा, विद्या परिषद होगी, संकाय और ऐसे अन्य प्राधिकारी, जिन्हें परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय

(श्री सुखराम विश्नोई)

के प्राधिकारी होना घोषित किया जाये। यह अलग-अलग बोर्ड बनाये गये हैं। परन्तु इसमें भी किसी एक्सपर्ट का नाम इसके अन्दर नहीं आया है। केवल मात्र आर्टस, एम.ए., बी.ए. किये हुए जो लोग हैं, उनको इनमें डाला जाएगा। इसके साथ-साथ शैक्षणिक योग्यता अगर किसी पद की नहीं होगी तो वह कोई मेडिकल कालेज चलाने के काबिल नहीं होगा।

माननीय सभापति महोदय, फीस की संरचना, फीस जो ली जा रही है, इसमें बड़े घोटाले हो रहे हैं। राजस्थान में जो आलरेडी, पहले प्राइवेट कालेज बने हुए हैं, एक-एक विद्यार्थी के एडमिशन की 50-50 लाख रुपये वसूल की जा रही है। यह जो मेडिकल कालेज बनने जा रहा है, माननीय सभापति महोदय, मंत्रीजी की क्या गारण्टी है कि इसमें 50 लाख रुपये वसूल नहीं करेंगे। यह हालात बने हुए हैं। इसमें कितनी सीट होगी मेडिकल की, यह स्पष्ट नहीं है। आज पहले-पहल 50 होगी, 60 होगी, 100 होगी, इस बात की तरफ एक भी इशारा नहीं कर रहे हैं कि इस सांई तिरूपति विश्वविद्यालय में कितनी सीटें होंगी, इसमें कुछ नहीं है। यह एक संशय पैदा करता है। सीट का हवाला नहीं है तो कालेज बनने के बाद में वही तरीका होगा कि 50 लाख रुपये ले आ, एडमिशन दे दूंगा।

उसके बाद में राज्य सरकार की कोई शक्ति नहीं बताई गई है। स्पष्ट सेक्शन जो 44 है, कतिपय परिस्थितियों में राज्य सरकार की विशेष शक्तियां, कतिपय मतलब कभी, कतिपय मतलब स्पेशल चीजों के अन्दर कोई हस्तक्षेप है, बाकी हस्तक्षेप हो ही नहीं सकता है। माननीय सभापति महोदय, तो इनके जो चुने जाएं, न सरकार का प्रतिनिधि है, न सरकार का कण्ट्रोल है, न सीटें तय की गई हैं, न अभी तक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हुआ है।

ऐसे हालात के अन्दर, माननीय सभापति महोदय, यह जो विधेयक लाया गया है, बिलकुल असत्य है। क्योंकि अच्छी तरह का जब ढांचा तैयार नहीं हुआ है तो, माननीय सभापति महोदय, यह विधेयक जनमत जानने के लिये परिचालित किया जाये। ताकि यह पता चले कि उस गांव के अन्दर बिल्डिंग बनी हुई नहीं है। ऐसे दिखाता है कि माननीय कालीचरणजी सराफ को तो केवल मात्र यह बुकलेट और बड़ा लिफ़ाफ़ा साथ में थमा दिया, इन्होंने पेश कर दिया। इसके अलावा कुछ नहीं है। धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री गोविन्द सिंह डोटासरा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय सभापति महोदय, आज सांईं तिरूपति विश्वविद्यालय, उदयपुर विधेयक, 2016 के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करूं कि यह जो दो-तीन बिल और हैं, उनमें दो-दो मिनट से ज्यादा हम नहीं बोलेंगे। इसमें 10-15 मिनट बोलूंगा। आप कृपा करें मेरे ऊपर। अगर इर्रिलेवेण्ट एक भी बात बोलूं तो आप मुझे इशारा कर दें, मैं बैठ जाऊंगा।

मैं निवेदन करना चाहता हूं, हम पांच साल उधर भी थे, आप आदरणीय कालीचरणजी सराफ साहब, मंत्री महोदय इधर थे। जब हम बिल लाते थे तो आपके यहां से भाषण क्या होते थे, वह भी हमने सुने हैं। अब बिल ला रहे हो, हमारे भाषण क्या हो रहे हैं, यह भी आप सुन रहे हो। यहां से आपने, स्वयं ने हर बिल के ऊपर बोला और बोला कि यह निजी व्यक्तियों की दुकानें बंद होनी चाहिये। इनके ऊपर नियंत्रण होना चाहिये। इनके पदनाम के ऊपर भी आपत्तियां आईं, हर तरह की आपत्तियां आईं, हमने सबको सुना। लेकिन यह एक पैटर्न हो गया, सभापति महोदय, हमारी सरकार भी आई, बिल बना, केबिनेट में पास हुआ, यहां आया, पांच माननीय सदस्य बोले, मेज थपथपाई, आपने इशारा किया, 'हां पक्ष' जीतना है, बहुमत होता है वह 'हां पक्ष' जीत जाता है। यह निजी विश्वविद्यालय इसलिये आ रहे हैं माननीय सभापति महोदय, कि हमारी उच्च शिक्षा को हम गुणवत्तापूर्ण नहीं बना रहे हैं। हम हमारे विश्वविद्यालयों को मजबूत नहीं कर रहे हैं। हमारे वित्तीय संसाधन भी ज्यादा नहीं हैं। लेकिन फिर भी जिन विश्वविद्यालयों को हम खोल रहे हैं, उनको भी किसी प्रकार की कोई फंडिंग, उनके प्रति कोई सोच, कोई सुधार, कोई गुणवत्ता की शिक्षा कैसे मिले, इसके लिये कोई रिसर्च, हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हमें केन्द्र सरकार का पैसा विभिन्न स्कीमों में मिलता है, उसका भी हम पूरा उपयोग नहीं कर पाते। हमारा खुद का पैसा भी हम नाम मात्र इन व्याख्याताओं की तनख्वाह और थोड़ी बहुत कहीं आवश्यकता पड़ गई, एक-दो कमरे की आवश्यकता पड़ गई, तो दे देते हैं।

मैं निवेदन करना चाहता हूं। हमारे केन्द्र सरकार का राष्ट्रीय उच्च शिक्षा अभियान है। माननीय सभापति महोदय, इसके अन्दर स्टेट हायर एजुकेशन कौंसिल का गठन करना था। आपने गठन तो कर लिया। लेकिन उसके बाद में दो साल से क्या किया, सवा दो साल में। 2700 करोड़ रुपये केन्द्र सरकार से मिलने थे, 65:35 का रेशो है, 65 प्रतिशत केन्द्र देगा, 35

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

प्रतिशत आप दोगे, राज्य सरकार देगी। हमने इसमें एक पैसा काम में नहीं लिया। यह हमारी स्थिति है।

इसमें रिसर्च एवं इनोवेशन कौंसिल, जिसमें शोध को बढ़ावा मिलना चाहिये, केन्द्र सरकार की गाइड लाइन भी आ गई, रुसा ने निर्देश भी दे दिया। लेकिन हमने उसमें भी कोई काम नहीं किया है। एक नेशनल मिशन आफ रिसर्च ट्रेनिंग, केन्द्र का कांसेप्ट आया, मानव संसाधन मंत्रालय का, आपके पास में आया कि शिक्षा की गुणवत्ता किस प्रकार हो, इसके लिये ट्रेनिंग देनी चाहिये। आपने वह गाइड लाइन आते ही मदनमोहन मालवीय उसका नाम रख दिया, पूरा नाम कर दिया मदनमोहन नेशनल मिशन आफ रिसर्च ट्रेनिंग। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मानव संसाधन मंत्रालय की गाइड लाइन भी जारी हो गई लेकिन आज की तारीख तक सवा दो साल में, माननीय सभापति महोदय, इस मदन मोहन मालवीय का नाम चेंज करने के अलावा एक रुपये का काम आपने और हमने नहीं किया, हमारी सरकार ने।

हम क्या करना चाहते हैं। गुणवत्ता सुधारना नहीं चाहते, रिसर्च करना नहीं चाहते, संसाधन देना नहीं चाहते, इन्फ्रास्ट्रक्चर देना नहीं चाहते। पद स्वीकृत हो गये, फिर भी उसमें नियुक्ति देना नहीं चाहते। फिर ये निजी विश्वविद्यालय ही आयेंगे। अगर निजी विश्वविद्यालय आयेंगे तो ये गड़बड़ भी करेंगे। जो पैसा लगाता है, वह जम कर पैसा वसूल करता है। किसी भी योजना में आ जाओ, किसी भी सरकार में आ जाओ। हमारी सरकार में आ जाओ। यह पी.पी.पी. मोड का हम सुन रहे हैं ना, सभापति महोदय, किसी से भी बात कर लो, बड़े व्यापारी से, वह कह रहा है, मैं पैसा तो लगा दूंगा, लेकिन मैं तीन साल में मेरा मूल पैसा वापस चाहता हूं फिर बीस साल तक उस पैसे से मैं कमाई चाहता हूं। आप किसी भी चीज में ले आइये। आज इनकी इतनी मोनोपोली है।

मेरे सीकर की तरफ जाओ तो पलसाना यहां से 80-85 किलोमीटर पर विश्वविद्यालय है, ग्लोबल विश्वविद्यालय, क्या नाम है, उसका जो प्रास्पेक्ट है, उसकी जो वेब-साइट है, जयपुर में सीकर रोड के ऊपर अवस्थित है। सीकर में है वह, हमारे जिले में है।

(18.00 बजे)

एक भ्रामक प्रचार करके वह अपनी दुकान चलाते हैं इसलिए मैं

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

निवेदन करना चाहता हूं कि इन चीजों में ट्रेनिंग के लिए अपने को काम करना पड़ेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आपको काम करना पड़ेगा और यू.जी.सी. के लिए हमें और ज्यादा मदद के लिए, मानिटरिंग के प्रकोष्ठ का गठन करना पड़ेगा। वह गठन भी हम नहीं कर पा रहे हैं।

मेरे यहां पर शेखावाटी विश्वविद्यालय हमारी सरकार ने खोला, आपने उसका नाम चेंज किया, कोई बात नहीं। सरकार आपकी, आपने नाम चेंज कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारे समय में वहां पर वी.सी. लग गया था और सबसे बड़ी दिक्कत यही हो गयी कि इस सवा दो साल में वी.सी. के अलावा चार पद जो हमारी सरकार ने स्वीकृत किये थे, कुलसचिव, वित्त नियंत्रक, सहायक लेखाधिकारी, कनिष्ठ लेखाकार, सूचना सहायक भी- यह चार पद, यह सारे के सारे माननीय सभापति महोदय, दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी यूनिवर्सिटी जो नाम आपने चेंज कर दिया, उसमें कुल 53 पद स्वीकृत हैं, यह चार हमने कर दिये थे, उसके ऊपर एक आदमी को भी आपने नियुक्ति प्रदान नहीं की, केवल डेपुटेशन से काम चला रहे हैं। आज भी 44 पद रिक्त हैं। यूनिवर्सिटी का आप हाल देखिए कि आप कहां पर ले जाना चाह रहे हैं। अगर हम हमारी यूनिवर्सिटी को इस तरीके से डेमेज करेंगे, आगे बढ़ाने का काम नहीं करेंगे तो यह माना जाएगा, जनता चाहे राज कांग्रेस का हो या चाहे बी.जे.पी. का, वह यह मानेगी कि इन धन्ना सेठों से मिलीभगत है सरकार में बैठे लोगों की और यह इनको बढ़ावा देने के लिए अपनी सरकारी यूनिवर्सिटीज का दम तोड़ना चाहते हैं, उसको पैदा नहीं होने देना चाहते, यह मैसेज जनता में हमारे सब जन-प्रतिनिधियों की तरफ से, सरकार की तरफ से जाएगा। इस मैसेज को कैसे तोड़ें?

अब आप देखिए कि सितम्बर, 2013 में चार पद स्वीकृत हो गये थे और फरवरी, 2014 में आपके यहां से स्वीकृति मंत्रालयिक कर्मचारियों की भी हो गयी। उस स्वीकृति के बाद में, बोम में भी अनुमोदन हो गया, सलेक्शन कमेटी भी बन गयी, सवा दो साल से माननीय मंत्री महोदय, केवल मात्र प्रशासनिक विभाग का अनुमोदन चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, केवल दो पदों के भरोसे, एक वी.सी., तीन आदमी और यह चार और दो, आठ आदमी मैंने बताये हैं यह डेपुटेशन पर हैं। बाकी सारा का सारा वहां पर प्रतिनियुक्ति पर, जब परीक्षाएं होती हैं, अभी भी परीक्षा चल रही है, होगी, आपने दस आदमी यहां से आयुक्तालय ने, कमिश्नर ने लगाये हैं। परीक्षा की गोपनीयता बनाये जाने के

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

लिए, क्या है यह? यह तमाशा है क्या? वी.सी. को पता ही नहीं। विश्वविद्यालय को पता नहीं, आप अपनी मर्जी से, मेरा आरोप है, मैं लगाना नहीं चाहता था, आर.एस.एस. के उन लोगों को क्योंकि वह कांग्रेस के शासन में वी.सी. बनी हुई है इसलिए उसको डेमेज करने के लिए आर.एस.एस. के लोगों को आपने वहां, दस आदमियों को लगा दिया, कमिश्नर से।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसको कहां ले जाना चाह रहे हैं हम? न कांग्रेस, न बी.जे.पी., न आर.एस.एस. और न और कोई चीज, इस यूनिवर्सिटी को अपन मजबूत करें, उन बच्चों को कैसे शिक्षा दें, इस बात की व्यवस्था अगर नहीं होगी तो आज तो साईं विश्वविद्यालय आया है, कल दूसरे आए थे, परसों सराफ विश्वविद्यालय खुलने में भी कोई ज्यादा समय नहीं लगने वाला, दो-ढाई साल बाद में कोई सराफ विश्वविद्यालय भी आ जाएगा। मेरी तो हिम्मत नहीं है वर्ना तो मैं भी ले आता क्योंकि इससे बड़ा कोई जोरदार धंधा है ही नहीं। माननीय सभापति महोदय, इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि केवल मात्र प्रशासनिक विभाग को अनुमोदन करना है, उसमें सवा दो साल लगे। आप भी पधारे थे। मुझे भी खुशी हुई, अख़बार में पढ़ा कि मंत्री महोदय हमारे विश्वविद्यालय का निरीक्षण के लिए आ रहे हैं, 130 करोड़ के बजट का, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आपको लिखा हुआ है। मैंने कहा कि यह देकर जाएंगे। आपके एम.एल.ए. भी जो सदस्य बने, वह भी आए और हमारे वी.सी. को लताड़ पिला कर वहां से रवाना हो गये। बारह महीने पहले की बात है। एक धेला नहीं दिया आपने अगर आप पैसे देते तो मेरे समझ में आता कि 130 करोड़ रुपये सेंक्शन कर रहा हूं। जो बजट स्वीकृत है 53 पदों का, उसमें अगर आप बजट का, उन पदों को भर्ती करने का अनुमोदन कर देते, भर्ती हो जाते तो हम आपको धन्यवाद देते। आप हमारे जिले से हैं, शेखावाटी फतेहपुर भी उसी में है जहां से आपकी जन्म-भूमि है। मैं भी वहां से ही हूं इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हम न रिसर्च, न गुणवत्ता सुधारना चाहते हैं, न हमारे सरकारी विश्वविद्यालयों में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डवलप करना चाहते और न हम केन्द्र से जो पैसा आ रहा है, उसको करना चाहते हैं।

एक और विसंगति आपने उच्च शिक्षा में बना रखी है कि यू.जी.सी. में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और अपने यहां व्याख्याता, अब वह यू.जी.सी. तो व्याख्याता नाम को मानती नहीं है। पदनाम के लिए दो-ढाई साल से आपके यहां पर चक्कर लगा रहे हैं, लोग ज्ञापन दे रहे हैं, उनका

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

आज तक कोई फैसला हुआ नहीं। माननीय सभापति महोदय, यह जो वेतन आयोग आएगा उसमें व्याख्याता का शब्द ही नहीं होगा तो आपके लिए और इन व्याख्याताओं के लिए बड़ी दिक्कत हो जाएगी। राजस्थान स्वेच्छा ग्रामीण सेवा, शिक्षा सेवा नियम के तहत जो अध्यापक, प्राध्यापक, व्याख्याता है, अपने चयनित वेतनमान के लिए वह 2008 से जूझ रहे हैं। हमने भी कोई ज्यादा उनको निहाल करने का काम नहीं किया। आपके यहां आने के बाद में, आपकी सरकार ने आर.पी.एस.सी. से चयनित उन व्याख्याताओं को तो चयनित वेतनमान दे दिया लेकिन राजस्थान स्वेच्छा ग्रामीण सेवा, शिक्षा सेवा नियम, 2010 के तहत जो लोग आए थे उनको चयनित वेतनमान देने का आपने काम नहीं किया और न पदनाम करने का, नाम चेंज नहीं किया। राजस्थान का शेखावाटी विश्वविद्यालय जिसका आपने नाम तो चेंज कर दिया लेकिन केवल मात्र चारदीवारी के पैसे देने से, माननीय सभापति महोदय, यूनिवर्सिटीज चलती हैं क्या? आप रिसर्च कीजिए नया-नया, गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा किस प्रकार से मिले, इस बात की व्यवस्था कीजिए लेकिन यह करने का माद्दा होना चाहिए, वह माद्दा है नहीं इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो बिल है, आएगा, आप बहुमत में हो, पास भी होगा लेकिन पिछले दिनों भी बहस हुई थी कि हम नियामक आयोग बनाकर इनके ऊपर नियंत्रण बना देंगे। अब बनाया कि नहीं बनाया आप जानो लेकिन नियंत्रण इन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज पर बिलकुल भी नहीं है। यह पूरी तरीके से फर्जी डिग्रियां बांट हैं। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देती नहीं है। केवल मात्र डिग्रियां लाकर प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर वगैरह रख लेते हैं, उसके बाद में ठप्पे लगा-लगाकर, नेशनल यूनिवर्सिटी, कभी भी खुली होगी, उसका हाल देखिए आप। चाहे जो बांट रहा है तो इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि आप समझदार हैं, अगर आज कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं, दो दिन बाद में, चार दिन बाद में, अधिकारियों से समझ लीजिए। केन्द्र का जो पैसा आ रहा है, उसको काम में लीजिए। यहां काउंसिल्स तो गठित कर दो, उसकी एक भी बैठक नहीं करो तो उस कागज का, निकालने का अर्थ क्या रह गया, माननीय शिक्षा मंत्रीजी?

केवल इतना कहकर मैं मेरी अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगा कि हम इन विश्वविद्यालयों को जो हमारी सरकारों के द्वारा खोले गये हैं, चाहे हमारे समय में खोले, चाहे आपके समय में खोले, इस पर गौर करने की आवश्यकता नहीं है। इनको बजट दीजिए, इनमें नियुक्तियां दीजिए, केवल डेपुटेशन के ऊपर

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

और राजनीतिक भेद-भाव से किसी को हम प्रताड़ित करते रहें, जलील करते रहें, एक धेला दे नहीं और एक व्याख्याता को वी.सी. के ऊपर मानिटर बनाकर बैठा दें कि यह राज का आदमी है इसलिए वी.सी. की किसी को नहीं माननी है, रजिस्ट्रार को यह मैसेज दे दें कि वी.सी. की नहीं माननी है, वी.सी. दूसरे शासन का है। आज करोगे, हम ढाई साल बाद में करेंगे तो यह प्रक्रिया बंद होनी चाहिए। अगर हम करते हैं तो भी गलत है और आप कर रहे हो तो भी गलत है।

इन उच्च शिक्षण संस्थानों में राजनीति किसी भी प्रकार से हावी नहीं होनी चाहिए, राजनीति का कोई वास्ता नहीं होना चाहिए। हमारे बच्चों का भविष्य सुधारने के लिए इन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में गला काट-काट कर, खेत बेच-बेच कर, ओर्नामेंट बेच-बेच कर हम बच्चों को पढ़ाते हैं। एडमिशन लेने के बाद में पढ़कर कुछ आते नहीं है, डिग्री लेकर आते हैं। टेलेंट होगा, उसमें समझ होगी, बुद्धि होगी और अगर उस विषय पर पकड़ होगी तब ही वह दूसरी प्राइवेट कम्पनियां रखेंगी। केवल डिग्री को देखकर, अभी आप कर रहे हो न स्किल्ड डवलपमेंट छह लाख का कर रहे हो, चार का कर रहे हो, तीन-तीन महीने में सर्टिफिकेट दे रहे हो न उसके ऊपर चौकीदार नहीं रखे कोई। क्या स्किल्ड डवलपमेंट? वह पन्ना देते हैं, तीन महीने में दस हजार, दो हजार, पाच हजार जो भी राज का लिया है, उनका लिया है, भगवान जाने, उस पन्ने से तीन महीने के सर्टिफिकेट से कोई नौकरी देने वाला नहीं है। हमारे इंजीनियर बैठे, हमारे डाक्टर बैठे, हमारे आई.आई.टी. किये हुए बैठे, लैब असिस्टेंट के लिए फार्म भर रहे हैं स्कूलों में। आपके सचिवालय में फोर्थ क्लास के लिए एक आई.आई.टी. किया हुआ बच्चा, एम.ए., बीएड. किया हुआ बच्चा फार्म भर रहा है, यह हमारे सबके लिए चिंता की बात है। हमारे सबके लिए कोई शुभ संकेत नहीं है। इसलिए राजनीति में नहीं जाकर मैं केवल आपके माध्यम से इतना निवेदन करूंगा कि इन सबमें सुधार करने के लिए अगर सर्व-सम्मति से सदन में कोई प्रस्ताव भी लाएगा तो हम सब साथ मिलकर इस उच्च शिक्षा में किस प्रकार से सुधार किया जाए, इस बात की व्यवस्था करें।

आपने मुझे समय दिया, इसके लिये धन्यवाद पर अन्त में, जनमत जानने के लिये परिचालित करने के लिये मैं मेरी बात रख रहा हूं, यह बिल पास नहीं होना चाहिए, क्योंकि जनता में पता तो लगना चाहिये। माननीय सदस्य कह रहे थे कि वहां के एम एल ए को भी पता नहीं है कि डिब्बा कब

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

खुल गया, यह दुकान कब खुल गयी, कब लूटने का लाइसेंस मिलने जा रहा है उसको परमानेंट, तो इसलिए यह व्यवस्थाएं ठीक नहीं हैं। आपने मुझे समय दिया इसके लिये धन्यवाद।

श्री सभापति: डा. मंजू बाघमार।

डा. मंजू बाघमार (जायल): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद। आज सांई तिरूपति विश्वविद्यालय उदयपुर, 2016 विधेयक पास होने जा रहा है, उसके बारे में मैं अपने विचार रखना चाहूंगी कि निश्चित रूप से जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज आज खुल रही हैं हमारे राज्य के अन्दर, वह शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ावा दिया जा रहा है। हमारी जो सरकारी यूनिवर्सिटीज हैं, उनकी तुलना में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के संसाधन भी ज्यादा हैं और वह शिक्षा के क्षेत्र में काफी योगदान भी दे रही हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह निवेदन भी करना चाहूंगी कि जब उच्च शिक्षा पर मांग चल रही थी, उस समय भी मैंने यह निवेदन किया था कि आज पूरे देश के अन्दर यदि सबसे ज्यादा प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं तो हमारे राजस्थान के अन्दर हैं। अभी 44वीं यूनिवर्सिटीज का शायद यह सांई तिरूपति विश्वविद्यालय का हम विधेयक पास कर रहे हैं। इन यूनिवर्सिटीज पर नियन्त्रण करने के लिये, क्योंकि हमने सरकारी यूनिवर्सिटीज पर नियन्त्रण करने के लिये तो बहुत सारे विधेयक भी बना रखे हैं, यूजीसी भी उस पर नियन्त्रण रखती है। इसके अलावा हमने वहां पर हमारे रजिस्ट्रार को बिठा रखा है, कम्पट्रोलर को बिठा रखा है लेकिन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज पर कंट्रोल करने के लिये, क्योंकि इन्होंने सिर्फ पैसा कमाने का एक साधन बना रखा है और विशेष रूप से मेडिकल यूनिवर्सिटीज के बारे में तो यही हमको नजर आता है, तो मेरा माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के लिये नियामक आयोग जरूर बनाया जाना चाहिये।

इसके अलावा जो यह 44 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, उसके अन्दर जिस तरह से राज्य सरकार गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज पर नियन्त्रण करने के लिये कम्पट्रोलर और रजिस्ट्रार लगा रही है, एक सीनियर आर ए एस आफिसर को लगाती है, वैसे ही प्राइवेट यूनिवर्सिटी पर नियन्त्रण करने के लिये हमारे दो-दो माननीय विधायकों और दो-दो शिक्षाविदों को वहां पर लगाया जाना चाहिये

(डा. मंजू बाघमार)

ताकि इन यूनिवर्सिटीज के ऊपर कंट्रोल किया जाए। उससे उच्च शिक्षा के क्षेत्र में जो गिरावट आ रही है, उसमें भी सुधार होगा। साथ ही गुणवत्ता के क्षेत्र में जो गिरावट आ रही हे, उसमें भी सुधार होगा और निश्चित रूप से राज्य सरकार का भी उस पर कंट्रोल रहेगा। सरकारी यूनिवर्सिटीज में हमने अपने दो-दो माननीय विधायकों को नियुक्त कर रखा है, दो शिक्षाविदों को वहां पर नियुक्त कर रखा है। इसी तरह प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के अन्दर भी दो-दो माननीय विधायकों को और दो-दो शिक्षाविदों को नियुक्त किया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। साथ ही मैंने जनमत जानने का आग्रह किया था, उसे मैं वापस लेती हूं। धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री शुभकरण चौधरी। (अनुपस्थित) आप क्यों खड़े हुए हो? शुभकरण चौधरी का नाम लिया है। श्री केसाराम जी।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): माननीय सभापति महोदय, आज सदन में सांई तिरूपति विश्वविद्यालय उदयपुर विधेयक, 2016 आया है, उसमें मैं अपने को सम्मिलित करते हुए विधेयक के ऊपर जो संशोधन दिया है, उस पर अपने विचार व्यक्त करता हूं। दुनिया में ज्ञान ही सब कुछ है, ज्ञान के बिना दुनिया अधूरी है। भारत विश्व गुरु कहलाता था। नालन्दा, तक्षशिला और बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय जैसे इस देश में विश्वविद्यालय थे, जो विश्व प्रसिद्ध थे। आज हम चिन्ता करते हैं, हमारे शिक्षा मंत्रीजी ने इस बात की चिन्ता की कि जो स्कूलों का स्तर गिरा है, वो स्तर ठीक कैसे किया जाए। इसके लिये हमारी सरकार ने भी चिन्ता की है। पहली से बारहवीं तक की स्कूलें एक पंचायत हैड क्वार्टर पर खोलने की व्यवस्था की, उन्हीं स्कूलों से निकले हुए बच्चे उन यूनिवर्सिटीज में और कालेजों में पढ़ने जाएंगे। अगर नीचे से कमजोर स्टेज रह गया, पहली से लेकर बारहवीं तक पढ़ने वाला बच्चा ही कमजोर है तो वह आगे यूनिवर्सिटी या कालेजों में शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता। कांग्रेस राज ने ऐसी व्यवस्था की थी कि आठवीं तक फेल ही नहीं करना और वह बच्चा जब दसवीं में जाए तो बोर्ड की परीक्षा पास ही नहीं कर सके और नरेगा का मजदूर बनकर इस राज्य में घूमे। खाली हमारी पार्टी का वोट बैंक बनकर रह जाए, ऐसी सोच लेकर इन कांग्रेस वालों ने व्यवस्था की थी। उसको ठीक करने का अगर किसी ने काम किया है तो हमारी राजस्थान की सरकार ने किया है और बारहवीं की स्कूलें खोलकर व्यवस्था की है, वही बच्चे निकलकर आपकी यूनिवर्सिटीज में आएंगे।

(श्री केसाराम चौधरी)

उच्च शिक्षा मंत्रीजी जो यह बिल लाये हैं, उनकी भावना है कि मैं शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करूं। शिक्षा में हमारे राजस्थान प्रदेश की जिस तरह से स्थिति हुई है, उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए। यह बिल लाये हैं इसके पीछे उनकी भावना यह है कि विश्व में ज्ञान के सभी क्षेत्रों में तीव्र विकास के साथ-साथ हम दुनिया से कदम मिलाकर चल सकें। विश्व में जो शिक्षा दी जा रही है, उसके अनुसार हम शिक्षा हमारे बच्चों को कैसे दें, ताकि राजस्थान का नाम विश्व में फैले। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करके बच्चे राजस्थान का भी नाम करें और देश का भी नाम करें।

मैं, माननीय सभापति महोदय, उच्च शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि आपने युवाओं को निकटतम स्थान पर आधुनिक शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिये यह मंशा जाहिर की है ग्लोबल हैल्थ एण्ड रिसर्च मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट उदयपुर के द्वारा। यूनिवर्सिटी उदयपुर में ही नहीं, आप बड़े-बड़े शहरों को डवलप कर रहे हैं। हर जगह चाहे जयपुर में खोल दो, बीकानेर में खोल दो। आप खोलेंगे तो कहीं न कहीं बड़े-बड़े शहरों में खोलेंगे। आप यह यूनिवर्सिटी मारवाड़ जंक्शन में खोलें। आप आज हंस रहे हैं मगर आने वाले समय में मारवाड़ जंक्शन दिल्ली-मुम्बई फ्रेट कोरिडोर का मेन सेंटर है और उदयपुर भी जो औद्योगिक क्षेत्र घोषित किया है 150 किलोमीटर के दायरे में, उदयपुर भी मारवाड़ जंक्शन के अंदर में आएगा। मारवाड़ जंक्शन से फास्ट ट्रेनें चलेंगी कि उदयपुर के लिये भी आपको ट्रेन मिलेगी। ब्रोडगेज होने जा रही है। दिल्ली से मुम्बई दूरी मात्र 15 घंटे की रह जाएगी। आने वाले 2018 तक आप देखेंगे कि मारवाड़ जंक्शन किस तरह से डवलप होता है। इंडस्ट्रियल कोरिडोर का मेन सेंटर मारवाड़ जंक्शन है, इसलिए इस यूनिवर्सिटी को वहां खोलें। आप यूनिवर्सिटी नहीं खोलें तो कम से कम एक महाविद्यालय तो खोल दें और वह भी महिलाओं के लिये मांग करता हूं। इसलिये माननीय उच्च शिक्षा मंत्रीजी, आप एक महाविद्यालय मारवाड़ जंक्शन में खोलें। आप उदयपुर में यूनिवर्सिटी खोलेंगे, उस यूनिवर्सिटी का स्तरीय, आधुनिक अनुसंधान और अध्ययन सुविधाओं का सृजन करना चाहते हैं तो मेरे मारवाड़ जंक्शन में भी एक महाविद्यालय खोलें। ऐसा अनुरोध करते हुए आपसे निवेदन करता हूं कि मारवाड़ जंक्शन के लिये भी आप चिन्ता करें। मगर उदयपुर में जो आप... (व्यवधान)

श्री सभापति: यह मारवाड़ जंक्शन क्यों इतनी बार दोहरा रहे हो, हो गया न मारवाड़ जंक्शन?

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): आपकी मेहरबानी होगी तो आपके माध्यम से निवेदन करता हूं।

श्री सभापति: मंत्री महोदय, सुन रहे हैं आपकी बात।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): माननीय सभापति महोदय की भावना के अनुसार मारवाड़ जंक्शन में महाविद्यालय खोलें। ऐसा मैं निवेदन करता हूं। मेरे पूरे विधान सभा क्षेत्र में एक भी महाविद्यालय नहीं है।

श्री सभापति: केसाराम जी, मैं आपकी तरफ से मंत्रीजी से निवेदन कर रहा हूं कि यह भले आदमी हैं, इनका ध्यान रखना।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): माननीय सभापति महोदय, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं और यह निवेदन करता हूं कि आप जिस भावना से यह यूनिवर्सिटी लाए हैं, इस भावना से यह यूनिवर्सिटी उदयपुर में खुले। मेरी तरफ से मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। जिस तरह से मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर में है, उसकी गुणवत्ता को देखकर मुझे लगता है कि प्राइवेटाइजेशन में भी ऐसा ही इंस्टीट्यूट हमारे राजस्थान में होना चाहिये और उसकी गुणवत्ता के लिये किसी बात का समझौता नहीं होना चाहिये। आज अपनी सरकारी यूनिवर्सिटी, यह राजस्थान की यूनिवर्सिटी चल रही है। मैं इनको दोष नहीं देता, इन्हीं के किये हुए कर्मों की सज़ा इनको मिल गयी।

बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं, उसकी गुणवत्ता को देखें तो अपने को रोना आता है कि हम इतने पैसे खर्च करके राजस्थान यूनिवर्सिटी चला रहे हैं। केवल राजनीतिक, बच्चे पढ़ने के लिए क्लास में आते नहीं, लैक्चरर पीरियड लेते नहीं, फालतू के पैसे उठाते हैं इसलिए गुणवत्ता के लिए ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी का बिल लेकर आये हैं, मैं इसकी तारीफ करता हूं और मैंने जनमत जानने के लिए प्रस्ताव दिया है, उसे वापस विथड्रा करता हूं। जय हिन्द। जय भारत।

श्री सभापति: श्री रमेश। अनुपस्थित। श्री रामहेत सिंह यादव। अनुपस्थित। श्री मान सिंह।

श्री मान सिंह (गंगापुर): सभापति महोदय, सांई तिरुपति विश्वविद्यालय, उदयपुर विधेयक, 2016 पर चर्चा चल रही है। माननीय सदस्यों ने जिस प्रकार से आशंका और राजस्थान के शिक्षा जगत में इसके योगदान पर चर्चा की है, निश्चित रूप से राजस्थान इस मामले में सौभाग्यशाली है कि

(श्री मान सिंह)

प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की जो संख्या है देश में सर्वाधिक राजस्थान को एजुकेशनल माहौल मिला है। एजुकेशनिस्ट और इस क्षेत्र में काम करने वाले लोगों ने राजस्थान में मन बनाया, उसके लिए हम उनका स्वागत करते हैं। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सरकारी सैक्टर के साथ में प्राइवेट सैक्टर को लेकर के नौजवानों को अपना स्थान पाने का मौका दे, इसके लिए सरकार की मंशा बहुत अच्छी है।

सभापति महोदय, ग्लोबल हैल्थ रिसर्च एण्ड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, उदयपुर राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1958 के तहत दर्ज है, उसके आवेदन पर जिस प्रकार की कमेटी की रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के अन्दर इसके उद्देश्यों का खुलासा नहीं करना कि मेडिकल की होगी या प्रोफेशनल कौन-कौनसे कोर्सेज होंगे, मैं समझता हूं खुलासा होना चाहिए कि यूनिवर्सिटी के ये सारे फंक्शंस होंगे जिससे साफ तौर पर विधेयक का सामने आये। इसमें यह थोड़ी सी मेरी आशंका है वह बता रहा हूं।

दूसरी, माननीय सभापति महोदय, विश्वविद्यालय में जो प्रवेश की प्रक्रिया है, निश्चित रूप से टैस्ट और प्रवेश परीक्षा इसका मापदण्ड है लेकिन कई बार ऐसा देखने में आता है कि सामान्य व्यक्ति का बच्चा प्रवेश से वंचित रह जाता है।

माननीय सदस्य, पब्बाराम जी। माननीय सदस्य।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, सुनिये।

श्री मान सिंह (गंगापुर): माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि कई बार हम ऐसा महसूस करते हैं जो गरीब का बच्चा है, सरकार ने इसमें व्यवस्था की है सरकारी सीट भी है, एक और शब्द हमको सुनने को मिलता है कि पेमेंट सीट, इस विधेयक में पेमेंट सीट नहीं है लेकिन जब बाहर चर्चा करते हैं तो पता लगता है कि पेमेंट सीट है, अगर पेमेंट सीट है तो खुलासा हो। सारी चीजें इस प्रकार से होनी चाहिए जिससे ट्रांसपरेंसी हो और प्राइवेट सैक्टर में आने वाली जो यूनिवर्सिटीज हैं उनका गुणवत्तायुक्त शिक्षा पर ध्यान हो और जो गरीब का बच्चा है, मैं पक्ष और विपक्ष की बात नहीं करता, आज सदन में हम इसको पारित कर रहे हैं लेकिन यह सही है कि जब यूनिवर्सिटी बन जाती है, हममें से कोई भी विधायक जब फोन करता है तो उसका वी.सी. फोन को अटेंड नहीं करता है।

(श्री मान सिंह)

इनके ऊपर गवर्निंग का, मानीटरिंग सिस्टम है, जिस प्रकार से सरकारी यूनिवर्सिटी के सिंडिकेट में हमारा जन प्रतिनिधि उसका मैम्बर होता है, शिक्षाविद् उसका मैम्बर होता है, क्यों नहीं इसके सिंडिकेट के अन्दर भी इस प्रकार की मैम्बरशिप हम करें जिससे कि यह सब चीज हो सकें।

परीक्षा प्रणाली में मुझे मालूम नहीं है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के एग्जाम को हमारा सरकारी उड़नदस्ता कितनी बार एग्जामिन करता है। वह सब व्यवस्थाएं भी इसके अन्दर होनी चाहिए क्योंकि इस सदन के अन्दर हम गुणवत्तायुक्त शिक्षा को राजस्थान के विकास की चर्चा में जोड़ना चाहेंगे। ना इसमें मेरी यह भावना है कि मैं उसके खिलाफ हूं लेकिन हमको एक अच्छी भावना के साथ में कि यूनिवर्सिटीज की जिस प्रकार से स्थापना हो रही है, उनके एग्जाम अच्छे हों, हम किस प्रकार से उसकी चैकिंग करें, ये सारी बातें उसके अन्दर होनी चाहिए।

इसी के साथ-साथ में जो पदनाम है, पदनाम में मेरा एक अनुरोध है कि इसके अन्दर 'द प्रेसिडेंट' पोस्ट है और 'द प्रेसिडेंट' मैं समझता हूं किसी भी संस्था के लिए ठीक नहीं है। इस मामले में मेरा शिक्षा मंत्रीजी से अनुरोध है कि जिस प्रकार से नेशनल और राष्ट्रीय शब्दों पर हमने पाबंदी लगायी है उसी प्रकार से 'द प्रेसिडेंट' है, इसके अन्दर 'द चेयर पर्सन' और 'द प्रेसिडेंट', ये इस प्रकार के शब्द हैं तो चेयर पर्सन तो रह जायेगा लेकिन प्रेसिडेंट शब्द उसमें से हटना चाहिए। शब्द प्रेसिडेंट और चेयर पर्सन है लेकिन हम जब देखते हैं तो प्रेसिडेंट आगे लगाकर चलता है वह चांसलर, सभापति जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के जो कुलाधिपति हैं वह चांसलर की प्लेट लगा सकते हैं क्या? इसको हमको चैक करना चाहिए। चांसलर की प्लेट लगाकर कई बार हमको देखने को मिला कि राजस्थान हाउस के अन्दर ऐसे जाता है जैसे कोई वी.सी. आ रहा हो और कई बार उस चमक-धमक में सरकारी सर्किट हाउसों में रुक जाते हैं। क्या उनको इस प्रकार की व्यवस्था है? हमको इन सब चीजों को देखना है। कई बार गरीब लुट जाता है, इन सब चीजों के ऊपर हमको देखकर चलना चाहिए। कहीं इस विजिबिलिटी में, कहीं इस भभके के अन्दर जो इस प्रकार के काम करते हैं, उन पर पाबंदी होनी चाहिए।

(श्री मान सिंह)

यूनिवर्सिटीज ज्यादा से ज्यादा खुलें, उनका सम्मान हो, उनको काम के अन्दर दिक्कत नहीं आये, उनका विधेयक हम तुरन्त पास करेंगे, उनको एकल विंडो के माध्यम से सुविधाएं देंगे लेकिन जो मानीटरिंग सिस्टम है, एजुकेशन के मामले में कम से कम इस प्रकार की लिबर्टी नहीं दे सकते कि कोई लूटकर चले या इस प्रकार से वाइस चांसलर की प्लेट लगाकर चले, कई बार तो लाल बत्ती लगाने की भी कोशिश करते हैं, ऐसा सुनने में आता है। तो इन सब चीजों के ऊपर हमारी मानीटरिंग, सरकार का गवर्नेंस, हम किस प्रकार से उस पर कंट्रोल करेंगे, इसका स्पष्ट प्रावधान होना चाहिए और यह जो प्रेसिडेंट शब्द है, इसके बारे में सोचना चाहिए कि प्रेसिडेंट की पोस्ट, उनको द चेयर पर्सन कह दो, कुलाधिपति कह दो, और दे दो लेकिन ये पोस्ट कम से कम उनको नहीं देनी चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, इनके दीक्षांत समारोह होते हैं, दीक्षांत समारोह में जो उच्च शिक्षा मंत्री होते हैं, राज्यपाल महोदय होते हैं उनको वह भी आमंत्रित करते हैं, सारी चीजें होती हैं। उस आयोजन को जिस प्रकार करते हैं, ऐसे आयोजनों से पहले हमको यह देखना चाहिए कि उन यूनिवर्सिटीज ने, एक वर्ल्ड पैटर्न है ओपन द डोर, ओपन द डोर का मतलब है कि साल में तीन दिन यूनिवर्सिटी उन लोगों के लिए खुलनी चाहिए जो उसका सब कुछ देखना चाहते हैं। एजुकेशन के क्षेत्र में अगर हम ओपन द डोर सिस्टम नहीं रखेंगे तो हमारा शिक्षा मंत्री जब जाता है, हमारा गवर्नर जब जाता है तो पता होना चाहिए कि उस यूनिवर्सिटी की ग्रेडिंग इस प्रकार की है, जनता के प्रति जवाबदेही उसकी इस प्रकार की है, एजुकेशन के क्षेत्र में इस प्रकार से ओपन द डोर का सिस्टम तय करते हैं। इस प्रकार का नोर्म्स बनाना चाहिए जिससे यूनिवर्सिटी का हमको लाभ मिल सके।

इसके साथ-साथ मेरा एक और अनुरोध है। हमारे कांस्टीट्यूशन में सोशल रेस्पांसिबिलिटीज का कालम है। सोशल रेस्पंसिबिलिटीज को कोई भी संस्थान, कोई भी इंस्टीट्यूशंस अगर एडाप्ट नहीं करेंगे तो हमारा प्राइवेट सैक्टर सरकारी योगदान में भागीदारी नहीं करता है। इस एक्ट के अन्दर हमने उनको नहीं बांधा है, वे फ्री हैं। वह चाहें अपने को सूचना दे देंगे कि उस गांव के अन्दर हमने गोद लेकर के ये काम कर दिया, 50 पेड़ लगा दिये, या पांच हैंडपम्प लगा दिये लेकिन हमारा इस एक्ट के माध्यम से सोशल रेस्पांसिबिलिटीज का जो संवैधानिक कालम है उसमें इस प्रकार की बड़ी

(श्री मान सिंह)

यूनिवर्सिटीज को हमको बांधना चाहिए। सोशल योगदान तय होना चाहिए कि इस प्रकार का बड़ा संस्थान बनने जा रहा है उसकी ये सोशल रेस्पांसिबिलिटीज हैं। कम से कम इतना काम करेंगे और एक्ट में वह पाबंद होने चाहिए। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से पुनः यह कहना है कि हमारी मुख्यमंत्री जी और हमारी सरकार का जो विजन है, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान अग्रणी बने, जिस प्रकार से इनवेस्टर्स का राजस्थान में मन बना है और सबसे ज्यादा देश की यूनिवर्सिटीज राजस्थान में खुल रही हैं, यह स्वागत योग्य कदम है। मेरी जो आशंकाएं थी, उनको मैंने सुझाव के तौर पर कहा है।

मैंने इस विधेयक के बारे में जनमत हेतु परिचालित करने का जो प्रस्ताव दिया था, उसको मैं वापस लेता हूं। जय हिन्द।

श्री सभापतिः खड़े क्यों हो? नाम तो लेने दो। श्री हनुमान बेनीवाल। पहले ही खड़े हो गये।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): सभापति महोदय, बहुत मेहरबानी मेरे ऊपर।

सभापति महोदय, सांई तिरूपति विश्वविद्यालय, उदयपुर विधेयक, 2016 सरकार लेकर आ रही है, उसके उद्देश्यों एवं कारणों के कथन में ऐसी प्रणाली उच्चतर शिक्षा में पर्याप्त संसाधन एवं अनुभव रखने वाली प्राइवेट संस्थाओं को विश्वविद्यालय की स्थापना करने के लिए अनुज्ञात करने से और ऐसे विश्वविद्यालयों को ऐसे विनियामक उपबंधों से जो ऐसी संस्थाओं के कुशल कार्यक्रम को सुनिश्चित करें, नियमित करने से सृजित की जा सकती हैं। उक्त कथन में सरकार किस प्रकार से संसाधनों, अनुभवों को प्रमाणित कर रही है, जबकि इसी रुप में पारित जोधपुर नेशनल यूनिवर्सिटी अपने आपमें एक घोटाले के रूप में विख्यात हुई।

सभापति महोदय, मंत्रीजी थोड़ा मेरी बात पर ध्यान दें आप। मंत्री महोदय, चूंकि मैं विश्वविद्यालय का अध्यक्ष रहा हूं और आप भी विश्वविद्यालय के अध्यक्ष रहे हुए हैं, हमसे बहुत पहले।

सभापति महोदय, आज बहुत दुर्भाग्य की बात है कि हम विश्वविद्यालयों को खुली छूट राजस्थान के अन्दर दे रहे हैं। मैं इस सरकार की

(श्री हनुमान बेनीवाल)

बात नहीं कर रहा हूं। पूर्ववर्ती सरकार के टाइम पर भी आनन-फानन में, जयपुर के अन्दर, राजस्थान के अन्दर और जगहों पर प्राइवेट विश्वविद्यालय खोले गये। उनको सस्ती दरों पर जमीन भी दी गयी। वह सारा हिसाब-किताब एक तो जो विश्वविद्यालय खोलने के अन्दर खर्चा होता है, फिर उसका एक्ट पारित कराने के अन्दर और जो-जो व्यवस्थाएं सरकार के अन्दर करनी होती हैं, वह सारी वसूली वह वहां की गरीब जनता और जो किसान के बेटे वहां एडमिशन लेते हैं, उनसे विश्वविद्यालय वाले वसूली करते हैं।

सभापति महोदय, इन प्राइवेट विश्वविद्यालयों पर नियंत्रण के लिए प्रभावी नियामक आयोग की बात आप रोज कहते हैं। आप चूंकि विश्वविद्यालय के अध्यक्ष रहे हुए हैं। आपके बगल में राठौड़ साहब भी अध्यक्ष रहे हुए हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि लगभग 10-12 इस राजस्थान विश्वविद्यालय के पूर्व अध्यक्ष, जोधपुर विश्वविद्यालय के पूर्व अध्यक्ष और कई छात्र नेता जो कालेजों के अध्यक्ष रहे हुए हैं, आज राजस्थान की विधान सभा में पहुंचे हैं। इस देश के अन्दर छात्र राजनीति से आये हुए कई नेताओं ने महत्वपूर्ण पदों पर पहुंचकर देश की राजनीति की शोभा भी बढ़ाई।

सभापति महोदय, हमारा तो यह मानना है कि इस छात्र संघ के माध्यम से जो नेता जाते हैं वह निश्चित रूप से बेबाक होते हैं और आम आदमी के लिए लड़ने वाले होते हैं। विश्वविद्यालय की राजनीति से जो भी नेता आयेगा, वह लड़ता हुआ आयेगा। चूंकि मैं भी विश्वविद्यालय का अध्यक्ष रहा हुआ हूं, इसलिए मैंने इस विधेयक पर बात रखनी जरूरी समझी।

श्री सभापतिः बार-बार क्यों दोहरा रहे हो।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): क्या?

श्री सभापतिः बार-बार मैं विश्वविद्यालय का अध्यक्ष रहा हूं। एक बार कह दिया न आपने। मान लिया हमने।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): अब नहीं कहूंगा। आप भी तो स्टूडेंट लीडर रहे हुए हैं।

श्री सभापतिः मैं भी महाविद्यालय का अध्यक्ष रहा हूं। ऐसी बात नहीं है।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): मैंने कह दिया न।

श्री सभापतिः सुरेश जी धाकड़ भी रहे हैं।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): उनका बता दिया मैंने। बाबूसिंह जी सुन ही नहीं रहे हैं। बाबूसिंह जी, आपका भी बताया है मैंने। आप बातों में मशगूल हो रहे हो।

सभापति महोदय, निश्चित रूप से प्राइवेट विश्वविद्यालय हो, चाहे प्राइवेट निजी स्कूल हो, इन पर सरकार का नियंत्रण होना चाहिए। लोकतंत्र के अन्दर सबसे बड़ी सरकार होती है। सरकार का नियंत्रण जब इन विश्वविद्यालयों पर नहीं रहेगा, अभी जैसे हमारे मानसिंह जी विधायक बता रहे थे कि इन विश्वविद्यालयों का कुलपति भी लाल बत्ती लगाकर के घूमता है। चांसलर की प्लेट लगा देता है। प्रेसीडेंट का आपने नाम दे दिया उसको। प्रेसीडेंट तो राष्ट्रपति होते हैं। कई जगह चेयर पर्सन, चेयर पर्सन तो हमने कई और जगहों पर सुना था। लेकिन यहां इन विश्वविद्यालयों के अन्दर चेयर पर्सन हो गये।

इन प्राइवेट विश्वविद्यालयों में जो रोज की घटनाएं होती हैं, निम्स यहां खुल गया दिल्ली रोड पर विश्वविद्यालय, जिसके अन्दर यह हालात थे कि चिकित्सा मंत्री का टेलीफोन वह नहीं उठाते थे। अब का मुझे नहीं पता। मैं पिछली बार का बता रहा हूं। एक बार मैं किसी काम के लिए चला गया था, तो कह रहे थे कि मैं तो खुद इस निम्स वाले से दुःखी हूं, आप इसका इलाज कर दो ताकि मेरा फोन उठाये। यह स्थिति है मंत्रियों की।

सभापति महोदय, जब ऐसी स्थिति हो जाये तो क्यों बार-बार इन प्राइवेट विश्वविद्यालयों को नये-नये खोलने के एक्ट ला रहे हो? सबसे पहले इन पर नियंत्रण के प्रभावी कदम क्या सरकार कर सकती है, कैसे आप इनको नियंत्रण में रखो। जोधपुर नेशनल यूनिवर्सिटी का मामला उठा था। पूरे देश के अन्दर, इस राजस्थान की शिक्षा की, राजस्थान की शिक्षा प्रणाली की और सरकार की बहुत बड़ी बदनामी हुई थी, 30 हजार डिग्रियां उन्होंने बांट दीं। आपने एसओजी से जांच तो करा ली। आपने उसके मालिक को भी जेल के अन्दर डाल दिया लेकिन वह 30 हजार जो डिग्रियां ले गये, अब भी हमने देखा कि वह 3 लाख, 5 लाख के अन्दर और डिग्रियां देने को तैयार हैं। उन्होंने असत्य विज्ञापन अखबारों के अन्दर छपवा दिये।

वह 30 हजार लड़के, हो सकता है कि आपने यह डलवा दिया होगा नैट पर, वैबसाइट पर कि इससे किया हुआ आदमी कहीं रोजगार नहीं ले सकता लेकिन कहीं न कहीं वह लड़के निश्चित रूप से किसी स्टेट के अन्दर जाकर फायदा उठायेंगे। ऐसे लोग जो फर्जी डिग्री लेकर के सरकारी सेवा में आ जायेंगे तो पूरा जीवन, 40 साल फर्जीवाड़ा करेंगे।

(श्री हनुमान बेनीवाल)

सभापति महोदय, इन पर आपका नियंत्रण कैसे प्रभावी रूप से हो। आप नियामक आयोग लायें। आप यह होड़ नहीं करें कि कांग्रेस ने 20 खोल दिये तो हम 60 खोलेंगे। इससे कुछ नहीं होने वाला है। इसकी बजाय तो आप एक काम करें कि राजस्थान के अन्दर जो विश्वविद्यालय और कालेजों के अन्दर लड़के एडमिशन लेते हैं, विश्वविद्यालय की डिग्री लेते हैं, किसी कालेज की डिग्री लेते हैं, कोई प्रोफेशनल कोर्स की डिग्री लेकर के आते हैं, तो उसके रोजगार के साधन सुनिश्चित करें कि कोई बेरोजगार नहीं घूमे। कोई एम.टेक किया हुआ है, कोई बी.टेक किया हुआ है, कोई एलएलबी किया हुआ है, केमेस्ट्री में एमएससी, फिजिक्स में एमएससी या पी.एचडी. किया हुआ लड़का बेरोजगारी से तंग आकर आत्महत्या नहीं करेगा। उसको रोजगार के साधन हम देंगे। इस दिशा में अगर सरकार काम करे तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से आपको आने वाले टाइम में फायदा हो सकता है।

कालीचरण जी, आपसे ज्यादा इन बातों को कौन जानता है। आप पिछली बार जब विपक्ष में थे तो रोज कहते थे कि प्राइवेट विश्वविद्यालयों को बंद करो, मत खोलो। अब जब आप आ गये तो आप कुछ ऐसा करें। नियामक आयोग लाने की बात तो आप रोज करते हो। हमें खुशी भी है। लेकिन मजबूत नियामक आयोग आये और बिलकुल आपके हिसाब से रहे।

सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि पूर्ववर्ती सरकार और आपकी सरकार जब 2003-08 में थी, 3 विश्वविद्यालयों की सरकार ने घोषणा की। शेखावाटी विश्वविद्यालय, भरतपुर के अन्दर महाराजा सूरजमल विश्वविद्यालय और अलवर के अन्दर मत्स्य विश्वविद्यालय। निश्चित रूप से आपकी सोच अच्छी थी कि आप शेखावाटी जहां सबसे ज्यादा शिक्षा का स्तर है, आज सबसे ज्यादा शेखावाटी में शिक्षित मिलेंगे। देश की सेवा का जज्बा भी शेखावाटी के जवानों में सबसे ज्यादा, सीमा की रक्षा करते हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय में भी अगर सबसे ज्यादा छात्र कहीं के पढ़ते हैं तो शेखावाटी के पढ़ते हैं।

सभापति महोदय, आपने घोषणा कर दी, पिछली सरकार ने भी लास्ट में कुछ थोड़ा-बहुत कर दिया कि ओएसडी नियुक्त कर दिये। इस बार भी आपने कुछ बजट देकर के चारदीवारी बना दी। आपकी बातों में आकर के राजस्थान विश्वविद्यालय में जो लड़के पढ़ते थे फर्स्ट ईयर, सैकण्ड ईयर, थर्ड ईयर में उन्होंने यहां से माइग्रेशन ले लिया। टीसी ले ली और वहां चले गये।

(श्री हनुमान बेनीवाल)

वहां तो पढ़ाई का कुछ सिस्टम ही नहीं था। कहां आपके प्रोफेसर हैं, कहां लैक्चरर हैं, कहां आपका काम चल रहा है। अब आपने कह दिया कि एग्जाम यही करायेंगे। वह कैसे एग्जाम करायेंगे, आप बतायें। ऐसी स्थितियों के अन्दर आप इस होड़ के अन्दर नहीं रहें कि हमने काम शुरू किया और हम यह संदेश दे रहे हैं कि हम यह कर रहे हैं।

आप इन तीनों विश्वविद्यालयों को जो ठंडे बस्ते के अन्दर पड़े हैं, शेखावाटी विश्वविद्यालय, महाराजा सूरजमल विश्वविद्यालय और अलवर का तीनों विश्वविद्यालयों की सुध लें। यह हमारे विश्वविद्यालय हैं। यह प्राइवेट विश्वविद्यालय तो दुकानें हैं। यह प्राइवेट कालेज दुकानें हैं। कब यह झोली-झंडा लेकर के भाग जायेंगे। कहां पकड़ोगे आप इनको? आप इनको जेल में भी डाल दोगे तो हजारों छात्रों का भविष्य खराब कर देंगे। उनका क्या होगा।

सभापति महोदय, मजबूत तरीके से आपका नियंत्रण इन निजी विश्वविद्यालयों पर हो और जब भी कोई एक्ट निजी विश्वविद्यालय का आये, जब भी आप इनको कोई अनुमति दो तो उससे पहले उसकी पूरी जांच करो कि जो विश्वविद्यालय खोल रहा है वह व्यक्ति कैसा है। उसका चरित्र कैसा है। वह पूरे जीवन में कैसा रहा। हर किसी उठाईगीरे को अगर आप दे दोगे तो आदमी अपनी आदत छोड़ता थोड़े ही है। उसी आदतों से वह काम करेगा।

सभापति महोदय, यह विधेयकों से शिक्षा का व्यावसायीकरण करने वाले माफिया बेलगाम होकर के फर्जी डिग्रियां बांटते हैं। इन विधेयकों की अवसंरचना की पर्याप्तता की जांच में नियुक्त समितियां पूर्ण जवाबदेह नहीं होतीं। आप समितियां तो बनाते हो। लेकिन फिर वह हाथ खड़े कर देती हैं कि हमारे पास अधिकार नहीं है, यह नहीं है, वह नहीं है। पूर्ण जवाबदेह इनको बनाया जाये।

निजी यूनिवर्सिटी की धांधली में इन समिति सदस्यों की कोई जिम्मेदारी तय नहीं है। प्रदेश के अन्दर चाहे अभी आपकी सरकार हो, पूर्ववर्ती सरकार हो, होड़ निजी विश्वविद्यालयों के एक्ट लाने की लगी है। आज आये दिन निजी विश्वविद्यालय मन माफिक फीस और अनुभवहीन स्टाफ खुद ही भर्ती करते हैं। खुद बैठकर, तीन आदमियों की कमेटी बैठ जायेगी, बी.ए. पास को भी ले लेंगे, एम.ए. को बाहर बैठा देंगे।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

(श्री हनुमान बेनीवाल)

यह जो हालात हैं, यह कोई अच्छी शिक्षा राजस्थान के जवान को नहीं दे सकते। लोग मजबूरी के अन्दर आते हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय के अन्दर अगर किसी का एडमिशन नहीं होगा, किसी का जोधपुर विश्वविद्यालय के अन्दर एडमिशन नहीं होगा, महारानी कालेज, महाराजा कालेज और लॉ कालेज में एडमिशन नहीं होगा तो वह इन निजी विश्वविद्यालयों के चक्कर में फंस जायेगा। वह यह भी तय करेगा कि मेरी अटेंडेंस पूरी करनी हैं, आपने आजकल कर दिया न कि 75 परसेंट हाजिरी होनी चाहिए, तो निजी विश्वविद्यालय कहते हैं कि आप उसके पैसे हमारे को एक्सट्रा दे दो, 1 लाख रुपये और आपके घर बैठे ही हाजिरी भर देंगे। इससे आप क्या नया संदेश देना चाहते हो।

मुझे नहीं लगता कि इससे नये आदर्श और शिक्षा के अन्दर गुणवत्ता और सुधार आयेंगे। इस पर आपको विचार करना चाहिए। आप विश्वविद्यालय के अध्यक्ष रहे हो। आपने बहुत बड़े आंदोलन भी किये हैं। राठौड़ साहब पास में बैठे हैं। इस होड़ में क्यों लगाया है इनको आपने कि एक्ट लाओ और विश्वविद्यालय खोलो।

इसी काम में लगा देंगे तो फिर बहुत बड़ी दिक्कत होगी 2018 में।

माननीय सभापति महोदय, मैं दो मिनट ही लूंगा। निम्स के अन्दर एक विदेशी छात्रा के साथ वहां के स्टाफ ने छेड़खानी की, निम्स की दादागीरी पूरा देश जानता है, पूरा राजस्थान जानता है, उस पर भी आप कंट्रोल कीजिए। आप दोनों मिलकर कंट्रोल कर लेंगे। (व्यवधान) आपका भी तो निम्स में रहेगा न?

श्री सभापति: दोनों मिलकर कंट्रोल क्यों करेंगे?

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं।

श्री सभापति: हो गया कंट्रोल, अब आप समाप्त करें।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): माननीय सभापति महोदय, दो-तीन और मेरी बात हैं। एक चीज और कर सकते हैं आप इसके अन्दर कि निजी विश्वविद्यालयों में भी आप छात्र संघ के चुनाव कराओ, इससे आपकी आधी समस्या का समाधान हो जाएगा। वह भी उसके अन्दर उलझ जाएंगे। क्योंकि छात्र संघ के चुनाव नहीं होंगे और जब छात्रों की बात करने वाला कोई जनप्रतिनिधि नहीं होगा तो वह अपनी मनमानी करेंगे और अगर छात्र संघ के

(श्री हनुमान बेनीवाल)

चुनाव निजी विश्वविद्यालयों के अन्दर होंगे तो निश्चित रूप से वहां का कुलपति या जो भी स्टाफ होगा छात्रों की बात छात्र संघ का अध्यक्ष उनके सामने रखेगा और छात्रों का वह शोषण भी नहीं होने देगा, यह भी आपको इसके अन्दर करना चाहिए।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): माननीय सभापति महोदय, इसके अन्दर मैं तो बहुत संयमित तरीके से अपनी बात कह रहा हूं।

श्री सभापति: एक मिनट में समाप्त कर दें।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): डेढ़ मिनट में समाप्त कर देता हूं। माननीय सभापति महोदय, आज आपके राजस्थान विश्वविद्यालय के अन्दर प्रोफेसरों के कितने पद रिक्त हैं? पूरे राजस्थान के, आप कालेज धड़ाधड़ खोल रहे हो, आपने खींवसर में कालेज खोल दिया, यहां खोल दिया, अच्छी बात है। धन्यवाद आपको। लेकिन आप वहां स्टाफ कब लगाएंगे, आप सारे संकाय, खाली कला संकाय खोलकर गांव के अन्दर कालेज खोली, किसी शहर के अन्दर खोला, आपने कला संकाय खोल दिया तो हमारे बच्चे आर्टस ही पढ़ेंगे क्या? वहां साइंस भी खोलो, कामर्स भी खोलो या फिर खोलो ही मत कालेज, खोलो तो पूरी तैयारी के साथ खोलो, वहां पर स्टाफ की व्यवस्था कैसे होगी, लेक्चरर कैसे लगेंगे, प्रोफेसरों के जो इंटरव्यू लम्बे टाइम से राजस्थान में पेंडिंग हैं, आप इन प्रोफेसरों के इंटरव्यू करवाओ, लेक्चरर का आप प्रमोशन करवाओ, एसोसिएट प्रोफेसर से प्रोफेसर के पदों पर कैसे पदोन्नति होगी? यह सारे काम आपको जल्दी से जल्दी राजस्थान के अन्दर करवाना चाहिए और मुझे यह कहते हुए बड़ी शर्म आती है कि जिस राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलपति का बहुत बड़ा सम्मान होता था, गवर्नर के बराबर कुलपति को मानते थे कि राजस्थान विश्वविद्यालय का कुलपति है, गवर्नर भी उसको मान और सम्मान देता था, उस राजस्थान विश्वविद्यालय के अन्दर आपने एक लेक्चरर को कुलपति बना दिया बताओ? आपने लम्बा-चौड़ा उदाहरण दे दिया कि ऐसे बन सकते हैं। बनने से क्या होता है?

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराज जाएं।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): एक मिनट माननीय सभापति महोदय।

श्री सभापति: एक मिनट, एक मिनट, यह कहते हुए दस मिनट हो गए। सुश्री कीर्ति कुमारी। (अनुपस्थित)।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): राजस्थान विश्वविद्यालय के अन्दर प्रोफेसर कुलपति आप नियुक्त करें और माननीय सभापति महोदय, मैं कोई आरोप नहीं लगाना चाहता लेकिन आज अखबारों के माध्यम से हम पढ़ते हैं कि आपके मानव संसाधन मंत्री की मार्क शीट और टीसी फर्जी है, डिग्री फर्जी है, बताओ आप? तो क्या देश को संदेश आप देना चाहते हैं?

श्री सभापति: शंकर सिंह राजपुरोहित।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): इन बातों पर मैं चुप भी हो जाऊंगा लेकिन बाहर आप जनता का मुंह बंद थोड़े कर दोगे? मेरे को बैठा दोगे लेकिन आज पूरा देश जानना चाहता है। आपके मानव संसाधन मंत्री की डिग्री को लेकर संशय है, सही है या गलत है, सही है या गलत है। देश का बता रहा हूं मैं, तो इन बातों पर आपको मंथन करना चाहिए, सोचना चाहिए और यह भी सोचना चाहिए कि 2018 के अन्दर हम वापस राजस्थान में वोट मांगने के लिए जाएंगे तो कौनसे मुद्दे अपने सामने आएंगे। सुराज संकल्प यात्रा के दौरान कौनसे रोजगार की बात कही थी, कौनसी शिक्षा की बात कही थी और कितने लोगों को रोजगार, कितना काम आपने किया, इस बारे में भी सरकार को गम्भीरता से विचार करना चाहिए। माननीय सभापति महोदय, मैं फिर यह जो विधेयक आया है इसको जनमत जानने के लिए परिचालित करने का निवेदन करना चाहता हूं और इसका पुरजोर विरोध करता हूं, धन्यवाद।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान में जैसा वातावरण कांग्रेस के शासन में था और अब भारतीय जनता पार्टी के शासन में है, उस वातावरण में भी अंतर आया है। (व्यवधान)

माननीय सभापति महोदय, यह देश का दुर्भाग्य रहा है कि अंग्रेज कई वर्षों तक शासन करने के बाद इस देश पर कोई पूरा कब्जा नहीं जमा पाये तो लास्ट जो वायसराय था मैकाले उसने कहा कि मैं इस देश की शिक्षा नीति को ऐसा तोड़ दूंगा, ऐसा तोड़ दूंगा कि हमेशा, हमेशा के लिए कमर हिन्दुस्तान की कमजोर हो जाएगी और हुआ यही, मैकाले ने एक शिक्षा नीति दी इस देश को और आज वह मैकाले की बाबूगीरी की शिक्षा नीति के भरोसे सारा चल रहा है। माननीय सभापति महोदय, यही एक कारण है कि आज बड़ी स्कूलों और कालेजों के अन्दर विद्यार्थी अपना टाइम पास करने के लिए चला जाता है।

(श्री शंकरसिंह राजपुरोहित)

शर्मिंदगी के साथ कहना पड़ता है, आज देश भर के अखबारों के अन्दर कहीं न कहीं विश्वविद्यालयों में राजद्रोह और देश द्रोह जैसे विषय चलते हैं और राजनीतिक पार्टियां अपने आप में मुद्दा बनाकर, यह सारा विषय क्या है? हमारे संस्कार कहा गये? इस देश के संस्कार कहां गये? जिस देश के अन्दर जैसा पूर्व में कहा, नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय ने ऐसे संत महापुरुष, ऐसे विद्वान दिए, जो वास्तव में पूरे विश्व के मानचित्र पर अपने आपमें विद्वता के नाते आधिपत्य रखते थे। जिस अमेरिका के अन्दर स्वामी विवेकानंद ने एक मिनट के भाषण में पूरे विश्व के अन्दर अपना पूरा सिक्का जमा दिया था, ऐसा देश, ऐसे महापुरुष, उसके बाद आज जेएनयू के लिए वहां कहा जाता है कि हमारा ही बालक देशद्रोह, राजद्रोह के नारे लगाता है? यह कैसा है? यह कैसी शिक्षा नीति है? कहीं न कहीं इस बात की चिंता हमको करनी पड़ेगी।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से उच्च शिक्षा मंत्री महोदय का ध्यान इस तरफ लाना चाहूंगा। पूर्व की कांग्रेस सरकार ने जिस प्रकार से इस देश के बच्चों की, देश के युवाओं की कमर तोड़ने का काम किया है, आठवीं तक फेल नहीं करना है। देखिए, जहां एक तरफ ओबामा चिंता से अमेरिका के लोगों को कह रहा है कि सावधान हो जाओ, हिन्दुस्तान के इंजीनियर्स आ जाएंगे। इस देश के इंजीनियर और डाक्टर्स का इतना बड़ा महत्व है, दूसरी तरफ इस प्रकार के सारे चल रहे हैं तो यह क्या है? देश में कहीं न कहीं दुर्व्यवहार हो रहा है। निश्चित रूप से पूर्ववर्ती सरकार पर यह आरोप लगा रहा हूं कि कहीं न कहीं इनको विदेशी ताकतों ने जकड़ा, इसलिए ऐसे-ऐसे विदेशी कानूनों को शिक्षा के माध्यम से इस देश के मूल तंत्र को तोड़ने का इन्होंने काम किया।

माननीय सभापति महोदय, आज शिक्षा के मामले में राजस्थान को हब बनना चाहिए। आज आंध्रा, तमिलनाडू और महाराष्ट्र की तरफ हम देखते हैं कि किस प्रकार से शिक्षा के हब बने। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्रीजी को निश्चित रूप से यह कहना चाहूंगा आप धन्यवाद के पात्र हैं कि इस प्रकार की यूनिवर्सिटी के माध्यम से शिक्षा का हब राजस्थान की धरा पर तैयार करने का काम किया है और जो कर रहे हो, इसके लिए सराहनीय हैं आप। बस इन सारी बातों में हमारी पालिटिकल कमेटी जिस विधायिका के अन्दर यह विधेयक पास होगा उस विधायिका के लोग,

(श्री शंकरसिंह राजपुरोहित)

उस विश्वविद्यालय की मानिटरिंग कमेटी में होंगे क्या, इस बात की भी चिंता हमको करनी चाहिए। पूरा सरकार का तंत्र, सरकार की बिलकुल बागडोर तो रहनी ही चाहिए। कहीं पर खुला किया तो दुर्भाग्य है जब-जब भी जिस संस्था को हमने सरकारी तंत्र से खुला किया है वहां पर कहीं न कहीं माफिया डवलप हुआ है, इस बात की चिंता करनी पड़ेगी इसलिए सरकारी नियंत्रण हमको रखना चाहिए। जिस विधायिका में विधेयक पास हो रहा है उसके निश्चित रूप से मानिटरिंग कमेटी में लोग हों। जिस प्रकार प्रतिपक्ष के लोग, अभी माननीय सदस्य कह रहे थे कि वहां पर कुछ ही नहीं। एक अलग बात है, सरकार इतनी सोयी नहीं है, सरकार बिलकुल चिंतित है, वहां पर आलरेडी 300 बैडेड हास्पिटल चल रहा है। यह तो मेडिकल व्यू है, आपको तो धन्यवाद देना चाहिए सरकार को कि इस मेडिकल व्यू के अन्दर हमारी एक बहुत बड़ी पहल है, एक बहुत बड़ा विश्वविद्यालय, राजस्थान में इनवाइट किया है उसको हम तैयार कर रहे हैं, सरकार ने बिलकुल इस विश्वविद्यालय के लिए जो मन बनाया है निश्चित रूप से यह सराहनीय है। (व्यवधान) सरकार परमीशन देगी।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): यह किसी उद्योगपति ने बनाया है और आप तो उसको केवल हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता करेंगे।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): माननीय सदस्य, आप थोड़ा पेशेंस रखो, कितनी कमर तोड़ोगे, क्या सुनोगे आप, आपने हिन्दुस्तान के लोगों की, युवाओं की कमर तोड़ने का जो काम किया है उसके कारण से आज जेएनयू में नारे लग रहे हैं। यह सब आप लोगों की नाकामी, आप लोगों की नाजायजगीरी के कारण से हो रहा है। आज सरकार इस विश्वविद्यालय को परमीशन दे रही है, यह विधेयक ला रही है, इस विधेयक के माध्यम से इस सरकार की बिलकुल तारीफ करनी चाहिए निश्चित रूप से।

माननीय सभापति महोदय, निजी विश्वविद्यालयों में मानिटरिंग और संस्कारिक कैसे हो इस बात की आप चिंता करें। उसका कारण है, यह बार-बार जो कोचिंग क्लासेज वगैरह डवलप हो रहे हैं, स्कूल या कालेज में पीरियड ज्वाइन नहीं करना, वहां पर शिक्षा-दीक्षा की सही रीति नीति नहीं होना, इसके कारण आप कोचिंग के माध्यम से बच्चा सिर्फ कहीं न कहीं एकदम किताबी कीड़ा बनता जा रहा है तो इस किताबी कीड़े की शिक्षा नीति से बाहर लाएं

(श्री शंकरसिंह राजपुरोहित)

और इस देश का जो मूल तंत्र है उसमें हम सुधार करने की कोशिश करें। अभी जो विषय निकला था कि 'द प्रेसीडेंट' इस पर कहीं न कहीं सुधार होना चाहिए।

मेरा एक सजेशन है एमडी या संरक्षक, ये दो शब्द प्रेसिडेंट की जगह पर हम ला सकते हैं। माननीय सभापति महोदय, मैंने जनमत जानने का जो प्रस्ताव दिया था वह मैं वापस लेता हूं और इस बिल का समर्थन करता हूं।

श्री सभापति: प्रभारी मंत्री महोदय।

श्री कालीचरण सराफ (उच्च शिक्षा मंत्री): माननीय सभापति महोदय, आज सदन में सांई तिरूपति विश्वविद्यालय, उदयपुर विधेयक, 2016 प्रस्तुत हुआ है उस पर कई माननीय सदस्यों ने अपने-अपने सुझाव दिये, कुछ कमियां भी बतायीं। मैं आपके माध्यम से सभी माननीय सदस्यों को यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज् में उनकी स्थापना में, उनको चलाने में जो-जो कमियां आप लोगों ने बतायी हैं निश्चित रूप से उसमें हम सुधार लाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि सरकार का यह मानना है कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में क्वांटिटी के साथ क्वालिटेटिव शिक्षा भी मिलनी चाहिए। निश्चित रूप से हम पिछले दो साल से इस बात के लिए प्रयासरत हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब 2003 में माननीय वसुन्धरा जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में बनी उस समय उच्च शिक्षा के क्षेत्र में हमारा प्रदेश बहुत पिछड़ा हुआ था, 2004 में जब राष्ट्रीय सकल नामांकन अनुपात राष्ट्रीय स्तर पर 9.97 प्रतिशत था उस समय हमारे प्रदेश का सकल नामांकन अनुपात केवल 6.04 प्रतिशत था और एक लाख की जनसंख्या पर महाविद्यालयों का राष्ट्रीय औसत .71 प्रतिशत था उस समय हमारे राज्य का औसत .57 प्रतिशत था। उस समय हमारी सरकार ने राज्य के सीमित वित्तीय संसाधनों को देखते हुए यह निर्णय किया कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में प्राइवेट सैक्टर को इंट्रोड्यूज किया जाय। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर हमारा प्रदेश अग्रणी राज्यों की श्रेणी में आये 26 जुलाई, 2007 को, The Guidelines for the Establishment of Private Universities by Separate Act, हम लोगों ने जारी किया और आज उसी का यह प्रभाव है कि हमारे प्रदेश में अब तक 43 निजी विश्वविद्यालय अलग-अलग अधिनियमों के द्वारा स्थापित किये जा चुके हैं। प्रस्तावित सांई तिरूपति

(श्री कालीचरण सराफ)

विश्वविद्यालय, उदयपुर 44वां निजी विश्वविद्यालय है। आज प्रदेश उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एजुकेशन हब के रूप में विकसित हो चुका है।

आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि वर्तमान में 14 विश्वविद्यालयों के लिए एलओआई जारी की गयी है और 16 अन्य निजी विश्वविद्यालयों के आवेदन-पत्रों का प्रारम्भिक स्तर पर परीक्षण किया गया है। आज हमारे प्रदेश में 26 राजकीय विश्वविद्यालय, 43 निजी विश्वविद्यालय और 8 डीम्ड विश्वविद्यालय संचालित हैं। इसके साथ-साथ एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय किशनगढ़ में, एक आईआईटी जोधपुर में, एक आईआईएम उदयपुर में, एक ट्रिपल आईटी कोटा में और एक एमएनआईटी जयपुर में संचालित है। आज इसी का यह परिणाम है कि प्रदेश का सकल नामांकन अनुपात जो 2004 में 6.04 प्रतिशत था वह बढ़कर 19.7 प्रतिशत हो गया है जो अपने आपमें एक उपलब्धि है। एक लाख विद्यार्थियों पर जो महाविद्यालयों की संख्या 0.57 प्रतिशत थी वह बढ़कर 0.89 प्रतिशत हो गयी है जो राष्ट्रीय औसत .92 प्रतिशत के लगभग बराबर है। मुझे आशा है कि हम सीमित संसाधन होते हुए भी निजी क्षेत्र के सहयोग से राष्ट्रीय औसत को प्राप्त कर लेंगे।

प्राइवेट यूनिवर्सिटीज् के आने से नये-नये सब्जेक्ट हमारे प्रदेश में इंट्रोड्यूज हुए हैं। बायोटेक्नोलोजी, नैनो-टेक्नोलोजी, हास्पिटेलिटी, मैनेजमेंट, इंश्योरेंस जैसे कई नये-नये सब्जेक्ट हमारे यहां इंट्रोड्यूज हुए हैं। निजी क्षेत्र में प्रदेश में इंट्रोड्यूज करने का यह परिणाम हुआ कि जहां हमारे प्रदेश के बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए पहले तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश, महाराष्ट्र जाते थे, परन्तु अब हमारे प्रदेश में ये नये-नये विश्वविद्यालय और नये-नये सब्जेक्ट खुलने के कारण अब बाहर नहीं जाते। उलटा तमिलनाडु हो, महाराष्ट्र हो, कर्नाटक हो, चाहे आंध्रप्रदेश हो वहां से बच्चे माइग्रेट होकर हमारे प्रदेश में पढ़ने के लिए आ रहे हैं। मुझे यह बताते हुए खुशी है कि आज हमारा प्रदेश एजुकेशन हब के रूप में विकसित हो रहा है। उसके साथ-साथ प्रदेश के हजारों लोगों को रोजगार भी प्राप्त हुआ है। करोड़ों रुपये का इन्वेस्टमेंट इन निजी विश्वविद्यालयों के माध्यम से हमारे प्रदेश में हुआ है।

(18.56 बजे)

(श्री राव राजेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

जहां-जहां निजी यूनिवर्सिटीज् की स्थापना हुई वहां होटल व्यवसाय में

(श्री कालीचरण सराफ)

इजाफा हुआ है, अच्छे-अच्छे रेस्टोरेंट भी खुले हैं, बाहर के बच्चों के लिए हास्टल की सुविधाएं भी मुहैया हुई हैं। निश्चित ही निजी विश्वविद्यालयों के खुलने से प्रदेश बहबूदी की ओर अग्रसर हुआ है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कई माननीय सदस्यों ने अपने विचार प्रकट करते हुए कहा कि विश्वविद्यालयों पर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं है। मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि हर एक्ट में धारा 44 है उसमें सरकार को यह अधिकार है कि कहीं पर भी कोई भी अनियमितता होती है तो वहां हम प्रशासक नियुक्त कर सकते हैं और उसका विघटन भी कर सकते हैं। आप लोगों को यह जानकारी होगी कि पिछले दिनों जोधपुर नेशनल यूनिवर्सिटी में फर्जी डिग्रियों का मामला आया। जैसे ही हमारे ध्यान में यह मामला आया, हमने जांच कमेटी बिठायी और जांच कमेटी में यह सिद्ध हुआ कि वहां फर्जी डिग्रियां वितरित की गयी हैं तो आपको यह जानकर खुशी होगी कि हिन्दुस्तान के इतिहास में पहली बार हम लोगों ने धारा 44 का उपयोग करके जोधपुर नेशनल यूनिवर्सिटी में वहां के जो संभागीय आयुक्त हैं उनको प्रशासक नियुक्त किया।

कई माननीय सदस्यों ने कहा कि निजी विश्वविद्यालयों पर अंकुश लगाने के लिए नियामक आयोग का गठन करना चाहिए। मैंने भी पिछले सत्र में यह घोषणा की थी कि हम नियामक आयोग लाएंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे नियामक आयोग के बिल का प्रारूप तैयार हो चुका है, परन्तु जब हमको यह जानकारी मिली कि पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश में इस प्रकार के नियामक आयोग का गठन हुआ तो वहां के माननीय उच्च न्यायालय ने उसको स्ट्रक डाउन कर दिया। हमारी यह इच्छा है कि नियामक आयोग तो बने, पर उसमें कोई कमी-खामी नहीं रह जाय इसलिए हमने यह तय किया है कि हमने जो नियामक आयोग का प्रारूप बनाया है उसको हम वैबसाइट पर डाल रहे हैं। सभी स्टेकहोल्डर्स से सुझाव और आपत्तियां उसमें हम आमंत्रित करेंगे और उसके बाद पूर्ण रूप से निर्विवाद और प्रभावी नियामक आयोग का गठन किया जाय इस बात के लिए हम संकल्पबद्ध हैं, इस बात के लिए हम कटिबद्ध हैं।

जहां सांई तिरूपति विश्वविद्यालय, उदयपुर का सवाल है मैं आपको बताना चाहूंगा उदयपुर जनजातीय क्षेत्र में स्थापित होने वाला यह छठा निजी

(श्री कालीचरण सराफ)

विश्वविद्यालय है। इसके पास नियमानुसार भूमि एवं भवन उपलब्ध है। संस्था द्वारा अभी तक 140 करोड़ रुपये की पूंजी का निवेश किया जा चुका है। आगामी 5 वर्षों में 200 करोड़ रुपये के पूंजी निवेश किये जाने की संभावना है। इससे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 1500 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध होगा तथा इस विश्वविद्यालय द्वारा चिकित्सा विज्ञान, होम्योपैथी एवं अन्य क्षेत्रों में उच्चस्तरीय चिकित्सा शिक्षा के साथ-साथ जनसाधारण को चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध करायी जाएगी जिससे कि सम्पूर्ण जनजातीय क्षेत्र को फायदा होगा।

(19.00 बजे)

कई माननीय सदस्यों ने आशंकाएं प्रकट की हैं। लूणी के माननीय विधायक जोगाराम जी ने कहा कि नकल के प्रचलन पर रोक लगानी चाहिए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि नकल रोकने के लिए यह सरकार कटिबद्ध है। पिछली बार आप लोगों ने देखा होगा कि दौसा पी.जी. कालेज में नकल का प्रकरण सामने आया था तो हमने उसमें प्रिंसिपल समेत तीन लोगों को सस्पैंड किया। इस बार हमने पोलिटेक्निक कालेजेज में नकल की रोकथाम हो और प्राइवेट कालेजेज में भी नकल की रोकथाम हो इसके लिए प्राइवेट कालेजेज में तो हमने यह किया कि रेसीप्रोकल, जो परीक्षा केन्द्र हैं वह एक का दूसरे में बनायेंगे। पोलिटेक्निक कालेज में क्योंकि हमारी मजबूरी है अभी तक इस प्रकार की हमारे पास व्यवस्था नहीं हुई कि दूसरी कालेज में मिले इसलिए हमने यह कहा है कि जो प्राइवेट पोलिटेक्निक कालेज अपने यहां सीसीटीवी कैमरे लगायेगा उसको ही हम केवल परीक्षा केन्द्र की अनुमति देंगे। वहां भी हमारे राज्य सरकार का एक आब्जर्वर जाएगा और चैक करेगा कि किसी प्रकार की कोई नकल की व्यवस्था नहीं है।

इसी प्रकार से कोटा उत्तर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि इसमें मेडिकल विश्वविद्यालय नहीं लिखा तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी उन्होंने चिकित्सा विज्ञान, दन्त चिकित्सा, नर्सिंग, फिजियोथेरेपी, जीव विज्ञान, स्वास्थ्य विभाग, लोक स्वास्थ्य, फार्मेसी और होम्योपैथी पाठ्यक्रम के लिए परमिशन मांगी है परन्तु कालांतर में यदि यह विश्वविद्यालय चाहेगा और निर्धारित प्रक्रिया अपनाकर यदि राज्य सरकार से अनुमति लेकर अन्य विषयों में भी अध्यापन कराना चाहेगा तो निश्चित रूप से हम उसकी भी परमिशन उनको देंगे।

(श्री कालीचरण सराफ)

इसी प्रकार से निजी विश्वविद्यालयों में कई 7-8 यूनिवर्सिटीज के नाम आपने, प्रहलाद गुंजल जी ने बताये हैं कि उनके विरुद्ध अनियमितता की शिकायत प्राप्त हुई हैं। मैं बताना चाहूंगा कि इसकी जांच के लिए प्रोफेसर आर. के. कोठारी की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया हुआ है। जैसी इस कमेटी की रिपोर्ट होगी उसके अनुरूप जहां-जहां अनियमितताएं पायी जाएंगी, धारा 44 का उपयोग करके उनके खिलाफ निश्चित रूप से सरकार सख्त कार्यवाही करेगी।

माननीय भिण्डा जी ने कहा कि एमएलए और गवर्नमेंट आफिशियल्स का कोई रोल नहीं है। जब नियामक आयोग का गठन हो जाएगा तो उससे फीस निर्धारण और एमएलएज का रिप्रजेंटेशन, सब बातें उस नियामक आयोग में हमने शामिल की हैं।

सुखराम जी विश्नोई ने बड़ी जोरदार बात की। उन्होंने कहा कि आपको पता ही नहीं है, वहां पर तो कुछ हुआ ही नहीं। उनकी गलती नहीं है क्योंकि उनके समय में 5 साल में जो 20 यूनिवर्सिटीज खुले, हो सकता है कि उस समय इस प्रकार की व्यवस्था रही हो और उनको इसी प्रकार का अनुभव है। पर मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि जो सांई तिरूपति विश्वविद्यालय है उसके लिए मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी और उस कमेटी में प्रोफेसर आई.वी. त्रिवेदी, वाइस चांसलर, मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी तो इसके चेयरमैन थे, बी.पी. नंदवाना, डीन, कालेज आफ टेक्नीकल एण्ड एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, एमपीयूएटी, उदयपुर, ये एक्सपर्ट मैम्बर के बतौर थे, डा. सी.पी. जैन, प्रोफेसर एण्ड हैड आफ द डिपार्टमेंट आफ फार्मेसी, मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी इसके एक्सपर्ट मैम्बर थे, डा. विजयम्मा अजमेरा, प्रिंसिपल, एम.बी. नर्सिंग कालेज, उदयपुर इसके एक्सपर्ट मैम्बर थे, डी. के. गुप्ता, प्रोफेसर एण्ड हैड डिपार्टमेंट आफ ओरल सर्जरी, गवर्नमेंट डेंटल कालेज, जयपुर इसके एक्सपर्ट मैम्बर थे। उन्होंने जो रिपोर्ट दी है वह मैं आपको बताना चाहूंगा। पहली रिक्वायरमेंट थी, "Establishment of an Endowment fund – Compliance made by the Trust, A sum of Rs. 1 crore has been deposited with the State Government Treasury, Udaipur on 07.04.2015 by opening a PD account in the name of Shri Ashish Agrawal, Secretary, Global Health Research and Management Institute, Udaipur. The documents of the aforesaid deposit were shown to the Committee and the prescribed deposit has been found to be made in the P.D. account."

(श्री कालीचरण सराफ)

दूसरी रिक्वायरमेंट थी "At least 30 Acres of Land" तो कमेटी की रिपोर्ट है "The Trust has 31.69 Acres of land against statutory requirement of 30 Acres." 30 एकड़ की जगह 31.69 जमीन है उसके पास। तीसरी रिक्वायरमेंट थी "Constructed Area of at least 10,000 Square Meters for administrative purpose and conducting academic programmers." इसमें रिपोर्ट में इन्होंने लिखा है "The Trust has completed construction of 121289.30 Sq. Meters against a statutory requirement of 10,000 Sq. meters." मुझे बड़ी सहानुभूति है कि यह इस प्रकार की बातें सदन में करके क्या कहना चाहते हैं। बैठिये, बैठो पहले। पूरी सुन लीजिये।

श्री रमेश (सपोटरा): हिन्दी में तो बताओ। (व्यवधान) जब सैनी जी अंग्रेजी में बोल रहे थे तब तो आप हंस रहे थे।

श्री कालीचरण सराफ (उच्च शिक्षा मंत्री): विराजो। चौथी रिक्वायरमेंट है "Purchase of books and journals of at least Rs. 10 lakhs and to submit an undertaking to invest within first three years not less than Rs. 50 lakhs." - "The Trust has already purchased books and journals worth Rs. 35 against Rs. 10 lakhs." 35 लाख की किताबें और also submitted an undertaking to purchase books and journals for Rs. 50 lakhs in next 3 years." यानि इस प्रकार से जो-जो भी रिक्वायरमेंट थीं वह उन्होंने पूरी की हैं। सरकारी विश्वविद्यालय है उदयपुर यूनिवर्सिटी उसके वाइस चांसलर की अध्यक्षता में 5 लोगों की कमेटी वहां गयी है। एक आदमी हो तो फर्जीवाड़ा कर सकता है, 5-5 एक्सपर्ट और इसके बाद इस प्रकार की बात करना मेरे ख्याल से उचित नहीं है।

इन्होंने कहा कि संख्या का कोई निर्धारण नहीं है कि कितने एडमिशन होंगे तो मैं उनकी नालेज के लिए बताना चाहूंगा कि विश्वविद्यालयों में प्रवेश लेने वाले छात्रों की संख्या यदि मेडिकल यूनिवर्सिटी है तो मेडिकल कौन्सिल आफ इण्डिया सीटें निर्धारित करती है और यदि टेक्नीकल यूनिवर्सिटी है तो एआईसीटीई इन संस्थाओं में संख्या निर्धारित करती है। इसमें सरकार को कोई रोल नहीं रहता।

लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय विधायक ने जो कहा तो मैं बताना चाहूंगा कि अधिनियम की धारा 37 के अनुसार विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय निर्धारण और प्रत्यायन परिषद् (NAAC) के मानकों के अनुरूप निरीक्षण करवाकर ग्रेड प्राप्त करना होता है। ग्रेड प्राप्त होने के पश्चात् यू.जी.सी. जैसी संस्थाओं से ग्रांट प्राप्त होती है। मैं बताना चाहूंगा कि RUSA का गठन हमारे

(श्री कालीचरण सराफ)

प्रदेश में हो गया है, कौन्सिल का और 352 करोड़ रुपये 96 कालेलेज को 2-2 करोड़ रुपया, 4 संस्कृत कालेजेज को 2-2 करोड़ रुपया, 5 यूनिवर्सिटीज को, जिन्होंने NAAC की शर्तें पूरी कीं उनको 20-20 करोड़ रुपये और 2 नये इंजीनियरिंग कालेज खोलने के लिए 26-26 करोड़ रुपया, ऐसे 352 करोड़ रुपये सेंटर से हमारे प्रदेश को मिल गये हैं। (व्यवधान) एक मिनट, पूरी बात सुन लीजिये। प्लीज, एक बार सुन लीजिये। आरबीआरईएस शिक्षकों को सीएएस, कैरियर एडवांसमेंट स्कीम का लाभ नियमानुसार स्वीकृत करने की प्रक्रिया चल रही है।

जहां तक शेखावाटी यूनिवर्सिटी का सवाल है, आपने यह मामला उठाया, मुझे बड़ी खुशी हुई क्योंकि 2004 से 2008 के बीच में जब हमारी सरकार थी तो हमने तीन विश्वविद्यालय महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय, भरतपुर में खोला, राजऋषि भर्तृहरि विश्वविद्यालय हमने अलवर में खोला और पण्डित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय शेखावाटी में खोला। कितने आप चिंतित हैं इन विश्वविद्यालयों के प्रति कि हमारे खोलने के बाद जब आपकी सरकार आई तो 2008 से लेकर 2013 तक इन सब विश्वविद्यालयों को ठण्डे बस्ते में रखा और जाते-जाते झूठी वाहवाही लेने के लिए केवल वाइस चांसलर नियुक्त कर दिया। कोई बजटीय प्रावधान नहीं और विश्वविद्यालय खोल दिये। मैं बताना चाहूंगा कि हमारी सरकार आने के बाद, हमने गम्भीरता के साथ ये तीनों विश्वविद्यालय चालू हों, इसके लिए सबसे पहले तो इनका क्षेत्राधिकार तय किया। भरतपुर का जो ब्रज विश्वविद्यालय है, भरतपुर जिला और धौलपुर जिला, यहां की जितनी भी प्राइवेट और गवर्नमेंट की कालेजेज हैं, उनको हमने इसके साथ एफीलिएटेड किया। अलवर जिले की जितनी भी प्राइवेट और गवर्नमेंट की कालेजेज हैं, उनको हमने अलवर यूनिवर्सिटी के साथ एफीलिएटेड किया और सीकर और झुंझुनूं की जितनी भी कालेजेज हैं, उनको सीकर की शेखावाटी यूनिवर्सिटी के साथ एफीलियेटेड किया। (व्यवधान) तीनों जगह चारदीवारी का काम चल रहा है और भरतपुर में...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आप तो हमारे जिले के हो मंत्रीजी। वह 53 पद हैं, उनका क्या कर रहे हो? दो साल से लिये बैठे हो, 130 करोड़ की डिमांड है, वह क्यों नहीं दे रहे हो? यह बात करो।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): माननीय उपाध्यक्षजी, माननीय सदस्य बोल रहे हैं, इनको यही मालूम नहीं कि वाइस चांसलर ने पाठ्यक्रम नहीं बनाया। फर्स्ट ईयर की परीक्षा चालू हो गयी, तब तक सीकर की शेखावाटी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने पाठ्यक्रम ही नहीं बनाया।

श्री कालीचरण सराफ (उच्च शिक्षा मंत्री): आपकी शेखावाटी यूनिवर्सिटी की तकलीफ समझ में आती है। (व्यवधान) और आप देखिये कि हमने तीनों विश्वविद्यालयों में जो-जो क्षेत्राधिकार में हैं, उनके अण्डर में जो कालेजेज एफीलिएटेड किये हैं, उनकी प्रथम वर्ष की परीक्षा अब ये सम्बन्धित विश्वविद्यालय ही लेंगे।

जहां तक आपने 53 पदों के लिए कहा है, तो अभी क्योंकि परीक्षा का समय चल रहा है इसलिए हमारी पहली प्रायोरिटी परीक्षा है। परीक्षा होने के बाद...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आपको अनुमोदन देना है हुकुम, कुछ नहीं करना है।

श्री कालीचरण सराफ (उच्च शिक्षा मंत्री): नहीं, नहीं, सुनिये। जितने भी पद हैं, निश्चित रूप से उनको स्वीकृत किया जायेगा।

हमारे शंकरसिंह जी राजपुरोहित हैं, उन्होंने कहा कि लार्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति, काले अंग्रेज पैदा कर दिये तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1984 के बाद पहली बार राष्ट्र में केन्द्रीय सरकार है नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में, स्मृति ईरानी भी...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ये गलत बोले हैं काले-काले अंग्रेज। हम भी आपके साथ में है। ये काले-काले ऐसे थोड़े ही है। कालीचरणजी तो फिर भी बोल सकते हैं।

श्री कालीचरण सराफ (उच्च शिक्षा मंत्री): ...अब आप बैठ जाओ। स्मृति ईरानी हैं, उन्होंने शिक्षा पद्धति में किस प्रकार के आमूलचूल परिवर्तन हों, इसके लिए एक्सरसाइज प्रारम्भ की है और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जल्दी ही शिक्षा पद्धति में जिस-जिस प्रकार के परिवर्तन होने चाहिए, वह निश्चित रूप से होंगे। दूसरी, आपने चिंता जाहिर की है...

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): एक मिनट, रूको, सुनो। मेरा नाम ही नहीं लिया आपने। आप इनके लिए कह रहे हो, मेरे लिए तो नहीं कहा कि मैंने क्या कहा? इन्होंने यह कहा। मैंने क्या कहा, वह बताओ ना। आप इस तरह दुर्भावना से बोल रहे हो। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (उच्च शिक्षा मंत्री): आप बैठ जाओ। एक मिनट में पूरी बात कह लूं। फिर मैं बताऊंगा। (व्यवधान) और दूसरी बात आपने कही कि जेएनयू यूनिवर्सिटी में भारत विरोधी नारे लगे, देशद्रोही नारे लगे। देश भावना पैदा करने के लिए शिक्षा की डिमांड पर जब बात हो रही थी, मैंने कहा था कि हमने यह निर्देश दिया है कि सारी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को और प्रथम चरण में गवर्नमेंट के जितने भी कालेजेज हैं, सब तिरंगा झंडा फहरायेंगे अपने यहां। यह हमने तय किया है। इसके साथ-साथ हमने यह भी निर्देश दिये हैं कि युवाओं के प्रेरणास्रोत स्वामी विवेकानन्दजी की मूर्ति सभी विश्वविद्यालयों में और गवर्नमेंट के कालेजेज में जनसहयोग से लगायेंगे।

आपने कहा कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में छात्रसंघ के चुनाव होने चाहिए। आपका सुझाव बहुत बढ़िया है। इस पर हम विचार करेंगे और निश्चित रूप से फिजिबिलिटी देखकर इसको तय करेंगे। बाकी जो आपने वाइस चांसलर के बारे में कहा तो उसका जवाब मैं पहले दे चुका, इसलिए जवाब देना आवश्यक नहीं। मैं अनुरोध करूंगा कि...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आपने कहा यूनिवर्सिटी के छात्रसंघ के चुनाव के लिए, माननीय मंत्रीजी तो चुनाव लड़ नहीं पायेंगे। जो पढ़ता है, वह लड़ेगा तो फिजिबिलिटी की इसमें क्या बात है। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (उच्च शिक्षा मंत्री): मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि जनमत जानने के लिए जिन्होंने प्रस्ताव दिया है, वह अपना प्रस्ताव वापस लें और इस बिल को पारित करने की कृपा करें।

श्री उपाध्यक्ष: वैसे मंत्री महोदय, आप उच्च शिक्षा के भी मंत्री हैं। इस 'प्रोवोस्ट' पद का कोई हिन्दी शब्द भी है क्या?

श्री कालीचरण सराफ (उच्च शिक्षा मंत्री): किसका? क्या, मैं समझ नहीं पाया।

अच्छा, एक बात और मैं कहना भूल गया। आपने कहा था कि नेशनल, राष्ट्रीय शब्द हैं, प्रेसिडेंट है तो इनके बारे में हम एक इकजाई एक्ट लाकर, इनके सम्बन्ध में मैंने पहले भी आश्वासन दिया था। इस पर प्रक्रिया चल रही है, प्रोसेस में है। यह करके इसको हम निश्चित रूप से लायेंगे।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने के जो संशोधन प्रस्ताव श्री जोगाराम पटेल, श्री प्रहलाद

(श्री उपाध्यक्ष)

गुंजल, श्री फूलचन्द भिण्डा, श्रीमती मंजू बाघमार, श्री केसाराम चौधरी, श्री मान सिंह, श्री शंकरसिंह राजपुरोहित ने प्रस्तुत किये हैं, उन्हें वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने के संशोधन वापस लेने की अनुमति प्रदान की गयी।

प्रश्न यह है कि सांई तिरूपति विश्वविद्यालय, उदयपुर विधेयक, 2016 को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया जाए?

(अस्वीकृत)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि सांई तिरूपति विश्वविद्यालय, उदयपुर विधेयक, 2016 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डश: विचार।

खण्ड 2 से 47, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 47 स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 से 47 स्वीकार किये गये।

अनुसूची 1 एवं 2, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि अनुसूची 1 एवं 2 स्वीकार की जाएं?

(स्वीकृत)

अनुसूची 1 एवं 2 स्वीकार की गयीं।

खण्ड 1 – अधिनियमन सूत्र नाम आदि, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1-अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाए?

(श्री उपाध्यक्ष)

(स्वीकृत)

खण्ड 1-अधिनियमन सूत्र नाम आदि स्वीकार किया गया।

प्रभारी मंत्री।

विधेयक का पारण

श्री कालीचरण सराफ (उच्च शिक्षा मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि सांई तिरूपति विश्वविद्यालय, उदयपुर विधेयक, 2016 को पारित किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: कोई सम्माननीय सदस्य अगर...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मेरी तो इतनी-सी शर्त है कि इनको पदभार जल्दी दे दें शेखावाटी यूनिवर्सिटी वाला, और कोई दिक्कत नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि सांई तिरूपति विश्वविद्यालय, उदयपुर विधेयक, 2016 को पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

सांई तिरूपति विश्वविद्यालय, उदयपुर विधेयक, 2016 पारित किया गया।

डा. भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय, जयपुर (निरसन) विधेयक, 2016, प्रभारी मंत्री।

विधेयक पर विचार

डा. भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय, जयपुर (निरसन) विधेयक, 2016

श्री कालीचरण सराफ (उच्च शिक्षा मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि डा. भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय, जयपुर (निरसन) विधेयक, 2016 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: श्री जोगाराम पटेल।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने इस विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में जनमत जानने का अपना प्रस्ताव दिया है, उसे मैं वापस लेने की अनुमति चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री गोविन्द सिंह डोटासरा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, डा. भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय, जयपुर (निरसन) विधेयक, 2016 प्रस्तुत किया गया है, उस पर चर्चा कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से, सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि डाक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम से जिन्होंने संविधान का निर्माण किया... (व्यवधान) चिंता ही मत करो। यह राज आप वाला राज है ही नहीं। राज तो छोड़ा ही नहीं, इसलिए राव रह गया।

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): राज को राज ही रहने दो।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): अभी अपनी तो बात हो गयी ना 10 मिनट पहले। डा. भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय, जयपुर इस मंशा के साथ में शुरू किया गया था हमारी सरकार के द्वारा कि लोग कानून की शिक्षा ग्रहण करें, पढ़े-लिखें। अच्छे बैरिस्टर बनें, अच्छे जज बनें और आगे राजनीति में भी आयें तो पढ़-लिखकर अच्छे लोग आयें। इस उद्देश्य से एक बहुत अच्छा प्रयास हमारी सरकार के द्वारा किया गया था लेकिन अफसोस है, मैं कहना चाहूंगा उपाध्यक्ष महोदय, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है चाहे डाक्टर भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय हो, चाह हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय हो, चाहे बीकानेर की टैक्निकल यूनिवर्सिटी हो समीक्षा के नाम पर सबको बंद करने का काम किया और सवा दो साल बाद में इस विधेयक को वापिस निरस्त करने के लिए यह विधेयक लेकर के आए हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं यह परम्परा ठीक नहीं है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यूनिवर्सिटी खोलने के लिए कितने प्रयास करने पड़ते हैं, कितनी श्रम शक्ति, कितना समय लगाने के बाद में एक इतनी बड़ी इंस्टीट्यूट की प्रस्तावना बनती है, वह यूनिवर्सिटी आती है। प्रदेश के लोगों में यहां के विद्यार्थियों में भावना होती है कि हम वहां एडमिशन लेकर अच्छी शिक्षा ग्रहण करेंगे। लेकिन राजनीतिक दुर्भावना के साथ में और ऐसे महान व्यक्तित्व के धनी डाक्टर भीमराव अम्बेडकर को भी नहीं बख्शा इस सरकार ने और उनके नाम से जो विधि विश्वविद्यालय था उसको भी बंद करने का ये काम कर रहे हैं।

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहता हूं कि हम उच्च शिक्षा में गुणवत्ता किस प्रकार से लायें। आज हम देखते हैं सदन में जो लोग ला ग्रैजुएट हैं वह अपनी बात प्रभावी तरीके से रख पाते हैं और जो कम पढ़े लिखे लोग हैं वह राजनीति में तो आ जाते हैं। क्योंकि शिक्षा का कोई राइडर नहीं है लेकिन आने के बाद में जिस प्रकार से अपनी बात को करते हैं। कोई अधिकारी उनकी माने नहीं और उनके ऊपर एक छाप अलग जाती है कि इनको कुछ नहीं आता। मैं समझता हूं गुणवत्तापूर्ण अच्छी शिक्षा हो, कानून का ज्ञान हो इसके लिए आवश्यक था। आज हमारे जो सरकारी विधि महाविद्यालय हैं उनमें कोई ज्यादा अच्छी पढ़ाई नहीं हो रही है और उनमें सीटें भी सीमित हैं।

आज नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का कान्सेप्ट आया। आप देखिए जो हमारे लॉ कालेज थे उसके बाद में जब ये नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का कान्सेप्ट आया उसके बाद में जिस प्रकार की गुणवत्तापूर्ण कानून की पढ़ाई हमारे देश और प्रदेश में हो रही है। मैं समझता हूं उससे हमारे प्रदेश को, हमारे यहां के लोगों को लाभ भी मिला है। इसलिए इस प्रकार की राजनीतिक दुर्भावना से निर्णय नहीं होने चाहिए और हम इस विधेयक का विरोध करते हैं कि आप यह विधेयक पारित नहीं करें। डाक्टर भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय को निरस्त नहीं करे, इसको चालू रहने दें और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि जितने भी इंस्टीट्यूट हमारे समय चालू किए थे, आपने कई स्कूलें बंद कीं, यूनिवर्सिटीज बंद कर रहे हैं। हरिदेव जोशी पत्रकारिता यूनिवर्सिटी बंद की आपने चालू होने के बाद में, ये सारे बच्चों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ है। आपने जिस प्रकार चुनावों के दौरान अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात कही थी, पानी की बात कही थी, सड़कों की बात कही थी, रोजगार की बात कही थी, सारे के सारे वादे आपके खोखले रह गए हैं। जनता इतनी ज्यादा आक्रोशित है कि यह तो कानून में प्रावधान नहीं है माननीय उपाध्यक्ष महोदय मिड-टर्म पोल का, वर्ना तो अगर रिकाल का प्रोविजन हो तो इस सरकार में हम तो 21 थे, 24 हो गये अब और ये 14 भी नहीं आएंगे। उपाध्यक्ष महोदय, आप तो देखो महान हो, बुद्धिमान हो, अपने फील्ड में रहते हो। आपको मुझे कुछ नहीं कहना लेकिन मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि हम इस प्रकार की प्रथा को...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): आप यह बात माननीय उपाध्यक्ष महोदय से प्रभावित होकर के कह रहे हो या डर कर के कह रहे हो।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मैं तो प्रभावित होकर के कह रहा हूं। डर की कोई बात करता हूं तो केवल आपसे ही डर कर करता हूं। इसके अलावा मैं किसी से डरता नहीं हूं। क्योंकि आप मेरे बड़े भाई हो, मेरे मेडिकल कालेज दिया है। आपने तो कहा था कि मैं डांग के जोर पर स्वास्थ्य मंत्री था ले गया। लेकिन मैं भी आज आपको कहना चाहता हूं कि हम जेली के जोर के ऊपर आपसे छीन कर दुबारा पहले सीकर ले गए और हम पहले चालू करेंगे और आपकी चूरू वाली बाद में होगी और हो या नहीं हो, निरस्त भी हो सकती है। इसलिए मैं जनमत जानने के लिए निवेदन करना चाहता हूं और राजनीतिक दुर्भावना से इस प्रकार के इतने बड़े इंस्टीट्यूट बहुत मुश्किल से खुलते हैं। लोग आस भरी दृष्टि से उनको देखते हैं इसलिए इनको बंद नहीं करना चाहिए। मैं इसका विरोध करता हूं और इस विधेयक को जनमत जानने के लिए परिचालित करने का आग्रह करता हूं। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री शुभकरण चौधरी (अनुपस्थित)। श्री बृजेन्द्र सिंह ओला।

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (झुंझुनूं): माननीय उपाध्यक्ष जी, डाक्टर भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय, जयपुर (निरसन) विधेयक सरकार लेकर आई है उस पर मैं आपकी अनुमति से विचार प्रकट करूंगा। राजस्थान में हमने टेक्निकल यूनिवर्सिटी बनाई कोटा में और जितने भी कालेज आपके हैं उनको उससे एफीलियेटेड किया। इसी तरह से जयपुर में मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाई और जितने भी मेडिकल कालेज हैं, सिवाय उनके जो अपने आपमें विश्वविद्यालय हैं उनके साथ एफिलिएटेड किया। उसी उद्देश्य से इस विधि विश्वविद्यालय की स्थापना की गयी थी कि सब जो विधि विश्वविद्यालय हैं उनमें एक तरह का पाठ्यक्रम हो, उनमें गुणवत्ता आये, अच्छे स्टैण्डर्ड के ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करके लोग निकलें। आपको चाहिए तो यह था कि जिस तरह से पूना में लॉ यूनिवर्सिटी है, सिम्बोसिस ला इंस्टीट्यूट है उसकी तर्ज पर आप इसको सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाते लॉ की एजुकेशन में और फिर यह उस महान् विभूति के नाम से जुड़ा हुआ विश्वविद्यालय है जिन्होंने हमारे संविधान के निर्माण में बहुत बड़ा रोल अदा किया है। हमारे प्रधान

(श्री बृजेन्द्र सिंह ओला)

मंत्रीजी अभी आगरा गये थे कोई एक कार्यक्रम था और उन्होंने यह बात कही कि हम डाक्टर भीमराव अम्बेडकर के विचारों को आगे बढ़ाएंगे, हम उनको नई पहचान देंगे। हमारे इन विश्वविद्यालयों में कई जगह डाक्टर भीमराव अम्बेडकर चेयर की स्थापना की गयी है। उनके विचारों को और उनका जो सोच था उस पर वहां अध्ययन की व्यवस्था की गयी और उसी अनुरूप में आपको इस विश्वविद्यालय को निरसन या बंद करने की बजाय इसको एक अच्छे सेंटर के रूप में विकसित करके चलाना चाहिए था। माननीय कालीचरण जी सराफ साहब, यह जयपुर में खुल रहा था और आप जयपुर से चुनकर के आते हैं। ये सारी बात इस सदन के रिकार्ड में जाएगी कि आपके मंत्री होते हुए यह विधेयक लाया गया और इस विश्वविद्यालय को बंद किया जाएगा। आने वाली कई पीढ़ियां इस बात को देखेगी तो आपके लिए यह बात कोई शोभाजनक नहीं है। इसलिए मैंने जो प्रस्ताव जनमत जानने के लिए रखा है उसको प्रस्तुत करता हूं और डाक्टर भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय, जयपुर (निरसन) का जो विधेयक आप लाये हैं, इसका विरोध करता हूं। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री रमेश।

श्री रमेश (सपोटरा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, डाक्टर भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय, जयपुर (निरसन) विधेयक, 2016 के संदर्भ में आपने मुझे बोलने का मौका दिया उसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। राज्य सरकार ने जिस प्रकार सत्ता में आने के बाद कई महत्वपूर्ण फ़ैसलों को बदला और बदलने के फ़ैसले में अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय (निरसन) का जो निर्णय लिया है वह एक लोकतांत्रिक सरकार का नहीं हो सकता। फिर भी राजनीतिक कारणों से इन्होंने इसको निरस्त किया और इस क्रम में आपने नवम्बर, 2015 में डाक्टर भीमराव अम्बेडकर लॉ यूनिवर्सिटी को समाप्त करने का निर्णय लिया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं यह कहना चाहता हूं कि सूचना के अधिकार के अन्तर्गत प्राप्त सूचना के अनुसार यूजीसी ने 21 नंबर पर यह जानकारी दी कि केन्द्र सरकार या राज्य सरकार से फंड प्राप्त कोई भी यूनिवर्सिटी आज तक देश में बंद नहीं की गयी और यह देश की पहली ऐसी सरकार है जिसने किसी विश्वविद्यालय को समाप्त करने का निर्णय लिया और ऐसा आज से पहले कभी नहीं हुआ और बहाना बनाया कि उस विश्वविद्यालय के भूमि का आबंटन नहीं हुआ। तो राज्य

(श्री रमेश)

सरकार द्वारा क्या केवल भूमि का आबंटन नहीं हुआ इस आधार पर इतना बड़ा निर्णय लेना, इस सरकार की सोच और सरकार की मंशा पर सवाल पैदा करता है।

आज हमें आवश्यकता है राजस्थान प्रदेश को कि लॉ के क्षेत्र में हमारे विद्यार्थियों को अच्छी यूनिवर्सिटी, अच्छे संस्थान मिलें और उसके लिए हमारी सरकार को चिन्ता करनी चाहिए थी। फिर भी इन चीजों का विद्यार्थियों के भविष्य का ध्यान नहीं रखा। आज हमारे विद्यार्थी राज्य से बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं जबकि आने वाले समय में हमें एन्वायर्नमेंटल लॉ, इन्टेलेक्चुअल प्रापर्टी राइट्स, साइबर लॉ और अन्य क्षेत्रों में विशेषज्ञ विविधताओं की महती आवश्यकता है। इन्होंने इस लक्ष्य को पूरा नहीं करके इस यूनिवर्सिटी को समाप्त कर दिया तो आज हमारे विद्यार्थियों को राज्य से बाहर विधि सम्बन्धित जानकारी या शिक्षा लेने के लिए बाहर जाना पड़ रहा है। इतना महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट कह सकते हैं, महत्वाकांक्षी, उसको इस राज्य सरकार ने सिर्फ राजनीतिक द्वेषता के कारण बंद कर दिया और अब उसकी जगह लेकर आये हैं, जयपुर स्थित अम्बेडकर पीठ सेन्टर आफ एक्सीलेंस बनाकर वहां पर विद्यार्थियों को लॉ सुविधा देने की बात आपने जो कही है तो इससे साफ नजर आ रहा है कि एक विद्यापीठ और एक यूनिवर्सिटी में कितना फर्क होता है, यह भी आप लोग जानते हैं। क्योंकि सब विद्वान हैं तो जो आवश्यकता हमें यूनिवर्सिटी की है, आप एक विद्यापीठ से इसकी बराबरी कर रहे हो और आप चाहते हो कि इससे हमारा काम हो जाएगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार के समय पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने 2012 में एप्रोप्रियेशन बिल पर बोलते समय डा. भीमराव अम्बेडकर के विद्यालय की स्थापना की घोषणा की थी और उसके लिए दस करोड़ रुपये आबंटित भी किये। उसका उद्देश्य सिर्फ इतना ही था कि यहां पर स्नातक, स्नातकोत्तर की अच्छी शिक्षा मिले, उच्च शिक्षा मिले लॉ के प्रति, इससे सम्बन्धित जो कालेज थे अधिकांश यहां की यूनिवर्सिटी, 15 सरकारी कालेज, 43 निजी क्षेत्र के कालेज थे उनको भी लाभ मिलता, लेकिन सरकार ने एक ही बात, हठधर्मिता कहें कि जमीन नहीं कर पाये, समय पर उसको चालू नहीं कर पाये। तो उसको आप चालू कर देते। आपका नाम हो जाता। नाम बदल देते वो भी कोई बात नहीं थी। आप नाम बदल रहे हो, नाम बदलो, लेकिन उसको आगे बढ़ाओ इस प्रदेश के हित में इस राज्य के हित में

(श्री रमेश)

कि हमारी आने वाली पीढ़ी को लॉ से सम्बन्धित अच्छी शिक्षा मिलती, अन्य शिक्षाएं मिलतीं।

टेक्निकल यूनिवर्सिटी जो भी आप शिक्षा के क्षेत्र में लाना चाहते हो चाहे आईआईएम लाओ, आईआईटी लाओ, अन्य मेडिकल में लाओ चाहे इंजीनियरिंग में लाओ, चाहे लॉ में लाओ, आप अच्छी-अच्छी यूनिवर्सिटीज लाओ कोई दिक्कत नहीं है नाम बदलो। नाम आपका चलाओ लेकिन शिक्षा के प्रति आपकी मंशा साफ होनी चाहिए और जिस तरह से आपने ये निर्णय लिया कि इसको बंद कर दो। आपने उस समय डेपूटेशन पर पदों पर व्यवस्था भी की यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की और अन्य पदों पर भी लगाने की जो व्यवस्था को आगे बढ़ा रहे थे उसको आपने एकदम निर्णय लिया कि यह कांग्रेस सरकार का निर्णय है इसको समाप्त करना चाहिए। तो इस प्रकार मैंने पहले भी कहा कि सरकारें आती रहेंगी, सरकारें जाती रहेंगी और यहां जो सदन में बैठे हैं सब लोग यही सोचते रहेंगे कि काम इन्होंने किया है इसको बंद करना है। वो सरकार आएगी तो उस सरकार ने इस काम को किया है इसको बंद करना है। राज्य हित में जनता का हित कैसे होगा, जनता का विकास कैसे होगा, जनता को अच्छी शिक्षा कैसे मिलेगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, डा. भीमराव अम्बेडकर जिनके नाम से यूनिवर्सिटी थी, क्या इनको ऐसा लग रहा है कि डा. भीमराव अम्बेडकर का नाम था इसलिए बंद कर दिया। वैसे आप अभी 14 अप्रैल आएगा तो बड़े जोर-शोर से सरकारी स्तर पर भीमराव अम्बेडकर की जयंती को मनाया जाएगा और उनका नाम आते ही आपने इस यूनिवर्सिटी को बंद किया है। मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, डा. भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय, जयपुर (निरसन) विधेयक, 2016 का विरोध करता हूं और इसको जनमत जानने के लिए तीन माह के लिए परिचालित करने के लिए मेरा निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का जो संशोधन प्रस्ताव श्री जोगाराम पटेल, सदस्य ने प्रस्तुत किया है उसे वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का संशोधन प्रस्ताव वापस लेने की अनुमति प्रदान की गयी।

सारी। आप उत्तर देंगे।

श्री कालीचरण सराफ (उच्च शिक्षा मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे प्रतिपक्ष के कई माननीय सदस्यों ने जिस प्रकार से यहां पर अपनी बात प्रस्तुत की उससे ऐसा लगता है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर इनके ही नेता थे। ये कितने गम्भीर हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब इनकी सरकार थी तो 17 अक्टूबर, 2012 को गजट नोटिफिकेशन के जरिये डा. भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय की आप लोगों ने स्थापना की और इनकी गम्भीरता देखिये, इन्होंने कहा दस करोड़ रुपये सैंक्शन किये। अभी सपोटरा से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे, 2012-13 में जब गजट नोटिफिकेशन से इसकी घोषणा की तो आपने केवल 15,45,000 रुपये, कितने? 15,45,000 रुपये यूनिवर्सिटी के लिए स्वीकृत किये और 2013-14 में एक करोड़ छह लाख पचपन हजार रुपये आपने स्वीकृत किये और कितने गम्भीर थे ये विश्वविद्यालय बाबा साहब भीमराव के नाम से कि 17 अक्टूबर, 2012 को जिस विश्वविद्यालय की गजट नोटिफिकेशन से आपने घोषणा की उसमें जाते-जाते झूठी वाहवाही लेने के लिए 19 जून, 2013 को आपने कुलपति नियुक्त किया और इस विश्वविद्यालय में कोई स्थायी अधिकारी नहीं लगाया।

अभी आप बात कर रहे थे सीकर यूनिवर्सिटी में आपने यह नहीं किया, वो नहीं किया, आपने कोई स्थायी अधिकारी नहीं लगाया। या तो वहां जो अधिकारी अभी काम कर रहे हैं चार-पांच वो संविदा पर लगे हुए हैं या अन्य विभागों के अधिकारियों को अतिरिक्त भार दिया हुआ है और ये कितने गम्भीर थे कि ये जो इसका एडमिनिस्ट्रेटिव आफिस है, Administrative Office and Residence for Vice Chancellor have been taken on rent in 89, Royal house, Khawas Ji ka Baag, Durgapura. यानी दो कमरे में किराये पर बिल्डिंग लेकर ...(व्यवधान) सुनिये-सुनिये, एक मिनट। पूरी बात सुन लीजिये।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ...(व्यवधान) अंग्रेजी में लिखा हुआ है कि रोमन में? वो तो बता दो। ये जो लिखा हुआ है जिस अधिकारी ने लिखकर दिया है उसके खिलाफ कल एक्शन लेना अंग्रेजी में लिखा हुआ है कि रोमन में थोड़ा। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (उच्च शिक्षा मंत्री): मतलब वाइस चांसलर का रेजीडेंस भी वही है और विश्वविद्यालय भी वही है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): कमरे दो हैं।

श्री कालीचरण सराफ (उच्च शिक्षा मंत्री): और कमरे दो हैं। दस करोड़ रुपये कहां आये? कुछ तो शर्म करो।

श्री उपाध्यक्ष: मंत्री महोदय, नैनो टैक्नोलोजी का जमाना है।

श्री कालीचरण सराफ (उच्च शिक्षा मंत्री): हां, यही तो। इन्होंने केवल और केवल जिस प्रकार ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गयी तो आरक्षण समाप्त हो जाएगा। अटल बिहारी वाजपेयी इस देश के 6 साल प्रधानमंत्री रहे आरक्षण को किसी ने समाप्त नहीं किया और जब नरेन्द्र जी मोदी बन गये तो फिर वो ही रटारटाया। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो आरक्षण दिया उसको समाप्त कर दिया जाएगा। कहां हुआ? और अब तो आदरणीय नरेन्द्र जी मोदी ने ...(व्यवधान) आप बीच में मत बोलिये।

श्री रमेश (सपोटरा): शिड्यूल्ड कास्ट के सदन में 32 विधायक हैं, कोई कैबिनेट मिनिस्टर है क्या? और अभी भी 20-25 विधायकों ने मांग की थी मुख्य मंत्रीजी विश्वविद्यालय ...(व्यवधान) आपके सत्ता पक्ष के भी हैं ...(व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (उच्च शिक्षा मंत्री): ...(व्यवधान) आपका तो एक भी जीत कर नहीं आया, अगली बार और देखना कहीं नाम ही नहीं आयेगा।

श्री कालीचरण सराफ (उच्च शिक्षा मंत्री): आप विराजिए, आप बैठो। यह अनुसूचित जाति में कितने लोकप्रिय हैं कि जो 26 अनुसूचित जाति के माननीय सदस्य चुन कर आते हैं...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): यह तो मान गये न आप कि हमें रोकने के लिये दो-दो सचेतक और मुख्य सचेतक ...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: 26 नहीं 31 हैं बीजेपी से।

श्री कालीचरण सराफ (उच्च शिक्षा मंत्री): 25 में से दुर्भाग्य से अनुसूचित जाति के जो तथा कथित खैरख्वाह बनना चाहते हैं एक भी विधायक नहीं जीता। एक अब जीता है, वह भजन लाल जी जाटव अब जीते हैं, बाई इलेक्शन में जीते हैं। आप देखो यह कितने गम्भीर हैं कि विश्वविद्यालय की इन्होंने स्थापना कर दी, न तो उसके लिये जमीन आबंटित की, न उसका क्षेत्राधिकार तय किया, न ही पाठ्यक्रम तय किया और विद्यार्थियों का तो आज तक ही अता पता नहीं है। बताओ कितने विद्यार्थी हैं इसमें? यानी विश्वविद्यालय 2012 में गजट नोटिफिकेशन से आपने किया और उसमें आज तक एक भी विद्यार्थी नहीं है। जिस व्यक्ति ने संविधान का निर्माण किया, समाज सुधारक के रूप में जिनकी ख्याति है, सामाजिक

(श्री कालीचरण सराफ)

समरसता के जो प्रतीक हैं, देश के प्रेरणा स्रोत हैं ऐसे महान व्यक्तित्व को केवल कागजी विश्वविद्यालय बनाकर आप लोगों ने जो सस्ती वाहवाही लूटने का काम किया, इससे ज्यादा दुर्भाग्यजनक बात नहीं हो सकती। इसलिए 2013 में माननीय मुख्य मंत्रीजी के निर्देश पर एक मंत्रीमण्डलीय उप समिति बनी और हमने यह तय किया कि इस प्रकार का कागजी विश्वविद्यालय नहीं चलना चाहिये। इसके साथ-साथ मैं आपको यह बताना चाहूंगा, सपोटरा से आने वाले हमारे माननीय विधायक ने थोडा सा अम्बेडकर पीठ का जिक्र किया। मैं आपको बताना चाहूंगा कि डा. अंबेडकर जी के नाम से एक अन्तरराष्ट्रीय स्तर का संस्थान हो और उनके जीवन के ऊपर शोध हो, उनके विचारों का प्रचार-प्रसार हो जिससे समाज में समरसता का समावेश हो। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वह करती है, जो करती है वह कहती है। हम महापुरुषों के नाम का उपयोग केवल सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिये नहीं करते और जनता को गुमराह करने के लिये, वोट लेने के लिये भी नहीं करते। हम तो वास्तव में उनके जीवन चरित्र से प्रेरणा प्राप्त करने के लिये शैक्षणिक संस्थानों का नामकरण करते हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि 2003 से 2008 के बीच में जब हमारी सरकार थी तो अम्बेडकर जी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर कार्य करने के लिये डा. बी.आर. अम्बेडकर पीठ की स्थापना की थी। इस पीठ के उद्देश्य थे बाबा साहब के चिंतन एवं कृत्यों पर शोध के लिये छात्रवृत्ति प्रदान करना। विभिन्न सेमीनारें आयोजित करना। सामाजिक, आर्थिक असमानता एवं भेदभाव का निराकरण करना। अनुसूचित जाति और जनजातियों की समस्याओं को समझकर उनका समाधान करना और उनके विकास की योजना तैयार करना। बाबा साहब के विचारों एवं अवधारणाओं पर गहन अध्ययन के लिये केन्द्र बनाना और डा. अम्बेडकर जी के योगदान को राष्ट्रीय एवं अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तुत करना। इतना ही नहीं इसके साथ क्षेत्रीय, राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय सहयोग से विभिन्न संस्थाओं व संगठनों एवं अकादमियों का सहयोग लेकर एक ऐसा केन्द्र बनाना और अध्ययन एवं शोध की सहायता से अम्बेडकर जी के विचारों को समझने और शैक्षणिक सृजनात्मक एवं साहित्यिक गतिविधियों को विकसित करने और सहायता प्रदान करना। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस पीठ का उपयोग डा. अम्बेडकर जी के विचारों एवं अवधारणाओं को जो कि अनुसूचित जाति एवं

(श्री कालीचरण सराफ)

अनुसूचित जनजाति वर्ग की महिलाओं से सम्बन्धित सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक सुधारों से सम्बन्धित भी हो, का मीडिया के माध्यम से प्रचार प्रसार कर सामाजिक न्याय के राष्ट्रीय लक्ष्य को भी प्राप्त करने का इनका उद्देश्य था। परन्तु आप दुर्भाग्य देखिए कि हमारी सरकार ने ग्राम मूंडला तहसील जमवरामगढ़ में 75 बीघा जमीन इस पीठ के लिये आबंटित की और 2 करोड़ 15 लाख रुपये लगाकर, वित्तीय प्रावधान करके 35 कमरों का भवन भी तैयार किया और माननीय मुख्य मंत्रीजी ने हजारों लोगों की उपस्थिति में उसका लोकार्पण किया। आपने 15 लाख रुपये देकर 10 करोड़ रुपये की घोषणा, 15 लाख रुपये तो एक साल में दिये और एक करोड़ दूसरे साल में। विश्वविद्यालय बनायेंगे, विश्वविद्यालय कागजों में बनता है। आपने क्या किया कि 75 बीघा भूमि पर 35 कमरों का 2 करोड़ 15 लाख रुपये के वित्तीय प्रावधान के साथ जो हमने भवन बनाया था उसमें लोग टाइल उखाड़ कर ले गये। बिल्डिंग की खिड़कियों के दरवाजे नहीं हैं। दरवाजों के किवाड़ उतारकर ले गये ...(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): दरवाजों के किवाड़ कौनसे होते हैं, यह तो बता दो।

श्री कालीचरण सराफ (उच्च शिक्षा मंत्री): अम्बेडकर पीठ को ठंडे बस्ते में डाल दिया और अम्बेडकर जी के नाम से केवल अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों को गुमराह करके वोट लेने का तथाकथित प्रयास करते हैं ...(व्यवधान) जैसा मैंने पहले कहा कि अमबेडकर जी के आदर्शों को जन-जन तक पहुंचाने के लिये जो काम हमने अम्बेडकर पीठ का उस समय किया था अब उस बिल्डिंग का पुनर्निर्माण कर रहे हैं। जो खिड़कियां और दरवाजे उतार कर ले गये थे हमारे माननीय प्रतिपक्ष के लोगों की लापरवाही के कारण, उनको दुबारा लगा रहे हैं। जो टाइल उखाड़ कर ले गये थे, उसको दुबारा कर रहे हैं और उस भवन को पूरा सुसज्जित करके ...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): राठौड़ साहब, नजर लगाओगे क्या उच्च शिक्षा मंत्रीजी के, कितना शानदार बोल रहे हैं आप इनकी तरफ तिरछी नजरों से देख रहे हो, नजर मत लगा देना।

श्री कालीचरण सराफ (उच्च शिक्षा मंत्री): सुनिए, सुनिए। मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आने वाली 14 अप्रैल, 2016 को वहां जिस प्रकार पहले

(श्री कालीचरण सराफ)

हमने हजारों नागरिकों के साथ इसका लोकार्पण किया था उसी प्रकार से इस पुनर्जीवित अम्बेडकर पीठ का पुन: लोकार्पण आदरणीय मुख्य मंत्रीजी ग्राम मूंडल के 75 बीघा जमीन पर 35 कमरे 2 करोड़ 15 लाख रुपये के साथ जो बनाया है, उसका दुबारा लोकार्पण करेंगे। आप सब प्रतिपक्ष के नेता भी वहां आमंत्रित हैं कि आप लोग आइए और अम्बेडकर जी के प्रति अपनी भक्ति दिखाइए, धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि डा. भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय, जयपुर (निरसन) विधेयक, 2016 को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाये? (व्यवधान) वैसे मैं प्रतिपक्ष के सचेतक महोदय को यह कहना चाहता हूं कि कई-कई बार वह आपसे प्रभावित हो जाते हैं। मैं पुन: दोहरा रहा हूं कृपया सब कान खोलकर, एकाग्रचित होकर।

प्रश्न यह है डा. भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय, जयपुर (निरसन) विधेयक, 2016 को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाए?

(अस्वीकृत)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि डा. भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय, जयपुर (निरसन) विधेयक, 2016 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डश: विचार। खण्ड 2, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 स्वीकार किया गया।

खण्ड 1-अधिनियमन सूत्र, नाम आदि, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1-अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड 1-अधिनियम सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

(श्री उपाध्यक्ष)

प्रभारी मंत्री।

(व्यवधान) प्रस्ताव तो करने दीजिए। आप बोलेंगे तब न ये प्रस्ताव करेंगे वर्ना आप किस पर बोलेंगे। (व्यवधान)

विधेयक का पारण

श्री कालीचरण सराफ (उच्च शिक्षा मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि डा. भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय, जयपुर (निरसन) विधेयक, 2016 को पारित किया जाए।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): एक मिनट बोलूंगा साहब। माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपको थोड़ा इतिहास की तरफ ले जाना चाहता हूं। माननीय भैरोंसिंह जी जब मुख्यमंत्री थे तो एक साथ नौ लॉ कालेज खोले थे और जब कांग्रेस सत्ता में आई, उसमें से पांच बंद कर दिए गये। लॉ की जो चिंता कर रहे हैं उनकी बात कर रहा हूं। इतना ही नहीं, जो लॉ कालेज चालीस-चालीस साल से थे उनको अस्थाई करके उनकी मान्यता खतम कर दी थी। उसके बाद बी.जे.पी. आई तब पंद्रह कालेजों को दोबारा मान्यता दी गई। ऐसी स्थिति..। ये चिंता कर रहे हैं, अम्बेडकर जी के नाम पर संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि उनके विचार को पहुंचाने वाला विषय महत्वपूर्ण है या दीवार पर नाम लिख देना महत्वपूर्ण है। इस कारण से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमने हकीकत में उनके विचारों को पहुंचाने के लिए विद्यापीठ की स्थापना की है वो महत्वपूर्ण है।

श्री उपाध्यक्ष: श्रीमती शकुन्तला रावत।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): उपाध्यक्ष महोदय, जब भी कोई सवाल करते हैं तो मंत्रीजी का जवाब यही आता है कि जी नहीं, अभी वित्तीय संसाधन उपलब्ध नहीं हैं। तो उपाध्यक्ष महोदय, मेरा अनुरोध है कि हम इनको बानसूर तहसील में जमीन भी देंगे और दानदाता के द्वारा बिल्डिंग भी बनाकर के देंगे तो मंत्री महोदय क्या आज भीमराव जी के नाम से 14 अप्रैल के उपलक्ष्य में बानसूर में कालेज की घोषणा करते हैं और नाम के लिए जैसा कह रहे थे कि नाम तो शायद जितने आपने राजस्थान में पुतवाए हैं और किसी ने नहीं पुतवाए। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: पूरणमल जी सैनी।

श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी): आज सदन में डा. भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय, जयपुर (निरसन) विधेयक, 2016 पारण की ओर है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि इस बिल को लाने के उद्देश्यों और कारणों के कथन में माननीय शिक्षा मंत्री महोदय के विभाग के अधिकारियों ने प्रथम पंक्ति में लिखा है और दर्शाया गया है कि राज्य के समस्त विधि महाविद्यालयों को एक ही विश्वविद्यालय से सम्बद्ध करने के उद्देश्य से 'डा. भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय, जयपुर अधिनियम, 2012 (2012 का अधिनियम की संख्या 30)' द्वारा, जो दिनांक 17.10.2012 को प्रकाशित हुआ था और डा. भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय, जयपुर की स्थापना की गई थी। जब नई सरकार ने शपथ ग्रहण की तब उसके तुरन्त बाद पूर्ववर्ती सरकार द्वारा उनके कार्यकाल के अंतिम छह माह में लिये गये विनियमों को पुनर्विलोपित करने के लिए एक मंत्रिमंडलीय उप समिति गठित की गयी थी, जिसने डा. भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय, जयपुर को बंद किए जाने की अभिशंसा की।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार तो जो भी होगी वह बिल लाएगी, आवश्यकता पर बिल आएंगे और आवश्यकता पर ही किसी संस्था को खोलने के लिए विचार किया जाएगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब कांग्रेस की सरकार ने इस बात को आवश्यक समझा, हो सकता है कि इनके कार्यकाल के अंतिम समय में इन्होंने ऐसा सोचा। ये बिल लेकर आए और इन्होंने डा. भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय के नाम से स्थापित कर दिया। अभी-अभी माननीय मंत्री महोदय ने बताया है कि कांग्रेस की सरकार ने केवल बोर्ड लगाकर कागजों में विश्वविद्यालय खोल दिया और न ही वहां कुलपति लगाया गया।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि ठीक है कांग्रेस सरकार के पास बजट की उपलब्धता नहीं थी और आपने बिना किसी कारण बताये केवल और केवल मंत्रिमंडलीय उप समिति के प्रस्ताव मात्र से, मैं जानना चाहूंगा कि जो उप समिति का गठन किया गया, उस उप समिति ने कितनी बार उसका सर्वे किया? कितनी बार उसका आकलन किया कि इसमें लास है या प्रोफिट है? ये अनुपयोगी है कि उपयोगी है? किस प्रस्ताव के द्वारा, किसी मीटिंग के माध्यम से मंत्रिमंडलीय उप समिति ने यह फैसला करके इनको यह कागज दिया कि वास्तव में इसको बंद किया जाना चाहिए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसमें एक बहुत बड़ी बात है और इसमें कोई दोराय

(श्री पूरणमल सैनी)

भी नहीं है, यह बात मुझे अक्षरशः और शब्दशः स्वीकार है कि कांग्रेस की सरकार ने बिना बजट के प्रावधान के डा. भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय खोल दिया, जो कागज मात्र में रहा। तो आपको कौन मना कर रहा है? आपने जो कारण बताये हैं, उसमें केवल एक कारण यह बताया विधि विश्वविद्यालय को इसलिए वहां से हटाया जा रहा है कि सारे विधि महाविद्यालयों को एक ही विश्वविद्यालय के लिए अधिकृत किया जाएगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से प्रश्न करना चाहूंगा क्या यह भी जयपुर में ही था? डा. भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय भी जयपुर में ही स्थापित था तो फिर क्यों नहीं, जब बजट का प्रोविजन आप दूसरी जगह के लिए करने जा रहे हो और हम लोगों को इस बात के लिए खुश करना चाह रहे हैं। जो आलरेडी स्थापित था और कांग्रेस सरकार की गलती रही कि उन्होंने बजट का प्रावधान नहीं किया उसमें कमी-खामी नहीं थी। केवल और केवल इनका उद्देश्य तो यह था एक ही विश्वविद्यालय के नीचे सारे विधि महाविद्यालयों का रजिस्ट्रेशन फर्मायाा जाएगा। तो फिर मैं जानना चाहूंगा कि डा. भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय में कौनसी कमी थी? बजट की, क्या आपके पास पावर नहीं है? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन बातों में मुझे लग रहा है कि सरकार की मंशा वास्तव में विधि महाविद्यालय, विश्वविद्यालय इनको चलाना है, लेकिन केवल और केवल बाबा साहब बी.आर. अम्बेडकर का नाम मिटाने के लिए इन्होंने यह किया है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप बार-बार इस बात को कहते हैं, माननीय शिक्षा मंत्रीजी कहते हैं और आरोप लगाते हैं कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्यों की तरफ हाथ करते हुये या अंगुली करते हुए कि आपने यह नहीं किया, यह नहीं किया। मान लिया कि इन्होंने कुछ नहीं किया और जिसका परिणाम यह भोग रहे हैं तो मैं आप लोगों से निवेदन करना चाह रहा हूं कि आप जब विधि विश्वविद्यालय चलाना चाह रहे हो तो अपना जवाब देते समय माननीय मंत्री महोदय इस बात को भी सदन के संज्ञान में लायें कि जब विधि विश्वविद्यालय आपको चाहिए और वो जयपुर में चाहिए तो फिर उसी को इन्होंने क्यों नहीं रख लिया?

दूसरा, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इतने अलंकारों से माननीय मंत्री महोदय अभी बाबा साहब बी.आर. अम्बेडकर को सुशोभित कर रहे थे और

(श्री पूरणमल सैनी)

साथ ही पिछले दिनों उनकी 125वीं जयंती पर इस देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी भी नतमस्तक थे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यह लग रहा है कि जैसे इन्होंने इस बार लाभ लिया, अभी लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि आपको फायदा मिल गया लेकिन आप बताओ कि इनको कहां तवज्जोह दे रहे हैं? जब 31-32 मैम्बर आपके पक्ष में जीतकर आए, ठीक है। इन्होंने एस.सी. के लोगों का ध्यान नहीं रखा। बाबा साहब को मानने वालों का ध्यान नहीं रखा तो इन्होंने खामियाजा भोग लिया और इस बात को मैं भी कहना चाहूंगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसमें कोई संदेह नहीं है कि कांग्रेस पार्टी ने, अब जब बार-बार सदन में यह बात भी आ रही है कि आरक्षण इन्होंने दिया, इन्होंने दिया। कांग्रेस पार्टी ने लगातार 69 वर्ष की आजादी के बाद इस वोट को जो बहुमत में ज्यादा है, केवल कहते हुए इन्होंने आरक्षण अपना दिया हुआ बताया कि आपको आरक्षण कांग्रेस की पार्टी ने दिया है और "Awareness is the important thing for life, business and the politics". यह लोग क्षेत्र में गये और जाकर हमारे उन नासमझ लोगों को यह समझाया कि आप लोगों को आरक्षण दे दिया और क्या चाहिए? यह कहकर 70 प्रतिशत राज इस देश में कांग्रेस पार्टी के लोगों ने किया। क्या उसी तर्ज पर आप भी केवल और केवल? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उपयोग कैसे किया? उपयोग करने का इनका एक बहुत अच्छा तरीका था। हर पांच वर्ष बाद देश के, प्रदेश की विभिन्न विधान सभा क्षेत्रों में, जिलों में बी.पी.एल. का सर्वे करवाकर

(20.00 बजे)

और उनके माध्यम से जो भी बिलो पावर्टी लाइन के नीचे जीवन यापन करते हैं उनकी सूचियां मंगवाईं। उन सूचियों के लोगों के लिये फायदा क्या देते थे, 180 वर्ग फुट का। अगर मकान विहीन आदमी है, बी.पी.एल. का तो उसको 180 वर्ग फुट की छत और मासिक रूप से उनको 35 किलो गेहूं, दो रुपये किलो की दर से उपलब्ध करवाना। इन चीजों को, बाबा साहब डा. बी.आर. अम्बेडकर साहब को मानने वाले लोगों ने भी सहर्ष स्वीकार किया कि कांग्रेस के लोग अच्छा कर रहे हैं। इन्होंने उपयोग किया। लेकिन मैं अब आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अब की बार समझ पैदा करके बाबा साहब बी.आर. अम्बेडकर के मानने वालों ने जब कांग्रेस से पिंड छुटाना शुरू कर दिया तो क्या हमारा उपयोग अब आप करेंगे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह देश हजारों वर्षों से गुलामी में रहा। जब यह देश गुलामी की जंजीरों से बाहर

(श्री पूरणमल सैनी)

निकला, मैं निवेदन करना चाहूंगा, कोई आरोप नहीं लगाते हुए, इस देश में चार वर्ग, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और शूद्र वर्ग की जातियों के लिये, लग रहा है माननीय शिक्षा मंत्रीजी की भाषा से भी कि वास्तव में उपयोग करने वाली बात करते हैं और हम लोगों को बहुत बड़े सब्ज-बाग़ दिखा-दिखा कर करते हैं। इनकी नीति में, वैसे तो मैं मांग करना चाहूं, कांग्रेस की तरह तो मेरा क्लेम नहीं बनता, लेकिन मेरा एक छोटा-सा सवाल है माननीय मुख्य मंत्री महोदया से, अगर आप वास्तव में हमें उस दृष्टि से देखना चाहते हो, आज इस विधान सभा में 200 माननीय सदस्यों में से कोई भी समाज का इतना बड़ा बहुमत जीत कर नहीं आया जो केवल बी.जे.पी. के साथ है। अगर आप इनको सम्मान देना चाहते हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की भावनाओं की कद्र करना चाहते हैं, इन्होंने आरक्षण के लिये बार-बार लड़ाई लड़ी, और जिनकी मानसिकता, जिनकी भावनाओं और क्रियाकलापों से आपको उस आरक्षण का फायदा आज इस प्रदेश की विधान सभा में मिल रहा है, तो फिर आप क्या देना चाह रहे हो इनको।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि लूटने की बारी, पहले लूटा कांग्रेस ने, अब लूटना चाह रहे हो आप। जो यह विधेयक लाया गया है यह बाबा साहब डा. भीमराव अम्बेडकर को मानने वाले लोगों के साथ कुठाराघात है। मैं अगर आब्जेक्शन भी करूं, लेकिन मेरे आब्जेक्शन और आपत्ति कर देने से, क्योंकि इस देश में बहुमत का राज है, इस सदन में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों का बहुमत है तो यह निश्चित रूप से इसको पारित करेंगे। लेकिन अगर हमारी भावनाओं से इस बात को पूछा जाये कि जो कुछ भी मिला, थोड़ा नाम से, आप कहना चाहेंगे कि नाम से क्या फर्क पड़ता है। सवाल हो सकता है, माननीय सदस्यों के माइण्ड में, तो मैं उसके लिये निवेदन करना चाहूंगा और बाबा साहेब का एक स्लोगन भी यहां प्रस्तुत करना चाहूंगा। उन्होंने कहा है कि जिस व्यक्ति को अपने समाज के इतिहास का ज्ञान नहीं होता वह व्यक्ति जीवन में कभी उन्नति नहीं कर सकता।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब किसी की प्रतिमा लगी दिखाई देती है और इतिहास को पढ़ते हैं तो उनके क्रियाकलापों से ऊर्जा मिलती है। वैसे ही उनके नाम से अगर कोई संस्था चल रही है तो ऊर्जा मिलती है और जब व्यक्ति को ऊर्जा मिलती है तो ताकत आती है और ताकत से राज आता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह केवल इस विधि विश्वविद्यालय से ही नाम

(श्री पूरणमल सैनी)

नहीं हटा रहे, बल्कि हम लोगों को, हम ताकत में नहीं आयें, इसके लिये पहले कांग्रेसियों ने लगातार 67 वर्ष तक व्यवस्थाएं दीं और अब बी.जे.पी. ने वही काम कर लिया। (व्यवधान) सही है, सही है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों से मैं निवेदन करना चाहूंगा, आपके माध्यम से आप देख लीजिये कि इस देश में जब वोट का राज आया आजादी के बाद, और वोट का पता है कि जिसके पक्ष में संख्या चाहे एक ही ज्यादा निकले प्रतिद्वंदी से, वह विजयी होकर विभिन्न सदनों में राज करता है, तो फिर संख्या के बल का हुआ। अगर हम संख्या का गुणा-भाग करें तो आप देख सकते हैं कि इस देश में, मैं पहले भी निवेदन कर चुका हूं कि चार वर्ग थे और चौथा वर्ग, जिसकी संख्या, पापुलेशन 82 प्रतिशत इस देश और प्रदेश में है, लेकिन हम लोगों को इस तरह से बांट के, जिस तरीके से अब बी.जे.पी. से जीत कर आने वाले दूसरे माननीय सदस्यों को इतना बड़ा भय है, इतना बड़ा अन्याय, मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। माननीय, आपके आसन की कोई व्यवस्था दी हुई है, जब मैं इस सदन में जीत कर आया तो यहां जो भी कमेटियां हैं, उसमें एक कमेटी का मुझे भी मैम्बर बनाया गया था। कुछ दिन पहले, उसके सभापति, शिक्षा मंत्री माननीय देवनानी साहब थे। उनका मंत्रिमण्डल विस्तार में नम्बर आ जाने से उस कमेटी का सभापति माननीय हीरालालजी को बनाया गया। हीरालालजी रहे, और बिना किसी बात को बताये इसी सरकार के द्वारा माननीय बंसल साहब को उसका सभापति बना दिया गया। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): हमारे विधान सभा के अध्यक्ष हैं एस.सी. के। आपको मालूम ही नहीं है, विधान सभा के अध्यक्ष हैं एस.सी. के। (व्यवधान)

श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कहना जो चाह रहा हूं वह सुनिये ना। मैं कभी भी किसी को डिस्टर्ब नहीं करता हूं, प्लीज, माफी चाहूंगा। मैं निवेदन करना चाहूंगा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर यह समानता और सम्मान देने की बात करते तो आप भी माननीय सदस्य बी.जे.पी. से ही जीत कर आये थे। क्यों इनके साथ ऐसा किया गया।

श्री उपाध्यक्ष: एक मिनट, आप विराज जायें। जहां तक पार्लियामेंट्री कमेटीज की बात होती है, मैं आपकी भावनाओं की कद्र करता हूं, आसन आपकी भावनाओं की कद्र करता है लेकिन आपसे यह भी निवेदन करता है कि कमेटियों की चर्चा और कमेटियों के गठन की चर्चा सदन में नहीं होती।

श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी): सारी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बात के माध्यम से निवेदन यह करना चाह रहा था कांग्रेस ने जैसे हमारे साथ समानता का व्यवहार किया, वैसे ही बी.जे.पी. भी कर रही है। चाहे यह मंत्रिमण्डल के विस्तार में किसी अनुसूचित जाति के आदमी को लें, नहीं लें। (व्यवधान) मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। राजस्थान प्रदेश में बाबा साहब बी.आर. अम्बेडकर को मानने वाले लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है और उनकी भावनाओं पर इस बिल को लाकर डाक्टर भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय को बंद करके बहुत बड़ा कुठाराघात किया जा रहा है। अगर कोई कारण बनता तो हमको, बाबा साहब को मानने वाले लोगों को भी यह बात स्वीकार होती। लेकिन इसमें कोई कारण नहीं बन रहा। केवल और केवल सबको मर्ज करके एक विधि विश्वविद्यालय के नीचे लगाया जाना है तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि क्यों नहीं बाबा साहब डा. भीमराव अम्बेडकर के नाम से जो पूर्व में, 2012-13 में स्थापित विधि विश्वविद्यालय है, उसी के नीचे सब महाविद्यालयों को लगाया जाये। इतना ही सब कुछ कहते हुए मैं अंत में कहना चाहूंगा, मेरी तरफ से और हम बहुजन समाज पार्टी के मानने वाले लोगों की तरफ से कि इस बिल के पक्ष में हम नहीं हैं, इसका निरसन नहीं किया जाना चाहिये, महाविद्यालय का। आपने समय दिया इसके लिये आभार, धन्यवाद। (व्यवधान)

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): नाम रखा जाये। डा. भीमराव अम्बेडकर का नाम लिखा जाये, किसी भी विश्वविद्यालय पर लिखा जाये।

श्री कालीचरण सराफ (उच्च शिक्षा मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बाब साहब भीमराव अम्बेडकर जैसे महान समाज सुधारक और विचारक को यह कहकर कि हम उनके मानने वाले और बाकी उनको नहीं मानने वाले हैं,... (व्यवधान) बीच में मत बोलिये, कृपा करके उनको इतना संकुचित मत करिये। आपने कहा कि विधि विश्वविद्यालय में उनका नाम हटा दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज के समय में बाबा साहब अम्बेडकर के सिद्धान्तों को लोगों के बीच में प्रचारित, प्रसारित करना ज्यादा आवश्यक है कि केवल बोर्ड पर उनका नाम लिखना सार्थक है? विधि विश्वविद्यालय अभी हम नहीं बना रहे। विधि विश्वविद्यालय कोई दूसरे नाम से नहीं बना रहे। विधि विश्वविद्यालय की अभी कोई प्रासंगिकता नहीं है। सेण्ट्रल आफ एक्सीलेंस, एक अन्तरराष्ट्रीय स्तर की पीठ बाबा साहब के नाम से बने, इसलिये 75 बीघा जमीन पर 35

(श्री कालीचरण सराफ)

कमरों के साथ, दो करोड़ रुपये लगा कर अम्बेडकर पीठ की स्थापना हमने की है और मैं आमंत्रित करता हूं कि 14 अप्रैल को, आदरणीय अम्बेडकर साहब की जयन्ती के अवसर पर आप भी वहां पधारें और क्या हमारा सोच है, क्या हमारा उद्देश्य है, किस प्रकार की पीठ हम स्थापित करना चाहते हैं, वह देख करके फिर आप बताना कि विश्वविद्यालय का बोर्ड लगाना केवल पर्याप्त है, या उनके विचारों का प्रचार-प्रसार करना आवश्यक है। उसके बाद आप कहें तो यह ज्यादा ठीक रहेगा।

श्री रामचन्द्र (डग): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बोलना चाहता हूं।

श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी): अनुमति हो तो, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सर? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: क्या होगा, अगर एक मिनट आप सब विराज जाएं। जिस रीडिंग पर यह बिल है न, आपके बोलने से क्या होगा? इसका अब जो निहित अंजाम है न वह होगा।

श्री कालीचरण सराफ (उच्च शिक्षा मंत्री): चलिए करिए।

श्री उपाध्यक्ष: इसलिए और कई अवसर मिलेंगे, आप अपनी भावनाओं को ऐसे तरीके से व्यक्त करिए कि आपकी भावनाओं की कद्र भी हो और निश्चित अंजाम तक भी पहुंचे।

प्रश्न यह है कि डा. भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय, जयपुर (निरसन) विधेयक, 2016 को पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

डा. भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय, जयपुर (निरसन) विधेयक, 2016 पारित किया गया।

विधेयक पर विचार

राजीव गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय, उदयपुर (नाम और मुख्यालय परिवर्तन और संशोधन) विधेयक, 2016.

प्रभारी मंत्री।

श्री कालीचरण सराफ (उच्च शिक्षा मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजीव गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय, उदयपुर (नाम और मुख्यालय परिवर्तन और संशोधन) विधेयक, 2016 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: श्री जोगाराम पटेल।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस विश्वविद्यालय पर मैंने जनमत जानने का अपना जो प्रस्ताव दिया था, उसे मैं वापस लेने की अनुमति चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री गोविन्द सिंहजी डोटासरा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): बिलकुल लगाएंगे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजीव गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय, उदयपुर (नाम और मुख्यालय परिवर्तन और संशोधन) विधेयक, 2016 को मैंने जनमत जानने का आग्रह करने के लिए प्रस्ताव किया है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह कोई नई चीज नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की फितरत है कि जो चीज कांग्रेस ने की, उसका नाम परिवर्तन करना है, उसको बंद करना है। एक तरफ तो यह यह भाषण करते हैं कि कांग्रेस का शासन रहा 60 साल तक, इन्होंने कुछ नहीं किया और दूसरी तरफ यहीं से खड़े होकर यह कहते हैं कि हमारे राज में उदयपुर और जयपुर, भारत के 20 स्मार्ट सिटीज की गिनती में उनका नाम दर्ज हो गया। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि कितने दिन बरगलाओगे लोगों को? कितने दिन असत्य बातें करोगे? उदयपुर जो स्मार्ट सिटी में आ रहा है, जयपुर स्मार्ट सिटी में आ रहा है, यह भारतीय जनता पार्टी की देन है क्या? दस-दस नाम बदलकर इस मुकाम तक पहुंचे हो लेकिन पहुंचने के बाद में भी आप में समझ नहीं आई, अक्ल नहीं आई और फिर वही काम करना चाहते हो।

राजीव गांधी वह शख्स है जिसकी देन है हिन्दुस्तान में संचार क्रांति। भारत में आज जो मोबाइल 50-50 हजार के लिए घूम रहे हो, स्मार्ट फोन लिये घूम रहे हो, कम्प्यूटर जिस पर काम कर रहे हो, जो सी.डी. आपको 4 तारीख को विधान सभा से दी जाएगी, यह सब किसकी देन थी? राजीव गांधीजी की देन थी। राजीव गांधीजी ने इस देश को वह दिया है, आगे 21वीं सदी में ले जाने का काम राजीव गांधीजी ने किया है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे व्यक्ति का नाम आप हटा रहे हो। जनजाति के लिए राजीव गांधी ने वनवासियों को अधिकार देने का काम किया, क्या आपकी सरकार ने किया था? उसका नाम परिवर्तन कर रहे हो और अफसोस की बात है कि उदयपुर से माननीय गृह मंत्रीजी कटारिया साहब आते हैं। कटारिया साहब की अध्यक्षता में एक कमेटी बनती है, वह कमेटी इन विश्वविद्यालयों का फैसला करती है और वह उदयपुर से कहां जाएगी? बांसवाड़ा

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

जाएगी। बांसवाड़ा में भी बने। बांसवाड़ा और उदयपुर का विकास मैं कहना चाहता हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उनका निर्माण नहीं किया है। जितने स्कूल बने, सड़क बनी, उदयपुर में एयरपोर्ट बना, यह सब आपकी देन है क्या? भैरोंसिंहजी ने काम किया लेकिन आपके तीन साल के शासन में कोई काम नहीं हुआ। सिर्फ प्रदेश की गाढ़ी कमाई को लूटने का काम हुआ था 2003 से 08 के बीच में और वही काम आप दुबारा करने जा रहे हो, इनमें उलझाकर कि राजीव गांधीजी का नाम हटा दो। जो राजीव गांधी भवन बने थे, सारे भवन बन गये थे 2013 से पहले-पहले, उनमें सब में बिजली के कनेक्शन हो गये, टेलीफोन के कनेक्शन करीब-करीब में हो गये और उसमें शिलालेख लिख गया। जन-प्रतिनिधियों ने चाहे वह भारतीय जनता पार्टी का प्रधान था, चाहे एम.एल.ए. था, उसने वहां पर उद्घाटन करके शिलालेख अन्दर लिखवाया। वह शिलालेख तो राजीव गांधी के नाम से है। बिजली का कनेक्शन राजीव गांधी के नाम से है। पानी का कनेक्शन राजीव गांधी के नाम से है और आपने ऊपर एकदम नीले कबूतरिया कलर में लिखवा दिया- 'अटल सेवा केन्द्र', अटलजी इतने छोटे थे क्या? जो भवन बनाया हुआ था, उसके ऊपर आपने कलर पोत कर नाम अटलजी का लिखवा दिया।

अटलजी एक महान नेता हमारे देश के हुए हैं। ऐसी बात नहीं है, अटलजी का व्यक्तित्व है, अटलजी ने अच्छे काम किए हैं, हम प्रशंसा करते हैं लेकिन आप तो केवल द्वेषता से काम करना चाहते हो। अभी खेतड़ी से आने वाले माननीय सदस्य ने आपकी थोड़ी-बहुत आँख खोलने का काम किया। यह थोड़ा-सा क्या है कि हमसे भी नाराजगी रखते हैं, हम भी सामने चुनाव लड़ते हैं इसलिए थोड़ा तो लपेटा हमारे भी लगा दिया। लेकिन ज्यादा लपेटा आपके लगाया है इसलिए आपको समझना चाहिए। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह बंद होना चाहिए। यह व्यवस्था बंद होनी चाहिए। आप बांसवाड़ा में दूसरा खोलिए, कौन मना कर रहा है आपको? बांसवाड़ा में विश्वविद्यालय खोलिए। जिस उदयपुर को आप स्मार्ट सिटी बनाना चाहते हैं, हमारे प्रधान मंत्रीजी चयन करके स्मार्ट सिटी बनाना चाह रहे हैं, वहां से यूनिवर्सिटी को ले गये और बांसवाड़ा में ले जाकर टेक दोगे। मैं समझता हूं कि आपका जनजाति के लोगों का उत्थान करने का कोई इरादा नहीं। उनको शिक्षित करने का कोई इरादा नहीं। केवल मात्र राजीव गांधी का नाम कैसे हटे, सोनियाजी का कैसे हटे, राहुलजी का कैसे हटे, अशोकजी का कैसे हटे? यह जनता है, यह सब देख रही है। थोड़े दिन का

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

खेल है, कोई ज्यादा समय का खेल नहीं है। संसदीय कार्य मंत्रीजी-भैरारामजी ऐसे अंगुली कर रहे हैं, मैं निवेदन, हां, बोलो न, कौन मना कर रहा है?

श्री भैराराम चौधरी (संसदीय सचिव): +++...(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): +++ ...(व्यवधान)

श्री भैराराम चौधरी (संसदीय सचिव): +++ ...(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): +++ ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: विराज जाएं, विराज जाएं। (व्यवधान)

मुझे एक बात बताइए सम्माननीय सदस्य, यह कोई matrimonial alliance का अखाड़ा है? ...(व्यवधान) Is this the seriousness? आप कहां पर विराजे हुए हैं? मैं क्या यह हाउस दस मिनट के लिए एडजोर्न करके आपको अपनी-अपनी लाबीज में बैठ कर और यह बात सोचने के लिए बाध्य करूं कि आप विचार करके आइए और फिर यहां प्रकट करिए कि आप किस प्रकार के विचार को प्रकट करना चाहते हैं और सदन के रिकार्ड पर लाना चाहते हैं?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): क्षमा-याचना चाहेंगे, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम सब। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: संसदीय कार्य मंत्रीजी, आप क्षमा याचना करना बंद करें। जिस क्षमा याचना का असर सदन के सदस्यों पर नहीं पड़ता, ऐसी क्षमा याचना की भी आवश्यकता नहीं है और आसन आपसे निवेदन नहीं कर रहा, अब आसन आपको आदेश दे रहा है कि इस प्रकार का कोई विवेचन अगर सदन में आया तो आसन विवश होगा कि आपको प्रताड़ित भी करे और सस्पैंड भी करे।

आप बोलिए।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बिलकुल गम्भीर बात है और राजीव गांधीजी जैसे पूर्व प्रधान मंत्री का नाम आपको नहीं हटाना चाहिए। उदयपुर जिसको स्मार्ट सिटी आपकी सरकार बनाना चाहती है, हमारे प्रधान मंत्रीजी का सपना है, जहां से हमारे गृह मंत्रीजी आते हैं, वहां से विश्वविद्यालय नहीं ले जाना चाहिए। अगर बांसवाड़ा में किसी चीज की आवश्यकता है, चाहे विश्वविद्यालय की है, कालेज की है तो वहां पर आप ले जाइए और जो नाम आप दूसरा कोई देना चाहते हैं। अब मेरे तो थोड़े से क्या है, साहब, पहले तो बोलने का मन ही नहीं था, माननीय उपाध्यक्ष

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

महोदय, क्योंकि गोविन्द के नाम से कर रहे हैं तो अब गोविन्द मेरे नाम से, चाहे उसमें कर रहे हैं तो फिर मेरे दिक्कत तो थी ही। लेकिन जब काम गलत हो तो चाहे वह गोविन्द के नाम से करो, चाहे और किसी के नाम से करो, गलत बात, गलत होती है। इसलिए गुरु गोविन्द सिंह संत जो हुए हैं, उनके नाम से आप दूसरा कीजिए। बांसवाड़ा में कीजिए, और कहीं कीजिए, लेकिन मेरा आपसे आग्रह है, माननीय गृह मंत्रीजी से भी आपके माध्यम से आग्रह है कि उदयपुर जिसको आप स्मार्ट सिटी बनाने जा रहे हैं, जिसको बनाने में कांग्रेस का बहुत बड़ा योगदान है, मैं समझता हूं कि अगर किसी पार्टी का पूरे प्रदेश में, इंफ्रास्ट्रक्चर डवलप करने में, शिक्षा की जाग्रति लाने में, लोगों को शिक्षित करने में, सड़कें बनाने में, स्कूल बनाने में, अगर है तो 90 परसेंट से अधिक कांग्रेस पार्टी का है और कांग्रेस पार्टी ही नहीं, प्रधान मंत्री कोई भी होता है तो वह पूरे देश का होता है, चाहे मोदीजी हों, चाहे राजीव गांधीजी हों, चाहे इंदिरा गांधीजी हों और चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू हों।

इसलिये इस प्रकार की प्रथा बंद होनी चाहिये और उदयपुर, जिसको आप स्मार्ट सिटी बनाने की बात कर रहे हैं, जिस महान् व्यक्ति के नाम से राजीव गांधीजी के नाम से विश्वविद्यालय है, माननीय गृह मंत्रीजी, आपसे मैं उपाध्यक्ष महोदय के माध्यम से आग्रह करूंगा कि आप अपने अधिकारों का इस्तेमाल कीजिये और एक-दो चीज में तो वास्तव में जो नहीं होनी चाहिये, उसमें अपने वीटो का प्रयोग कीजिये और वीटो करके इस विश्वविद्यालय को उदयपुर में राजीव गांधी विश्वविद्यालय के नाम से रहना चाहिये। इस बात की व्यवस्था करेंगे तो मैं समझता हूं कि हम उन महान् नेताओं के प्रति, जिन्होंने देश की आजादी, एकता और अखण्डता के लिये अपने आपको शहीद कर दिया, बलिदान हो गये, उनके नाम को हम आगे बढ़ाने का काम करें, उनके जीवन से प्रेरणा लेने का काम करें। चाहे डा. भीमराव अम्बेडकर हों, चाहे राजीव गांधी जी हों, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से भी, अटल जी के नाम से भी अगर कोई संस्था हो तो मैं समझता हूं कि चाहे पार्टी कोई भी हो, उनके नाम को नहीं हटाना चाहिये, उनके नाम को आगे रखना चाहिये और यह जो विश्वविद्यालय आप बांसवाड़ा ले जा रहे हैं, यह बिलकुल बेमानी है। आपका गलत डिसीजन है। कांग्रेस पार्टी ने इसको खोल दिया, इसलिये डा. भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी को भी ले जाओ, उदयपुर से बांसवाड़ा ले जाओ, पत्रकारिता विश्वविद्यालय को बंद कर दो। ये व्यवस्थाएं बंद होनी

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

चाहिये। इस प्रकार की दलगत राजनीति बंद होनी चाहिये। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जिस व्यक्ति का, राजीव गांधीजी का पूरे देश के निर्माण में योगदान रहा है, जिस दलित के वोट से आप जीतकर आये हो, जिन जनजाति के लोगों के वोट से आप जीतकर आये हो, उनको उदयपुर में एक बड़ी सिटी में, जहां एयरपोर्ट की भी सुविधा मिलेगी, अन्य सुविधाएं भी मिलेंगी। कोई कालेज नहीं खुल रहा है, यह यूनिवर्सिटी खुल रही है और मैं इस बात के लिये तो आपको धन्यवाद भी दूंगा सरकार को, कि इसके लिये बजट भी ठीक-ठाक दिया है इस बात के लिये तो आपको धन्यवाद। लेकिन यह बजट अगर उदयपुर में लगे, स्मार्ट सिटी बने, उस समय और ज्यादा चार चांद लगें तो मैं समझता हूं कि और ज्यादा उपयोगी होगा। इसलिए मैं इस बिल को राजीव गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय उदयपुर (नाम और मुख्यालय परिवर्तन, और संशोधन) विधेयक, 2016 को जनमत जानने के लिये परिचालित करने के लिये आग्रह करता हूं, प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्षः शुभकरण चौधरी। (अनुपस्थित) श्री बृजेन्द्र सिंह ओला।

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (झुंझुनूं): माननीय उपाध्यक्षजी, राजीव गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय, उदयपुर (नाम और मुख्यालय परिवर्तन और संशोधन) विधेयक, 2016 पर मेरा जनमत जानने का प्रस्ताव है, उस पर मैं अपने विचार आपकी अनुमति से प्रकट करूंगा। उदयपुर में यह विश्वविद्यालय कायम किया गया और आपने भी उसको कोट किया है जो आप चेंज कर रहे हो उसके रीजन में, उस समय इस विश्वविद्यालय को स्थापित इसलिए किया गया कि डिवीजन मुख्यालयों को शिक्षा की दृष्टि से मजबूत करने के लिये हर डिवीजन मुख्यालय पर विश्वविद्यालय हो, उसी के निमित्त, चूंकि उदयपुर में पहले भी विश्वविद्यालय हैं, पर जनजातीय विश्वविद्यालय वहां इसलिये खोला गया कि जनजाति की ज्यादा पापूलेशन उदयपुर डिवीजन में है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उदयपुर वह जिला है जहां से हमारे मोहनलाल जी सुखाड़िया जी आये और 17 साल तक राजस्थान के मुख्य मंत्री रहे और वर्तमान राजस्थान के निर्माण में उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। उनके लिये हम कुछ कर सकें, इस भावना के साथ और जनजाति के हमारे साथी हैं, उनको अच्छी शिक्षा मिले, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले। एक अच्छा शिक्षा का सेंटर उनको मिले, उसके निमित्त इस विश्वविद्यालय को वहां खोला गया था। फिर वहां से इसको चेंज करने का कारण दिया गया है कि बांसवाड़ा के लोगों

(श्री बृजेन्द्र सिंह ओला)

की मांग पर इसको वहां से चेंज किया जा रहा है। बांसवाड़ा के किन्हीं लोगों ने मांग की होगी, आज वहां इंजीनियरिंग कालेज है, उसको टैक्नीकल यूनिवर्सिटी बना देते। आप वहां और यूनिवर्सिटी खोल देते। पर बांसवाड़ा के लोगों ने मैं नहीं समझता यह कहा हो कि राजीव गांधी का नाम इससे हटा दिया जाए। आपको गुरु गोविन्द के नाम पर विश्वविद्यालय करना था, गुरु गोविन्द वहां के कोई लोक देवता हैं, धार्मिक व्यक्ति हुए होंगे, तो आप निश्चित रूप से करें। हमको इस बात में कोई दिक्कत नहीं है कि आप बांसवाड़ा में विश्वविद्यालय क्यों खोल रहे हो। पर, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इनको तो इंदिरा गांधी, राजीव गांधी इनके नाम से पता नहीं, क्या तकलीफ हो जाती है।

1977 में आपकी सरकार आयी। जयपुर में इंदिरा बाजार था, सब लोग बोलचाल की भाषा में उसे इंदिरा बाजार कहते थे। आपने उसको बिहारी बाजार कर दिया। कोई लोग उसको नहीं पुकारता था, चाहे रिक्शा वाला हो, चाहे आम नागरिक हो, चाहे दुकानदार हो, चाहे ग्राहक हो, उसका नाम फिर इंदिरा बाजार हुआ। इसी तरह से पिछले कार्यकाल में आपने शिक्षा संकुल है, इसका नाम राजीव गांधीजी के नाम को हटाकर डा. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल कर दिया। जबकि हमने वहां पहले जोधपुर में उनके नाम पर आयुर्वेद यूनिवर्सिटी खोली थी। यही नहीं, आपने राजीव गांधी के नाम से जो शिक्षा केन्द्र खोले थे, उनको महज इसलिए आपने प्राइमरी का दर्जा दिया कि राजीव गांधी का नाम आपको उस पर से हटाना था।

राजीव गांधी कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, देश के प्रधान मंत्री रहे और उनका लोगों से क्या लिटिगल विरोध था पर्सनल, कोई विरोध नहीं था। देश की एकता और अखण्डता एक रहे, जिसके आप बहुत बड़े वकील बताते हो कि हम राष्ट्रवादी हैं, हम देश की एकता के लिये कुछ भी कर सकते हैं। जिस व्यक्ति ने देश की एकता के लिये अपने प्राण दे दिये, उस व्यक्ति का नाम आप हटा रहे हो। आप बांसवाड़ा ले जाते तो भी आपको कौन रोक रहा था कि राजीव गांधी के नाम से आप वहां मत ले जाओ। उसके बाद राजीव गांधी सेवा केन्द्र बने, उनका नाम भी आपने अटलजी के नाम कर दिया।

अटल जी बहुत बड़े नेता हैं। आपकी पार्टी में अगर राष्ट्र में किसी का सबसे ज्यादा सम्मान है तो वह आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी का है। हमको कोई दिक्कत नहीं, आप उनके नाम पर करते और बड़ी यूनिवर्सिटी आप वहां बनाकर करते। दूसरी बात, जिन्दा व्यक्ति के नाम पर तो या तो कुछ

(श्री बृजेन्द्र सिंह ओला)
लोग उत्तर प्रदेश में नाम रखते हैं और मूर्तियां लगाते हैं या आप लोगों ने किया है। अटल जी तो इस दुनिया में अभी विराजमान हैं माननीय, आपने उनका नाम कर दिया। आपने नाम तो कर दिया, आज भी उसको लोग राजीव गांधी सेवा केन्द्र बोलते हैं। उसमें अन्दर जो शिलालेख लगा हुआ है, उस पर राजीव गांधी सेवा केन्द्र नाम लिखा हुआ है।

कल मैं सुन रहा था नेशनल टी.वी. पर, कि फतेहबाद, हरियाणा में एक बोर्ड बदल दिया आपकी पार्टी वालों ने, दूसरे पहुंचे उन्होंने उसको पोत दिया। हम कब तक करेंगे यह बात? आपने यह बदला, कल को हम आएंगे, हम दूसरा बदलेंगे। आप कब इस बात को खतम करोगे? कहीं न कहीं तो इसका एण्ड होना चाहिये ना। मैं मेरे प्रस्ताव के माध्यम से निवेदन करता हूं माननीय मंत्रीजी, बड़ा दिल रखो। राजीव गांधी देश के प्रधान मंत्री नहीं रहे क्या? आपने यह जो कदम उठाया है, यह उस व्यक्ति का आपने एक तरह से निरादर किया है जिसने देश की अखण्डता के लिये अपने प्राण दे दिये। जो व्यक्ति आई.टी. क्रांति का इस देश में जनक है, जिस समय वह प्रधान मंत्री बने, उन्होंने कहा कि मैं भारत को 21वीं सदी में ले जाऊंगा। 21वीं सदी में भी आई.टी. के साथ ले जाऊंगा और आई.टी. का हमारे यहां इतना विस्तार हुआ कि अमेरिका के राष्ट्रपति ओबामा को भी वहां यह कहना पड़ा कि आप पढ़ो, नहीं तो हिन्दुस्तानी आ जाएंगे। उस व्यक्ति के नाम से जो विश्वविद्यालय था, उसका आप नाम परिवर्तन कर रहे हैं। ठीक है, आपका बहुमत है, आप कर देंगे। पर आप अपनी आत्मा से विचार करना कि आप कितना गलत काम कर रहे हो, आप कितनी गलत परिपाटी डाल रहे हो। इसलिए, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं जो मेरा प्रस्ताव है, इस विधेयक के सम्बन्ध में जनमत जानने के लिये रखता हूं और इस विधेयक का पुरजोर विरोध करता हूं। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री रमेश।

श्री रमेश (सपोटरा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजीव गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय, उदयपुर (नाम और मुख्यालय परिवर्तन और संशोधन) विधेयक, 2016 के लिये मुझे आपने परिचालित करने के संदर्भ में बोलने का आदेश दिया है, इस संदर्भ में मेरा निवेदन है कि इसमें बहुत सारे संशोधन किये हैं और सबका एक ही रिजल्ट आ रहा है, कनक्लूजन जिसको कहें, कि सिर्फ नाम बदलने के लिये इन्होंने संशोधन किये हैं, 2012 के राजस्थान अधिनियम संख्या 31 की धारा 1, 2, 3, 4, 5, 7, 22, 24, 26, 30 और नई धारा 33 की नई धारा 48 के इनमें आपको संशोधन करना पड़ा।

(श्री रमेश)

इतने सारे संशोधन सिर्फ आपने नाम परिवर्तन करने के लिए किये हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से कहना चाहूंगा कि यदि आपको गोविन्द गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय बांसवाड़ा में खोलना था तो निश्चित रूप से गोविन्द गुरु, जो महान संत थे और उस आदिवासी एरिये के लिए एक बड़ी उपलब्धि है, एक बड़ा इतिहास है, तो निश्चित रूप से आपको खोलना चाहिए था लेकिन जो उदयपुर से ले जाकर बांसवाड़ा में खोला है और नाम परिवर्तन किया है, यह आपको शोभा नहीं देता और सरकार के लिए एक अच्छी बात नहीं है।

हमारे माननीय गृह मंत्रीजी विराज रहे हैं, जितने भी इस सरकार ने निर्णय बदले हैं, मंत्रिमण्डल की उप-समिति के अध्यक्ष हैं, कटारिया जी की अध्यक्षता में जो भी निर्णय हुए हैं, छह माह की समीक्षा की है ये एक अच्छी छवि के, अच्छे चरित्र वाले हमारे गृह मंत्री हैं और इनके नाम से सरकार गलत काम कर रही है। मैं माननीय कटारिया जी से निवेदन करना चाहूंगा कि आप तो, अभी थोड़ी देर पहले बात चल रही थी कि लोग ठंडे बस्ते में चले जायेंगे, आप भी चले जाएं, हम भी चले जाएं, कोई भी चला जाए लेकिन अच्छा निर्णय होगा तो आपकी बड़ाई ही होगी। आप अच्छे चरित्रवान हैं, अच्छी छवि के व्यक्ति हैं। निर्णय जो आप कर रहे हो, उदयपुर संभाग से बांसवाड़ा ले जा रहे हो, प्रदेश की जनता जो भी निर्णय गलत आपने किये हैं, आपके माध्यम से, आपके मुखौटे, आपके चेहरे को आगे रखकर यह सरकार जो गलत काम कर रही है, तो जनता आपको भी माफ नहीं करेगी। जो भी निर्णय हो रहे हैं उसमें आपका आत्मविश्वास, आपका स्वाभिमान, आप कहते हो कि मेरे फेफड़ों में बहुत दम है, यह निर्णय सही हो रहे हैं तो बिलकुल अच्छी बात है कि आप निर्णय सही करवा रहे हो, लेकिन जो निर्णय गलत हो रहे हैं और आपकी अध्यक्षता में हो रहे हैं, आपके लिए ठीक नहीं है।

मेरा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी से निवेदन है कि बांसवाड़ा में कालेज खोला है बिलकुल खोलें, उदयपुर में भी कॉलेज खुलना चाहिए और नाम बदलने से कुछ नहीं होगा। कांग्रेस का राज साठ साल रहा है, कितने नामों को आप कहां-कहां बदलोगे? राजीव गांधी केन्द्र, कभी राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना को दीनदयाल विद्युतीकरण योजना, कभी संकुल का नाम, रोजाना कहां बदलोगे? माननीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बनायी, लोग जानते हैं कि हां, उन्होंने एक काम किया, हम भी उसको स्वीकार करते हैं। इस तरह आप रोजाना नाम बदलोगे, इससे काम चलने वाला नहीं है।

(श्री रमेश)

यहां आपने कहा कि इसको निरस्त कर दिया, आपको क्या दिक्कत थी? माननीय मंत्री महोदय, यहां जमीन नहीं थी, यहां व्यवस्थाएं नहीं थीं जो आपको उदयपुर से चेंज कर के बांसवाड़ा ले जाना पड़ा और उसका नाम चेंज करना पड़ा? यह तो सरकार की मंशा ठीक नहीं है कि आप नाम बदल रहे हो और एक बदले की भावना से आप काम कर रहे हो। आपको काम करना था तो आदिवासी एरिया में स्कूलें हैं उन स्कूलों में शिक्षक नहीं हैं, वहां के कालेजों में लैक्चरर नहीं हैं, वहां की क्वालिटी में, गुणवत्ता में आपको प्रमोट करना चाहिए कि वहां के जो लोग हैं आदिवासी हैं, हमारे भाई हैं, वहां शिक्षा का वातावरण बनाना चाहिए। लोगों को उत्प्रेरित करते हुए शिक्षा के बारे में बताना चाहिए, प्रचार-प्रसार करना चाहिए, वहां के इकोनोमिक स्टेटस को आपको आगे बढ़ाना चाहिए। काम तो वो करना चाहिए। प्राइमरी वहां की जो फाउंडेशन है, नींव है, उसको मजबूत करना चाहिए। वो काम तो आप नहीं कर रहे हो, वहां के लोगों को बरगला रहे हो। आप वहां के लोगों को गुमराह कर रहे हो कि हमने आपके लिए विश्वविद्यालय खोल दिया। विश्वविद्यालय खोल तो दिया, विश्वविद्यालय लायक क्वालिटी और वहां जो पढ़ने वाले युवा विद्यार्थी हैं वहां तक पहुंचाएं, कि हां, विश्वविद्यालय खोला है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने खोला है। वहां की नींव कमजोर है उसको मजबूत करना होगा। वहां के इकोनोमिक स्तर को मजबूत करना होगा। वहां की शिक्षा का जो स्टेटस है उसको मजबूत करना होगा। वहां शिक्षा की दर क्या है? महिलाओं की शिक्षा की दर पता कर लेना आज वहां की स्थिति क्या है। वहां कालेजों में लैक्चरर नहीं हैं, स्कूलों में अध्यापक नहीं हैं और स्थिति यह है कि काफी जगह ताले तक लगे हुए हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी पूछ रहे हैं, उनको पता नहीं है। उस इलाके के मंत्री से पूछ रहे हैं कि वहां पर क्या-क्या है। मंत्रीजी तो सरकार में मंत्री हैं, बचाव करने के लिए कुछ न कुछ तो बतायेंगे लेकिन एक्चुअल स्थिति शिक्षा की दृष्टि से बहुत दयनीय है। यदि आपको विश्वविद्यालय खोलना है, खोलें बिलकुल। गुरु गोविन्द जी के नाम से खोलें निश्चित रूप से। लेकिन उदयपुर की जनता के साथ, वहां के संभाग के साथ में आप न्याय नहीं कर रहे।

तो मैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से गृह मंत्रीजी से भी कहना चाहूंगा कि यह जो निर्णय आपने करवाया है बिलकुल गलत निर्णय है और इस नाम को आपने बदला है यह बदले की भावना कर रहे हैं उसको नहीं करना चाहिए। आपको विश्वविद्यालय खोलना था नया खोलते। गुरु

(श्री रमेश)

गोविन्द जी के नाम से खोलते, बिलकुल अच्छी बात है और जो उदयपुर में विश्वविद्यालय होना चाहिए, उसका भी हम सपोर्ट करते हैं।

विश्वविद्यालय उदयपुर में भी होना चाहिए और जिस प्रकार आपने सिर्फ और सिर्फ इतने सारे संशोधन नाम बदलने के लिए किये हैं, उसका मैं विरोध करता हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजीव गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय, उदयपुर (नाम और मुख्यालय परिवर्तन और संशोधन) विधेयक, 2016 को तीन माह के जनमत जानने के लिए परिचालित करने के लिए मैं निवेदन करता हूं। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: मेरा आप सब से निवेदन है कि जो श्रीमान राहुल गांधी जी के सम्बन्ध में और आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी के सम्बन्ध में जो भी यहां विचार व्यक्त किये गये हैं, आसन आपको डिलीट करने के लिए कहता है। मंत्री महोदय।

श्री कालीचरण सराफ (उच्च शिक्षा मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजीव गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय, उदयपुर (नाम और मुख्यालय परिवर्तन और संशोधन) विधेयक, 2016 पर चर्चा चल रही है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछली हमारी कांग्रेस की सरकार ने 2012-13 में राजीव गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय, उदयपुर की स्थापना की और उसका मुख्यालय उदयपुर रखा। बजट आबंटन की खानापूर्ति करते हुए, जैसा मैंने पहले भी कहा, सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए 2012-13 में 15 लाख 45 हजार रुपये और 2013-14 में 68 लाख 54 हजार रुपये उन्होंने आबंटित किये और जाते-जाते जून, 2013 में कुलपति नियुक्त कर दिया। आपको आश्चर्य होगा कि जनजाति के खैरख्वाह बनने वाले एक भी विद्यार्थी का एडमिशन नहीं किया। जब दिसम्बर, 2013 में हमारी सरकार आयी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस विश्वविद्यालय के लिए 1 करोड़ 8 लाख रुपये की वित्तीय स्वीकृति जारी की और अगस्त, 2014 में हमने तीन सब्जैक्ट्स-हिस्ट्री, पोलिटिकल साइंस और इकोनोमिक्स में वहां पी.जी. का पाठ्यक्रम लागू किया। पी.जी. पाठ्यक्रम में 83 बच्चों ने प्रवेश लिया, शिक्षण कार्य प्रारम्भ करवाया और वर्तमान में इस विश्वविद्यालय में 107 छात्र अध्ययनरत हैं।

पूर्ववर्ती सरकार के अंतिम छह माह में लिये गये निर्णयों की समीक्षा के लिए जब मंत्रिमण्डलीय उप समिति बनी तो हमने यह पाया कि उदयपुर शहर में मोहन लाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, प्रताप कृषि विश्वविद्यालय और

(श्री कालीचरण सराफ)

चार निजी विश्वविद्यालय चल रहे हैं। जनजाति के लोगों की बहबूदी के लिए, उनका उच्च शिक्षा के प्रति रुझान बढ़े, इसके लिए आपने जो विश्वविद्यालय खोला और उसका हैडक्वार्टर उदयपुर रखा, उसमें भारी प्रयासों के बाद केवल 107 बच्चों ने प्रवेश लिया। जो प्रमुख उद्देश्य जनजाति विश्वविद्यालय के लिए होना चाहिए, जनजाति क्षेत्र के विद्यार्थियों को कला, संस्कृति, रीति-रिवाज, वन-संपदा, प्राकृतिक संसाधनों से सम्बन्धित शोध और उच्च शिक्षा के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य की प्राप्ति वहां उदयपुर में नहीं हो रही थी।

उपाध्यक्ष महोदय, अधिकतर जनजाति आबादी बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ में है। सेंटर है बांसवाड़ा। 5 विधान सभा क्षेत्र बांसवाड़ा के, 4 विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर के और 2 विधान सभा क्षेत्र प्रतापगढ़ जिले के, ऐसे जो 11 विधान सभा क्षेत्र हैं, उसका सेंटर कहां है, बांसवाड़ा।

अब आपने बड़ी जोरदार बात कही कि आदिवासी बच्चों में उच्च शिक्षा के प्रति रुझान नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आदरणीय रमेश जी, कि जो बांसवाड़ा का कालेज है, उसमें 6 हजार बच्चे पढ़ते हैं ...(व्यवधान) विराजो, बीच में मत बोलो।

श्री रमेश (सपोटरा): लिटरेसी क्या है प्रजेंट में, बताओ मुझे। मुझे पता है, फिर पूछूंगा आपसे।

श्री कालीचरण सराफ (उच्च शिक्षा मंत्री): आप मेरी बात सुनिये। जो वहां का गर्ल्स कालेज है, सुनिये, जो गर्ल्स कालेज है उसमें 4 हजार बच्चियां पढ़ती हैं। वास्तव में जनजाति के लोगों को यह भान है कि हमारा विश्वविद्यालय है। अब आपने वही 2 कमरों में राजीव गांधी जनजाति विश्वविद्यालय, उदयपुर हैडक्वार्टर, 107 विद्यार्थी।

हमने जिस तर्ज पर अलवर में मत्स्य विश्वविद्यालय खोला है कि अलवर की सारी प्राइवेट और गवर्नमेंट की कालेजेज उससे सम्बन्धित होंगी। भरतपुर में ब्रज विश्वविद्यालय खोला है कि भरतपुर और धौलपुर की सारी प्राइवेट और गवर्नमेंट कालेजेज भरतपुर यूनिवर्सिटी से सम्बन्धित होंगी। सीकर में जो शेखावाटी विश्वविद्यालय खोला है कि सीकर और झुंझुनूं के सारे प्राइवेट और गवर्नमेंट कालेज उससे सम्बद्ध होंगे। उसी प्रकार से जनजाति के लोगों का विकास करने के लिए, जनजाति के लोगों में उच्च शिक्षा के प्रति रुझान पैदा करने के लिए हमने केवल उसका हैडक्वार्टर ही चेंज नहीं किया है, हमने

(श्री कालीचरण सराफ)

बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ जिले की जितने भी गवर्नमेंट कालेजेज हैं, प्राइवेट कालेजेज हैं, वह सारे के उससे एफिलिएटेड होंगे।

जहां तक राजीव गांधी जी के नाम का सवाल है। अब गोविंद गुरुजी के बारे में या तो आप ज्यादा जानते नहीं हैं। अब हमारे जो सचेतक हैं वो तो बोल गये गुरु गोविन्द सिंह, मैं बताना चाहूंगा कि गुरु गोविन्द सिंह सिखों के दसवें गुरु थे। वह आदिवासियों के गुरु नहीं थे।

गोविंद गुरु का इतिहास यदि आपको पता नहीं हो तो मैं बताना चाहूंगा कि 1857 में गोविन्द गुरुजी का डूंगरपुर जिले के बेड़सा गांव में तो जन्म हुआ और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित होकर गोविन्द गुरुजी ने आदिवासी समाज में आजादी की अलख जगाई। मार्गशीर्ष पूर्णिमा 1913 को मानगढ़ पर लाखों आदिवासी धूणी जागरण के लिए इकट्ठा हुए। अंग्रेज शासकों ने इसे अपने लिए खतरा मानते हुए मानगढ़ धाम को चारों तरफ से घेरकर जिस प्रकार से अंधाधुंध गोलीबारी की, जिसमें लगभग 1500 आदिवासी मौत के शिकार हुए।

बताया जाता है कि यह जलियावालां बाग़ से भी भयंकर कांड अंग्रेजों ने किया। गोविन्द गुरु आजादी की लड़ाई में कई बार जेल गये। उनको काले पानी की सज़ा हुई। दयानन्द सरस्वती से भी वे बहुत प्रभावित थे। आपको पता नहीं है इसलिए बता रहा हूं। उन्होंने सामाजिक कार्य करने के लिए 'संप सभा' नामक संगठन खड़ा किया। जिसका उद्देश्य सुसंस्कारित, स्वावलंबी और स्वतंत्रता प्रेमी समाज का निर्माण करना था। उन्होंने अपना पूरा जीवन समाज सुधार के लिए समर्पित कर दिया।

अब आपको मैं क्या कहूं कि शिक्षा संकुल बने तो राजीव गांधी शिक्षा संकुल। वह महान देश भक्त थे। देश के लिए बलिदान हुए। लेकिन वह शिक्षाविद् नहीं थे। शिक्षाविद् तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। हमने उसका नाम चेंज कर दिया तो क्या गुनाह किया? सर्वपल्ली राधाकृष्णन महान शिक्षाविद् थे।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): शिक्षाविद् कैसे नहीं थे? कम्प्यूटर इंजीनियर थे। राजीव गांधी विद्वान कैसे नहीं थे?

श्री कालीचरण सराफ (उच्च शिक्षा मंत्री): विद्वान थे, मैं कब मना कर रहा हूं। आप भी एलएलबी हैं, विद्वान हैं। लेकिन आप शिक्षाविद् नहीं हैं। मैं शिक्षा मंत्री हूं, एलएलबी हूं, लेकिन मैं शिक्षाविद् नहीं हूं। राजीव गांधी महान देशभक्त थे। देश के लिए बलिदान हुए। लेकिन महान शिक्षाविद् के नाम से तो

(श्री कालीचरण सराफ)

सर्वपल्ली राधाकृष्णन ही जाने जायेंगे क्योंकि उनके नाम से शिक्षक दिवस आज मनाया जाता है।

इसी प्रकार से राजीव गांधी महान देशभक्त होते हुए, देश के प्रति बलिदान होते हुए भी वह जनजाति लोगों के धर्म गुरु नहीं थे। जनजाति के धर्म गुरु बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ में तो गोविन्द गुरु ही थे, गुरु गोविन्द सिंह जी नहीं। इसलिए जनजाति के लोगों का विश्वास अर्जित करने के लिए, जनजाति के लोगों की बहबूदी के लिए, जनजाति के लोगों को उच्च शिक्षा के प्रति आकर्षित करने के लिए यह किया।

वहां के लोगों को भी यह लगे कि जैसे सीकर में शेखावाटी यूनिवर्सिटी, अलवर में मत्स्य विश्वविद्यालय और भरतपुर में ब्रज विश्वविद्यालय है, उसी तरह से राजस्थान के सुदूर दक्षिण में बांसवाड़ा सेंटर है आदिवासियों का, वहां पर जनजाति विश्वविद्यालय है। इसलिए हमने वहां गोविन्द गुरु जी के नाम से जनजाति विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की है। इसलिए ही हम यह बिल लाये हैं। मैं सदन से अनुरोध करूंगा कि कृपया इस बिल को पारित करें।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने के जो संशोधन श्री जोगाराम पटेल, सदस्य ने प्रस्तुत किये हैं, उन्हें वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने के संशोधन वापस लेने की अनुमति प्रदान की गयी।

प्रश्न यह है कि राजीव गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय, उदयपुर (नाम और मुख्यालय परिवर्तन और संशोधन) विधेयक, 2016 को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया जाए ?

(अस्वीकृत)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजीव गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय, उदयपुर (नाम और मुख्यालय परिवर्तन और संशोधन) विधेयक, 2016 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

(श्री उपाध्यक्ष)

<u>खण्डशः विचार</u>

खण्ड 2 से 16 कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 16 स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 से 16 स्वीकार किये गये।

खण्ड 1- अधिनियमन सूत्र, नाम आदि, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1-अधिनियमन सूत्र, नाम आदि, स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड 1-अधिनियमन सूत्र, नाम आदि, स्वीकार किया गया।

प्रभारी मंत्री।

विधेयक का पारण

श्री कालीचरण सराफ (उच्च शिक्षा मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजीव गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय उदयपुर, (नाम और मुख्यालय परिवर्तन और संशोधन) विधेयक, 2016 को पारित किया जाए।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अभी बार-बार यह कहा गया कि क्या औचित्य था? मैं भौगोलिक औचित्य बताता हूं। आसपुर उदयपुर का है, खैरवाड़ा उदयपुर का है, वह 90 किलोमीटर से ज्यादा दूर नहीं है। लेकिन अगर यह विश्वविद्यालय उदयपुर में रहता तो 233 किलोमीटर दूरी पर कुशलगढ़ है, उसको यहां आना पड़ता। प्रतापगढ़ से 90 किलोमीटर पर बांसवाड़ा है और 55 किलोमीटर डूंगरपुर से है, इसलिए मध्य में पड़ता है। 82 परसेंट आबादी ट्राइबल की है बांसवाड़ा में, उदयपुर में केवल 37 परसेंट आबादी है। एक तो यह कारण है।

दूसरा, राष्ट्रीय नेतृत्व सारा लगा हुआ था, तब जलियांवाला बाग़ कांड आयोजित था, वह बिना उसके भी किया गया था।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): यह तो बता दो कि आपकी राय से ही हुआ है न?

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): चार बार बोला हूं पहले। यह क्या जानें? उदयपुर नहीं रखा जाए, यह पहले बोल चुका हूं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): नहीं, आपकी राय से हुआ हो तो फिर दूसरी बात करें।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): जो रिकार्ड पर है वही बता रहा हूं। इस कारण से यह बिलकुल औचित्यपूर्ण है। भौगोलिक दृष्टि से जिंदगी भर किराया काटते, जो ट्राइबल हैं। आप नाम की बात करते हो?

माननीय हरिदेव जोशीजी इस सदन के नेता रहे, मुख्य मंत्री रहे, जब हमने गर्ल्स कालेज खोला तो उद्‌घाटन में ही यह घोषणा की कि हरिदेव जोशीजी के नाम से ही हम गर्ल्स कालेज बनाएंगे। आज चार हजार लड़किया पढ़ती हैं उसमें। चौबीस सौ लड़कियां ट्राइबल की पढ़ती हैं उस कालेज में जिसे हमने बनाया। ऐसा नहीं है कि ट्राइबल की चिंता नहीं है। और इतना ही नहीं है, जहां से आपके चार मुख्य मंत्री रहे हैं, जोधपुर, वहां एक लाख चार हजार पर एक कालेज है और हमारे कारण से बांसवाड़ा में चवालीस हजार पर एक कालेज है, इतनी चिंता हमने की है। एक साथ हमने सारी पंचायतों में मिडिल स्कूल खोली थीं। ट्राइबल की शिक्षा की चिंता, हम करते हैं। हम ही नहीं करते, हमारी जिनकी आप आलोचना करते हैं, साम्प्रदायिक बताते हो, वहां पर विश्व हिन्दू परिषद के आठ सौ विद्यालय चलते हैं सिंगल, जिनके कारण से वहां पर शिक्षा का उत्थान हुआ है।

माननीय सदस्य झुन्झुनूं से आने वालों ने कहा, बिहारीजी को याद किया, बिहारी के बारे में माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, बिहारीजी की जो नायिका थी, वह वियोग में ज्यादा हो गयी तो उसको लगा कि मैं पतली हो गयी। तो क्या कहते हैं बिहारीजी नायिका के बारे में। जब सांस लेता था तो सांस के साथ आ जाती थी लेकिन अंत में जब बात हुई और उसको दिखना बंद हो गया, वियोग में इतनी पागल हो गयी, कांग्रेस भी सत्ता वियोग में पागल हो गयी, उसके लिए एक शेर है, इंतहा-ए-लागरी से जब नजर न आया मैं, यह नायक कहता है नायिका के बारे में, इंतहा-ए-लागरी से जब नजर आया न मैं, हंसकर वह कहने लगी, बिस्तर को झाड़ा था यूं, कहीं सत्ता के कारण तो नहीं हो गयी?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): धीरे-धीरे बोलो, हमारे समझ में नहीं आया, दुबारा बोलो, धीरे-धीरे बोलो एकदम।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): नायिका नायक के बारे में कह रही है, नायक कहता है कि नायिका इतनी परेशान हो गयी, इंतहा-ए-लागरी से जब नजर आया न आया मैं, उसको दिखना बंद हो गया वियोग में, इंतहा-ए-लागरी

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

से जब नजर न आया मैं, हंसकर वह कहने लगी, बिस्तर को झाड़ा चाहिए कहीं खटमल तो नहीं हो गया। आपको सत्ता खटमल की तरह लगने लग गयी, ढूंढ रहे हो सत्ता को। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्रीमती शकुन्तला रावत।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ... (व्यवधान) बैठ रही हूं, आप चिंता मत करो।

आप गोविन्द गुरुजी का कह रहे थे कि उनके नाम से खोला है, बहुत अच्छी बात है। आप और खोलें चाहे उनके नाम से तो हम आपको बधाई देंगे। (व्यवधान) ऐसा है आप सौ परसेंट ज्ञानी हो तो कुछ हम भी ज्ञान रखते हैं। जैसा कि इतनी देर से चर्चाएं चल रही थीं, हमारी पार्टी की सांसद रायबरेली से, यह कह देते हैं कि ऐसी मानसिकता और वैसी मानसिकता, लेकिन जब दूसरी बार सेंटर में सरकार बनी तो कुछ लोगों ने कहा कि अटलजी की जो नेमप्लेट लग रही है, उसको हटाया जाए और उस कमरे को खाली करवाया जाए। लेकिन ऐसी मानसिकता नहीं थी उनकी माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उनकी, उन्होंने भारतीय नारी होने का, बहू होने का धर्म निभाया, उन्होंने कहा, नहीं, ऐसा नहीं होगा, वह हमारे भारत देश के सीनियर और कद्दावर नेता हैं। उनकी मानसिकता ऐसी नहीं थी छोटी। मैंने पहले भी बताया कि आपके अन्दर जो भ्रम है, अटलजी की कविता आपके ऊपर सार्थक होती है जो मैंने पहले भी बोली लेकिन आपको लगता है,

"जो कल थे वो आज नहीं होंगे,
जो आज हैं वो कल नहीं होंगे,
होने न होने का भ्रम इसी तरह चलता रहेगा,
हम हैं हम रहेंगे, यह भ्रम भी सदा रहेगा।

यह देश प्रेम की बात करते हैं, देश की अखंडता की बात करते हैं, अगर वाद विवाद में पड़ें कि कौन शिक्षाविद् था, कौन ज्ञानी था, कौन था, इसका अंत नहीं होता है वाद विवाद का। वैसे तो आप बहुत ज्ञानी हो, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, लेकिन देश प्रेम और देश अखंड़ता का इससे बड़ा और क्या सबूत होगा कि देश के सर्वोच्च पद पर प्रधान मंत्री रहते हुए तिरंगे में शान से गये थे, राजकीय सम्मान के साथ। इंसान की औकात नहीं कि आसमान के नीले रंग को काला कर दे और आप में से यहां किसी की औकात नहीं कि भारत देश के इतिहास में कुर्बानी के लिखे नाम को मिटा दे। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री अमृतलाल।

श्री अमृतलाल (सलूम्बर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि गुरु गोविन्दजी, डूंगरपुर जिले में उनका जन्म हुआ था। उस एरिये में, चाहे गुजरात का हो या मध्यप्रदेश का, चाहे राजस्थान का दक्षिण एरिया, उसमें आपके खैरवाड़ा, सलूम्बर, धरियावद, प्रतापगढ़, ये 12-13-14 विधान सभा क्षेत्र आते हैं, वहां मानगढ़ धाम बहुत बड़ा पहाड़ है, आप तो 1500 कह रहे हैं, कम से कम 3000 से अधिक आदिवासियों ने उस पहाड़ पर जलियावालां बाग़ से भी ज्यादा बलिदान दिया। वहां के जितने भी नर नारी हैं, वहां के निवासी हैं मेरे विधान सभा क्षेत्र तक, उनको चाहे घर में कोई भी मेहमान आएगा तो जय गुरुदेव के नाम से ही पुकारा जाता है। इतना बड़ा विश्वविद्यालय हमारे सबके सेंटर में है और जनजाति के लोगों के लिए हमारी सरकार ने जो सोच किया, विचार किया और दक्षिण भाग में खोलने का निर्णय लिया, मैं कोटि-कोटि बधाई देना चाहता हूं। यह वाकई में स्वागत योग्य निर्णय है। हमारे रमेशजी भाईसाहब, विधायक महोदय कह रहे थे, मैं ईमानदारी से कह रहा हूं कि इस एरिये में तो जनजाति की बच्चियां पढ़ती होंगी या नहीं, मैं नहीं जानता हूं लेकिन उस एरिये में चाहे एक घर में दस बच्चे क्यों न हो, लड़कियों की संख्या ज्यादा है, हंडरेड परसेंट लड़कियों ने हमारे यहां लड़कों से ज्यादा डिग्रियां प्राप्त की हैं। यह यूनिवर्सिटी खोलने से राजस्थान के सम्पूर्ण दक्षिण एरिया के आदिवासी भाइयों का फायदा होगा, भला होगा। साथ में गुजरात का भी भला होगा जहां आपके हिम्मतनगर है, उधर झाबुआ का एरिया है, जामनगर का, मध्यप्रदेश से लगता हुआ तमाम एरिया है, आप सर्वे करवा लीजिए ईमानदारी से कि इस एरिया की बालिकाओं और बालकों को पढ़ने में कितनी रुचि है। मैं पुन: आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यूनिवर्सिटी खोल रहे हैं, सरकार, माननीय मुख्य मंत्रीजी, माननीय कटारिया साहब, माननीय उच्च शिक्षा मंत्रीजी का और माननीय सदन का कोटि-कोटि आभार व्यक्त करता हूं, जय हिन्द, जय राजस्थान।

श्री उपाध्यक्ष: श्री फूलसिंह मीणा।

श्री फूलसिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारा विश्वविद्यालय जनजाति के नाम से खोल रहे हैं, मेरे से पहले विपक्षी भाई बोल रहे हैं कि राजीव गांधीजी ने यह किया, वह किया, मैं तो इन भाइयों को यह बताना चाहता हूं कि हम आदिवासियों के लिए उन्होंने क्या किया? हमारे महाराणा पूंजा के नाम से विश्वविद्यालय खोलते, गोविन्द गुरु के नाम से

(श्री फूलसिंह मीणा)

खोलते तो हम सोचते कि इन्होंने आदिवासियों के लिए कुछ किया है। हमारे तीन प्रदेश प्रभावित हैं, बांसवाड़ा में खोलने से। बांसवाड़ा एक ऐसा सेंटर एरिया है मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान का सारा का सारा आदिवासी एरिया वहां से प्रभावित है। गोविन्द गुरु भगवान का दर्जा देता है उन्हें आदिवासी, पूरे हिन्दुस्तान में राम-राम का नाम लेते हैं और हमारे आदिवासी गुरु के नाम से बोलते हैं, गोविन्द गुरु जो आदिवासियों के दिल के अन्दर बसा है, उन्होंने बलिदान कर दिया, जलियावालां बाग़ कहीं नहीं अड़ता, उन आदिवासियों का जो बलिदान हुआ है उसको अगर वहां जाकर देखें और आप अगर वह दृश्य देख लेते तो यूं सोचते कि आदिवासियों के बलिदान को, इतने साल तक कांग्रेस ने राज किया, मगर गोविन्द गुरु को कोई याद नहीं किया। हमारे यहां

(21.00 बजे)

आदिवासियां को सम्मान मिल रहा है, गोविन्द गुरु के नाम से हमारी भारतीय जनता पार्टी ने सम्मान देने का प्रयास किया। हमारे यहां कहीं पर मीटिंग होती है और अगर गोविन्द गुरु का भजन बोलते हैं तो आदिवासियों का खून उबल जाता है। यदि उस टाइम पर आदिवासियों की कोई मीटिंग होती है और मंत्री महोदय, गोविन्द गुरु का भजन बोल दें और अंग्रेज सामने आ जाय तो उनका कत्ले आम कर दें। गोविन्द गुरु घर-घर में भगवान थे। मैं तो हमारी सरकार को धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूं कि जनजाति के छात्रावास को सेंट्रल एरिया में खोलने का आपने निर्णय लिया और समर्थन करता हूं, धन्यवाद।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): और तो ठीक है, लेकिन आपने विश्वविद्यालय को छात्रावास बता दिया, यह दिक्कत कर दी। बाकी अच्छा बोले, लेकिन विश्वविद्यालय को छात्रावास बता दिया।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजीव गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय, उदयपुर (नाम और मुख्यालय परिवर्तन और संशोधन) विधेयक, 2016 को पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

राजीव गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय, उदयपुर (नाम और मुख्यालय परिवर्तन और संशोधन) विधेयक, 2016 पारित किया गया।

सदन की बैठक सोमवार, दिनांक 4 अप्रैल, 2016 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 21.02 बजे सोमवार, दिनांक 4 अप्रैल 2016 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

अनुपस्थित सदस्य का तारांकित प्रश्नोत्तर

इन्दिरा गांधी नहर के हरीके पतन से 200 आर.डी. तक पुनर्निर्माण

449. श्री राजेन्द्र सिंह भादू (सूरतगढ़): क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार इन्दिरा गांधी मुख्य नहर की हरीके पतन से 200 आर.डी. (मसीतावाली हैड) तक का पुनर्निर्माण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(2) क्या सरकार द्वारा उक्त कार्य को करवाने के लिये इन्दिरा गांधी मुख्य नहर का बाईपास बनवाया जायेगा या पुनर्निर्माण करवाया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। इन्दिरा गांधी फीडर पंजाब भाग बुर्जी 179 से 496 तक में पंजाब सरकार द्वारा रिलाइनिंग के कार्य की डी.पी.आर. राशि रुपये 1305.267 करोड़ की तैयार कर, भारत सरकार को प्रस्तुत किये जाने पर, जल संसाधन मंत्रालय की तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 03.02.2016 को अनुमोदित किया गया है, स्वीकृति उपरान्त संसाधन उपलब्धतानुसार कार्य करवाया जाना प्रस्तावित है।

राजस्थान फीडर के हरियाणा भाग (बुर्जी 496 से 555) तथा राजस्थान भाग बुर्जी 555 से 671 (मसीतावाली हैड) एवं इन्दिरा गांधी मुख्य नहर बुर्जी 0 से 200 तक के कार्य हेतु राशि रुपये 1257.62 करोड़ के प्रस्ताव RWSRPDA (राजस्थान जल क्षेत्र संरचना सुधार परियोजनाएं रेगिस्तान क्षेत्र) अन्तर्गत प्रस्तुत किये गये हैं, स्वीकृति उपरान्त कार्य करवाया जाना प्रस्तावित है।

(2) इस सम्बन्ध में तकनीकी परीक्षण करवाकर उचित निर्णय लिया जाना प्रस्तावित है।

सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रदेश के प्रतिबन्धित जिलों से शिक्षकों के स्थानान्तरण पर रोक हटाने की कार्यवाही

452. **श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में कितने जिले कब से स्थानान्तरण हेतु प्रतिबंधित जिलों की श्रेणी में हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त प्रतिबंधित जिलों में ऐसे कितने अध्यापक कार्यरत हैं, जो अन्य जिले के मूल निवासी हैं? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त जिलों में से गत दो वर्षों में कितने अध्यापकों का प्रतिबंधित रहित जिलों में प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया गया? अध्यापक का नाम, विद्यालय एवं जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त जिलों से स्थानान्तरण हेतु प्रतिबंध हटाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) उक्त जिलों में पदस्थापित अध्यापकों में से कितने अध्यापकों ने रीट परीक्षा 2016 में परीक्षा देने की विभागीय अनुमति प्राप्त करने का आवेदन दिया तथा उसमें से विभाग द्वारा कितनों को अनुमति प्रदान की गई? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में स्थानान्तरण हेतु दस जिले प्रतिबंधित हैं। इनमें जैसलमेर, बाड़मेर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, जालौर, झालावाड़, सिरोही तथा बीकानेर जिला वर्ष 2006 से तथा वर्ष 2008 से बारां जिला और वर्ष 2010 से प्रतापगढ़ जिला प्रतिबंधित जिलों की श्रेणी में रखा गया है।

(2) उक्त प्रतिबंधित जिलो में कार्यरत अन्य जिलों के मूल निवासी अध्यापकों का जिलेवार विवरण परिशिष्ट-क 1 से क-20 पर संलग्न है।

(3) उक्त प्रतिबंधित जिलों से विगत दो वर्षों के दौरान प्रतिबंधित रहित जिलों में प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किये गये अध्यापकों का जिलेवार/नामवार विवरण परिशिष्ट-ख 1 से ख 2-पर संलग्न है।

(4) जी नहीं। शिक्षकों की स्थानान्तरण नीति निर्धारण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। उसमें प्रतिबंधित जिलों के शिक्षक भी सम्मिलित हैं।

(शिक्षा राज्य मंत्री)

(5) प्रारम्भिक शिक्षा विभाग में उक्त प्रतिबंधित जिलों में कार्यरत अध्यापकों में से 120 अध्यापकों ने रीट परीक्षा, 2016 में सम्मिलित होने हेतु आवेदन पत्र किया जिसके विरुद्ध 90 अध्यापकों को रीट परीक्षा, 2016 में सम्मिलित होने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है, जिलेवार विवरण परिशिष्ट-ग पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जयपुर जिले की गृह निर्माण सहकारी समितियों का सत्यापन

453. श्री राजेन्द्र सिंह यादव (कोटपूतली): क्या सहकारिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जयपुर जिले में ग्रामीण विकास एवं शहर में कितनी पंजीकृत गृह निर्माण सहकारी समितियां हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा उक्त गृह निर्माण सहकारी समितियों का पंजीकरण किस-किस वर्ष में किया गया तथा वर्तमान में कितनी समितियां संचालित हैं व कितनी समितियों में प्रशासक व समापक कार्यरत हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार द्वारा किन-किन गृह निर्माण समितियों का समय-समय पर सत्यापन करवाया गया व किन-किन का नहीं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जयपुर शहर में 163 एवं जयपुर ग्रामीण में 16 कुल 179 गृह निर्माण सहकारी समितियां पंजीकृत हैं, जिसकी सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) सहकारिता विभाग द्वारा पंजीकृत की गई गृह निर्माण सहकारी समितियों की वर्षवार सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है। वर्तमान में जयपुर जिले में कुल 135 गृह निर्माण सहकारी समितियां संचालित हैं तथा 3 गृह निर्माण सहकारी समितियों में प्रशासक जिसकी सूची परिशिष्ट-2 व 44 गृह निर्माण सहकारी समितियों में समापक कार्यरत हैं, जिसकी सूची परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(3) राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 में गृह निर्माण

(सहकारिता राज्य मंत्री)

सहकारी समितियों के सत्यापन कराये जाने के पृथक से कोई प्रावधान वर्णित नहीं हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

झाड़ौल के आदिवासियों को वनाधिकार पट्टे देने की योजना

454. श्री हीरा लाल दरांगी (झाड़ौल): क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र झाड़ौल के वन क्षेत्र में रहने वाले कितने आदिवासियों को अब तक वनाधिकार पट्टे वितरित किए गए और कितने लोगों को वनाधिकार पट्टे मिलना शेष हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार वनाधिकार पट्टे से वंचित शेष लोगों को भी यथाशीघ्र वनाधिकार पट्टे देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र झाड़ौल के अन्तर्गत वन क्षेत्र में रहने वाले 2186 आदिवासियों को अब तक वनाधिकार पट्टे वितरित किये गये हैं। जिसमें उपखण्ड झाड़ौल के 1369 तथा उपखण्ड कोटड़ा के 817 दावेदारों को वनाधिकार पट्टे वितरित किये गये हैं। जिसकी सूची संलग्न परिशिष्ट "ए एवं बी" अनुसार है।

इसके अतिरिक्त उपखण्ड झाड़ौल के 210 व उपखण्ड कोटड़ा के 87, कुल 297 व्यक्तियों के वनाधिकार पट्टे हेतु कार्यवाही विभिन्न स्तर पर प्रक्रियाधीन है, जिसकी सूची संलग्न परिशिष्ट "सी" से "एफ" अनुसार है।

(2) जी हां। वनाधिकार पट्टे से वंचित शेष पात्र व्यक्तियों को पट्टे दिये जाने की कार्यवाही प्रकियाधीन है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

उदयपुर जिले के देव सोमनाथ मन्दिर का विकास

455. श्री गोपीचन्द मीणा (आसपुर): क्या कला, साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार डूंगरपुर जिले के देव सोमनाथ महादेव मन्दिर का विकास

(श्री गोपीचन्द मीणा)

करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। देव सोमनाथ मन्दिर, डूंगरपुर केन्द्र सरकार के भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का संरक्षित स्मारक है। विभाग द्वारा सिविल डिपोजिट कार्यों के तहत पर्यटकों के लिए एक शौचालय एवं एप्रोच रोड का निर्माण करवाया जा रहा है। मन्दिर के बाहर चारदीवारी पर रेलिंग एवं पत्थर की फर्श डाली जा रही है।

निवाई में नवीन महाविद्यालय खोलने की योजना

456. श्री हीरालाल (निवाई): क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) 1 जनवरी, 2014 के पश्चात् प्रदेश में कहां-कहां नए राजकीय महाविद्यालय स्वीकृत किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र निवाई के निवाई उपखण्ड मुख्यालय पर राजकीय कला महाविद्यालय एवं पीपलू में राजकीय स्नातक महाविद्यालय स्वीकृत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) 1 जनवरी, 2014 के पश्चात राज्य में राजकीय क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर 24 नए महाविद्यालय स्वीकृत किये गये हैं, जिनकी सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है। 12 नये राजकीय महाविद्यालय खोलने की घोषणा बजट सत्र 2016-17 में की गई है, जिनकी सूची परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र निवाई के निवाई उपखण्ड मुख्यालय पर राजकीय महाविद्यालय, निवाई संचालित है, जिसमें कला संकाय में अध्ययन की सुविधा उपलब्ध है।

निर्धारित मानदण्डों के पूर्ण होने और संसाधनों के आधार पर विधान सभा क्षेत्र निवाई के पीपलू में राजकीय महाविद्यालय खोले जाने पर विचार किया जावेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश के नगरपालिका क्षेत्र में अधिवास प्रमाण-पत्र जारी करने की योजना

457. श्री पब्बाराम (फलौदी): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश की नगरपालिकाओं के सीमा क्षेत्र से पैराफैरी में आने वाले क्षेत्र में पानी, बिजली एवं सड़कों जैसी मूलभूल सुविधाओं का विकास किये जाने के सम्बन्ध में सरकार की क्या कार्य योजना है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि प्रदेश की नगरपालिका क्षेत्र की पैराफैरी में निवास करने वाले व्यक्तियों को नगरपालिकाओं के द्वारा अधिवास का प्रमाण-पत्र जारी नहीं किये जाने के अभाव में पैराफैरी क्षेत्र में आवासित परिवारों को सम्बन्धित विभाग द्वारा पानी, बिजली के कनेक्शन नहीं दिये जा रहे हैं? क्या सरकार इस तरह के अधिवास प्रमाण-पत्र की अनिवार्यता को समाप्त कर पानी, बिजली के कनेक्शन दिये जाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 166 के प्रावधानों के अनुरूप सम्बन्धित नगरपालिका राज्य सरकार के अनुमोदन से राजपत्र में अधिसूचना द्वारा किसी भी क्षेत्र को अधिनियम के प्रयोजनों के लिये विकास क्षेत्र घोषित कर सकेगी। नगरीय निकायों से पैराफैरी में विकास कार्य करने के प्रस्ताव प्राप्त होने पर अधिनियम के प्रावधानों अनुसार समुचित कार्यवाही की जानी प्रस्तावित है।

(2) जी नहीं। नगर पालिका क्षेत्र की पैराफैरी में निवास करने वालें व्यक्तियों को नगरपालिकाओं के द्वारा अधिवास का प्रमाण-पत्र जारी किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। नियमों में ऐसी कोई अनिवार्यता नहीं है कि बिना अधिवास प्रमाण-पत्र के पैराफैरी क्षेत्र में आवासित परिवारों को सम्बन्धित विभागों द्वारा पानी, बिजली के कनेक्शन नहीं दिये जाएं।

बांसवाड़ा जिले के जनजाति क्षेत्र में माही डैम से सिंचाई हेतु पानी देने की योजना

458. श्री नवनीत लाल (घाटोल) : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री नवनीत लाल)

(1) बांसवाड़ा जिले में माही डेम का निर्माण कब हुआ व इससे कितनी नहरें निकालकर किसानों को पानी दिया जा रहा है? नहरों के नाम व नहरों से सिंचित होने वाली भूमि के क्षेत्रफल का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा वर्ष 2006 में उक्त डेम से जनजाति क्षेत्र में पानी देने की घोषणा की गई थी? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। जिला बांसवाड़ा में माही डेम नाम के जलाशय का निर्माण 1983 में हुआ। इस बांध से तीन मुख्य नहरें निकालकर किसानों को पानी दिया जा रहा है। नहरों के नाम व सिंचित क्षेत्रफल निम्न प्रकार है :-

1. दांयी मुख्य नहर प्रणाली	- 35940 हैक्टेयर
2. बांयी मुख्य नहर प्रणाली	- 40570 हैक्टेयर
3. भूंगडा नहर प्रणाली	- 3490 हैक्टेयर
योग	- 80000 हैक्टेयर

प्रत्येक नहर प्रणाली अन्तर्गत वितरिकाओं एवं माइनरों का विवरण मय सी.सी.ए. परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है।

(2) जी हां। सरकार द्वारा वर्ष 2006 के दौरान माही डेम के अधिशेष जल के उपयोग हेतु डेम के दांयी तरफ से पीपलखूंट क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के प्रस्ताव तैयार करने की घोषणा की गई थी। घोषणा के सम्बन्ध में डी.पी.आर. तैयार करने का कार्य, गुजरात राज्य से 1966 के अनुबन्ध की क्रियान्विति पर 40 टी.एम.सी. पानी के उपयोग हेतु स्वीकृति प्राप्त नहीं होने से, नहीं करवाया जा सका है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में चना व सरसों की स्टाक सीमा को हटाने की योजना

459. श्रीमती सोनादेवी (रायसिंहनगर): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या सरकार प्रदेश चना व सरसों की स्टाक सीमा को समाप्त करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में दालों एवं दलहनों पर दिनांक 15.07.2015 एवं 20.10.2015 को अधिसूचना जारी कर स्टाक सीमा एवं टर्न ओवर अवधि लागू की गई, जो कि 30 सितम्बर, 2016 तक निश्चित है, जिसमें चना भी सम्मिलित है। चना की स्टाक सीमा समाप्त करने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

प्रदेश में खाद्य तेल एवं तिलहनों (सरसों एवं अन्य तिलहनों) पर दिनांक 23.11.2015 एवं 8.12.2015 को स्टाक सीमा लागू की गई थी। राज्य सरकार द्वारा दिनांक 26.02.2016 को अधिसूचना जारी कर खाद्य तेल एवं तिलहनों (सरसों एवं अन्य तिलहनों) पर लगाई गई स्टाक सीमा हटा ली गई है। जारी अधिसूचनाओं की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

प्रदेश में वरिष्ठ नागरिकों हेतु बनाये गये अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु कार्यवाही

460. श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि माता-पिता और बुजुर्गों के सम्मान से जुड़े एक्ट Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizen Act, 2007 के राजस्थान में प्रभावी क्रियान्वयन हेतु सरकार ने 18 जून, 2010 को अधिसूचना जारी की है? यदि हां, तो उक्त एक्ट की प्रभावी पालना हेतु नागौर जिले में जिला प्रशासन द्वारा एक्ट लागू होने से अब तक क्या कदम उठाये गये?

(2) उक्त एक्ट के लागू होने के बाद क्या कोई जिला समन्वय समिति बनाई गई, जिससे बुजुर्गों को सम्मान मिल सके? यदि हां, तो उस समिति का गठन कब किया गया तथा नागौर जिले में उक्त समिति की अब तक कितनी बैठकें हुईं? बैठकों की कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त एक्ट के प्रचार-प्रसार व प्रभावी रूप से लागू करने हेतु प्रत्येक जिले में कोई बजट जारी करती है? यदि हां, तो कितना व नहीं, तो क्या सरकार बजट जारी करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितना व कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियिम, 2007 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु राजस्थान माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण नियम, 2010 दिनांक 18 जून, 2010 को अधिसूचित किये गये। इस अधिनियम की प्रभावी पालना हेतु नागौर जिले के जिला प्रशासन द्वारा समय-समय पर पुलिस अधीक्षक तथा समस्त पीठासीन अधिकारियों (उपखण्ड अधिकारियों) को एक्ट के तहत प्राप्त आवेदन के निस्तारण एवं प्रभावी कार्यवाही करने हेतु निर्देश दिये गये हैं।

(2) जी हां। अधिनियम 2007 के लागू होने के बाद प्रशासनिक सुधार (अनुभाग-3) विभाग, राजस्थान सरकार ने प्रत्येक जिले के जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में जिला समन्वय समिति का गठन आदेश दिनांक 14.10.2010 के द्वारा किया गया है। आदेश की प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है। नागौर जिले में उक्त समिति की एक बैठक दिनांक 18.01.2016 को आयोजित की गई। उक्त बैठक का कार्यवाही विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(3) सरकार द्वारा एक्ट के प्रचार-प्रसार करने हेतु प्रत्येक जिले में पृथक से कोई बजट जारी नहीं किया जाता है और ना ही प्रावधान विचाराधीन है।

प्रतिवर्ष 1 अक्टूबर को अन्तराष्टीय वृद्धजन दिवस राज्य एवं जिला स्तर पर मनाया जाता है। इस अवसर पर वृद्धजनों की समस्याओं, युवा एवं किशोरों के साथ इनके आपसी तालमेल-समन्वय के सम्बन्ध में सेमीनार, विचार-गोष्ठी, प्रभात-फेरी, हैल्थ-कैम्प आदि का आयोजन किया जाता है।

राज्य स्तरीय समारोह में वृद्धजनों को सम्मानित किये जाने के साथ अधिनियम की जानकारी हेतु प्रचार-प्रसार किया जाता है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

श्रीगंगानगर जिले के विद्यालयों में रमसा के तहत निर्माण पर व्यय राशि

461. **श्रीमती कामिनी जिन्दल** (गंगानगर): क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सर्व शिक्षा अभियान के तहत वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 में

(श्रीमती कामिनी जिन्दल)

श्रीगंगानगर जिले में कितने विद्यालयों में निर्माण कार्य करवाये गये व उन पर कितना व्यय किया गया? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (रमसा) के तहत वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 में श्रीगंगानगर जिले में कितने विद्यालयों में निर्माण कार्य करवाये गये व उन पर कितना व्यय किया गया? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सर्व शिक्षा अभियान के तहत वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 में श्रीगंगानगर जिले में 144 विद्यालयों में निर्माण कार्य करवाये गये हैं। जिन पर 587.05 लाख रुपये का व्यय किया गया है। वर्षवार व्यय का विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (रमसा) के अन्तर्गत श्रीगंगानगर जिले में वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 में 93 विद्यालयों में निर्माण कार्य करवाये गये हैं, जिन पर 2312.35 लाख रुपये का व्यय किया गया है। वर्षवार व्यय का विवरण परिशिष्ट "ख" पर संलग्न हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

परबतसर में किसानों को सहकारी बैंक से स्वीकृत ऋण

462. श्री मानसिंह किनसरिया (परबतसर): क्या सहकारिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) नागौर जिले में गत तीन वर्षों में सहकारी बैंक द्वारा किसानों को कितना-कितना ऋण स्वीकृत किया गया तथा अधिकतम कितना ऋण दिया गया? विधान सभा क्षेत्रवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त बैंक द्वारा परबतसर विधान सभा क्षेत्र में कितना ऋण स्वीकृत किया गया व उसकी अधिकतम सीमा क्या थी?

उत्तर

(1) नागौर जिले में गत तीन वर्षो में केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., नागौर द्वारा ग्राम सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से निम्नानुसार ऋण स्वीकृत/वितरण किया गया तथा अधिकतम ऋण 1.00 लाख रुपये दिया गया।

(सहकारिता राज्य मंत्री)

विधान सभा क्षेत्रवार विवरण निम्नानुसार है :-

(राशि लाखों में)

क्र. सं.	विधान सभा क्षेत्र	ऋण वितरण वर्ष 2012-13	ऋण वितरण वर्ष 2013-14	ऋण वितरण वर्ष 2014-15
1.	जायल	2737.25	3632.97	3667.93
2.	लाडनूं	1579.64	2010.96	1823.94
3.	डीडवाना	2243.27	3337.58	2555.23
4.	नावां	3175.45	5377.87	4054.59
5.	मेड़ता	4853.40	9043.62	6655.92
6.	नागौर	1740.84	3008.68	2688.36
7.	खींवसर	3751.31	6632.12	6249.28
8.	डेगाना	2791.25	5008.33	5328.63
9.	मकराना	2033.90	3160.49	3139.28
10.	परबतसर	1990.65	2734.25	3316.81
	योग	**26896.96**	**43946.87**	**39479.97**

(2) नागौर केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., द्वारा विधान सभा क्षेत्र परबतसर में गत तीन वर्षों में वितरित/स्वीकृत ऋण निम्नानुसार है :-

(राशि लाखों में)

क्र.सं.	विधान सभा क्षेत्र	ऋण वितरण वर्ष 2012-13	ऋण वितरण वर्ष 2013-14	ऋण वितरण वर्ष 2014-15
1.	परबतसर	1990.65	2734.25	3316.81

अल्पकालीन फसली ऋण की अधिकतम सीमा 1.50 लाख रुपये है।

चौमूं की ग्राम पंचायतों में वन क्षेत्र की भूमि

463. श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री रामलाल शर्मा)

(1) चौमूं विधान सभा क्षेत्र में कौन-कौनसी ग्राम पंचायतों के किस-किस खसरा नंबर की भूमि वन क्षेत्र के नाम से अंकित है?

(2) क्या यह सही है कि लगभग 50 वर्षो से कब्जा काश्त भूमि को भी पेंसिल नोट लगाकर वन क्षेत्र में दर्शाई गई है? यदि हां, तो उक्त विधान सभा क्षेत्र में ऐसी कौन-कौनसी भूमि ग्राम पंचायतों में उपलब्ध है, जिन पर किसान काबिज है और उनके खातेदारी पर पेंसिल नोट लगाया हुआ है?

(3) वन क्षेत्र में पेंसिल नोट लगाने के क्या प्रावधान हैं? कौनसी भूमि पर और कब पेंसिल नोट लगाये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) चौमूं विधान सभा क्षेत्र में वन भूमि का ग्रामवार विवरण मय खसरा नम्बर की सूची संलग्न परिशिष्ट "ए" अनुसार है।

(2) जी हां। तहसील चौमूं क्षेत्र में लगभग 50 वर्षो से कब्जा काश्त खातेदारी भूमि, जो वन क्षेत्र की सीमा में स्थित है, में पैन्सिली नोट लगे हुए हैं, जिस खातेदारी भूमि पर पैन्सिली नोट लगे हुए हैं, उनकी ग्राम पंचायतवार सूची संलग्न परिशिष्ट "बी" अनुसार है।

(3) तहसील चौमूं के वन क्षेत्र के उन खसरा नम्बरान पर पैन्सिली नोट लगाये गये हैं, जिन खसरा नम्बरों का वन विभाग के नाम अधिसूचना जारी होने के बावजूद भी अमल दरामद नहीं हुआ था एवं खसरा नम्बर राजस्व नक्शे में वन सीमा के अन्दर है।

चौमूं विधान सभा क्षेत्र में राजस्व रिकार्ड में पैन्सिली नोट वाली वन भूमि का विवरण संलग्न परिशिष्ट "बी" अनुसार है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्रीकोलायत को धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की योजना

464. श्री दर्शन सिंह (करौली): क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार बीकानेर जिले के पवित्र तीर्थस्थल श्रीकोलायत को धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का विचार रखती है? यदि हां तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री दर्शन सिंह)

(2) क्या सरकार कोलायत में लगने वाले मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन हेतु दी जाने वाली बजट राशि को बढ़ाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार द्वारा वर्ष 2013-14 में कोलायत के कपिल सरोवर के जीर्णोद्धार हेतु बजट स्वीकृत कर कार्य करवाए गए हैं? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार कोलायत के कपिल सरोवर में उगी जलीय वनस्पति को हटाने हेतु राशि स्वीकृत कर सफाई करवाने का विचार रखती है? यदि हां तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पर्यटन विभाग द्वारा वर्तमान में बीकानेर जिले के पवित्र तीर्थस्थल श्री कोलायत को धार्मिक पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने की कोई कार्य योजना/प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(2) पर्यटन विभाग द्वारा वर्तमान में कोलायत में लगने वाले मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन हेतु दी जा रही बजट राशि को बढ़ाने की कोई कार्य योजना/प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(3) पर्यटन विभाग द्वारा श्रीकोलायत सरोवर, बीकानेर के विकास हेतु वर्ष 2013-14 में राशि रु. 40.26 लाख का प्रोजेक्ट स्वीकृत कर राशि रु. 36.23 लाख व्यय कर कोलायत सरोवर की मरम्मत एवं रेलिंग लगाने आदि विकास कार्य पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग के माध्यम से करवाये गये हैं।

(4) पर्यटन विभाग द्वारा वर्तमान में कपिल सरोवर में उगी जलीय वनस्पति को हटाने हेतु राशि स्वीकृत कर तालाब की सफाई करवाने संबंधी कोई कार्य योजना/प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

प्रदेश में आर.एस.सी.आई.टी. कोर्स को मान्यता देने की कार्यवाही

465. श्री पूरणमल सैनी (खेतडी) व **श्री मानिक चन्द सुराना** (लूणकरणसर): क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार ने राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लि. द्वारा आयोजित RS-CIT कोर्स को मान्यता प्रदान की है? यदि हां, तो कब?

(2) क्या उक्त कम्पनी ने पाठ्यक्रम RS-CIT को सरकार से मान्यता

(श्री पूरणमल सैनी)

प्राप्ति के लिए कोई प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है? यदि हां, तो उसकी प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखें व उक्त पाठ्यक्रम को किन उच्च अधिकारियों ने परीक्षण कर सरकार को मान्यता प्रदान करने हेतु प्रस्तावित किया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त पाठ्यक्रम की मान्यता किस स्तर से दी गयी? आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 01 सितम्बर, 2014 को सूचित किया है कि उक्त विश्वविद्यालय द्वारा RS-CIT को किसी भी डिग्री व डिप्लोमा के समकक्ष नहीं माना है?

उत्तर

(1) जी हां। सरकार ने वर्ष 2008 में राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लि. द्वारा आयोजित RS-CIT कोर्स को मान्यता प्रदान की थी।

(2) जी हां। प्रतिलिपि अनुलग्नक-1 पर संलग्न है। उक्त पाठ्यक्रम को सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के स्तर पर परीक्षण कर राज्य में कम्प्यूटर साक्षरता को बढ़ावा देने हेतु मान्यता प्रदान की गई थी।

(3) विभाग के प्रशासनिक स्तर से उक्त पाठ्यक्रम को मान्यता प्रदान की गई। आदेश की प्रति अनुलग्नक-2 पर उपलब्ध है।

(4) जी हां। वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत यह जानकारी दी गई है कि RS-CIT को किसी भी डिग्री, डिप्लोमा के समकक्ष नहीं माना गया है। (पत्र की प्रति अनुलग्नक-3 पर उपलब्ध है)

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

किशनगढ़ (अजमेर) में नगर विकास न्यास का गठन

466. श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में कितने "नगर सुधार न्यास" किन-किन शहरों में कब-कब से संचालित हैं? उक्त शहरों की नगर सुधार न्यास स्थापना के समय कितनी-कितनी जनसंख्या थी? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री भागीरथ चौधरी)

(2) क्या यह सही है कि प्रदेश में नगर सुधार न्यास गठन के कोई मानदण्ड निर्धारित हैं? यदि हां, तो मानदण्डों की प्रति एवं वर्ष 2008 से अब तक गठित नगर सुधार न्यासों का उक्त मानदण्डानुसार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि वर्तमान में प्रदेश में कार्यरत 7-8 नगर परिषदों द्वारा उक्त मानदण्डों को पूर्ण किया जा रहा है? यदि हां, तो क्या सरकार शेष रही उक्त नगर परिषद क्षेत्रों में भी नगर विकास न्यास का गठन करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि "सुराज संकल्प यात्रा" के दौरान घोषणा पत्र में एक लाख की जनसंख्या वाले शहरों में नगर सुधार न्यास का गठन करने की घोषणा की गई थी? यदि हां, तो क्या सरकार किशनगढ़ (अजमेर) को नगर सुधार न्यास का गठन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1)

न्यास के नाम	न्यास के गठन की दिनांक	न्यास के गठन के समय जनसंख्या
अलवर	15.05.1961	72,707
आबू	10.09.2009	47,640
भिवाड़ी	19.09.2004	34,000
भरतपुर	29.09.1961 12.05.1981 (पुनर्गठन)	49,776 1,05,200
बीकानेर	01.11.1960	1,50,634
भीलवाड़ा	16.09.1967	44,499
बाड़मेर	10.04.2013	26,03,751
कोटा	09.07.1970	2,12,931
जैसलमेर	10.09.2009	65,471
श्रीगंगानगर	12.05.1981	1,23,692

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

न्यास के नाम	न्यास के गठन की दिनांक	न्यास के गठन के समय जनसंख्या
उदयपुर	01.11.1960	1,20,000
सीकर	10.04.2013	2,45,000
सवाईमाधोपुर	10.04.2013	1,21,106
पाली	10.04.2013	2,30,075
चित्तौड़गढ़	10.04.2013	1,16,406

(2) जी नहीं। प्रदेश में नगर सुधार न्यास गठन हेतु कोई मानदण्ड निर्धारित नहीं किये हुए हैं।

(3) कोई मानदण्ड निर्धारित नहीं होने से यह नहीं कहा जा सकता कि 7-8 नगर परिषदें निर्धारित मानदण्ड पूर्ण करती हैं।

(4) यह सही है कि सुराज संकल्प यात्रा घोषणा 2013 के अनुसार एक लाख की जनसंख्या वाले शहरों में नगर सुधार न्यास के गठन करने की घोषणा की गयी थी। फिलहाल किशनगढ़ (अजमेर) नगर विकास न्यास गठन का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

तकली मध्यम सिंचाई परियोजना के लिये किसानों की अवाप्त भूमि का मुआवजा

467. श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमंडी): क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र रामगंजमण्डी में "तकली मध्यम सिंचाई परियोजना" के अन्तर्गत किसानों की भूमि अवाप्त की गयी है? यदि हां, तो किन-किन ग्रामों की व कितनी-कितनी भूमि अवाप्त की गयी व कितनी शेष है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त परियोजना के डूब क्षेत्र में आये गांवों के किसानों की अवाप्त की गई भूमि का संबंधित किसानों को पर्याप्त मुआवजा दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या सरकार कृषकों को उचित मुआवजा देने का विचार रखती है? यदि हां, तो किस दर पर? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

(3) क्या उक्त परियोजना से सिंचाई के लिये नहरें निकाली जा रही हैं? यदि हां, तो नहरें किन-किन ग्रामों से निकाली जावेंगी व उससे कितने किसानों की कितनी-कितनी भूमि अवाप्त की जावेगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त किसानों की अवाप्त भूमि का उचित मुआवजा देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार द्वारा उक्त परियोजना के डूब क्षेत्र में आये किसानों को पुनर्वास हेतु भूमि चयनित कर आबंटित कर दी गयी है? यदि हां, तो कब व किन-किन कृषकों को कितनी-कितनी भूमि पुनर्वास के लिये आबंटित की गयी? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या सरकार उक्त परियोजना डूब क्षेत्र में आये किसानों को पुनर्वास हेतु वर्तमान डी.एल.सी. की दर से मकानों का मुआवजा अथवा प्रत्येक वयस्क परिवारों को मकानों का निर्माण कर आबंटित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां, विधान सभा क्षेत्र रामगंजमण्डी में तकली मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत बांध निर्माण हेतु आवश्यकतानुसार सम्पूर्ण भूमि अवाप्त की जा चुकी है। अवाप्त भूमि का ग्रामवार विवरण परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है। बांध निर्माण हेतु भूमि अवाप्त की जानी शेष नहीं है।

नहरों के निर्माण हेतु भूमि अवाप्त किये जाने के अन्तर्गत बांयी मुख्य नहर हेतु भूमि अवाप्ति कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, इस हेतु प्रस्तावित भूमि का ग्रामवार विवरण परिशिष्ट-'ब' पर संलग्न है। दायीं मुख्य नहर का अलाइनमेंट स्वीकृति की प्रक्रिया में होने से भूमि अवाप्ति की कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की गई है।

(2) जी हां, तकली मध्यम सिंचाई परियेाजना के डूब क्षेत्र में आये गांवों के किसानों की अवाप्त की भूमि का पर्याप्त मुआवजा भुगतान तत्समय प्रचलित भूमि अवाप्ति अधिनियम में निहित प्रावधानों के अनुसार भूमि अवाप्ति एवं उपखण्ड अधिकारी, रामगंजमण्डी द्वारा जारी एवं राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत अवार्ड के अनुसार किया गया है।

(जल संसाधन मंत्री)

(3) जी हां। तकली मध्यम सिंचाई परियोजना से सिंचाई प्रस्तावित बांयी मुख्य नहर के निर्माण हेतु 137 कृषकों की 19.62 हैक्टेयर भूमि अवाप्त की जानी है। ग्रामवार विवरण परिशिष्ट-'ब' में अंकित है। दांयी मुख्य नहर का अलाइनमेंट स्वीकृति की प्रक्रिया में होने से भूमि अवाप्ति कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की गई है।

(4) जी हां। अवाप्त की जाने वाली भूमि का मुआवजा प्रचलित भूमि अवाप्ति अधिनियम 2013 के अन्तर्गत जारी नियमों में निहित प्रावधानों के अनुसार तैयार कर सक्षम स्तर से स्वीकृति उपरान्त किया जाना प्रस्तावित है।

(5) जी हां। डूब क्षेत्र के किसानों को पुनर्वास हेतु ग्राम तालियाबड़ी व दुड़कली के कृषकों को भूमि का आबंटन कर दिया गया है। विवरण परिशिष्ट-'स' पर संलग्न है। डूब क्षेत्र के शेष गांवों सारनखेडी, सोहनपुरा, दड़िया, तमोलिया व रघुनाथपुर (आंशिक) हेतु भूमि चिन्हित की जाकर नवीन भूमि अवाप्ति अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार आबंटन प्रक्रियाधीन है।

(6) जी हां। "भूमि अर्जन, पुर्नवास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013" के प्रावधानों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में इन्दिरा आवास योजना के मापदण्ड अनुसार एक मकान निर्मित कर देने अथवा इसके एवज में समतुल्य राशि दिये जाने का प्रावधान होने से तदानुसार विस्थापित परिवारों से संबंधित कार्यवाही की जा रही है। यह कार्यवाही उनके विस्थापन पूर्व की जानी प्रस्तावित है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में एल.पी.जी. ग्राहक दुर्घटना बीमा के लाभार्थी

468. श्री जोगाराम पटेल (लूणी): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जब भी किसी व्यक्ति द्वारा एल.पी.जी. गैस का कनेक्शन लिया जाता है तो क्या उसका "एलपीजी ग्राहक दुर्घटना बीमा" होता है? यदि हां, तो प्रदेश में कितने एल.पी.जी. उपभोक्ता हैं तथा कितने उपभोक्ताओं का एल.पी.जी. ग्राहक बीमा किया गया है?

(2) प्रदेश में एल.पी.जी. उपभोक्ता का जब "ग्राहक दुर्घटना बीमा" किया जाता है, तो उससे किस-किस मद में कितनी-कितनी राशि ली जाती है तथा कौन-कौनसी दुर्घटनाओं पर उपभोक्ता को क्या-क्या लाभ मिलता है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री जोगाराम पटेल)

(3) क्या गत दो वर्षों में रजिस्टर्ड उपभोक्ताओं को जिनकी एल.पी.जी. गैस के उपयोग के कारण दुर्घटनाओं में मृत्यु हुई या कोई शारीरिक या सम्पत्ति का नुकसान हुआ, उनको इस बीमा योजना का कोई लाभ प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य स्तरीय समन्वयक, तेल उद्योग, राजस्थान से प्राप्त सूचना अनुसार यह सही है कि किसी व्यक्ति द्वारा एल.पी.जी. कनेक्शन लिया जाता है, तो तेल कम्पनियों द्वारा ली गई Comprehensive Public Liability Insurance Policy, जो कि एल.पी.जी. दुर्घटनाओं के लिए है, सभी एल.पी.जी. ग्राहकों पर लागू होती है।

दिनांक 01.03.2016 को प्रदेश में 86.92 लाख एल.पी.जी. उपभोक्ता है।

(2) प्रदेश में वर्तमान में 86.92 लाख एल.पी.जी. उपभोक्ता हैं। तेल कम्पनियों द्वारा ली गई Comprehensive Public Liability Insurance Policy, इन सभी उपभोक्ताओं पर लागू होती है। मद तथा राशि हेतु प्रचलित बीमा पालिसी की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(3) गत दो वर्षों में तेल कम्पनियों द्वारा ली गई Comprehensive Public Liability Insurance Policy, के तहत एक दावा तय कर दिया गया है एवं दूसरे का अंतिम निस्तारण बाकी है, विवरण निम्न प्रकार है :-

Market	District	Month & Year of Accident	Property Damaged Claimed	Deaths (Nos.)	Claim Settled (Rs.)
Kota	Kota	November, 2014	Hotplate, Cylinder & Regulator	0	5000.00
Kherli	Alwar	April, 2015	Claim under process	03	Rs. 50000.00 (Immediate Relief). Final Claim under process.

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

राईस द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों में घटिया खाद्य सामग्री की आपूर्ति

469. श्री हीरालाल नागर (सांगोद): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में राईस द्वारा कितने आवासीय विद्यालय कहां-कहां संचालित हैं तथा उनमें कितने-कितने छात्र अध्ययनरत हैं? जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि राईस द्वारा संचालित प्रदेश के सभी आवासीय विद्यालयों में छात्र-छात्राओं के लिये खाद्यान आपूर्ति राईस जयपुर मुख्यालय द्वारा उपभोक्ता संघ जयपुर के माध्यम से सप्लाई की जाती है? यदि हां, तो कहां-कहां? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) प्रदेश के आवासीय विद्यालयों द्वारा गत दो वर्षों में राशन आपूर्ति हेतु सम्बन्धित विभाग से कब-कब, कितनी-कितनी सामग्री की डिमाण्ड की गयी एवं डिमाण्ड के अनुरूप क्या-क्या सामग्री भिजवायी गयी? उक्त अवधि का डिमाण्ड एवं सामग्री का विद्यालयवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि राईस द्वारा प्रदेश के आवासीय विद्यालयों में छह माह का एक साथ राशन सप्लाई कर दिया जाता है, जिससे राशन में कीड़े पड़ जाते हैं एवं आवासीय विद्यालयों में छात्र-छात्राओं द्वारा कीड़े पड़े हुए आटे-दालों का ही उपयोग किया जाता है? क्या सरकार आवासीय विद्यालयों हेतु जिला मुख्यालयों पर उपभोक्ता संघों से राशन सामग्री खरीदने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के राईस द्वारा 19 आवासीय विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है, आवासीय विद्यालय एवं उनमें अध्ययनरत छात्रों का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी हां। विभागीय आदेश क्रमांक 18821 दिनांक 26.03.2015 (परिशिष्ट-2) द्वारा आवासीय विद्यालयों में छात्र-छात्राओं हेतु आवश्यक खाद्य सामग्री एवं अन्य आवश्यक उपभोक्ता वस्तुएं राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड जयपुर से परिशिष्ट-3 में वर्णित वस्तुएं क्रय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री)

राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड जयपुर द्वारा विभाग के नियंत्रणाधीन राईस द्वारा संचालित सभी आवासीय विद्यालयों में खाद्य सामग्री एवं अन्य आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं की आपूर्ति की जाती है। जिलेवार आवासीय विद्यालयों की सूची परिशिष्ट-4 पर संलग्न है।

(3) विगत दो वर्षों (2013-14 एवं 2014-15) में सम्बन्धित आवासीय विद्यालय के प्रधानाचार्यों द्वारा ही स्थानीय स्तर पर खाद्य सामग्री क्रय की कार्यवाही की जाती थी। विभागीय स्तर पर केन्द्रीकृत व्यवस्था अन्तर्गत वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 हेतु किसी भी एंजेन्सी को खाद्य सामग्री आपूर्ति के लिये अधिकृत नहीं किया गया था। केन्द्रीकृत व्यवस्था अन्तर्गत खाद्य सामग्री क्रय करने की कार्यवाही वर्ष 2015-16 से ही प्रारम्भ की गई है।

(4) जी नहीं। यह सही नहीं है कि विभाग के राईस द्वारा प्रदेश के आवासीय विद्यालयों में 6 माह का एक साथ राशन सप्लाई कर दिया जाता है, जिससें राशन में कीड़े पड़ जाते है, एवं आवासीय विद्यालयों में छात्र-छात्राओं को कीड़े पडे हुए आटे-दालो का ही उपयोग किया जाता है।

राईस के 19 आवासीय विद्यालयों मे से केवल मण्डाना एवं हिंगी (कोटा) में प्रवेश प्रक्रिया की विलम्बता एवं वर्षाजनित नमी के कारण पोहा, सूजी, दलिया, दाल इत्यादी में कीड़े लग जाना बताया गया है लेकिन कीड़े लगी हुई सामग्री का उपयोग छात्र-छात्राओं के लिये नहीं किया गया है।

कानफैड, जयपुर द्वारा विभाग के आदेश क्रमांक 25415 दिनांक 23.4.2015 के अनुसरण में खाद्य सामग्री एवं अन्य उपभोक्ता वस्तुओं की आपूर्ति प्रथमत: दो माह की अवधि के लिये करवाई गई है, यह आपुर्ति आवासीय विद्यालयों की स्वीकृत संख्या के आधार पर करवाई गई है जिसकी प्रति परिशिष्ट-5 पर उपलब्ध है। उसके पश्चात् माह सितम्बर एवं अक्टूबर 2015 में सम्बन्धित आवासीय विद्यालयों के प्रधानाचार्यों द्वारा अपने स्तर पर ही खाद्य सामग्री एवं अन्य उपभोक्ता वस्तुओं की खरीद की गई (परिशिष्ट-6 एवं 7)

तदुपरान्त विभाग द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों में आवश्यक खाद्य सामग्री एवं अन्य आवश्यक उपभोक्ता वस्तुएं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के अन्तर्गत वित्त विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 04.09.2013 में वर्णित आइटम संख्या 23 व 32 में विहित शर्तों के

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री)

अनुरूप राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड जयपुर को 15 नवम्बर, 2015 से 15 अप्रैल, 2016 तक (कुल 5 माह हेतु) ब्रान्डेड वस्तुएं क्रय हेतु विभागीय आवासीय विद्यालयों में आपूर्ति किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। जिसके आदेश की प्रति परिशिष्ट-8 पर उपलब्ध है।

राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड, जयपुर द्वारा आपूर्ति किये गये राशन में कीड़े पड़ जाने एवं आवासीय विद्यालयों में छात्र-छात्राओं को कीड़े पड़े हुये आटे दालों का उपयोग कर लिये जाने के सम्बन्ध में विभाग को कोई लिखित जानकारी अथवा शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

सरकार आवासीय विद्यालयों हेतु जिला मुख्यालयों पर उपभोक्ता संघों से राशन सामग्री खरीदने का वर्तमान में कोई विचार नहीं रखती है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश के शिक्षकों की स्थानान्तरण नीति

470. श्री विजय बंसल 'पप्पू बन्डा' (भरतपुर): क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार द्वारा प्रदेश में शिक्षकों के स्थानान्तरण की कोई नीति बनाई गयी है? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्या सरकार अब स्थानान्तरण की नई नीति बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार शिक्षकों की जिलेवार भर्ती कर अन्य दूसरे जिले में स्थानान्तरण नहीं कर उनको उसी जिले में ही पदस्थापित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। जी हां। शिक्षा विभाग में शिक्षकों की स्थानान्तरण नीति बनाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(2) जी नहीं। अपितु माध्यमिक शिक्षा विभाग में प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी शिक्षकों की भर्ती जिला स्तर पर नहीं की जाकर राज्य/मण्डल स्तर पर की जाती है।

प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत तृतीय श्रेणी अध्यापकों की भर्ती वर्तमान में पंचायती राज नियमों के तहत की जा रही है तथा तृतीय श्रेणी

(शिक्षा राज्य मंत्री)

अध्यापकों की मैरिट के अनुसार चयन कर जिलेवार रिक्तियों के विरुद्ध उसी जिले में नियुक्तियां दी जाती हैं।

प्रदेश के किसानों की फसली ऋण की साख सीमा बढ़ाने की योजना

471. **श्री शुभकरण चौधरी** (उदयपुरवाटी): क्या सहकारिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश फसली ऋण की साख सीमा को बैंकों द्वारा आधी कर दी गई है, जबकि सरकार द्वारा ऋण सीमा 3 लाख रुपये की गई है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार किसान की फसली ऋण की साख सीमा को बढ़ाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और कितनी व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं। किसान क्रेडिट कार्ड योजनान्तर्गत निर्धारित ऋण सीमा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा निर्धारित है।

बीकानेर जिले में खनन से प्राप्त राजस्व

472. **श्री भंवरसिंह** (कोलायत): क्या खान राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि बीकानेर जिले की कोलायत व बीकानेर तहसील क्षेत्र के विभिन्न गांवों में क्ले, बजरी, लिग्नाइट, कंकर, मोर्रम व जिप्सम आदि खनिजों का प्रचुर मात्रा में खनन किया जाता है?

(2) कोलायत व बीकानेर तहसील क्षेत्र में खनिजों के निर्गमन से सरकार को प्रतिवर्ष कितना राजस्व प्राप्त होता है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि खनिज वाहनों के लगातार आवागमन से इस क्षेत्र की अधिकांश सड़कें अत्यन्त क्षतिग्रस्त हो गई हैं?

(4) क्या सरकार कोलायत व बीकानेर तहसील के खनन क्षेत्र के आस-पास के गांवों की सड़कों का पुनर्निर्माण व नवीनीकरण करने का विचार रखती है?

(5) वर्ष 2016-17 में सरकार द्वारा कोलायत क्षेत्र की कौन-कौनसी सड़कों का पुनर्निर्माण व नवीनीकरण किया जाना प्रस्तावित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) तहसील कोलायत एवं बीकानेर में स्वीकृत खनन पट्टों से निर्गमित होने वाले खनिज से प्राप्त होने वाले राजस्व का गत तीन वर्षो का विवरण परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(3) जी हां।

(4) कोलायत व बीकानेर तहसील खनन क्षेत्र में स्वीकृत सड़क रणजीतपुरा ओसियां (एसएच-6ए) के किमी 1/0 से 4/0 एवं 35/0 से 38/0 कुल लम्बाई 6.00 किमी को छोड़कर शेष सड़कें वर्तमान में किसी भी योजना में प्रस्तावित नहीं है।

(5) वर्ष 2016-17 में कोलायत क्षेत्र की सड़क रणजीतपुरा ओसियां (एसए-6ए) के किमी 1/0 से 4/0 एवं 35/0 से 38/0 कुल लम्बाई 6.00 किमी का नवीनीकरण का कार्य स्वीकृत है एवं कार्यादेश जारी किए जा चुके हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

टोंक में बनास नदी पर बने फ्रेजर पुल को पर्यटन स्थल बनाने की योजना

473. श्री अजीत सिंह (टोंक): क्या कला, साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्व राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या सरकार टोंक में बनास नदी पर आमजन के आवागमन हेतु वर्ष 1936 में बनाये गये फ्रेजर पुल को पुरातत्व महत्व का घोषित कर पर्यटन स्थल बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र टोंक में जिला मुख्यालय पर बनास नदी पर आमजन के आवागमन हेतु वर्ष 1936 में बनाया गया फ्रेजर पुल राज्य सरकार का संरक्षित स्मारक नहीं है।

किसी भी स्थल को ऐतिहासिक, कलात्मकता एवं पुरातत्व की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने पर ही संरक्षित घोषित किया जाता है।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

प्रदेश के संस्कृत विद्यालयों में कार्यरत सामान्य शिक्षकों की पदोन्नति

609. श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी): क्या संस्कृत शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि संस्कृत शिक्षा विभाग (स्कूल विंग) ने नवीन सेवा नियम, 2015 जारी किये हैं? यदि हां, तो सेवा नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त सेवा नियमों के अनुसार सामान्य शिक्षकों की पदोन्नति प्रशासनिक पदों पर वरिष्ठता के आधार पर नहीं की जा रही है? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि इन नियमों के अन्तर्गत प्रशासनिक पदों पर पदोन्नति केवल संस्कृत विषय के वरिष्ठ उपाध्याय, शास्त्री, आचार्य आदि को ही पदोन्नति दी जाती है? सामान्य शिक्षक, जो संस्कृत स्कूलों में अध्यापक का कार्य कर रहे हैं तथा वरिष्ठ हैं, तब भी पदोन्नति नहीं दी जाती है? यदि हां, तो क्या सरकार इस विसंगति में सुधार करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(4) क्या सरकार उक्त नियमों में व्याप्त विसंगतियों का समाधान करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। सेवा नियमों की प्रति परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) नवीन सेवा नियमों के अनुसार पात्र शिक्षकों की पदोन्नति प्रशासनिक पदों पर की जायेगी।

(3) शिक्षकों की पदोन्नति सेवा नियमों के अनुसार की जाती है। सेवा नियमों में विसंगति पाये जाने पर गुणावगुणों के आधार पर निर्णय लिया जायेगा।

(4) सेवा नियमों में विसंगति पाये जाने पर गुणावगुणों के आधार पर निर्णय लिया जायेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बहरोड़ में कन्या महाविद्यालय खोलने की योजना

610. डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) अलवर जिले में वर्तमान में कितने महिला महाविद्यालय संचालित हैं? स्थानवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में कन्या महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला अलवर में वर्तमान में 1 राजकीय एवं 38 निजी महिला महाविद्यालय संचालित हैं, जिनका विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) निर्धारित मानदण्डों के पूर्ण होने और संसाधनों के आधार पर विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में राजकीय कन्या महाविद्यालय खोले जाने पर विचार किया जावेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

दूदू में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना

611. श्री प्रेमचन्द बैरवा (दूदू): क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या प्रदेश में राजकीय महाविद्यालय खोलने हेतु कोई मानदण्ड निर्धारित हैं? यदि हां, तो क्या? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र दूदू में राजकीय महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राजकीय महाविद्यालय खोलने हेतु निर्धारित मापदण्डों की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र दूदू में दूदू मुख्यालय पर वर्तमान में निजी क्षेत्र में 02 महाविद्यालय संचालित हैं, जिनकी सूची परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

निर्धारित मानदण्डों के पूर्ण होने और संसाधनों की उपलब्धता के

(उच्च शिक्षा मंत्री)

आधार पर विधान सभा क्षेत्र दूदू में राजकीय महाविद्यालय खोले जाने पर विचार किया जावेगा।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

नगर विकास न्यास भिवाड़ी द्वारा सहभागिता आवास योजना के तहत मकानों का आबंटन

612. श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर): क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि नगर विकास न्यास भिवाड़ी द्वारा सहभागिता आवास योजना (पी.पी.पी.) के अफोर्डेबल हाउसिंग पालिसी 2009 के अन्तर्गत मैसर्स फाल्कन रियल्टी सर्विसिंग प्रा.लि. की परियोजना जारी की गई थी? यदि हां, तो कब तथा उक्त योजना में कितने आवेदकों ने आवेदन किया?

(2) उक्त योजना में किस-किस आवेदक द्वारा न्यास द्वारा चाही गई राशि यथा समय जमा करवाई गयी? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या आवेदकों द्वारा सम्पूर्ण राशि जमा करवाने के उपरान्त भी अभी तक कब्जा नहीं दिया गया है? यदि हां, तो क्यों तथा इसके लिये कौन दोषी हैं व उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त आवासीय योजना में आवेदक क्रमांक 17884 द्वारा कब-कब, कितनी-कितनी राशि जमा करवाई गई? जमा कराई गई राशियों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार उक्त योजना में हुई देरी के कारण आवेदकों द्वारा जमा कराई गई राशि पर ब्याज देने का विचार रखती है? यदि हां, तो किस दर से व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) न्यास द्वारा अब उक्त आवेदकों को कब तक कब्जा दे दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। नगर विकास न्यास, भिवाड़ी द्वारा राज्य में लागू अफोर्डेबल हाउसिंग पालिसी 2009 के तहत सहभागिता आवास योजना के अन्तर्गत दिनांक 10.12.2010 को मैसर्स फाल्कन रियल्टी सर्विसेज प्रा.लि. को

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

परियोजना विकसित करने हेतु परियोजना की भवन मानचित्र स्वीकृति जारी की गई थी। जिसके तहत राज्य सरकार की नोडल एजेन्सी राविल के माध्यम से कुल 374 सफल आवेदकों की सूची उपलब्ध कराई गई, जिसकी सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) प्राप्त आवेदकों को जारी आबंटन पत्र अनुसार दिनांक 07.07.2012 तक समस्त राशि जमा कराई जानी थी। जिसके तहत 08 आवेदकों ने ही समयानुसार राशि जमा कराई है, जिसकी सूची परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) सम्पूर्ण राशि जमा कराने वाले आवेदकों को कब्जा नहीं दिया गया है, क्योंकि विकासकर्ता द्वारा आवासों का निर्माण पूर्ण नहीं किया गया है। नगर विकास न्यास, भिवाड़ी द्वारा मैसर्स फाल्कन रियल्टी सर्विसेज प्रा.लि. के विरुद्ध नियमानुसार रुपये 2,92,600/- की शास्ति लगाई जा चुकी है। नोडल एजेन्सी राजस्थान आवास विकास एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा फर्म को समय-समय पर नोटिस जारी किये गये हैं। फर्म के निवेदन पर प्रकरण सक्षम स्तर पर अर्थात राज्य स्तरीय सैक्सनिंग एवं मानिटरिंग कमेटी के समक्ष रखा गया था, जिस पर उक्त परियोजना को पूर्ण करने की अवधि अन्तरिम रूप से दिनांक 31.03.2016 तक बढ़ा दी गई है। यदि फर्म समय पर कार्य पूर्ण नहीं करेगी तो सक्षम स्तर पर पुनः प्रकरण रखा जावेगा एवं अनुबंध की शर्तों के अनुसार कार्यवाही की जावेगी।

(4) जी हां। उक्त आवासीय परियोजना में फार्म संख्या 17884 आवेदक श्री रामनिवास रस्तोगी द्वारा आवास क्रमांक 3/एफ.एफ.2/एल.आई.जी. की राशि जमा कराई गई है, जिसका विवरण परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(5) राज्य सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के अन्तर्गत पंजीकरण एवं व्ययन हेतु सामान्य निबन्धन एवं शर्तों में योजना के देरी होने पर आवेदकों द्वारा जमा कराई गई राशि पर ब्याज दिये जाने का प्रावधान नहीं है और ना ही आवेदकों से विलम्ब से जमा कराई गई राशि पर विलम्ब अवधि का ब्याज लिया जाता है। इस योजना के अन्तर्गत आवेदकों को आवास का कब्जा मूल निर्धारित लागत पर ही दिया जाता है। लागत में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं की जाती है।

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

(6) आवेदकों को कब्जा आवासों का निर्माण पूर्ण होने पर दिया जावेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रश्न संख्या-613

(स्थगित)

नगर परिषद बून्दी में सफाई कर्मचारियों की भर्ती की योजना

614. श्री अशोक डोगरा (बूंदी): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) नगर परिषद, बून्दी में कितने सफाई कर्मियों की आवश्यकता है? इसके विपरीत कितने पद स्वीकृत हैं व वर्तमान में कितने सफाई कर्मी कार्यरत हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त परिषद में कार्यरत स्थायी सफाई कर्मचारियों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार बून्दी नगर परिषद में आवश्यकतानुसार सफाई कर्मियों की भर्ती करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) नगर परिषद, बून्दी में सफाई कर्मचारियों के कुल 297 पद स्वीकृत हैं। जिनके विरुद्ध 223 सफाई कर्मचारी कार्यरत हैं।

(2) नगर परिषद, बून्दी में कार्यरत सफाई कर्मचारियों की सूची परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(3) वर्तमान में माननीय उच्च न्यायालय में दायर एस.बी. सिविल रिट पिटीशन संख्या 6461/2015 में दिनांक 19.01.2016 मे पारित निर्णय में सफाई कर्मचारियों की भर्ती के संबंध में नवीन निर्देश दिये गये हैं। उक्त निर्देशों की अनुपालना में भर्ती प्रकिया को स्थगित किया गया है तथा माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप भर्ती किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्रीगंगानगर में कॉलोनाइजर्स द्वारा स्थापित आवासीय कालोनियां

615. श्रीमती कामिनी जिन्दल (गंगानगर): क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि श्रीगंगानगर में विभिन्न कॉलोनाइजर्स द्वारा कई आवासीय कालोनियां स्थापित की गयी हैं, जिन्हें यूआईटी श्रीगंगानगर द्वारा भी मान्यता प्रदान कर दी गयी है?

(2) श्रीगंगानगर में स्थापित की गई विभिन्न मान्यता प्राप्त एवं अमान्य आवासीय कॉलोनियों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। श्रीगंगानगर में विभिन्न कॉलोनाइजर्स द्वारा कई आवासीय कालोनियां स्थापित की गयी हैं, जिन्हें यूआईटी, श्रीगंगानगर द्वारा भी मान्यता प्रदान की गयी है।

(2) नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर द्वारा राज्य सरकार के दिशा-निर्देशों के अन्तर्गत समस्त कार्यवाही पूर्ण होने पर 86 कालोनियों को स्वीकृति दी गई है, जिसका विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है तथा अमान्य (स्वीकृति नहीं) आवासीय कालोनियों का विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जयपुर के चारदीवारी क्षेत्र में अवैध पशु डेयरियों का संचालन

616. श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जयपुर की चारदीवारी क्षेत्र में कितनी अवैध पशु डेयरियों का संचालन किया जा रहा है? नगर निगम जयपुर द्वारा इनके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त डेयरी संचालकों को जयपुर के बाहरी क्षेत्रों में योजना बनाकर डेयरी हेतु भूमि आबंटित की गई है? यदि हां, तो कब? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या जिन डेयरी मालिकों ने जमीन भी ले ली और चारदीवारी में अवैध डेयरी का संचालन कर रहे हैं, सरकार उनको आबंटित जमीन निरस्त करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(4) क्या यह सही है कि नगर निगम जयपुर द्वारा तैनात पशु पकड़ने

(श्री मोहन लाल गुप्ता)

के दलों द्वारा पशुपालकों से मिलीभगत किये जाने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो प्राप्त शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार चारदीवारी में विचरण कर रहे आवारा पशुओं को पकड़ने के लिये कोई विशेष अभियान चलाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जयपुर की चारदीवारी क्षेत्र में कितनी पशु डेयरियां हैं, नगर निगम, जयपुर द्वारा सर्वे नहीं करवाया गया है। नगर निगम, जयपुर द्वारा इनके विरुद्ध की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) जी हां। जयपुर विकास प्राधिकरण के क्षेत्राधिकार में डेयरी संचालकों को जयपुर के बाहरी क्षेत्रों में योजना बनाकर डेयरी हेतु आबंटित की गयी भूमि का योजनावार विवरण परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(3) जिन डेयरी मालिकों को भूमि आबंटित की गई है और चारदीवारी में अवैध डेयरी का संचालन कर रहे है, ऐसे प्रकरण प्रकाश में आने पर जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा आबंटित भूमि निरस्त करने की कार्यवाही नियमानुसार की जावेगी।

(4) जी नहीं।

(5) जी हां। चारदीवारी में विचरण कर रहे आवारा पशुओं को पकड़ने हेतु दिनांक 13.03.2016 से अभियान चला दिया गया है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जयपुर में द्रव्यवती नदी के विकास हेतु बनायी गयी योजना

617. श्री रमेश (सपोटरा): क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सरकार द्वारा द्रव्यवती नदी के विकास हेतु क्या योजना बनायी गयी है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) द्रव्यवती नदी के विकास का काम किस-किस एजेन्सी को किन-किन शर्तों के अधीन कब दिया गया? संबंधित एजेन्सी द्वारा अब तक क्या-क्या कार्य किये हैं?

(श्री रमेश)

(3) सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2013-14, 2014-15 एवं 2015-16 में कितनी-कितनी राशि द्रव्यवती नदी के विकास पर व्यय की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) विकास कार्यों के पश्चात् द्रव्यवती नदी की स्थिति में क्या परिवर्तन हुआ है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या द्रव्यवती नदी को पूर्णतया अतिक्रमण से मुक्त करा लिया गया है? यदि हां, तो कब व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) सरकार द्वारा द्रव्यवती नदी के विकास के लिए एक वृहत् योजना बनायी गयी है, जिसके अन्तर्गत नदी के बहाव क्षेत्र का विकास, आसपास के नालों के पानी एवं सीवर के पानी को एस.टी.पी. के माध्यम से उपचारित करने, नदी के सहारे हरियाली उद्यान इत्यादि विकसित करना आदि कार्य शामिल है। विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) द्रव्यवती नदी के पुनरुद्धार के कार्य के लिए 18.03.2016 को मैसर्स टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड-एसयूसीजी कन्सोरटियम के साथ अनुबंध किया गया है, जिसके अन्तर्गत यह कार्य 30 माह में पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। पूर्व में मैसर्स के.डी. शर्मा मई, 2013 एवं फरवरी, 2014 को कार्यादेश दिया गया, जिसके अन्तर्गत संबंधित एजेन्सी द्वारा मिट्टी एवं मलबा हटाने का कार्य किया गया।

(3) द्रव्यवती नदी से मलबा/मिट्टी हटाने हेतु सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2013-14 में राशि रु. 144.61 लाख, 2014-15 में 11.65 लाख रु. की राशि खर्च की गयी है। वर्ष 2015-16 में द्रव्यवती नदी के विकास कार्यों पर कोई राशि व्यय नहीं की गयी है।

(4) आरपीए पुलिया से महादेव नगर, अजमेर पुलिया से आतिश मार्केट, आतिश मार्केट से महारानी फार्म पुलिया तक मलबा व मिट्टी हटाने का कार्य किया गया है। उक्त कराये गये कार्यों के बाद द्रव्यवती नदी के बहाव क्षेत्र का अधिकांश भाग पूर्व में आ रहे अवरोध से मुक्त हुआ है।

(5) जी हां। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा द्रव्यवती नदी की मुख्यधारा को पैमाइश करवाकर दोनों तरफ पिलर लगाकर चिन्हित कर दिया गया है तथा उन दोनों तरफ के पिलर्स के बीच की भूमि को पूर्ण रूप से 2015 में अतिक्रमण से मुक्त करवा दिया गया है।

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

नगर निगम, जयपुर द्वारा द्रव्यवती नदी में से वर्ष 2012-13 में सुशीलपुरा से मिलिक्ट्रि एरिया तक कुल 382 अतिक्रमण पूर्ण रूप से हटा दिये गये एवं 323 आंशिक अतिक्रमण हटाये गये।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

टोंक में पक्के खालों का निर्माण

618. श्री अजीत सिंह (टोंक): क्या सिंचित क्षेत्र विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

विधान सभा क्षेत्र टोंक में वर्ष 2016 में कहां-कहां पर पक्के खालों का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है? ग्रामवार व स्थानवार तथा व्यय की जाने वाली राशि सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र टोंक में वर्ष 2016 में सिंचित क्षेत्र विकास विभाग द्वारा 47 पक्के खालों का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। ग्रामवार व स्थानवार तथा व्यय की जाने वाली अनुमानित राशि का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

महुवा (दौसा) कस्बे के सूरकुण्ड को बाणगंगा से जोड़ने की योजना

619. श्री ओमप्रकाश (महुवा): क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि महुवा (दौसा) कस्बे में बारिश के पानी की निकासी हेतु सूरकुण्ड चैनल का निर्माण किया गया था?

(2) उक्त सूरकुण्ड चैनल का निर्माण कब किया गया था?

(3) क्या सरकार कस्बे के वर्तमान विकास को देखते हुये सूरकुण्ड चैनल को बढ़ाकर बाणगंगा नदी तक बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि महुवा (दौसा) कस्बे के पानी की निकासी हेतु सूरकुण्ड चैनल का निर्माण कराया गया था।

(जल संसाधन मंत्री)

(2) सूरकुण्ड चैनल का निर्माण कार्य सर्वप्रथम वर्ष 2006-07 के दौरान करवाया गया एवं तत्पश्चात समय-समय पर साइड वाल निर्माण एवं खुदाई का कार्य वर्ष 2009-10 से वर्ष 2013-14 के दौरान करवाया गया। विवरण परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है।

(3) जी हां। सूरकुण्ड चैनल का निर्माण कार्य बाण गंगा तक मनरेगा योजना के अन्तर्गत वर्ष 2016-17 के दौरान स्वीकृति पश्चात संसाधन उपलब्धतानुसार करवाया जाना प्रस्तावित है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

भादरा के क्षतिग्रस्त पक्के खाले

620. **श्री संजीव कुमार** (भादरा): क्या सिंचित क्षेत्र विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र भादरा की अमरसिंह सब ब्रांच एवं सिद्धमुख सिंचाई प्रणाली के तहत आने वाले क्षेत्र में अनेक पुराने पक्के खाले क्षतिग्रस्त होने के कारण किसानों की सिंचाई सुविधा प्रभावित हो रही है? यदि हां, तो ऐसे क्षतिग्रस्त पक्के खालों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार क्षेत्र के उक्त क्षतिग्रस्त पक्के खालों का पुन:निर्माण करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र भादरा में सीएडी बीकानेर द्वारा केन्द्रीय प्रवर्तित योजना के अन्तर्गत सी.ए.डी. डब्ल्यू.एम में अमरसिंह सब ब्रांच एवं सिद्धमुख सिंचाई परियोजना में पक्के खालों का निर्माण करवाया गया है। खालों को पक्का करने के बाद उनका रखरखाव एवं मरम्मत का कार्य चक समिति/जल उपयोक्ता संगम द्वारा अपने संसाधनों से किये जाने का प्रावधान है। विभाग द्वारा क्षतिग्रस्त खालों के रिकार्ड का संधारण नहीं किया जाता है।

(2) जी नहीं। भारत सरकार द्वारा जारी सी.ए.डी. डब्ल्यू.एम. के दिशानिर्देश के अन्तर्गत प्रगतिरत परियोजनाओं में पक्के खालों के रखरखाव व मरम्मत का कोई प्रावधान नहीं है। राजस्थान सिंचाई प्रणाली के प्रबन्ध में कृषकों की सहभागिता अधिनियम, 2000 के अनुसार पक्के खालों के रखरखाव व मरम्मत का कार्य जल उपयोक्ता संगम/चक समिति द्वारा किया जाता है।

जमवारामगढ़ में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लाभार्थी

621. श्री जगदीश नारायण (जमवारामगढ़): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा योजना के अन्तर्गत वृद्धजनों, विकलांगों एवं विधवा/परित्यक्ताओं को सरकार द्वारा पेंशन दी जा रही है? यदि हां, तो कब से एवं कितनी-कितनी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में कौन-कौनसे गांव से किस-किस श्रेणी के कितने-कितने व्यक्तियों को उक्त पेंशन दी जा रही है? ग्राम-पंचायतवार मयनाम/संख्यावार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त विधान सभा क्षेत्र में सामाजिक सुरक्षा के तहत पेंशन प्राप्त करने हेतु आवेदन अभी भी लम्बित हैं? यदि हां, तो कब से व क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनान्तर्गत निम्नांकित (राष्ट्रीय एवं राज्य) पेंशन योजना संचालित है:

1. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (दिनांक 06.11.2007)
2. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (दिनांक 07.10.2009)
3. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय नि:शक्त पेंशन योजना (दिनांक 24.11.2009)
4. मुख्यमंत्री वृद्वजन सम्मान पेंशन योजना (दिनांक 01.04.2013)
5. मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना (दिनांक 01.04.2013)
6. मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना (दिनांक 01.04.2013)

पेंशन की मासिक दर निम्नानुसार है:

1. 75 वर्ष एवं अधिक आयु के पेंशनर को 750 रु. प्रतिमाह।
2. 75 वर्ष से कम आयु के पेंशनर को 500 रु. प्रतिमाह।
3. 8 वर्ष से कम आयु के विशेष योग्यजन पेंशनर को रु. 250 प्रतिमाह।

उक्त योजनान्तर्गत देय पेंशन के लिये मानदण्ड/शर्ते निर्धारित की गई हैं। मानदण्ड/शर्तें की प्रति परिशिष्ट-1 से 5 पर संलग्न है।

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री)

(2) विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में पेंशन की उक्त योजनाओं में लाभान्वित किये जा रहे पेंशनरों का ग्राम पंचायतवार संख्यात्मक विवरण परिशिष्ट-6 पर संलग्न है।

(3) विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में पेंशन की उक्त योजनाओं में कोई आवेदन पत्र लम्बित नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जैन समुदाय को अल्पसंख्यक घोषित होने के बाद देय सुविधाएं

622. **श्री कैलाश वर्मा** (बगरू): क्या अल्पसंख्यक मामलात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जैन समुदाय को अल्पसंख्यकों का दर्जा कब दिया गया? अधिसूचना की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) जैन समाज को अल्पसंख्यक घोषित करने के बाद सरकार द्वारा समाज के मंदिरों को क्या-क्या सुविधाएं दिये जाने का प्रावधान है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) जैन मंदिरों का अल्पसंख्यक पंजीकरण कराने की प्रक्रिया क्या है एवं जैन मंदिरों के पंजीकरण होने के बाद क्या-क्या सुविधाएं प्रदत्त की जाती हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जैन समुदाय को अल्पसंख्यक का दर्जा 27.01.2014 को दिया गया। भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना 'भारत का राज पत्र' दिनांक 27 जनवरी, 2014 की छायाप्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) वर्तमान में जैन मंदिरों को सुविधा दिये जाने का प्रावधान नहीं है।

(3) वर्तमान में जैन मंदिरों के अल्पसंख्यक पंजीकरण एवं लाभ सुविधाएं प्रदत्त करने की कोई योजना नहीं है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन योजना की राशि को बढ़ाने की योजना

623. **श्री ललित कुमार** (किशनगंज): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री ललित कुमार)

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन योजना चलाई जा रही है? यदि हां, तो इसके लिए क्या पात्रता है व कितनी राशि पेंशन के दौरान दी जाती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2013-14 में वृद्धावस्था पेंशन के लिए पर्याप्त बजट का प्रावधान नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या सरकार उक्त पेंशन योजना के तहत दी गई राशि को बढ़ाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितनी तथा कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां1 सरकार द्वारा राज्य के मूल निवासियों को राजस्थान सामाजिक सुरक्षा वृद्धावस्था, विधवा/परित्यक्ता एवं तलाकशुदा पेंशन नियम 2013 के अन्तर्गत 55 वर्ष व अधिक आयु की महिला एवं 58 वर्ष व अधिक आयु के पुरुष को मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजनान्तर्गत तथा भारत सरकार के मापदण्डों के अनुरूप सूचीबद्ध बीपीएल परिवार के 60 वर्ष व अधिक आयु के व्यक्तियों को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजनान्तर्गत पेंशन देय है। वर्तमान में राज्य में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनान्तर्गत निम्न दरों से भुगतान किया जा रहा है:

1. 75 वर्ष एवं अधिक आयु के पेंशनर को 750 रु. प्रतिमाह।
2. 75 वर्ष से कम आयु के पेंशनर को 500 रु. प्रतिमाह।

8 वर्ष से कम आयु के विशेष योग्यजन पेंशनर को रु. 250 प्रतिमाह।

उक्त पेंशन योजनाओं को संचालित किये जाने हेतु जारी किये गये नियम मापदण्ड/शर्तें एवं प्रक्रिया से सम्बन्धित आदेशों (यथा संशोधित) की प्रति परिशिष्ट-1 से 2 पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। वित्तीय वर्ष 2013-14 हेतु इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन एवं मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजनान्तर्गत (राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना) हेतु पर्याप्त राशि का प्रावधान रखा गया था।

(3) वर्तमान में पेंशन दर में वृद्धि किये जाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में विधवा व बी.पी.एल. परिवार की पुत्री के विवाह में देय अनुदान में वृद्धि

624. **श्रीमती अमृता मेघवाल** (जालौर): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार द्वारा प्रदेश में विधवा पुत्री व बी.पी.एल. परिवार की पुत्री के विवाह पर दस हजार रुपये अनुदान राशि देने का प्रावधान है? यदि हां, तो नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त अनुदान राशि को बढ़ाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राज्य सरकार द्वारा विधवा महिलाओं की पुत्रियों के विवाह हेतु अनुदान योजना अन्तर्गत विवाह योग्य कन्या के विवाह पर 10,000 रुपये दिये जाने का प्रावधान है। नियम की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है। सहयोग योजना अन्तर्गत बीपीएल परिवारों की पुत्रियों के विवाह पर अनुदान राशि 10,000 रुपये, 10वी पास कन्या के विवाह पर 5,000 रुपये अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि (कुल 15,000 रुपये) तथा स्नातक पास कन्या के विवाह पर 10,000 रुपये अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि (कुल 20,000 रुपये) दिये जाने का प्रावधान है। नियम की प्रति परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(2) उक्त योजनाओं में अनुदान राशि बढ़ाने का प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

पूर्व रियासतों की निजी व सरकार को हस्तान्तरित सम्पत्तियां

625. **श्री हनुमान बेनीवाल** (खींवसर): क्या सम्पदा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) 6 दिसम्बर, 1949 को राजस्थान गजट की धारा 12 की उपधारा 2 के तहत पूर्व रियासतों की निजी व सरकार को हस्तांतरित की जाने वाली संपत्तियों की अलग-अलग सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त गजट की धारा के अनुसार सरकार को हस्तांतरित की जाने वाली समस्त संपत्तियों को सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया है? यदि नहीं, तो किस-किस रियासत की कौन-कौन सी सम्पत्ति कब्जे में नहीं ली गयी?सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री हनुमान बेनीवाल)

(3) क्या सरकार पूर्व रियासतों की संपत्तियां जिनको सरकार अभी तक कब्जे में नहीं ले पाई, उन्हें कब्जे में लेने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या पूर्व राजघरानों को लाभ पहुंचाने के लिए आजादी के बाद से अब तक किसी आयोग या कमेटी का गठन किया गया है? यदि हां, तो किस आयोग अथवा कमेटी की सिफारिश के आधार पर किस-किस राजघराने को क्या-क्या लाभ वर्तमान में दिया जा रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) 6 दिसम्बर, 1949 को भारत सरकार के तत्कालीन गृह मंत्री एवं राजस्थान राज्य की देशी रियासतों के मध्य निष्पादित के अनुसार तैयार की गयी 21 रियासतों की इन्वेंट्रीज् में पूर्व शासकों की सम्पत्तियों का विवरण अंकित है। इन सम्पत्तियों में ही जो सम्पत्तियां राजस्थान राज्य में निहित होनी थीं, उनका विवरण अंकित किया हुआ है। 21 रियासतों की सूची मय इन्वेन्ट्री (राजकीय मुद्रणालय, राजस्थान से मुद्रित) की छाया प्रति परिशिष्ट ' अ" पर संलग्न है।

(2) राज्य सरकार द्वारा पूर्व शासक एवं भारत सरकार के मध्य निष्पादित इन्वेन्ट्री के अनुसार सरकार को हस्तान्तरण की जाने वाली सम्पत्तियों को अपने कब्जे में लिये जाने हेतु निरन्तर प्रयास किये जा रहे हैं। इस संबंध में विभिन्न न्यायालयों में लम्बित प्रकरणों में प्रभावी पक्ष रख उन्हें निस्तारित करने की कार्यवाही की जा रही है।

(3) जी हां। इस सम्बन्ध में विभिन्न न्यायालयों में लम्बित प्रकरणों के निस्तारण उपरान्त निर्णयानुसार अग्रिम कार्यवाही की जा सकेगी।

(4) जी नहीं, पूर्व राजघरानों को लाभ पहुंचाने के लिए राज्य सरकार द्वारा किसी प्रकार की कमेटी/ आयोग का गठन नहीं किया गया है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

भोपालगढ़ में राजीव गांधी गैस वितरण केन्द्रों की स्थापना

626. **श्रीमती कमसा** (भोपालगढ़) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्रीमती कमसा)

(1) राजीव गांधी गैस वितरण योजना के अन्तर्गत जोधपुर जिले में गैस वितरण केन्द्र कहां-कहां हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ़ में उक्त योजनान्तर्गत गैस वितरण केन्द्र कहां-कहां खोले जाने प्रस्तावित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) राजीव गांधी गैस वितरण केन्द्र खोलने के क्या मानदण्ड निर्धारित हैं? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजीव गांधी गैस वितरण योजना के अन्तर्गत जोधपुर जिले में 18 गैस वितरण केन्द्र हैं। विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ़ में ग्राम कोसाना एवं सोयला में गैस एजेन्सी खोलने हेतु हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि. द्वारा विज्ञप्ति जारी की गई थी, किन्तु आवेदनकर्ताओं द्वारा पात्रता के मापदण्ड पूरे ना करने के कारण यहां गैस एजेन्सी शुरू नहीं की जा सकी। भारत सरकार के पत्र पर राज्य सरकार ने सभी जिलों से नई संभावित गैस एजेन्सियों के लिए प्रस्ताव मांगे हैं। हालांकि पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नई गैस एजेन्सी के लिए विज्ञापन जारी कर आवेदन आमंत्रित करने पर फिलहाल रोक लगा रखी है।

(3) राजीव गांधी गैस वितरण केन्द्र खोलने के मानदण्ड/नियमों की प्रति परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में तेल, तिलहन की स्टाक सीमा का निर्धारण

627. श्री बनवारी लाल सिंघल (अलवर शहर): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा प्रदेश में तेल, तिलहन आदि पर स्टाक सीमा का निर्धारण किया गया है? यदि हां, तो कब से व किस आदेश के तहत? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त आदेश के तहत किस-किस प्रकार के सामानों पर कितनी-कितनी स्टाक सीमा किस प्रकार से लागू की गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री बनवारी लाल सिंघल)

(3) उक्त आदेश के तहत सरकार द्वारा लाइसेन्स निर्धारण की क्या प्रक्रिया निर्धारित की गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राज्य सरकार द्वारा राजस्थान व्यापारिक वस्तु (अनुज्ञापन एवं नियंत्रण) आदेश, 1980 के तहत दिनांक 23.11.2015 को खाद्य तेल एवं तिलहन पर अधिकतम स्टाक सीमा लागू की गई है, जिसमें दिनांक 08.12.2015 को अधिसूचना जारी कर आवश्यक संशोधन किये गये हैं। अधिसूचना दिनांक 23.11.2015 एवं 8.12.2015 की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

उक्त अधिसूचना दिनांक 26.12.2016 को विखण्डित की गई है। अधिसूचना दिनांक 26.12.2016 की प्रति परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(2) उक्त आदेश के तहत दिनांक 23.11.2015 एवं 08.12.2015 को अधिसूचना जारी कर खाद्य तेल एवं तिलहन पर स्टाक सीमा लागू की गई है। अधिसूचनाओं की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(3) राजस्थान व्यापारिक वस्तु (अनुज्ञापन एवं नियंत्रण) आदेश, 1980 राज्य में प्रभावशील है। आदेश के खण्ड-3 के अन्तर्गत तेल तिलहन के व्यवसाय एवं भण्डारण हेतु अनुज्ञापत्र प्राप्त किया जाना आवश्यक है। जिन डीलर्स द्वारा सभी तिलहनों का 30 क्विंटल तथा खाद्य तेलों का 05 क्विंटल से अधिक एक साथ भण्डारण तथा क्रय-विक्रय किया जाता है, तो उनको लाइसेन्स प्राप्त करना आवश्यक है। लाइसेन्स जारी करने हेतु जिला रसद अधिकारी/उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार अधिकृत है। निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन करने पर लाइसेन्स जारी किया जाता है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सलूम्बर-सराडा में संचालित मिनी बैंक

628. श्री अमृतलाल (सलूम्बर): क्या सहकारिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर-सराड़ा में मिनी बैंक कहां-कहां संचालित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

सलूम्बर-सराड़ा में 26 लेम्पस कार्यरत हैं तथा सभी 26 लेम्पस में मिनी बैंक संचालित है। विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

लवाण (दौसा) में क्रय-विक्रय सहकारी समिति की स्थापना

629. श्री शंकर लाल शर्मा (दौसा): क्या सहकारिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र दौसा के पंचायत समिति मुख्यालय लवाण पर क्रय-विक्रय सहकारी समिति खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

दौसा विधान सभा क्षेत्र के पंचायत समिति मुख्यालय लवाण पर क्रय-विक्रय सहकारी समिति के गठन बाबत पूर्ण मानदण्ड सहित प्रस्ताव प्राप्त होने पर विचार किया जा सकेगा।

प्रदेश में मुख्य मंत्री राजस्थान धरोहर सौन्दर्यीकरण एवं पुनरुद्धार योजना लागू करने की कार्यवाही

630. श्री बाबू सिंह (शेरगढ़): क्या कला, साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्व राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सुराज संकल्प घोषणा पत्र, 2013 में प्रदेश के नगरपालिका क्षेत्रों में स्थित संस्कृति धरोहर/पुरातत्व महत्व के भवनों की सुरक्षा एवं रख-रखाव हेतु "मुख्यमंत्री राजस्थान धरोहर सौन्दर्यीकरण एवं पुनरुद्धार योजना" प्रारम्भ करने की घोषणा की गई थी? यदि हां, तो उक्त घोषणानुसार अब तक क्या कार्यवाही की गई?

(2) क्या सरकार उक्त घोषणानुसार "मुख्यमंत्री राजस्थान धरोहर सौन्दर्यीकरण एवं पुनरुद्धार योजना" प्रारम्भ करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब से व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) इस योजना के क्रियान्वयन हेतु विभाग के आदेश दिनांक 03-03-2014 के द्वारा "राजस्थान धरोहर संरक्षण एवं प्रोन्नति प्राधिकरण, जयपुर" को पुनः क्रियाशील किया गया है, जो वर्तमान में कार्यरत है।

(कला, साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्व राज्य मंत्री)

(2) इस योजना के क्रियान्वयन हेतु "राजस्थान धरोहर संरक्षण एवं प्रोन्नति प्राधिकरण, जयपुर" दिनांक 03-03-2014 से क्रियाशील है।

चाकसू के पर्यटन स्थलों के विकास पर व्यय राशि

631. श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा (चाकसू): क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र चाकसू में वर्तमान में कौन-कौनसे पर्यटन स्थल हैं एवं सरकार द्वारा उनके रख-रखाव हेतु क्या-क्या व्यवस्था की गई है? पर्यटन स्थलवार, गत पांच वर्षों में उन पर व्यय की गई राशि का मदवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा उक्त क्षेत्र में पर्यटन स्थलों के विकास हेतु क्या-क्या कार्य योजना बनाई गई है? प्रस्तावित कार्य योजना का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त क्षेत्र में नवीन पर्यटन स्थल विकसित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कहां-कहां एवं उनके विकास पर कितनी-कितनी राशि व्यय की जायेगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र चाकसू में शीतला माता का धार्मिक स्थल स्थित है।

पर्यटन विभाग में किसी स्थल विशेष को पर्यटन स्थल घोषित करने का प्रावधान नहीं है।

पर्यटन विभाग में, वर्तमान में विधान सभा क्षेत्र चाकसू में स्थित किसी भी पर्यटक स्थल के रख-रखाव हेतु कोई प्रावधान नहीं है।

पर्यटन विभाग द्वारा गत पांच वर्षों में विधान सभा क्षेत्र चाकसू में स्थित पर्यटक स्थलों के विकास हेतु कोई राशि व्यय नहीं की गई है।

(2) पर्यटन विभाग द्वारा वर्तमान में विधान सभा क्षेत्र चाकसू में स्थित पर्यटन स्थलों के विकास हेतु कोई कार्य योजना/प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(3) पर्यटन विभाग द्वारा वर्तमान में विधान सभा क्षेत्र चाकसू में स्थित नवीन पर्यटन स्थलों को विकसित करने की कोई कार्य योजना/प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न संख्या-632

(स्थगित)

अनुदानित विद्यालयों से समायोजित कर्मियों को राज्य कर्मचारियों के समान देय सुविधाएं

633. **सुश्री कीर्तिकुमारी** (माण्डलगढ़): क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार द्वारा अनुदानित विद्यालयों में समायोजित कर्मचारियों को राज्य कर्मचारियों की भांति सुविधा प्रदान की जाती है? यदि हां, तो उन्हें क्या-क्या सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं?

(2) क्या सरकार उक्त कर्मचारियों को उपार्जित अवकाश, पदोन्नति, चिकित्सा अवकाश व अंशदायी पेंशन के समान वर्ष 2004 से पूर्व नियुक्त कर्मचारियों की भांति सुविधा प्रदान करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार उक्त कर्मचारियों हेतु नियम 1971 लागू करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। अपितु राजस्थान स्वैच्छया ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम, 2010 के तहत नियुक्त अनुदानित विद्यालयों के कर्मचारियों को राज्य सेवा में नियुक्ति उपरान्त 01 जनवरी, 2004 को या इसके पश्चात सरकारी सेवा में नियुक्ति राज्य कर्मचारियों के समान समस्त सुविधाऐं यथा वेतन भत्ते, सुनिश्चित कैरियर वृद्धि/कैरियर समुन्नति स्कीम (ए.सी.पी.), राज्य सेवा में अर्जित अवकाश का लाभ देय है।

(2) जी नहीं। राजस्थान स्वैच्छया ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम, 2010 के अनुसार राज्य सेवा में नियुक्त कर्मचारी को पदोन्नति का लाभ देय नहीं है तथा अनुदानित पद पर कार्यरत रहते हुए अर्जित व अधिशेष उपार्जित/चिकित्सा अवकाश को राज्य में नियुक्ति पश्चात अग्रेषित नहीं किया जायेगा एवं सहायता प्राप्त संस्थाओं में सेवा की कालावधि की गणना उपदान के संदाय के लिए नहीं की जावेगी। राज्य सेवा में नियुक्त कर्मचारी पेंशन स्कीम के लिये पात्र नहीं होंगे।

(3) जी नहीं। वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

टोंक जिले के विद्यालयों में शिक्षण व्यवस्थार्थ लगाये गए अध्यापक

634. श्री राजेन्द्र गुर्जर (देवली-उनियारा): क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा टोंक एवं ब्लाक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी टोंक कार्यालयों में अध्यापकों को व्यवस्थार्थ लगाया गया है? यदि हां, तो किस नियम के तहत? नियमों की प्रति, लगाये गये अध्यापकों की सूची व आदेशों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) ब्लाक टोंक में किन-किन विद्यालयों में एवं किन-किन शिक्षकों को शिक्षण व्यवस्थार्थ लगाया गया है? व्यवस्थार्थ लगाये गये अध्यापकों की सूची एवं आदेशों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सचिव प्रारम्भिक शिक्षा एवं निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा विभाग राजस्थान द्वारा कार्यालय कार्यों के लिए अध्यापकों को लगाये जाने के संबंध में कोई आदेश जारी किये गये हैं? यदि हां, तो किस नियम के तहत? नियमों एवं जारी आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार द्वारा नियम विरुद्ध अध्यापकों को कार्यालयों में व्यवस्थार्थ लगाने वाले दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है? यदि हां, तो क्या एवं नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार ऐसे दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो अब कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। अध्यापकों को कार्यालयों में व्यवस्थार्थ लगाये जाने हेतु कोई नियम प्रचलित नहीं है। कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, टोंक एवं कार्यालय ब्लाक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, टोंक में व्यवस्थार्थ लगे हुए अध्यापकों का नामवार विवरण निम्नानुसार है-

क्र.सं.	नाम अध्यापक	मूल पदस्थापन स्थान	कार्यालय का नाम
1.	मनोज कुमार शर्मा	राउप्रावि कालीबा	जिशिअ, प्राशि, टोंक

(शिक्षा राज्य मंत्री)

क्र.सं.	नाम अध्यापक	मूल पदस्थापन स्थान	कार्यालय का नाम
2.	शंकर लाल जाट	राउप्रावि लक्ष्मीपुरा जाटान	जिशिअ, प्राशि, टोंक
3.	ओमप्रकाश महावर	रामावि दूढिया	बीईईओ, टोंक
4.	रमेश चंद बैरवा	रामावि मदारीपुरा	बीईईओ, टोंक
5.	मतीन अंसारी	राप्रावि सिटी नं. 11	बीईईओ, टोंक
6.	रामबाबू सोनी	राउप्रावि बिचपुडी	बीईईओ, टोंक
7.	गणपत लाल शर्मा	रामावि मालीपुरा	बीईईओ, टोंक
8.	प्रकाशचंद जाट	राउप्रावि अल्लाहपुरा चांडोला	बीईईओ, टोंक
9.	नरेन्द्र कुमार शर्मा	राउप्रावि अमीरगंज	बीईईओ, टोंक
10.	रामावतार शर्मा, प्रबोधक	राप्रावि खेडूल्या	बीईईओ, टोंक

उक्त अध्यापकों को व्यवस्थार्थ लगाये जाने के आदेशों की प्रतियां परिशिष्ट 'क 1 से क 4' पर संलग्न है।

(2) ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, टोंक द्वारा शिक्षण व्यवस्थार्थ लगाये गये अध्यापकों का नामवार तथा विद्यालयवार विवरण एवं आदेश की प्रति परिशिष्ट-ख पर संलग्न है।

(3) जी नहीं।

(4) कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, टोंक एवं कार्यालय ब्लाक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, टोंक में व्यवस्थार्थ लगाये गये अध्यापकों के संबंध में निदेशालय के पत्र दिनांक 28.3.16 के द्वारा उप निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, अजमेर को उक्त प्रकरण की जांच करने एवं दोषियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रस्ताव चाहे गये हैं। जांचोपरान्त दोषियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेंगी।

(5) प्रश्नोत्तर के भाग संख्या 4 के अनुसार।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

प्रदेश में अध्यापक भर्ती के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण

635. श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़बास): क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में वर्ष 2008 से वर्ष 2013 तक कुल कितने एवं किस-किस ग्रेड के अध्यापकों की कब-कब भर्ती की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त भर्तियों में से कितनी-कितनी भर्तियों के प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन हैं तथा कितनी भर्तियों का न्यायालय द्वारा निस्तारण कर दिया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त भर्तियों में से कितने-कितने पदों पर भर्तियां आर.पी.एस.सी. के तहत तथा कितनी-कितनी भर्तियां जिला परिषदों के माध्यम से की गई हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में वर्ष 2008 से वर्ष 2013 तक की गई अध्यापकों की भर्ती का विवरण परिशिष्ट-'क' पर संलग्न है।

(2) उक्त भर्तियों में से न्यायालय में विचाराधीन भर्तियों के प्रकरण तथा न्यायालय द्वारा निस्तारण किये गये प्रकरणों का विवरण परिशिष्ट-'ख' पर संलग्न है।

(3) उक्त भर्तियों में से परिशिष्ट-'क' में वर्णित माध्यमिक शिक्षा के विभिन्न संवर्गों के 37260 पदों पर भर्तियां आर.पी.एस.सी. के तहत एवं प्रयोगशाला सहायकों के 766 पदों पर विभाग स्तर पर तथा प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत तृतीय श्रेणी अध्यापकों के 48886 पदों पर भर्तियां जिला परिषदों के माध्यम से की गई हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जयपुर जिला कलेक्ट्रेट में कार्यरत अध्यापक

636. श्री सुरेन्द्र पारीक (हवामहल): क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जयपुर के किस-किस विद्यालय के कितने-कितने कर्मचारी कितने समय से जिला कलेक्ट्रेट जयपुर में कार्यरत हैं? कर्मचारी का नाम व विद्यालयों के नाम एवं अवधि सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) जयपुर जिले के विद्यालयों से कितने अध्यापकों को बी.एल.ओ. के

(श्री सुरेन्द्र पारीक)

कार्य पर लगाया हुआ है? अध्यापकों के नाम व विद्यालय के नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत संचालित जयपुर के 17 विद्यालयों के 19 कर्मचारी तथा प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत संचालित 5 विद्यालयों के 5 कर्मचारी जिला कलेक्ट्रेट जयपुर में कार्य व्यवस्थार्थ कार्यरत हैं। जिनके नाम व विद्यालयों के नाम एवं अवधि सहित विवरण परिशिष्ट-'क-1' एवं 'क-2' पर संलग्न है।

(2) जयपुर जिले के विद्यालयों से बी.एल.ओ. के कार्य पर लगाये गये अध्यापकों के नाम व विद्यालय का नाम सहित विवरण परिशिष्ट-'ख-1' एवं 'ख-2' पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में अनुदानित शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों का समायोजन

637. **श्री हीरा लाल दरांगी** (झाड़ौल): क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश के निजी शिक्षण संस्थानों में अनुदानित पदों पर कार्यरत कर्मचारियों को राज्य सेवा में समायोजित किये जाने के उद्देश्य से प्रदेश में लागू राजकीय स्वैच्छिक ग्रामीण सेवा नियम, 2010 के अन्तर्गत समायोजन हेतु जयपुर शहर की किन-किन शिक्षण संस्थाओं के किन-किन कर्मचारियों ने आवेदन-पत्र प्रस्तुत किये और उनकी वर्तमान स्थिति क्या है? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या जयपुर शहर के निजी शिक्षण संस्थानों व केन्द्रीय समिति में अनुदानित पदों पर कार्यरत तथा समायोजन हेतु आवेदित सभी कर्मचारियों का समायोजन किया जा चुका है? यदि नहीं, तो उक्त किन-किन शिक्षण संस्थाओं के किन-किन कर्मचारियों का समायोजन नहीं करने के क्या कारण हैं तथा अब उक्त कर्मचारियों का कब तक समायोजन कर दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) जयपुर शहर के निजी शिक्षण संस्थान श्री खण्डेलवाल वैश्य शिक्षा

(श्री हीरालाल दरांगी)

समिति के केन्द्रीय कार्यालय में अनुदानित पदों पर कार्यरत ऐसे कितने कर्मचारी हैं, जिन्हें उक्त कानून लागू होने की तिथि तक संस्था द्वारा वेतन नहीं दिये जाने के कारण उन्हें समायोजित नहीं किया गया? क्या उक्त कर्मचारी राज्य सेवा में समायोजन की पात्रता रखते हैं? हां, तो इनके समायोजन की वर्तमान स्थिति क्या है तथा क्या सरकार नियमों में शिथिलता प्रदान कर ऐसे कर्मचारियों को समायोजित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राजस्थान स्वैच्छया ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम, 2010 के अन्तर्गत जयपुर शहर के अनुदानित विद्यालयों में अनुदानित पदों पर कार्यरत कार्मिकों द्वारा राज्य सेवा में नियुक्ति हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र व उनकी वर्तमान स्थिति का विद्यालयवार, नामवार विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) जयपुर शहर में अनुदानित विद्यालयों में अनुदानित पदों पर कार्यरत 22 कार्मिकों को उक्त नियम के प्रावधानों के अनुसार अपात्र होने के कारण राज्य सेवा में नियुक्त नहीं किया गया। जिनका विद्यालयवार, नामवार एवं कारण सहित विवरण परिशिष्ट "ख" पर संलग्न है।

(3) जयपुर शहर के श्री खण्डेलवाल वैश्य शिक्षा समिति, जयपुर में कार्यरत श्री कुंज बिहारी डंगायच, च.श्रे.कर्म. तथा श्री पीयुष पाणी चतुर्वेदी, क.लि. को संस्था द्वारा वेतन नहीं दिये जाने के कारण स्क्रीनिंग कमेटी ने इन्हें नियुक्ति के पात्र नहीं माने जाने के कारण नियुक्ति प्रदान नहीं की, इन्हें शिथिलन प्रदान किये जाने के संबंध में वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में खनन पट्टों के हस्तान्तरण पर रोक हटाने की कार्यवाही

638. श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर): क्या खान राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा वर्ष 2016 में नई खनिज नीति बनाई जा रही है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या यह भी सही है कि खनिज नीति नहीं बनने के कारण खानों

(श्री नरेन्द्र नागर)

के हस्तान्तरण पर रोक लगाई गई है? यदि हां, तो किसके द्वारा व किन नियमों के तहत? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार द्वारा नई खनिज नीति 2016 के प्रारम्भ होने से पूर्व के खनन पट्टे धारियों द्वारा सभी आवश्यक पूर्तियां करने के उपरान्त भी हस्तान्तरण नहीं किया जा रहा है? यदि हां, तो क्यों तथा अब कब तक हस्तान्तरण की प्रकिया प्रारम्भ कर दी जायेगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) नई खनिज नीति जून, 2015 में राज्य सरकार द्वारा घोषित की जा चुकी है, किन्तु नीति के अन्तर्गत नवीन राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम बनाने का कार्य प्रक्रियाधीन है।

(2) नई खनिज नीति जून, 2015 में राज्य सरकार द्वारा घोषित की जा चुकी है। वर्तमान में अप्रधान खनिज की खानों के हस्तांतरण पर रोक नहीं है। प्रधान खनिज की खानें जो बिना नीलामी के प्राथमिकता के आधार पर स्वीकृत की गई हैं, का हस्तान्तरण भारत सरकार द्वारा जारी खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2015 की धारा 12 ए एवं खनिज (परमाणु एवं हाइड्रोकार्बन ऊर्जा खनिजों से भिन्न) रियायत नियम, 2016 के नियम 23 एवं 24 के अन्तर्गत प्रतिबन्धित है।

(3) नई खनिज नीति जून, 2015 में राज्य सरकार द्वारा घोषित की जा चुकी है। वर्तमान में अप्रधान खनिज की खानों के हस्तांतरण पर रोक नहीं है। प्रधान खनिज की खानें जो बिना नीलामी के प्राथमिकता के आधार पर स्वीकृत की गई हैं, का हस्तान्तरण भारत सरकार द्वारा जारी खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2015 की धारा 12 ए एवं खनिज (परमाणु एवं हाइड्रोकार्बन ऊर्जा खनिजों से भिन्न) रियायत नियम, 2016 के नियम 23 एवं 24 के अन्तर्गत प्रतिबन्धित है।

प्रदेश में नई खनन नीति लागू करने की योजना

639. **श्रीमती अलका सिंह** (बांदीकुई): क्या खान राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार द्वारा नई खनन नीति बनाई गई है? यदि हां, तो क्या? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(श्रीमती अलका सिंह)

(2) उक्त नीति लागू होने से राज्य/जनता को क्या लाभ होगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य सरकार द्वारा दिनांक 04.06.2015 को नवीन राजस्थान खनिज नीति, 2015 प्रकाशित की गई है प्रति परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है। राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत (नवीन) नियम बनाने का कार्य प्रक्रियाधीन है।

(2) नीति के तहत राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत (नवीन) नियम प्रकाशित होने पर राज्य/जनता को निम्नानुसार लाभ होंगे :-

अप्रधान खनन पट्टों की अवधि वृद्धि से पट्टाधारियों को बार-बार नवीनीकरण हेतु विभागों के चक्कर नहीं लगाने होंगे।

राजकीय भूमि में आबंटन नीलामी से करने से राज्य सरकार को अधिकाधिक राजस्व प्राप्त होगा।

खनन पट्टों से सम्बन्धित रायल्टी राशि जमा करवाना, रवन्ना जारी करवाना, रिटर्न दाखिल करना इत्यादि सभी कार्य आनलाइन होने से पट्टाधारियों को सुविधाएें होंगी।

खनिजों के पूर्वेक्षण एवं खोज को गति देने से राज्य में खनन क्षेत्र को बढावा मिलेगा।

राजस्व बढ़ेगा एवं अधिकाधिक लोगों को रोजगार प्राप्त होगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश के जंगलों में वनस्पति व जन्तुओं को बचाने की योजना

640. श्रीमती गीता वर्मा (सिकराय): क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार द्वारा प्रदेश के जंगलों में कम होती वनस्पति एवं जन्तुओं के लिए कोई योजना प्रस्तावित है? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या जंगल से हिंसक पशु पानी व भोजन की तलाश में आबादी की ओर कूच करने लगे हैं, जिससे पालतू पशुओं को एवं जंगल के किनारे रहने वाली आबादी को अपनी जान का खतरा रहता है? क्या सरकार इस सम्बन्ध में कोई कार्य योजना बनाने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जंगलों में वनस्पति एवं जन्तुओं के संरक्षण के लिए विभाग द्वारा निम्न योजनायें संचालित की जा रही हैं:-

1. राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना फैज-2
2. नाबार्ड ऋण से वनीकरण
3. जलवायु परिवर्तन एवं मरु प्रसार रोक परियोजना
4. परिभ्रांषित वनों का पुनरारोपण
5. भाखडा नहर वृक्षारोपण
6. गंग नहर वृक्षारोपण
7. कैम्पा के अन्तर्गत वनीकरण
8. राज्य वन विकास अभिकरण के माध्यम से वृक्षारोपण
9. इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र में पुर्ननवीनीकरण
10. पर्यावरण वानिकी
11. फार्म फोरेस्ट्री
12. घाटी क्षेत्रों में भूमि संरक्षण
13. एकीकृत वन प्रबंधन योजना
14. प्रोजेक्ट टाईगर
15. प्रोजेक्ट बस्टर्ड
16. इन्टीग्रेटेड डेवलपमेन्ट आफ वाइल्ड लाइफ हैबिटाट्स

(2) जी नहीं। जंगल से वन्य जीवों के कभी-कभी पानी व भोजन की तलाश में अथवा अन्य कारणों से जंगल के समीपस्थ क्षेत्रों में आने की घटनायें होती हैं लेकिन इससे जंगल के किनारे बसे आबादी क्षेत्रों में जान का खतरा सामान्यत: नहीं है।

वन्य जीवों के आश्रय स्थलों में पानी की आपूर्ति, जल संरक्षण संरचनाओं का निर्माण, हैबिटाट का विकास, संवेदनशील स्थानों पर चारदीवारी का निर्माण इत्यादि कार्य करवाये जा रहे हैं ताकि वन्य जीवों के जंगल से बाहर निकलने की घटनायें कम हों।

प्रदेश में नील गायों से फसलों को बचाने की योजना

641. श्री बंशीधर (खण्डेला): क्या वनमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री बंशीधर)

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में आवारा जानवरों एवं नील गाय (रोज) से किसानों की फसलों को नुकसान होता है?

(2) क्या सरकार इनकी संख्या को नियंत्रित करने के लिए इनका बंधियाकरण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार नील गायों को किसी सुरक्षित अभयारण में भेजने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2 राज्य वन्य जीव मण्डल की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार रोजड़ों के बंधियाकरण के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट तैयार कर प्रथमतः उसे एक जिलें में प्रायोगिक तौर पर क्रियान्वित कर रोजडों के बंधियाकरण की व्यावहारिकता का परीक्षण करने का निर्णय लिया गया है।

(3) जी नहीं। रोजड़ों को पकड़कर किसी अभयारण्य में स्थानान्तरित करना इनके आकार एवं स्वभाव के कारण सम्भव नहीं है।

परिशिष्ट-1

नियम 295 के तहत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं जिन्हें पढ़ा हुआ माना गया

रामगंजमण्डी में कृषि भूमि के नक्शे तरमीम व रिकार्ड दुरुस्ती

निवेदन है कि तहसील रामगंजमण्डी कोटा में 2004 से 2024 अवधि का सेटलमेंट हुआ था। ग्रामों में नक्शा तरमीम नहीं होने से नक्शा दुरुस्ती की समस्या है। पूरे तहसील क्षेत्र में 50 प्रतिशत नक्शा तरमीम की त्रुटियां हैं, लगभग 15000 मामले नक्शा दुरुस्ती के होंगे जिनमें ग्राम फतेहपुर, छत्रपुरा, कुंभकोट, मायला, मोतीपुराखुर्द, कूदायता, काल्याखेड़ी, गूजरीयाखेड़ी, दुहनिया, अतरालिया, राईखेडा, गुलाबपुरा ग्रामों में नक्शा त्रुटियां हैं जिनमें नक्शा का मिलान मौके पर काश्त कर रहे खातेदारान के खेतों में नहीं हो रहा है। जिसके कारण खातेदारान के सीमाज्ञान करने व अन्य राजकार्यों में काफी कठिनाइयों आ रही हैं। नक्शा सुधार हेतु लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 की धारा 136 के तहत दावे बहुतायत में उपखण्ड कार्यालय में पेश किये जा रहे हैं। जिससे सरकारी मशीनरी को अन्य कार्यों की अपेक्षा इस कार्य में समय बर्बाद करना पड़ रहा है। त्रुटियों के कारण निम्न हैं-

(अ) सेटलमेन्ट से पूर्व सह खातेदारों के मध्य हुए खाता विभाजन की तरमीम नक्शे में नहीं होने के कारण दौराने सेटलमेंट विभाग द्वारा मौके से विपरीत जाकर खातेदारों के खसरा नम्बर नक्शे में अंकित कर दिये गये हैं जबकि मौके पर खातेदार कहीं और पंजीयन में है। इस बाबत दुरुस्ती हेतु जो समस्याएं हैं वह यह हैं कि सेटलमेंट से पूर्व की स्थिति स्पष्ट नहीं है, कि पूर्व नक्शे में खातेदारों की स्थिति क्या थी और अब उन्हें साक्ष्य के अभाव में किस प्रकार दुरुस्त किया जावे? इस प्रकार पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत दावों का निस्तारण नहीं हो पा रहा है, जिस कारण समस्या यथावत बनी हुई है।

(ब) सेटलमेन्ट से पूर्व बड़े खसरा नम्बर थे जिनमें पूर्व में हुए भूमि आबंटन के समय नक्शे में तरमीम नहीं हो रही थी और सेटलमेन्ट विभाग द्वारा आबंटियों के खसरा नम्बर साबित के अनुसार तथा मौके के अनुसार न बनाकर मौके से विपरीत बना दिये हैं जिस कारण भी दुरुस्ती की समस्या आ रही है।

अतः मेरा विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से निवेदन है कि रामगंजमण्डी तहसील में कैम्प लगाकर किसानों को मौके के अनुसार नक्शे में

तरमीम करके नक्शे तथा रिकार्ड में दुरुस्ती एवं पुनः सेटलमेंट कराने हेतु राजस्व विभाग को आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

सधन्यवाद।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल

(रामगंजमण्डी)

अलवर राजस्व न्यायालयों में अधिकारियों के रिक्त पदों पर भर्ती

राज्य सरकार द्वारा गत वर्ष में राजस्थान में राजस्व कैंप लगाकर राज्य के किसानों के वर्षों से लम्बित लाखों की संख्या में मुकदमों का निपटारा लोक अदालतों के माध्यम से किया गया। जिसमें अलवर जिले में भी हजारों की संख्या में लम्बित मुकदमों का निस्तारण लोक अदालत के माध्यम से किया गया। जिससे अलवर जिले के हजारों-हजारों किसान लाभान्वित हुए। किन्तु उपरोक्त राजस्व प्रकरणों का निस्तारण केवल उपखण्ड स्तर पर स्थापित उपखण्ड न्यायालयों में विचाराधीन मुकदमों का ही निस्तारण किया गया। राजस्थान में राजस्व की अन्य लाखों अपीलें विचाराधीन हैं उनका निस्तारण भी राजस्व विभाग द्वारा आयोजित लोक अदालतों के माध्यम किया जावे। जिससे विचाराधीन लाखों अपीलों का निस्तारण हो सके। सम्भागीय आयुक्त, राजस्व अपील अधिकारी, जिला कलेक्टर, अतिरिक्त जिला कलेक्टर आदि न्यायलायों में चल रही अपीलों के लिए समस्त राजस्थान में एक माह की लोक अदालत लगायी जावें। इससे पूर्व न्यायालयों में राजस्व अपीलीय अधिकारी के रिक्त पदों पर पीठासीन अधिकारियचों की नियुक्ति भी की जावें। जिला अलवर में दो राजस्व अपीलीय अधिकारी की कोर्ट स्थापित है जिसमें एक भू-प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील अधिकारी का न्यायालय तथा दूसरी राजस्व अपीलीय अधिकारी न्यायालय है। उक्त दोनों न्यायालयों में कार्य के अनुसार क्षेत्रों का विभाजन किया हुआ है। भू-प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपीलीय अधिकारी के न्यायालय में पीठासीन अधिकारी का पद गत सात वर्षों से रिक्त है। तथा दूसरी राजस्व अपीलीय अधिकारी की कोर्ट में भी वर्तमान में पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त है। जिला अलवर के दोनों न्यायालय राजस्व अपीलीय अधिकारी का लिंक न्यायालय राजस्व अपीलीय अधिकारी भरतपुर है। तथा राजस्व अपीलीय अधिकारी भरतपुर के पद रिक्त होने पर लिंक अधिकारी अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त जयपुर है। किन्तु वर्तमान में दोनों लिंक अधिकारियों का पद रिक्त है। जिससे हजारों-हजारों अपीलें वर्षों से विचाराधीन चल रही हैं।

अत: मैं सदन के माध्यम से मांग करता हूं कि जिला अलवर में राजस्व अपीलीय अधिकारियों की कोर्ट में पीठासीन अधिकारियों की अतिशीघ्र नियुक्तियां की जावें तथा राजस्व अपीलीय न्यायालयों में लोक अदालतें लगायी जावें, जिससे के किसानों को सही समय पर न्याय मिल सके।

रामहेत सिंह यादव
(किशनगढ़बास)

बिजौलिया में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना

निवेदन है कि विधान सभा क्षेत्र में (1) बिजौलिया पंचायत समिति के अधीन आने वाले समस्त उ.मा.वि. सरकारी/प्राइवेट में अध्ययनरत 12वीं कक्षा में छात्र-छात्राओं की संख्या लगभग 3500 से 4000 है।

(2) उक्त संख्या में विशेषकर अनुसूचित जाति की छात्र/छात्राओं की संख्या कुल विद्यार्थियों की 35 प्रतिशत है तथा सरकारी महाविद्यालय उपखण्ड क्षेत्र पर नहीं होने की वजह से छात्राओं को बीच में अध्ययन छोड़ना पड़ रहा है।

(3) बिजौलिया खनन संभावित क्षेत्र होने से यहां पर बाहर के भी अधिकांश व्यक्ति रह रहे हैं और जीवन कौशल से संबंधित आगे अध्ययन हेतु विकल्प उपलब्ध नहीं है।

(4) बिजौलिया उपखण्ड/पंचायत समिति में कोई भी महाविद्यालय वर्तमान में नहीं है।

(5) बिजौलिया क्षेत्र से लगभग 50 किमी से अनाधिक की दूरी पर माण्डलगढ में राजकीय महाविद्यालय स्थित है जहां दूरी अधिक होने के कारण स्थानीय परिक्षेत्र के विद्यार्थियों को आने-जाने में भारी दिक्कत होने की वजह से वहां उच्च अध्ययन नहीं कर पाते हैं।

(6) राजस्थान सरकार की प्रत्येक उपखण्ड क्षेत्र पर राजकीय महाविद्यालय खोलने की योजना के तहत भी बिजौलिया उपखण्ड क्षेत्र पंचायत समिति क्षेत्र होने की वजह से भी मापदण्ड पर खरा उतरता है।

(7) बिजौलिया में सरकारी महाविद्यालय की मांग वर्षों से उठती आ रही है तथा इसके लिए भवन इत्यादि की भी उपलब्धता है।

(8) माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी वसुन्धरा राजे जी का उच्च शिक्षा के प्रति विशेष रूचि के तहत आशा और विश्वास के साथ कि बिजौलिया क्षेत्र में सरकारी महाविद्यालय की स्थापना के साथ ही सुराज का सपना साकार हो सके।

अत: माननीय अध्यक्ष महोदय मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि संबंधित विभाग को निदेशित कर बिजौलिया उपखण्ड में राजकीय महाविद्यालय खोलने का श्रम करावें।

सुश्री कीर्तिकुमारी
(माण्डलगढ़)

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत पदस्थापित कनिष्ठ अभियंताओं का कार्यकाल

निवेदन है कि सर्व शिक्षा अभियान में कार्यरत जेईएन को नियमों के अनुसार 4 से 5 साल में कार्यमुक्त किया जाना था परन्तु 4-5 साल का कार्यकाल पूरे हुए वर्षों बीत गए हैं, फिर भी उसे कार्यमुक्त नहीं किया गया।

कई विद्यालयों में अनुपात के कमरे नहीं हैं। वहां कक्षा-कक्षों का निर्माण नहीं होता एवं ऐसी जगह निर्माण कार्य करवाए जाते हैं जहां कक्षों कक्ष की आवश्यकता ही नहीं है। जो कार्य SMC द्वारा करवाया जाता है उसमें दूसरी किश्त तभी जारी होती है जब MB भर दी जाती है, लेकिन JEN, SMC के साथ सांठ-गांठ करके पहले ही पूरा भुगतान उठा लेता है। पूरे महीने JEN विद्यालयों में बिना काम यानी जहां कार्य नहीं भी चल रहा, वहां टूर दिखाते हैं जबकि विद्यालय में जाते नहीं। वहां इनके हस्ताक्षर देखे जाने चाहिए।

सभी कनिष्ठ अपना टूर प्रोग्राम सहायक अभियन्ता जयपुर से प्रमाणित करवाकर पूरे महीने यात्रा पर रहते है एवं D.D. ब्लाक शिक्षा अधिकारी (SSA) होता है तो फिर यात्रा AEN से प्रमाणित क्यों करवाई जाती है। BEED (SSA) को यात्रा भता एवं वेतन उठाने के लिए अधिकृत कर रखा है और सभी काम ADPC कार्यालय से ही देखा जाता है।

मेरे क्षेत्र बस्सी के JEN जो SSA और RAMSA के हैं, कभी आफिस नहीं आते हैं न सूचना देता है। मुझे जलदाय विभाग के एक प्रश्न का गलत उत्तर मिलने पर कि स्कूलों में कहां-कहां पानी की व्यवस्था नहीं है मुझे पता चला कि रोज टूर पर रहने के बावजूद उसे फील्ड की जानकारी नहीं है। उसने जवाब में सभी स्कूलों में पानी की उचित व्यवस्था बताई। ऐसा चमत्कार होने पर मैंने BEEO बस्सी से रिपोर्ट मांगी, जिसमें उसने 50 ऐसे स्कूल बताएं जहां पानी की गम्भीर समस्या है। ऐसे भ्रष्ट और नाकारा JEN के खिलाफ आप जांच कराएं व उचित और सख्त कार्यवाही करें।

अतः मैं सदन के माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहती हूं कि उक्त विषय को अति गम्भीरता से लेकर आम जनता को राहत पहुंचावें।

सादर।

श्रीमती अंजू देवी धानका

(बस्सी)

मण्डावा में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना

मैं झुंझुनूं जिले के मण्डावा विधान सभा क्षेत्र से हूं। मण्डावा विधान सभा क्षेत्रफल की दृष्टि से भी बहुत बड़ा क्षेत्र है। मण्डावा विधान सभा क्षेत्र हमेशा से ही कांग्रेस शासित क्षेत्र रहा है। जिसके कारण मण्डावा विधान सभा क्षेत्र विकास की दृष्टि से हमेशा उपेक्षित रहा है, जहां तक शिक्षा का सवाल है, एक भी वसरकारी महाविद्यालय अभीतक मण्डावा विधान सभा क्षेत्र में नहीं है जिसके कारण यहां की युवा पीढ़ी को उच्च शिक्षा के लिए दूरदूराज के क्षेत्रों में जाना पड़ता है। जिसम कारण युवा वर्ग में उच्च शिक्षा के लिए ड्राप आउट का प्रतिशत बढ़ता जा रहा है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि युवा वर्ग को शिक्षा लेने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अतः उनके हितों को ध्यान में रखते हुए मण्डावा विधान सभा क्षेत्र में एक सरकारी महाविद्यालय खोलना चाहिए और महिला शिक्षा के क्षेत्र में भी स्थिति दयनीय है, लड़कियों का भी अलग से सरकारी महाविद्यालय होना चाहिए। क्योंकि मण्डावा विधान सभा क्षेत्र शिक्षा में सबसे आगे है। मैं तो यहां तक भी कहूंगा कि तहसील मुख्यालय मलसीसर में 20 हजार से ऊपर जनसंख्या है और एक भी बालिका विद्यालय नहीं है, यहां तक कि उच्च प्राथमिक भी नहीं है, उच्च माध्यमिक की बात अलग है। जिसके कारण यहां की लड़कियों को शिक्षा प्राप्त करने में बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अतः बालिका शिक्षा को ध्यान में रखते हुए तहसील मुख्यालय मलसीसर के अन्दर एक उच्च माध्यमिक बालिका विद्यालय भी खोलना चाहिए।

नरेन्द्र कुमार

(मण्डावा)

राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में अनुदेशकों की अनुबंध पर नियुक्ति

मैं आपका ध्यान राज्य सरकार द्वारा राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में एजेन्सी के माध्यम से जो संविदा अनुदेशक पिछले कई वर्षों से

लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं, राजस्थान में 2004 से लेकर आज तक कोई नियमित भर्ती नहीं होने के अभाव में, की ओर दिलाना चाहूंगा। तकनीकी शिक्षा हेतु केन्द्र सरकार स्किल इंडिया पर जोर दे रही है, लेकिन अनुदेशकों के पद रिक्त पड़े हैं। भर्ती विज्ञापन 2010 से 2014 तक शुद्धिपत्र सहित जारी हो रहे हैं, पर अब तक कोई भर्ती नहीं हुई है। संविदा कार्मिक द्वारा व्यवसाय सम्बन्धित कार्यों के साथ-साथ परीक्षा में वीक्षक, कोर्डिनेटर व संस्थान के अन्य कार्य भी किये जाते हैं। परन्तु नियमित कर्मचारियों के समान लाभ नहीं दिया जाता है, ना ही कोई छुट्टी का प्रावधान है। एन.जी.ओ. द्वारा सभी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में समान वेतन नहीं दिया जाता है, एजेन्सी द्वारा टैक्स, अन्य मद के नाम पर 2000 रु. से लेकर 5000 रु. तक कटौती की जाती है, जिससे संविदा कार्मिकों का शोषण होता है। विभाग द्वारा समय-समय पर संविदा कार्मिकों को हटाया व लगाया जाता है जिन्हें 20 दिन से 3 महीने तक हटाया जाता है। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से एजेन्सी प्रथा (ठेका प्रथा) समाप्त कर, चिकित्सा व शिक्षा विभाग की तर्ज पर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के अनुदेशकों को सीधे सरकार से अनुबंध कर लगाना चाहिए। वर्तमान में लगभग काफी राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में कर्मचारी हैं जो इस वजह से बेरोजगार हैं, सरकार द्वारा इस समस्या का स्थाई समाधन किया जावे ताकि इन बेरोजगारों को रोजगार मिल सके।

सधन्यवाद।

अभिषेक मटोरिया
(नोहर)

अलवर में राजस्व भूमि पर अनधिकृत कब्जों से बेदखली

निवेदन है कि अलवर ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र में तहसील अलवर, तहसील मालाखेड़ा, जिला अलवर में दोनों तहसीलों के क्षेत्र में आने वाले राजस्व गांव में सरकारी भूमि (1) सिवाय चक (2) बंजर (3) गैर मु. सिवाय चक, गोचर बीहड़, गैर मु. जोहड़, गैर मु. रास्ते इन सारी किस्मों की हजारों बीघा जमीन पर गांव के ही लोगों द्वारा उपरोक्त किस्म की भूमि पर अनाधिकृत कब्जा कर रखा है या कर रहे हैं। मैंने गत वर्ष 2015-16 के बजट सत्र में अतारांकित प्रश्न के माध्यम से इन सभी किस्मों की भूमि की जानकारी चाही थी। राजस्व विभाग द्वारा मुझे यह जानकारी दी गयी थी कि राजस्व गांव द्वारा किस-किस किस्म की भूमि में कितनी हैक्टेयर भूमि है, व इस भूमि पर किसका कब्जा है। राजस्व विभाग द्वारा मुझे इस भूमि पर इस

नाम के व्यक्ति जाति व गांववाइज सारी जानकारी दी गयी और यह भी प्रश्न के उत्तर में लिखा कि अनधिकृत लोगों द्वारा सरकारी भूमि करने वाले काबिजों को बेदखल करने की कार्यवाही की गयी है। परन्तु यह कागजों की कार्यवाही राजस्व विभाग द्वारा की जाती है। आज तक मौके पर जमीन खाली कराने की कोई कार्यवाही नहीं हुई है। सरकारी भूमि पर अनधिकृत लोगों ने कब्जा कर रखा है। राज्य सरकार द्वारा जमीनों को खाली कराने का अभियान जब तक नहीं चलाया जाएगा, तब तक लोग जमीनों को खाली नहीं करेंगे।

महोदय, क्षेत्र में रा.मा.वि. से रा.उ.मा.वि. क्रमोन्नत किये गये परन्तु विद्यालयों हेतु सरकारी जमीन उपलब्ध नहीं हो रही है। विद्यालय के पुराने भवन जिनमें छोटे कमरे हैं, विद्यालय चलना सम्भव नहीं है। ना ही विद्यालयों के खेल मैदानों के लिए जमीन उपलब्ध हो रही है। पंचायत राज द्वारा परिसीमन में नई ग्राम पंचायत का परिसीमन पश्चात चुनाव हो गया, व ग्राम पंचायत भवन हेतु, अटल सेवा केन्द्र हेतु भूमि उपलब्ध नहीं हो रही है। राजकीय उप स्वास्थ्य केन्द्र से राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में क्रमोन्नत के लिए भवन बनवाने हेतु भूमि उपलब्ध नहीं हो रही है। ऐसा नहीं है कि सरकारी भूमि नहीं है, परन्तु लोगों ने इस भूमि पर कब्जा कर रखा है। श्मशान घाट की भूमि मौके पर है, परन्तु राजस्व रिकार्ड में बंजर या सिवाय चक उस पर भी लोगों ने कब्जे कर लिये हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कुशालगढ़ में भवन के सामने वाले पोर्शन पर खोके लगाकर कब्जा कर लिया परन्तु प्रशासन द्वारा उनको भी नहीं हटाया गया।

अतः अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से माननीय राजस्व मंत्री से निवेदन है कि इन सभी किस्म की सरकारी भूमि को खाली करवाने का प्रशासन द्वारा अभियान चलाया जावे, तो ही सरकारी भूमि बच पाएगी।

सादर।

जयराम जाटव
(अलवर ग्रामीण)

हिंगोनिया गौपुनर्वास केन्द्र में हरा चारा उगाने हेतु पानी की उपलब्धता

राज्य सरकार द्वारा दी गई इजाजत से श्री गुरु गोविन्द गौ सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा भामाशाहों के सहयोग से हिंगोनिया गौपुनर्वास केन्द्र में रामसिंहपुरा बागरिया बस्ती की तरफ लगभग 25 बीघा में हरा चारा (रिजका) उगाया जा रहा है। हिंगोनिया गौपुनर्वास परिसर पर कुल पांच बोरिंग मौजूद हैं,

जिनमें से दो बोरिंग वर्तमान में चालू हैं, इनहीं दो बोरिंग से हिंगोनिया गौपुनर्वास केन्द्र की गायों के लिए पानी की सप्लाई होती है, जिसके कारण खेती के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध नहीं हो पाता है तथा वहीं दूसरी ओर बुड्थल की ओर नदी के पाटे में लगभग 25 बीघा भूमि पर वर्तमान में बीजारोपण का कार्य जारी है, उन 5 बोरिंग में से एक बोरिंग से भी खेती की आवश्यकता के अनुसार पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है।

नगर निगम उपायुक्त तथा नगर निगम (विद्युत), नगर निगम (सिविल) व नगर निगम पुनर्वास केन्द्र तीनों में तालमेल के अभाव में चलते हिंगोनिया पुनर्वास केन्द्र परिसर में स्थित बोरिंग से नियमित रूप से चारा उगाने के लिए सप्लाई नहीं किया जा रहा है। नगर निगम (सिविल) ने रिपोर्ट दी है कि हिंगोनिया परिसर में सभी बोरिंग को नियमित रूप से विद्युत सप्लाई के लिए ट्रांसफार्मर पैनल लगाये जायें तभी विद्युत की नियमित सप्लाई हो सकेगी तथा सही वोल्टेज भी मिल सकेगा तथा बोरिंग के साथ लगी मोटर नहीं जलेगी।

अत: मैं नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि वहां पर चारे के लिए पर्यापत मात्रा में पानी की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए भूमि पर लगे हुए पांचों बोरिंग में से दो बोरिंग में पैनल, केबल लाइन व मोटर लगवाए जाएं तथा वहां पर ट्रांसफार्मर पैनल भी लगाये जायें ताकि भामाशाहों द्वारा उगाये गये चारे के लिए पानी की सप्लाई नियमित रूप से हो सके, साथ ही इस कार्य के लिए उपायुक्त नगर निगम, जयपुर की जिम्मेदारी आयद करें, दानदाताओं द्वारा उगाया गया लाखों रुपये का चारा जल गया है तथा बचा हुआ चारा नहीं जले और यदि चारे के बीज पानी के अभाव में नष्ट हो जाएंगे तो दानदाता भी नगर निगम से सहयोग नहीं मिलने की स्थिति में मदद से मुंह मोड़ लेंगे।

सुरेन्द्र पारीक
(हवामहल)

नादौती तहसील में कृषि भूमि का नियम विरुद्ध भू-रूपान्तरण

तहसीलदार नादौती जिला-करौली द्वारा गत दो वर्षों में जो कृषि भूमि का रूपान्तरण वाणिज्यिक उपयोगार्थ किया गया है उनमें नियमों के विरुद्ध किया जाकर लाखों रुपये का राजस्व का नुकसान करते हुए भ्रष्टाचार किया गया है। जिसमें नादौती से गंगापुर रोड, गुढाचन्द्र जी से नादौती रोड पर तथा नादौती से हिण्डोन रोड पर कृषि भूमि का बैंक/व्यावसायिक आदि के

उपयोगार्थ किया गया भू-परिवर्तन नियमों के विपरीत एवं राष्ट्रीय राजमार्ग के नियमों को ताक में रखते हुए किया गया है। जिससे राज्य सरकार को लाखों रुपये का राजस्व घाटा हुआ है। ऐसे ही अनेकों प्रकरणों में नादौती शहर के अन्दर अवैध भू-रूपान्तरण में भारी अनियमितताओं का कार्य तहसीलदार नादौती द्वारा किया गया है।

अतः मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से अनुरोध है कि उक्त प्रकरणों की उच्च स्तरीय जांच करवाई जावे तथा नादौती तहसील में किये गये अनियमित भू-रूपान्तरणों को निरस्त करते हुए संबंधित तहसीलदार/ कर्मचारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करावें, ताकि राज्य में हो रही राजस्व चोरी को बचाया जा सके तथा भ्रष्टाचारियों पर अंकुश लग सके।

दर्शन सिंह

(करौली)

कुशलगढ़ राजकीय सामुदायिक चिकित्सालय में रिक्त पदों पर भर्ती

कुशलगढ़ तहसील क्षेत्र का एक मात्र राजकीय सामुदायिक चिकित्सालय कुशलगढ़ तहसील मुख्यालय पर संचालित हो रहा है। जहां पर आदिवासी अंचल के दूर-दराज से ग्रामीण क्षेत्र के लोग अपना स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए आते हैं। गरीब आदिवासी जनता के लिये उक्त चिकित्सालय के माध्यम से ही चिकित्सा सुविधा प्राप्त हो रही है। परन्तु लम्बे समय से यहां पर चिकित्सकों के पद रिक्त होने से यहां की आदिवासी जनता का उपचार सही तरीके से नहीं होने से गरीब जनता को चिकित्सा सुविधा के लिए बाहर जाना पड़ता है। उक्त चिकित्सालय में चिकित्सकों के रिक्त पदों की स्थिति निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	पद नाम	स्वी.	कार्यरत	रिक्त
1.	कनिष्ठ विशेषज्ञ			
	सर्जन, ईएनटी, गायनिक, शिशु, आर्थोपेडिक, एनस्थीसिया, नेत्र, एमडी	8	1 (एमडी)	4
2.	सीनियर मेडिकल आफिसर	1	1	0
3.	मेडिकल आफिसर	6	3	3
	योग	15	5	10

उक्त रिक्त पदों के कारण मरीजों को सही चिकित्सा सुविधा नहीं मिल रही है। साथ ही चिकित्सा में डेण्टल केयर, आंखों की जांच एवं ईएनटी का सामान पुराना एवं खराब अवस्था में पड़ा हुआ है। जिसके कारण उक्त बीमारी से ग्रस्त मरीजों का सही इलाज नहीं हो पाता है।

अत: श्रीमान से निवेदन है कि तत्काल उक्त पदों को भरते हुए चिकित्सालय में आधुनिकतम सुविधाओं वाली मशीन उपलब्ध करायी जावे तथा कुशलगढ़ क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत खजूरा व ग्राम पंचायत बड़ी सरवा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की मांग करता हूं, क्योंकि आस-पास के क्षेत्र में कोई भी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नहीं होने से आम जनता को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

ब्लाक सज्जनगढ़

1. जेएसएसवाई फेज 2 का निर्माण प्रस्तावित है, जिसकी निर्माण स्वीकृति जारी करवाएं। फेज 2 के अन्तर्गत जेएसएसवाई लेबर रूम, वार्ड, सैप्टीक लेबर रूम एवं वर्तमान भवन के प्रभम तल पर आपरेशन थियेटर, जनरल वार्ड एवं कार्यालय बनवाना प्रसतावित है, जिसकी शीघ्र ही स्वीकृत करवाएं।
2. सा.स्वा. के. सज्जनगढ़ में डिजीटल एक्स-रे मशीन की नितांत आवश्यकता है, जिसे शीघ्र उपलब्ध करावाएं।
3. आटो-क्लेव मशीन (होरिजेन्टल) उपलब्ध करवाने की स्वीकृति जारी करवाएं।
4. संस्थान में लम्बे समय से चिकित्सा अधिकारी के पद एवं फार्मासिस्ट के पद रिक्त हैं, कृपया शीघ्र इन पदों पर नियुक्तियां करवाएं।
5. संस्थान में मेल नर्स प्रथम के 2 नवीन पद एवं मेल नर्स द्वितीय के दो नवीन पद स्वीकृत करवाने का कष्ट करें।
6. जनजातीय उपयोजना क्षेत्र में मरीज एवं संसाधनों की अनुपलब्धता को देखते हुए वर्तमान संस्थान को एफआरयू में क्रमोन्नत करवाएं।

सधन्यवाद।

भीमा भाई

(कुशलगढ़)

मुण्डारा के चामुण्डा माता मंदिर ट्रस्ट में कुप्रबंध

श्री चामुण्डा माताजी ट्रस्ट मंदिर, मुण्डारा जिला पाली में पिछले कुछ समय से कुछ मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारियों द्वारा विवाद किया जाकर अव्यवस्था फैलाई जा रही है, जिससे पिछले समय में ट्रस्ट सचिव (मंत्री) की हत्या भी कारित की गयी है, जो मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारियों के आपसी वैमनस्य एवं कुप्रबन्ध का परिचायक है। श्री चामुण्डा माताजी मंदिर परिसर पाली, जालौर, सिरोही बाड़मेर, मेवाड़ के लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केन्द्र है, परन्तु मंदिर ट्रस्ट के इन अवांछित/अविधिक एवं कुप्रबन्ध के कारण हां पर लगातार भय एवं अशांति का माहौल बना हुआ है। मंदिर ट्रस्ट में आपसी विवादों के कारण शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिए वर्तमान में प्रशासक (तहसीलदार) नियुक्त किया गया है, उसे यथावत रखा जावे या देवस्थान विभाग द्वारा एक समुचित प्रतिनिधित्व वाली व्यवस्थापन समिति गठन कर मंदिर परिसर में सुव्यवस्था कायम किये जाने के सम्बन्ध में नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव प्रेषित है।

केसाराम चौधरी

(मारवाड़ जंक्शन)

बांसवाड़ा के माही डैम विस्थापितों को भू आबंटन

नियम 295 के तहत लोक तहत्व के प्रश्न को विधान सभा में प्रस्तुत करता हूं। वर्ष 1965 के दरम्यान माही डैम का निर्माण हुआ है, उस समय तहसील बांसवाड़ा के 112 गांवों के किसान विस्थापित हुए हैं व सन् 1977-78 से वर्तमान 2016 तक 106 आदिवासी किसान बेघर बार व भूमिहीन होकर भटक रहे हैं।

मान्यवर, माही डैम का निर्माण होकर डेम से पानी भरा उस समय से घर छोड़ कर भटक रहे हैं, माही डैम निर्माण के समय विस्थापित किसानों को मकान व खेती करने की भूमि जिलेवार आफिस खोलकर खेती करने वाले किसानों को पेपर पर एलोट कर दी थी। जो खेती करने की भूमि किसानों को एलोट की व जमीन के पट्टे भी दे दिये गये, मगर मौके पर बिना जानकारी लिये पेपर एलोट कर दिया गया था।

जब किसान अपने पट्टे लेकर जिस गांव व पटवार मण्डल व तहसील क्षेत्र में जमीन दी गई थी, मौके पर गया तो जिस जमीन का पट्टा जिस आदिवासी किसान को दिया गया था उस जमीन पर उसी गांव का किसान

पहले से कब्जा कर खेती करता पाया गया था व जिस किसान को जमीन दी थी, उसी पर पूर्व का बसा किसान अपना मकान बना कर रहता है व जमीन छोड़ने को तैयार नहीं है।

मौके पर जानकारी लिये बिना जमीन एलोट कर दी जिससे किसानों में विवाद खड़ा हो गया है व किसान आज दिन तक पेपर एलोटमेन्ट के पट्टे लेकर बिना जमीन, बिना मकान भटक रहे हैं। वे किसान 106 विधान सभा क्षेत्र व तहसील घाटोल के गांव कुवानिया में अपना पड़ाव डालकर आस-पास मजदूरी कर अपना जीवन जी रहे हैं।

अतः मेरा निवेदन है कि जिला बांसवाड़ा के जिला अधिकारियों को पाबन्द कर गांव कुवानीया तहसील घाटोल में पड़ाव डालकर जी रहे उन आदिवासी किसानों का जायजा लिया जाकर सरकार उन गरीब आदिवासी किसानों को जमीन के बदले जमीन दी जाकर राहत दी जाने की व्यवस्था करने की जानकारी देवें।

सादर।

नवनीत लाल

(घाटोल)